राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 3] तेरहवीं विधान सभा के तृतीय सत्र का सत्रहवां दिवस [संख्या : 13

गुरुवार;

23 जुलाई, 2009

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे
विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): आज तो आप व्हाइट ड्रेस में हैं।

श्री अध्यक्ष: आप बता दीजिए कौनसी ड्रेस में आया करूं?

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): व्हाइट। हम आपको सफेद ही देखना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष: श्री छोटूसिंह भाटी।

तारांकित प्रश्नोत्तर

जैसलमेर जिले में नरेगा योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य

205. **श्री छोटू सिंह भाटी** (जैसलमेर): क्या ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला जैसलमेर में वित्तीय वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 में नरेगा योजना में किन-किन राजस्व गांवों में जनसंख्या के अनुपात में कितने मजदूरों को रोजगार मिला? राजस्व ग्रामवार जनसंख्या के अनुपात में कितनी राशि व्यय हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) नरेगा योजना के अन्तर्गत जिले में कुल कितने पंजीकृत परिवार हैं? राजस्व ग्रामवार परिवारों की संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) नरेगा योजना में प्रतिवर्ष स्वीकृत किये जाने वाले कार्यों की स्वीकृति के मानदण्ड क्या हैं? क्या स्वीकृति केवल जनसंख्या एवं पंजीकृत बेरोजगार परिवारों की संख्या के आधार पर राजस्व ग्रामवार/पंचायतवार होती है?

(श्री छोटू सिंह भाटी)

(4) क्या जिले में गत वर्ष के स्वीकृत कार्यों में उक्त मानदण्डों का पालन हुआ? यदि हां, तो कहां तक व नहीं, तो क्यों? सहविस्तार नियमों सहित नरेगा योजना के मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(5) क्या विवेच्य अवधि में नरेगा योजना में पंचायत समितिवार बजट का आबंटन हुआ था? यदि हां, तो जिले की तीनों पंचायत समितियों में बजट आबंटन का क्या अनुपात रहा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(6) जिले में नरेगा योजना में विवेच्य अवधि में राजस्व ग्रामवार कुल कितने पक्के व कच्चे कार्य स्वीकृत हुए एवं उस पर कितनी राशि व्यय हुई? राजस्व ग्रामवार स्वीकृत कार्यों की सूची मय लागत के सदन की मेज पर रखें।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री (श्री भरत सिंह कुन्दनपुर) : (1) नरेगा योजनान्तर्गत रिकार्ड का संधारण ग्रामवार न किया जाकर ग्राम पंचायतवार किया जाता है। परिवारों को उनकी मांग के अनुसार एक वर्ष में 100 दिवस तक का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। जिले में वित्तीय वर्ष 2008-09 तथा 2009-10 में ग्राम पंचायतवार जिन्हें राजेगार उपलब्ध कराया गया एवं व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जिले में नरेगा योजनान्तर्गत 110293 पंजीकृत परिवार हैं। राजस्व ग्रामवार पंजीकृत परिवारों की सूची परिशिष्ट-1 पर उपलब्ध है।

(3) नरेगा योजना में प्रतिवर्ष स्वीकृत किये जाने वाले कार्यों की स्वीकृतियां पंजीकृत परिवारों एवं कार्य की मांग करने वाले परिवारों की संख्या को ध्यान में रखते हुए की जाती है। जनसंख्या का कार्यों की स्वीकृति से कोई सम्बन्ध नहीं है।

(4) जी हां। नरेगा योजना के क्रियान्वयन हेतु जारी की गई स्कीम राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम, 2006 की प्रति परिशिष्ट-2 संलग्न है।

(5) नरेगा योजना के तहत बजट का आबंटन रोजगार की मांग की पूर्ति हेतु स्वीकृत कार्यों की निष्पादन को दृष्टिगत रखते हुए की जाती है। कोई निर्धारित बजट का आबंटन पंचायत समितिवार नहीं होता।

पंचायत समतिवार उपलब्ध कराई गई राशि का अनुपात निम्नानुसार है :-

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

नाम पंचायत समिति	वर्षवार आवंटित की गई राशि का अनुपात	
	2009	2009-2010
जैसलमेर	35 प्रतिशत	37 प्रतिशत
सम	36 प्रतिशत	39 प्रतिशत
सांकड़ा	30 प्रतिशत	24 प्रतिशत
कुल	**100 प्रतिशत**	**100 प्रतिशत**

(6) जिले में नरेगा योजना में विवेच्य अवधि में पंचायतवार स्वीकृत कार्यों एवं व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि इन्होंने जो व्यय राशि बतायी है और श्रमिक संख्या बतायी है उसमें बड़े गांव होते हुए भी श्रमिकों की संख्या कम क्यों बतायी है? इससे मंत्री महोदय यह साबित हो रहा है कि गांवों को कार्यों की योजना में और प्रस्ताव में पक्षपात रखा गया है। कई गांव बड़े हैं उनमें कार्यों की संख्या दी हुई है जब कि राशि की संख्या भी बिलकुल कम दी गयी है, यह क्यों? जैसे बडोडा गांव के अन्दर कुल 222 है। इतना बड़ा गांव है, 222 ही संख्या है, यह श्रमिकों की संख्या 222 कैसे आयी? या तो टाइम पर उनका सुचारू नहीं हुआ या कोई सूचना नहीं दी गयी। ऐसे के ऐसे खीवसर गांव है। खीवसर बहुत बड़ा गांव है, इसमें 420 की संख्या है। अगर अधिकारियों द्वारा वहां पारदर्शी काम नहीं देखा गया है या उनको बताया नहीं गया है।

दूसरे में जो सूचनाएं मुझे दी गई हैं उस सूचना में यह साबित हो रहा है जिस भी अधिकारी ने यह सूचना भेजी है उसके कोई हस्ताक्षर नहीं हैं, इससे यह साबित होता है कि यह उत्तर बिलकुल गलत है।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, यह जो योजना है इसको बुनियादी तौर पर आपको यह समझना होगा कि इस योजना में मजदूरों की मांग के अनुसार काम का प्रावधान किया जाता है। गांव कितना बड़ा हो, छोटा हो उससे इसका सम्बन्ध नहीं है। मजदूर को मांगने का अधिकार दिया है सरकार ने। वह काम मांगे और उस काम के लिए उसे कोई मना नहीं कर सकता। आपकी ग्राम सभाओं के अन्दर इसके ऊपर जो प्रस्ताव लिये जाते हैं उसके अनुसार काम होते हैं।

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

अगर कोई चीज है, किसी मजदूर ने मांग नहीं की तो इसकी उसी स्तर पर मांग की जाएगी और उसी स्तर के अनुसार काम दिया जाएगा, इसमें कोई सीमा भी नहीं है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मूल प्रश्नकर्ता।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): मैं निवेदन करूंगा, जो मजदूर काम मांगेगा यह अधिकारियों का काम है, ग्राम सेवक का काम है कि गांव में पंचायत में जाकर कहे कि अमुक काम होता है। गांव की अनपढ़ जनता को क्या मालूम की अमुक काम यह हो रहा है। जब इतने बड़े गांव में सबसे कम राशि खर्च की गई है, श्रमिक संख्या कम की गई है इससे यह साबित होता है कि गांव के अन्दर पारदर्शी काम नहीं हुआ है, उनको सूचनाएं नहीं दी गई हैं और कार्यों के अन्दर भेदभाव किया गया है, और गांवों की तरह, और ग्राम पंचायतों की तरह।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, यह जिस कार्य का जिक्र कर रहे हैं वो आप 2008-09 की बात कर रहे हैं या 2009 की बात कर रहे हैं?

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): मैं 2009-10 की भी बात कर रहा हूं, 2008-09 की बात करता हूं, दोनों की बात कर रहा हूं। दोनों में व्यय अलग-अलग हैं जबकि 2009 में तो कम है। मैं मानता हूं अभी पूरा नहीं हुआ होगा, लेकिन 2009 में यह आपस में डिफरेंस क्यों है? राशियों में बड़े गांव होते हुए भी इसमें फर्क क्यों है? इसका मतलब जो काम स्वीकृत हुए हैं वे उनकी खुद की योजना व उनके प्रस्ताव के हिसाब से नहीं हुए। कई छोटे गांव हैं उनमें कार्य ज्यादा स्वीकृत हुए हैं और कई बड़े गांव हैं उनमें स्वीकृति नहीं हुई है। इससे यह साबित होता है कि जो काम स्वीकृत हुए हैं उनमें भेदभाव किया गया है।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, इस योजना में भेदभाव का तो प्रश्न ही नहीं उठता है, यह तो पूर्ण रूप से डिमाण्ड ओरिएंटेड योजना है। और मैं पहले ही कह चुका हूं और दुबारा भी यही बात कहूंगा कि अगर लोग-बाग़ मांग करेंगे और अभी भी करेंगे तो इनको काम दे दिया जाएगा। इस सम्बन्ध में माननीय अध्यक्षजी, व्यवस्था यह है कि पंचायत समिति की बैठकें नियमित रूप से हों, पंचायत

(श्री भरत सिंह कुन्दनपुर)

समितियों की बैठकों के अन्दर ये बातें आएं। यह दुर्भाग्य की बात है कि हमारी पंचायत व्यवस्था के अन्दर इसको किसी ने मोनीटर ही नहीं किया कि हमारी ग्राम पंचायतों की बैठकें समय पर हों, हर महीने बैठक होनी चाहिए, उसमें विधायक को जाने का अधिकार है। आप उसके माननीय सदस्य हैं, उन बैठकों के अंदर जब बैठक ही नहीं हो और बैठकों में बात नहीं आये, और सिर्फ विधान सभा में प्रश्न के माध्यम से मैं माननीय सदस्य को अवगत कराना चाहता हूं कि इस प्रकार की शिकायत विधान सभा चले या न चले, आपको कोई कठिनाई हो इस योजना के बारे में आप अवगत कराएं, निश्चित रूप से उसका समाधान करेंगे।

आपने ग्राम सेवकों का उल्लेख किया। माननीय सदस्य, आप तो स्वयं ग्राम सेवक रहे हैं, आपको तो इन योजनाओं की पूरी जानकारी है। इसलिए आपके अनुभव का लाभ लें और उसका लाभ लेकर लोगों तक लाभ पहुंचाएं।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं खुद ग्राम सेवक रहा हूं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करता हूं मैं पहला विधायक हूं जो ग्राम सेवक से बनकर यहां विधायक बना हो। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह हर महीने ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: ये मंत्रीजी भी प्रधान बनने के बाद मंत्री बने हैं। ये भी प्रधान से मंत्री बने हैं।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): माननीय मंत्री महोदय, मेरा निवेदन है कि हर महीने दो बैठकें होती हैं फिर भी प्रचार क्यों नहीं हुआ और क्यों काम नहीं हुए?

श्री अध्यक्ष: विराजें।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): इसका मतलब अधिकारियों की लापरवाही है।

श्री अध्यक्ष: जवाब दे रहे हैं।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर) : माननीय अध्यक्षजी, यह सही है कि हर महीने तो बैठकें नहीं होतीं मगर 10.01.09 को एक बैठक हुई थी पंचायत समिति की। वो यह हुई थी जैसलमेर पंचायत समिति की जिसके आप माननीय सदस्य हैं और दूसरी बैठक हुई थी 11.01 को। आपने दोनों बैठकों में

(श्री छोटू सिंह भाटी)

भाग लिया था। अच्छा होता कि इस सम्बन्ध में वहां आप उल्लेख करते तो पंचायत समिति की बैठक में समाधान निकल आता।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, उन दोनों बैठकों में मैं गया था और मैंने कहा था, मैंने सुझाव रखा था, ये के ये सुझाव रखे थे और यह बजट आया था। मैंने कहा था आपने इस हिसाब से दिया है, पारदर्शी होना चाहिए, यह फर्क क्यों है। यही नहीं, मैंने वहां भी निवेदन किया था और बैठक में कहा था एक गांव को तो 170 हजार का काम आ रहा है जबकि दूसरे गांव 35 हजार का आ रहा है, यह क्यों?

श्री अध्यक्ष: विराजें, विराजें।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): इसका मतलब यह वहां जो विकास का बजट आता है, वहां समिति में आकर फर्क होता है। मैं निवेदन करना चाहता हूं मंत्री महोदय से कि जो काम ग्राम पंचायत का है..

श्री अध्यक्ष: विराजो, आप विराजो।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): उसमें यह फर्क नहीं होना चाहिए।

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें, विराजें, माननीय सदस्य, विराजें।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): ग्राम पंचायत से जो कार्य आता है, उसी को ही सैंक्शन किया जाए जबकि मेरा मानना है कि समिति में यह फेरबदल हो जाता है।

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, मैं रिकार्ड पर यह बात लाना चाहता हूं कि 10, 11 तारीख को जो बैठक हुई उसमें माननीय विधायक ने भाग नहीं लिया है।

श्री अध्यक्ष: समाप्त करें, श्रीमती किरण माहेश्वरी। उदयपुर जिले का है, बात समाप्त हो गई, विराजें आप विराजें।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करता हूं कि जो बैठक हुई थी।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न पुकारा जा चुका है, श्रीमती किरण माहेश्वरी।

स्थगित प्रश्न

(दिनांक 13 जुलाई, 2009)

ग्राम पंचायत स्तर पर चारा डिपो की स्थापना

42. **श्रीमती किरण माहेश्वरी** (राजसमन्द): क्या सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा पशुओं के चारे हेतु कोई योजना बनाई गई है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार प्रत्येक ग्राम पंचायत में पशुओं के चारे की सुचारू व्यवस्था हेतु चारा डिपो खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

सहायता मंत्री (डा. जितेन्द्र सिंह): (1) प्रदेश में चारा विकास को प्रोत्साहन देने के लिए पशुपालन विभाग द्वारा खरीफ एवं रबी हेतु उन्नत किस्म के चारा बीज (मिनिकिट) किसानों को उपलब्ध कराये जाते हैं। "हरित राजस्थान" कार्यक्रम में चारा विकास भी सम्मिलित किया गया है एवं प्रदेश के पशुधन के विकास के लिए प्रस्तावित "पशुधन नीति" के अन्तर्गत पशुओं के लिए चारा उत्पादन हेतु नीति निर्धारित कर कार्य योजना तैयार की जाना प्रस्तावित है।

राजस्थान कापरेटिव डेयरी फैडरेशन लिमिटेड द्वारा दुग्ध उत्पादकों को उन्नत किस्म का चारा बीज उचित मूल्य पर उपलब्ध कराया जाता है।

कृषि विभाग के माध्यम से चारा बीज (मिनिकिट्) किसानों को वितरित किये जाते हैं एवं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत हरा चारा उत्पादन वृद्धि के लिए मिनी बीज किट् एवं कृषि साहित्य का वितरण किया जाना प्रस्तावित है।

वन विभाग के माध्यम से थार रेगिस्तान में चारा विकास हेतु 25 करोड़ की योजना (5 वर्षों हेतु) राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अन्तर्गत स्वीकृत की गई है जिसमें कुल 5000 हैक्टेयर भूमि पर चरागाह विकसित किये जाएंगे।

जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग द्वारा विकास कार्यों के अन्तर्गत चारागाह विकास एवं पौधारोपण कार्य किया जा रहा है, जिससे बंजर भूमि का विकास होकर पशुओं हेतु चारा उत्पन्न हो सके।

(2) राज्य सरकार द्वारा केवल अभावग्रस्त घोषित जिलों में अभाव अवधि के दौरान जिला कलक्टर्स की मांग के अनुसार चारा डिपो स्वीकृत किये जाते हैं। सम्वत् 2065 में राज्य के 12 जिलों को अभावग्रस्त घोषित किया

(डा. जितेन्द्र सिंह)

गया है तथा उक्त 12 जिलों में जिला कलक्टरों के प्रस्तावानुसार 839 चारा डिपो स्वीकृत किये गये हैं एवं इनमें से 421 चारा डिपो संचालित किये जा रहे हैं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मैं मंत्रीजी से यह पूछना चाहूंगी कि जो उन्होंने दूसरा जो सवाल है जिसमें उन्होंने कहा कि क्या प्रत्येक ग्राम पंचायत में पशुओं के चारे के डिपो हेतु सुचारू व्यवस्था, जो जवाब उन्होंने दिया है, पूर्व में भी मैंने यह संशोधित वापस आज आपने यह कृपा की है कि फिर से यहां पर मुझे बोलने का चांस दिया। लेकिन मेरा प्रश्न उस समय भी इस बात का था कि जब बहुत ज्यादा चारा होता है, बारिस का सीजन अच्छा हो गया, ज्यादा चारा हो गया तो किसानों के पास में वह चारा रखने के लिए कोई जगह नहीं होती। ऐसी स्थिति में वह लोग बहुत सस्ता भी बेच देते हैं और बहुत सी बार ऐसी भी स्थिति हो जाती है कि चारे को खेतों में ही जला दिया जाता है। लेकिन आज जब अकाल पड़ता है तो उस समय चारे का हम लोगों को, इतने महंगे भाव पर खरीदना पड़ता है किसानों को, तब उतनी ज्यादा स्थिति खराब हो जाती है, पशुओं को चारा नहीं मिलता है, पीने का पानी नहीं, सारी सब कुछ स्थितियां खराब होती हैं। हमने यह कहा था क्या वेयरहाउसेज बनाने की कोई सरका की योजना है? ग्राम पंचायत स्तर पर यह चारे को स्टोरेज करने के लिए जब ज्यादा होता है तो ग्राम पंचायत अपने यहां पर ही चारा स्टोर कर लें और जब कभी अकाल का टाइम आए तो उस समय वह वहां से वितरित हो सके तो इस तरीके की क्या सरकार की कोई योजना है, मेरा एक प्रश्न तो यह है। और इसका जवाब दें तो फिर दूसरा पूछ लूं। (व्यवधान) जलाया जाता है, आपको जानकारी नहीं हो तो आप आ जाना बता देंगे आपको ...... (व्यवधान)

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय राजसमंद से आने वाली सदस्या ने कहा है कि वर्तमान में राजस्थान की यह स्थिति है कि बारिस का, पूरे उत्तरी भारत में बारिस का, राजस्थान में भी अधिकतर स्थानों में बारिस तो हो गई है लेकिन अभी भी बहुत सारा हिस्सा है जहां पर अभी 25 परसेंट रैंस नहीं हुई।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): मेरे सवाल का ही जवाब दिलवा दीजिए न कि बारिस हो गई।

श्री अध्यक्ष: सवाल का जवाब देंगे।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): I am coming to the point. माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार ने स्पष्ट उल्लेख किया है, राजस्थान में पशुधन को बचाने के लिए राजस्थान में पूरी योजना है, हमारी गवर्नमेंट की कि हम इतने स्टेजेज के अन्दर पधुधन को बचाने के लिए फोडर डवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट्स बनाएं ......(व्यवधान) सर, मैं अर्ज कर रहा हूं, अब सुन तो लीजिए पूरा। और अभी हम जो शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट है उसके अन्तर्गत कृषि विभाग हमारे मिनिकिट डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट कर रहा है, जो दुग्ध उत्पादन केन्द्र हैं, वह डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं और लांग टर्म प्रोजेक्ट में सरकार की योजना है कि हमारे वन विभाग के माध्यम से हरित, हमारे डवलप किये जाएं, जो हमारे ग्रीन फील्ड्स हैं, डवलप किये जाएं। और उसके अलावा जो हमारे, आलरेड़ी मैं बता चुका हूं, केन्द्र सरकार द्वारा थार रेगिस्तान में ....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप सवाल तो सुनें पूरा कृपा करके, उत्तर देंगे मंत्रीजी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): ठीक है।

श्री अध्यक्ष: अभी तो जो भी दे रहे हैं, उनके पास जवाब है, वही देंगे। (व्यवधान)

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): आज की स्थिति ऐसी है कि आप रिजर्व करने की बात कर रही हैं, गांवों में आपने नहीं देखा होगा, चारे का ढेर लगा कर उसको कवर कर लेते हैं, अभी तो वही वेयरहाउसेज हैं राजस्थान में।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): यही तो हम माननीय मंत्रीजी, आपसे निवेदन करना चाह रहे हैं अध्यक्षजी के माध्यम से कि आप जो इतनी भूमिका बना रहे हैं, माननीय मंत्रीजी इस भूमिका के बजाय बहुत स्पष्ट बता जवाब दें कि क्या सरकार की कोई ऐसी योजना है वेयरहाउसेज बनाने की या उन्होंने कोई बजट में प्रोविजन रखा है कि वेयर हाउस बनाएंगे? चाहे ग्राम पंचायत स्तर पर न बनाएं, पंचायत समिति स्तर पर बनाओ, किसी न किसी स्तर पर बनाने की वेयरहाउसेस बनाने की कोई योजना है, चारे को स्टोर करने की कोई योजना है?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी। ....(व्यवधान) श्री गुलाब चन्दजी कटारिया।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, चारा कितने प्रकार का होता है ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से यह पूछना चाह रहा हूं कि जो गांव अभावग्रस्त घोषित किये गये, उदयपुर में और राजसमंद में कितने गांव अभावग्रस्त घोषित किये गये? और उनमें से किन गांवों में आपने चारा डिपो इस सत्र में खोले, यह बता दीजिए।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो मैं माननीय, जो राजसमंद से सदस्य आ रहे हैं उनको मैं बताना चाहूंगा कि आपने मात्र 17 डिपो के लिए हमसे आग्रह किया था, आपके 17 डिपो मंजूर कर दिये। और उसमें से मात्र 4 डिपो खोले हैं आपके, आप बात कर रहे हैं उसके रिजर्व करने की।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): उसका जवाब भी देंगे, सर, आप अपना जवाब दीजिए पहले।

श्री अध्यक्ष: जवाब सुनिए, जवाब सुनिए।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): वह जो एलीगेशन लगा रहे हैं 17 में 4 दिये हैं, वही हम बता रहे हैं ...(व्यवधान)

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): जवाब दे रहा हूं। आपने राजसमंद में मात्र 17 डिपो मांगे गये थे चारा डिपो और 17 में से 17 नहीं खोले, अध्यक्ष महोदय, 4 खुले हैं। और जहां तक उदयपुर की बात है तो उदयपुर का मैं, माननीय उदयपुर के हमारे वरिष्ठ सदस्य हैं, आनरेबल हैं, उनको मैं बताना चाहूंगा कि मैंने वहां से, आज उदयपुर के आपके कलक्टर से इंफोर्मेशन मांगी है। और उनका यह फैक्स है आपके उदयपुर कलक्टर का जिसमें यह कहा है कि उदयपुर में अभी इसकी कोई डिमांड नहीं है, This is Fax from Collector, Udaipur here.

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): अध्यक्षजी, मेरा मूल प्रश्न है, आप मुझे प्रश्न करने दें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अध्यक्षजी, मैं आपके ध्यान में ला रहा हूं, मावली तहसील में पिछले 3 महीनों में जो चारा मिला है, वह 5 रुपये किलो के रूप में वहां बिका है और यह आप कह रहे हो, मैंने दोनों जिलों का पूछा। कितने आपके अभावग्रस्त घोषित गांव कितने थे उसमें से डिपो की मांग कितनी आई थी उसमें से आपने कितने डिपो खोले उदयपुर में। आप

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

मावली तहसील का ही बता दीजिए कि मावली तहसील में वास्तव में चारा 5 रुपये, 6 रुपये फोडर बिका कि नहीं बिका। वहां लोग मांग करते रहे, प्रदर्शन करते रहे, तहसील पर धरना दिया और उसके बाद भी अगर जो यह कह रहे हों कि चारे की व्यवस्था उचित नहीं है तो बहुत आश्चर्यजनक है ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे प्रश्न पूछने के लिए आप चांस नहीं देंगे, सर?

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): मेरा मूल प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: आप विराजें, मुझे ध्यान है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): आप सप्लीमेंटरी दें तो कम से कम जो मेन प्रश्न पूछने वाला है उनसे तो आप पूछवा लें।

श्री अध्यक्ष: अब आपके चीफ व्हीप ने बीच में पूछ लिया तो पहले इनको अवसर देना है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री महोदय, आपसे यह जानना चाहूंगा कि आपने अपने उत्तर में 12 जिलों में अभाव बताया, 12 जिलों के अन्दर लगभग 25 हजार के लगभग गांव होते हैं। और अध्यक्ष महोदय, और चारा डिपो खोले हैं 430, क्या आप यह बताने की कृपा करेंगे कि आपने विभिन्न पंचायत समितियों में चारा डिपो खोलने के लिए कोई प्रस्ताव मंगवाये हैं? नम्बर एक। नम्बर दो, अब इन्होंने कहा है कि हमने दो योजनाएं बनाई हैं, एक अल्पकालीन, एक दीर्घकालीन, मैं मंत्री महोदय, आपसे पूछना चाहूंगा कि जो मिनिकिट् डिस्ट्रीब्यूट करने की बात आप कर रहे हो वह मिनिकिट् डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद उनका फोडर कब तक उठ जाएगा, क्या तब तक आप इन्तजार करेंगे?

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्षजी, इसी के साथ में पूछ लेती हूं। माननीय मंत्रीजी, हमें यह बतायें कि चारे के प्रिक्योरमेंट की आपकी क्या गाइड लाइन है, इसका क्या तरीका है, इसको कैसे करते हैं और क्या उसको कोई मिनिमम सपोर्ट प्राइस उसके अन्दर निर्धारित की है? यह बतायें।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक सवाल है।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, 50 हजार रुपये का जो भी कोई अपना चारा डिपो खोलता है उसको इंटरेस्ट फ्री लोन देते हैं। उसमें पंचायत समिति एजेंसी हो सकती है, और कोई भी एजेंसी हो सकती है। अध्यक्ष महोदय, उसमें हम उसके ट्रांसपोर्टेशन पर 50 रुपये 100 किलोमीटर पर और 60 रुपया अगर अदर स्टेट का हो तो, पर क्विंटल की सब्सिडी देते हैं। वह तकरीबन जहां से चारा लाया जाता है और जहां वह बिकता है वह इक्वल हो जाता है. This is the benefit for the farmer.

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त करें। कृपया विराजें। श्री राजेन्द्र राठौड़।

महाविद्यालयों के शिक्षकों हेतु चढ्ढा कमीशन की सिफारिशों की क्रियान्विति

206. **श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर) एवं **डा. दिगम्बर सिंह** (डीग-कुम्हेर): क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि विश्वविद्यालय, महाविद्यालयों के अध्यापकों के वेतनमान में संशोधन हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने चढ्ढा कमीशन का गठन किया था? यदि हां, तो क्या सरकार चढ्ढा कमीशन की सिफारिशों को लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

डा. जितेन्द्र सिंह (उच्च शिक्षा मंत्री): जी हां। दिनांक 8.7.2009 को माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत परिवर्तित बजट 2009-10 में विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय शिक्षकों को रिवाइज्ड पे-स्केल के सम्बन्ध में चढ्ढा समिति की सिफारिशों पर विचार करने के लिए राज्य सरकार द्वारा एक समिति का गठन किया गया है। आगामी दो महीने में समिति से रिपोर्ट प्राप्त कर रिवाइज्ड पे-स्केल्स लागू की जायेंगी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मंत्री महोदय से यह जानना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि आपका सरकारी डाकूमेंट जो घोषणा पत्र है उसके पृष्ठ 13 के अन्दर आपने चढ्ढा कमीशन की रिपोर्ट ज्यों ही आपको प्राप्त होगी त्यों ही आपने लागू करने का लिखित में आश्वासन दिया है?

नम्बर दो, आप मुझे बतायें कि चढ्ढा कमेटी की रिपोर्ट लागू होने से राज्य पर कुल कितना आर्थिक भार आयेगा और कितनी राशि केन्द्र सरकार की होगी और कितनी राशि राज्य सरकार की होगी?

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

नम्बर तीन, जिस कमेटी का उल्लेख बजट भाषण में हुआ है उस कमेटी का गठन कब किया गया और उस कमेटी के कौन-कौन सदस्य हैं? ये तीनों बातें आप मुझे बता दें।

डा. जितेन्द्र सिंह (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो हमारी कमेटी का गठन किया गया वह पांच सदस्यीय है हैडेड बाई प्रिंसिपल सैक्रेटरी मेडिकल एण्ड हैल्थ। प्रिंसिपल सैक्रेटरी हायर एजुकेशन, शासन सचिव कार्मिक विभाग, विशेषाधिकारी एवं उप शासन सचिव वित्त, उप शासन सचिव उच्च शिक्षा, ये पांच इसके मैम्बर हैं। यह 20 तारीख को है और 24 तारीख को कल इसकी मीटिंग हो रही है। जैसा कि आपने पूछा है कि उसमें इम्प्लीकेशन ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एण्ड यूजीसी का कितना होगा तो इसमें टीचर्स को सिक्स्थ पे-कमीशन देने में जो भी टोटल खर्चा होगा उसमें 80 प्रतिशत तो यूजीसी देगी और 20 प्रतिशत स्टेट गवर्नमेंट देगी। स्टेट गवर्नमेंट का मैं आपको एग्जैक्ट डेटाज दे देता हूं। स्टेट गवर्नमेंट कम्स अण्डर 129 करोड़ और जो अपना यूजीसी है that comes to around 4 to 5 hundred crores. These are the tentative figures. I am giving, and it is for 5 years.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आपने इसका बजट में प्रावधान किया क्या? मैं यह पूछ रहा था कि घोषणा पत्र जो आपका है वह मंत्रिमण्डल के एक्सैप्ट करने के बाद सरकारी डाकूमेंट बन गया उसके अन्दर क्या आपने घोषणा नहीं की थी कि चढ्ढा कमीशन की सिफारिशों को हम ज्यों का त्यों लागू करके राजस्थान के अन्दर विश्वविद्यालय और महाविद्यालय के शिक्षकों को संशोधित वेतनमान देंगे? यह नहीं की थी क्या?

डा. जितेन्द्र सिंह (उच्च शिक्षा मंत्री): तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य इस हाउस के बहुत वरिष्ठतम सदस्यों में से हैं, and considered one of the more intelligent members. तो मैं आपको बताना चाहूंगा हमारे तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य...

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): फिर लागू करो, कमेटी क्यों बनाई?

डा. जितेन्द्र सिंह (उच्च शिक्षा मंत्री): .... we are very considerate about the teachers of the Universities. (व्यवधान)... Please listen to me. और 7 मई, 1999 को जो फिफ्थ पे-कमीशन था वह लागू

(डा. जितेन्द्र सिंह)

किया तब माननीय अशोकजी गहलोत मुख्य मंत्री थे, I was Minister for Higher Education, उस वक्त फिफ्थ पे-कमीशन लागू हुआ था कि शिक्षकों को लाभ मिलेगा। Fortunately, this is a chance for us. और हम लोग, यह चढ्ढा कमेटी इस वक्त आई है और बजट में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है कि यह चढ्ढा कमीशन के सम्बन्ध में जो हमारी पांच मैम्बर कमेटी है यह डिसाइड करके हम लोग इन टीचर्स को जो उनका सिक्स्थ पे-कमीशन का लाभ है वह देंगे। This is my reply, Sir.

श्री अध्यक्ष: श्री घनश्यामजी तिवाड़ी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि चढ्ढा समिति की सिफारिश लागू करने में 80 प्रतिशत पैसा तो यूजीसी दे रही है और 20 प्रतिशत के लिए राज्य सरकार ने सारे विश्वविद्यालयों को बुलाकर के उनसे एमओयू कर लिया है। जब तक उन्होंने एमओयू पर दस्तखत नहीं किये तब तक इन्होंने सारे के सारे जो इंटरव्यू निकल गये थे, जो इनका इंटरव्यू करना था उन सारों को रोक दिया है। विधान सभा में जवाब यह कहकर के दिया है कि कार्मिक विभाग में उसकी जांच हो रही है। जबकि इसी विधान सभा में मेरा प्रश्न है, माननीय मंत्री महोदय, इसी विधान सभा में सर्वसम्मति से जब टेम्परेरी टीचर्स को किया था उस समय बैक-लॉग भरने के लिए पदों की वेकेंसी निकाल दी थी उनको 12 महीने पूरे होने जा रहे हैं और आप लोग उसको रोक कर दुबारा इंटरव्यू करायेंगे, भर्ती नहीं करायेंगे और 20 प्रतिशत के लिए आपने यूनिवर्सिटीज को बाध्य करके उनसे एमओयू साइन कराया है। राज्य सरकार का एक पैसा भी नहीं लगने वाला है उसके बाद भी राज्य सरकार उनको सिक्स्थ पे-कमीशन का लाभ नहीं देना चाहती।

डा. जितेन्द्र सिंह (उच्च शिक्षा मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि हमारे डिप्टी लीडर आफ अपोजिशन ने कहा, he is a very senior member, Sir.

श्री अध्यक्ष: ये उच्च शिक्षा मंत्री भी रहे हैं।

डा. जितेन्द्र सिंह (उच्च शिक्षा मंत्री): मैं वही अर्ज कर रहा था. We were splitted into 5 whereas you were a united body. You were having all the departments with you. अध्यक्ष महोदय, मैं आपको अर्ज करना चाहूंगा कि जैसा कि आपने फरमाया, हमारे पास 61 पद थे

(डा. जितेन्द्र सिंह)

प्रोफेसर्स के, जिनमें 45 के इंटरव्यूज काल किये गये। मुझे दु:ख है श्रीमान् कि उसमें जो एडवटाइजमेंट निकला उसमें, they had not kept any place of reservation for OBCs, SCs and STs. आज राजस्थान विश्वविद्यालय का हाल यह है कि आन टिप्स एस सी, एस टी, ओ बी सी हैं सर। Because there was no room of reservation for SCs, STs and OBCs, इस सारे मैटर को रोका है और सरकार अतिशीघ्र इसमें कार्यवाही करेगी। जो आपने पहले फरमाया, it is for Professors. For Lecturers and Assistant Professors, उन्होंने 105 का 220 में से रिजर्वेशन किया था but they had not kept for the backlog. इस वजह से राज्य सरकार को करना पड़ा और अतिशीघ्र इस पर कार्यवाही करके यह कार्यवाही चालू करेंगे।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। श्री गोविन्द डोटासरा।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): अध्यक्ष महोदय, मैं इनसे जानना चाहता हूं कि जब सारी चीजें बता रखी हैं तो इनकी कमेटी के पाइंट आफ रेफरेंस क्या हैं?

श्री अध्यक्ष: विराजें-विराजें।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): इन्होंने क्या कमेटी बनाई है उसके पाइंट आफ रेफरेंस क्या हैं? वो सारी चीजें चढ्ढा कमीशन की स्पष्ट हैं कि कैसे वेतन देना है, कैसे उसको करना है।

सीकर में मेडिकल महाविद्यालय की स्थापना

207. **श्री गोविन्द सिंह डोटासरा** (लक्ष्मणगढ़): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में आवश्यकता के अनुरूप मेडिकल कालेज स्थापित नहीं हैं? यदि हां, तो क्या सरकार राज्य में नये मेडिकल कालेज खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार शेखावाटी के प्रमुख शहर सीकर में राजकीय मेडिकल कालेज की स्थापना करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार राज्य में चिकित्सकों की कमी की पूर्ति हेतु कोई शॉर्ट टर्म मेडिकल कोर्स प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या एवं इस पर अब तक क्या प्रगति हुई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री एमादुद्दीन अहमद खान) (दुरू मियां) : (1) जी हां। वित्तीय संसाधनों के अभाव में राजकीय क्षेत्र में और मेडिकल कालेज खोला जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है।

(2) जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) जी नहीं। भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद, नई दिल्ली के रेगुलेशन में शॉर्ट टर्म मेडिकल कोर्स का प्रावधान नहीं है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी ने आपके माध्यम से जवाब दिया है कि राज्य में आवश्यकता के अनुरूप मेडिकल कालेज स्थापित नहीं है इसमें जवाब में इन्होंने जी हां कहा है। मैं इसके क्रम संख्या 2 में निवेदन करना चाहूंगा कि सीकर और झुन्झुनूं का जो शेखावाटी एरिया है, माननीय अध्यक्ष महोदय, आप भी जहां से आते हैं, माननीय उप नेता महोदय की भी जन्म स्थली और कर्म स्थली रही है। सीकर का एस. के. हास्पिटल 300 बैडेड हास्पिटल है और सांवली का टी.बी. हास्पिटल भारत में नामी है, 400 बैडेड है। जनाना हास्पिटल भी वहां हैं। यहां पर करीब दो लाख ओपीडी केवल एस. के. हास्पिटल में हैं, 30 हजार इन्डोर केवल एस. के. हास्पिटल में है और सर्जरी में 5 हजार सरकारी में और 5 हजार प्राइवेट में है। करीब 20 हास्पिटल वहां प्राइवेट हैं। 10 हजार सर्जरी के केस होने के बावजूद और एस. के. कालेज राजस्थान में पहला एस. के. कालेज होने के बावजूद, आर.पी.एम.टी. में राजस्थान से 750 लड़के जाते हैं जिसमें से माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं कि केवल सीकर और झुन्झुनूं में 40 प्रतिशत लड़के जाते हैं। सी. पी. एम. टी. में...

श्री अध्यक्ष: प्रश्न क्या है? प्रश्न क्या है?

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): प्रश्न यह है कि वहां पर मेडिकल कॉलेज क्यों नहीं खोला जा रहा है?

श्री अध्यक्ष: बता दिया।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): ये कह रहे हैं कि कमी है और कमी के बावजूद भी नहीं खोला जा रहा है। जहां से यह जो सी.पी.एम.टी. है उसमें केवल 20 प्रतिशत सीकर और झुन्झुनूं के हैं, आर.पी.एम.टी. में 40 प्रतिशत, बीकानेर मेडिकल कालेज में 50 प्रतिशत सीकर और झुन्झुनूं के हैं उसके बावजूद भी ये सीकर में नहीं खोल रहे हैं। तो ऐसा क्या कारण हो सकता है.....

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न माननीय सदस्य। आर्थिक संसाधन की कमी से नहीं खोल रहे हैं।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): नहीं, आर्थिक संसाधन जुटाइये ना सरकार। प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य सीकर से आते हैं, आदरणीय उद्योग मंत्रीजी आते हैं। अध्यक्षजी, मैं आपका प्रोटेक्शन चाहूंगा। इस तरह से इसको मजाक में नहीं ले जायें मेरे प्रश्न को। यह जितने भी आपके मेडिकल कालेज खुल रहे हैं, उसमें सीकर को सबसे ज्यादा आवश्यकता है मेडिकल कालेज की।

श्री अध्यक्ष: श्री घनश्यामजी तिवाड़ी। यह सीकर से है। नहीं-नहीं, मैं उनको कह रहा हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, क्या यह सही है कि नोलेज कमीशन ने राज्य में 30 मेडिकल कालेज की कमी बताई है। दूसरा, क्या यह भी सही है कि क्या राज्य सरकार ने भारत सरकार को यह लिखकर भेजा कि अगर भारत सरकार जितने सरकारी अस्पताल हैं जिला स्थान पर, उनको मेडिकल कालेजेज से सम्बद्ध करने के लिए राज़ी हो जाती है तो राज्य में 30 मेडिकल कालेजेज की स्थापना हो जायेगी और इसमें सीकर के लिए प्रस्ताव भी था? तो मंत्री महोदय, यह प्रश्न है कि क्या इस बात पर सरकार स्टिक कर रही है, नोलेज कमीशन की सिफारिश के आधार पर, नम्बर एक। और नम्बर दो, सभी जिला स्थानों पर हमारे डिस्ट्रिक्ट अस्पताल हैं, उनको हम मेडिकल कालेजेज से एफिलिएशन करने की छूट देंगे ताकि 30 प्राइवेट सैक्टर के मेडिकल कालेज हमारे यहां आ सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: पर मंत्रीजी ने कहा है कि आर्थिक संसाधन की व्यवस्था हो तो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): जरूरत ही नहीं है। अध्यक्ष महोदय, जरूरत ही नहीं है इसमें। केवल भारत सरकार से, जबकि वहां तत्कालीन मंत्री महोदय रामदासजी ने कहा था कि यह प्रस्ताव बहुत उपयुक्त है, उस पर हम चर्चा करेंगे और नोलेज कमीशन की सिफारिश है इसलिए नोलेज कमीशन ने कहा है कि 30 मेडिकल कालेज... इसलिए मैं यह प्रश्न पूछ रहा हूं।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक प्रश्न है।

श्री अध्यक्ष: बैठिये बैठिये। पहले ये इनका जवाब दे दें।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह जो हमारे आदरणीय मेम्बर ने फरमाया सीकर से, इसमें कोई शक नहीं है, मेडिकल कालेजेज की हमारे लिए राजस्थान में बहुत कमी है। और हमारे हिसाब से कम से कम 14 और होने चाहिए। और इसमें भी मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, शक नहीं है, हम कमिटेड हैं कि हम ज्यादा से ज्यादा इसकी पूर्ति करें और हम ज्यादा से ज्यादा यहां मेडिकल कालेजेज खुलवायें। मैंने अभी आपको जैसा अर्ज किया, संसाधन की कमी है, हम प्राइवेट सैक्टर के लिए भी कोशिश कर रहे हैं कि प्राइवेट सैक्टर आये और यहां हम मेडिकल कालेज लगायें और जो भी उनको हमारे से, गवर्नमेंट से सपोर्ट चाहिए, हम उनको सपोर्ट देने के लिए तैयार हैं।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़, श्री अशोक पींचा। श्री अशोक पींचा।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, मेरा भी एक प्रश्न है।

खाद्य पदार्थों के नमूनों की जांच हेतु निर्धारित समय सीमा

208. **श्री अशोक पींचा** (सरदारशहर) एवं **श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में "शुद्ध के लिए युद्ध" कार्यक्रम में कुल कितने खाद्य पदार्थों के नमूने लिये गये? उक्त में से कितने खाद्य पदार्थों के नमूनों को जांच हेतु लेबोरेट्री में भेजे गये तथा उनमें से कितने मानक व कितने अमानक पाये गये? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) अभियान के अन्तर्गत नमूने लेने हेतु किस-किस स्तर के अधिकारियों को अधिकृत किया गया?

(3) क्या यह सही है कि इन नमूनों के परिणाम निश्चित तौर पर निश्चित समय में प्राप्त हो, के बारे में कोई दिशा-निर्देश तय किये गये हैं? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में जारी दिशा-निर्देशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि इस अभियान में खुदरा विक्रेता, थोक विक्रेता व निर्माता कम्पनी तीनों के विरुद्ध मिलावट पाये जाने पर कार्यवाही करने के निर्देश प्रदान किये गये हैं? यदि हां, तो निर्देशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

श्री अध्यक्ष: नहीं-नहीं, आपका नहीं है। खाद्य आपूर्ति मंत्री। अशोक पींचा ने पूछा है। जवाब आप ही को देना है।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री,खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): आप अलाऊ कर दें, मैं दे देता हूं, आप अलाऊ कर दें।

श्री अध्यक्ष: हां, आपको अलाउ है।

राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति (श्री बाबूलाल नागर): (1) राज्य में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान के तहत दिनांक 22.06.2009 से 17.07.2009 तक असेंशल कमोडिटीज एक्ट के अन्तर्गत 1,178 नमूने...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, अध्यक्ष महोदय, शुद्ध के लिए युद्ध, ये दोनों विभाग हैं और सारे विभाग की कार्यवाही मेडिकल एण्ड हैल्थ डिपार्टमेंट करता है, नमूने जांच करने की और नमूने लेने की, मंत्री महोदय जब वे उपस्थित हैं और उनकी उपस्थिति में दूसरे मंत्री जवाब नहीं दे सकते।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): कोर्डिनेशन है, अध्यक्ष महोदय, कोर्डिनेशन से है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये आप। एक मिनट, एक मिनट विराजिये। माननीय सदस्य, यह प्रश्न जो पूछा गया है मूल रूप से प्रश्नकर्ता ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रीजी से पूछा है, उनसे पूछा है इसलिए मैंने उनको अलाउ किया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, उनसे पूछने के बाद भी जिस विभाग से होता है, वह अपने आप ट्रांसफर होता है और जवाब जो संबंधित है, वह जवाब देगा, वह कैसे जवाब देगा?

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): अध्यक्ष महोदय, इस अभियान में समन्वय का काम खाद्य विभाग को दे रखा है और वैसे भी सामूहिक उत्तरदायित्व...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, एक मिनट बैठिये बैठिये बैठिये। ऐसा है, मेरा निवेदन आप सुन लें। मूल रूप से प्रश्नकर्ता ने खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग से पूछा है और इस विभाग के साथ-साथ चिकित्सा विभाग को भी डाइवर्ट किया गया है। चिकित्सा विभाग ने भी जवाब दिया है। मेरी जानकारी में यह है। मैंने चूंकि मूल रूप से इन्होंने उनसे पूछा है, पहले उनको जवाब देने के लिए खड़ा किया है। इससे संबंधित प्रश्न का जो पार्ट है, उनसे वह भी जवाब दिलवा दूंगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, यह जो असेंशल कमोडिटीज एक्ट है...

श्री अध्यक्ष: यह जवाब तो आने दीजिये, यह तो आप बाद में पूछिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): एक सैकण्ड, एक सैकण्ड।

श्री अध्यक्ष: मूल प्रश्नकर्ता के प्रश्न का जवाब... माननीय सदस्य, आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं। आसन पांवों पर है। आप विराजिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): एक सैकण्ड, मेरी बात तो सुन लीजिये। एक सैकण्ड देखिये।

श्री अध्यक्ष: प्लीज, एक बार मूल प्रश्नकर्ता के प्रश्न का जवाब आने के बाद सप्लीमेंट्री के लिए मैं आपको अलाऊ करूंगा, सप्लीमेंट्री के लिए मैं आपको अलाऊ करूंगा लेकिन एक बार उनका जवाब तो आने दीजिये।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): फिर उसके बाद आप जैसा कहेंगे, मैं मान लूंगा।

श्री अध्यक्ष: नहीं सप्लीमेंट्री क्या पूछेंगे आप?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): मैं सप्लीमेंट्री नहीं पूछ रहा हूं, मेरा सवाल यह है कि असेंशल कमोडिटीज एक्ट जो बना हुआ है, उस एक्ट की भावना में केवल वह सामग्री है जो कंट्रोल का आइटम है, उसी पर इनका विभाग केवल काम कर सकता है। सामान्य व्यापारी के यहां यह जो एक्ट है, यह इनको अलाऊ नहीं करता है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न का जवाब नहीं कराऊं? प्रश्न का उत्तर नहीं दिलाऊं क्या?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): एक सैकण्ड, यह दूसरा जो एक्ट है, दूसरा जो आपका एक्ट है...

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): अध्यक्ष महोदय, मैं आपको निवेदन कर दूं माननीय सदस्य को।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): यह जो फूड एडल्ट्रेशन एक्ट है, यह जो दूसरा एक्ट है, यह केवल आपको चिकित्सा विभाग को अलाऊ करता है, यह जो एडल्ट्रेशन वाला एक्ट है, 1954 का है, वह बिलकुल आपको सीमा में बांधता है कि आपके जो इंसपैक्टर होते हैं, वह तो जा सकते हैं, नमूना ले सकते हैं। इनका अधिकार तो केवल असेंशल कमोडिटी जहां बिकती है वहां तक इनकी सीमा है। ये सीमा से बाहर जाकर कर रहे हैं। जो इनका अधिकार इस कानून के तहत नहीं है। हमारा यह कहना है...

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): अध्यक्ष महोदय, मुझे सुन लें एक बार अध्यक्ष महोदय।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): यह अधिकार इनका है ही नहीं, कानून के तहत नहीं है। इन्होंने अपने अधिकार से बाहर निकलकर सारे व्यापारियों से... यह केवल वहां जा सकते हैं, जहां शक्कर कंट्रोल का आइटम है। ये जा ही नहीं सकते। यह गलत ढंग से जा रहे हैं और ये परेशान कर रहे हैं व्यापारियों को। यह जो शुद्ध के लिए युद्ध अभियान है, यह एक तरह से परेशान करने का एक माध्यम है, यह कानून इनको बाध्य करता है... (व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): व्यापारियों से बंधी बांधने का काम कर रही है यह सरकार।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): यह अधिकार क्षेत्र नहीं है। इन्होंने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के सारे राजस्थान में तबाही कर दी है तबाही।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात उठाई है... (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): जो अधिकार इनका नहीं है... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ×××

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ×××

श्री भगवान सहाय सैनी (चौमूं): ×××

श्री बनवारीलाल सिंघल (अलवर शहर): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ×××

श्री अनिल जैन (खानपुर): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ×××

श्री करण सिंह (छबड़ा): ×××

अनेक माननीय सदस्य: ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ×××

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): ×××

श्री मुरारी लाल मीणा (दौसा): ×××

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): ×××

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने...

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी कुछ कह रहे हैं। हां बोलिये बोलिये।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री,खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): अध्यक्ष महोदय, उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने जो बात उठाई है... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नहीं, प्रश्न का जवाब दे देंगे, जवाब दे देंगे। वे प्रश्न का जवाब देने के लिए खड़े हुए हैं।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): यह बात सही है अध्यक्ष महोदय,

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): ×××

अनेक माननीय सदस्य: ×××

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की बात उठाई है अध्यक्ष महोदय...

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ×××

श्री अध्यक्ष: इसका जवाब नहीं आने देंगे?

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ××× (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): ×××

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ××× (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): आप सुनना नहीं चाहते, आप मिलावटियों की मदद करना चाहते हैं...(व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): राजस्थान में मिलावट नहीं होने देंगे हम, यह सरकार कटिबद्ध है... (व्यवधान)

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ××× (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): मुझे सुन तो लें, मुझे सुन लें एक बार। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य....

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): ××× (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य, आपकी बात सही है लेकिन मुझे सुनने का मौका तो दो।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ×××

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): आपकी बात से हम मना ही नहीं कर रहे, आपकी बात से मना नहीं कर रहे, आप सुन तो लें, सुनना नहीं चाहते आप। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ××× (व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): आप जैसे वरिष्ठ सदस्य हैं, आपने कोई बात उठाई और अब जवाब को आप सुनना नहीं चाहते अध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ×××

श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर): ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): मैं माननीय, जवाब नहीं, मेरी बात तो सुन लें।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (राज्य मंत्री, सूचना एवं जनसम्पर्क): ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ×××

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (राज्य मंत्री, सूचना एवं जनसम्पर्क): ×××

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): ×××

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): ×××

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): ×××

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (राज्य मंत्री, सूचना एवं जनसम्पर्क): ×××

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने आवश्यक वस्तु अधिनियम की...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): अलाउ कर रहे हैं, मुझे अलाउ करेंगे तो ही बोलूंगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

श्री अध्यक्ष: मैं तो प्रश्न के उत्तर के लिए मंत्रीजी को समय दे चुका हूं, उनका उत्तर तो आ जाने दीजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ×××

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): उत्तर जब आयेगा अध्यक्ष महोदय, कि पहले आप यह व्यवस्था कर देंगे कि सदन में उत्तर देने का अधिकार किस माननीय मंत्री महोदय को है। (व्यवधान) हां, एक मिनट। मेरा कहना बिलकुल साफ है कि सदन में इस प्रकार की परम्पराएं डालना बिलकुल उचित नहीं होगा कि एक प्रश्न का दो माननीय मंत्रीगण जवाब दें। सीधा-सीधा सवाल है कि जिस विभाग से संबंधित काम है, जिस विभाग ने कार्यवाही की है, उस विभाग के मंत्री जवाब दें, उसके बाद में यह जो दूसरा प्रश्न गुलाबजी ने उठाया है यह भी प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसका अधिकार भी फूड एडल्ट्रेशन एक्ट के अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षा विभाग को ही है। एसेंशियल कमोडिटिज एक्ट के अन्तर्गत यह अधिकार प्राप्त नहीं हैं इसलिए इसका जवाब केवल चिकित्सा मंत्री ही सदन में दें, हम आराम से जवाब सुनेंगे, पूरक प्रश्न पूछेंगे, लेकिन परम्परा अगर आप तोड़ना चाहते हैं तो आपकी मर्जी।

श्री अध्यक्ष: मैं इस बात को ना नहीं कर रहा हूं, मैं पहले भी कह चुका हूं, स्वास्थ्य मंत्रीजी भी जवाब देने के लिए तैयार हैं, जवाब देंगे, मैं निवेदन कर रहा हूं, लेकिन चूंकि मूल रूप से वहां पूछ लिया गया और वह मंत्रीजी जवाब देने खड़े हो गये आपकी बात का, उसमें इतने हल्ले की जरूरत नहीं थी। मैं फिर भी आपसे आग्रह करूंगा, इसको कंट्रोवर्सियल नहीं बनायें, सरकार की ओर से आपको उत्तर दिलाने...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): दिला दीजिये फिर। यह परम्परा हो

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

जायेगी। आप दिला दीजिये, जवाब सुनने में आपत्ति नहीं है। अध्यक्ष महोदय, यह परम्परा गलत हो जायेगी।

श्री अध्यक्ष: लेकिन माननीय गुलाबजी कटारिया ने, माननीय सदस्य ने प्रश्न के बीच में जो प्रश्न खड़ा कर दिया जो कि प्रश्न नहीं था, मूल प्रश्न के अलावा सप्लीमेंट्री नहीं था, एक चर्चा खड़ी कर दी तो उस वक्त मंत्री को स्पष्टीकरण के लिए मैं ना भी नहीं कर सकता। यह प्रश्न तो अलग हो गया और यह कई प्रश्न बीच में बिना प्रश्न के प्रश्न पैदा हो गये। इसलिए आदरणीय, माननीय कटारियाजी ने जो बिना प्रश्न के बिना मूल प्रश्न के, बिना सप्लीमेंट्री के, इन्होंने कहा मैं प्रश्न नहीं पूछ रहा हूं। मैं तो यह कह रहा हूं, जो कहा, तो फिर मंत्रीजी को मैं कैसे मना करूं कि आप इसका स्पष्टीकरण मत दो। इसलिए जो इन्होंने कहा उसका स्पष्टीकरण पहले माननीय खाद्य मंत्री दे दें, उसके बाद माननीय चिकित्सा मंत्रीजी से जवाब दिला दूंगा। इसमें कोई परम्परा गलत की बात नहीं पैदा हुई।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यह ठीक है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, आपने बहुत अच्छा न्याय कर दिया, स्पष्टीकरण तो वह दे देंगे और उत्तर चिकित्सा मंत्रीजी दे देंगे, हमें मंजूर है।

श्री अध्यक्ष: पर उनका स्पष्टीकरण आप शांति बरकरार रखेंगे तब सम्भव हो पायेगा।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): अध्यक्ष महोदय, उदयपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने खाद्य वस्तु अधिनियम के तहत खाद्य विभाग कहां-कहां कार्यवाही कर सकता है, क्या उसका कर्तव्य है...

श्री अध्यक्ष: आप पूरा स्पष्ट कर दें मामले को।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): यस, यस। इसके बारे में माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य को और सदन के तमाम सदस्यों को यह निवेदन करना चाहूंगा, इस अभियान में अध्यक्ष महोदय, सात विभागों का संयुक्त अभियान है। कोई भी विभाग जो विभाग का जो काम है अध्यक्ष महोदय, वह विभाग वह अपना काम करेगा। खाद्य वाला खाद्य का करेगा, कृषि वाला कृषि का काम करेगा, पुलिस वाला पुलिस का काम करेगा, डेयरी वाला डेयरी का काम करेगा।

(श्री बाबूलाल नागर)

अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा, शायद माननीय सदस्य इसमें थोड़ा कन्फ्यूज हो गये, कोई भी खाद्य विभाग का अधिकारी चिकित्सा विभाग से मिलावट सम्बन्धी कोई भी कार्य में, कहीं भी सेम्पल राजस्थान में नहीं ले रहा है। अध्यक्ष महोदय, यह एक समन्वय बनाया है, एक संयुक्त अभियान है। अध्यक्ष महोदय, सारा अभियान क्योंकि माननीय मुख्य मंत्रीजी के पास यह बात पहुंची है, जिस तरह से कैंसर के आज मरीज बढ़ रहे हैं, राजस्थान से जन प्रतिनिधियों ने जिस तरह से जानकारी दी है तो माननीय मुख्य मंत्रीजी की इसमें यह मंशा थी अध्यक्ष महोदय, जो विभाग, नियमित उन अधिकारियों को अपने कर्तव्य का निर्वहन करना चाहिए था। आज राजस्थान में इतनी ज्यादा समस्या एक साथ पूरे राजस्थान में इस तरह का फीडबेक आ रहा है तो इसमें मुख्य मंत्रीजी का यह सोच था, अध्यक्ष महोदय, कि एक संयुक्त अभियान बनाया जाए जो पारदर्शी हो, कहीं अनियमितताओं का मामला नहीं हो। अगर जितने भी विभाग हैं अध्यक्ष महोदय, यह निष्ठा और ईमानदारी से अपने कर्तव्य का निर्वहन करते तो आज जिस तरह से, अध्यक्ष महोदय, एकदम से यह जो चारों तरफ पूरे राजस्थान में ही नहीं, पूरे देश में जिस तरह से मिलावट का मामला आया है, इसलिए मुख्य मंत्रीजी की मंशा थी, अध्यक्ष महोदय, कि यह पारदर्शी चले। इसलिए सारे विभाग के, जिस विभाग का काम है, वह अपने-अपने विभाग का काम करेगा। संयुक्त रूप से अभियान चले और जब संयुक्त रूप से चलेंगे, जिला कलक्टर के नेतृत्व में है यह, जिला कलेक्टर संयुक्त रूप से टीम बनाये वहां और संयुक्त रूप से उनको भेजकर जिस विभाग का जो काम होगा अध्यक्ष महोदय, वह विभाग वहां कार्य करेगा। और क्योंकि यह संयुक्त अभियान है इसलिए सब की उपस्थिति होगी अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं माननीय सदस्य को यह क्लियर करना चाहता हूं... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बीच में डिस्टर्ब नहीं, बीच में डिस्टर्ब नहीं, प्लीज। बीच में नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह डिमांड पर उत्तर कर रहे हैं कोई, यह क्या बात हुई?

श्री अध्यक्ष: बीच में डिस्टर्ब नहीं, स्पष्टीकरण हो जाने दीजिये, फिर आपका...

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य को मैं यह जानकारी में देना चाहता हूं, कोई भी विभाग चाहे कृषि विभाग हो, खाद्य विभाग हो, चिकित्सा विभाग हो, स्वायत्त शासन विभाग हो ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजें।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): आपका पुलिस विभाग हो, डेयरी विभाग हो, कोई विभाग अपने कार्यों के अलावा जो उनके कर्तव्यों में है उससे बाहर हट कर कोई भी विभाग काम नहीं कर रहा है। यह मैं निवेदन करना चाहूंगा।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: माननीय उप नेता महोदय, अगर आप इजाजत दें तो फिर प्रश्न का जवाब चिकित्सा मंत्री से दिलवाऊं, प्रश्नकाल को तो चलने दें। प्रश्नकाल नहीं चल पायेगा। क्या हुक्म है?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, आप विराजें। एक मिनट, आप विराजें तो सही।

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल नहीं चल पायेगा। अगर आप इजाजत दें तो फिर प्रश्न का उत्तर दिलवाऊं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, एक सैकण्ड।

श्री अध्यक्ष: उत्तर नहीं आ पायेगा माननीय सदस्य का। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): जो सवाल उन्होंने...

श्री अध्यक्ष: मूल प्रश्न का उत्तर दें, स्वास्थ्य मंत्रीजी, उत्तर दें।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): अध्यक्ष महोदय, सातों विभागों में...

श्री अध्यक्ष: मुझे प्रश्नकर्ता की चिंता है...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): यह नियम-प्रक्रियाएं यह नये सदस्यों के लिए है, यह वरिष्ठ सदस्य उदयपुर से आने वाले, यह नया प्रश्न उठा रहे हैं, यह कोई बात थोड़े ही है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, आपसे निवेदन इतना ही है...

श्री अध्यक्ष: स्वास्थ्य मंत्रीजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन इतना ही कर रहा था, इसका डिपार्टमेंट है एसेंशियल कमोडिटिज एक्ट...

श्री अध्यक्ष: फिर वह जवाब देंगे, खड़े हो जायेंगे। फिर वह जवाब देने खड़े हो जायेंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): मेरी बात तो सुनिये, ऐसा है ना, केवल यह उस दुकान पर जा सकते हैं जहां पर एसेंशियल कमोडिटी बिकती है, जो रेस्ट्रिक्टेड है...

श्री अध्यक्ष: वह फिर खड़े हो जायेंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): नहीं, यह जो है न सभी अभियान हो कॉमन व्यापारी के यहां केवल अकेला यह डिपार्टमेंट नमूने लेने नहीं जा सकता। यह अधिकार नहीं है।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): अध्यक्ष महोदय, सदस्यों ने बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लगाए हैं, हमारा पूरा समय एक घंटे का बर्बाद कर रहे हैं यह।

एक माननीय सदस्य: यह पहले नहीं पूछ सकते थे? यह वरिष्ठ सदस्य हैं ...(व्यवधान) यह क्या तरीका है? न नियम, न प्रक्रिया, कुछ भी अपनाते नहीं हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): या तो कानून को बदल दीजिए मुझे कुछ कहना नहीं है या तो कानून बदल दीजिए या जो कानून के तहत जो अधिकार है आपका ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपको कुछ नहीं कहना फिर भी कहते जा रहे हैं। दोनों ही बातें हो रही हैं। माननीय सदस्य फिर वह खड़े हो जाएंगे जवाब देने के लिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): यह कानून मैंने नहीं बनाया, यह कानून मैंने नहीं बनाया है ...(व्यवधान)

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): अध्यक्ष महोदय, मैं इस बात की जानकारी लेना चाहता हूं कि आपने जो शुद्ध के लिए युद्ध का अभियान चलाया है, क्या ...(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): ... (व्यवधान) तो राजस्थान सरकार कटिबद्ध है। राजस्थान में मिलावट नहीं होने देगी।

श्री अशोक परनामी (आदर्श नगर): राजस्थान में किस-किस खाद्य पदार्थ कम्पनी का माल बिक रहा है ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): इस डिपार्टमेंट का काम है, power to control production, supply and distribution. इस डिपार्टमेंट का काम केवल तीन ही हैं। प्रोडक्शन है, इसकी सप्लाई है और इसका डिस्ट्रीब्यूशन है। इन तीन के अलावा यह डिपार्टमेंट, इन तीन के अलावा कहीं जा नहीं सकता। यह डिपार्टमेंट अपनी सीमा से बाहर जा रहा है। कानून की अवहेलना कर रहा है, इसका केवल प्रोडक्शन करना है, सप्लाई करना है और डिस्ट्रीब्यूशन करना है, वह भी केवल असेंसियल कमोडिटी के लिए और किसी के लिए नहीं है। (व्यवधान) यह क्या है? कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): क्या बात कर रहे हो? सारे विभाग मिलकर के और संयुक्त अभियान चला रहे हैं। खाद्य विभाग उसमें नोडल एजेंसी है। इसमें इतनी बड़ी बात क्या है? (व्यवधान) सरकार की मंशा है।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): अध्यक्ष महोदय, शुद्ध के लिए युद्ध ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अब आपके सदस्य चुप रहे जब जवाब दूं ना ... (व्यवधान)

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): आप कहें तो गृह मंत्रीजी से जवाब दिलवा दें, गृह मंत्रीजी से दिला दे ...(व्यवधान)...

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): कॉर्डिनेशन का काम माननीय अध्यक्ष महोदय, कॉर्डिनेशन का काम खाद्य विभाग को दिया है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आपने नाम पुकार लिया चिकित्सा मंत्री जी का, क्या सवाल से बचना चाहती है सरकार?

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): ...(व्यवधान) इस अभियान में इस विभाग को नोडल एजेंसी बनाया गया है इसमें, इस अभियान में शुद्ध के लिए युद्ध अभियान का नोडल विभाग खाद्य विभाग को बनाया गया है।

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): जवाब सुनना ही नहीं चाहते, प्रश्नकाल के टाइम को खतम करना चाहते हैं यह।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): राजस्थान के अन्दर सवाल से बचना चाहती है सरकार, सरकार पर आरोप लग रहे हैं जब, जवाब दिलवाइए आप।

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): प्रश्नकाल का टाइम खराब कर रहे हैं अध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): राज्यपाल महोदय की आज्ञा से कमेटी गठित की गई है ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): अध्यक्ष महोदय यह खाद्य सुरक्षा मंत्री जी ...(व्यवधान) की बात कर रहे हैं, सीकर ज़िले में क्रय विक्रय सहकारी समिति के अंदर ...(व्यवधान) उसकी जगह एक निजी विक्रेता को देकर के।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): अध्यक्ष महोदय, इस अभियान की सफलता सार्थक सफलता माननीय प्रतिपक्ष के लोग नहीं चाहते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं मूल प्रश्नकर्ता हूं, मैं मूल प्रश्नकर्ता हूं, इसका जवाब दिलवाइए आप।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): अध्यक्षजी, यह लोग कार्य ...(व्यवधान) के लिए अभियान के खिलाफ हैं और सारे लोग चाहते हैं, राजस्थान की जनता नकली माल खाये और नकली माल है ...(व्यवधान) यह खिलाना चाहते हैं, कोई गलत काम नहीं किया, पूरे राजस्थान की जनता स्वागत कर रही है। आप बोल दें इस बात को ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं मूल प्रश्नकर्ता हूं, मूल प्रश्नकर्ता मैं मूल प्रश्नकर्ता आपसे प्रार्थना कर रहा हूं मेरे सवाल का जवाब दिलवाये मंत्रीजी से ...(व्यवधान)

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): उन भ्रष्ट लोगों को इनकी शह मिली हुई है, यह नहीं चाहते हैं कि इनकी पोल खुले।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य कृपया विराजें।

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): इनकी शह मिली हुई है, पांच साल में इन्होंने भ्रष्टाचार करवाया और यह चाहते नहीं हैं कि ऐसे लोगों की जो मिलावटी का काम कर रहे हैं, उनकी पोल खुले। इसलिए यह प्रश्नकाल को खराब करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य कृपया विराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल के अन्दर किस तरह की व्यवस्था करवा रहे हैं आप? मैं मूल प्रश्नकर्ता हूं, मैं मूल प्रश्नकर्ता हूं मेरा जवाब दिला दीजिए ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप विराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सवाल का जवाब दिलायें अध्यक्ष महोदय। मैं सरकार से पूछना चाहता हूं कि जिस तरह का गोरखधंधा चला रखा है राजस्थान के अन्दर ...(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): अपोजिशन के सचेतक यह बार-बार खड़े हो जाते हैं, हमारे सचेतक एक बार भी खड़े नहीं होते हैं, एक बार हमारा सचेतक खड़ा नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य विराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मैं पूछना चाहता हूं सरकार से, मूल प्रश्नकर्ता हूं, आप चिकित्सा मंत्री को खड़ा करें।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): पहले जवाब आने दीजिए, कैसे पूछेंगे आप? जवाब आने दीजिए।

श्री अध्यक्ष: विराजिए-विराजिए।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): मिलावटियों का पक्ष कर रहे हैं, जनता को मरवा रहे हैं क्या? कैंसर से मराना चाहते हैं ...(व्यवधान) इस जनता का क्या चाहते हैं आप? जब भी खड़े होते हैं, जवाब दे दिया हमारे मंत्रीजी ने ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जवाब दिलवा रहा हूं, कृपया विराजें।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): अध्यक्ष

(श्री बाबूलाल नागर)

महोदय, कार्डिनेशन का काम मेरा है, इस पूरे अभियान को राजस्थान में मैं कार्डिनेट कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान को मैं कार्डिनेट कर रहा हूं। जिस सदस्य को बोलना है ...(व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): अध्यक्ष महोदय, यह सदन की गरिमा को खराब कर रहे हैं, बीच में खड़े होकर के बोलने लग जाते हैं, सारे के सारे लोग।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): पुलिस भी है, स्वायत्त शासन विभाग भी है ...(व्यवधान)

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): अध्यक्ष महोदय, प्रश्नकाल को नहीं चलने देना चाहते हैं ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्नकर्ता हूं, मेरे सवाल का उत्तर चाहिए ...(व्यवधान)

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): जो पूछना है मेरे से पूछिए आप। पूरी ईमानदारी से निष्ठा से मैं आपका सहयोग चाह रहा हूं।

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): यह उत्तर सुनना ही नहीं चाहते हैं ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मेरे सवाल का उत्तर चाहिए अध्यक्ष महोदय। मुझे आपका प्रोटक्शन चाहिए अध्यक्ष महोदय। मुझे आपका संरक्षण चाहिए अध्यक्ष महोदय, मुझे प्रश्न का उत्तर चाहिए।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): अध्यक्ष महोदय, इस तरह की चैकिंग के कार्य पहले भी करते आ रहे हैं, कई डिपार्टमेंट मिलते हैं और ...(व्यवधान)

श्री करणसिंह (छबड़ा): माननीय सदस्य सदन की कार्यवाही चलने दें ...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): पहले बच्चों कुछ सीखो, आपको माननीय गुलाबजी कटारिया साहब सिखा रहे हैं यह नियम और कानून ...(व्यवधान) मुझे खड़ा होना पड़ा है, आप मर्यादा सीखो। आप सारी मर्यादाएं सीखो, मुझे इसलिए खड़ा होना पड़ा है ...(व्यवधान)

श्री करणसिंह (छबड़ा): और मिलावटियों के खिलाफ जो कार्यवाही चल रही है उसमें आप सहयोग करें। मेरा आपसे यह निवेदन है कि मिलावटियों के खिलाफ अभियान में ...(व्यवधान) आम जनता का मसला है, यह गरीब का मसला है, यह उपभोक्ता का मसला है। मिलावटियों के खिलाफ हमारा अभियान है, आप सब को धन्यवाद देना चाहिए और धन्यवाद न देकर के मिलावटियों का सहयोग करना चाहते हो, सदन की गरिमा को खतम करना चाहते हैं ऐसा नहीं चलेगा?

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाईमाधोपुर): आप बार-बार खड़े हो जाते हैं।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजें। विरोधी दल की नेता को बोलने दें। कृपया विराजें।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाईमाधोपुर): मैं भी बोलना चाहता हूं ...(व्यवधान)...

श्री अध्यक्ष: कृपया विराज जाए माननीय सदस्य। आसन पांव पर है, एक मर्यादा होती है किसी प्रकार की।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, जो मूल प्रश्नकर्ता है उनका प्रश्न बार-बार वह पूछना चाहने की कोशिश में हैं। मैं समझती हूं कि हाउस के अन्दर उनके अधिकार को न मारा जाए।

श्री अध्यक्ष: माननीय स्वास्थ्य मंत्रीजी जवाब दें।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): कोई व्यवस्था फरमायें साहब।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह सरकार है या कोई ...(व्यवधान) यह सरकार है, यह राजस्थान की सरकार है, राजस्थान की जनता की सरकार है।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): सारे हाउस को डिस्टर्ब करते हैं।

श्री अध्यक्ष: आप कह क्या रहे हो?

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): अध्यक्ष

(श्री बाबूलाल नागर)

महोदय, शुद्ध के लिए युद्ध अभियान इसमें लिखा अध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, आपके सामने दो-दो मंत्री खड़े हैं, यह क्या तमाशा है यहां?

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): अध्यक्ष महोदय, शुद्ध के लिए युद्ध हुआ है यह बड़ा ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह जवाब देना नहीं चाहते हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: दो तीन मिनट और हैं, दो तीन मिनट में खतम हो जाएगा।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): अध्यक्ष महोदय ...(व्यवधान) दो सहायक खड़े हो जाते हैं ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): अध्यक्ष महोदय, सारा समय न तो नियम से, न प्रक्रिया से जब चाहे तब माननीय वरिष्ठ सदस्य खड़े हो जाते हैं ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह हमारा अधिकार है, हमारा अधिकार यह।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आप कर सकते हैं, यह कोई तरीका नहीं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य कृपया विराजें। जवाब आने दें, आप विराज जाएं। (व्यवधान) कृपया आप विराजें। मैं जवाब दिलवा रहा हूं, आप बीच में खड़ा करके, मैंने स्वास्थ्य मंत्रीजी का नाम पुकार लिया है। माननीय विरोधी दल की नेता ने खड़े होकर के फरमा दिया, अब आप लोग कृपया विराजें। स्वास्थ्य मंत्रीजी।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) : अध्यक्ष महोदय, क्रम संख्या-1 ''राज्य में शुद्ध के लिए युद्ध'' अभियान के तहत दिनांक 22.06.2009 से 17.07.2009 तक पीएफए एक्ट के अन्तर्गत 1169 नमूने जांच हेतु लिए गए जो सभी जांच हेतु प्रयोगशालाओ में भेजे गये। जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं द्वारा ''शुद्ध के युद्ध'' अभियान के अन्तर्गत जांच हेतु लिए गए नमूनों में से 28 नमूनों की जांच रिपोर्ट जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं द्वारा जारी की गई जिनमें से 9 नमूने मिलावटी मिसब्राण्ड पाये गये।

श्री रामस्वरूप कसाना (कोटपूतली): अध्यक्ष महोदय, यह कौनसा मतलब हुआ? किसी भी वक्त कोई भी सदस्य बीच में बोल सकता है?

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): किसी की किसी भी समय इन्सल्ट करना चाहते हैं। अपने आपको ज्यादा समझते हैं?

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): आप करते अमेण्डमेंट। चिकित्सा मंत्रीजी रहे हैं न आप पहले ...(व्यवधान)

श्री रामस्वरूप कसाना (कोटपूतली): इन्हें पहले प्रशिक्षण दिलाया जाना चाहिए सदन को, जो नए सदस्य हैं उनसे पहले पुरानों को प्रशिक्षण दिलाया जाए। जो नए सदस्य हैं उनसे पहले पुराने सदस्य जितने भी हैं उनकी भी क्लास लगाकर के उनको भी प्रशिक्षण दिलाना चाहिए कि नियम कायदे क्या होते हैं।

(समय : 12.00 बजे)

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): जांच हेतु लिए गए नमूने व अपमिश्रित पाए गए नमूनों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट 'अ' तथा मिलावटी/मिसब्राण्ड व अवमानक स्तर के पाये गये नमूनों की सूची परिशिष्ट 'ब' पर प्रस्तुत है।

(2) अभियान के अन्तर्गत राज्य सरकार के निर्देशानुसार जिला कलक्टर के नेतृत्व में गठित संयुक्त दल में खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के अन्तर्गत जांच हेतु नमूने लेने के लिए विभाग के अधिकृत खाद्य निरीक्षकों को लगाया गया है। जिला स्तर पर अभियान में सम्मिलित अन्य सभी अधिकारियों की सूची परिशिष्ट 'स' पर प्रस्तुत है।

(3) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 में खाद्य नमूने की जांच रिपोर्ट जारी करने की अधिकतम सीमा चालीस दिवस निर्धारित है। विभाग में क्रियाशील पांच जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं द्वारा पीएफए एक्ट में निहित प्रावधान अनुसार निर्धारित अवधि में जांच रिपोर्ट जारी की जा रही है, पृथक से कोई दिशा-निर्देश जारी नहीं किये गये हैं। राज्य में खाद्य पदार्थों के नमूनीकरण की जांच हेतु कार्यरत जन स्वास्थ्य प्रयोगशालाओं की सूची परिशिष्ट 'द' पर प्रस्तुत है।

(4) खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 में निहित प्रावधान अनुसार खाद्य निरीक्षक द्वारा सभी प्रकार के व्यापारिक प्रतिष्ठानों (निर्माता, थोक विक्रेता, एवं खुदरा विक्रेता सम्मिलित हैं) का निरीक्षण करने पर मिलावट का संदेह होने पर नमूनीकरण की कार्यवाही की जाती है। थोक विक्रेता, निर्माता

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान)

व खुदरा विक्रेता के नमूने जांच हेतु लेने के लिए पृथक से कोई आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं है। 'शुद्ध के लिए युद्ध' अभियान में निर्माता, थोक विक्रेता व खेरूंज विक्रेताओं के जांच हेतु लिये गये नमूनों का जिलेवार विवरण परिशिष्ट 'य' पर प्रस्तुत है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, ये किस किस्म का मजाक हो रहा है इतना इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जिस तरीके से ये पढ़ा गया है।

श्री अध्यक्ष: सप्लीमेंट्री पूछें।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): सप्लीमेंट्री नहीं, मैं खाली आपसे इतना ही कहना चाहती हूं कि 1169 नमूनों में से खाली 28 नमूनों की जांच रिपोर्ट वापस आयी है और उन 28 में से भी खाली 9 मिलावटी पाये गये हैं और इसका मैसेज राजस्थान के अन्दर क्या जा रहा है, मैं यह नहीं कहती हूं, मैं कहती हूं कि जहां कहीं गलती हुई है तो उनको सही तरीके से सरकार को ...(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): जांच रिपोर्ट दो दिन में थोड़ी आ जाती है।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): ... परन्तु इस तरीके से ... (व्यवधान) क्या तमाशा बनाकर रखा है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): जांच रिपोर्ट दो रोज में नहीं आती है। दो रोज में नहीं आती है जांच रिपोर्ट। दो रोज में नहीं आती है जांच रिपोर्ट। 28 में से 9 पकड़े गये हैं। आप लोग मिलावटियों की वकालत कर रहे हो, मिलावटियों की। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): चौथ वसूली, चौथ वसूली। चौथ वसूली कर रहे हैं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): ...(व्यवधान) मिलावटियों की वकालत कर रहे हो।

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त। शोकाभिव्यक्ति। माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर हाल ही में दिवंगत हुए राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री ...(व्यवधान)

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): ...(व्यवधान) अभी तो बाहर चलना चाहिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): हम इसके विरोध में बहिर्गमन करते हैं।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): नियमों में और प्रावधान हैं। नियमों में और प्रावधान हैं। आप जैसे चाहो वैसे ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: शोकाभिव्यक्ति। कृपया विराज जाएं आसन पांवों पर है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, यह सारा काम केवल पैसे कमाने के लिए हो रहा है। किसी भी प्रकार के ...(व्यवधान) इनको नहीं है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने बहिर्गमन किया है।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

शोकाभिव्यक्ति एवं श्रद्धांजलि

बनवारीलाल बैरवा श्री, पूर्व उप मुख्य मंत्री के निधन पर

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्यगण, शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मैं हाल ही में दिवंगत हुए राजस्थान के पूर्व उप मुख्य मंत्री, पूर्व सांसद तथा पूर्व सदस्य श्री बनवारी लाल बैरवा के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए शोक प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

पूर्व उप मुख्य मंत्री श्री बनवारी लाल बैरवा का जन्म 19 जनवरी, 1933 को टोंक में हुआ। आपने राजस्थान विश्वविद्यालय से एम.ए. तथा एल.एल.बी. की उपाधियां प्राप्त कीं। श्री बनवारी लाल बैरवा 5वीं, 10वीं तथा 11वीं राजस्थान विधान सभा के सदस्य रहे...(व्यवधान) दिसम्बर, 1998 से जनवरी, 2003 तक जनजाति क्षेत्रीय विकास, समाज कल्याण ...(व्यवधान) आसन पांवों पर है। समाज कल्याण तथा यातायात विभागों के मंत्री रहे हैं। आप जनवरी से दिसम्बर, 2003 तक राजस्थान सरकार में उप मुख्य मंत्री भी रहे। राजस्थान विधान सभा के कार्यकाल के दौरान आप अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण समिति तथा प्राक्कलन समिति 'क' के सदस्य रहे। श्री बैरवा सातवीं तथा आठवीं लोक सभा के सदस्य रहे। लोक सभा के कार्यकाल के दौरान आप याचिका समिति तथा कोयला, परिवहन ऊर्जा और संचार मंत्रालयों की सलाहकार समितियों के सदस्य रहे। श्री बैरवा अपने सार्वजनिक

(श्री अध्यक्ष)

जीवन में वर्ष 1966 से 1968 तक टोंक नगरपालिका के उपाध्यक्ष रहे। आप राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के उपाध्यक्ष तथा टोंक जिला कांग्रेस कमेटी के महामंत्री व मंत्री भी रहे। अनेक सामाजिक संगठनों से सम्बद्ध रहे श्री बैरवा अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों के जीवन को सफल एवं श्रेष्ठ बनाने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे।

श्री बनवारी लाल बैरवा का दिनांक 22 जुलाई, 2009 को निधन हो गया।

मैं दिवंगत श्री बैरवा को अपनी ओर से तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं तथा ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत की आत्मा को शांति प्रदान करे तथा उनके शोक-संतृप्त परिजनों को उनका बिछोह सहने की शक्ति दे।

माननीय सदस्यगण कृपया दो मिनट मौन खड़े रह कर दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करने के लिए प्रार्थना करें।

(तदनन्तर सदन ने दो मिनट मौन खड़े रहकर दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि प्रदान की)

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट ।

श्री अध्यक्ष: आसन पांवों पर है। कृपया विराजें।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, यह बड़े दुःख की बात है कि पूर्व उप मुख्य मंत्री की शोकाभिव्यक्ति के इस अवसर पर मुख्य मंत्री इस सदन के अन्दर नहीं है। खाली यह पाइंट आउट करने के लिए मैंने ...

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजें।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): वो फ्यूनरल में जाकर आये हैं। फ्यूनरल में जाकर आये हैं अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): उनके दाह संस्कार में गये हैं। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: ये राजेन्द्र राठौड़ की तरह खड़ी हो जाती हैं बार बार।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): उनके दाह संस्कार में गये। (व्यवधान) उनकी तीये की बैठक में गये और कहां-कहां जाना चाहते हैं।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): कुछ मर्यादाएं हैं जिनको हम लोगों को पालन करना होगा। अगर मर्यादा को हम नहीं देखेंगे तो आने वाले कोई नहीं देखेगा।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): ...(व्यवधान) मर्यादा क्या होती है ...(व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): आप ...(व्यवधान) शोकाभिव्यक्ति में खुद चल कर आ रही थीं। जब सब खड़े हो गये थे आप चल कर आ रही थीं। मर्यादा को आपको देखना चाहिए।

एक माननीय सदस्य: आसन पैरों पर था।

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजें। कृपया आप विराजें।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): दाह संस्कार में गये हैं, तीये की बैठक में गये हैं।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): आज आते न। (व्यवधान)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

श्री अध्यक्ष: मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

1. श्री बाबूलाल खराड़ी एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से विधान सभा क्षेत्र झाड़ोल में टोपीदार बन्दूकों के शस्त्र अनुज्ञा पत्र का नवीनीकरण उत्तराधिकार पत्र के आधार पर जारी नहीं करने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

2. श्रीमती अनिता सिंह सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नगर के ग्राम अढावली तहसील डींग की आराजी खसरा नं. 40 गैर मुमकिन सिवाय चक पहाड़ी भूमि पर लोगों द्वारा कब्जा कर लेने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त स्थगन प्रस्तावों पर राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त की जा रही है और जानकारी प्राप्त होने पर निर्णय लिया जायेगा।

3. डा. जसवंत सिंह यादव एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से बहरोड तहसील क्षेत्र में बिजली की अघोषित कटौती से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

सदन में विद्युत पर चर्चा के समय माननीय सदस्य को अपने विचार रखने का पूर्ण अवसर उपलब्ध है। अतः इस पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(श्री अध्यक्ष)

4. श्रीमती किरण माहेश्वरी सदस्य की ओर से राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद के 13 अनुबंधित खेल प्रशिक्षकों की स्थायी नियुक्ति करने के संबध में।

5. डा. फूलचंद भिण्डा एवं 12 अन्य सदस्यों की ओर से राज्य में आजादी से पूर्व गौरक्षा एवं पशुपालकों के लिए आरक्षित गोचर भूमि एवं नदी नालों की भूमियों पर हुए अतिक्रमण को हटाने के सम्बन्ध में।

6. श्री ज्ञानदेव आहूजा, सदस्य की ओर से जिला अलवर में भारी मात्रा में हरे पेड़ों को काटकर हरियाणा ले जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

7. श्री राधेश्याम गंगानगर, सदस्य की ओर से श्रीगंगानगर के होलसेल जनरल मार्केट की 96 दुकानों को जनहित में नहीं तोड़ने के सम्बन्ध में।

8. श्री अमराराम एवं तीन अन्य सदस्यों की ओर से राज्य में हरियाणा राज्य से शराब की तस्करी होने से कर से प्राप्त होने वाली राशि में हो रही हानि के सम्बन्ध में।

9. श्री कैलाश चन्द भंसाली एवं पांच अन्य सदस्यों की ओर से हस्तशिल्प में काम में आने वाली लकड़ी पर वैट की दर 14 प्रतिशत कर देने से हस्तशिल्प उद्योग पर संकट उत्पन्न होने के सम्बन्ध में।

10. श्री शिवजीराम मीणा एवं 4 अन्य सदस्यों की ओर से जहाजपुर कस्बे की बिलानाम एवं पेटा की भूमि पर प्रभावशाली व्यक्तियों द्वारा अतिक्रमण कर लिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

11. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में कृषि विभाग एवं सार्वजनिक निर्माण विभाग की क्षतिग्रस्त सडकों एवं पुलियाओं की मरम्मत करवाने के सम्बन्ध में।

12. श्री रामहेत सिंह यादव एवं पांच अन्य सदस्यों की ओर से अरावली पर्वत श्रृंखला में सुप्रीम कोर्ट की रोक के बावजूद हो रहे अवैध खनन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोक कर इन पर विचार किया जाय, अतः इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

13. श्री गुलाब चन्द कटारिया सदस्य की ओर से महाराणा भूपाल चिकित्सालय, उदयपुर के बाल चिकित्सालय में मस्तिष्क ज्वर से 11 बच्चों की मौत होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में ।

(श्री अध्यक्ष)

14. श्री ज्ञानचंद पारख एवं 9 अन्य सदस्यों की ओर से जिला कार्यालयों में पालनहार योजना की राशि नहीं भिजवाने एवं विधवाओं की पुत्री की शादी में दी जाने वाली सहायता राशि कम कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

15. श्री ओम बिरला एवं 6 अन्य सदस्यों की ओर से राज्य में गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा भूखण्डधारियों के साथ की जा रही धोखाधड़ी एवं भूखण्डों के दोहरे पट्टे जारी करने से उत्पन्न स्थिति के संबध में।

16. श्री पवन कुमार दुग्गल एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से नगर पालिका क्षेत्र घड़साना में चक 3 एसटीआर स्थित 50 बीघा नर्सरी क्षेत्र को अपराधियों द्वारा अपनी शरण स्थली बनाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोक कर इन पर विचार किया जाय, अतः अनुमति देने में तो असमर्थ हूं फिर भी प्रमुख प्रस्तावक माननीय सदस्य श्री गुलाब चन्द कटारिया, श्री ज्ञानचन्द पारख, श्री ओम बिरला एवं श्री पवन कुमार दुग्गल को अपने-अपने प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

1. श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सूरसागर के खनन क्षेत्र का विकास करने एवं खनन श्रमिकों को मूलभूत सुविधा प्रदान करने के सम्बन्ध में।

2. श्री विजय बंसल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र भरतपुर के ग्रामीण इलाकों में पेयजल की व्यवस्था करने के सम्बन्ध में।

3. श्री पुष्पेन्द्र सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बाली के गांव ढाणियों को जवाई पाइप लाइन से जोड़कर पेयजल उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।

4. श्री मेवाराम जैन, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर के पंचायत मुख्यालयों पर माध्यमिक विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में।

5. श्री कालीचरण सराफ, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मालवीय नगर के लालकोठी योजना कच्ची बस्ती के वर्ष 1881-82 में आवंटित भूखण्डों की लीज-डीड, पट्टे जारी करने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

6. श्री पदमाराम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र चौहटन के सीमावर्ती क्षेत्रों में प्राथमिक, उच्च प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय खोले जाने के सम्बन्ध में।

7. श्री रूपाराम डूडी, सदस्य की ओर से नागौर लिफ्ट पेयजल योजना फेज द्वितीय का क्रियान्वयन करने के सम्बन्ध में।

8. श्री गोपाल मीणा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में ग्राम चैनपुरा के पास स्थित कारकस प्लांट के प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

9. श्रीमती कमला कस्वां, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में पीने के पानी की विकट समस्या के सम्बन्ध में।

10. डा. जसवन्त सिंह यादव, सदस्य की ओर से अलवर में मुण्डावर की जिन्दोली घाटी सुरंग के दोनों ओर अतिक्रमण होने के सम्बन्ध में।

11. श्री रवीन्द्र सिंह बोहरा, सदस्य की ओर से धौलपुर शहर की कृषि उपज मण्डी समिति से लगी हुई श्याम कालोनी में वर्षा का जल भरने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

12. श्री ज्ञानदेव आहूजा सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ के कस्बा गोविन्दगढ़ के राजकीय महाविद्यालय की व्यवस्था सुचारु करने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी। (व्यवधान) आसन पांवों पर है कृपया विराजें। श्री गुलाब चन्दजी कटारिया।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): अध्यक्ष महोदय, पाइंट आफ आर्डर ।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ...(व्यवधान) वह आज टूट जायेंगी।

श्री अध्यक्ष: विरोधी दल की माननीय नेता। कृपया विराजें।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, आपका प्रोटेक्शन हम लोगों को उतना ही मिलना चाहिये जितना सत्ता पक्ष को मिलता है।

श्री अध्यक्ष: नहीं, आपको ज्यादा है।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): हम लोगों को जो प्रोटेक्शन आप देते हैं कल रात की जो घटना थी उससे यह पूरा विपक्ष आहत है। मैं समझती हूं कि पूरे दिन 12 घंटे सब लोगों ने बैठकर ...(व्यवधान) चर्चा में जिस तरह से भाग लिया...

श्री अध्यक्ष: कृपया शांति रखिए।

श्रीमती वसुन्धरा राजे (नेता, प्रतिपक्ष): भाग लेने के बाद मंशा यही थी कि मंत्री महोदय और सरकार की ओर से उनका जवाब सुनने का हमें एक दफा मौका मिलेगा। परन्तु जिस तरीके से कल हाउस को निपटाया गया मैं समझती हूं कि उससे हम सब लोग दुःखी हैं और इस तरीके का वातावरण नहीं होना चाहिये ताकि एक सौहार्दपूर्ण वातावरण हाउस में रहे।

श्री अध्यक्ष: श्री गुलाब चन्दजी कटारिया। कृपया विराजें। किसी माननीय सदस्य को अनुमति नहीं है केवल श्री गुलाब चन्दजी कटारिया। अंकित नहीं होगा।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय श्री गुलाब चन्दजी कटारिया।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजें, अंकित नहीं होगा, किसी माननीय सदस्य का अंकित नहीं होगा, किसी का अंकित नहीं होगा, श्री गुलाब चन्दजी कटारिया।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा, माननीय सदस्य विराजें। माननीय सदस्य किसी का अंकित नहीं होगा श्री गुलाब चन्दजी कटारिया। किसी माननीय सदस्य का अंकित नहीं होगा, श्री गुलाब चन्दजी कटारिया।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा, माननीय सदस्य अंकित नहीं होगा, श्री गुलाब चन्दजी कटारिया।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: कोई पाइंट आफ आर्डर नहीं जीरो आवर है। माननीय कटारियाजी। विराजिए किसी का अंकित नहीं होगा। माननीय उप नेता महोदय विराजो कटारियाजी को बोलने दें आप।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: माननीय उप नेता महोदय विराजिए यह निपट जाये उसके बाद मैं आपको समय दे दूंगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): जी ?

श्री अध्यक्ष: मैं आपको बाद में समय दे दूंगा यह निपट जाये माननीय गुलाब चन्दजी कटारिया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): गुलाबजी ही बोलेंगे अध्यक्ष महोदय, इस सदन में एक विषय आ गया।

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजिए आपको बाद में समय दे दूंगा, कृपया विराजिए ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): एक मिनट बात सुन लें ।

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजिए आपको समय दे दूंगा, विराजिए आप मैं आपको समय दे दूंगा मैंने निवेदन कर दिया।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): किस विषय पर ?

श्री अध्यक्ष: दे दूंगा विराजिए आप। माननीय गुलाब चन्दजी कटारिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा, किसी का अंकित नहीं होगा, श्री गुलाब चन्दजी कटारिया। कोई अंकित नहीं हो रहा माननीय सदस्य, किसी सदस्य का, श्री गुलाब चन्दजी कटारिया को मैंने इजाजत दी है कृपया श्री गुलाब चन्दजी कटारिया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ×××

श्री अध्यक्ष: आपके इतने सीनियर माननीय सदस्य बोल रहे हैं, भाजपा के व्हिप महोदय आप ही इनको डिस्टर्ब करें इससे बड़ी दुर्भाग्य पूर्ण स्थिति और क्या हो सकती है। मैंने इनको समय दिया है।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

उदयपुर के महाराणा भूपाल चिकित्सालय में मस्तिष्क ज्वर से 11 बच्चों की मौत

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से चिकित्सा मंत्रीजी के ध्यान में एक ऐसा विषय जो मानवीय भी है और आपने स्वयं ने भी चिंता की मुझे इसको स्वीकार करने में कोई एतराज नहीं है। लेकिन विषय की गम्भीरता को जिस ढंग से लेना चाहिये उदयपुर में अब तक पिछले गुरुवार से लेकर कल बुधवार तक 12 बच्चों की मृत्यु हुई है मस्तिष्क ज्वर से और यह 12 बच्चे केवल शहर के नहीं हैं। प्रतापगढ के भी इसमें हैं, मध्य प्रदेश के बच्चे भी इसमें हैं, राजसमंद जिले के बच्चे भी इसमें हैं, उदयपुर जिले के अलग-अलग तहसील स्थानों से भी यह सारे के सारे बच्चे हैं । जिसमें उदयपुर का बेजला, राजसमंद, प्रतापगढ़, वल्लभनगर, साकोदा, डिमोदा, आमेठ, नीमच, धनियावाद, गोगुन्दा, सलूम्बर और उदयपुर शहर है। यह बच्चे भी कोई एक दिन घटना हो गई हो समझ में आ सकता है लेकिन पिछले गुरुवार से लेकर लगभग आज 7 दिन हो रहे हैं और 7 दिन में पहले 4 दिन में 7 बच्चों की मृत्यु हो गई। वहां का पिडियोट्रिक का जो इंचार्ज है उसका फर्ज बनता था कि वह अपने जिला कलक्टर को इस बारे में सूचना देता कि वास्तव में इस तरह से यह बच्चे आ रहे हैं और लगातार मस्तिष्क ज्वर महामारी की तरह फैल रहा है इसको जानकारी में लाता । यहां तक कि राजसमंद में जब पहले बच्चे की मृत्यु हुई और राजसमंद के कलक्टर ने उदयपुर कलक्टर को टेलीफोन किया कि हमारे यहां इस तरह के कुछ केसेज हो रहे हैं आपके हास्पिटल में हैं। रविवार की यह बात है, सोमवार के दिन शाम को जब 3 बच्चों की और डेथ हो गई। 7 पहले हो गई, 3 और हुई तो उसके बाद तो कलक्टर आये और उसके बाद 3 और बच्चों की डेथ हो गई सोमवार के दिन। यह अब तक जो 11 बच्चे और कल का दिन निकला था, जिसमें किसी बच्चे की डेथ नहीं हुई। आज एक बच्चे की फिर डेथ हुई है। और अभी भी 5 बच्चे सीरियस हैं। यह ऐसा है कि केवल यह उदयपुर में नहीं, क्योंकि सारे सम्भाग से यह बच्चे आ रहे हैं तो निश्चित रूप से विभाग का यह दायित्व बनता था कि वहां के नीचे के सारे के सारे सी.एम.एच.ओ. अपनी रिपोर्ट इकट्ठी करते और वहां से इस बीमारी का किस प्रकार से फैलाव रहा। अब यहां क्या है कि आप सवाल का जवाब देंगे तो आप यह कहेंगे कि आपके

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

टाइम पर 12 बच्चे मर गये, हमारे 18 मर गये। यह बच्चे किसी के भी राज में मर सकते हैं, महामारी कभी भी फैल सकती है। इसको इसके आधार पर तौल करके अगर हम अपना निर्णय करेंगे तो मैं समझता हूं उन सब गरीब बच्चों के साथ, उनके परिवारों के साथ न्याय नहीं होगा। हमको मानवीय दृष्टि से भी देखना पड़ेगा कि आखिर यह इस प्रकार की, और आपको सुनकर हैरानियत होगी, हमने 50 लाख रुपये से, पिछले 2 साल पहले ही हमने इनको पीडियाट्रिक का पूरा का पूरा एक वार्ड बना करके दिया है। लेकिन एक-एक खाट पर दो-दो बच्चे आज भी सो रहे हैं। मतलब आपका मोनिटरिंग है, केवल एक मानिटर जो है ना वह आपका सही सलामत है। और बच्चे एक के बाद इस तरह से आ रहे हैं तो इतना बड़ा हास्पिटल, इतना बड़ा खर्चा, इतनी बड़ी, सारी सुविधाएं होने के बावजूद डाक्टरों की लापरवाही के कारण से या समय पर जिस प्रकार की भी व्यवस्था होनी चाहिए वह नहीं हुई, इस कारण से अधिकारियों को भी, मुझे अफसोस इस बात का है कि उसके आसपास के जिले के जिला कलक्टर को भी इस बारे में जानकारी होनी चाहिए, प्रतापगढ़ का अगर कोई केस आया तो प्रतापगढ़ के कलक्टर को जानकारी हो, अगर डूंगरपुर का कोई केस आया तो डूंगरपुर के कलक्टर से बात होनी चाहिए। लगातार, मैं इस बारे में तो कहूंगा कि मंत्रीजी ने, जैसे ही अख़बार में आया, इन्होंने चलकर के अपनी तरफ से टेलीफोन करके वहां के इंचार्ज को पूछा, जानकारी लेने का प्रयास किया। लेकिन समस्या यह नहीं है। समस्या क्या है कि वहां डाक्टरों की प्रैक्टिस की लड़ाई है। एक मण्डोरा और डाक्टर शारदा की आपस की लड़ाई के कारण से कोई भी सीनियर डाक्टर उपस्थित नहीं रहता है। अगर उसकी रिपोर्ट मंगवाएंगे तो सत्यता यही मिलेगी कि जो रेजीडेण्ट डाक्टर्स हैं उनके भरोसे इस प्रकार के सीरियस बच्चों को आपने छोड़ दिया और किसी ने इसकी चिन्ता नहीं की। अगर यह एक घटना, दो घटना, 3 घटना लगातार सात दिन तक होती रही, क्या डाक्टर मण्डोरा की ड्यूटी नहीं थी कि वह अपने सम्बन्धित अधिकारियों को जानकारी देता? वहां के प्रिंसिपल को जानकारी देता? प्रिंसिपल को भी जानकारी कौन दे रहा है? कलक्टर, जब वहां का जो अधीक्षक है, उससे जब टेलीफोन से बात कर रहा है तो वह पता करके बता रहा है कि कितने बच्चे बीमार हैं। इसका मतलब हास्पिटल की व्यवस्था क्या है। यह जिम्मेदारी नहीं थी।

मैं आपसे मिलता हूं, मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, यह जो महामारी

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

जिस ढंग से फैल रही है, सारे सम्भाग में, आप इसके लिये क्या अब तक आपने व्यवस्था की। कहां-कहां आपने किस प्रकार के इंस्ट्रक्शंस जारी किये। टीम बनाकर के जो सारी डेथ हुई हैं, 12 डेथ हो चुकी है, इसके लिये किसी कमेटी का गठन किया क्या? उस कमेटी को कोई जांच दी क्या? क्या हमारा इतना बड़ा हास्पिटल, सब प्रकार की सुविधा होने के बाद भी यह गरीब और मासूम बच्चों की जो मौत हुई है उनके परिवारजन ही इस कष्ट को जान सकते हैं। आप और हम तो केवल यहां भाषण देकर के बरी हो जाएंगे और अखबार में सवेरे हमारा नाम आ जाएगा, बस इससे ही संतुष्ट हो जाएंगे। लेकिन इन गरीब परिवारों को कौन संतुष्ट करेगा। विभाग का इतना बड़ा हास्पिटल, इतना बड़ा लवाजमा, इतना हम खर्चा कर रहे हैं। मेडिकल कालेज वहां है। सब कुछ सुविधा होने के बाद भी लगातार 7 दिन तक बच्चे मरते रहें और इतना आपके कहने के बाद भी, यहां आपको तो रविवार को ही आपको सूचना मिल गई, रविवार को ही आपने बात कर ली। उसके बाद सोमवार को 3 बच्चों की और डेथ हुई और कल एक बच्चे की और हुई। और अभी 5 बच्चे और हास्पिटल में भर्ती हैं। कोई ऐसी व्यवस्था करें, सम्पूर्ण सम्भाग में, यह जो मस्तिष्क ज्वर की जो बीमारी जिस ढंग से फैल रही है, उसको आप कैसे कण्ट्रोल करेंगे, क्या व्यवस्था की, मैं आपके माध्यम से विनम्रता से प्रार्थना करता हूं, आपने जो कुछ किया, मैंने कहा ना कि आपने चलकर के रविवार को वहां के, सबसे पहला जो अगर टेलीफोन किसी का गया सुपरिडेंट के वहां तो आपका टेलीफोन गया। जब आप यहां बैठकर के उसकी मोनिटरिंग कर सकते हैं, अख़बार में न्यूज आने के बाद में, यह सारा का सारा प्रकरण अख़बार की न्यूज के आधार पर आपको ध्यान में आया तो इतना बड़ा डिपार्टमेंट, इतने बड़े अधिकारी, ये सब बैठकर के वहां क्या कर रहे थे? क्या इनकी ड्यूटी नहीं बनती थी कि यह अखबार को पढ़ने के बाद ही सारी व्यवस्था हो और आप उनसे पहले टेलीफोन करें और वहां का सारा का सारा लवाजमा बैठा रहे? इसके खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए कि वहां का जो भी हास्पिटल का इंचार्ज है, जो वहां का पीडियाट्रिक का, बच्चों के हास्पिटल का इंचार्ज है उनसे आप पूछताछ भी नहीं करें, उनके खिलाफ कार्यवाही करें। केवल प्रैक्ट्रिस की लड़ाई के कारण से सीनियर डाक्टर तो घरों में चले जाते हैं और आप रेजीडेंट डाक्टर्स के जिम्मे छोड़कर उन मासूम बच्चों को चले जाते हैं जिसके कारण से एक के बाद एक मृत्यु हो जाती है। मैं चाहूंगा, मानवीय आधार पर जो आपने कार्यवाही की,

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

उसको भी बतायें और भविष्य में आगे क्या व्यवस्था की, इस सदन के माध्यम से उन सब लोगों तक अपनी बात पहुंचा दें।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्षजी, आपकी इजाजत हो तो यह मस्तिष्क ज्वर जो है..

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी स्टेटमेंट देने को खड़े हो गये हैं, माननीय सदस्य।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): मैं राजसमन्द जिले का इतना ही बताना चाहती हूं कि 12 के बाद में यह बामन टुकड़ा एक ग्राम पंचायत है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये। माननीय कटारियाजी का एडजोर्नमेंट था।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): उसमें आगे जोड़ रही हूं ना। उसमें मंत्रीजी जब जवाब देंगे तो वह भी दे दें कि इसके प्रिकोशन के लिये आखिर स्टेप उठाये जा रहे हैं। (व्यवधान) ग्रामीण क्षेत्र में यह बीमारी बहुत ज्यादा फैल रही है।

श्री अध्यक्ष: विराजिये, विराजिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): और बामन टुकड़ा ग्राम पंचायत है, हमारे राजसमन्द जिले की, जहां पर कल ही सुबह एक बच्चे की और मृत्यु हुई है और वहां के गांव के लोग बहुत ज्यद्दा आक्रोशित हैं चिकित्सा विभाग के ऊपर।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जो हमारे माननीय सीनियर सदस्य महोदय ने जो मामला उठाया है, वाकई में बहुत गम्भीर है। यह मामला आपने परसों भी उठाया था। अनफार्च्यूनेटली यह सदन में आप नहीं पेश कर पाये। इसमें दो इश्यू जो आपने फरमाये हैं, उसमें एक इश्यू तो यह है कि जो यह महामारी है और यह जो मरे हैं बच्चे, एक तो उसका इश्यू है। दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन का इश्यू। आपकी इजाजत से जो महामारी का है, मैं वह बता दूं, फिर उसके बाद दूसरे इश्यू को मैं एड्रेस आपके सामने कर दूंगा। मेरे वक्तव्य के तौर पर मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि बाल चिकित्सालय, उदयपुर में उदयपुर सम्भाग के सभी जिलों से शिशु उपचार के लिये आते हैं। पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश से भी शिशु उपचार के लिये इस चिकित्सालय में आते हैं। बाल

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान)

चिकित्सालय, उदयपुर में शिशु उपचार हेतु 3 इकाइयां कार्यरत हैं जिसमें 9 शिक्षक-चिकित्सक पद-स्थापित हैं। इन इकाइयों में कुल 100 शैय्याएं हैं। इसके अतिरिक्त शिशु शल्य चिकित्सा में एक इकाई एवं 25 शैय्याएं हैं।

इस चिकित्सालय में 6 बैड का आई.सी.यू. है, जिसमें सीरियस केसेज का उपचार किया जाता है। ज्यादातर शिशु उपचार के लिये जब इस चिकित्सालय में आते हैं उस समय उनकी स्थिति काफी गम्भीर होती है। उनके भर्ती होते ही तुरन्त आई.सी.यू. में उपचार प्रारम्भ कर दिया जाता है। चिकित्सकों का हर सम्भव प्रयास रहता है कि उपचार के लिए भर्ती शिशु जल्दी से जल्दी स्वस्थ हो जाएं इसके उपरान्त भी गम्भीर अवस्था में लाये गये कुछ शिशुओं की मृत्यु हो जाती है। सामान्यतया जुलाई से सितम्बर तक रोगियों की संख्या बढ़ जाती है। इस वर्ष 1 जुलाई से अब तक 145 शिशु आई.सी.यू. व 331 शिशु वार्ड में भर्ती किये गये। वर्तमान में 17 शिशु आई.सी.यू. में भर्ती हैं। 1 जुलाई से अब तक दो माह से 15 वर्ष के 28 शिशुओं की मृत्यु आई.सी.यू. में हुई है, 28 की हुई है, सर, वह मैं आपको उसका भी विवरण दे दूंगा, जिनका निदान के अनुसार बीमारीवार विवरण निम्न प्रकार है, एन्सिफिलिटीज वायरल-16, एक्यूट रिनल फैल्योर-2, एक्यूट बेक्टिरियल मेनिनजाइटिस-3, टी.बी. मेनिनजाइटिस-एक, डायरिया/वोमिटिंग-एक, सेप्टिसिमिया-एक, निमोनिया-2, पेरिफेरल सर्कुलेशन फैल्योर-एक, मलेरिया-एक। इन 28 शिशुओं में से लगभग 50 प्रतिशत शिशुओं की मृत्यु भर्ती के 24 घंटे में उपचार के सभी प्रयासों के उपरान्त भी हो गई। इससे स्पष्ट है कि ज्यादातर शिशु गम्भीर अवस्था में भर्ती किये गये थे। इन शिशुओं में से लगभग 70 प्रतिशत शिशु दिमाग की बीमारियों, एन्सिफिलिटीज और एक्यूट बेक्टिरियल मेनिनजाइटिस से पीड़ित थे।

उपरोक्त विवरण से स्पष्ट है कि उक्त 28 शिशुओं की मृत्यु अलग अलग बीमारियों से हुई है। ये शिशु राज्य के अलग-अलग जिलों एवं तहसीलों से हैं एवं एक शिशु मध्य प्रदेश से भी है। उपरोक्त सूचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि किसी क्षेत्र विशेष से अथवा किसी एक बीमारी के कारण ये शिशु चिकित्सा हेतु नहीं आये हैं।

इन सभी शिशुओं के मलेरिया के लिये रक्त का परीक्षण भी करवाया गया। परन्तु किसी का भी टेस्ट पाजिटिव नहीं आया। जिन शिशुओं का सीरम

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान)

लिया जा सकता था उनका सीरम लिया गया। 10 सीरम परीक्षणों में 5 परीक्षणों का परिणाम पाजिटिव था। बाल चिकित्सालय में एक्सपर्ट चिकित्सकों की टीम के सुपरवीजन में शिशुओं के उपचार की कार्यवाही चल रही है। राज्य सरकार द्वारा भी यह निर्देश दिये गये हैं कि शिशुओं के इलाज में किसी भी प्रकार की कोताही नहीं बरती जाए। इनका नि:शुल्क उपचार तत्परता और प्राथमिकता से किया जाएं एवं हर सम्भव प्रयास किये जाए कि भर्ती शिशु शीघ्र स्वस्थ हो जाए। शिशुओं की मृत्यु के सम्बन्ध में प्रधानाचार्य, उदयपुर ने सात चिकित्सकों की एक जांच समिति भी गठित की है जिसमें पीडियाट्रिक, मेडिसिन, न्यूरोलॉजी, जनरल मेडिसिन, माइक्रो-बायोलाजी, Preventive & Social Medicine और पैथॅलोजी विषय के विशेषज्ञों के चिकित्सकों को रखा गया है।

इस बाल चिकित्सालय के आई.सी.यू. में प्रात:कालीन शिफ्ट में तीन नर्सिंग कर्मी, दोपहर पश्चात दो नर्सिंग कर्मी और रात्रिकालीन शिफ्ट में एक नर्सिंग कर्मी उपलब्ध रहते हैं और रेजिडेंट चिकित्सक 24 घंटे आई.सी.यू. में उपलब्ध रहते हैं। वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा सुबह-शाम राउंड लेकर उपचार हेतु निर्देश प्रदान किये जाते हैं। अति गम्भीर शिशुओं के उपचार हेतु इस आई.सी.यू. में चार वेंटिलेटर, छह मानिटर और आवश्यक इन्फ्यूजन पम्प उपलब्ध हैं। इन सुविधाओं को दृष्टिगत रखते हुए स्पष्ट होता है कि गम्भीर अवस्था में भर्ती किये गये शिशुओं के उपचार की पर्याप्त व्यवस्था है।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने उन तहसीलों/ग्रामों में जहां से शिशु आये हैं उन क्षेत्रों का विस्तृत सर्वे प्रारम्भ कर दिया है ताकि अगर ऐसे अन्य प्रकरण यदि इस क्षेत्र में हों तो उनको आवश्यकतानुसार उपचार हेतु तुरन्त बाल चिकित्सालय में भर्ती किया जा सके।

मैं इस सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि राज्य सरकार इन शिशुओं के तुरन्त उपचार का हर सम्भव प्रयास करेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह तो जो अभी डेथ का आपने फरमाया हमारे माननीय महोदय ने, एम.एल.ए. साहब ने, यह तो उसका हमने एक्शन लिया है। अब आपकी जो शिकायत वहां के एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ भी है, मैं समझता हूं कि वाजिब है। आप जैसे सीनियर जब खड़े होकर कुछ कहते हैं तो उसमें हमें कोई डाउट नहीं है कि यह जो भी आपकी शिकायत है वह सही है।

(श्री एमादुद्दीन अहमद खान)

मैं आपको, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह कहना चाहता हूं कि अगर किसी ने भी आपसी झगड़े की वजह से कोई इसमें लापरवाही बरती है, हम कतई उसको बर्दाश्त नहीं करेंगे और आप हमें बतायें इसके अलावा अगर मेरे पास कोई इन्फोर्मेशन में कमी है तो आप मुझे फरमाएं, उसकी भी मैं इन्क्वायरी करवा लूंगा और जो अगर किसी की कोताही पायी गयी है तो उस पर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा।

श्री अध्यक्ष: सफिशिएंट है। अब क्या?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): मैं केवल यही कहना चाहता हूं वहां के डाक्टर्स से इसकी जांच सही नहीं आएगी। आप यहां से किसी को, दो लोगों को भेज दीजिए कि वास्तविकता क्या है।

श्री अध्यक्ष: यहां से भेजकर जांच करवा लें।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): केवल इतना ही।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सर।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): ताकि क्या विभाग का डाक्टर ... (व्यवधान) वहां के डाक्टर को प्रोटेक्ट करेगा तो नहीं होगा।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त। श्री ज्ञानचन्द पारख।

श्री एमादुद्दीन अहमद खान (दुरू मियां) (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सर।

श्री अध्यक्ष: श्री ज्ञानचन्द पारख।

विधवाओं के लिए जारी पेंशन व अन्य योजनाओं में बजट आबंटन

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान की उन विधवाओं की हालत जो वर्तमान सरकार के कारण बहुत दयनीय हो गयी है, उसकी जानकारी सदन तक देना चाहता हूं। जब हमारी पूर्व मुख्य मंत्री माननीय वसुन्धरा राजेजी सिंधिया अपनी परिवर्तन यात्रा के दौरान प्रदेश के गांव-गांव, ढाणी-ढाणी घूमी थीं और वहां क्या समस्याएं हैं उसकी जानकारी भी हासिल की थी। कहां-कहां विकास की क्या-क्या सम्भावनाएं हैं, उसको भी उन्होंने देखा था और समाज का एक ऐसा कौन-सा वर्ग जो दयनीय स्थिति में

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

है और उसको सरकारी सहायता की आवश्यकता है, उसके लिए भी उन्होंने उसमें मानसिकता बना दी थी। और उस समय उन्होंने महसूस किया कि हमारे प्रदेश की जो विधवा बहिनें हैं, सरकारी सहायता के नाम पर मात्र दो सौ रुपये मासिक पेंशन उनको दी जाती है। और ज्यों ही यह सत्ता में आईं, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारी पूर्व मुख्य मंत्रीजी को कि इन्होंने पेंशन राशि सीधी दुगनी कर दी, दो सौ रुपये से चार सौ कर दी। और मात्र इतना ही नहीं, उसके बाद में जो मन में यह रहा उनके कि किसी विधवा को चार सौ रुपये देने से उसका परिवार आसानी से नहीं चल सकता तो वह विधवा के बच्चे के लिए 'पालनहार योजना' जैसी एक बड़ी योजना भी इन्होंने प्रदेश की विधवा बहिनों को दी। इसमें विधवा की दूसरी सन्तान को 625 रुपये प्रतिमाह देने का सरकार की ओर से यह तय किया। पूरे प्रदेश की विधवाओं में एक खुशी की लहर छायी, पहली मुख्य मंत्री आयी हैं जिसने विधवा के दर्द को समझा। पर मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि वर्तमान सरकार ने जनवरी, 2009 से लेकर 23 जुलाई आ गया, उसके लिए कोई बजट योजना या कोई राशि आबंटन नहीं की। दिसम्बर तक उनको भुगतान हुआ, उसकी राशि हमारी पूर्व मुख्य मंत्री पहले ही आबंटन करके गयी थीं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार कोई नई योजना नहीं लाये, जन कल्याणकारी योजना न लाये, यह अलग विषय है पर जो योजनाएं चालू हैं जिससे किसी को सहारा मिलता है, मदद मिलती है, उसकी भी राशि रोक दे, उससे ज्यादा शर्मनाक बात किसी सरकार के लिए नहीं हो सकती। (व्यवधान)

श्री ग्यारसा राम कोली (बयाना): पूरी सरकार जा रही है।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): नहीं, बैठे हैं। गोलमाजी हैं। पूरी सरकार बैठी है। दो मंत्री बैठे हैं। आपके प्रिय पात्र हैं। आप घबरा क्यों रहे हो? देंगे जवाब। जवाब देंगे।

श्री अध्यक्ष: आप चालू रखें। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: यह लगता है कि गम्भीरता से नहीं ले रही सरकार।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज प्रदेश की हजारों-हजारों विधवाएं जिनको इस योजना का लाभ मिल रहा था पिछले सात

(श्री ज्ञानचन्द पारख)

महीने से क्योंकि पेंशन राशि उन्हें मिल जाए उसके लिए सामाजिक न्याय और कल्याण कार्यालय के वह चक्कर लगा रही हैं और सात महीनों से एक ही जवाब कि अभी तक बजट नहीं आया, जब बजट आएगा तो आपको राशि पहुंचा दी जाएगी, सात महीनों से एक ही जवाब और जो नये प्रकरण हैं, उसके बाद भी कई विधवा बहिनों ने इसमें आवेदन किये हैं, इन सात महीनों में जो भी नये प्रकरण आये उनका निस्तारण भी मात्र इसलिए नहीं किया गया कि जब बजट है ही नहीं तो हम स्वीकृत क्यों करें?

माननीय अध्यक्ष महोदय, इतना ही नहीं, वर्षों से चली आ रही विधवा की पुत्री को उसकी शादी के लिए दस हजार रुपये की सहायता देने वाली योजना, उसमें भी इस सरकार ने जितनी आवश्यकता है, उससे बहुत कम बजट अलॉट किया। पाली की आवश्यकता थी तो 8 लाख थी, उन्होंने इस आशा से बेटियों की शादी कर दी, उनको इस योजना की राशि मिल जाये। 8 लाख की डिमांड थी पाली की और आबंटन किया मात्र 2 लाख रुपये, बाकी सारी एप्लीकेशन पेंडिंग हैं। अब सरकारी योजना और विधवा को यह विश्वास है कि यह दस हजार रुपये तो मुझे मिलने ही हैं। उसने कहीं से कर्ज लेकर भी अपनी बेटी की शादी कर दी और आज पिछले पांच महीनों से वह कार्यालयों के चक्कर लगा रही हैं कि उसने जो आवेदन अपनी बेटी की शादी की सहायता के लिये किया, वह राशि उसको प्राप्त हो जाये पर वह राशि उसको प्राप्त नहीं हो रही है। वह दर-दर भटक रही है और कर्ज में डूबी हुई है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके सरकार से आग्रह है, यह ऐसी योजनाएं हैं जिससे वह वर्ग जुड़ा है, जिसे सरकारी सहायता की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। आप सरकार को निर्देश दें कि दोनों योजना, पालनहार योजना और विधवा पुत्री की शादी की योजना की राशि जितनी आवश्यकता है, उसके अनुसार जिलों में भिजवायें ताकि वहां विधवा बहनों को राशि मिल सके। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह रहेगा, यह मामूली बात नहीं है। हजारों-हजारों विधवा बहनों के ऊपर रहम की बात है। आप सरकार से कहें, आप सरकार को निर्देश दें और सरकार यह बताये कि कितने महीनों में बजट का आबंटन कर दिया जायेगा। मेरा हाथ जोड़कर आपसे यह व्यक्तिगत आग्रह है।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। श्री पवन कुमार दुग्गल।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): यह बहुत संवेदनशील मैटर है। इसमें सरकार को जवाब देना चाहिये। विधवा की पुत्री को विवाह के अवसर पर जो पैसा मिलना चाहिये, वह नहीं मिल रहा है। पालनहार योजना सरकार ने समाप्त कर दी तो जवाब तो दे सरकार कि ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया व्यवधान नहीं, माननीय सदस्य।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, सरकार का ध्यान इसमें आकर्षित करवाना चाहता हूं ...(व्यवधान)

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस मुद्दे को आप हंसी में मत टालो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया माननीय सदस्य, व्यवधान नहीं। माननीय सदस्य, पहली बार आये हैं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्षजी, पालनहार योजना बंद कर देना, इससे ज्यादा और शर्म की बात सरकार के लिये क्या हो सकती है? पालनहार योजना में बच्चे को पैसा मिलता है। मैं विधवा हूं, वह बच्चा पाल नहीं सकती। उसको पालनहार योजना के तहत पैसा मिलता है 175 रुपया, वह सरकार ने बंद कर दिया। अध्यक्षजी, सरकार जवाब दे इस सवाल के ऊपर, सरकार से जवाब दिलवाइये।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): आप इस मुद्दे को हंसी में मत टालो।

श्री अध्यक्ष: मैं हंसी में नहीं टाल रहा।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप सरकार को निर्देश दें कि कितने दिनों में यह राशि भिजवा दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष: अन्य किसी का अंकित नहीं होगा, केवल पवन कुमार दुग्गल।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): ×××

घड़साना में 50 बीघा नर्सरी क्षेत्र अपराधियों की शरणस्थली बना

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का इस ओर ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं कि घड़साना नगरपालिका क्षेत्र में कुपली मार्ग पर 50 बीघा नर्सरी क्षेत्र से उस इलाके में अनेकानेक समस्याएं उत्पन्न हो चुकी हैं। घड़साना नगरपालिका क्षेत्र

(श्री पवन कुमार दुग्गल)

में स्थित नर्सरी, जिसके दो तरफ आबादी क्षेत्र है और एक तरफ पंजाब नेशनल बैंक है, कृषि उपज मण्डी समिति है, सहकारी समिति है, व्यापार मण्डल है व राजकीय विद्यालय है। इस नर्सरी में घने पेड़ और झाड़ियां हैं जिससे इसके अन्दर देख पाना मुश्किल है। इसी बात का फायदा उठाकर अपराधियों ने इसे अपनी शरणस्थली बना ली है। यह अपराधी आज तक विभिन्न वारदातों को अंजाम दे चुके हैं जिसमें हत्या, लूट, डकैती, दिनदहाड़े मामले घड़साना के अन्दर आम हो चुके हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करवाना चाहता हूं कि पंजाब नेशनल बैंक घड़साना में पिछले दशक में एक बहुत बड़ी डकैती हुई और उस डकैती का कारण भी पंजाब नेशनल बैंक से 50 फीट की दूरी के आगे यह नर्सरी है, जिसमें चोरों ने लाखों रुपये को सरेआम लूटकर ले जाने में कामयाब हुए। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करवाना चाहता हूं कि इस नर्सरी की वजह से इस क्षेत्र में इससे भी बड़ी एक घटना जो अभी फरवरी, 2009 में हुई है, एक 29 वर्ष का नौजवान विनोद का कत्ल सारी रात इस नर्सरी में अपराधियों ने दौड़ा-दौड़ाकर उसका कत्ल किया है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करवाना चाहता हूं कि इस नर्सरी की वजह से सैकड़ों बार चोर चोरी करके इस नर्सरी में घुसे हैं और पुलिस उनका पता लगाने में नाकामयाब रही है।

अध्यक्ष महोदय, यह सही है कि वन एवं पर्यावरण रक्षा हमारा दायित्व है व यह भी सही है कि जनता में भयमुक्त और विश्वास रखना भी हमारा मूल कर्तव्य है। इसलिये यह जरूरी है कि इस नर्सरी क्षेत्र को कहीं ओर राजकीय भूमि में स्थानान्तरित कर दिया जाये। नगरपालिका घड़साना इस नर्सरी की एवज में अपनी दूसरी जमीन देने को तैयार है। अतः आपके माध्यम से यह अनुरोध है कि इस नर्सरी को यहां से हटायें ताकि घड़साना क्षेत्र में लगातार बढ़ रही अपराधी गतिविधियों पर अंकुश लगाया जा सके। अध्यक्ष महोदय, यह नर्सरी आज एक भयानक जंगल का रूप ले चुकी है जिसमें आम आदमी नाम का भेड़िया घात लगाये हुए बैठा रहता है। नागरिक इस बात से भयभीत हैं कि वह भेड़िया न जाने कब उन पर हमला कर दे। रात को 9 बजे के बाद और सुबह 4 बजे से पहले घड़साना नगरपालिका दो हिस्सों में बंटी रहती है। इसलिये आपसे अनुरोध है कि राज्य सरकार को इस बात के लिये निवेदन किया जाये कि इस नर्सरी को यहां से हटाकर घड़साना नगरपालिका

(श्री पवन कुमार दुग्गल)

को भयमुक्त किया जाये ताकि दो हिस्सों में रहने वाले लोग अगर रात्रि को किसी प्रकार की कोई दु:ख, तकलीफ में हों, चूंकि राजकीय चिकित्सालय भी इसी नर्सरी के दूसरे हिस्से के पास है और अगर रात को कोई मरीज गम्भीर हालत के अन्दर आ जाता है, माननीय अध्यक्ष महोदय, उसे पांच किलोमीटर अपने दूसरे गांव से घूमकर फिर हास्पिटल जाना पड़ता है, जबकि अगर नर्सरी को वहां से हटा दिया जाये तो मात्र चार मुरब्बे पर स्थित वहां राजकीय अस्पताल है, अतः मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इस नर्सरी को हटाकर घड़साना की जनता को भयमुक्त वातावरण दें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री ओम बिरला।

गृह निर्माण सहकारी समितियों द्वारा भूखण्डधारियों के साथ धोखाधड़ी

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मैं विधान सभा में उस दर्द को बताना चाहता हूं जो दर्द राजस्थान की जनता जानती है। जिनका अपना घर नहीं होता, इस दर्द को वही जानता है। जिंदगी एक किले में बंद हो जाती है, बाहर पहरा होता है, कोई दरवाजा नहीं होता, दीवार पिघलती नहीं है।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): अध्यक्ष महोदय, सुबह हम दोनों ने बैठकर एक दूसरे का दर्द बांटा फिर भी यह ..(व्यवधान) अब लीक हो गया तो यहां क्यों बोल रहे हैं?

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): आपका दर्द ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: घायल की गति घायल जाने।

एक माननीय सदस्य: जो कोई घायल होय।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): आपका दर्द वाजिब है। माननीय अध्यक्ष महोदय, आज जयपुर सहित राजस्थान के वह मकान बनाने के सपने संजोये लोगों की यह विडम्बना है कि आज उनको समाचार पत्रों के दफ्तरों में जाना पड़ रहा है। 25 साल तक जो न्याय की दर-दर ठोकरें खाते रहे, सरकार, प्रशासन पर जाते रहे, लेकिन उनको लगा कि न्याय नहीं मिल सकता। जब समाचार पत्रों ने उनकी आवाज बनने का प्रयास किया तो आज हजारों की तादाद में वह 20-20 साल से सपने संजोये लोग उन अखबारों के आफिस में इसलिये जा रहे हैं ...

श्री अध्यक्ष: पूर्व मंत्रीजी, आप भी ..(व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): हो सकता है कि उनको न्याय मिले, उनकी आवाज उठे। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह इतना गम्भीर विषय है, न यहां स्वायत्त शासन और गृह मंत्री हैं, न सहकारिता मंत्री हैं। शायद सरकार जानती है कि भू-माफिया को हम संरक्षण देते, इसलिये हम इनको राहत भी दिला सकते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान की इस धरती पर जो भूमाफियों का काम चल रहा है, ये विधान सभा के माननीय सदस्य भी जानते हैं और सरकार भी जानती है। यह अभियान अभी से नहीं चल रहा है, यह लगातार 25-30 साल से चल रहा है। हमारे माननीय पूर्व उप राष्ट्रपतिजी ने अभियान चलाया था, गहलोत साहब ने भी अभियान चलाया और माननीय वसुन्धराजी ने भी अभियान चलाया लेकिन उसके साथ न्याय नहीं हो पा रहा। जिन गृह निर्माण सहकारी समितियों के माध्यम से, जिनका उद्देश्य यह होता है कि वह जे डी ए से जमीन लें, हाउसिंग बोर्ड से जमीन न लें और उन जमीनों को अपने उन सदस्यों को देकर उनका भू आबंटन कर समस्या का समाधान करें। आज वे गृह निर्माण सहकारी समितियां धड़ल्ले से अवैध व्यापार कर रही हैं और इतना ही नहीं वह कोलोनाइजर जो यह कहता है कि मैं भूखण्डियों को सस्ती दर पर भूखण्ड उपलब्ध करवाऊंगा। वे कोलोनाइजर बिना जे.डी.ए. से एप्रूव्ड हुए, बिना नगर विकास न्यास और नगर निगम से एप्रूव्ड हुए उन कालोनियों/भूखण्डों को खुलेआम बेलगाम पोस्टर चिपकाकर, बैनर लगाकर बेच रहे हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सब का चिन्ता का विषय है कि किस तरह से एक मां-बाप अपनी मेहनत करके कमाते हैं, एक सपना सोचते हैं कि मेरा अपना घर होगा और उस सपने को टूटता हुआ देखते हैं। कई उदाहरण तो ऐसे आये हैं कि बीस-बीस साल से सपने संजाते हुए मां-बाप चल बसे। उनकी संतानें संघर्ष कर रही हैं लेकिन सरकार उसको न्याय नहीं दिला पा रही।

अध्यक्ष महोदय, यह विषय केवल जयपुर राजधानी का नहीं है, राजस्थान की किसी भी तहसील और जिले में चले जाएं, कृषि भूमि पर उन भूमाफियों ने खुलेआम बोर्ड लगा रखे हैं कि यहां पर सस्ती दर पर भूखण्ड उपलब्ध हैं। न उनका यू.आई.टी. से अनुमोदित है और न नगर निगम से अनुमोदित है। सौ रुपये के एग्रीमेंट और तीस रुपये के पावर आफ अटोर्नी के माध्यम से वह भूखण्डधारियों को बेच देते हैं।

(श्री ओम बिरला)

इतना ही नहीं अध्यक्ष महोदय, व्यक्ति जब जे.डी.ए. में जाता है या नगर विकास न्यास में जाता है तो उसको पता चलता है कि उसको जो पट्टा दिया गया है वह सुविधा क्षेत्र के अन्दर है। अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं, सरकार ने सैल गठित किया है लेकिन सरकार की मंशा ठीक नजर नहीं आ रही। अगर सरकार की मंशा ठीक नजर आती तो जे.डी.ए. के अधिकारी होते, को-आपरेटिव के अधिकारी होते, पुलिस के अधिकारी होते। इन सब का एक संयुक्त दल बनता और उन भूखण्डधारियों को जो दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं, उनको सरकार पर दस्तक देकर सरकार से न्याय दिलाते। इतना ही नहीं अध्यक्ष महोदय, यह विडम्बना इससे भी ज्यादा है कि आज पूरे राजस्थान में...

श्री अध्यक्ष: कृपया आप समाप्त करें।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): ..जो भूमाफियों का खेल चल रहा है उन भूमाफियों पर अगर सरकार ने अंकुश नहीं लगाया तो एक वक्त आयेगा जब भूखण्डधारी जो दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं वे सरकार के आगे ऐसा संघर्ष करेंगे जिसको राजस्थान की धरती देखेगी।

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): इसलिए माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि वह भूमाफियों को संरक्षण देना बन्द करे और उन भूखण्डधारियों को जो 25 साल से न्याय की मांग कर रहे हैं उनको न्याय मिले।

श्री अध्यक्ष: कृपया आप समाप्त करें।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): उनको भूखण्ड मिले और उनके सपने पूरे हों। अध्यक्ष महोदय, उनके सपने ही पूरे नहीं हों, क्योंकि जे.डी.ए. ने, नगर निगम ने, यू.आई.टी. और हाउसिंग बोर्ड ने....

श्री अध्यक्ष: कृपया आप विराज जाएं। माननीय सदस्य, कृपया आप विराजें। कृपया समाप्त करें।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): जे डी ए ने 25 साल के अन्दर केवल 25 कालोनियां काटीं और हाउसिंग बोर्ड ने केवल 10 कालोनियां काटीं... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रक्रिया के नियम, 295 के अन्तर्गत प्राप्त सूचनाएं। (व्यवधान) आसन पैरों पर है माननीय सदस्य।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): जयपुर के दो भूमाफियों को जेल में डाल दिया और सरकार ने उनको छोड़ दिया...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आसन पैरों पर है। अंकित नहीं होगा। आपको, इतने सीनियर होकर भी यह ध्यान नहीं है कि आसन पैरों पर है और आप खड़े हो गये।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री अध्यक्ष: समझना चाहिए आपको। आपके बारे में तो मुझे बड़ी, आप जैसे सीनियर व्यक्ति, मुझे आश्चर्य है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ×××

श्री अध्यक्ष: श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास। अन्य किसी का अंकित नहीं होगा।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): ×××

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

सूरसागर के खनन क्षेत्र का विकास

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रक्रिया के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव-सूरसागर के खान क्षेत्र का विकास एवं खान श्रमिकों के लिए मूलभूत सुविधाओं के विकास बाबत्।

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से श्रम मंत्री का ध्यान सूरसागर विधान सभा के विश्व प्रसिद्ध जोधपुरी पत्थर के खान श्रमिकों एवं खान क्षेत्र की ओर आकर्षित करना चाहूंगी।

मेरे विधान सभा क्षेत्र के सूरसागर क्षेत्र में विश्व प्रसिद्ध जोधपुरी पत्थर की बहुत सारी खानें हैं जिसमें विशाल मात्रा में खनन कार्य हजारों खान श्रमिकों के माध्यम से किया जाता है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आपको मैं कितनी बार चेतावनी दूं? माननीय सदस्य बोल रही हैं, उनके बीच में से आप फिर आ रहे हैं। इधर ऊंचे नीचे नहीं, मगर बीच में तो ध्यान रखें। आप थोड़ा सा आपके उप नेता महोदय से ज्ञान ले लीजिए अगर आपको ज्ञान नहीं है तो।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): उक्त खान क्षेत्र में अभी भी

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

मूलभूत सुविधाओं यथा पेयजल वितरण पाइप लाइन, सड़क, सीवरेज तंत्र, सार्वजनिक विद्युतीकरण की स्थापना नहीं हो पाई है। जो क्षेत्र सरकार को प्रतिवर्ष करोड़ों रुपयों की आय दिलवाता है। जिस क्षेत्र के विकास के लिए सरकार द्वारा करोड़ों रुपये विकास शुल्क के नाम पर वसूला जाता है। उसमें अभी तक मूलभूत सुविधाओं का विकास नहीं होना अत्यन्त खेद का विषय है।

हालत यह है कि भूजल रिसाव की समस्या के चलते खानों और आस पास के खड्डों में पानी भरे रहने के कारण वहां मच्छरों मक्खियों और परजीवी कृमियों की बस्तियां आबाद हो गई हैं। बीमारियां फैल रही हैं। खान मजदूरों में खनन डस्ट से अस्थमा फैल रहा है।

मेरा अनुरोध है कि उक्त सूरसागर खान क्षेत्र के विकास के लिए सरकार एक मुश्त 25 करोड़ की राशि स्वीकृत कर त्वरित गति से विकास कार्य करवाये।

मेरा अनुरोध है कि इतने बड़े खनन क्षेत्र के श्रमिकों को सरकार की ई.एस.आई. योजना में सम्मिलित किया जावे तथा इन श्रमिकों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु सूरसागर क्षेत्र में ई.एस.आई. औषधालय की स्थापना की जावे।

मुझे आशा है कि सरकार विश्व प्रसिद्ध जोधपुरी पत्थर के खनन श्रमिकों के हितों के लिए मेरी मांगों से सहमत होते हुए तुरन्त उक्त स्वीकृतियां जारी करने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: श्री विजय बंसल।

(अनुपस्थित)

श्री पुष्पेन्द्र सिंह।

बाली के गांवों में जवाई नहर से पेयजल वितरण

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव की सूचना।

महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव की सूचना प्रस्तुत कर निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र बाली के 7000 से 10000 के मध्य आबादी वाले गांव क्रमशः नाणा, भीमाणा, चामुण्डेरी, बेडा, भन्दर, भटून्द, बीसलपुर, बीजापुर, सेवाड़ी, लुणावा, घाणेराव, देसूरी, नारलाई, नाडौल व पंचायत समिति

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

बाली के 113 राजस्व गांवों, पंचायत समिति देसूरी के 51 राजस्व गांवों, पंचायत समिति रानी के 8 राजस्व गांवों में भूजल स्तर बहुत ही नीचे जा चुका है, हैण्डपम्प सूख चुके हैं। कहीं खराब पड़े हैं तो कहीं पानी छोड़ देते हैं, बहुत से नाकारा हो गये हैं, कई गांवों में पीने योग्य पानी नहीं है। जैसे तैसे कहीं-कहीं टैंक से पेयजल सप्लाई होती है तो बचे हुए कुछेक गांव में अन्तिम सांस ले रहे परम्परागत साधन थोड़ी बहुत जलापूर्ति कर रहे हैं। कुल मिलाकर विधान सभा क्षेत्र बाली में विस्तृत क्षेत्र में बसे वाशिन्दों को वैज्ञानिक मानकों के आधार पर निर्धारित मात्रा में पेयजल नहीं मिल रहा है। चहुं ओर पेयजल संकट से हाहाकार मचा हुआ है। ऐसे में जवाई पाइप लाइन पेयजल योजना से बाली क्षेत्र को उम्मीदें हैं। बाली क्षेत्र को छोड़कर जिला पाली की अन्य पंचायत समिति क्षेत्रों के 228 गांवों व 6 कस्बों को जवाई कैनाल से पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है। हाल ही में जिला पाली के 571 गांवों 10 शहरों व नगरपालिका क्षेत्रों को जवाई पाइप लाइन पेयजल योजना से जोड़ने हेतु 634.79 करोड़ लागत की योजना बनाई गई है।

(समय : 13.00 बजे)

विश्वस्त सूत्रों से ज्ञात हुआ है कि जब तक इस योजना में बाली विधान सभा क्षेत्र के मात्र चार गांवों को ही जोड़ा जाना प्रस्तावित है जबकि जवाई योजना से बाली विधान सभा क्षेत्र की अधिकतम दूरी 50 से 60 किलोमीटर तक ही पड़ती है। दूसरी ओर पाली जिले के इस योजना से सैकड़ों किलोमीटर दूरी तक के सैकड़ों गांवों को जोड़ने के प्रस्ताव बनाये जा चुके हैं।

अत: नियम 295 के तहत माननीय जन स्वास्थ्य मंत्रीजी से आग्रह है कि बाली विधान सभा क्षेत्र के सभी गांव, ढाणियों को जवाई पाइप लाइन पेयजल योजना से जुड़वाने तथा जवाई योजना को भावी स्थायी पेयजल के विशाल स्रोत में बदलने हेतु नर्मदा जल को भी जवाई बांध तक लाये जाने की कार्यवाही अमल में लायी जावे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री मेवाराम जैन।

बाड़मेर विधान सभा में पंचायत मुख्यालय पर माध्यमिक विद्यालय खोलना

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 295 के तहत बाड़मेर विधान सभा में पंचायत मुख्यालय पर माध्यमिक विद्यालय खोलने के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख के जरिए निवेदन करना चाहता हूं।

(श्री मेवाराम जैन)

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान अत्यन्त जनहित के मुद्दे पर आकृष्ट करना चाहता हूं। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी बजट में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पंचायत में माध्यमिक विद्यालय खोलने की घोषणा की है। मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती सरकार ने राजनीतिक विद्वेष रखते हुए काफी पंचायतों में पंचायत मुख्यालय को छोड़ करके अन्य स्थानों पर माध्यमिक विद्यालय खुलवाये जिसकी वजह से पंचायत मुख्यालय वंचित हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि इस बजट में मेरे विधान सभा क्षेत्र, बाड़मेर में ग्राम पंचायत उण्डखा, भूरटिया, शिवकर जो मुख्यालय सैकण्डरी से वंचित हैं, मेरा माननीय शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन है कि इन वंचित पंचायत मुख्यालयों पर माध्यमिक विद्यालय इस बजट में खुलवाने की घोषणा करने की कृपा करावें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री कालीचरण सराफ।

लालकोठी योजना कच्ची बस्ती के वर्ष 1981-82 में आबंटित भू-खण्डों की लीज डीड पट्टे जारी करना

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र, वार्ड नम्बर-16 की लालकोठी योजना कच्ची बस्ती के वर्ष 1981-82 में आबंटित भू-खण्डों की लीज डीड पट्टे जारी करने बाबत विशेष उल्लेख के जरिए निवेदन करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के जरिए मैं राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि मालवीय नगर विधान सभा क्षेत्र के वार्ड नम्बर-16 की लालकोठी क्षेत्र स्थित कच्ची बस्ती निवासियों को राज्य सरकार ने भू-खण्ड आबंटित किये जाने के सम्बन्ध में प्रदेश स्तर पर सुव्यवस्थित ढंग से बसाने के लिए लालकोठी क्षेत्र की निम्न कच्ची बस्तियों को बसाने का निर्णय लिया था :-

(1) लालकोठी मुख्य कच्ची बस्ती

(2) लाखा जी की ढाणी

(3) मालियों की ढाणी

(4) मोटर गैराज के पीछे वर्मा शैल स्थित बस्ती

(श्री कालीचरण सराफ)

उक्त कच्ची बस्ती के निवासियों को दिनांक 21.08.1971 के सर्वे वालों को 110 वर्ग गज का भू-खण्ड और दिनांक 01.01.1981 तक के सर्वे वालों को 50 वर्ग गज के भू-खण्ड का आबंटन राज्य सरकार के आदेश क्रमांक : प-7(78)नविआ/4/79 दिनांक 21.01.1982 के अनुसार 10 रुपये प्रति वर्ग गज एवं 5 रुपये प्रति वर्ग गज के अनुसार कीमत पर कर दिया गया था। इन आदेशों की पालना में लालकोठी कच्ची बस्ती निवासियों को प्राधिकरण द्वारा वर्ष 1981-82 में लाटरी द्वारा भू-खण्ड आबंटित कर दिये गये एवं आबंटन पत्र जारी कर निर्धारित राशि की मांग की गयी थी। निर्धारित समय में सभी आबंटित भू-खण्ड धारियों ने राशि जमा करवा दी एवं नियमानुसार सभी ने अपना-अपना कब्जा प्राप्त कर आबंटित भू-खण्ड पर निर्माण करवा लिया। आज एक भी भू-खण्ड बस्ती में खाली नहीं है, आबंटित सभी भू-खण्डों का निर्माण पूर्ण है। जहां तक उक्त कच्ची बस्ती के भू-खण्डों की लीज राशि लिये जाने का प्रश्न है, इस सम्बन्ध में राज्य सरकार के निर्देशानुसार वार्षिक शहरी जमाबन्दी की राशि भी मय ब्याज के जयपुर विकास प्राधिकरण में जमा करवा दी थी। इस कार्य हेतु वर्ष 1999 में नेहरू बाल उद्यान में जयपुर विकास प्राधिकरण द्वारा शिविर लगा कर राशि जमा की गई एवं 99 वर्ष के लिये मुक्ति प्रमाण पत्र भी जारी कर दिये गये थे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्ष 2003-04 में पुनः उक्त नियमों के तहत 50 वर्ग गज तथा 110 वर्ग गज वालों को भी पट्टे जारी किये गये परन्तु बस्ती के कुछ भू-खण्डधारी अपरिहार्य कारणों से पट्टे नहीं ले सके। पट्टों से वंचित भू-खण्डधारी जयपुर विकास प्राधिकरण के कार्यालय में चक्कर लगा रहे हैं लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं किया जा रहा है बल्कि उक्त कच्ची बस्ती को लालकोठी योजना में मान कर दिनांक 06.12.2001 के आदेश का हवाला देकर राज्य सरकार से मार्ग दर्शन मांगा जा रहा है जबकि लालकोठी योजना इस पुनर्वास योजना से बिलकुल अलग है। जयपुर विकास प्राधिकरण के सम्बन्धित जोन अधिकारियों द्वारा 06.12.2001 के आदेश की आड़ में कच्ची बस्तियों को आबंटित भू-खण्डों के पट्टे जारी करने के लिए अधिक राशि की मांग की जा रही है। यह अनुचित ही नहीं, गैर कानूनी भी है।

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए मैं राज्य सरकार से अनुरोध करना चाहता हूं कि इस सम्बन्ध में जयपुर विकास प्राधिकरण को

(श्री कालीचरण सराफ)

उक्त बस्ती के वंचित भू-खण्डधारियों को पूर्व निर्धारित नियमों के तहत पट्टे जारी करने हेतु आदेश प्रदान करें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री पदमाराम। नहीं हैं?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): खड़े हो गये, साहब। इधर-इधर ही नहीं, उधर भी देखें।

श्री अध्यक्ष: मैं तो इधर ज्यादा ध्यान रखता हूं, आपके अधिकारों की रक्षा के लिये।

चौहटन विधान सभा क्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्र की शिक्षा सम्बन्धी कठिनाइयां

श्री पदमाराम (चौहटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 295 के तहत आपका ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र चौहटन के सीमावर्ती क्षेत्र की शिक्षा से सम्बन्धित कठिनाइयों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा विधान सभा क्षेत्र पाकिस्तान की अन्तरराष्ट्रीय सीमा पर पड़ता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में अनुसूचित जाति एवं जनजाति व अल्पसंख्यकों की लगभग 50 प्रतिशत आबादी है। यह वर्ग अत्यन्त ही गरीब एवं पिछड़े हैं। इनके विकास के लिए जगह-जगह प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालय खोले जावें। यहां पर आबादी बिखरी हुई है, लोग दूर-दराज की ढाणियों में रहते हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र में सीनियर सैकण्डरी स्कूलों की संख्या बहुत कम है। सैकण्डरी स्कूल भी बहुत कम हैं, जो स्कूल यहां पर हैं इनमें अध्यापकों की कमी है। सरकार द्वारा खोली गई राजीव गांधी पाठशालाओं में अध्यापकों के अधिकतर पद रिक्त पड़े हैं अतः इनको अतिशीघ्र भरने की कृपा करें। अध्यापकों व स्कूलों की कमी के कारण यहां पर शिक्षा का स्तर बिलकुल निम्न है। यहां के लोग गरीब होने के कारण बालक-बालिकाओं को घर से बाहर अध्ययन के लिए नहीं भेज सकते। इसलिए मरूस्थलीय एवं सीमावर्ती क्षेत्र को मध्यनजर रखते हुए अधिक से अधिक कन्या विद्यालय खोले जावें। प्रत्येक पंचायत में माध्यमिक विद्यालय एवं प्रत्येक दो पंचायत पर एक सीनियर सैकण्डरी स्कूल खोली जावे।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद

(श्री पदमाराम)

देना चाहूंगा कि उन्होंने इस बजट में प्रत्येक पंचायत में एक सैकण्डरी स्कूल खोलना प्रस्तावित किया है। मेरा निवेदन है कि ग्राम पंचायत बाखासर में 1969 से यहां पर सैकण्डरी विद्यालय हैं जिसमें लगभग 700 छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं। अतः इसे उच्च माध्यमिक विद्यालय में क्रमोन्नत किया जावे। यहां पर एस.टी., एस.सी. के छात्र-छात्राओं में शिक्षा के विकास के लिए अधिक से अधिक छात्रावास खोले जावें एवं वर्तमान में जो छात्रावास समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित हैं उनमें सीटें बढ़ायी जावें। मेरे विधान सभा क्षेत्र में भील, कोली, रैवारी, मेघवाल एवं सिन्धी मुसलमान अत्यन्त गरीब एवं पिछड़े हुए हैं। इन कोमों के विकास के लिए इनके बाहुल्य वाले क्षेत्रों में अधिक से अधिक छात्रावास खोले जावें। लगातार अकाल पड़ने के कारण यहां के लोग रोजगार के लिए अन्य स्थान पर पलायन करते हैं। इस कारण इनके बच्चों की शिक्षा नहीं हो पाती।

अतः इनके लिए अधिक से अधिक छात्रावास एवं विद्यालय खोलने से इनका शैक्षणिक पिछड़ापन दूर हो पायेगा एवं शिक्षा के प्रति इनका जुड़ाव होगा। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री रूपाराम डूडी।

नागौर पेयजल लिफ्ट योजना-फेज द्वितीय इंदिरा गांधी नहर से क्रियान्वयन

श्री रूपाराम डूडी (डीडवाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं संचालन के नियमों के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन है कि वर्तमान में नागौर जिले में करीब 11 कस्बे एवं 1400 गांवों में क्षेत्रीय जल योजना के माध्यम से पूर्ति होती है जिसकी वर्तमान स्थिति में पानी की टी.डी.एस. 45.30 प्रतिशत, नाइट्रेट 62.71 प्रतिशत, अधिकतम सी.एल. 20 प्रतिशत एवं एफ.एल. 57.40 प्रतिशत है जो कि पानी पीने के योग्य नहीं है फिर भी नागौर की जनता वर्षो से मजबूरीवश इस पानी को पी रही है। माननीय मुख्य मंत्री, अशोक गहलोत साहब के नेतृत्व में गत कांग्रेस सरकार ने नागौर जिले में पेयजल समस्या की विकटता को देखते हुए इंदिरा गांधी नहर से नागौर पेयजल लिफ्ट योजना तैयार करवायी जिसे गत भा.ज.पा. सरकार ने चार वर्षों तक ठंडे बस्ते में डाले रखा। जब भा.ज.पा. सरकार का मात्र एक वर्ष का शासन शेष रहा तो उक्त योजना के

(श्री रूपाराम डूडी)

फेज प्रथम की वित्तीय स्वीकृति जारी कर निविदा की कार्यवाही की गई परन्तु भौतिक रूप से फेज प्रथम का कार्य भी निर्धारित कलेण्डर अनुसार पूर्ण नहीं हो पा रहा है। एवं पेयजल योजना फेज द्वितीय, जिसमें 6 कस्बे, डीडवाना, लाडनूं, कुचामन, जायल, मकराना एवं परबतसर एवं 875 गांव की योजना में सम्मिलित होने हैं, जिसका सर्वे एवं निविदा प्रक्रिया 2007 में की जानी थी जो अभी तक भी मूर्त रूप नहीं ले पा रही है। अतः नागौर लिफ्ट पेयजल योजना फेज प्रथम का कार्य पूर्ण कराते हुए फेज द्वितीय का इसी वित्तीय बजट में प्रावधान रख कर सर्वे एवं निविदा प्रक्रिया का कार्य करवाने की कृपा करावें ताकि नागौर जिले के 6 कस्बों एवं 875 गांवों को शुद्ध एवं स्वच्छ पेयजल उपलब्ध हो सके। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री गोपाल मीणा।

चैनपुरा स्थित कारकस प्लांट के प्रदूषण से उत्पन्न स्थिति

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 295 के तहत मैं राज्य सरकार एवं माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी का ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में ग्राम चैनपुरा के पास स्थित कारकस प्लांट के प्रदूषण के कारण आम जनता में व्याप्त आक्रोश की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। उक्त प्लांट की गंदगी की वजह से ग्राम चैनपुरा सहित लगभग दस बारह गांवों में बहुत ही गंदी बदबू फैल रही है। आसपास के लोगों का वहां पर रहना बहुत ही कठिन और मुश्किल हो गया है। आम जन का वहां से निकलना दूभर हो गया है, लोगों में बीमारियां फैल रही हैं। लोग उक्त प्लांट की इस गंदी बदबू के कारण अपने मकान से बाहर निकल कर खेतों में काम करने में भी असहाय महसूस कर रहे हैं। क्षेत्र आम लोगों द्वारा तथा मेरे द्वारा बार स्थानीय अधिकारियों व प्रशासन को आग्रह करने के बावजूद इस समस्या का स्थायी समाधान नहीं होने से आम नागरिकों में भारी आक्रोश व्याप्त है, कभी भी कोई गम्भीर घटना वहां पर घटित हो सकती है। हालात यह है कि मेरे क्षेत्र से हजारों लोग प्रतिदिन जयपुर शहर में आते हैं और जाते हैं, उन लोगों का शहर में आने के लिए और वहां से गुजरना एक बहुत बड़ी समस्या उक्त प्लांट के प्रदूषण की वजह से वहां उत्पन्न हो गयी है। यह प्लांट मैन रोड पर स्थित होने के कारण यहां से गुजरने वाले आम राहगीरों के लिए भी परेशानी का

(श्री गोपाल मीणा)

सबब बन चुका है। इस प्लांट के पास ही आर.ए.सी. बटालियन का क्षेत्र है। वहां पर आर.ए.सी. बटालियन के जवानों एवं उनके परिवारों के रहने के लिए क्वार्टर बनाये गये हैं। उक्त प्लांट की गंदी बदबू के कारण उनका वहां पर रहना दूभर हो गया है।

अतः उपरोक्त सभी परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मेरी इस लोक कल्याणकारी एवं संवेदनशील राज्य सरकार से एवं माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी से पुरजोर शब्दों में मांग है कि मेरे क्षेत्र में उक्त प्लांट को तत्काल बंद कराने का जनहितकारी कार्य तुरन्त प्रभाव से किये जाने के आदेश आज ही जारी करने की कृपा करावें। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती कमला कस्वां।

सादुलपुर में व्याप्त पीने के पानी की भयंकर समस्या

श्रीमती कमला कस्वां (सादुलपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान विधान सभा क्षेत्र सादुलपुर में व्याप्त पीने के पानी की विकट समस्या की ओर दिलाना चाहती हूं। सादुलपुर विधान सभा क्षेत्र में समस्त भू भाग डार्क जोन में आता है, जहां भू जल खारा है, जो पीने योग्य नहीं है। करीब चालीस वर्ष पहले चांदगोठी के ट्यूबवैल के जरिये जलापूर्ति की योजना बनाई गई थी जो आज मृत प्रायः अवस्था में है। इस योजना के ट्यूबवैल निरन्तर बन्द होते जा रहे हैं। नये ट्यूबवैल का जलस्तर काफी नीचे है, जो शीघ्र ही खतम होने को है। अन्य क्षेत्रीय योजनाएं भी क्षेत्र की पानी की पूर्ति में सक्षम नहीं हैं। इस भंयकर गर्मी में लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं। मेरे क्षेत्र की इस समस्या के निराकरण हेतु तत्कालीन मुख्य मंत्री महोदया ने पौने चार सौ करोड़ की बूंगी राजगढ़ जल प्रदाय योजना स्वीकृत कर शिलान्यास किया व वित्तीय स्वीकृति जारी कर दी थी लेकिन राजगढ़ क्षेत्र की यह जीवनदायनी योजना वर्तमान सरकार ने रोक दी है। जनता को राहत मिलने में विलम्ब हो रहा है। पूरा क्षेत्र त्रस्त है। मैं आपके माध्यम से माननीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्रीजी से अनुरोध करती हूं कि तुरन्त इस योजना का कार्य आरम्भ किया जाये ताकि मेरे क्षेत्र की जनता की पेयजल की समस्या का समाधान हो सके।

श्री अध्यक्ष: डाक्टर जसवन्त सिंह यादव।

जिन्दोली घाटी सड़क की सुरंग पर अवैध अतिक्रमण

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत जिन्दोली घाटी सड़क की सुरंग के दोनों तरफ अतिक्रमण के सम्बन्ध में निवेदन है कि ग्राम जिन्दोली की घाटी में सुविधा के लिए मुण्डावर अलवर सुरंग का निर्माण पहाड़ को काटकर किया और आवागमन में बहुत ही सुविधा हुई। लेकिन प्रशासन से मिलकर लोगों ने घाटी की सड़क के दोनों तरफ अवैध कब्जा कर लिया और अवैध कब्जों में खनन कार्य पहाड़ से शुरु कर दिया इससे घाटी की सुरंग को खतरा हो गया है। जिस तरह अवैध खनन करने के लिए लोगों द्वारा विस्फोट किया जा रहा है और पहाड़ पर अवैध कब्जे हो रहे हैं। इससे कभी भी सुरंग गिर सकती है और बहुत ही बड़ी दुर्घटना हो सकती है।

अतः आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि सुरंग की सड़क के दोनों तरफ से अवैध कब्जे को हटाया जाये और अवैध खनन एवं विस्फोट कार्य बंद कराये जाएं जिससे घाटी में बनी सुरंग को बचाया जा सके।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह जिन्दोली की घाटी का जो प्रकरण है यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको लाइटली नहीं लिया जाए। सरकार के नोटिस में डाला जाए, बड़ा खतरा हो जाएगा अगर कोई हादसा हो गया तो। वहां पर जो सुरंग बनी है उस सुरंग में हर साल दो सैकिण्ड बाद एक गाड़ी निकलती है । कोई हादसा न हो जाए यह बहुत सीरियस बात है। माननीय सदस्य ने सरकार का ध्यान आकर्षित किया है।

श्री अध्यक्ष: सीरियस बात कर दी ना उन्होंने।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): सरकार के नोटिस में डाल दो।

श्री अध्यक्ष: सरकार के नोटिस में चली गयी। माननीय सदस्य आपका कहा हुआ और बाकी बचेगा कहीं? श्री रविन्द्र सिंह बोहरा।

धौलपुर शहर की मंडी समिति से सटी कालोनी में पानी भरने बाबत

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख । निवेदन है कि धौलपुर शहर की कृषि उपज मंडी समिति से सटी श्याम कालोनी में वर्षा से कालोनी में बसे अनेक रिहायशी मकानों में पानी भर गया। कालोनी के निवासियों ने जिला कलक्टर एवं नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी से तुरन्त पानी की निकासी हेतु आवेदन

(श्री रवीन्द्र सिंह बोहरा)

किया। जिला कलक्टर ने नगरपालिका को आदेश दिया कि कृषि उपज मंडी की दीवार तोड़कर एक घंटे में पानी निकालें और यह भी आदेश दिया कि इस पानी के स्थायी निकास हेतु एक पक्की नाली बनाकर कृषि उपज मंडी के पक्के नाले में जोड़ी जाए। कलक्टर के आदेश पर नगरपालिका के सफाई कर्मचारियों ने मौके पर जाकर पानी निकासी हेतु जब कृषि उपज मंडी की दीवार तोड़ रहे थे तो एक व्यक्ति अपनी पिस्तौल चलाकर सफाई मजदूरों को अश्लील गालियां देकर उन्हें दीवार तोड़ने व पानी निकासी करने से रोकने लगा। इस पर नगरपालिका ने एक एफ आई आर नम्बर 287 दिनांक 13.7.2009 इस व्यक्ति एवं अन्य जो उसके साथ के खिलाफ धारा 332, 353, 379, 504 आई पी सी व 3 1(10)एससी/सीटी एक्ट के अन्तर्गत थाना निहालगंज धौलपुर में करवाई गई।

बहुत दुःख की बात है कि इस एफ.आई.आर. में अंकित मुलजिमों के खिलाफ अभी तक कोई कार्यवाही पुलिस द्वारा नहीं की गई और ना ही कलक्टर के आदेशों की पालना नगरपालिका एवं कृषि उपज मंडी द्वारा की जा रही है और गरीबों के मकानों में पुनः वर्षा का जल भरा हुआ है।

अतः मेरा अनुरोध है कि माननीय गृह मंत्री एवं नगरीय विकास मंत्री तुरन्त हस्तक्षेप कर दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करें व कालोनी का अवशिष्ट पानी निकालने का आदेश नगरपालिका धौलपुर को दें।

श्री अध्यक्ष: श्री ज्ञानदेव आहूजा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): मेरे 5 स्थगन, 3 ध्यानाकर्षण ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: इनमें तो पढ़ने की अनुमति होती है। माननीय सदस्य इतने सीनियर सदस्य हैं ...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): पढ़ रहा हूं वह तो पढ़ रहा हूं। आप कृपा नहीं कर रहे, किस बात से नाराज हैं पिछले जन्म के मैं तो इतना ही कह रहा था।

श्री अध्यक्ष: आप तो पढ़ें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): मैं पढ़ रहा हूं। (व्यवधान)

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

गोविन्दगढ़ के राजकीय महाविद्यालय की सुचारु व्यवस्था

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख। मेरे विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ के कस्बा गोविन्दगढ़ के राजकीय महाविद्यालय की सुचारू व्यवस्था के क्रम में।

महोदय, उपरोक्तिविषयान्तर्गत विनम्र निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में गोविन्दगढ़ कस्बे में पिछले 12 वर्ष से राजकीय महाविद्यालय चल रहा है, जो माननीय भैरोंसिंह शेखावत के समय 1997 में प्रारम्भ हुआ था। आज तक अव्यवस्था का शिकार है, जैसे राजकीय महाविद्यालय हो ही नहीं। सरकार की पूरी तरह से उपेक्षा का शिकार यह महाविद्यालय विद्यार्थियों की अध्ययन प्रणाली पर भी काफी असर डाल रहा है। वातावरण ठीक नहीं होने के कारण क्षेत्रवासियों के मन पर एवं महाविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों के मन पर काफी दुष्प्रभाव पड़ रहा है।

रामगढ़ क्षेत्र के साथ लगे नगर विधान सभा क्षेत्र के कस्बा सीकरी गोपालगढ़, कस्बा पहाड़ी कामां, नगर तक के विद्यार्थी वहां पढ़ने आते हैं, इन कस्बों से सम्बद्ध लगभग 300 गांव, ढाणी स्वयं गोविन्दगढ़ के आसपास के 100 गांव, ढाणी के विद्यार्थी भी यहां पढ़ने आते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 295 के अन्तर्गत माननीय उच्च शिक्षा मंत्री का ध्यान इस ओर विशेष रूप से आकर्षित करना चाहता हूं कि इस महाविद्यालय की नयी बिल्डिंग बनकर तैयार है, किन्तु अपूर्ण व्यवस्थाओं जैसे- इस बिल्डिंग में-

नं. 1 लैटरीन, बाथरूम नहीं है।

नं. 2 बिजली-पानी के कनेक्शन नहीं हैं।

नं. 3 बाउण्ड्रीवाल है पर कई जगह से टूटी फूटी है।

नं. 4 कालेज के मैदान में बीचों बीच कई गड्ढे हैं।

आश्चर्य तो यह है कि यह महाविद्यालय पिछले 12 वर्ष से सीनियर छात्र विद्यालय के हिस्से के कमरों में चल रहा है, संचालित है और तो शिक्षा की दृष्टि से भी काफी न्यूनतम है। इंग्लिश, हिन्दी और पालिटिकल साइंस के व्याख्याता नहीं हैं। एक एल.डी.सी. का स्थान रिक्त है। एक पी टी आई का स्थान रिक्त, दो चपरासी के स्थान रिक्त हैं, अकाउंटेंट नहीं है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से उच्च शिक्षा मंत्री को

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

पुनः-पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि कृपा कर इन भारी अव्यवस्थाओं को दूर कर महाविद्यालय को नयी बिल्डिंग में शिफ्ट कर शिक्षा का अनुकूल वातावरण बनाया जावे। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: बहुत-बहुत धन्यवाद।

आज दिनांक 23 जुलाई, 2009 को शून्यकाल में बोलने हेतु 26 पर्चियां प्राप्त हुई हैं जिनमें से शलाका द्वारा 4 पर्चियां निकाली गयी हैं जो निम्नांकित हैं :-

(1) श्री पेमाराम, धोद से सीकर तक तथा खूड़ से बाड़लवास की सड़क को चौड़ा करने तथा मरम्मत कराने के सम्बन्ध में।

(2) श्रीमती अनिता भदेल, सूचना केन्द्र के उपयोग पर रंगकर्मी कलाकारों से शुल्क वसूली के सम्बन्ध में।

(3) श्री रामनारायण मीणा, पटवारियों के अभाव में राजस्व एवं पिलाई वसूली की दयनीय स्थिति पर किसानों की अनदेखी के सम्बन्ध में।

(4) श्रीमती संजना आगरी, विधान सभा क्षेत्र सोजत व पाली से सोजत जैतारण पाइप लाइन बिछाने के सम्बन्ध में।

श्री पेमाराम।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

धोद से सीकर तथा खूड़ से बाड़लवास की सड़क विषयक

श्री पेमाराम (धोद): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं इस पर्ची के मार्फत धोद विधान सभा क्षेत्र का ऐसा मुद्दा उठाना चाह रहा हूं, सरकारें आती हैं और चली जाती हैं लेकिन जहां तक विकास का सवाल है, हिस्से का सवाल है निश्चित तौर पर सरकार कांग्रेस की भी आयी है, अब है। बीच में भारतीय जनता पार्टी की भी आयी, अब गयी लेकिन धोद विधान सभा क्षेत्र की उस जनता के साथ कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, दोनों पार्टियों की सरकारों ने जिस प्रकार से अन्याय किया, जनता को धोखा देने का काम किया, जनता को गुमराह करने का काम किया। उसका परिणाम यह है कि सीकर से लेकर धोद तक जो 20 किलोमीटर सड़क है यह डीडवाना जाती है और लगभग 50 गांवों को प्रभावित करती है, 50,000 से ज्यादा आम आवाम के काम में आती है और जो उनका नार्म्स पी.सी.यू. बना रखा है वह 9531 है। कायदे के मुताबिक

(श्री पेमाराम)

8,000 पी.सी.यू. से ऊपर होने वाली सड़क को सी.आर.एफ. में मंजूर करवा कर वहां की जनता को सुख-सुविधाएं उपलब्ध करवायी जाती हैं। ज्यादा होने के बावजूद भी जानबूझ करके रोका गया। और माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिये रोका गया कि धोद की जनता ने न कांग्रेस को वोट दिया, न भारतीय जनता पार्टी को दिया ...

(समय 13.26 बजे)

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

सन् 1993 से लेकर आज तक लगातार कम्युनिस्ट पाटी मार्क्सवादी को वोट देती रही है और यही कारण है कि कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, नार्म्स में आने के बावजूद भेदभाव करके उस सड़क को नहीं बनवा पा रहे हैं, न चौड़ा करवा पा रहे हैं। और उसका परिणाम यह है कि आये दिन न्यूनतम एक दुर्घटना होती है, एक आदमी को अस्पताल में भर्ती होना पड़ता है। वह किसी के जीव को रोता है तो इन सरकारों के जीव को रोता है कि पूरे नार्म्स में आने के बावजूद भी डामर की सड़क को चौड़ा करने में जो भेदभाव किया जा रहा है वह सरकार की लापरवाही है।

अभी सरकार ने ऐसा गोलमटोल जवाब देकर कहा कि सिंगल सड़क है, चलने वाली है। माननीय सभापति महोदय, मेरी चुनौती है कि कोई भी मंत्री यहां से मेरे साथ चले उस सड़क में सामने से कोई वाहन आ रहा है उसके बाद में डेढ़ फुट नीचे खड्डे में कोई गाड़ी उतार कर मुझे बता दे तो मेरी चुनौती है सरकार को यह गलत जवाब, असत्य जवाब जनता और सदन को गुमराह करने का भेज रहे हैं मैं समझता हूं कि सरकार इस बारे में विचार करेगी।

इनके जो नार्म्स का मतलब पी.सी.यू. 8,000 है, यह सड़क 8,000 को पार कर रही है। जो डीडवाना तक यह सड़क पार होती है इसे सी.आर.एफ. में मंजूर करवा कर उस इलाके की जनता को सुविधा दिलायेंगे। सभापति महोदय, सीकर से धोद जाने वाली सड़क में खूड़ से बाड़लवास बीच में एक टुकड़ा है और वह भी कोई लम्बा चौड़ा टुकड़ा नहीं है, यह 7 किलोमीटर का टुकड़ा है। बाड़लवास से लेकर खूड़ के बीच में यह सड़क सीकर से रवाना होती है आगे जोधपुर, पाली तक जाती है, यही सड़क दांतारामगढ़, नावां तक जाती है। लेकिन इसी राजनीतिक भेदभाव के कारण वहां भी आमने और सामने से

(श्री पेमाराम)

आने की वजह से पिछले एक साल में यह सड़क संकड़ी होने की वजह से साइड में एक-एक, डेढ़-डेढ़, दो-दो फुट के खड्डे होने की वजह से एक दर्जन मौतें हो गयीं। उसके लिये जिम्मेदार कोई है तो राजस्थान की सरकार जिम्मेदार है। इलाके की जनता मांग करती है कि सीकर से धोद और बाड़लवास से खूड़ सड़क, माननीय सभापति महोदय, नार्म्स की बात करें सी.आर.एफ. में जो नार्म्स हैं वह 8,000 से ऊपर की सड़क का है। इनके अधिकारियों को यह भी पता नहीं है कि बाड़लवास से खूड सड़क का पी सी यू 29,468 है। नार्म्स से कई गुणा, चार गुणा ज्यादा होने के बावजूद भी यह संवेदनशीलता का दम भरने वाली सरकार से निवेदन करना चाहूंगा धोद क्षेत्र की जनता की तरफ से कि तमाम नार्म्स पूरे होने के बावजूद भी उन सड़कों को चौड़ा करने का जो प्रस्ताव है वह सी.आर.एफ. में भेजा जाए और इसको मंजूर करवा कर वहां की जनता को बाकी राजस्थान में प्राप्त होने वाली सुख सुविधाएं देने का काम करें। वरना निश्चित तौर पर, क्योंकि राजनीतिक भेदभाव करेंगे तो धोद की जनता की तरफ से चुनौती देता हूं चाहे आप लाख राजनीतिक भेदभाव कर लें धोद की जनता ने आपको भी नकारा है, आपको भी नकारा है और चुनौती है आने वाले टाइम में किसी भी कीमत पर धोद की जनता न इनको बढ़ने देगी, न आपको बढ़ने देगी। इसलिये मेरा निवेदन है कि नार्म्स पूरे करने के बावजूद जो अधिकारी गलत जवाब देता है, मिस गाइड करता है उन्हें सस्पैंड किया जाये और इन दोनों सड़कों को सीकर से धोद और बादलवास से खूड़ की सड़क को चौड़ा भी किया जाये और उनके साइड़ों के जो खड्डे हैं उन्हें भी भरवाया जाये। अभी जो टूटी-फूटी हालत में हैं उन्हें भी ठीक करवाया जाये।

सभापति महोदय, धोद विधान सभा क्षेत्र कोई पाकिस्तान का इलाका नहीं है। धोद विधान सभा क्षेत्र इसी राजस्थान का हिस्सा है और राजस्थान के हिस्से का दो सौं वा हिस्सा बिना राजनीतिक पक्षपात किये धौद की जनता को मिलना चाहिए। मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आप इस संवेदनशील सरकार को निर्देशित करेंगे, पाबंद करेंगे कि ऐसे गलत जवाब देने वाले अधिकारियों को तुरन्त प्रभाव से सस्पैंड किया जाये और इन दोनों सड़कों को चौड़ा करवाकर जनता को सुख-सुविधाएं दिलाई जायें, यही कहते हुए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती अनिता भदेल।

सूचना केन्द्र के उपयोग पर रंगकर्मी कलाकारों से शुल्क वसूली

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं सरकार का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगी कि हमारे जितने भी सूचना केन्द्र हैं और उनके तहत जितने भी सभागार, रंगमंच, दीर्घाएं या ऑडिटोरियम हैं, उन सभी सभागारों में एक छोटा कलाकार जो उस कला को जिंदा रखने के लिए अपने पेट को बांधकर भी उस कला के लिए जीता है और उस कला के लिए मरता है और उस कला को जिंदा रखने का काम करता है। ऐसा कलाकार जब कभी उन सूचना केन्द्रों में जाता है, उन सभागारों में अपनी कला का प्रदर्शन करता है, लोगों को भी उन कलाओं को देखने का अवसर मिलता है और वह हमारी जो सांस्कृतिक धरोहर है, जो हमारी कला है वह भी जिंदा रहती है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यानाकर्षित करना चाहूंगी कि इस सरकार ने उन कलाकारों को मारने का काम किया है सूचना केन्द्रों में और इन सभागारों पर शुल्क रोपित करके, आपके शासन उप सचिव, सूचना और जन सम्पर्क विभाग उन्होंने 26.02.2009 को एक आदेश निकाला और उसके तहत एक दिन का शुल्क चार हजार रुपये रखा गया है और उस दिन के लिए भी मैग्सिमम 6 घंटे उनको अलाऊ किया गया है तो ऐसे रंगकर्मी, चित्रकार और जो वहां पर नृत्य नाटिकाएं और काव्य गोष्ठियां करते है, नृत्य की कलाओं की माध्यम से, शास्त्रीय संगीत को सिखाने के लिए जो छोटे-छोटे कलाकार अपनी नि:शुल्क सेवाएं देते हैं और वहां छोटे-छोटे बच्चों को सिखाने का काम करते हैं ताकि हमारी कला और संस्कृति जिंदा रह सकें, उनको हम आगे बढ़ा सकें। ऐसे कलाकारों के पास पैसा नहीं होता है कि वह खर्च कर सकें और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको सौभाग्य भी नहीं मिलता है कि वह उस प्रतिष्ठा के शिखर पर जा सकें जहां से सब लोग उनको देख सकते हैं या उनकी कलाओं को स्पोंसर करते हों।

सभापति महोदय, ऐसे छोटे-छोटे कलाकारों के लिए जो शुल्क लगाया है उसको समाप्त करें। आपने एक बात उसके साथ रखी है कि सफाई और बिजली के लिए, मैं भी इस बात को स्वीकार करती हूं कि उन सभागारों की सफाई होनी चाहिए, बिजली पर जो खर्च होना है वह कलाकार देने के लिए तैयार हैं। अजमेर में रोज संस्थाएं प्रदर्शन कर रही हैं, धरना दे रही हैं, ज्ञापन दे रही हैं, मैं आपको उल्लेख करना चाहूंगी सुर श्रृंगार संस्था जिनके संस्थापक

(श्रीमती अनिता भदेल)

और अध्यक्ष नवीन सोगानीजी हैं, आधुनिक नाट्य कला संस्थान के अध्यक्ष लाखन सिंहजी, गंधर्व महाविद्यालय के अध्यक्ष आनंद सिंहजी, आप और हम संस्था के अध्यक्ष विष्णु अवतार भार्गवजी, सपना संस्था के अध्यक्ष नरेन्द्र भारद्वाज, शब्द संस्था के रासबिहारीजी, आकार ग्रुप के लक्षपाल सिंह सिंह जिन्होंने बहुत बड़ी-बड़ी चित्रकलाओं की प्रदर्शनी यहां जवाहर कला केन्द्र में भी की हैं वहां उनको प्रतिदिन मात्र सौ रुपये देना होता है जबकि अजमेर शहर में जो कि बहुत छोटा शहर है वहां चार हजार रुपये शुल्क लगाया गया है। विविधा की संस्थापक वंदना चक्रवर्तीजी और फागुन महोत्सव समारोह समिति और जो भी हमारे महापुरूषों की जन्म जयन्ती आती हैं उन पर कई लोग चित्रकला प्रदर्शनी के माध्यम से जीवन वृत्त को वहां प्रदर्शित करवाने के लिए, बालकों के लिए चित्रकला प्रदर्शनी आयोजित करते हैं और वह भी उस सभागार में होते हैं। ऐसे कई विद्यालय हैं जो मान्यता प्राप्त विद्यालय हैं या गैर सरकारी विद्यालय हैं, जिनके पास स्वयं के सभागार नहीं होते लेकिन वार्षिकोत्सव जब उनको करना होता है तो वह सूचना केन्द्र का सभागार ही चुनते हैं क्योंकि वह उनको निःशुल्क मिल जाता है। ऐसी सभी संस्थाएं और सभी कलाकार जो आज इस बात से बहुत ज्यादा पीड़ित हैं कि शुल्क रोपण करने से उनको अपनी कलाओं का ना तो प्रदर्शन करने का अवसर मिल रहा है ना ही कोई ऐसा स्थान अजमेर में उपलब्ध है जहां जो छोटे-छोटे बालक हैं उनको उस कला को सिखा सकें।

सभापति महोदय, मैं यह भी कहना चाहूंगी कि इन्हीं कलाकारों की मांग पर जब पूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धराजी अजमेर आयी थीं वहां सभागार के रिपेयर और मेंटिनेंस के लिए उन कलाकारों को अच्छा स्थान उपलब्ध हो सके, लाखों रुपये इस पर खर्च किये और नगर सुधार न्यास की ओर से जो दीर्घा है उसको भी रिपेयर और मेंटिनेंस का काम करवाया जा रहा है। सरकार के ऊपर कोई बोझ नहीं है, सफाई और बिजली का खर्च आप उनसे ले सकते हैं। सिर्फ आप एक स्थान उपलब्ध करा रहे हैं, कलाकार को आप इतना भी नहीं कर सकते हैं कि उनको एक स्थान उपलब्ध करा सकें जहां वह अपनी कला का प्रदर्शन कर सके।

सभापति महोदय, मेरा निवेदन है कि माननीय मंत्री महोदय इस पर जवाब दें और आज ही यह शुल्क कम करने की घोषणा इस सदन में करें ताकि वह कलाकार अपनी कला को जिंदा रख सकें।

श्री सभापति: श्री रामनारायण मीणा।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): सभापति महोदय, आप मंत्री महोदय को कहिये।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): आप 40 होने वाले हो, सब बीजेपी की सीटें ...(व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): सभापति महोदय, वह देने के लिए तैयार हैं, अपना जवाब देने के लिए तैयार हैं।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): तिवाड़ीजी नाराज हो जायेंगे ...(व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): वह कहना चाह रहे हैं, रामनारायणजी, एक सैकण्ड माननीय सदस्य।

श्री सभापति: विराजें माननीय सदस्य।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): वह कहना चाह रहे हैं ... (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें ...(व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): सभापति महोदय, वह अपना जवाब देना चाह रहे हैं।

श्री सभापति: विराजें माननीय सदस्य।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): वह कहना चाह रहे हैं, वह जवाब देना चाह रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजें माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): वह खुद जवाब देना चाहे रहे हैं, सभापति महोदय, जवाब देना चाह रहे हैं।

श्री सभापति: विराजें माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): आप बोलने दीजिये।

श्री सभापति: विराजें माननीय सदस्य।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (राज्य मंत्री, सूचना एवं जनसम्पर्क): आसन से अनुमति हो जाये तो ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): आसन दे रहा है ना ...(व्यवधान)

पटवारियों के अभाव में राजस्व एवं पिलाई वसूली विषयक

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): सभापति महोदय, यह सही है कि पिछली सरकार के जमाने में भले ही वह भारतीय जनता पार्टी की हो, बहुत से पद रिक्त रहे, आज भी शिक्षा मंत्रीजी आप विराजमान हैं, आप 50 हजार शिक्षक जब तक भर्ती नहीं करेंगे, निजी शिक्षण संस्थाएं चलेंगी और गरीब का नुकसान होगा। वह बच्चों को पढ़ा नहीं पाता इतनी फीस है। यही हालत दूसरे विभागों में है, यह सही है कि सभी नवयुवकों को रोजगार देने की बात करते हैं, फिर भर्ती क्यों नहीं की जाती है।

सभापति महोदय, भनौत कमेटी ने टोंक जिले में 28 पटवार मण्डल सृजित करने के लिए रिपोर्ट पेश की है, आज हालत यह है कि राजस्थान में शिक्षा विभाग ही नहीं, ऐसा कौनसा विभाग है जिसमें खाली पद छोड़कर के आप नहीं गये हैं, इसलिए नेता महोदय, भाषण आपने बहुत दिये, अभी भी बोल रहे थे, हम तो इसलिए नहीं बोलते क्योंकि आसन की निगाह सीधी रहती है और आपकी तिरछी रहती है इसलिए क्यों बखेड़ा खड़ा करें। यह वास्तविकता है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हम तो मंत्रिमण्डल में भी रिक्त स्थान करके गये थे, आप भर लेते उसको।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): मैं आपको सही बताता हूं, हम तो चाहते हैं कि आप कुर्सी पर आ जायें विरोध में भी तो हमारा भी फायदा हो क्योंकि आपसे कुछ बोल तो पायेंगे, इसलिए वह बात तो अलग है।

सभापति महोदय, मैं आपको अर्ज कर रहा हूं कि राजस्थान में आज की तारीख में 2414 पद राजस्व पटवारियों के खाली हैं और गिरदावर के 509 खाली हैं। माननीय मंत्रीजी बजट आया कि नहीं आया आप जानें, रोकर के लो, खुश होकर के लो, बजट तो लेना पड़ेगा, बिना बजट के काम नहीं चलेगा।

सभापति महोदय, मैं आपको एक अर्ज कर रहा हूं, बीसलपुर परियोजना क्षेत्र की हालत यह है कि वहां 256 गांव हैं और जल संसाधन मंत्री जी सिंचाई विभाग के मात्र 5 पटवारी हैं। आप बोलते तो बहुत मजबूत हो लेकिन 51 गांव में एक पटवारी है, मैं गया था बीसलपुर परियोजना क्षेत्र में, मैंने कहा कि यहां पटवारी कौन है, नक्शे मिले नहीं, मैंने कहा देखूं तो सही, गांव के गांव गायब, बीच का गांव छोड़ दिया, किसी नेता को वोट नहीं दिया तो।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): चुनाव लड़ने गये थे आप।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): मैं चुनाव लड़ने भी गया था और चुनाव का तो मुझे पता ही नहीं चला कि मैं एमएलए बन गया क्या? मैं तो सदन में कह रहा हूं, लेकिन बन गया क्योंकि कृपा हो गयी किन्हीं मित्रों की, तो 51 गांवों में एक पटवारी के पास...

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): इधर वालों की या उधर वालों की?

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): यह 40 आने की कोशिश कर रहे हैं, जीरो हो जायेंगे मुझसे बोलेंगे तो, हां, किसान के नाम पर जीतते हो और मैं भी वहीं का हूं।

सभापति महोदय, जो स्थिति बनी हुई है, क्या कारण है मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन किसान बहुत दुःखी है। हमारे मैन्युवल में लिखा है कि कोई घटना होगी तो गांव का सरकारी कर्मचारी उसकी सूचना तहसील में देगा, जिला कलक्टर को देगा। हादसा हो जाता है हमें पता चल जाता है। हम गांव में जाते हैं लेकिन सरकारी कर्मचारी काम नहीं करता क्योंकि वहां है ही नहीं सरकारी कर्मचारी, 51 गांवों में कैसे पता रखेगा पटवारी? तो आज जो स्थिति बनी है, मेरा आपसे अर्ज करना है कि इन पदों को नहीं भरा जाएगा तो मात्र कथनी और करनी, आप भी कहते-कहते चले गए। लेकिन हमने तो घोषणा-पत्र में भी कहा है कि लोगों को नौकरियां देंगे, तो देरी मत करो, आपकी भावना जब शुद्ध है, कांग्रेस की भावना शुद्ध है, हम लोगों की भावना शुद्ध है तो मेरा आपसे अर्ज करना है कि भनोत कमेटी की सिफारिशों को स्वीकार किया जाकर पटवारियों के पद जो सृजित हैं उन सब को मिलाकर नौकरियां दी जाएं। और राजस्व पटवारियों के मामले में तो मैं ज्यादा कहना नहीं चाहता, बहुत पद खाली हैं। मेरा आपसे यही अर्ज करना है कि वसूलियां नहीं हो रही हैं, फिर एक साथ किसानों की कुर्की आती है, आखिर किसको लगान और पिलाई वह देगा? आज बहुत से ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, सिंचाई विभाग के जिनकी वसूली नहीं हो रही है, वसूलियां इसलिए नहीं हो रहीं है कि पटवारी नहीं है और किसानों का फिर अखबारों में आता है, इतनी वसूली आती है, हम क्या करें, नहरों की मरम्मत नहीं हो पाती। इसलिए मेरा आपसे अर्ज करना है कि इसको मैं लम्बा नहीं करना चाहता, मैं तो यही कहना चाहता हूं कि जो परिस्थितियां हैं उनका आंकलन करे सरकार और आंकलन करके उसके बारे में पूर्ति करे, नवयुवकों को नौकरियां दे, पटवारियों को, मास्टरों को, सिंचाई विभाग में

(श्री रामनारायण मीणा)

नौकरियां दें क्योंकि इससे बड़ी खराब स्थिति नहीं हो सकती कि 51 गांवों में एक पटवारी हो। इसलिए मेरा आपसे अर्ज करना है कि इस बारे में सरकार गम्भीरता से ले और जल्दी निर्णय करे, नवयुवकों को नौकरियां दें ताकि किसानों का भी हित हो, प्रोजेक्ट्स भी ठीक ढंग से चल सकें और वसूलियां भी हो सके, यही मुझे अर्ज करना है, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती संजना आगरी।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति हो, यह बात सही है कि राजस्थान में 2414 पटवारियों के पद रिक्त हैं, 2414, इन्होंने भी यही कहा है, जो बात कही है वह सही है। उसमें से 1500 पटवारियों का आर.पी.एस.सी. से चयन हो चुका है और आर.पी.एस.सी. ने हमारे को वह सूची नहीं भेजी है। ज्यों ही आर.पी.एस.सी. से हमको 1500 पटवारियों की जो चयनित हो चुके हैं उनकी सूची मिल जाएगी तो उनको हम प्रशिक्षण दिलवाएंगे, 9 महीने की उनको ट्रेनिंग दिया जाना जरूरी है, जब 9 महीने का प्रशिक्षण पूरा हो जाएगा उसके बाद उनको हम फील्ड पोस्टिंग दे देंगे जिससे पटवारियों की यह कमी काफी हद तक हल हो जाएगी, यह मैं सदन को जानकारी देना चाहता हूं।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): आर.पी.एस.सी. से सलेक्ट हो गए, उसके बाद आर.पी.एस.सी. कोई ऊपर नहीं है राज्य सरकार से।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): मैंने आपको बताया कि आर.पी.एस.सी. से अभी तक हमको सूची प्राप्त नहीं हुई है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सलेक्ट हो गए तो आर.पी.एस.सी. राज्य सरकार से ऊपर नहीं है, जब सलेक्ट हो गए तो आपको लिस्ट क्यों नहीं दे रहे हैं?

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): हमको लिस्ट दे रहे हैं, दे देंगे हमको।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप जब तक दो वर्ष में उनको लगाएंगे तब तक दो हजार और पद रिक्त हो जाएंगे रिटायरमेंट होने से।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): यह गलती भारतीय जनता पार्टी ने की है, आर.पी.एस.सी. में मैम्बर ही नहीं है नियुक्तियां करके नहीं गए, आपने काम किया नहीं, वह कुछ कर रहे हैं मंत्रीजी, मेरा तो यह कहना है कि

(श्री रामनारायण मीणा)

लिस्टें जल्दी मंगवा लो। आर.पी.एस.सी. में मेम्बर नहीं, स्टाफ कम है, आप जल्दी मंगवाएं।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): यह जो भर्तियां हुई हैं वह बी.जे.पी. सरकार की देन है। यह हमारे टाइम में हुई है, आप सिर्फ उनकी पोस्टिंग करने जा रहे हैं।

श्री सभापति: श्रीमती संजना आगरी।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): पोस्टिंग तो किसी की भी सरकार हो, करनी पड़ेगी। आप पोस्टिंग दे देते तो यह नौबत ही नहीं आती। (व्यवधान) आपने कुछ नहीं किया, हम कुछ कर रहे हैं उसको आप पसन्द नहीं कर रहे हैं तो कम से कम जो कर रहे हैं उसको तो आप एप्रिशिएट करो।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): हम तो एप्रिशिएट कर रहे हैं, बाकी भर्तियां कब करेंगे, यह तो निरन्तर सतत प्रक्रिया है, लोग रिटायर होते रहेंगे।

सोजत जैतारण पाइप लाइन बिछाने विषयक

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): माननीय सभापति महोदय, मेरे इस विषय पर दो बार स्थगन प्रस्ताव लग चुके हैं लेकिन सदन में मुझे बोलने की अनुमति नहीं दी। जनता का इतना प्यार और स्नेह है कि आज मेरी पर्ची लग गई। मेरे विधान सभा क्षेत्र सोजत के अन्दर पेयजल का कोई स्थायी स्रोत नहीं है। वहां पानी की जो सप्लाई की जा रही है वह कुओं, छोटे-बड़े जलाशयों, ट्यूबवैलों और हैण्ड पम्पों के द्वारा की जा रही है। जो पानी सप्लाई हो रहा है वह पानी 2200 टी.डी.एस. फ्लोराइड युक्त खारा पानी है जो हमारी जनता पीने के लिए मजबूर है और वह फ्लोराइड युक्त पानी है उसकी सप्लाई भी आज 10 दिन से हो रही है। मेरे विधान सभा क्षेत्र की पेयजल की समस्या के समाधान के लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगी पूर्व माननीय मुख्य मंत्रीजी श्रीमती वसुन्धरा राजे सिंधियाजी को कि उन्होंने पश्चिमी राजस्थान के सबसे बड़े जल स्रोत जवाई बांध से जैतारण तक 634.79 करोड़ रुपये की पेयजल योजना की स्वीकृति जारी की थी। जिसका कार्य पांच पैकेज में पूरा करने का प्रावधान था लेकिन दुर्भाग्य है हमारी सोजत की जनता का कि पांच पैकेज की कार्य योजना के नए प्रोजेक्ट में चौथे पैकेज तक जो कार्य हुए हैं वहीं तक ही रोका गया है। चारों पैकेज के अन्दर इतनी बड़ी योजना में जो कार्य हुए हैं, वह जवाई से पाली टू सोजत और जैतारण और रोहिट से खिवाना तक है। उसके उसमें

(श्रीमती संजना आगरी)

जवाई बांध तक जो पाइप लाइन बिछी है और पाली से रोहिट 30 किलोमीटर दूरी पर है, रोहिट तक भी सारा टैक्नीकल लेवल का कार्य हो चुका है लेकिन हमारा सोजत पाली से 40 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है। दुर्भाग्य तो यह है ही क्योंकि इतनी बड़ी योजना और 40 किलोमीटर के इस छोटे से टुकड़े को नजरअंदाज कर दिया गया है। सोजत की जनता 2200 टी.डी. एस का फ्लोराइड युक्त खारा पानी पीने के लिए मजबूर है जबकि एक स्वस्थ जीवन जीने के लिए मानव को 22 टी.डी.एस. पानी की आवश्यकता होती है। मैं मंत्रीजी से निवेदन करना चाहती हूं कि आप इस अधूरे कार्य को त्वरित गति से पूरा करवावें। जवाई पाइप पेयजल योजना है उसके लिए नए बजट में किसी प्रकार का प्रावधान नहीं रखा गया है। पाली से सोजत होकर जैतारण तक यह पाइप लाइन बिछाने का जो प्रावधान है हमारी दो लाख की जनता जिसमें सोजत का पश्चिमी बेल्ट भी है, 2200 टी.डी. एस खारा पानी पीने के अन्दर शामिल है जिससे जनता के अन्दर त्राहि-त्राहि मची हुई है, कई तरह की बीमारियां हो रही हैं, यहां तक कि लोगों की मौतें भी हो चुकी हैं। जब जवाई का पाइप लाइन का प्रोजेक्ट स्वीकृत होने का वहां की जनता ने सुना कि हमारी पीने के पानी की समस्या का स्थायी समाधान हो रहा है तो जवाई से लेकर पाली और सोजत से लेकर जैतारण तक पाइप लाइन बिछाई जाएगी तो हमारी जनता बड़ी आस लगाए हुए थी और फूले नहीं समा रही थी कि हमें भी इस खारे पानी से निजात मिलेगी। लेकिन दुर्भाग्य है हमारा कि 5 पैकेज का जो काम है उसको वहीं रोक दिया गया है, इसमें हमारी सोजत की जनता को नजरअंदाज किया गया है। मैं निवेदन करना चाहती हूं मंत्रीजी से कि जवाई योजना की स्वीकृति का पूरा परीक्षण हो चुका है, निरीक्षण और जांच करने के बाद में माननीय पूर्व मुख्य मंत्रीजी ने यह योजना स्वीकृत की थी। अगर फिर भी आपको इसके अन्दर कोई संदेह हो, शक हो तो आप इस मामले की जांच करवा लें और अगर आपको लगे कि वाकई सोजत की जनता 2200 टी.डी.एस. का खारा पानी पी रही है और वहां पीने के पानी का स्थायी समाधान नहीं है तो आप इस मामले को पूरी पारदर्शिता के साथ इस पर और गहन चिंतन करके आप हमारी सोजत की जनता की जो पीड़ा है इसको अपने दिल की पीड़ा समझकर इसका समाधान करेंगे ताकि यह 2200 टीडीएस का खारा पानी जो जनता पी रही है उससे जनता को निदान मिले। जवाई पाइप लाइन की सोजत से जैतारण तक की जो योजना है अगर इस जवाई पाइप

(श्रीमती संजना आगरी)

लाइन योजना का अधूरा काम है जो 5 पैकेज में था चार तक हो गया है उसका एक पैकेज बाकी है, एक के अन्दर हमारे सोजत का 40 किलोमीटर का टुकड़ा और आगे का है उसको आप पूरा करेंगे तो हमारे सोजत और जैतारण की जनता आपका बहुत-बहुत आभार व्यक्त करेगी। यह पाइप लाइन का चौथा पैकेज पूरा हो जाएगा तो सोजत सिटी के 29 गांव, रायपुर के 39 गांव और जैतारण के 90 गांव इससे लाभान्वित होंगे।

अतः मंत्रीजी आपसे मेरी विशेष तौर पर विनती है कि हमारे सोजत विधान सभा की इस भयंकर पेयजल समस्या के समाधान के लिए आप कोई ठोस कदम उठाएं और जैतारण तक पाइप लाइन बिछाने के लिए आप प्रावधान कर योजनाओं को जल्दी से जल्दी कार्यान्वित करें ताकि हमारी जनता इससे मुक्त हो।

माननीय मंत्रीजी, यह मेरा बहुत ही सीरियस मसला है। आप बातों में लगे हुए हैं, आप हमें जवाब दीजिए कि हम जनता को यहां से जाने के बाद क्या जवाब देंगे। आज लोग मिनरल वाटर पर आ रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मंत्री महोदय, आपका ध्यान आकर्षित कर रहे हैं।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): आपको अच्छी तरह पता है कि जवाई बांध में 9 फीट पानी आया है और पानी की उपलब्धता को देखते हुए, मानसून की जितनी रेन्स है उसके हिसाब से सोचकर जवाई के बारे में जो पैकेज दिये हैं उनके ऊपर सरकार विचार करेगी।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): जवाई बांध में आज 11 फीट पानी पहुंच गया है। जवाई बांध से संबंधित बांध जो सेई बांध है उसका गेज बढ़कर पांच मीटर हो गया है जिससे यह बांध 20 फुत तक तो आराम से पहुंच जाएगा। मंत्रीजी, इसमें मेरा निवेदन है कि जो पैकेज पांच है उसमें पाली से रोहिट और पाली से सोजत तक पाइप लाइन बिछनी चाहिए। आपने मेरे पर तो कृपा कर दी कि पाली से रोहिट तक आपने तीन महीने में बिछा दी इसके लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं, उसका लाभ भी जनता को मिल गया उसके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद। उसी पैकेज, जिसको आपने स्वीकृत कर दिया उसकी टैक्निकल सेंक्शन भी आपने जारी कर दी तो आपने सोजत को पीछे क्यों छोड़ दिया मंत्रीजी? पैकेज वो ही है, एक ही पैकेज है।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): संसाधनों को देखकर इस पर विचार किया जाएगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): माननीय मंत्रीजी, जब रोहिट 30 किलोमीटर है उसके लिए आपको संसाधन उपलब्ध हो गये, वह भी हमारी जनता है, लेकिन 40 किलोमीटर दूर पाली से सोजत है उसके लिए आपको संसाधनों की यहां आवश्यकता हो रही है। क्या आपने गहराई से देखा आज लोग मिनरल वाटर का इस्तेमाल करते हैं और हमारी जनता 2200 टीडीएस पानी का उपयोग ले रही है जबकि यह स्वस्थ जीवन जीने के लिए केवल 200 टीडीएस पानी की आवश्यकता होती है। मेरा आपसे निवेदन है कि इस मामले को आप गम्भीरता से लें, ईजी वे के अन्दर न लें। आप शुद्ध के लिए युद्ध कर रहे हैं हमारे उस 2200 टीडीएस पानी को आप शुद्ध कर देंगे तो जनता आपकी बहुत-बहुत आभारी रहेगी। आप हमें वक्तव्य दें कि आप हमारा यह काम कब तक शुरू करवा देंगे?

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): आज तक जितना जवाई में पानी आना चाहिए, 10.70 पानी आया है, माइनस 2.70, जो अभी तक पानी आया है इस महीने में आना चाहिए, जिस भराव क्षमता में आना चाहिए वह भी अभी तक माइनस 2.70 है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): सेई बांध का बता दें मंत्रीजी।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय सभापति महोदय, पाइंट आफ इंफार्मेशन। मैं आपके माध्यम से बीकानेर विश्वविद्यालय से एक लाख से ज्यादा ...(व्यवधान)

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): माननीय मंत्री महोदयजी, एक मिनट अभी जवाब तो आने दीजिए।

श्री सभापति: विराजिए। आप विराजिए। (व्यवधान)

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): बहुत ही सीरियस मसला मैंने उठाया है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजो।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): मंत्रीजी ने कह दिया।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजो।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): हम नहीं, हमारी जनता संतुष्ट हो जाए, आप हमें जवाब तो दीजिए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजो।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय सभापति महोदय, ... (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजो। विराजिए। विराजिए।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय सभापति महोदय, ... (व्यवधान)...

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): चार दिन के बाद में जवाई बांध ओवरफ्लो हो जाएगा फिर आप पाइप लाइन बिछा देंगे क्या?

सूचना

बीकानेर विश्वविद्यालय के छात्रों के परीक्षा परिणाम घोषित होने के बाद भी अंक-तालिका नहीं मिलना

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय सभापति महोदय, उच्च शिक्षा में जिस तरह से राजस्थान में धांधली हो रही है आप अंदाजा करेंगे बीकानेर विश्वविद्यालय के एक लाख से ज्यादा विद्यार्थी जिनका रिजल्ट निकले कई हफ्ते हो गये, लेकिन आज तक उनको मार्कशीट नहीं मिली है। विश्वविद्यालय की अंधेरगर्दी का अंदाजा होगा कि राजस्थान में आज 23 तारीख को उच्च शिक्षा में एडमिशन लेने की आखिरी तारीख है और उन एक लाख विद्यार्थियों को जिन्होंने बीकानेर विश्वविद्यालय में एग्जाम दिया था तथा सत्र में उनको आज तक भी मार्कशीट नहीं मिली है। मैं समझता हूं कि राजस्थान सरकार के उच्च शिक्षा मंत्रालय की ऐसी अंधेरगर्दी शायद ही कभी राजस्थान में हुई हो कि रिजल्ट निकलने के बाद हफ्ते बीतने के बाद भी लास्ट तारीख जाने के बाद भी राजस्थान के लाखों विद्यार्थी जो बीकानेर विश्वविद्यालय में जिनको मार्कशीट नहीं मिल रही है उस बीकानेर विश्वविद्यालय की अंधेरगर्दी और प्रेस के बीच में जो लेन-देन का कार्यक्रम चल रहा है मैं समझता हूं कि राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्रीजी उसमें व्यवस्था कराएं और उनको अतिशीघ्र देकर इस एडमिशन की लास्ट डेट को आगे बढ़ाएं जब तक वो नहीं मिलती है।

सुश्री सिद्धीकुमारी (बीकानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत गम्भीर मामला है इसको संजीदगी से लिया जाए।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, यह गम्भीर मामला है। हमारे उच्च शिक्षा मंत्री महोदय को सुओमोटो इसका नोटिस लेकर सदन को और राज्य सरकार की तरफ से राजस्थान की जनता को आश्वस्त करना चाहिए था कि आज इतना अर्सा निकल चुका है, उनको मार्कशीट नहीं मिली है और उनका एडमिशन कहां होंगे, कब होंगे इसके लिए आपको मैं अनुरोध करूंगा शिक्षा मंत्रीजी कि उच्च शिक्षा मंत्रीजी की तरफ से या तो आप कहें या इसके लिए हाउस में बहुत बड़ा मसला है एक लाख विद्यार्थी इससे प्रभावित हैं और उसका अभी तक राज्य सरकार ने कोई नोटिस नहीं लिया है। सबसे बड़ी दुःख की बात तो यह है, कृपया इसके ऊपर ध्यान दें।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): यह गम्भीर मामला है, इस पर गौर फरमाएं। (व्यवधान) एक बड़ा गंभीर मामला है।

श्री सभापति: विराजें, विराजें।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): बीकानेर यूनिवर्सिटी का मामला है। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजो, विराजो।

सुश्री सिद्धीकुमारी (बीकानेर): बहुत सारे बच्चों का भविष्य जुड़ा हुआ है। इन लोगों ने इतनी मेहनत की है, इन लोगों के सपने हैं, आगे इनका फ्युचर है, इस फ्युचर में डेंजर है, क्योंकि ये लोग बताते तक नहीं हैं। यूनिवर्सिटी में टेक्निकल रिपोर्ट कार्ड के अन्दर, मार्कशीट के अन्दर न नाम है, न एनरोलमेंट नम्बर है, उनका फ्युचर क्या है? हमें जवाब चाहिए कि कब नयी मार्कशीट रिलीज होगी, कब वे दूसरे कालेजेज या टेक्निकल कॉलेजेज या फ्युचर में जो भी इनकी एजुकेशन की प्रणाली, एक-एक बच्चा तय करता है उसके अन्दर उन लोगों को अपनी मार्कशीट मिलेगी ताकि वो अपना फ्युचर तय कर सकें। क्या आज के युवा वर्ग के अन्दर इस तरह की धांधली चल जाएगी?

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सरकार संवेदनहीन हो रही है। आप निर्देश दें, व्यवस्था दें। आज राजस्थान के एक लाख विद्यार्थियों के भविष्य के लिए जो चिंतित हैं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजें।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): आप उच्च शिक्षा मंत्रीजी से जवाब दिलाएं।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): विद्यार्थी सड़कों पर हैं। आप निर्देश दीजिए हम तो विराज जाएंगे।

श्री सभापति: विराजिए।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): एक लाख विद्यार्थियों के भविष्य के साथ जो खिलवाड़ हो रहा है उसके लिए आप निर्देश दें।

श्री सभापति: विराजें। माननीय सदस्य, विराजें।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): तारीख बढ़ायी जाए। सारे राजस्थान के अन्दर तारीख बढ़ायी जाए। एक लाख विद्यार्थियों का मामला है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजो। विराजिए। माननीय सदस्य, विराजो।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): मंत्रीजी को तो बुलाओ कम से कम। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजो तो सही। मैं व्यवस्था दूंगा। मैं व्यवस्था दूंगा विराजो। मैं व्यवस्था दूंगा, आप विराजो।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सवाल और कुछ नहीं उनकी मार्कशीट मिले, उनका एडमिशन होगा यह विश्वास दिलाएं उन एक लाख विद्यार्थियों और उनके परिवारजनों को।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैं व्यवस्था दूंगा, विराजो तो सही।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): सभापतिजी, टेक्नीकल्टी सिर्फ इतनी है कि ऊपर बीकानेर यूनिवर्सिटी का नाम छपना चाहिए था महाराजा गंगासिंह यूनिवर्सिटी, वह नहीं छपा और उसकी जगह एक मोनोग्राम था वह नहीं छपा। उस टेक्नीकल्टी के कारण जबर्दस्ती इन बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। राज्य सरकार अभी तक सोयी हुई है। एडमिशन की तारीख अगर आज आगे घोषित नहीं की तो एडमिशन कौन दे देगा? एडमिशन नहीं मिलेगा तो इन बच्चों का भविष्य कैसे सुरक्षित रहेगा इस पर सरकार को कम से कम गम्भीर तो रहना चाहिए। कम से कम मंत्रीजी पता करके बताएं सदन को आश्वस्त करें कि इन बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं होगा?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, एक अति महत्वपूर्ण

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

विषय सदन के सम्मुख आया है जिस विषय के साथ एक लाख से ज्यादा नौजवानों की किस्मत का फैसला हुआ है। हम आसन से प्रार्थना करते हैं आप व्यवस्था करें, चार बजे, पांच बजे, सरकार की तरफ से वक्तव्य आ जाए ताकि सदन के माध्यम से राजस्थान के छात्रों को यह मालूम तो पड़ जाए कि उनके भविष्य के साथ क्या होने वाला है। महाराजा गंगासिंह के नाम से जो विश्वविद्यालय स्थापित हो, उसमें गंगासिंहजी का नाम नहीं दिया जाए, इससे ज्यादा शर्मनाक बात कोई नहीं हो सकती, आप उच्च शिक्षा मंत्रीजी को बुलाई, आप उच्च शिक्षा मंत्रीजी को बुलाई ......(व्यवधान) नहीं, आप आश्वस्त कीजिए। (व्यवधान)

(समय : 14.00 बजे)

श्री सभापति: जो माननीय सदस्य ने पाइंट आफ इंफार्मेशन के माध्यम से जो समस्या की जानकारी दी है सरकार बच्चों के भविष्य के बारे में बहुत गम्भीर है और इसकी व्यवस्था आज ही दी जाएगी, आज ही दी जाएगी ......(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): वक्तव्य की?

श्री सभापति: आज जो समस्या उठाई है उसके निराकरण, जो समस्या आपने उठाई है, उस समस्या का तत्काल निराकरण करने जा रही है, वह व्यवस्था दी जाएगी सरकार के द्वारा । (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आप सरकार की तरफ से बोल रहे हैं कि सभापति महोदय की हैसियत से बोल रहे हैं? (व्यवधान)

श्री सभापति: मैं अगर बोल रहा हूं तो आसन बोल रहा है, बस ......(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): धन्यवाद।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

श्रम एवं नियोजन विभाग

श्री सभापति: अधिसूचना। मा. भंवरलालजी मेघवाल।

श्री ज्ञानचन्द पारख (पाली): उसकी जानकारी भी आप पूरे सदन को दिलवा देना, उसकी जानकारी भी सदन में आ जाए। (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): मंत्री जी जवाब दें उससे पहले हो क्योंकि जैसे कल रात को वैसे आनन-फानन में सरकार को भागना पड़ा, वैसी स्थिति उत्पन्न नहीं हो फिर बिना जवाब रह जाएगा।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (शिक्षा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से श्रम एवं नियोजन विभाग की अधिसूचना संख्या : जी.एस.आर.-4 दिनांक 30 अप्रैल, 2009 जिसके द्वारा राजस्थान भवन एवं संनिर्माण कामगार (नियोजन का विनियमन एवं सेवा शर्तें) नियम, 2009 विरचित किये गये हैं, सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री सभापति: याचिकाओं का उपस्थापन। श्रीमती सूर्यकांता व्यास।

व्यवस्था का प्रश्न

- **अनुदान की मांगों पर प्रस्तुत कटौती प्रस्तावों को अस्वीकार न करने से उत्पन्न स्थिति**
- **अनुदान की मांग पारित किये जाने का प्रस्ताव रखे बिना मांग का पारण**
- **मत विभाजन की मांग का अस्वीकार**

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, मुझे अध्यक्ष महोदय ने कहा था कि पर्चियों के बाद में आपको व्यवस्था दूंगा। मैंने एक मुद्दा उठाया था। सभापति महोदय, कल सदन में जब डिमांड, मांगों पर बहस हो रही थी उसके बाद में जब मंत्रिगण जवाब देने के लिए खड़े होने वाले थे, उसके बाद में सदन में न तो मंत्रियों का जवाब आया, न लिखित में जवाब आया और न ही किसी प्रकार की घोषणा की गई और डिमांड को वोट पर रख दिया गया और जिस समय डिमांड को वोट पर रख रहे थे उस समय हम मत विभाजन की मांग कर रहे थे, आसन ने मत विभाजन की मांग को भी नहीं देखा, डिमांड को भी नहीं देखा और इसके कारण से तीन बड़ी वैधानिक परिस्थितियां नियमों के विपरीत सदन में पैदा हो गई हैं। जब तक उनका क्लैरिफिकेशन नहीं होगा, तब तक हमारे सामने एक वैधानिक संकट खड़ा है।

सभापति महोदय, सबसे पहली बात यह है कि माननीय मंत्री जब खड़े होते हैं तो कट-मोशन के बारे में अपनी राय व्यक्त करते हैं, वह यह कहते हैं कि जितने कट-मोशन आए हैं उनको या तो मैं अस्वीकार करता हूं या स्वीकार

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

करता हूं या उनके जवाब भिजवाता हूं। पहली बार मैंने देखा 80 के बाद में कि पहली बार माननीय मंत्री महोदय ने यह नहीं कहा सदन में कि उन्होंने जो कट-मोशन माननीय सदस्यों ने दिये हैं उन कट-मोशन का क्या होगा और इसका मतलब यह है कानून के अनुसार कि जितने भी मानवीय सदस्य पक्ष और प्रतिपक्ष के, इन्होंने अपने जो कट-मोशन दिये हैं, इन्होंने ग्रामीण विकास के बारे में कट-मोशन दिये हैं, जिन्होंने जनजातीय के बारे में कट-मोशन दिये हैं, वह सारे के सारे सरकार ने स्वीकार कर लिये हैं। इसका अर्थ यह निकलता है और इस अर्थ का मतलब यह है कि अब यदि किसी भी मंत्री महोदय ने किसी भी माननीय सदस्य के कट-मोशन का ना में जवाब दिया तो मंत्री के द्वारा विशेषाधिकार का हनन होगा, तो मंत्रियों के द्वारा ही नहीं होगा, जो अधिकारी जवाब देंगे, वे भी सदन के विशेषाधिकार का हनन करेंगे। यह बहुत बड़ा एक मुद्दा सदन के सामने है। सबसे पहला मुद्दा यह हो गया है कि इसका स्पष्टीकरण करना पड़ेगा।

सभापति महोदय, दूसरा मुद्दा और भी महत्वपूर्ण है। दूसरा मुद्दा यह है कि जब सदन में चर्चा हो गई और माननीय मंत्रीजी जवाब दे रहे थे तो जवाब नहीं आया, जवाब आने का कोई कारण भी नहीं था। कई बार माननीय सदन में अव्यवस्था होती है तो आसन व्यवस्था कर देता है कि लिखित में जवाब आ जाए तो लिखित में जवाब आ जाता है लेकिन नहीं आया। फिर हमारे यहां एक प्रक्रिया निर्धारित की हुई है, वह प्रक्रिया है मत विभाजन की। माननीय सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय जो भी आसन पर होते हैं, वह खड़े होकर कह देते हैं कि जो पहले मंत्री महोदय यह कहते हैं कि सभापति महोदय, अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि इसको पारित कराया जाए। उनकी इस रिक्वेस्ट पर आसन खड़ा होता है और आसन अपना रखता है सदन के सामने विनिश्चय करने के लिए कि हां पक्ष के लोग खड़े हों, ना पक्ष के लोग खड़े हों। अध्यक्ष महोदय, कई दिनों से मैं देखता हूं कि हमारी उस परम्परा का भी पालन नहीं हो रहा है। मैं यह पाइंट इसलिए भी उठा रहा हूं कि इससे माननीय सदस्यों को भी जानकारी हो जाए और यहां उसका एक नियम है, जब माननीय जो सभापति के पद पर आसीन हैं, वह खड़े होकर कहते हैं कि जो पक्ष में हो वह हां कहें, उस समय हां आती है, उसके बाद वह दो सैकण्ड के लिए रूकते हैं। उसके बाद वह अपना मुंह इधर करते हैं और फिर खड़े होकर कहते हैं कि जो विपक्ष में हों, वह ना कहें तो ना आती है, उसके

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

बाद वह रूकते हैं। और वह जज करते हैं कि यह जो वायस वोट है, यह ध्वनि मत जो है उसमें हां, पक्ष ज्यादा प्रबल है या ना पक्ष ज्यादा प्रबल है। अगर उनको यह लगता है कि हां पक्ष ज्यादा प्रबल है तो वह खड़े होकर कहते हैं कि हां, पक्ष जीता, यह दो बार लिखा हुआ है इसमें, हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता। दो बार लिखे हुए का मतलब यह है कि एक बार आप बोलेंगे कि हां पक्ष जीता, फिर रूकेंगे, क्यों रूकेंगे? कि यदि ना पक्ष को या हां पक्ष को यह एतराज करना हो कि Noes have it या Ayes have it, यह जब वह कहते हैं तो फिर कहते हैं, मैं इसको दुबारा आपके सामने रखता हूं, फिर वह दुबारा रखते हैं। फिर दुबारा के बाद में जब वह कहते हैं कि हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता और ना पक्ष वाले अगर यह कहें कि No. We claim division. हमको मत विभाजन कराना है तो सदन में मत विभाजन की व्यवस्था होती है और मत विभाजन के बाद में सदन में डिमांड पर सारा का सारा काम होता है। इन सारी बातों का कल उल्लंघन कर दिया। हम यहां खड़े-खड़े जोर-जोर से कह रहे थे We claim division, We claim division

और कल, सभापति महोदय, हम डिवीजन चाहते थे और आपको जानकारी है कि कल हमारे सारे सदस्य इसलिए उपस्थिति हुए और कल सारे के सारे सत्ता पक्ष के माननीय सदस्यों को भी घरों से फोन कर करके नाइट सूट में बुलाया गया, सब आ गये, यह व्यवस्था हुई। अब इस सारी व्यवस्था में फिर मांग को पारित करने की व्यवस्था हुई। अब, सभापति महोदय, न तो यह मांग पारित हुई है, न सभापति महोदय, कट-मोशन की व्यवस्था हुई है। और उन मंत्रियों के साथ भी अन्याय हुआ है जो यहां पर जवाब देना चाहते थे, वह सारे दिन 12 बजे रात तक वह मंत्री हमारी बात सुन रहे थे, तैयारी करके आए थे, उनको अपना जवाब देना था, हम जवाब सुनने के लिए बैठे थे। कल सदन कितना बढ़िया चला। इस परिस्थिति में, सभापति महोदय, एक बहुत बड़ा प्रश्न पैदा हो गया, पांच प्रश्न जो पैदा हुए हैं, मैं आपको इसके बारे में बताता हूं कि मंत्रियों का जवाब आवश्यक था, मंत्रियों का जवाब नहीं आया, एक। मंत्रियों को जो घोषणा करनी थी वह घोषणाएं नहीं हुई, दो। नम्बर तीन, कट-मोशन सारे के सारे स्वीकार हो गये हैं और उन कट-मोशन के स्वीकार होने से दूसरी अव्यवस्था पैदा हो गई है कि उन कट-मोशन के स्वीकार होने से सरकार के बजट पर राशि बढ़ गई है, जितने की डिमांड दी थी, उससे ज्यादा की माननीय सदस्यों की मांग है, किसी ने मेरे यहां आश्रम स्कूल खोल दो, आश्रम स्कूल में

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

इतने अध्यापक लगा दो, यह सारा कर दो, वह सारी की सारी मांग कल स्वीकार हो गई। और वह स्वीकार हो गई तो जितने की मांग रखी थी उससे ज्यादा का बजट इसमें पारित कर दिया गया। यह जो टेक्निकल बात है, इस बात का किसी के पास जवाब नहीं है, इसको भी करना पड़ेगा।

और तीसरी बात, बिना प्रस्ताव रखे, बिना मंत्रियों के द्वारा प्रस्ताव रखे, आसन के द्वारा यह रखना, वह भी कानूनी रूप से गलत है, वह भी गलत हो गया। और इसलिए, सभापति महोदय, इस अध्यक्षीय व्यवस्था का प्रभाव केवल आज नहीं पड़ेगा, इस अध्यक्षीय व्यवस्था का प्रभाव कल की बात पर नहीं पड़ेगा, इस अध्यक्षीय व्यवस्था का प्रभाव, यह अध्यक्षीय व्यवस्था अंकित होगी और अंकित होने के कारण से आगे आने वाले मामलों में गिनी जाएगी। जैसे कल मैंने बताया कि 1952 में माननीय अध्यक्ष ने यह व्यवस्था की, 1957 में यह व्यवस्था की, 1962 में यह व्यवस्था की, वह लिखित रूप में सदन में आनी चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात है, अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती, अध्यक्ष महोदय की व्यवस्था किसी कोर्ट में चुनौती नहीं दी जा सकती। और अध्यक्ष की व्यवस्था एक बार ही सदन में हो गई, और अध्यक्ष महोदय, अगर हमने संसदीय परम्पराओं का उल्लंघन कर दिया, हमने वित्तीय मामलों में अगर इनका उल्लंघन कर दिया तो इसके व्यापक और घातक परिणाम आगे आने वाली संसदीय परम्पराओं पर भी पड़ेंगे। इसलिए इसका निर्णय करने से पहले, सभापति महोदय, बहुत बड़े विवेचन की आवश्यक है। अगर प्रतिपक्ष के सचेतक महोदय अपनी बात कहना चाहें, वह भी अपनी बात कहें, आप भी अपना विनिश्चय करना चाहें, विनिश्चय करें लेकिन कल जिस प्रकार की बात हुई, हमको उससे बहुत बड़ा आघात हुआ, हम चर्चा करना चाहते हैं। हमने, नरेगा की बातें माननीय सदस्यों ने की, एक-एक गांव की मांग उठाई, जनजातीय क्षेत्र का, इतना बड़ा हमारा क्षेत्र है, उसकी मांग उठी।

उसका जो रिजल्ट था उसकी मांग उठी। 18 प्रतिशत, 20 प्रतिशत, 22 प्रतिशत, ये सारी जो हमारी मांगें यहां उठीं उनका जवाब नहीं मिले तो फिर हम सदन में बैठे किसलिए हैं? हम बोल किसलिए रहे हैं? इसलिए, सभापति महोदय, मैं आपका प्रोटेक्शन चाहता हूं आसन से। आसन सर्वोपरि है। आसन केवल सत्ता पक्ष का ही नहीं, हमारा भी है और हम इस सदन में इस प्रकार की चर्चा चाहते हैं। इसलिए मैंने जो यह मुद्दा आपके सामने रखा है, सभापति महोदय, यह बहुत बड़ा गम्भीर मुद्दा बन गया है। हमारी व्यवस्थाएं

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

थीं, पहले व्यवस्था यह थी कि कट-मोशन एक-एक करके रखते थे, इसके बाद यह व्यवस्था में परिवर्तन कर दिया गया कि कट-मोशन एक साथ रखे हुए माने जाएंगे और मंत्री महोदय जवाब में यह कहेंगे कि कट-मोशन को स्वीकार किया, अस्वीकार किया या लिखित में जवाब भेजेंगे वरना तो वो ही व्यवस्था वापस शुरू हो कि 500 कट-मोशन आये, 500 मैम्बर अलग-अलग रखेंगे, मंत्री अलग-अलग जवाब देंगे। यह जो सारी व्यवस्था कल हुई है इस पर आसन की व्यवस्था बहुत जरूरी है और हमने इसका विरोध दर्ज कराया है कि हमारे अधिकार का हनन है। डिवीजन क्लेम करना हमारा मूलभूत अधिकार है, आप उसको रोक नहीं सकते, आसन भी इसको नहीं रोक सकता। अगर हम बार-बार डिवीजन क्लेम करें सदन की कार्यवाही में बाधा डालने के लिए तो आप इसको रोक सकते हो। आप कैसे रोक सकते हो कि हम मत विभाजन की मांग नहीं करेंगे? कल आपके यहां पर सरकार कानून लेकर के आयेगी, कल सरकार यह कानून लेकर के आयेगी कि हम तो सारे के सारे लोगों को बिना किसी कारण के जेल में बंद कर सकते हैं, जमानत नहीं करायेंगे दो साल तक। तो उसमें हम डिवीजन क्लेम करना चाहेंगे और हमारे मत विभाजन को आप कैसे रोक सकते हैं? सभापति महोदय, मत विभाजन केवल इस बात का ही नहीं होता है हारें या जीतें, मत विभाजन विरोध दर्ज कराने का भी होता है। और जिन माननीय सदस्यों को विरोध दर्ज कराना होता है कि इस प्रकार के काले कानून के खिलाफ हम विरोध दर्ज कराते हैं और आने वाली पीढ़ी यह देखेगी कि हम विरोध में खड़े थे और वो पक्ष में खड़े थे। इसलिए मत विभाजन का मूल अधिकार है उसका भी कल हनन हुआ है। सभापति महोदय, इसलिए मैं चाहता हूं कि इस पर आप व्यवस्था दें। यह व्यवस्था बहुत महत्वपूर्ण व्यवस्था है, आप सोच विचार कर व्यवस्था दें, यह मेरा आपसे निवेदन है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, सदन के उप नेता ने जो बात उठाई है उसी के समर्थन में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन सम्बन्धी नियम संविधान के आर्टिकल 208 (1) के तहत बनते हैं। सभापति महोदय, इसी के अन्दर नियम 144 में अनुदान की मांगों पर मतदान कैसे होगा उसकी पूरी विधि इसमें स्पष्टता से लिखी गई है। किस तरह से कटौती के प्रस्तावों का निस्तारण होगा, नियम 145 में उस बात का उल्लेख किया गया है और कटौती के

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

प्रस्तावों की ग्राह्यता क्या होगी, किस आधार पर कटौती के प्रस्ताव स्वीकार, अस्वीकार किये जाएंगे उसके बारे में नियम 146 में लिखा गया है। सभापति महोदय, मैं चंद शब्दों में यही निवेदन करना चाहूंगा कि कल जो कुछ हुआ, यह जो हमारी बाइबिल, गीता सब कुछ है, इन नियम और प्रक्रियाओं की अवहेलना हुई है। और कल बिना माननीय मंत्री महोदय के मांग रखे जिस तरह से आनन-फानन में मांग को पारित किया गया, विधान सभा के इतिहास में काला दिन के रूप में याद किया जाएगा। सभापति महोदय, आप तो साक्षी हैं, सभापति महोदय, कई स्थानों पर जब हम जाते हैं दूसरी विधान सभाओं में तो लोग राजस्थान की विधान सभा का उदाहरण देकर के कहते हैं कि इस राजस्थान की विधान सभा की परम्पराएं, राजस्थान विधान सभा का पुराना इतिहास और राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया और नियम दूसरे लोग एडाप्ट इसलिए करते हैं कि यहां एक तरह से एक आदर्श विधान सभा के रूप में यहां का कार्य संचालन होता है। उस सब पर प्रश्न चिन्ह लगा। इसलिए मेरी तो मान्यता है कि उप नेता महोदय ने जो बात कही, कल की जो कार्यवाही हुई वे न केवल अवैधानिक है बल्कि नियम और प्रक्रियाओं के विपरीत है। इसलिए कल की मांग जो यहां पर पारित की गई, वैसे तो सब अधिकार हैं, सभापति महोदय, आपमें सारे रेजिड्युअरी पावर हैं नियमों में, मैं जानता हूं। पर फिर भी मैं आसन से प्रार्थना करूंगा कि कल की सारी मांग जो पारित हुई उसको अवैधानिक, अवैध घोषित करते हुए दुबारा कल की मांग पर बहस कराई जाए और दुबारा सदन के सामने उन मांगों के पारण का प्रस्ताव रखा जाए।

श्री सभापति: आजाद साहब, आप विराजें। आप विराजें। आप विराजिये। (व्यवधान)

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): आप मेरी दो मिनट बात सुनिये।

श्री सभापति: आप विराजो तो सही। इस सम्बन्ध में आपने जो भी प्रश्न उठाये हैं, मैं स्वयं उनको देखूंगा और मैं व्यवस्था दूंगा। आप सभी से यह मेरा निवेदन है कि सदन की कार्यवाही सुचारू रूप से चलने में सहयोग करें।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): माननीय सभापति महोदय, आप व्यवस्था देंगे, कब तक देंगे इस बात का आपने कोई जिक्र नहीं किया। आपने तो उस सरकारी भाषा का समर्थन कर दिया जैसे सरकार के मंत्री कहते हैं कि मैं जवाब दूंगा, मैं ऐसे कह दूंगा, मैं वैसा बताऊंगा।

श्री सभापति: श्रीमती सूर्यकांताजी व्यास।

याचिकाओं का उपस्थापन

सूरसागर (जोधपुर) में ई.एस.आई. अस्पताल खोलने बाबत

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से, सूरसागर विधान सभा क्षेत्र के खान श्रमिकों को ई.एस.आई. सुविधा उपलब्ध कराने बाबत ई.एस.आई. औषधालय खोलने हेतु तीन व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका उपस्थापित करती हूं।

श्री सभापति: श्री शिवजीराम मीणा।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं:-

जहाजपुर (भीलवाड़ा) में राजकीय महाविद्यालय खोलने बाबत

(1) उपखण्ड मुख्यालय जहाजपुर (भीलवाड़ा) में राजकीय महाविद्यालय खोलने बाबत् तीन व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित, एवं

जहाजपुर नगरपालिका के कुछ गांवों को पंचायतें बनाने बाबत

(2) नगरपालिका, जहाजपुर में सम्मिलित राजस्व ग्राम बिन्ध्याभाटा, बोराणी का बाड़ा, पांचा का बाड़ा, लाला का बाड़ा, सेहला दांता एवं मजरों को नगरपालिका से पृथक कर नई पंचायतें बनाने बाबत् तीन व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित।

श्री सभापति: श्री रमेश चन्द्र मीणा।

श्री रमेश चन्द्र मीणा (सपोटरा): माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं :-

रहू घाट पर विद्युत उत्पादन परियोजना बाबत

(1) चम्बल नदी के रहू घाट नामक स्थान पर विद्युत उत्पादन परियोजना लगवाने बाबत् पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित,

सपोटरा में महाविद्यालय खोले जाने बाबत

(2) पंचायत समिति मुख्यालय सपोटरा पर महाविद्यालय खुलवाने बाबत् पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित,

(श्री रमेश चन्द्र मीणा)

करौली चिकित्सालय को क्रमोन्नत करने बाबत

(3) करौली सामान्य चिकित्सालय को 300 बैड का कराने बाबत् पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित, एवं

चम्बल नदी पर पुल निर्माण बाबत

(4) चम्बल नदी पर पुल निर्माण बाबत् पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित।

श्री सभापति: श्री महिपालजी मदेरणा, जल संसाधन मंत्री, अनुदान की मांग संख्या 46- सिंचाई (इन्दिरा गांधी नहर सहित) मतदान हेतु प्रस्तुत करेंगे।

अनुदान की मांग

अनुदान की मांग संख्या 46–सिंचाई (इन्दिरा गांधी नहर सहित) की प्रस्तुति

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): सभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि मांग संख्या 46- सिंचाई (इन्दिरा गांधी नहर सहित) के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 21,79,50,11,000/- (इक्कीस अरब उन्यासी करोड़ पचास लाख ग्यारह हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा अनुदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जाए।

(कटौती प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री सभापति: श्री देवीसिंहजी भाटी।

मांग संख्या 46–सिंचाई (इंदिरा गांधी नहर सहित) पर विचार

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): सभापति महोदय, सिंचाई की डिमांड पर जरूर चर्चा हो रही है लेकिन परम्पराएं ऐसी बन गई हैं कि पंचों की सलाह तो सिर माथे पर परनाला तो वहीं चलेगा। मोटी बात है कि कोई भी प्रदेश हो, कोई भी देश हो, अगर उसकी बहबूदी के लिए, विकास के लिए और आम जनता का विश्वास हासिल करने के लिए इच्छा शक्ति हो तब कोई रास्ता निकलता है। अब इस सिंचाई विभाग का बजट भी देख लें और अन्य विभागों का देखें तो आपको स्वयं को चिंता होगी कि राजस्थान में पानी की सबसे ज्यादा कमी है और उसके बावजूद भी जो उपलब्ध पानी है उसको हम ट्रेप कर

(श्री देवी सिंह भाटी)

लें इसके लिए इच्छा शक्ति नहीं है। वह पानी व्यर्थ बहकर के जाता है, उसका हम इस प्रकार से बांधों का, नहरों का निर्माण करके द्रुत गति से इच्छा शक्ति से करें तब तो कोई रास्ता बनता है। अब इच्छा शक्ति का क्या बताऊं, मैं सबसे पहले तो आसन का सदन के माननीय सदस्यों की तरफ से धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहूंगा कि हमने जो पिछली विधान सभा के अन्दर जो प्रश्न पूछे थे राज्य सरकार से उनके उत्तर वर्षों तक नहीं आये। क्या अपेक्षा करें सरकार से? अब यह विधान सभा में मैंने प्रश्न पूछा था, मंत्री महोदय, आगे के लिए सनद रहे इसके लिए मैं आपको बता दूं कि यह मेरा 18 फरवरी, 2007 का तारांकित प्रश्न संख्या 69 था। अब इसमें तो मैं बाद में डिटेल में आउंगा पर इसका जवाब आया है जब हमारे अध्यक्ष महोदय ने विशेषाधिकार हनन, माननीय सदस्यों के प्रश्नों का जवाब समय पर नहीं देने के लिए जब ये नोटिस भेजे प्रशासन को, चीफ सैक्रेटरी को, तब जाकर के यह सवा दो साल बाद में तो जवाब आया है। अब क्या इनकी इच्छा शक्ति होगी यह मैं कह नहीं सकता पर मोटे तौर पर बात यह है कि हमारे इस पानी का उपयोग हो।

सबसे पहले तो मैं अपेक्षा करूंगा कि यहां कांग्रेस की सरकार है, केन्द्र में यू.पी.ए. की सरकार है। आज हमारे उत्तर राजस्थान में जो पानी हमें मिलता है गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर में, उस भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड का जो बोर्ड है, वह वर्षों से यह विषय लम्बित है। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले कर दिये लेकिन केन्द्र सरकार में इतना माद्दा नहीं है कि उसको मनवाकर उसमें राजस्थान की सरकार की बराबर की भागीदारी हो, वह सेव हो, यह कोई उसकी पालना नहीं हो रही है। मैं मुख्य मंत्रीजी से अपेक्षा करूंगा कि वे इसके लिए केन्द्र सरकार के ऊपर दबाव बनाये जिससे हमें बराबर हमारा हिस्सा मिल सके। इच्छा शक्ति हो मंत्री महोदय। मैं काफी समय से कह रहा हूं, इस पूरे राजस्थान में जो सिंचाई का सिस्टम बना है, यह जो बीकानेर में पूर्व स्टेट के अन्दर किस प्रकार से हमने यह शेयर लिया है पहले तो, न हमें किसी भी हालत में उस रेगिस्तान में पानी की बूंद नहीं मिलती है। लेकिन हमने हमारे उस समय ब्रिटिश पीरियड में यह क्लेम हासिल करके वह पानी लिया, उसके पानी की बरबादी हो रही है और उस पानी का जो उपयोग होना चाहिए, वह आज नहीं हो रहा है। चाहे उत्तरी राजस्थान को लीजिये, चाहे आप मेवाड को लीजिये, चाहे हाड़ौती को लीजिये, पानी कहीं तो व्यर्थ बह रहा है, कहीं टेल पर पानी पहुंचता नहीं है। कहीं पानी की चोरी हो रही है लेकिन कोई भी इसकी

(श्री देवी सिंह भाटी)

जवाबदेही तय नहीं हो रही है। पानी आप दिखा दें, बांध पांच बना दें, नहर हो जाये लेकिन किसान जो आखिरी छोर पर बैठा है, उसको अपने हिस्से का पानी नहीं मिले तो क्या स्थिति बनती है। यह मैंने इसलिए कहा है पिछले 10-12 वर्षों से मंत्री महोदय, बहुत बुरी हालत हो गई है पूरे देश के अन्दर, मंत्री बनते हैं तो सिर्फ अपने जिले के। इतना बड़ा भू-भाग है राजस्थान का और सब किसान अपेक्षा करते हैं कि हमारा जो जन-प्रतिनिधि है, हमारा जो व्यक्ति सरकार में बैठा है, वह आयेगा मेरे पास और पूछेगा कि तुम्हारी यह स्थिति खराब क्यों है और क्या समाधान हो सकता है? मंत्रीजी सिर्फ अपने जिले तक दौरा करते हैं लेकिन पूरे राजस्थान में जो अपेक्षा कर रहे हैं किसान, वहां पर आप नहीं पहुंचते। वहां पर आपको पहुंचना चाहिए तभी आपको वास्तविकता का ज्ञान होगा, उस किसान की क्या पीड़ा है और समाधान है उसके पास में, आप उसके पास में जाइये, हर चीज का समाधान उसके पास मिलेगा लेकिन यह संवाद हो, यह विश्वास हासिल करें तो यह नहीं होता। आपका मंत्री नहीं जाता तो कोई अधिकारी नहीं जाता। अधिकारी नहीं जाता तो पूरा नीचे तक का सिस्टम बिगड़ जाता है और आम किसान का विश्वास खतम हो चुका है और इसलिए मैं आपसे उम्मीद रखता हूं कि अगर यह इच्छा शक्ति आप रखेंगे तो निश्चित रूप से इसका कोई रास्ता समाधान निकलेगा। हमने पूर्व में भी मंत्री महोदय, यह व्यवस्था की थी कि हर टेल हैड के ऊपर नहर के आखिरी छोर तक एक्स.ईएन. हर निश्चित तारीख को चाहे 16 तारीख हो चाहे 15, तारीख फिक्स कर दें, वहां जाकर किसान के साथ बैठक करेगा, रजिस्टर मेंटेन करेगा, उसमें उसकी शिकायत दर्ज करेगा और अगले महीने की मीटिंग में उसका समाधान या जवाब देगा कि यह काम होने वाला है या नहीं होने वाला है लेकिन उस प्रक्रिया को भी अधिकारियों ने बंद कर दिया और इससे हमारा संवाद और विश्वास हमने खतम कर दिया।

सबसे बड़ा संकट है मंत्री महोदय, हमारा जो रेगुलेशन है, हम जो तय करते हैं बैठकर कि हम फलां सिस्टम से इतना पानी देंगे लेकिन वह रेगुलेशन की कहीं भी पालना नहीं हो रही है। बीकानेर सम्भाग में सी.ए.डी. कमिशनर ने हमेशा वर्षों से इसकी बैठक लेकर रेगुलेशन तय किये। बाद में जो भी सरकार ने दबाव में आकर उसके दो भाग कर दिये। एक हरियाणा के अन्दर नोहर के पास में और दूसरा जैसलमेर में। यह बंटवारा ठीक नहीं है। फर्स्ट स्टेज और सैकण्ड स्टेज, जो आप आई.जी.एन.पी. की कह रहा हूं, यह किस बात के लिए

(श्री देवी सिंह भाटी)

है। यह तो सिर्फ एक निर्माण उस समय हो रहा था, इतना बड़ा प्रोजेक्ट था, तब हमें आवश्यकता थी कि यह फर्स्ट स्टेज है और यह सैकण्ड स्टेज है लेकिन इस प्रकार से आप बांटो मत। जितना जिसके हिस्से का पानी है, हमें पानी मिलना चाहिए। रेगुलेशन की पालना इस तरह बुरी तरह से चरमरा गई है कि जिसने चाहा, जिसने दबाव बनाया, जिस इंजीनियर ने चाहा, उसने उस नहर की बारी काट दी, दूसरी को फालतू चला दी। मारा जाता है बेचारा वह किसान, किसान के पास में इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है कि वह अपने परिवार का पेट पालन कर सके लेकिन यह मुद्दा बराबर उठता है। मैं चैलेंज करता हूं कि आप सही रेगुलेशन नहीं चला सकते। अगर चला दें तो मैं निश्चित रूप से आपको वादा करता हूं कि मैं इस हाउस में नहीं बैठूंगा, मैं राजनीति छोड़ दूंगा क्योंकि किसानों का भला हो जायेगा, मेरा इसी में कल्याण हो जायेगा। मेरा यह दावा है, क्योंकि आप जायेंगे तो निश्चित रूप से आप रेगुलेशन सही कर पायेंगे लेकिन आप जायेंगे नहीं। किसान आता है यहां पर जयपुर आपके पास में एक अपेक्षा लेकर कि हमारे मंत्री बैठे हैं, हमारे मुख्य मंत्री बैठे हैं, वहां जाकर हम अपनी बात रखेंगे, निश्चित रूप से हमारी बात की सुनवाई होगी लेकिन हम यहां पर सिर्फ टेलीफोन से संबंधित अधिकारियों से बात करते हैं, संबंधित अधिकारी तो वही बात कहेंगे जो आप कह रहे हैं और उसी की पीड़ा से वह यहां आये हैं तो यह जब तक आप नहीं करेंगे, हमारा किसान है, बराबर वर्षों से मारा जा रहा है और इसमें खुली छूट हो गई है। जब आप नहीं जाते हैं, बुरी तरह से पानी की चोरी होती है, चाहे आप उत्तरी राजस्थान में जाइये, चाहे मेवाड़ में जाइये, चाहे हाड़ौती में जाइये, यह क्या सिस्टम कर दिया जिसने चाहा नहर को काट दिया। आपके इधर पूर्वी और उधर हमारे हाड़ौती में, यह सारी जगह ऐसी व्यवस्था कर दी कि नहर काट लो, अपने खेत में छोड़ दो, खेत भर गया, अब जिसको जरूरत हो आकर ले जावे। यह हमने तो हमारे जबरदस्ती एक बीकानेर सम्भाग में बाराबंदी का सिस्टम था कि 4 बजकर 16 मिनट पर पानी की बारी आएगी तो उसी समय उसको पानी मिलेगा, उसकी नीयत सीमा है, उतना ही पानी उसको मिलेगा और अगले किसान को पानी मिल जाता है लेकिन यह पानी की चोरी और इसी के बाबत मैं बताना चाहूंगा, जो प्रश्न मैंने पूछा है सभापति महोदय, यह आई.जी.एन.पी. के अन्दर सैकण्ड स्टेज के बारे में मैने पूछा था कि यह पानी की चोरी कहां-कहां हो रही है मंत्री महोदय, मुझे उत्तर में बताया कि सन्

(श्री देवी सिंह भाटी)

2005-2006 के दौरान रबी की फसल में 112 चकों में 307 काश्तकारों के द्वारा 3,105 बीघा में अवैध काश्त की गई। अवैध काश्त, एक दिन में फसल नहीं पकती है, एक महीने में फसल नहीं पकती है। लगातार चार महीने तक पानी चलता है चोरी का पानी, सब अधिकारियों की नजर में है और जवाब में आया है कि इसके लिए अधिकारी कोई दोषी नहीं है और किसानों के बारे में जिसने भी नाजायज किया है, उसके लिए पता नहीं, आप क्या-क्या लिख देते हैं कि शेष 426 अवैध काश्तकारों के विरुद्ध पी-14 फार्म व अन्य अभिलेख प्राप्त कर कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है। यह कब का है। सवा दो साल के बाद में जवाब दे रहे हैं। ऐसी बुरी हालत है। यह लगातार इस प्रकार से सारे प्रश्न हैं। मैंने यह प्रश्न पूछा है, आपने स्पष्ट इसमें माना है, इतने तो आउटलेट तोड़ दिये, इतने साइफनों से यह चोरी हो गई और लास्ट में, चौथे भाग में आपने बताया है, मैंने पूछा था कि आउटलेट ठीक करने थे, आउटलेट ठीक क्यों किये जाते हैं कि जब उसको कोई तोड़ देता है या अधिकारियों की मिलीभगत होती है।

आपने यह माना है, बीच में यह प्रक्रिया भी चली थी कि हनुमानगढ़ सम्भाग में 608 एपीएम दुरस्त किये गये, 608 चकों में जहां गड़बड़ होती है, वहां ठीक किया जाता है। उसकी निगरानी में हमने उस समय तय किया था कि जो भी आउटलेट लगायेगा, उस जे.ईएन. से आप सर्टिफिकेट लेंगे, जिससे कम से कम जवाबदेही तो तय हो लेकिन यह प्रयास बिलकुल खतम हो चुका है। हमारा प्रयास था, मैं कोई इतना बड़ा दावा नहीं कर सकता लेकिन मंत्री महोदय, जब मैंने मंत्रालय संभाला था, एक नहर टूट गई थी गंगानगर में और उसी समय उसको बांसवाड़ा भेजकर चार्जशीट दी थी। उसके बाद में कोई नहर नहीं टूटी। अगर आप नोटिस लेंगे और तुरन्त कार्यवाही करेंगे तो कभी भी पानी की चोरी नहीं होगी आपके और मैन कैनाल के अन्दर सभी आउटलेट लगे हुए हैं, खुलेआम वहां 12 महीने पानी चलता है क्योंकि आपके वहां एक ही आदमी बैठता है, वह बैलदार है। वही आपका चीफ इंजीनियर है, वही आपका मंत्री है। लगातार हमारे जो सैकण्ड स्टेज के और फर्स्ट स्टेज के बीच में 600 क्यूसेक्स पानी लगातार चोरी हो रहा है और बराबर मीटिंग में हमने यह मुद्दा उठाया है, उसका पता नहीं लग रहा है कि साहब जानकारी कर रहे हैं, यह 600 क्यूसेक्स है, इससे तो बड़ी नहर चल रही है, पानी का कोई पता ही नहीं है, यह पानी कहां जा रहा है। इस प्रकार से अगर व्यवस्था चलायेंगे तो

(श्री देवी सिंह भाटी)

मंत्रीजी, मैं तो कहता हूं मंत्री महोदय फिर मजा नहीं है, आप भले ही सिंचाई मंत्री रहो, लेकिन किसान की पीड़ा नहीं मिट सकेगी। सबसे ज्यादा टेल का किसान मारा जाता है। आज अगर जायेंगे, टेल के ऊपर पानी पहुंचता है तो इसका मतलब सब किसानों को पानी मिल गया। आप टेल की चिंता करो, पानी चोरी के लिए जवाबदेही तय करो, तब तो कोई इसका रास्ता निकलेगा। आप देखिये आपका सिस्टम, इसके लिए एक ड्रिंकिंग वाटर का शेयर तय किया हुआ है। हमारे मान लो कंवरसेन लिफ्ट है, हनुमानगढ़ की कुछ नहर है, दूसरी जगह भी है, लेकिन आप उसको 12 महीनों चला रहे हैं...

उसका रेगुलेशन तय है, शेयर तय है लेकिन जब पीने का पानी अब बीकानेर भेज रहे हैं, गांवों में भेज रहे हैं। निश्चित तौर पर भेजिये, लेकिन आप उसके जितने भी हैं वह वेजेज मंगा कर देखिये रेगुलेशन में, कितना एक्स्ट्रा पानी वह ले रहे हैं। किसान को अपना हिस्सा मिले लेकिन यह नहीं हो कि दूसरे का हिस्सा मारकर वह नहरें बराबर लगातार चलती रहे। यह जब तक आप नहीं करेंगे, इसका कोई भी रास्ता सही तरीके से आप कुछ कर नहीं पायेंगे। आईजीएनपी में लिफ्ट कैनाल्स हैं उनका एरिया सारा ओपन कर दिया सिंचाई के लिए और पानी आप उन्हें दे नहीं रहे हैं। जब आपने वह सारा क्षेत्र खोल दिया है तब वह किसान इन्तजार कर रहा है कि हमारे भी आउटलेट लगे, हमें भी पानी लगे, कम पानी भी है तब भी हम कम से कम चारा भीज लें, दो बीघा गेहूं की फसल कर लें। लेकिन आपने यह सिर्फ सरकार के माध्यम से, पता नहीं अधिकारियों ने कैसे करवाया, तैयारी थी या नहीं, एरिया ओपन करके खुला कर दिया कि हम सिंचाई के लिए पानी देंगे लेकिन आप दे नहीं पा रहे हैं। और फिर आप योजना ले आये स्प्रिंकलर और डिग्गी के द्वारा कि कम पानी है, वाटर अलाउंस कम है इसलिए हम डिग्गी और फव्वारों के माध्यम से सिंचाई करवायेंगे। मंत्री महोदय, देखिये आप सबसे पहले यह सोचिये कि जो भी जो पीएचईडी की हमारी पाइप लाइन्स हैं वह भी चाक हो जाती हैं उसमें भी पेड़ों की जड़ें आ जाती हैं और पता नहीं लगता कई-कई दिन तक कि पानी की रूकावट कहां है। किसान को अगर एक बारी निकल गई तो उसकी फसल वह नहीं ले सकेगा। आपने पहले इसमें हमारे विभाग से एक एक्सपेरीमेंट किया, एक कोई इंजीनियर आये, पता नहीं अमेरिका जाकर आ गये और उन्होंने पाइप वाटर कोर्स बना दिये, यह पूगल से लेकर.. (व्यवधान) हां, वह डांडा। अब डांडे पता नहीं कहां से आ जाते हैं, हम तो डांडे

(श्री देवी सिंह भाटी)

पशुओं में देखते हैं, लेकिन वह आ गये, उन्होंने कोई एक्सपेरीमेंट किया लेकिन एक यह था मंत्री महोदय कि पाइप वाटर कोर्स इन्होंने बना दिया। आश्वस्त कर दिया किसान को कि आपको जो भी बाद में सामान की जरूरत पड़ेगी, पाइप की कालर की, आपको कहीं भी ज्वाइंट की, कहीं उसमें टूट-फूट होगी, जेईएन हैडक्वार्टर के पास सारा सामान उपलब्ध रहेगा और आपके वह पाइप वाटर कोर्स तुरन्त ठीक कर दिये जायेंगे। यह पाइप वाटर कोर्स रेगिस्तानी क्षेत्र में है, वहां शिफ्टिंग सेण्ड है। ऊपर पांच-पांच, छह-छह फीट मिट्टी चढ़ जाती है और पता नहीं लगता, लीकेज कहां है, जहां डिप्रेशन होगा वहां जाकर पानी निकलेगा और जब तक वह किसान मारा जाता है। यह तय हो चुका था, हमने भी उस समय तय किया था लेकिन उसे लागू नहीं किया गया कि आप पाइप वाटर कोर्स हटा कर इसकी जगह ओपन वाटर कोर्स कर दीजिये, चाहे नरेगा के माध्यम से, नहीं तो किसान खुद मेहनत करने के लिए तैयार है, आप मेटेरियल दे दीजिये, वह पाइप वाटर कोर्स हटा कर उनको ओपन करवा दीजिये। वह आपके कामयाब नहीं हैं और आप डिग्गियां और स्प्रिंकलर वाला एक्सपेरीमेंट कर रहे हैं।

एक्सपेरीमेंट, सभापति महोदय, पहले रिसर्च फार्म्स पर होनी चाहिए, आप किसान की कास्ट के ऊपर वहां एक्सपेरीमेंट कर रहे हैं और बाद में जब नतीजा आता है तब आपके हाथ खड़े हो जाते हैं कि हमारे पास बजट नहीं है। आप कम से कम इसको दोबारा दिखवाइये। सभापति महोदय, मैं अभी समाप्त ही कर रहा हूं। आप इसको दिखवाइये, यह बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आप लेकर आये हैं, इसमें सामान की तो खरीद हो गई लेकिन आप डिग्गी वहां पर बना रहे हैं कैनाल के पास में और फिर पाइप से उसके खेत तक पानी ले जाओगे, वह पानी कहीं बीच में रूक गया तो उसको पानी मिलेगा नहीं। आप वहां तक ओपन वाटर कोर्स ले जाओ। आप नरेगा से, कैसे भी उसको कीजिये, वह खुद मेहनत कर लेगा, आप मेटेरियल की व्यवस्था करवा दें, यह पाइप में सारा खर्चा आपका व्यर्थ जायेगा, यह जितने भी हमारी छह लिफ्टे हैं इन सब में आपकी योजना सारी फेल हो जायेगी। इसलिए मेरा अनुरोध है कि इसके ऊपर पुनर्विचार करें, जो सुझाव आये हैं उनके ऊपर थोड़ा दिखवाइये तब जाकर यह आपके कामयाब हो पायेंगे वरना यह कामयाब होना भी बहुत मुश्किल है। सभापति महोदय, मैं यह मंत्री महोदय से एक अनुरोध करूंगा कि हमने हमारे समय में जो आपके इस कैनाल प्रोजेक्ट के अन्दर आईजीएनपी के सैकण्ड

(श्री देवी सिंह भाटी)

स्टेज में रोड हमने बनाई थी सर्विस रोड जो कैनाल कंस्ट्रक्शन के लिए काम आ रही थी। उसके लिए पिछली सरकार में बजट दे दिया, बरसलपुर ब्रांच की सड़क बन चुकी है, चारणवास ब्रांच की भी बनी थी, आपके पास इसके लिए कोई बजट नहीं होता है, आप मेनटेन नहीं कर पाते हैं। इसलिए हमने यह तय किया था कि यह पीडब्ल्यूडी को हैण्डओवर हो जाय, तो उसके लिए आप प्रयास करें कि यह इस प्रकार की रोड्स हैं जो हमारी बनी हुई हैं, काफी लम्बी रोड्स हैं, कहीं बीस किलोमीटर, कहीं सत्तर-अस्सी किलोमीटर तक की लम्बी सड़कें बनी हैं, यह यदि आप तैयार करवा देंगे तो यह सारी पीडब्ल्यूडी में हैण्डओवर हो जायेगी और उसके बाद में इन सड़कों का सही उपयोग हो पायेगा। आप थोड़ा ध्यान दीजिये मंत्री महोदय। अब बीकानेर के अन्दर हमारे चीफ इंजीनियर की पोस्ट है, अब वह लगातार खाली रह रही है, कई रिटायर होने वाले होते हैं, दो साल बाकी रहते हैं जब उसको बैठा देते हैं, कभी किसी को, एडिशनल चीफ इंजीनियर को चार्ज दे देते हैं तो यह कम से कम जब तक आपका प्रोजेक्ट चल रहा हो, किसान वहां तक जाता है और इन सारे सिस्टम को अगर सही तरीके से जिम्मेदारी के साथ चीफ इंजीनियर नहीं देखेगा, सिर्फ एक्स्ट्रा चार्ज में होगा तब इसकी सारी स्थिति हमारी बहुत खराब हो जायेगी।

दूसरे, मैं निवेदन करना चाहूंगा मंत्री महोदय कि कई किसानों की आपने जमीन ले ली बिना एक्वीजिशन करवाये, मेन कैनाल बहुत बड़ी है नदी की तरह, उसमें आई उसकी जमीन, पास में, बज्जू के पास में 931 पर कालोनी है। पूरी की पूरी उस किसान की जमीन आ गई, वर्षों वह रोता रहा, जमीन अवाप्त नहीं हुई रिकार्ड में और उसके नाम से बोलती रही। वह फरियाद करता-करता मर गया, वह एक विश्नोई था हमारे बज्जू का और अभी भी ऐसे मामले जिसमें आपके एलाइनमेंट तक सही तय नहीं है, यह तय करवायें तो किसान को अपनी जमीन का कम से कम मुआवजा या तबादला तो मिल सके, यह आप निश्चित तौर पर देखेंगे। और एक मैं निवेदन करना चाहूंगा कि जहां हमारा नया सैकण्ड स्टेज का प्रोजेक्ट है इसमें काफी सिल्ट आई हुई है, लिफ्ट कैनाल्स के अन्दर दूसरी नहरों में, यह आप नरेगा के माध्यम से, प्रस्ताव भी मांगे हैं प्रशासन ने लेकिन इसमें विभाग की रूचि कम रहती है। तो यह डिसिल्टिंग हो जायेगी जिससे आपका मेंटीनेंस का बजट भी बच जायेगा, तो यह आप करवायेंगे तो निश्चित तौर पर यह सारी व्यवस्था होगी। और एक मोटे तौर पर लास्ट में मैं कहूंगा सभापति महोदय, कि देखिये, आप अगर पूरी

(श्री देवी सिंह भाटी)

रूचि रखते हैं तो आप इस पानी का ज्यादा से ज्यादा हम ट्रेप करके उपयोग कर सकें बांध और नहरें बनाने का, तब यह जो सारा हम अलग-अलग विभागों से, चाहे शिक्षा विभाग से, समाज कल्याण विभाग से, अन्य से करते रहते हैं, जिस क्षेत्र में नहर आ गई, वहां आपको शिक्षा का प्रचार-प्रसार करने की आवश्यकता ही नहीं है, लोग अपने आप, उनमें ऐसी जाग्रति, चेतना आती है कि बच्चों को पढ़ाने का पहले जोर देते हैं। उनका सारा व्यवहार, दूसरी सुविधाएं, सड़क वहां आ जाती है, बिजली वहां आ जाती है, सारा विकास वहां पर हो जाता है, बेचारों के सम्बन्ध भी सिफारिश करके लोग आते हैं, सम्बन्ध भी करते हैं, तो यह पानी आप ट्रेप करके और ज्यादा से ज्यादा भू-भाग को आप सिंचित करेंगे तब इस प्रदेश के आम गरीब किसान का लाभ हो पायेगा। यही मेरा आपसे अनुरोध है कि इसको थोड़ा आप समय देकर थोड़ा जिलों में जाओ, बहुत आनंद आयेगा आपको। ठहरो साहब, ऐसे क्या लक्कड़ दे दिया, ठहरो ना।

श्री सभापति: सम-अप करो हुकम। पचास माननीय सदस्यों को बोलना है।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): इसमें, मैं कह रहा हूं आपको, मुझे बहुत आनंद आता था और इसी का कारण था, मैं क्लेम करता हूं पर थोड़ा इसके साथ, मैं घमण्ड के साथ नहीं, मेरे इस चार साल के कार्यकाल में पूरे राजस्थान के अन्दर एक भी जगह धरना-प्रदर्शन, कहीं भी विरोध प्रकट नहीं हुआ। इस हाउस के अन्दर तीस माननीय सदस्यों ने भाग लिया, सत्ताइस ने सारे उस सिस्टम की तारीफ की, तीन ने आलोचना की। आप जब आयेंगे तो देखिये साहब, इतना उसका दिल राज़ी होगा किसान का और आपको एक इतना आत्मसंतोष होगा, कृपया आप पधारें।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि आपके क्षेत्र में आकर आपकी उपस्थिति में संवाद करूंगा।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): क्या बात है? वे भी राज़ी, हम राज़ी।

श्री सभापति: श्री संतोषजी सहारण।

श्री संतोष कुमार सहारण (सादुलशहर): माननीय सभापति महोदय, आपकी अनुमति से परिवर्तित बजट 2009-10 पर आय-व्ययक की मांग संख्या 46- सिंचाई पर चर्चा में माननीय सदन से अपने विचार सांझा करने की कोशिश करता हूं। माननीय सभापतिजी, हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने गांव, गरीब व किसान के हित का बजट प्रस्तुत कर सरकार का किसान-हितैषी

(श्री संतोष कुमार सहारण)

होने का सबूत दिया है, मैं अपनी ओर से एवं इलाके की ओर से माननीय मुख्य मंत्री महोदय एवं माननीय जल संसाधन मंत्री महोदय को साधुवाद देता हूं। माननीय सभापतिजी, बजट में जल नीति बनाने की जो मंशा जाहिर की है इससे हमारी सरकार की किसानों को समुचित पानी मुहैया कराने की नीयत झलकती है। जल संसाधन एवं सिंचित क्षेत्र के विकास हेतु वर्ष 2008-09 में 2 हजार 46 करोड़ के बजट प्रावधान को बढ़ाकर के 2009-10 के बजट में 2 हजार 316 करोड़ प्रस्तावित किए हैं, जो बहुत अच्छी शुरूआत है।

माननीय सभापति महोदय, राज्य सरकार द्वारा सीमित जल संसाधनों से ड्रिप व स्प्रिंकलर सिस्टम से अधिकतम क्षेत्र में सिंचाई की खेती की पैदावार बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित किया जाएगा। मैं माननीय सभापति महोदय आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि जिन किसानों ने अपने खेतों में पानी की डिग्गियां बनाकर ड्रिप व स्प्रिंकलर से खेती करने की तैयार कर रखी है उन्हें सिंगल फेस 3 एचपी या 5 एचपी विद्युत कनेक्शन प्राथमिकता के आधार पर दिलवाने की कृपा करें।

माननीय सभापति महोदय, सिंचित क्षेत्रों में खालों के निर्माण एवं गंग भाखड़ा कमाण्ड एरिया में सिंचित विकास एवं जल प्रबंधन के लिए विस्तार हेतु जो बजट का प्रावधान किया है वह निश्चित तौर पर इलाके की खुशहाली की तरफ बढ़ने का नायाब प्रयास है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से जल संसाधन मंत्रीजी के सामने अपने इलाके की सिंचाई से संबंधित कुछ आवश्यकताओं व इर्रिगेशन सिस्टम में सुधार के कुछ सुझाव प्रस्तुत करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, मेरे जिले श्रीगंगानगर में इर्रिगेशन के तीन सिस्टम चालू हैं। गंग कैनाल सिस्टम, भाखड़ा कैनाल सिस्टम और आईजीएनपी सिस्टम। महोदयजी, मेरे विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर में गंग कैनाल व भाखड़ा सिस्टम से खेती से सिंचाई होती है। मैं पहले गंग कैनाल सिस्टम के बारे में बात कहना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, गंग कैनाल को 1927 में स्वर्गीय महाराजा गंगासिंहजी ने निर्माण कर गंगानगर जिले में जीवनदायनी के रूप में लाए थे। हमारी पिछली सरकार में माननीय मुख्य मंत्रीजी श्री अशोकजी गहलोत ने 464 करोड़ रुपये इस गंग कैनाल के पुनरुत्थान के लिए दिए थे। जिसका काफी भाग बन गया लेकिन बाद में कम्पलीट करने में देरी होने की वजह से इसके खर्च में बहुत बड़ी बढ़ोतरी हो गई है। इसके बावजूद इसके अन्दर गंग नहर फीडर का निर्माण जो एक बहुत

(श्री संतोष कुमार सहारण)

बड़ी 1500 क्यूसिक की नहर है, उसका निर्माण अभी बाकी है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि गंग नहर फीडर की लाइनिंग करवाने के लिए इसकी व्यवस्था करने की कृपा करें। माननीय सभापति महोदय मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से गंग कैनाल हमारे हिस्से के पानी के बारे में बात करना चाहूंगा। गंग कैनाल क्षेत्र जो गंग कैनाल सिस्टम को पंजाब बीकानेर नहर से पानी प्राप्त होता है, यह पानी हरिके बैराज से फिरोजपुर वितरिका में प्रवाहित किया जाता है तथा फिरोजपुर वितरिका की टेल आरडी 168 से बीकानेर कैनाल की आरडी 45 पर पानी प्रवाहित किया जाता है। बीकानेर कैनाल की आरडी 86 पर पजांब क्षेत्र के लिए कानियावली एक माइनर बनी हुई है जिसका क्रेस्ट लेवल हमारे बीकानेर कैनाल से ऊंचा है। क्रास रेग्युलेटर बना हुआ है, पंजाब के सिंचाई विभाग के द्वारा जब कानियावली माइनर में पानी प्रवाहित किया जाता है, उस समय आरडी 86 पर एफएसएल बढ़ाने हेतु गेटों को डाउन कर पोंड लेवल बढ़ाया जाता है। जिससे कानियावली माइनर में पानी प्रवाहित किया जा सके। क्योंकि कानियावली माइनर का क्रेस्ट लेवल मैंने जैसा निवेदन किया ऊंचा है, बीकानेर कैनाल में आरडी 86 पर बढ़े हुए जल स्तर का प्रभाव आरडी 45 पर भी पड़ता है। इससे वहां पर पंजाब सिंचाई विभाग द्वारा वहां पर जो गेज ली जाती है वह वास्तविक नहीं होती है तथा वहां काल्पनिक रूप में डिस्चार्ज काफी ज्यादा दर्शाया जाता है। जिसमें वास्तव में पानी की मात्रा कम होती है। आरडी 86 के क्रास रेग्युलेटर की डाउन स्ट्रीम में बीकानेर कैनाल का एक गेज लेवल बनाकर के गेज बनाई गई है। वहां पर पानी की मात्रा नापी जाती है तो आरडी 45 की मात्रा में काफी कमी होती है। इस तरह दोनों गेजों में पानी की मात्रा में लगभग 500 से 700 क्यूसिक पानी का अन्दर आता है। स्थानीय सिंचाई विभाग के अधिकारियों द्वारा पंजाब के सिंचाई अधिकारियों से कई बार व्यक्तिगत मिलकर व लिखित रूप में तय कर चुके हैं कि हमें गंग कैनाल शेयर के पानी की मात्रा बीकानेर की आरडी 86 पर लगी गेज के अनुसार नाप कर दी जावे तो वह ज्यादा वास्तविक रहेगी। हमारा शेयर का पूरा पानी मिलने की सम्भावना रहेगी परन्तु अभी तक पंजाब के सिंचाई अधिकारियों द्वारा इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही नहीं की है। गंग कैनाल में पिछले एक महीने से शेयर से कम पानी प्रवाहित हो रहा है। गंग कैनाल क्षेत्र की फसलें सूखने के

(श्री संतोष कुमार सहारण)

कगार पर हैं। अगर जल्दी से गंग कैनाल का पूरा पानी नहीं मिला तो क्षेत्र में हालात बहुत भयावह हो जाएंगे।

सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं कि गंग कैनाल प्रणाली में पिछले 15.06.2009 से 17.07.2009 तक जो हमें पानी प्राप्त हुआ उसका एक कंपरेटिव स्टेटमेंट है। 15.06.2009 से 22.06.2009 तक उपलब्ध पानी 1300 क्यूसिक था, निर्धारित शेयर हमारा 1650 क्यूसिक था, 23.06.2009 से 30.06.2009 तक 1150 क्यूसिक मिला जबकि हमारा शेयर 1300 क्यूसिक था, 17.01.2009 से 8.07.2009 तक 1120 क्यूसिक था, शेयर हमारा 1600 क्यूसिक निर्धारित था, 9.07.2009 से 17.07.2009 तक हमें 1100 क्यूसिक मिला था जो हमारा शेयर 1600 क्यूसिक था। माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि हमारे इस गेज को दुरूस्तीकरण करके हमें पानी सही दिलाया जाए। इसकी व्यवस्था आप करवाने की कृपा करें। मान्यवर, गंग कैनाल में नए बाग़ लगाने के लिए एक प्रतिशत पानी का निर्धारण है। हमारी नहर 2700 क्यूसिक की है उसमें 27 क्यूसिक पानी नए बागों को देने का प्रावधान है। अब इसमें इसको डिस्चार्ज चूंकि 3200 क्यूसिक हो गया है तो मेरा निवेदन है कि इसको 32 क्यूसिक दिया जाए और प्रायोरिटी के आधार पर फर्स्ट कम फर्स्ट के हिसाब से किसानों को इसका पानी दिया जाए। माननीय सभापति महोदय, हमारे गंग कैनाल के सिस्टम में एक ए माइनर की नहर है जिसमें हमारे भाई राधेश्यामजी भी इसमें बात करेंगे लेकिन मेरा निवेदन है कि यह शहर के बीचो-बीच से जाती है। इसके अन्दर दस या बारह मोगे हैं, उनके अन्दर आगे गांव हैं, उनके अन्दर यह पानी बहुत गंदला और खराब पानी जाता है। क्योंकि इस नहर के ऊपर लोगों ने कब्जा कर रखा है। अपनी पुलिया बनाकर उसको पूरा कवर कर रखा था। सारे सीवर के कनेक्शन इसके अन्दर कर रखे थे और पूरी यह नहर जो है अटी पड़ी है। इसके अन्दर चार फुट साढ़े चार फुट के करीब इसके अन्दर गंद था लोगों ने, किसानों ने विभाग के साथ मिलकर विभाग ने एक बहुत बड़ा उत्साहित काम किया कि उन्होंने किसानों के सहयोग से इन पुलों को तुडवाकर के इसकी सफाई करवायी। उन लोगों ने, व्यापारियों को भी साथ लिया, मेरा मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस सिस्टम के बारे में, इस नहर के बारे में आप ऐसी कोई स्कीम बनायें कि किसानों को पानी शुद्ध मिले, पूरा मिले और टेल तक पानी जाए और व्यापारी भी इसमें परेशान नहीं हो। मेरा आपसे यह निवेदन है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से

(श्री संतोष कुमार सहारण)

थोड़ा सा भाखड़ा सिस्टम के ऊपर निवेदन करना चाहता हूं। भाखड़ा गंग कैनाल दो महीने से भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड बीवीएम द्वारा निर्धारित शेयर के अनुसार पंजाब द्वारा पानी नहीं दिया जा रहा है। जिससे भाखड़ा व गंग कैनाल की सिस्टम की नहरों के कमाण्ड एरिया में खरीफ की फसल बुरी तरह से प्रभावित हुई है। अतः पंजाब से भाखड़ा एवं गंग कैनाल सिस्टम से पानी निर्धारित पूरा शेयर का दिलवाने की व्यवस्था करें। भाखड़ा गंग कैनाल इंदिरा गांधी नहर परियोजना भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड बीवीएम द्वारा निर्धारित शेयर से यदि कम पानी मिलता है तो कम मिल रहे शेयर को प्राथमिकता में चल रही सभी नहरों को बराबर अनुपात में न बांटा जाए। यह प्रपोशनेट जो शेयर तय करने की बात आ रही है। माननीय मंत्री महोदय यह तय किया जा रहा है कि प्रपोशनेटली नहरों में पानी चलाया जाए, पीछे से अगर 20 प्रतिशत पानी कम हो गया तो सभी नहरों में 20 प्रतिशत कम कर दिया जाए। मेरा निवेदन है, मेरी मान्यता है और सब लोग इसको जानते हैं कि सभी नहरों का अगर 20 प्रतिशत पानी कम कर देंगे तो सारी नहरें खतम हो जाएंगी, नहर मर जाएगी, चल नहीं पाएंगी। तो मेरा इसमें सुझाव है कि एकादि नहर को जिसका जितना पानी कम होता है एकादि नहर को कम करके बाकी नहरों को पूरा चलाया जाए। भाखड़ा व गंग कैनाल नहर की पुनः जल संसाधान परियोजना आरडब्लूएसआरपी के तहत लाइनिंग की गई है, मोर्जंड वितरिका एमजेडी की डिस्ट्रीब्यूटरी की पुरानी पुलों की जगह आरडब्लूएसआरपी में प्रस्तावित सात नए पुल बनाने शेष हैं और कार्य धीमी गति से चल रहा है। आरडब्लूएसआरपी के तहत एमजेडी वितरिका की लाइनिंग होने पर एफएसएल डेढ़ फुट रेज किया गया है। जिसके कारण पुराने पुलों में फ्री बॉण्ड नाममात्र का रह गया है। नहर में पानी के साथ कचरा आने की सम्भावना बनी रहती है जिससे नहर टूटने का खतरा बना रहता है। अतः इन पुलों को शीघ्र बनवाने की व्यवस्था करायें। मम्बड़खेड़ा वितरिका एमएम के डिस्ट्रीब्यूटरी की लाइनिंग का कार्य पूरा हो चुका है परन्तु बुरजी संख्या 118 से 119 के मध्यम हनुमानगढ़-श्रीगंगानगर सड़क पर पुराने डीआरबी की जगह जो नया डीआरबी प्रस्तावित है वह अभी तक नहीं बनाया गया है। आरडब्लूएसआरपी के तहत लाइनिंग होने के कारण इस नहर का एफएसएल भी डेढ़ फुट ऊंचा हो गया है। जिसमें पुराने पुल पर फ्री बोर्ड शून्य रह गया। इससे नहर के टूटने की सम्भावना बनी रहती है इस नहर का ठेकेदार कार्य छोड़ कर जा चुका है अतः इस डीआरबी को शीघ्र बनवाने की कृपा करें।

(श्री संतोष कुमार सहारण)

मान्यवर, मैंने कोशिश की है मेरी बात आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बताने की। मैं उम्मीद करता हूं कि पहली बार बोलने में कुछ बोलने का तरीके में हो सकता है मेरे से कुछ भूल रह गयी हो। माननीय मंत्री महोदय, किसानों के हितों को ध्यान में रखते हुए सिंचाई के पानी की पूर्ण व्यवस्था करावें। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री नरपत सिंह राजवी।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): सभापति महोदय, यह सेंसिटिव मैटर है, इसको गम्भीरता से लिया जाना चाहिए। मंत्रीजी को पत्र लिखेंगे तो ये फिर कोई फिलोसिफिक बात लिखेंगे कि सिंचाई न करके और थूक से काम चला लेंगे तो काम चल जाना चाहिए। मैंने पेयजल के लिए लिखा था तो भौगोलिक स्थिति के बारे में बहुत कुछ बताया। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य रूप से गंग नहर सबसे पहले राजस्थान में आयी। आईजीएनपी, भाखड़ा, चम्बल, दवाई डेम, नर्मदा और माही कैनाल प्रोजेक्ट फ्लो इर्रिगेशन से राजस्थान में बड़ा स्रोत अगर कोई है तो ये ही है लेकिन इसमें आरम्भ में एक तो हमारा सिस्टम डवलप नहीं था और पंजाब रीआर्गेनाइजेशन एक्ट लागू होने के बाद वास्तविकता तो यह थी कि पंजाब को मिलने वाले हिस्से के पानी को ही विभाजन करना था 4.25 एमएएफ को हरियाणा, पंजाब और हिमाचल के बीच में लेकिन पंजाब रिआर्गेनाइजेशन एक्ट को फालो अगर करते तो 47.47 प्रतिशत अन्य राज्यों को और 52.529 प्रतिशत राजस्थान के हिस्से का बना रहता। भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड के हाथ में रेगुलेशन रहता और इस सिस्टम के आधार पर निष्पक्ष होकर पानी चलता ऐसा विचार उस समय रहा लेकिन बीवीएमबी को कभी ट्रांसफर हुआ नहीं और हर बार इस सदन में जब भी चर्चा हुई है तो पूरे सिस्टम का रेगुलेशन भाखड़ा व्यास मेनेजमेंट बोर्ड को ट्रांसफर किया जाए ताकि इन्टरस्टेट डिस्प्यूट्स खड़े नहीं हों। इस निमित्त बार-बार प्रेस किया गया लेकिन सभापति महोदय, मैं एक बार पार्लियामेंट की एक प्रोसिडिंग टीवी पर देख रहा था तो एक माननीय सदस्य ने कहा कि इस पर आप राजनीति कर रहे हो तो दूसरे ने कहा कि राजनीति करने नहीं तो यहां पर क्या हरि भजन करने के लिए आये हैं लेकिन इन्टर स्टेट रीवर डिस्प्यूट्स के बारे में और पानी के डिस्प्यूट्स के बारे में राजनीतिक खेल नहीं खेला जाना चाहिए था। मीन फ्लो सतलज का 15.15 एमएएफ था और आज भी इससे अधिक नहीं है लेकिन राजीव

(श्री नरपत सिंह राजवी)

लोंगोवाल अकार्ड में उसको मूर्त रूप देना था और उस आधार पर 17.17 एमएएफ पानी मीन फ्लो 1940 से 1980 के बीच में मानते हुए यह नया रेगुलेशन आरम्भ करेंगे, रिडिस्ट्रिब्यूशन आफ वाटर होगा वो भी करने के लिए 17.17 एमएएफ के आधार पर 8.6 एमएएफ पानी राजस्थान के हिस्से में आया उसमें प्रतिशत में कोई परिवर्तन नहीं। उसके बाद में तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी ने प्रधानमंत्रीजी के दबाव में अपनी कुर्सी बचाने के लिए यहां की प्रोसीडिंग बता रही है, बहुत लंबी बहस हुई है, अपनी कुर्सी बचाने के लिए एक पंजाब के साथ समझौता किया और 8.6 एमएएफ पानी उस कंडीशन में उसको देना स्वीकार किया कि जब तक राजस्थान अपना सिस्टम डवलप नहीं कर ले और ये भी साथ में शर्त थी कि 17.17 एमएएफ पानी होगा तो 8.06 पानी राजस्थान को मिलेगा। लेकिन चूंकि राजस्थान ने 8.6 पानी इस्तेमाल करने का सिस्टम डवलप नहीं किया है इसलिए यूज करने का उस समय भी हमने कहा था, तत्कालीन विपक्ष के नेता माननीय श्री भैरोंसिंहजी ने कहा था कंजम्पटिव यूज को इस्तेमाल करेंगे, यह बाद में राजस्थान को पानी नहीं मिलने वाला। हमने भी कोशिश की, आप भी कोशिश कर रहे होंगे लेकिन गम्भीर प्रयास करने पड़ेंगे लेकिन इससे गम्भीर बात दूसरी है 8.6 एमएएफ वो यूज कर रहे हैं वो तो कर रहे हैं तो प्रतिशत जो पानी हमारा घटाया जो जितना भी सतलज का पानी पोंगे डेम में इकट्ठा हो रहा है उसमें हमारे को 48 प्रतिशत पानी मिल रहा है। 52 प्रतिशत हिस्से को प्रतिशत के आधार पर घटाने का अधिकार बीवीएमबी को भी नहीं था, उसको भी चेलेंज नहीं कर रहे हैं। जूनियर अधिकारी को वहां पर भेजते हैं वहां पर कोई घास नहीं डालता है और चुपचाप बात करके चले आते हैं।

सभापति महोदय, इराडी कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट दी उसको भी स्टेट ने रिप्रजेंट किया तब सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों ने मिल कर उस चीज को जिन बातों पर सहमत थे, उन बातों को सामने रखा। राजस्थान का हिस्सा सुरक्षित रहे लेकिन जो इराडी ट्रिब्युनल के कारण कंजम्पटिव यूज की बात जो की गयी वो आज तक रड़क रही है और आने वाले समय में भी वो परेशानी रहेगी। सभापति महोदय, ये पानी तो सिर्फ प्रतिशत के रूप में घटाया, वो तो है ही, 1982 में बहुत अधिक पानी आया, गेट्स खोले डेम के और काफी आतंकवादी गतिविधियां उस समय वहां पर थीं। आतंकवादी काफी उस पानी के बहाव में बह भी गये लेकिन उसका बदला उन्होंने एक चीफ इंजीनियर को

(श्री नरपत सिंह राजवी)

गोली मार दी, भाखड़ा व्यास मेनेजमेंट बोर्ड में वो बैठता था। उस आधार पर दस फीट ऊपर का पानी टोप लेवल का दस फीट का पानी डेम सेफ्टी के निमित्त वो कम भरने लगे। आज भी कम भरा हुआ है। इस इश्यू का तो कम से कम सिरियशली टेक अप कर लें। सबसे ज्यादा पहाड़ी क्षेत्र में जहां पर रोका हुआ है किलोमीटर्स में जाकर अभी भी जिनको कंपेंसेशन दे दिया है, अनूपगढ़ से माननीय विधायक जो विराजमान हैं वहां पर आज अगर टीम भेजना चाहें तो विधायकों की टीम भेज कर दिखवा लें, गेहूं की फसल किलोमीटर क्षेत्र में होती है जहां पर राजस्थान के किसानों का, राजस्थान की जनता का पैसा हम चुका चुके हैं कंपेंसेशन दे चुके हैं वो सिर्फ इसलिए कि वहां पर उनको पता है कि पानी नहीं भरेंगे।

सभापति महोदय, रायपेरियन थ्योरी, पंजाब ने तो एक एक्ट करके और पास करके भेज दिया जिसको हमने चेलेंज किया उस समय हमारी सरकार थी सत्ता पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों ने मिल कर एक प्रस्ताव पारित किया लेकिन महाराजा गंगासिंहजी रायपेरियन थ्योरी एशिया में सबसे पहले लाने वाले थे। ये यूरोप में मानी जाती थी, अमेरिका में मानी जाती थी और इसका बेनिफिशियरी स्टेट के आधार पर राजस्थान को इसका पानी, तीन नदियों का पानी भारत को मिला और उसी आधार पर आईजीएनपी का पानी भाखड़ा का पानी और गंग कैनाल का पानी सबसे पहले रायपेरियन थ्योरी के आधार पर मिला वो फाउंडेशन स्टोन उस समय महाराजा गंगासिंहजी ने रखा।

(समय : 15.00 बजे)

सभापति महोदय, आज या कल अख़बार में आपने पढ़ा होगा, कैपेसिटी तो इस प्रगति विवरण में भी विभाग ने दी है 18500 क्यूसेक्स की कैपेसिटी है फीडर की लेकिन ईमानदारी से जितने भी यहां पर पूर्व सिंचाई मंत्री जी भी विराजमान हैं, आप अभी विराजे हैं, अधिकारीगण अलग-अलग दायित्व में रहे होंगे, एक दिन भी 18500 क्यूसेक्स उस फीडर में नहीं चला पाये क्योंकि सब स्टेण्डर्ड कंस्ट्रक्शन रहा है। आपके चीफ इंजीनियर वहां पर जाकर नहीं आये होंगे फिरोजपुर के पास में जहां पर उसमें घुमाव है वहां पर इतने बड़े-बड़े कट्स हैं कि अगर कार भी उसके अन्दर डाल दें, जीप डाल दें तो उसमें पता नहीं लगता है। आप 12000 क्यूसेक्स से ज्यादा पानी लेने की स्थिति में ही नहीं हैं वहां पर लेकिन उसका मेंटीनेंस कराने के लिए मिसयूज हो सकता है। दूसरी स्टेट को पैसा दें लेकिन आप एग्रीमेंट कर लें। पिछली बार

(श्री नरपत सिंह राजवी)
भी राजस्थान ने करवाया था, गेट्स की रिपेयर करवाई थी। वाटर सील सोनीवाल हैड की भी और फिरोजपुर हैड वर्क्स की भी दोनों की रिपेयर हुई थी। इसमें कंज्मपटिव स्टेट राजस्थान है दूसरा तो नहीं है रिपेयर तो हमारे को करानी पडेगी। इस प्रगति विवरण में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जायेगा जनवरी, 1987 कि विधान सभा की प्रोसेडिंग उठा कर देख लें कितना होगा। तत्कालीन सिंचाई मंत्रीजी और आइजीएनपी मंत्री नरेन्द्र सिंह भाटी ने इसी फ्लोर आफ द हाउस से 45 इंजीनियर्स को 1124 से लेकर 1196 आरडी के घटिया निर्माण के कारण सस्पेंड किया था। रावतसर में जो सेम की समस्या है वह हार्डपेन के कारण नहीं है। मुख्य रूप से वहां पर भी पानी इकट्ठा होता है, पानी वापस अन्दर से आने लग जाता है जब नहर में पानी नहीं होता है। यह हमारी लाइफ लाइन है, यह आरटरी है राजस्थान की, यह ग्रेनरी है राजस्थान की जिसको हम कर रहे हैं और अब तो इतने जिलों में पीने का पानी उपलब्ध करवा रहे हैं कि बरसात नहीं हुई तो वास्तव में सोचना पड़ेगा कि कौन काश्तकार उस जिले में रह पायेगा या नहीं रह पायेगा। पीने का पानी तीन चार तहसीलों में सब सोइल वाटर नहीं है, पानी ही नहीं है।

सभापति महोदय, अभी कोलायत से आने वाले माननीय विधायक ने अवैध काश्त की बात कही है। शर्मनाक बात है। पंजाब में 5 प्रतिशत भी अवैध काश्त अगर किसी चक में होती है तो पटवारी को सस्पेंड अपने आप कर देते हैं, सुओमोटो। 5 बीघा भी अगर मिल गई, यहां तो हजारों बीघा है। आप अकेले कंवरसेन लिफ्ट का उदाहरण ले लें। बीकानेर को पीने का पानी उपलब्ध कराने के लिये कंवरसेन लिफ्ट बनी। उसका थोड़ा सा कल्चरेबल कमांड एरिया था और वास्तव में आज कितने एरिया में कल्टीवेशन हो रहा है। वह बिना अधिकारी की मिलीभगत से नहीं हो सकता । पहले भी अधिकारी सस्पेंड हुए हैं और भविष्य में भी अगर आपकी नीयत साफ रहे तो सस्पेंड होने के अलावा कोई चारा नहीं, पनीशमेंट देना पड़ेगा। 47 क्यूसेक पानी अतिरिक्त पानी वहां इस्तेमाल किया जा रहा है। वह पानी पीने के लिये दूसरी जगह भी यूज किया जा सकता है। सभापति महोदय, लिफ्ट स्कीम की भरमार थी। लिफ्ट इर्रिगेशन में अलग-अलग समय में लिफ्ट इर्रिगेशन किया। जोधपुर, बीकानेर जैसे डिवीजनल हैड क्वार्टर, बडे शहरों को पीने का पानी उपलब्ध कराये वह तो समझ में आता है लेकिन आप प्रति व्यक्ति या पर कैपिटा हैक्टेयर के हिसाब से या पर क्यूसेक कास्ट कितनी पड रही है उस लिफ्ट सिस्टम के कारण अगर आप निकालायेंगे तो खेती का नाम नहीं लेंगे। 30 से लेकर 50 हजार

(श्री नरपत सिंह राजवी)

रुपये पर हैक्टेयर से भी अधिक कास्ट आती है। उस कास्ट पर खेती ना किसान कर पायेगा और न सरकार उसको सस्टेन कर पायेगी। जो भी मंत्री बना उसने किसी न किसी प्रकार से कोशिश की कि अपने क्षेत्र में कहीं न कहीं पानी ले जाऊं, कोई स्कीम बनाऊं और इसी सदन का इस्तेमाल किया है इसी आधार पर। चाहे वह चूरू जिले में ले जाना हो, चाहे वह नागौर ले जाना हो, चाहे वह अलग-अलग किसी स्थान पर ले जाना हो। पीने का पानी उपलब्ध हो पहला चार्ज कराना पड़ेगा, पहला चार्ज उसका है। लेकिन पीने के पानी के अलावा जिस प्रकार राजनीति का यहां पर नाच किया गया, इस्तेमाल किया गया है, टूल के रूप में इस्तेमाल किया सभापति महोदय, आने वाली पीढ़ी कभी माफ नहीं करेगी। चाहे मंत्री किसी भी दल का रहा हो, मंत्री किसी भी पार्टी का रहा हो, शख़्सियत कैसी भी हो पीने के पानी के अलावा इतना महंगा पानी उपलब्ध करायेंगे तो आने वाले समय में लोग क्वेश्चन मार्क लगायेंगे कि यह आपने ज्युडिशियस, एप्लीकेन आफ माइंड किया है या नहीं। आपके विभाग ने जो दिया है स्टेज टू में एएनएम कोस्ट, स्टेज टू की नहर बनी नहीं। बन कर अभी तक पहली बार खेती भी नहीं हुई और उसकी मेंटीनेंस के लिये पैसा चाहिये । डिशल्टिंग तो आवश्यकता है। वह तो वहां पर जब तक सैटलमेंट पूरा नहीं हो जायेगा, जब पूरी नहीं होगी तब तक डिशल्टिंग तो करना पड़ेगा। लेकिन हर कैनाल सिस्टम पर और हर चकों के बीच में किसानों की समितियां गठित क्यों नहीं कर देते। कितना राशि का मिस एप्रोपिएशन होता है, जितना इसमें गबन होता है उसका अनुमान आज भाषण में तो मैं दे नहीं सकता लेकिन अगर आपको आंकड़े दिखाऊंगा, आपको अपनी आंखों से दिखाऊंगा तो आप खुद चौंक जाओगे कि ऐसा असम्भव काम।

सभापति महोदय, पाइप टोर्स कोर्सेज की बात कही, उस समय भी मैंने डी.एन. नैना साहब से डिस्कस किया था। मैंने कहा आपने टेरेस्टिरियल स्टेडी की है क्या? उस स्टेडी के बिना आप पाइप से पानी ले जायेंगे । टैरेन है, कहीं टीला है, कहीं नीचा है उसकी कोस्ट बहुत ज्यादा आयेगी और वह कोस्ट आप किसानों पर डालोगे चाहे वह 10 प्रतिशत डालो चाहे 25 प्रतिशत डालो लेकिन उस खाले को मेनटेन करना इतना भारी काम रहेगा, डिशल्टिंग करना सम्भव नहीं होगा। आज जितने भी खाला एक्सपेरिमेंटल भी बनाया वह एक्सपेरीमेंट फैल हो गये । किसान उस चक पर बस नहीं सकता यह मैं आपको दावे के साथ कह सकता हूं। दो चार दिन पहले आपने अखबारों में पढ़ा होगा सभापति

(श्री नरपत सिंह राजवी)

महोदय, आपके माध्यम से बताना चाहूंगा कि करोडों रुपये का कोयला देवा जहां पर ईटें बनती थी सोइल वहां की ठीक मानी थी, वहां पड़ा है और विभाग को उसकी जानकारी नहीं है। 1986 में या 1987 में इसी सदन में एक बार बात उठाई थी कि सूरतगढ़ में भी ईट बनाने के लिये करोडों रुपये का कोयला पड़ा है जिसका उपयोग नहीं हो रहा है और वह लोग उठाकर ले जा रहे हैं, उसकी चूरी बन गई है। कैलोरिक वेल्यू उसकी कम हो गई है लेकिन ध्यान किसी ने नहीं दिया जनता के पैसे का चूना लगा। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि यहां पर भी बिजली का स्टेज टू में इलेक्ट्रीसिटी का एक नेटवर्क बने। उस नेटवर्क के आधार पर जब तक वहां की टोपोग्राफी में चेंज नहीं आयेगा, जब तक सेंड स्टेबिलाइजेशन नहीं होगा वह एरिया जल्दी से आबाद नहीं होने वाला। स्टेज वन को भी कम से कम 40 वर्ष लगे तब जा कर सैटल हुआ है। स्टेज टू में बागवान लगाने के लिये, डिग्गियों का निर्माण कराने के लिये एक तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से कोआर्डिनेट करें और इलेक्ट्रीसिटी डिपार्टमेंट से वहां पर अगर नेटवर्क हो तो नर्मदा बांध जैसे पानी मिल रहा है वैसे विकास हो जाये।

श्री उदयलाल आंजना (निम्बाहेड़ा): माननीय सदस्य महोदय आपकी इसमें बहुत अच्छी जानकारी है लेकिन दो बार प्रतिनिधित्व तो आपने चित्तौड़ से किया है । वह माननीय सदस्य उधर बैठे हैं तो चित्तौड़ के बारे में भी बता देते तो थोड़ा फायदा चित्तौड़ को भी मिल जाता। उस पर भी थोड़ा प्रकाश डाल दें तो ठीक रहेगा।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): वह भी कर दूंगा इन्तजाम । सभापति महोदय, चम्बल का पानी मध्य प्रदेश एनिकट और छोटे डेम बना कर इस्तेमाल कर रहा है जो हमारे हिस्से का है। हमारे समय सिंचाई मंत्रीजी ने वार्ता की थी, मुख्य मंत्रीजी ने भी वार्ता की थी। कंज्मप्टिव यूज डवलप नहीं हो, वह पानी हमारे हिस्से का हम इस्तेमाल कर सकें, सीधी अंगुली से नहीं तो टेढ़ी अंगुली से लेने की कोशिश करें वह पानी आपको हमारे इस क्षेत्र को देना होगा, हाड़ौती को इसका लाभ मिलेगा। सिर्फ पंजाब ही हमारे हिस्से का पानी नहीं ले रहा है, साउथ घग्घर कैनाल जब बंद हुई उससे पानी लेना बंद हुआ तो काला तीतर हैड में 47 क्यूसेक पानी हरियाणा रिलीज करता है। मैं चुनौती से आपको पूछना चाहता हूं आपके मंत्री पद की शपथ और विभाग देने के बाद एक दिन भी 45 क्यूसेक पानी चला है क्या ? उनको जब जरूरत होती है

(श्री नरपत सिंह राजवी)

उतना पानी वह ले लेते हैं और कम पानी छोडते हैं। रेगुलेट करने का, उसको कंट्रोल करने का कोई साधन हमारे पास नहीं है।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): सभापति महोदय, चित्तौड़ में, चित्तौड़ के मामले में तो आप भी थोड़ा चुप रहेंगे।

श्री सभापति: चित्तौड़ को छोड़ो।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): घोसूण्डा डेम, घोसूण्डा डेम हिन्दुस्तान जिंक को दिया हुआ था, 3-4 बार हमारी बैठक हुई, उसको कम्पलीट नहीं किया। गेट सब तैयार हो गये। लेकिन 1424 के लेवल तक पानी इक्ठ्ठा करने का दायित्व हिन्दुस्तान जिंक का है। उस पर दबाव लगा कर, जो भी प्रेशर आपको इस्तेमाल करना हो, करें, वरना उनको पानी देना बंद करें। ताकि उसके बाद में वापस आपके कण्ट्रोल में आयेगा। आज की तारीख में वहां पर आपका एक मैट भी नहीं है, एक बेलदार भी नहीं है और पानी वह रोकते हैं उतना ही रोकते हैं ताकि कोई सरकारी जमीन पर पानी नहीं चला जाए। पूरे 24 के लेवल तक लेवल ले लें, उसके बाद अतिरिक्त राशि पी.एच.ई.डी., सिंचाई दोनों देने वाले हैं वह प्रोजेक्ट भी तैयार है। उसमें आपको कुछ सहयोग चाहिए तो चित्तौड़ से, अभी तो जिले ने सारे ने सारे विधायक दिये हैं। आप लोग भी थोड़ी कोशिश करें, सिर्फ मक्खन लगाने से काम नहीं चलेगा। थोड़े बहुत आंकड़े भी सामने फीड करें। प्रतिपक्ष इसके लिये तैयार है कि राज्य के हिस्से का, किसानों के हिस्से का पानी निश्चित तौर पर मिलना चाहिए। आपने समय दिया उसके लिये बहुत-बहुत आभार, इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि जितने भी हैड्स हैं, टैल पर पानी पहुंचाना आपका दायित्व है।

श्री सभापति: श्री शाले मोहम्मद।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): और टैल पर पानी तब पहुंचेगा जब हैड्स का, उन हैड्स की वापस आप एक बार जांच कर लें कि उसके लेवल्स क्या हैं। हैड लेवल्स डिफेक्टिव हैं और जहां पर 2-4 शिकायतें आएं कि यहां पर पैड लेवल डिफेक्टिव है, मैं आपको बता दूंगा डेढ़-डेढ़ फुट का पैड लेवल का डिफरेंस, ऐसे किसानों को पानी नहीं मिलता। फिर वह चोरी करने की और कोशिश करते हैं। तो जहां पर ज्यादा डिफरेंस हो वहां सुधार करने की कोशिश करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री शाले मोहम्मद।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सभापति महोदय, मध्य वाले भी हैं।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): माननीय सभापति महोदय, धन्यवाद, आपने मुझे मौका दिया। मांग संख्या-46 पर सिंचाई और इन्दिरा गांधी परियोजना पर चर्चा हो रही है। बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। आज मैं यदि मेरे जैसलमेर जिले की बात करुं, वहां के लोगों ने कभी सोचा भी नहीं था कि हमारे यहां हिमालय का पानी इस रेगिस्तान में पहुंचेगा। जब यह बात आई तो लोग हंसते थे कि यह लोग तो पागल हो गये कि हिमालय का पानी इन रेत के टीलों में ला रहे हैं1 मैं पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इन्दिराजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज इन रेगिस्तानी इलाकों में, उन्होंने इतनी बड़ी सोच रखी और आज उस सोच की वजह से आधा राजस्थान, जैसलमेर के उन रेतीले टीलों में खेती कर रहा है, उस रेगिस्तान को हरा-भरा कर रहा है। इस मौके पर मैं आदरणीय मुख्य मंत्रीजी और जल संसाधन मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने इस बजट को इतना शानदार पेश किया कि टैल के किसानों का विशेष ध्यान रखते हुए उन किसानों के लिये 76 हजार हैक्टेयर भूमि पर 96 करोड़ 94 लाख रुपये का जो, उन खाल निर्माण के लिये जो प्रावधान रखा है, मैं समझता हूं, बहुत बड़ी, जिस भूमि पर इतने लम्बे समय से जिन खालों का निर्माण होना था उन खालों का निर्माण नहीं हुआ था। मैं समझता हूं आने वाले समय में जल्दी ही वह खालें तैयार होंगे और वह खालें भूमि तैयार होकर के जो हमारे वहां के किसान, वहां के लोगों ने जो आवेदन कर रखा है, उन आवेदकों को इन खालों पर जमीन देकर के हमारे जैसलमेर के लोगों को इसका बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। इसके साथ ही कई वितिरिकाएं हैं जो लम्बे समय से टूट गई थीं उनकी मरम्मत की जरुरत थी। पिछले 5 वर्षों में उन वितिरिकाओं की अनदेखी की गई और हमारे मुख्य मंत्रीजी ने 45 करोड़ 60 लाख रुपये का जो इसमें प्रावधान रखा है, मैं समझता हूं जो हमारे टैल की जो वितिरिकाएं हैं, जो टूटी हुई थीं, उन किसानों को इस बजट से बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। इसके साथ-साथ सिंचाई प्रबन्ध के लिये जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये दो वर्षों में बची हुई समस्त उपभोक्ता समितियों के चुनाव कराने की जो बात कही है, मैं समझता हूं इससे हमारे टैल के जो किसान हैं उन किसानों में जागरुकता पैदा होगी और अपना जो हक लम्बे समय से उनको नहीं मिल रहा था, जागरुकता आने से उन लोगों को अपना हक मिलेगा। मैं दु:ख के साथ कहना चाहूंगा कि पिछले 5 वर्षों के अन्दर किसानों के साथ जिस प्रकार से

(श्री शाले मोहम्मद)

व्यवहार किया गया, किसानों को जिस प्रकार से चरणों में बांटा गया, किसानों को आपस में लड़ाया गया, मुझे इस बात का दुःख है कि किसानों में भी राजनीति की गई। एक को प्रथम चरण बनाया गया, दूसरे को द्वितीय चरण बनाया गया। राजस्थान की जनता जानती है, सभापति महोदय, किस प्रकार से घड़साना के अन्दर गोलियां चलीं और उसमें कितने किसान मारे गये। यह पूरा राजस्थान जानता है। आदरणीय हमारे भाटी साहब जो बात कह रहे थे कि मेरे कार्यकाल में ऐसा कोई प्रदर्शन नहीं हुआ, ऐसा कोई धरना नहीं हुआ। तो मैं उनसे कहना चाह रहा हूं कि आपका इतना अच्छा कार्यकाल रहा तो हमारे आदरणीय पूर्व मंत्री, जो 5 साल थे, आप उनको भी सलाह देते तो कम से कम इस प्रकार की घटनाएं तो नहीं होतीं। जो पूरा राजस्थान चिन्तित था, यदि आपकी सलाह मानते तो मैं समझता हूं वह चीजें हमें देखने को नहीं मिलतीं। ऐसी कई चीजें, इसमें मैं यह नहीं कहना चाहता हूं कि यह पक्ष और विपक्ष की बात कर रहा हूं। मैं जो वहां वास्तविक स्थिति है, जो वहां के किसानों के साथ हुआ, वह चीज मैं बताना चाह रहा हूं कि हमारे जैसलमेर जिले की जो बहुत बडी जो मैन कैनाल है, जिसकी स्वीकृतियां जारी हो गईं। गडरा रोड, जो हमारे मुख्य मंत्री, जो पूर्व में सरकार थी, उस समय स्वीकृतियां जारी हुई थीं, वह काम 5 साल तक रुका रहा। 384 आर.डी. तक उनका काम होना था। जो कि 302 आर.डी. तक आज भी काम अटका हुआ है। तो मैं कहना चाहूंगा कि यदि आप किसानों का भला करने वाले हैं तो यह जो रुके हुए काम थे, किसानों के लिये हम हैं, किसानों ने हमें यहां भेजा है तो कम से कम हमें यह सोच रखनी चाहिए कि जो कोई भी सरकार हो, यदि काम अधूरा पड़ा है, यदि स्वीकृतियां जारी की हुई हैं तो उसको प्राथमिकता के साथ, उस काम को लेना चाहिए। यदि वह 5 साल तक, यदि आज तक काम हो जाते तो मैं समझता हूं आज 384 आर.डी. तक गडरा रोड बन जाती और वहां के किसानों को भूमि आबंटित भी हो जाती और आज वह टैल का किसान है, गडरा रोड तक, पानी भी पहुंच जाता। ऐसी कई वितिरिकाएं भी हैं, गुंजनगढ़ वितरिका, उनके आज तक टेण्डर होए पड़े हैं। आज भी वह काम नहीं हो पा रहा है। तो आदरणीय मंत्री महोदय से मैं कहना चाहूंगा कि गुंजनगढ़ वितरिका, यह बहुत बड़ी वितरिका है। 5 साल तक इसकी उपेक्षा की गई है, अब कम से कम इस गुंजनगढ़ वितरिका को चालू किया जाए। वहां के किसान चाहते हैं, वहां के लोग चाहते हैं। यदि वह वितरिका बन जाती है तो मैं समझता हूं बहुत बड़ा भू

(श्री शाले मोहम्मद)

भाग वहां खुलेगा और हमारा वह गरीब किसान, जो टैल पर बैठा है, उन किसानों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।

इसके साथ ही मुख्य मंत्रीजी को खास तौर पर मैं इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि मेरे जो पोकरण विधान सभा क्षेत्र के अन्दर पोकरण लिफ्ट का जो काम था जो आदरणीय पूर्व सरकार, जब कांग्रेस की थी, तब इसकी स्वीकृति की गयी थी, वह भी काम पांच साल तक रुका रहा। और मैं अशोकजी गहलोत साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा, जल संसाधन मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आज इस बजट के अन्दर पोकरण लिफ्ट के लिए जो उन्होंने राशि का प्रावधान किया है, क्योंकि वहां पर जो पीने का पानी लोगों को नसीब नहीं होता जो अण्डरग्राउंड वाटर, खारा पानी है। लोग कहीं जोधपुर डिस्ट्रिक्ट वहां से, कलाऊ से पानी ला कर पीते हैं यदि आज तक यह पोकरण लिफ्ट तैयार हो जाती तो मैं समझता हूं कि आज किसानों को और वहां के लोगों को बहुत बड़ा पीने का पानी मिलता और वहां की जनता को राहत मिलती। और मैं समझता हूं, आदरणीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि इस बजट में आप लोगों ने जो इसका प्रावधान किया है, इस प्रावधान को आप इसी साल तुरन्त रूप से लागू करें ताकि वहां की जनता को तुरन्त उसका लाभ मिले।

कहने के लिए तो बहुत कुछ है पर मैं कुछ आदरणीय मंत्रीजी को सुझाव देना चाहूंगा कि हमारे जो टेल के किसान हैं, उन किसानों का विशेष रूप से ध्यान देने की जरूरत है। टैल के किसान की हमेशा उपेक्षा हुई है। मैं चाहूंगा जो भाटी साहब कह रहे थे रेगुलेशन की बात उस पर मैं आप लोगों से माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहूंगा कि रेगुलेशन सही रूप से, सही ढंग से लागू करने की बहुत बड़ी जरूरत है। आज प्रथम फेज के किसान कपास बो रहे हैं, चावल बीज रहे हैं और हम लोग सिर्फ पीने का पानी मांग रहे हैं। यदि वह पीने का पानी हमें नहीं मिलता तो मुझे इस बात की बहुत बड़ी तकलीफ है और खास तौर पर जब मैं प्रधान था, उस समय जब बीकानेर डिवीजन के अन्दर जो एक कमिश्नर लेवल पर जो रेगुलेशन ...(व्यवधान)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, मैं दो मिनट का समय लूंगा, मैं नया सदस्य हूं और यह बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। बहुत बड़ी हमारे इस क्षेत्र की

(श्री शाले मोहम्मद)

जरूरत है इसलिए मैं चाहता हूं कि जो कमिश्नर लेवल पर जो कमेटी बनी हुई थी, उस कमेटी को पूरे डिवीजन के प्रथम और द्वितीय किसान, सब जो उनके जन-प्रतिनिधि थे, वे लोग सब मिलकर जो रेगुलेशन तय करते थे कि किसको कितना पानी मिलेगा, आज उसको चीफ इंजीनियर लेवल पर ही कर दिया पिछली सरकार ने। और चीफ इंजीनियर लेवल पर हम जाते हैं, मीटिंग्स करते हैं तो चीफ इंजीनियर जो एकदम लाचार बन जाते हैं कि साहब, हमारे हाथ में तो कुछ भी नहीं है। जो कमिश्नर साहब ने तय किया है वह आपको हम बता रहे हैं तो फिर हमारी मीटिंग का क्या मकसद? यदि सी.ई. लेवल पर यही बात आती है कि कमिश्नर लेवल पर जो तय हुआ है वह आपको हम पढ़कर सुना रहे हैं मंत्री महोदय, मुझे इस बात का दुःख है यदि हमें हमारा हक मिलना चाहिए तो कमिश्नर लेवल पर उसी डिवीजन पर मीटिंग आयोजित करो, वहां पर जितना जिसका हक बनता है उसको पूरा हक मिले। कमिश्नर लेवल की मीटिंग करके, मैं समझता हूं कि तब ही हमारे टैल के किसानों को पूरा लाभ मिलेगा।

इसके अलावा मैं चाहूंगा कि जो हमारे क्षेत्र में कई ऐसे कच्चे नेटल हैं, जो दो-दो मुरब्बे कच्ची शाख पड़ी है, सी.ए.डी. विभाग द्वारा उनको छोड़ दी गयी अधूरी। जब माननीय पूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धराजी जैसलमेर दौरे पर आयी थीं तो उन्होंने घोषणा की थी कि इन कच्चे नेटल हैं, इनको पक्का कर दिया जाएगा, वे पक्के नहीं हुए।

आदरणीय, मैं जल संसाधन मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि जो कच्चे नेटल हैं या तो उस नरेगा में लिया जाए या राज्य सरकार द्वारा ऐसा प्रावधान किया जाए ताकि जो टैल में बैठा हुआ किसान है, जिसकी कच्ची शाख है जो पूरा पानी दो घंटे तो पानी आता है और वह पानी यदि रेतीली जमीन सोख लेती है तो किसान के यदि खेत में पहुंचता है तब एक बीघा ही पानी पी पाता है। जो कच्चे नेटल हैं उसको पक्की शाख करना बहुत ही आवश्यक है तो मैं चाहूंगा कि उसका भी इस बजट में प्रावधान रखा जाए।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

इसके अलावा जो हमारे माननीय सभापति महोदय, मैं दो मिनट का समय मांगता हूं सिर्फ आपसे, यह बड़ा महत्वपूर्ण विषय है इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा लाखों रुपये जो सरकार के हर साल सिल्ट निकालने में चले जाते हैं, यदि मैंने, कई बार मैंने कहा है कि जो यह लाखों रुपये आपके व्यर्थ

(श्री शाले मोहम्मद)

जा रहे हैं यदि हम इन माइनर्स और नहर के किनारे यदि पौधे लगा देंगे तो, पौधे लगा देंगे तो मैं समझता हूं कि जो आपके लाखों रुपये हैं जो व्यर्थ जा रहे हैं वह बच जाएंगे। और कम से कम नहर में जो आप, हमारे मुख्य मंत्री का सपना है कि हरित राजस्थान, राजस्थान हरा-भरा हो तो दोनों चीजें हो जाएंगी। आपके लाखों रुपये बच जाएंगे और पैड़-पौधे बहुत बड़ी संख्या में उन नहरों और माइनरों के किनारे लग जाएंगे और उसका लाभ आने वाले समय में हमारे किसानों को बहुत ज्यादा मिलेगा।

इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेते हुए इसके साथ में यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि जो चक आबादियां हैं, जो हमारे इस क्षेत्र में बहुत बड़ी संख्या में हैं, उन चक आबादियों में मूलभूत सुविधाओं की कमी है। चाहे उस चक आबादी में पानी की डिग्गी का मामला हो, चाहे स्कूल का मामला हो, चाहे वहां पर सड़क ले जाने का मामला हो तो मैं समझता हूं कि किसी एक विभाग को ही उसकी जवाबदारी देनी चाहिए। कम से कम कोई चक आबादी, वहां पर लोग बसना चाहते हैं तो यदि उसमें मूलभूत सुविधाएं नहीं होंगी तो मैं समझता हूं कि वहां किसान इस गर्मी के अन्दर जो हमारे वहां 47 और 48 डिग्री गर्मी पड़ती है, उस गर्मी में जरूरत है कि वहां के किसानों को यदि मूलभूत सुविधाएं देंगे तो ही वहां लोग बस पाएंगे।

श्री सभापति: समाप्त करिये, माननीय सदस्य।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण): इसलिए मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए खास तौर पर मैं पुनः आदरणीय मुख्य मंत्रीजी और जल संसाधन मंत्रीजी को धन्यवाद दूंगा और मुझे विश्वास है कि आने वाले समय में जो भी हमारे इस क्षेत्र में जरूरत है, उस जरूरत को पूरा करेंगे। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ ।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): माननीय सभापति महोदय, क्षमा चाहूंगा, इधर से बुलवा दिया, इधर से भी बुलवा दिया।

श्री सभापति: इनके बाद बोल लेना।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): यह बाद में? आप पुकारें।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): यह बीच में इतने जने बैठे हैं माननीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान)

श्री सभापति: मेरे पास में है। इसके बाद बोल लेना।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): धन्यवाद।

श्री सभापति: रखा है मेरे पास, आपका विशेष ध्यान है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 46 पर सदन में चर्चा हो रही है। माननीय सभापति महोदय, जब सिंचाई के पानी की चर्चा होती है तो मन और मस्तिष्क में उस राजस्थान की तस्वीर घूमने लग जाती है जो राजस्थान इस हिन्दुस्तान की जनसंख्या की दृष्टि से 10.4 परसेंट आबादी अपने में समाये हुए हैं पर विडम्बना है कि हमारे पास पेयजल सिर्फ 1.86 परसेंट है और सिर्फ चम्बल के अलावा कोई ऐसी बारह मासी नदी भी हमारे पास नहीं है जो बारह-मास तक बहे। जो कुछ भी जल हमें सिंचाई के लिए मिला वह हमारे अन्तरराज्यीय जल समझौतों के अनुसार मिला जिसकी बुनियाद 1960 के अन्दर इण्डस वाटर ट्रीटी से रखी गयी और मैं यह रिकार्ड में भी लाना चाहता हूं कि उस इण्ड्स वाटर ट्रीटी से हमें बेसिन थ्योरी के आधार पर हमें डूब का क्षेत्र मानते हुए राजस्थान को हमारी अलग अलग जल-परियोजनाओं में हमारा हिस्सा मिला।

माननीय सभापति महोदय, 18 जून को मैंने मंत्री महोदय, आपकी एक तस्वीर देखी, बड़े मुस्कराते हुए तस्वीर थी अपने नेता के साथ ... (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नेता के साथ मुस्कराते हुए नहीं हो सकती।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): हरियाणा के मुख्य मंत्री के साथ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, यह कहो उनके साथ थी। नेता के साथ मुस्कराते हुए नहीं हो सकती।

श्री महिपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): आप नहीं मुस्करते हो क्या वसुन्धराजी के साथ?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यूं लगने लगा था कि दशकों पुरानी हमारी वह मांग, हमारे हक-हकूक की मांग, क्योंकि दिल्ली के अन्दर सल्तनत आपके पास है, हरियाणा में आपके पास है, राजस्थान में आपके पास आ गयी। समाचार-पत्रों में बड़ी-बड़ी बातें आपने प्रकाशित करवायीं। दूर बैठा व्यक्ति कहने लगा कि अब तो यमुना के अन्दर जो हमारा हिस्सा है वह हिस्सा मिलेगा पर माननीय सभापति महोदय, मुझे यह कहते हुए बड़ा अफसोस है, हरियाणा के

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

मुख्य मंत्रीजी ने जाते-जाते कह दिया कि एक समिति बना लें, प्रिंसिपल सैक्रेटरी, इर्रिगेशन, राजस्थान और प्रिंसिपल सैक्रेटरी, इर्रिगेशन, हरियाणा यह तय कर दे कि किस तरह हरियाणा का पानी मिलेगा।

मैं निवेदन करना चाहूंगा, 12.5.1994 का वह समय तत्कालीन प्रधान मंत्री, उनकी अध्यक्षता में एक बैठक हुई। राजस्थान के मुख्य मंत्री भैरोंसिंहजी उसमें थे, हरियाणा के मुख्य मंत्री भजन लालजी थे, यू.पी. के मुलायम सिंहजी थे, दिल्ली के मदन लालजी और हिमाचल के वीर बहादुर सिंहजी, सबके हस्ताक्षर से एक समझौता हुआ, बेसिन स्टेट मानते हुए यमुना के सरप्लस पानी के अन्दर 1.11 विलियन क्यूबिक मीटर हिस्सा राजस्थान का हो, यह तय हुआ और माननीय सभापति महोदय, यही नहीं 11.3.1995 को केन्द्र सरकार ने इस समझौते की क्रियान्विति के लिए अपर यमुना बोर्ड का गठन कर दिया और इसी अपन यमुना बोर्ड की 22वीं बैठक दिनांक 11.12.2001 को हुई उसमें यह तय कर दिया कि राजस्थान को यमुना जल के अन्दर मंत्री महोदय, 3198 क्यूसेक पानी मिलेगा।

ताजे वाला हैड से चूरू और झुन्झुनूं जिले में पानी जायेगा 1917 क्यूसेक्स, भरतपुर में दिगम्बर सिंहजी के जायेगा 1281 क्यूसेक्स और इसके साथ ही हरियाणा और राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्रीजी, दोनों की एक बार फिर बैठक हुई 16.6.2001 को। उसमें यह तय हुआ कि राजस्थान जल के उपयोग को किस तरह करेगा? एक अपनी योजना बनाकर केन्द्रीय जल आयोग को भेजेगा। यह भी तय हो गया कि राजस्थान हरियाणा से पानी लेने के लिये हरियाणा अपनी नहरों का रिमॉडल करेगा और चूरू और झुंझुनूं में सपना दिखा 1 लाख 97 हजार हैक्टेयर भूमि सिंचित करने का, 934 करोड़ की योजना बनी। भरतपुर के अन्दर 1 लाख 20 हजार हैक्टेयर भूमि सिंचित होनी थी, 175 करोड़ की और सभापति महोदय, 7-2-2003 मंत्री महोदय, वह दिन था जिस दिन केन्द्रीय जल आयोग ने इस योजना को मंजूरी दे दी। पर एक शर्त लगा दी, शर्त यह लगा दी कि जब परियोजना पर काम चालू होगा तो हरियाणा की हमें सहमति लेनी पड़ेगी और दोनों राज्यों में काम साथ-साथ चालू होगा। 12-4-2006 को तत्कालीन मुख्य मंत्री वसुन्धराजी ने भारत के प्रधान मंत्री के सामने यह बात रखी कि चूरू और झुन्झुनूं जिलों में अकाल है, पानी की आवश्यकता है। हमारे हक-हकूक का पानी है। हरियाणा से हमें एम.ओ.यू. पर दस्तख्त कराओ। सभापति महोदय, अब यहां से पैतरा बदलते हैं

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

और हरियाणा अपर यमुना की रिव्यू कमेटी में चला जाता है। पानी देने का विरोध करता है और उसके बाद जिस तरह का झुनझुना हरियाणा के मुख्य मंत्री इनको पकड़ाकर गये हैं, केन्द्रीय सरकार ने, मंत्री महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और आन्ध्र प्रदेश के प्रिंसिपल सैक्रेट्री, वाटर सोर्स की एक कमेटी बना दी। मोडेलिटी तय करो, पानी कहां से मिलेगा। ताजे वाला हैड पर पानी कितना है, ओखला हैड पर पानी कितना है? इसकी लगातार मीटिंग हुई। मैं लम्बा समय ले लूंगा परन्तु 26-3 2007 को इसी रिव्यू कमेटी के अन्दर हरियाणा ने यह कह दिया कि हम ताजे वाला हैड से पानी नहीं देंगे, पानीपत पर राजस्थान नया बैराज बनाये। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा सभापति महोदय, बहुत गम्भीर विषय है। इस गंभीर विषय के अन्दर इच्छा शक्ति की आवश्यकता है, राजनीति करने की आवश्यकता नहीं है। यह तस्वीर खिंचाने से काम नहीं चलेगा। आपके विरासत में जो आपको राजनीति मिली है, आपके साथ ऐसी शख्सियत का नाम भी है, जिसको राजस्थान के किसान अपना मसीहा कहता है और वह समय भी था 1998 में आज के गांधी जब मुख्य मंत्री पहली बार बने अशोकजी, उस घोषणा पत्र में जिसकी तस्वीर के आधार पर राजस्थान के किसानों ने वोट दिया, वह दूसरे कोई नहीं थे, आपके पिताश्री थे, जिनका हम आदर करते हैं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं हिम्मत आप में हो यमुना का पानी हम लें। आप अगुवाई करें। मुख्य मंत्रीजी पर मुझे भरोसा नहीं, आप चलें, सदन को विश्वास में लें। हम दिल्ली चलें और संसद भवन के अन्दर गांधीजी की स्टेच्यू लगी है। आपको माला पहनाकर हम आपको आगे-आगे बिठायें आमरण-अनशन पर, आपके साथ पीछे हम क्रमिक अनशन पर, हम लोग भी बैठें, हिम्मत होनी चाहिये।

इसी तरह का एक विषय मैं आपके सम्मुख रखना चाहता हूं। अभी मुझसे पहले विद्याधर नगर से आने वाले माननीय सदस्य ने बी.बी.एम.बी. की बात की। अगर आपको राजस्थान के अन्दर अपने विरासत की राजनीति की कदम दर कदम आगे बढ़ाना है तो आपको आगे निकलना पड़ेगा और मुझे कहते हुए कोई अफसोस नहीं, पूरे सदन के अन्दर आप लौह-पुरूष के रूप में जाने जाओगे, इतिहास के पन्नों पर आपका नाम दर्ज हो जायेगा। बी.बी.एम.बी. की बात चली। पंजाब और हरियाणा जब दो पृथक-पृथक राज्य बन रहे थे, उस समय पंजाब रिआर्गनाइजेशन एक्ट 1966 बना। मैं उस पंजाब

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

रिआर्गनाइजेशन एक्ट के सैक्शन 79 की तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा-

"The Central Government shall constitute a Board to be called Bhakhra Beas Management Board for administration, maintenance and operation of the following works, namely - .... The irrigation headworks at Ropar, Harike, Firozepur ..."

यह, सभापति महोदय, 1976 में भाखड़ा-व्यास प्रबन्धन बोर्ड का जो गठन हो गया, यह उसी समय पंजाब के हाथ से निकल जाना चाहिये था, परन्तु 42 वर्ष का समय हो गया। यह भाखड़ा-व्यास मैनेजमेंट बोर्ड मंत्री महोदय, आज भी पंजाब के हाथ की कठपुतली है। पंजाब जब चाहता है, जिस तरह घर के अन्दर टोंटी जब चाहो खोल लो, जब चाहो बंद कर दो, इस भाखड़ा-व्यास प्रबन्धन मण्डल से पंजाब इस तरह का खेल हमसे खेल रहा है। जिसकी चर्चा अभी कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य और माननीय राजवी साहब कर रहे थे।

मैं सभापति महोदय, निवेदन करूं यह जनहित याचिका बी.एम. सिंघवी बनाम राजस्थान सरकार, राजस्थान हाई कोर्ट में लगी। राजस्थान के हाई कोर्ट ने, राजस्थान के उच्च न्यायालय ने कहा कि इसके अन्दर बी.बी.एम. बी को सुपुर्द करो, इंडिपेंडेंट बाडी बनाओ, यह पंजाब के हाथ में नहीं रहेगा। पंजाब सरकार ने स्थगन ले लिया और सभापति महोदय, यह सदन उस चीज का साक्षी भी है 12 जुलाई, 2004 को पंजाब विधान सभा ने प्रिएम्प्शन एक्ट 2004 पारित कर दिया और 2004 पारित करके यह कह दिया कि 1981 का समझौता हो, 1960 का समझौता हो, पंजाब किसी समझौते को नहीं मानेगा। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा तत्कालीन मुख्य मंत्री वसुन्धराजी को और प्रतिपक्ष के नेता को, जिन्होंने सर्वसम्मति से संकल्प पारित किया। आपने सहयोग दिया, मैं आपकी भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं। मैं निवेदन करना चाहता हूं इतना समय व्यतीत हो गया और अभी हाल ही के अंदर जो वहां पूर्णकालिक सदस्य थे बलबीर सिंह, वह रिटायर भी हो गये। केन्द्र में आपकी सरकार है, दबाव बनायें, यह बी.बी.एम.बी. के अन्दर हमारा प्रतिनिधि क्यों नहीं रहे। इस पर भी निश्चित तौर पर विचार करना चाहिये।

सभापति महोदय, उस 1981 के समझौते का चंद शब्दों में उल्लेख करना चाहूंगा, जो आज भी काले अध्याय के रूप में राजस्थान के फेज फर्स्ट और फेज सैकण्ड के किसान के मन और मस्तिष्क पर अंकित है। वह समय

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

31.12.2001 का समय था। माननीय राजवी साहब सही कह रहे थे कि अपनी कुर्सी के लिये राजस्थान के हक और हकूक को बेचकर आने का काम हुआ। मैं पढ़कर कोट करना चाहूंगा उस फैसले के अन्दर वह अंश जो राजस्थान के किसान की छाती पर शूल की तरह चुभ रहे हैं। वह अंश हैं – 'जब तक राजस्थान अपने सम्पूर्ण हिस्से का उपयोग लेने की स्थिति में नहीं होता, तब तक पंजाब राजस्थान के आधिक्य हिस्से के पानी का सम्पूर्ण उपयोग करने के लिये शीघ्र योग्य नहीं हो जाता तब तक पंजाब सिंचित क्षेत्र में इस पाइंट सिक्स एमएफ पानी का उपयोग करेगा। आज राजस्थान में यह सक्षमता आ गयी। यह बात कई स्थानों पर उठी भी और मैं निवेदन करूं पंजाब प्रिएम्प्शन एक्ट के बारे में जिस तरह पंजाब की विधान सभा ने पारित किया, सब चीजों पर प्रश्न चिन्ह लग गया। आज यह सारा मामला प्रेसीडेंटल रेफरेंस में आर्टीकल, कांस्टीट्यूशन के आर्टिकल 143 के अन्तर्गत आज प्रेसीडेंटल रेफरेंस में सर्वोच्च न्यायालय में लम्बित है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, यह कुछ विषय ऐसे हैं मंत्री महोदय, जिन विषयों पर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर सोचना पड़ेगा। आप सोच सकते हो पूरे सदन के अन्दर हालांकि जिस तरह की सौबत आपकी हो गयी, यह सीट जहां आप विराजे हैं न, मुझको थोड़ा-थोड़ा शक होने लग गया।

अब, सभापति महोदय, मैं मेरे निर्वाचन क्षेत्र की बात कहूं इससे पहले एक निवेदन करके अपनी बात समाप्त करूंगा। 169 परियोजनाएं सरकार छोड़कर गयी और 169 वृहद् और मध्यम परियोजनाओं में 129 परियोजनाएं जो कांग्रेस के समय में स्वीकृत हुई, उनको पूरा करने का काम और किसी ने नहीं किया, वसुन्धरा राजे सिंधियाजी ने किया। और आज आप यह आरोप लगा रहे हो पिछली सरकार ने बिना वित्तीय प्रावधान के योजनाओं को स्वीकृत कर दिया। जहां जल संसाधन की बात करते हैं ...(व्यवधान)

श्री उदयलाल आंजना (निम्बाहेड़ा): माननीय सदस्य, आपके द्वारा पत्थरों का ...(व्यवधान) दो महीने पहले किया ...(व्यवधान) वह आज भी पड़े हुए हैं। मौके पर कोई गये नहीं और पत्थर लगा दिया । चुनावों को देखते हुए केवल घोषणाएं की गयीं। भारतीय जनता पार्टी के राज में जल संसाधन का कोई काम नहीं हुआ।

श्री सभापति: अच्छा, विराजें माननीय सदस्य।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): पानी पिलाने की योजना सवाई माधोपुर में समाप्त करके दूसरी जगह ले गयी। आज पानी के लिये लोग त्राहि-त्राहि कर रहे हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): उदघाटन हो चुका था उसका, टेण्डर दिये जा चुके थे और उस योजना को चेंज कर दिया। पानी के लिये इस तरह हो रहा है। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये। अंकित नहीं होगा।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): सभापतिजी, इस दल के लोग तो कुछ बोलने की स्थिति में ही नहीं हैं। घग्घर बाढ़ के पानी का इस्तेमाल 02 हैड बनाने का तत्कालीन मुख्य मंत्री बरकत साहब ने समझौता करके राजस्थान के हित का अन्याय किया है, उसका इतिहास गवाह है। क्या बात कर रहे हैं आप लोग?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): और यह जो बात माननीय सदस्य ने कही, वह इन्होंने ऊपर ही ऊपर नहीं कह दी, वह रिकार्ड पर मौजूद है। सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था, सब जानते हैं कि एशिया की सबसे बड़ी परियोजना राजस्थान कैनाल है जिसको आज इन्दिरा गांधी कैनाल के नाम से हम सब लोग जानते हैं। इसकी यात्रा भी छोटी यात्रा नहीं। सभापति महोदय मार्च, 1958 में जो योजना प्रारम्भ हुई और आज तक इस योजना पर 4343 करोड़ रुपये खर्च हो गये। आज भी वह योजना चली आ रही है। सही कह रहे थे विद्याधर नगर से आने वाले माननीय सदस्य कि इस योजना के साथ खिलवाड़ होता रहा है। राजनीतिक दृष्टिकोण से अपनी राजनीतिक आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए यह योजना मुड़ती रही और उसी का परिणाम रहा कि, मैं ज्यादा नहीं जाऊंगा, मैं उन छह लिफ्ट परियोजनाओं का जिक्र करना चाहूंगा जिसके अन्दर एक लिफ्ट योजना है वह है कुम्भाराम आर्य लिफ्ट परियोजना। जिस इलाके से मैं आता हूं, कितना समय बीत गया कुम्भाराम आर्य जलोत्थान योजना, दो लाख चालीस हजार हैक्टेयर क्षेत्र को सिंचित करने के लिए बनी।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मैं दो मिनट में समाप्त करता हूं। 107 किलोमीटर मुख्य नहर बननी थी। मंत्री महोदय, आपके रिकार्ड में है। 101 किलोमीटर मुख्य नहर बन गयी

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

और 6.30 किलोमीटर बाकी है और उसके साथ आपने लम्बी चौड़ी घोषणा कर डाली इस बजट से लेकर, घोषणा-पत्र में इस बाइबिल में कि आप साहवा, कुम्भाराम आर्य लिफ्ट परियोजना को पूरा करेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा सभापति महोदय, 1998 से 2003 का वह समय जब आपके हाथ में शासन था, आपने इस परियोजना पर खर्च किया 29.45 करोड़ और 2003 से 2007 के समय में 70 करोड़ रुपये खर्च हुए थे। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि पूर्ववर्ती सरकार ने 14.10.2008 को कमाण्ड एरिया खोला। दस हजार चार सौ पचपन हैक्टेयर और चौदह करोड़ की स्वीकृतियां जारी कीं। नये निर्माण की निविदाएं आमंत्रित कर लीं। निविदाओं पर फैसला इसलिए नहीं हो सका क्योंकि आचार संहिता बीच में आ गयी। अब मैं उस इलाके के लोगों का सौभाग्य कहूं या दुर्भाग्य? उस इलाके में मैं चुनाव लड़ने चला गया। मैं जीत गया। माननीय सिंचाई मंत्री महोदय, राजनीतिक दृष्टिकोण से आपने उन निविदाओं को निरस्त करने का पाप किया है। मैं पाप शब्द का इस्तेमाल इसलिए कर रहा हूं कि उस क्षेत्र के अन्दर मेरी जमीन नहीं है, उनके हक और हकूक हैं। किसान धरती का सीना चीरकर अन्न पैदा करना चाहता आ रहा है। उनकी आकांक्षाओं पर आपने वज्रपात करने का काम किया है। राजनीतिक दृष्टिकोण इस तरह के फैसले नहीं करें, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

सभापति महोदय, अन्त में मैं यह भी कहूंगा कि कुछ मसले ऐसे हैं, चाहे वह अन्तरराज्यीय जल विवाद के मामले हों, चाहे नहर परियोजना के निर्माण की बात हो, मैं उन बातों की तरफ नहीं जाऊंगा वरना जिस बात के लिए आज अभी अनूपगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य आन्दोलित हो रहे थे, उस पूरे मामले के अन्दर अगर किसी ने पानी को छोड़ने का काम किया तो आप ही के मुख्य अभियन्ता ने किया। जिन्होंने 25 जून को बी.वी.एम.बी. की बैठक में यू सी मिश्रा की अध्यक्षता में बैठक हुई। दस जुलाई को सिर्फ पीने के पानी की बात कहकर सहमति का ठप्पा लगा दिया, वहां किसान को बरबाद करने का काम कर दिया।

वह समय याद आ रहा है, वह मंजर याद आ रहा है मुझे, जब घड़साना के अन्दर हो रहा था और यहां मेरे साथ बैठे हुए लोग लम्बे-लम्बे भाषण दे रहे थे कि घड़साना की एक-एक इंच जमीन को पानी पहुंचाएंगे, वाटर लोस हम नहीं होने देंगे। आज मैं जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, आज घड़साना और अनूपगढ़ के अन्दर जो हालात हैं, वहां किसान की फसल बरबाद

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हो रही है । वह समय दूर नहीं जब घड़साना और अनूपगढ़ का किसान आपके शासन के सामने छाती तानकर खड़ा हो जाएगा। फिर मत कहना कि क्या हाल हुआ। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, समय रहते इस सरकार को चेतावनी देना चाहता हूं कि यह खिलवाड़ करना छोड़ दें, यह भेदभाव की नीति छोड़ दें वरना कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें आपको और हमको शामिल होना चाहिए वरना सहमति से हम दूर हो जाएंगे। आपने मुझे समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अर्जुन सिंह बामनिया।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (बांसवाड़ा): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-46 पर वाद-विवाद में आज मैं भी अपने विचार रखने जा रहा हूं जिस पर जल संसाधन सिंचित क्षेत्र हेतु 2316 करोड़ रुपये प्रस्तावित किया गया है।

सभापति महोदय, मंत्री महोदय, यहां विराजमान हैं और इस बजट भाषण में बांसवाड़ा में माही के बारे में कोई उल्लेख नहीं किया गया है। मैं मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि बजट भाषण 2008 और 2009 में इसका उल्लेख किया गया था और उसमें यह लिखा गया है कि माही परियोजना पूरी हो गयी। सभापति महोदय, इस पर मैं कहना चाहूंगा कि माही डेम के अन्दर 77 टी एम सी पानी टोटल आता है जिसमें से 16 टी एम सी पानी सिंचाई के लिए बांसवाड़ा जिले को दिया जाता है। 40 टी एम सी पानी पर गुजरात का हिस्सा है। सभापति महोदय, गुजरात में नर्मदा का पानी आ चुका है। जिन अधिकारियों द्वारा माही का काम पूरा होने के बारे में दर्शाया गया है, माननीय मंत्रीजी मैं दावे के साथ कह रहा हूं कि यह पूर्णतया असत्य है।

सभापति महोदय, और इस बात को भी दर्शाया गया है कि अन्तरराज्यीय पानी का समझौता है और अन्तरराज्यीय पानी समझौते में गुजरात का पानी है इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते। सभापति महोदय, मैं यह भी मानता हूं कि जब 16 टी एम सी पानी से अस्सी हजार हैक्टेयर जमीन की सिंचाई हो सकती है तो आज ग्रेविटी के तौर पर 18 हजार हैक्टेयर भूमि जो वंचित है, क्या उस 40 टी एम सी पानी में से पांच टी एम सी पानी रोककर हम सिंचाई नहीं कर सकते? क्या अधिकारियों ने उसका सर्वे करके यह बता दिया कि यहां पानी नहीं जाएगा? जब हायर लेबल कैनाल की बात आयी तो मैं यह जरूर मानता कि अन्तरराज्यीय समझौते के हिसाब से उस पानी को

(श्री अर्जुन सिंह बामनिया)

हम नहीं रोक सकते? तब जाकर हायर लेबल की कैनाल का कार्य चालू करके हम उसका पानी दे सकते थे परन्तु उसके अलावा मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि ग्रेविटी के तौर पर घाटोल तहसील की पीपलखूंट पंचायत समिति में पानी जाना और उसके अलावा बागीदौरा तहसील की कई पंचायतें हैं जो बाकी हैं। उनमें भी पानी जा सकता है। ये छोटी-छोटी माइनरें और डिस्ट्रीब्यूटरी बनाकर हम पांच टी एम सी पानी रोककर इन एरियाज को लाभ दे सकते थे। परन्तु पिछले कार्यकाल में इसको पूर्ण बताकर इस बजट भाषण में जिन अधिकारियों ने माननीय मंत्री महोदय, सत्य बात छिपायी है, उनके खिलाफ आप कार्यवाही करें। और मैं यह भी कहना चाहता हूं कि आपका टेक्नीकल स्टाफ यहां पर सारा बैठा हुआ है, आप एक दिन इस पर डिबेट रखें स्पेशल आफिसियली और हम एक-एक बात करके हम उस बात को बता सकते और दूसरी बात मैं आपको क्या कह सकता हूं? अगर आप गुजरात का पानी भी नहीं रोकना चाहते हो जो माइनर हैं और धोरे हैं, आज दिन तक अधूरे पड़े हैं, कच्चे पड़े हैं, उन्हीं को आप पूरा करोगे तो भी आपका दो-तीन टी.एम.सी. पानी रूक जायेगा। वैसे यह वेस्टेज के रूप में कडाना में जा रहा है।

सभापति महोदय, मैं आपको इस बात का भी विश्वास दिलाता हूं कि जिसके आधार पर माही डेम में जो पिछली सरकार द्वारा बहुत अच्छी धनराशि दी गई थी, मैं धन्यवाद देता हूं उस सरकार को जिन्होंने ...(व्यवधान) और भी आगे सुन लो। जिन्होंने अच्छा पैसा दिया और वह पैसा, मैं यह बात कहना चाहता हूं माननीय राठौड़ साहब, दो-दो एक्स.ई.एन. अधिकारी जिनको हटाकर एक ए.ई.एन. को चार्ज दिया गया।

और वो मात्र एक ए.ईएन. को चार्ज देकर आर.एम.सी. कैनाल पर काम कराया गया और आर.एम.सी. कैनाल पर जो उसमें काम कराया है वो भीखाभाई नहर, सागवाड़ा के नाम से कराया है। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से कहना चाहता हूं कि आर.एम.सी. की कैनाल भीखाभाई की कैनाल, दोनों में आप देखो, चाहे 15-20 किलोमीटर की दूरी हो, दोनों की कैपेसिटी बराबर है और जो डिजाइन बनी है उसको एज इट इज रखा गया है, उसको कहीं मेन्टेन नहीं किया गया है। आप सागवाड़ा में भी भीखाभाई कैनाल में पानी नहीं दे पाओगे टेल तक। यह स्थिति है।

माननीय सभापति महोदय, उस पर मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि भीखाभाई कैनाल के लिए आपने पैसों का जो प्रावधान किया है उसके

(श्री अर्जुन सिंह बामनिया)

लिए मैं बांसवाड़ा और सागवाड़ा की जनता की ओर से आपको धन्यवाद देना चाहता हूं, माननीय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं पर आप उसको दिखवायें। वहां साइफन बना हुआ है जाखम के ऊपर और आर.एम.सी. की जो कैनाल की डिजाइन बनी हुई है उसके आधार पर अभी न आगे भी वहां सागवाड़ा कैनाल तक हम पानी पहुंचाने की स्थिति में रहेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं बात को आगे बढ़ाते हुए माननीय मंत्रीजी से आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि आप माही डैम की इस परियोजना को पुनः दिखवाएं। वहां पूरा ही ट्रायबल बैल्ट है और उस ट्रायबल बैल्ट में आज भी कोई लिफ्ट लगाने की जरूरत नहीं है, कोई हायर लेवल की कैनाल खोदने की जरूरत नहीं है। जो ग्रेविटी पर पानी जा रहा है उसको हम दे सकते हैं और वहां छोटी-छोटी, बड़ी-बड़ी माइनर बना कर के हम 18000 हैक्टेयर जमीन को सिंचित कर सकते हैं। उस योजना के लिए आप पुनः उसका सर्वे करा कर के उस 18000 हैक्टेयर जमीन को सिंचित करने में सहयोग प्रदान करें। माननीय मंत्रीजी से मेरा यह निवेदन है

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लेते हुए पुनः एक दूसरी बात भी कहना चाहता हूं कि बांसवाड़ा के अन्दर सौन्दर्यीकरण के नाम से 8 करोड़ रुपये की योजना जो लगायी थी उसमें, माननीय मंत्री महोदय, आपके सामने शिकायत भी हुई थी और उसकी आप जांच करा रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी मेरी इस बात को भी आप नोट कर लें, वहां एक डैम डिवीजन को दूसरे डिवीजन में, डिवीजन को छोड़ कर के दूसरे डिवीजन में एक ए.ईएन. को चार्ज दिया और वो ए.ईएन. को इसलिए दिया कि, माननीय ए.ईएन. साहब, आर.एस.एस. के प्रमुख बांसवाड़ा में काम करते हैं इसलिए उसको चार्ज दिया और 2 करोड़ 47 लाख 11 हजार का घोटाला उसमें है और जिसकी जांच प्रभावित करने के लिए ए.सी.डी. में मुकदमा दर्ज है और उस मुकदमे में, माननीय सभापति महोदय,

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

जिन अधिकारियों को लेना चाहिए, ए.सी.डी. ने चिट्ठी भेजी है जिन अधिकारियों को लेने के लिए वहां तात्कालिक जो चीफ इंजीनियर बैठा है, उन अधिकारियों को नहीं दे कर के दूसरे अधिकारियों को, उनकी मदद के लिए जो

(श्री अर्जुन सिंह बामनिया)

अधिकारी भेजे गये हैं, माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि ए.सी.डी. ने जो चिट्ठी भेज कर जिन अधिकारियों को इस कमेटी में रखा है उनको आप उस कमेटी के लिए आदेश करें। यह मेरा आपसे निवेदन है। माननीय सभापति महोदय, उसमें 2 करोड़ 47 लाख 11 हजार रुपये का गबन है, एक फिट में 600 ग्राम लोहे का गबन है। इस तरह का यह बहुत बड़ा गबन है।

माननीय सभापति महोदय, मैं एक दूसरी बात भी इसमें कहना चाहता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

एक मिनट। माननीय राठौड़ साहब कह रहे थे, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि उस योजना को, उस सौन्दर्यीकरण के लिए एनीकट बनाया और उस एनीकट में पानी भरा, उद्घाटन करने के लिए तात्कालिक माननीय मुख्य मंत्रीजी पधारने वाली थीं, उसके एक दिन पहले पानी भरने से गेट टूट गया और गेट मुड़ गया और पूरा पानी निकल गया और माननीय मुख्य मंत्रीजी बांसवाड़ा में नहीं पधार सकीं। इस तरह के घोटाले हुए हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी को इसके लिए निवेदन करना चाहता हूं कि आप उसमें बराबर जांच कराएं। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री दिगम्बर सिंहजी।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): माननीय सभापति महोदय, आज ऐसे महत्वपूर्ण विषय सिंचाई पर सदन में चर्चा हो रही है, माननीय जल संसाधन मंत्रीजी विराजमान हैं। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के किसानों की बहुत बड़ी आशा माननीय मंत्रीजी की तरफ लगी हुई है। वैसे तो जब सरकार बन रही थी जब भी राजस्थान के किसान की निगाह, नजर पूरी तरह से माननीय मंत्रीजी की तरफ थी परन्तु जो फैसला हुआ वो ठीक है। आज आपके पास जो विभाग है, आज राजस्थान जिस समस्या से जूझ रहा है वो सबसे बड़ी समस्या पानी को लेकर है चाहे वो सिंचाई का पानी हो, चाहे वो पीने का पानी हो।

माननीय सभापति महोदय, मैं जिस जिले से आता हूं किसी जमाने में वो जिला पानी से परेशान रहता था और वहां का जो सिंचाई सिस्टम था, जो इर्रिगेशन सिस्टम था भरतपुर का वो इर्रिगेशन सिस्टम अपने आप में एक

(डा. दिगम्बर सिंह)

मिसाल हुआ करती थी और देश में नहीं बल्कि विदेशों में भी लोग उस इर्रिगेशन सिस्टम को देखने आते थे और आज, सभापति महोदय, एक-एक बूंद पानी के लिए भरतपुर जिला परेशान है। हमारी जमीन प्यासी है। माननीय सभापति महोदय, तीन मुख्य नदी हैं भरतपुर जिले में जिनसे लोगों को पानी मिलता था, रूपारेल, गम्भीरी नदी और बाण गंगा, मैं समझता हूं कि पिछले 15-20 वर्ष से एक बूंद पानी एक भी नदी के अन्दर नहीं आया। मुझे याद है जब हम छोटे थे और भरतपुर से जयपुर आते थे तो बाण गंगा के ऊपर एक सपाट बनी हुई थी और कई-कई घंटे तक इतना पानी चलता था कि ट्रैफिक जाम हो जाता था, कई घंटे बसें लाइन में खड़ी रहती थीं। माननीय सभापति महोदय, वहां पर पुल बना है, बहुत बड़ा पुल और जब से वो पुल बना है एक बूंद पानी उस नदी के अन्दर नहीं आया है।

माननीय सभापति महोदय, अलवर से रूपारेल को पानी जाता था, पांचना डैम से भरतपुर को पानी जाता था। वैसे तो बरसात का लेवल भी, एवरेज जो बरसात है वो भी सभी जिलों में करीब-करीब कम हुई है और कम होती जा रही है परन्तु भरतपुर में अलवर से और पांचना से चारों तरफ से पानी आना बंद हुआ। और आज हालत यह है भरतपुर की जमीन की कितनी भी मेहनत करने के बाद किसान उसमें जितनी पैदा लेना चाहे वो पैदा नहीं ले पाता। सभापति महोदय, जिले की तमाम तहसीलें डार्क जोन घोषित हो चुकी हैं, पानी का स्तर इतना नीचे चला जा रहा है कि किसान अगर अपना बोरिंग भी करता है तो हर साल उसको नयी जगह बोरिंग करना पड़ता है क्योंकि एक बार बोरिंग किया उसके बाद पानी का लेवल और नीचे चला गया और वो ही हालत हमारे हैण्डपम्प्स की हो रही है हमारे जिले में।

सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि अभी माननीय राजेन्द्रजी ने बहुत विस्तार से चर्चा की, हमें अगर कुछ आशा है हमारे जिले में तो यमुना जल की, पीने के लिए चम्बल का जो ड्रिंकिंग प्रोजेक्ट चला है, उसकी।

सभापति महोदय, 12.05.1994 को जो समझौता पांच स्टेट्स के मुख्यमंत्रियों के बीच में हुआ, जैसा माननीय राजेन्द्रजी ने अभी बताया, 1994 के बाद आज तक उसमें कोई बहुत ज्यादा प्रोग्रेस नहीं हुई। यह एम.ओ.यू. साइन हुआ, यह प्रोजैक्ट बना, प्रोजेक्ट बना भरतपुर के लिए और चूरू, झुन्झुनूं के लिए।

(डा. दिगम्बर सिंह)

(समय : 16.00 बजे)

सभापति महोदय, भरतपुर के लिए इसमें 1281 क्यूसेक्स पानी, इसमें जो सरप्लस पानी है, रेन वाटर वह मिलना था और चूरू, झुन्झुनूं को 1917 क्यूसेक्स पानी इसमें मिलना था। दुर्भाग्यवश मंत्री महोदय, मैं आपके नोटिस में लाना चाहता हूं कि यह पूरा प्रोजेक्ट एक बनाया जबकि भरतपुर में पानी लाने के लिए और चूरू, झुन्झुनूं में पानी देने के लिए बिलकुल अलग-अलग परिस्थितियां हैं1 चूरू, झुन्झुनूं के लिए पानी देने के लिए कम से कम 63.1 मीटर लिफ्ट करना पड़ेगा पानी को। उस समय भी जो यह प्रोजेक्ट बना उसमें छह पम्पिंग स्टेशन्स के लिए उसमें तय हुआ और 63.1 मीटर उस पानी को लिफ्ट करके झुन्झुनूं चूरू को पहुंचाना था। पर सभापति महोदय, भरतपुर में ऐसी समस्या नहीं है, भरतपुर के लिए तो यमुना का पानी ग्रेविटी के थ्रू ही आ रहा है, उसमें लिफ्ट करने की आवश्यकता नहीं है।

तो सबसे पहला तो मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहूंगा कि इसमें जो एक प्रोजेक्ट है चुरू, झुन्झुनूं और भरतपुर का यमुना के लिए इसको अलग-अलग करके दो प्रोजक्ट बनवाए जाएं। भरतपुर के लिए अलग हो और चूरू, झुन्झुनूं के लिए अलग हो। (व्यवधान) हां, इस मामले में अलग होना चाहते हैं।

सभापति महोदय, यह 1281 क्यूसेक्स जो सरप्लस वाटर भरतपुर को मिलना था, दुर्भाग्य है हमारा और आज भरतपुर जिले की बहुत बड़ी आशा आपके पीछे लगी हुई है। मंत्री महोदय, आज भरतपुर के अन्दर हमारे पास सिस्टम मौजूद है, वह सिस्टम 800 क्यूसेक्स से ज्यादा का मौजूद नहीं है। हमारे पास दो सिस्टम हैं, एक तो भरतपुर फीडर है जिससे 300 क्यूसेक्स पानी आ सकता है, मैक्सिमम उसकी कैपेसिटी है और गुडगांवा नहर से 500 क्यूसेक्स की उसमें कैपेसिटी है, 800 क्यूसेक्स पानी की कैपेसिटी हमारे पास है । जबकि समझौते के हिसाब से 1281 क्यूसेक्स पानी मिलना चाहिए। उसकी अभी तक हमारे पास भरतपुर जिले में व्यवस्था तक नहीं है।

सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि सी.डब्ल्यू.सी. से जब यह प्रोजेक्ट पास हुआ, उसकी स्वीकृति मिली, उस समय इसमें एक शर्त यह लगाई, जैसा माननीय राजेन्द्रजी ने भी कहा अपने भाषण में कि हरियाणा सरकार की इसमें सहमति होनी चाहिए और हमें बड़ी तकलीफ है कि बहुत प्रयासों के बावजूद भी हरियाणा सरकार इसमें अपनी सहमति देने को तैयार नहीं है। एम ओ यू पर साइन अभी तक नहीं हो पाए। आज यह काम

(डा. दिगम्बर सिंह)

आसानी से हो सकता है मंत्री महोदय, क्योंकि आज हरियाणा में भी आपकी पार्टी की सत्ता है और सैण्टर में भी कांग्रेस की गवर्नमैंट आज बैठी है। तो, मैं समझता हूं कि इससे अनुकूल समय हमारे राजस्थान के और हमारे भरतपुर जिले की जनता के लिए कभी आगे आने वाले समय में नहीं आएगा। और यह कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं है, भरतपुर के लिए 175 करोड़ का यह प्रोजेक्ट तैयार हुआ था और इसमें 88 विलेजेज, पांच लाख की पापुलेशन इसमें लाभान्वित हो रही है। तो मैं समझता हूं यह बहुत बड़ा काम भरतपुर जिले के लिए हो जाएगा और इसमें हमारे कामां, पहाड़ी, डीग, नगर, नदबई, भरतपुर और रूपवास का जो बांध है वहां तक इसका सर्वे हो चुका है।

सभापति महोदय, मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे पूर्व सिंचाई मंत्री महोदय को और हमारी पूर्व मुख्य मंत्री महोदय को भी कि उन्होंने हमारे लोगों की मांग पर इसके सर्वे का काम शुरु करवाया और वह सर्वे का काम अभी एक प्राइवेट फर्म को दिया हुआ है। और वह काम अभी मेरे ख्याल से चल रहा है, थोड़े दिन में वह सर्वे का काम कम्पलीट हो जाएगा। इसमें जो सबसे बड़ी परेशानी हमको भरतपुर जिले में आ रही है, सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि जो पानी हमको उत्तर प्रदेश से आज की तारीख में मिलता है उतना पानी भी भरतपुर सीमा में हम प्राप्त नहीं कर पाते हैं, उतना पानी हरियाणा की तरफ भी पूरी तरह से हमको मिल नहीं पाता है। क्योंकि इसमें बीच में पानी का दोहन यू पी और हरियाणा दोनों जगह काफी मात्रा में होता है।

सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि सन् 2004 में राजस्थान को जो ओखला से हिस्सा मिला वह 32,228 और पानी जो रिलीज किया वह 48,266 क्यूसेक्स डेज पानी रिलीज हुआ और हमें उसके अगेन्स्ट में जो प्राप्त हुआ पानी वह मात्र 19 हजार 06 क्यूसेक्स डेज। इतने पानी का दोहन यह बीच में उत्तर प्रदेश में ही हो जाता है। 2005 में भी अगर हम परसेंण्टेज के हिसाब से मैं आपको बताऊं तो 51 परसेंट मिला, 2006 में 38 परसेंट मिला, 2007 में 47 परसेंट मिला, 2008 में 51 परसेंट मिला। सभापति महोदय, 2009 जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून तक 31 परसेंट, 25 परसेंट, 24 परसेंट, 22 परसेंट और 27 परसेंट और जून में तो बिलकुल एक बूंद पानी भी इस साल हमें उसमें नहीं मिला है। जिससे हमारे पोखर भी खाली हैं, वहां बहुत ज्यादा परेशानी हमको हो रही है।

(डा. दिगम्बर सिंह)

उत्तर प्रदेश में दोहन हो जाता है, जो पानी की चोरी हो रही है उसको रोकने के लिए भी निश्चित रूप से प्रावधान सभापति महोदय, होने चाहिए। वैसे तो अधिकारी लेवल पर बीच-बीच में इनकी मीटिंग्स होती रहती हैं। अधिशासी अभियंता उत्तर प्रदेश और राजस्थान, इनकी मीटिंग कई बार इस सम्बन्ध में हुई है और लास्ट मीटिंग तो मेरे ख्याल से 12.08.2008 को भरतपुर में ही हुई थी और उसमें इस प्रकार से अधिकारियों ने वहां के लोगों के खिलाफ जो एक्शन लिए, जो एफ आई आर वगैरह दर्ज करवाई, उनके बारे में भी जानकारी दी है। परन्तु उसके बावजूद भी उसमें कोई इम्प्रूवमैंट अभी तक सभापति महोदय, नहीं हो पाया है। मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि सिंचाई का तो इससे समस्या का समाधान होगा ही अगर यह पानी हमें मिलेगा मंत्री महोदय, तो हमारा जल स्तर भी ऊपर आएगा जमीन का, हमारे पीने के पानी की समस्या का समाधान भी होगा। हमारा जो घना बर्ड सैंक्चुरी हैं, केवलादेव है उसमें भी पानी की समस्या का समाधान होगा। इसलिए मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा महत्वपूर्ण हमारे जिले के लिए कोई दूसरा इश्यु है नहीं।

सभापति महोदय, इस बजट को मैंने देखा, इस साल जो बजट पेश किया मुख्य मंत्री महोदय ने

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

बस दो मिनट सभापति महोदय। इस बजट में 35 नम्बर पैराग्राफ में यह लिखा, चालू वर्ष में एक लाख हैक्टेयर क्षेत्र सिंचाई हेतु खोला जाएगा। यह बजट में है, इन्दिरा गांधी नहर के बारे में दिया है। सभापति महोदय, यह जो इनका इन्दिरा गांधी नहर का निष्पादन आय व्यय अनुमान है, इसमें दिया है 2009-10 में 44 हजार हैक्टेयर सिंचाई योग्य क्षेत्र को खोला जाएगा। एक लाख और कहां 44 हजार, और कहते हैं कि हमरी कथनी और करनी में कोई अन्तर नहीं है।

सभापति महोदय, मैं कांग्रेस का घोषणा-पत्र पढ़ रहा था, मुझे बड़ी खुशी हुई इस घोषणा-पत्र को पढ़कर, जब कांग्रेस की सरकार बनी, मैंने घोषणा पत्र देखा तो इसमें लिखा हुआ है 19 नम्बर पर यमुना नदी एवं गुड़गांव नहर के पानी को भरतपुर एवं अलवर जिलों के लिए उपलब्ध कराना, इनकी घोषणा है। और इसके साथ अगला जो पैराग्राफ है, जिला चूरू में निर्माणाधीन इन्दिरा गांधी नहर परियोजना का कार्य शीघ्र पूरा कर सिंचाई का पानी उपलब्ध कराना। सभापति महोदय, चुनाव घोषणा-पत्र एक तरफ, यह इनका बजट का पुलिंदा एक तरफ। इसमें कहीं यमुना के पानी का जिक्र तक नहीं किया, इससे ज्यादा शर्मनाक बात नहीं हो सकती।

(डा. दिगम्बर सिंह)

सभापति महोदय, भरतपुर जिले के साथ जो सौतेला व्यवहार किया जा रहा है, भरतपुर जिले की जनता बहुत ज्यादा आक्रोशित है और मैं माननीय मंत्री महोदय, आपसे फिर निवेदन करना चाहूंगा, आपसे मैं फिर कह रहा हूं बार-बार कि भरतपुर जिले की जनता की बहुत बड़ी आशा आपकी तरफ लगी हुई है और मुझे पूर्ण विश्वास है कि इसमें आप कोई कसर नहीं छोड़ेंगे और यमुना जल का जो भी हमारे बंटवारे का हिस्सा है उसको निश्चित रूप से भरतपुर को आप दिलायेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद सभापति महोदय1

श्री सभापति: डा. परम नवदीप। (व्यवधान) मेरे पास है सब कुछ। अभी आज सदन में 55 सदस्यों को बोलना है।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सदन में और सदन के माध्यम से राजस्थान की जनता के बीच में मांग संख्या-46 पर अपने विचार प्रकट करना चाहती हूं।

हमारे बहुत ही एक्सपीरियंसड विद्याधर नगर से आने वाले माननीय सदस्य, तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपनी बुलन्द आवाज में कई बातें कहीं। महोदय, मैं तो नयी आयी हूं, पहला कार्यकाल है पर मेरा एक छोटा सा प्रयास है इस सदन के माध्यम से राजस्थान की जनता को उस सच से रूबरू कराना जो आज आजादी के बाद कांग्रेस ने क्या सिंचाई के लिये किया और जो बी जे पी ने किया, दोनों की सरकारों ने क्या किया है ? आपकी जानकारी के लिये हमारे राजस्थान के अन्दर इंदिरा गांधी नहर, भांखड़ा, सिद्धमुख, बीसलपुर परियोजना, माही परियोजना और चम्बल परियोजनाएं कांग्रेस की देन हैं। आजादी के बाद 36.58 लाख हैक्टेयर सिंचित भूमि का विकास हुआ। आई रिपीट 36.58 लाख हैक्टेयर इसमें से 27.22 लाख हैक्टेयर कांग्रेस ने सृजित किया मात्र 4,188 करोड़ रुपये से। भा.ज.पा. की सरकार ने मात्र 9.36 लाख हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र सृजित किया मात्र 6765 करोड़ रुपये से। आज एक चौथी क्लास का बच्चा भी यदि प्लस, माइनस जानता है तो वह बता सकता है कि किसने कितना पैसा ज्यादा खर्च किया और किसने कितना ज्यादा एरिया राजस्थान को दिया। महोदय, तो पूछना चाहूंगी यह पैसा गया कहां ?

अब कुछ बातें हमारे माननीय सदस्य ने घोषणा-पत्र के साथ बता दीं

(डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह)

कि हमने कुछ गलतियां कर लीं, उन्होंने कुछ अच्छी बातें कह दीं। मैं कुछ घोषणाओं पर आपकी नजर डालना चाहती हूं माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से। पूर्व भा.ज.पा. सरकार ने 60 घोषणाएं करी थीं, 16 कार्यान्वित नहीं हुई। कौनसी? जरा गौर फरमाएं। 2004-05 में ईसरदा बांध की योजना, 2005-06 में जल नीति, एम बी सिंचाई परियोजना, परवन सिंचाई परियोजना, 2006-07 में जापान द्वारा पोषित 620 करोड़ की योजना और 2007-08 के अन्दर परवन धौलपुर लिफ्ट योजना, 3 मध्यम योजनाएं, चाहे राजगढ़ की है, चाहे मनोहरथाना की है, हाथीदेह की है, कोई भी आपने कार्यान्वित नहीं की।

आगे चलिये। आपने कहा बीसलपुर परियोजना में ड्रिप स्प्रिंकलर पद्धति को हम बढ़ावा देंगे (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): बहनजी, टोक दूंगा नाराज हो जायेंगी ...(व्यवधान)

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): भीखाभाई सागवाड़ा ...(व्यवधान) हमने नहीं टोका महोदय आपको। कृपया सुनने का माद्दा रखिये ...(व्यवधान) आप सुनिये। आपने जो कहा उसमें भी गलत जब हम शुद्ध करेंगे हम आपको बोलेंगे। आप रिकार्ड बेस बात करियेगा। प्लीज बीच में टोके नहीं। आपकी यह बहुत गलत आदत है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आपका यह पेपर सदियों-सदियों तक पढ़ा जायेगा ...(व्यवधान) सदियों तक पढ़ा जायेगा।

श्री सभापति: बोलने दो ना ...(व्यवधान)

श्री सी.एल. प्रेमी (केशवरायपाटन): बार-बार माननीय सदस्य बोल रहे हैं ...(व्यवधान)

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): सिंचाई परियोजना, कालीसिंध योजना, चम्बल से पांचना जग्गापट्टी पानी योजना, माही में दानपुरा अमापुरा क्षेत्र को पानी देना, बूंदी में वरदा बांध का जीर्णोद्धार ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजो ...(व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): सभापति महोदय, थोड़ा सा सही बात बोलें और कुछ नहीं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: नये सदस्य हैं बोलने दो।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माही जल के उपयोग का मास्टर प्लान और हनुमानगढ़ मेरे जिले के अन्दर ...(व्यवधान) का प्रावधान ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजें ...(व्यवधान) विराजें।

सूचना

अजमेर के पलटन बाजार में प्रदर्शनकारी महिलाओं पर लाठीचार्ज

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय सभापति महोदय, पाइंट आफ इनफोर्मेशन के माध्यम से एक बात बताना चाहती हूं सदन में। अजमेर के पलटन बाजार में ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजें माननीय सदस्या ...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): एक ऐसी महत्वपूर्ण योजना ...(व्यवधान)...

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): महिलाओं के पानी मांगने पर पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजें ...(व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): वहां एस.ई. की टोली तैनात कर दी गयी है। महिला पार्षद सुनीता यादव और उसके पति को अरेस्ट किया गया है।

श्री सभापति: विराजें ...(व्यवधान) अंकित नहीं होगा ...(व्यवधान) अंकित नहीं होगा ...(व्यवधान) विराजिये ...(व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): ×××

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य विराजिये ...(व्यवधान) विराजिये ...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): ×××

श्री सभापति: विराजिये ...(व्यवधान) डा. परम नवदीप ...(व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): ×××

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री सभापति: विराजिये ...(व्यवधान) महिला ही बोल रही हैं ...(व्यवधान) यह भी नयी सदस्य हैं ...(व्यवधान) विराजिये ...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): ×××

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): ×××

श्री सभापति: विराजिये ...(व्यवधान) बैठिये ...(व्यवधान) अंकित नहीं हो रहा है ...(व्यवधान) आप विराजिये।

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): ×××

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): ×××

श्री रामस्वरूप कसाना (कोटपूतली): ×××

श्री सभापति: विराजिये ...(व्यवधान) माननीय सदस्य विराजो ...(व्यवधान)

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): ×××

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): ×××

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री सभापति: विराजिये। माननीय सदस्य को बोलने दीजिये ...(व्यवधान) टोकाटोकी मत करिये। आप लोग विराजिये ...(व्यवधान)

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): ×××

श्री सभापति: हां तो व्यवस्था दे दूंगा विराजिये ...(व्यवधान)

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): ×××

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): ×××

श्री सभापति: विराजिये मैं दे दूंगा व्यवस्था ...(व्यवधान) विराजिये आप ...(व्यवधान) मैं जब आपको कहूं जब ...(व्यवधान)...

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): ×××

श्री सभापति: आप विराजिये। महिला बोल रही हैं। विराजिये माननीय सदस्या, यह बिलकुल ठीक नहीं है। चिराजिये। जब आप बोलेंगी और इधर से

(श्री सभापति)

कोई इंट्रप्शन होगा फिर ढाल बनती हैं आप ...(व्यवधान) विराजे आप ...(व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): ×××

श्री सभापति: बोलने तो दीजिये आप ...(व्यवधान) बोलने दीजिये ...(व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): ×××

श्री रामस्वरूप कसाना (कोटपूतली): ×××

श्री सभापति: इनको तो बोलने दीजिये। माननीय सदस्य विराजो ...(व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): ×××

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ×××

श्री सभापति: विराजिये ...(व्यवधान) विराजो माननीय सदस्य ...(व्यवधान)...

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर):×××

श्री सभापति: विराजिये ...(व्यवधान) टोकाटोकी मत करिये। विराजिये आप ...(व्यवधान) आप विराजिये ...(व्यवधान) डा. परम नवदीप ...(व्यवधान)

मांग संख्या-46 पर विचार

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया) : महोदय, अब इस आधार पर चालू रखिये, मेरा आपसे निवेदन है कि अन्तरराज्जीय जल समझौते के बारे में हमारे सीनियर सदस्यों ने काफी कुछ कहा, मैं आपको कुछ याद दिलाना चाहती हूं, आपने वाहवाही लूटी, 7 फरवरी, 2007 का आपने हवाला दिया, मैं आपको दुरूस्त करना चाहती हूं कि 7 फरवरी, 2007 को मेरे हाथ में भाजपा अकाली दल का मैनिफेस्टो था, जिस मैनिफेस्टों में यह लिखा था We will not give Punjab's rivers water to Rajasthan. मैंनें उसे संलग्न किया अपने प्रेस नोट के साथ बिइंग स्पोक्स पर्शन कांग्रेस और तत्कालीन मुख्य मंत्री वसुन्धराजी को ताकीद किया कि आप कल पंजाब जा रही हैं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: यह मोबाइल किसका बोल रहा है, मोबाइल किसका बोल रहा है?

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): मेरा नहीं है, कल आप पंजाब जा रही हैं, वहां करेंगी अकाली भाजपा गठबंधन को आप फेवर, उनका मैनिफेस्टो यह बोल रहा है, मगर तत्कालीन मुख्य मंत्री उड़ीं और उनका हैलीकाप्टर पंजाब पहुंचा, वहां उस मैनिफेस्टो को सराहा, सपोर्ट किया, हमारा पानी राजस्थान का वह अकालियों के पास गिरवी रखकर आ गयी और आप कहते हैं कि आपने संकल्प पत्र पारित कर दिया। मैं आपको दुरूस्त करती हूं कि इस सदन को आपने जो रिपोर्ट दी है, उसको मैं दुरूस्त करना चाहती हूं। जब हम पानी लाते हैं पंजाब से तो आपको इंडेंन्ट देना होता है, 19 सितम्बर, 2006 को आपके माननीय मंत्रीजी ने इंडेंन्ट के अन्दर 50 हजार क्यूसेक पानी का ब्यौरा नहीं दिया, आपने कम दर्शाया वह पानी, जनवरी, 2007 के अन्दर पानी के लिए त्राहि-त्राहि होने लग गयी। 20 मार्च को इसी सदन में भाजपा की आपकी सरकार और कांग्रेस ने साथ मिलकर संकल्प दिया, वह संकल्प पत्र में हमने आपका साथ दिया। गलती किसकी थी? इंडेंन्ट किसने नहीं दिया, उसे याद करिये, अपनी भूलों को सुधारेंगे तो बेहतर होगा।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): सभापति महोदय, मैं बीच में बोलने का आदी नहीं हूं।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): बीच में मत बोलिये माननीय सदस्य, आपको हमने पहले भी कहा था, आप काफी सीनियर हैं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आपको चांस मिला माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): इंडेंन्ट डे टू डे होता है, 50 हजार का इंडेंन्ट आज तक जब से नहर बनी है, तब से ही नहीं हुआ, क्या बात है, हरेक उलटी बात सुनते रहेंगे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, जवाब दे देंगे ...(व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): 50 साल से भी एक भी इंडेंन्ट नहीं है, फालतू बात ...(व्यवधान)

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): आप इस बात का ध्यान रखिये ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: मिस फीडिंग दी हाउस ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजें माननीय सदस्य, विराजें माननीय सदस्य।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): सभापति महोदय,

माननीय सदस्यों को मैं बताना चाहूंगी कि बहुत अच्छे लफ्जों में कहा गया है, 'वह वक्त भी देखा है तारीख की घड़ियों ने, लम्हों ने खता की थी सदियों ने सज़ा पायी है।' सज़ा भुगत रहे हो आप, आप उधर बैठे हो। इसी वजह से बैठे हो। अभी कहा तारानगर से जो माननीय सदस्य...

एक माननीय सदस्य: नहीं, नहीं, नाम नहीं लें ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, मेरे को कोट करना ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: क्या चक्कर है?

श्री टीकाराम जूली (अलवर ग्रामीण): सभापति महोदय, जब भी कोई सदस्य बोलता है राठौड़जी बीच में बोलकर के डिस्टर्ब करते हैं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये माननीय सदस्य।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): अभी बीएमबी के अन्दर हमारा कोई भी सदस्य नहीं है, राजस्थान का, बात सही है, आपने बात सही कही, पांच साल तक क्यों आप सोये रहे, क्या किया पांच साल आपने। अभी क्यों याद आयी आपको।

एक माननीय सदस्य: अब तो जागो, अब तो जाग जाओ।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): हमने पहले भी याद किया था, अब भी याद कर रहे हैं, चलिये, अन्तरराज्जीय जल समझौते में तो अपने आपको अकालियों के गिरवी रख दिया। गुजरात में आपके मोदीजी थे, बात क्यों नहीं की, क्यों नहीं की, मैं बताती हूं आपको क्योंकि 1979 में यहां बीजेपी की गवर्नमेंट थी राजस्थान के अन्दर, नर्मदा ट्रिब्युनल का फैसला आया था जो हमारे खिलाफ गया था, तत्कालीन सरकार ने अधूरे मन से सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की, अपील खारिज हो गयी। आपको पता था कि गुजरात पानी नहीं देगा और गुजरात ने आपको पानी दिया भी नहीं है।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से राजस्थान के यशस्वी मुख्य मंत्री और हमारे जल संसाधन मंत्री महोदय को मैं कुछ छोटे-छोटे सुझाव देना चाहती हूं, जरा गौर फरमायें। सबसे पहले मैं समझती हूं कि बजट के अन्दर जो राशि दी गयी है वह कम है, थोड़ी बढ़नी चाहिए। हमारे किसान की जरूरतें बहुत ज्यादा हैं। सबसे पहले जिस तरह से हमारे विद्याधर नगर से आने वाले

(डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह)

माननीय सदस्य ने फरमाया, सही फरमाया, हमें हमारे 0.8 एमएएफ पानी के लिए पुरजोर प्रयास करना चाहिए। आज हमारी सरकार यहां भी है, केन्द्र में भी है और हम पंजाब से यह बात तो कह सकते हैं कि आपके सरदार भाई हैं प्रधानमंत्री, हमें इसका प्रयास करना चाहिए और दिल से प्रयास करना चाहिए। सभापति महोदय, दूसरे राज्यों की तरह हमारे यहां एक स्वतंत्र जल प्राधिकरण की जरूरत है, यदि यह होगा तो हमारी जल समस्याएं काफी निपट सकती हैं।

सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय जिस जिले से मैं आती हूं हनुमानगढ़, हमारे यहां सेम की बहुत बड़ी समस्या है, मेरे टिब्बी तहसील का एक गांव डबली है, वह पूर्ण रूप से पानी में समा गया है। आज भी वहां पर गोडे-गोडे पानी होता है। कोई बाहर का आदमी जाता है तो कहता है पानी नहीं है गंगानगर में या हनुमानगढ़ में और यहां तो पानी ही पानी है। उस भले आदमी को हम कैसे समझायें कि यह सेम का पानी है, यहां कोई फसल उगती नहीं है, यहां हमारे मकान गिर जाते है। कृपया करके सेम निवारण के लिए कोई बोर्ड बनायें, बजट में कोई प्रावधान करें कम से कम हमारे डबली गांव के वासी इससे बच जायें।

सभापति महोदय, आईजीएनपी, गंग नहर, भाखड़ा सिस्टम से शिल्ट निकालने का प्रावधान होना चाहिए क्योंकि लगभग 4-5 फीट शिल्ट जमा है जिसकी वजह से भी टेल तक पानी नहीं पहुंचता है। टेल तक पानी पहुंचाना बहुत जरूरी है। प्रेक्टिकल सोल्युशन की बात जो थी, माननीय सदस्य जो कोलायत से आते हैं, मैं उनसे पूर्ण रूप से सहमत भी हूं, पर यह बात भी कहना चाहती हूं कि प्रेक्टिकली यह कितना पोशिबल है, अफसरान को मंत्री महोदय आप ही सलाह देंगे कि वह टेल तक जाकर के चैक करें, वह यह भी जाकर के चैक करेंगे कि मौके पर कहीं बड़े आदमी के बड़े मोगे और छोटे आदमी के छोटे मोगे तो नहीं हैं। मोगों का साइज एक होना चाहिए ताकि एक गरीब किसान को भी उसके हक का पानी मिले। ठोकरें लगा दी गयी हैं, मैं समझती हूं कि माननीय मंत्री महोदय, इसका मतलब समझ रहे होंगे आप, ठोकरें लगाने से पानी रूक जाता है और कहीं किसी तरफ बढ़ाना होता तो वह ठोकर लगा देते हैं। जहां यदि नाजायज ठोकरें लगी हैं तो वह भी हटायी जानी चाहिए।

सभापति महोदय, भाखड़ा मैनेजमेंट सिस्टम में हमारा दखल होना

(डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह)

चाहिए। भाखड़ा सिस्टम के अन्दर हमारे पास पक्के खाले नहीं हैं। आईजीएनपी और गंग नहर के अन्दर पक्के खाले बन चुके हैं पर भाखड़ा सिस्टम में हमें स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए, क्षेत्र में मात्र 6897 पक्के खालों का निर्माण हुआ है। सभापति महोदय, संगरिया में इंस्टीटयूट आफ हाइड्रोलॉजी एण्ड वाटर मैनेजमेंट की यदि आप स्थापना करेंगे तो यह जो क्षेत्र है, जहां से मैं आती हूं वह पंजाब और हरियाणा के बार्डर पर है यदि वहां पर हम इस इंस्टीटयूट की स्थापना करते हैं तो वहां के लोगों को और पूरे हनुमानगढ़ और गंगानगर जिले के लोगों को इसका बहुत फायदा होगा।

सभापति महोदय, कृषि बीमा योजना में किसानों के खेत को इकाई मानना यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, सर मैं समअप कर रही हूं I will take just two three minutes. कृषि बीमा योजना के अन्दर किसान के खेत को इकाई मानना, यह बात मैं इसलिए कह रही हूं माननीय मंत्री महोदय क्योंकि लोकसभा चुनाव के वक्त मेरी टिब्बी तहसील के मसानी गांव के अन्दर खड़ी फसल में आग लग गयी। चार सौ बीघा जमीन पर किसान की फसल थी गेहूं की और उसमें आग लगी थी। किसान का एक बीघा फसल लगाने के लिए उसका खर्चा आया था 12 हजार रुपये और मुआवजा मात्र एक हजार रुपये मिल रहा है और यदि आप किसान के खेत को इकाई मानेंगे तो उसको नुकसान कम से कम होगा। जब भी उसके साथ कोई आपदा होगी तो उसका पुर्नभरण हो जायेगा। इंदिरा गांधी नहर का जीर्णोद्धार जिस तरह से पिछली बार हमारी गंग नहर के जीर्णोद्धार के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी साढ़े चार अरब रुपये लाये थे और अब आप फिर प्रयास कर रहे हैं, मैं सुझाव देती हूं आपको भी मंत्री महोदय और माननीय मुख्य मंत्री महोदय को भी कि जल के लिए आप विशेष प्रयास कर रहे हैं पर पैसा आये राजस्थान के अन्दर, सिंचाई के लिए आप पैसे गंगानगर, हनुमानगढ़ को दें।

श्री सभापति: समअप करें, समअप करें।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): यह आपदा कोष को बढ़ावा दें, ड्रिप स्प्रिंकलर खेती पर 90 प्रतिशत अनुदान दें। राज्य में सिंचित क्षेत्र में वृद्धि का जो आपने वादा किया है उसमें संगरिया में और टिब्बी तहसील के खिनानिया, शिवदानपुर, रामपुरा, केहरवाला गांव में काफी अनकमांड एरिया है।

सभापति महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण बात कहना चाहूंगी कि हमारे

(डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह)

शहरों के लिए आपने वाटर हार्वेस्टिंग योजना बनायी है, मैं समझती हूं कि गांवों के अन्दर भी वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के प्रति जागरूकता पैदा करना जरूरी है, फसलों के हिसाब से फसली कलैण्डर ...

श्री सभापति: सम-अप करें।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): सम-अप ही कर रही हूं, खतम होने वाला है। फसलों के हिसाब से यदि फसली कलैण्डर आप बना देंगे तो आज जो स्थितियां पैदा हो रही हैं कि किसान खेत में बुवाई कर लेता है और आप बाद में कहते हैं कि पानी नहीं है। पहले आप बता देंगे तो इस तरह की स्थितियां पैदा नहीं होंगी।

कुछ निवेदन इस तरह का भी है कि हमारा आज भी 62 साल की आजादी के बाद भी एक गांव डबली गंदा पानी पी रहा है। डबली गांव की योजना, शिवदानपुरा की पीने के पानी की योजना अबेयंस में डाल दी गई है। मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करती हूं कि शिवदानपुरा खिनानिया और डबली कला की योजना जो आपने अबेयंस में डाल दी है, कृपा कर इसकी शीघ्र ही शुरूआत करने की कोशिश करें।

श्री सभापति: मैडम, सम-अप करें अब। समय बहुत होता जा रहा है नहीं तो कल रात वाली स्थिति होगी या उससे ज्यादा भी हो सकती है। कई वक्ता बोलने वाले हैं। कई माननीय सदस्य बोलने वाले हैं।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): माननीय मंत्री महोदय और माननीय मुख्य मंत्री महोदय दोनों को साधुवाद देती हूं।

श्री सभापति: श्री पवन कुमार दुग्गल।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): साथ ही मैं साधुवाद देती हूं आज हमारे सभापति महोदय को कि उन्होंने समय बख्शा। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: धन्यवाद।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): सभापति महोदय, मांग संख्या 46 सिंचाई और इन्दिरा गांधी नहर परियोजना पर चर्चा हो रही है। मैं समझता हूं कि यह वो नहर है जो निश्चित रूप से लाखों परिवारों की आजीविका का माध्यम बनी है। मगर राज चाहे कांग्रेस का रहा हो चाहे भारतीय जनता पार्टी का रहा है, जिसका भी राज आया, जो भी मंत्री बना उसने उस नहर की जो

(श्री पवन कुमार दुग्गल)

योग्यता के अनुसार भूमि कमांड की थी, प्रथम और द्वितीय चरण के लिए एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के तहत वो पानी धीरे-धीरे आगे ले जाते ले जाते आज ऐसी हालत प्रदेश के गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में कर दी कि जो एरिया, जो क्षेत्र कभी सफेद पट्टी के नाम से हिन्दुस्तान ही नहीं, एशिया में जाना जाता था अनूपगढ़, घड़साना, रावला, आज उस एरिया में अकाल जैसी स्थिति पैदा की है। मैं समझता हूं कि वो केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, कांग्रेस ने जो नींव रखी उसमें इन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। सभापति महोदय, पर वो बधाई के पात्र हैं बहादुर किसान जिन्होंने अपनी जान देना मुनासिब समझा पर इलाके को बर्बाद होता नहीं देख सके। यही कारण था कि पिछले भारतीय जनता पार्टी के राज में चार साल घड़साना, रावला का किसान आंदोलन दुनिया के नक्शे पर आया और आज उसकी सज़ा भारतीय जनता पार्टी को निश्चित रूप से मिली है। मगर जो लोग उस समय हमारे साथ थे, राठौड़ साहबजी भी फरमा रहे थे क्योंकि इनको एहसास हुआ है, उस समय जब ये राज में थे शासन नशे में थे पर आज इन्होंने कबूल किया है इस बात को कि घड़साना, रावला का मंजर आज भी हमें दिखाई दे रहा है। मैं आपके माध्यम से राजस्थान की 13वीं सरकार को कहना चाहता हूं, निवेदन भी और जनता की तरफ से चेतावनी दे रहा हूं। आंकड़े देने में, सुझाव देने में हमारे माननीय सदस्य राजवीजी ने कोई कसर नहीं छोडी मगर सुझाव देना और सुझाव को न मानना यह सरकार के हिस्से में है।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से इस बात का आगाज करना चाहता हूं कि चाहे पिछली सरकार में लाठियां चलीं, गोलियां चलीं, चाहे सात किसान साथियों ने बलिदान दिया मगर राजस्थान की पिछली सरकार किसान की एकता और ताकत के आगे 11 दिसम्बर, 2004 को अजमेर जेल के अन्दर जाकर के झुकी और हमारे माननीय नेताओं के साथ एक लिखित समझौता किया। उस लिखित समझौते में केवल हमारी पार्टी के पूर्व विधायक कामरेड हेतराम बेनीवाल ही नहीं कांग्रेस के भी प्रमुख नेता, पंचायत समिति अनूपगढ़ के पूर्व प्रधान साहब सिंह पूनियां और अनूपगढ़ के प्रमुख व्यापारी कांग्रेसी नेता बल्लभ कोचरजी भी थे। इस बात के लिए तो धन्यवाद की पात्र है बीजेपी सरकार भी कि लिखित समझौता किया मगर कांग्रेस राज में आने के बाद उस समझौते के ऊपर पालना नहीं कर रही है इससे ज्यादा अफसोस और उस जनता के लिए दर्दनाक स्थिति कभी नहीं हो सकती। सभापतिजी, आपके

(श्री पवन कुमार दुग्गल)

माध्यम से राजस्थान की सरकार को यह संदेश देना चाहता हूं कि चाहे आज यहां खूब बहस हो, सभी माननीय दोस्तों, माननीय सदस्यों ने अपनी-अपनी बात रखी मगर किसान के खेत में पानी नहीं पहुंचा तो 200 सदस्य नहीं, लाखों-लाख परिवार सड़कों पर आयेंगे फिर चाहे राजस्थान की सरकार ऐसा मुकाबला करने के लिए तैयार हो जाए, किसान को हम बरबाद नहीं होने देंगे।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से आज उस अजमेर समझौते की कापी सदन के पटल पर भी रखना चाहूंगा और इसको पढ़कर के सुनाना चाहता हूं। सभापति महोदय, जो अजमेर समझौता हुआ था 11 दिसम्बर, 2004 को, उसके अन्दर राजस्थान सरकार की तरफ से इनके प्रिंसिपल सैक्रेटरी एस.एन. थानवी के साइन हैं, सिग्नेचर हैं और संघर्ष समिति की तरफ से तीन प्रमुख उन नेताओं के साइन हैं जिनको पिछली सरकार ने रासुका के अन्दर बंद किया था। इस समझौते में जिन लाइनों को राजस्थान की सरकार ने माना उन लाइनों को मैं पढ़कर के आपके माध्यम से सदन को बताना चाहता हूं। पोंग डैम से इन्दिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र को प्रतिवर्ष मिलने वाले कुल पानी 14100 क्यूसेक्स क्षमता वाली नहरों का वितरण यथा प्रथम चरण की 8200 क्यूसेक्स और द्वितीय चरण की 5900 क्यूसेक्स की क्षमता वाली नहर के माध्यम से प्रथम को 5.23 क्यूसेक्स प्रति हजार एकड और द्वितीय चरण को 3.00 क्यूसेक्स प्रति हजार एकड़ के हिसाब से किया जाता रहेगा। इसी अनुपात में पानी की उपलब्धता के अनुसार घटता बढ़ता रहेगा। पीने के पानी की व्यवस्था अपने-अपने क्षेत्रों में आवश्यकतानुसार बदस्तूर जारी रहेगी। सभापति महोदय, इसी में आगे लिखा हुआ है कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि सिंचाई हेतु उपलब्ध जल सभी काश्तकार, विशेष रूप से अन्तिम छोर के काश्तकार को समान रूप से निरन्तर मिलता रहे। सभापति महोदय, इसके साथ इस बात को यहां लिखा गया है कि दोनों चरणों का वितरण जन प्रतिनिधियों की अलग-अलग कमेटी जिसकी अध्यक्षता प्रथम चरण के लिए मुख्य अभियंता (उत्तर) हनुमानगढ़ और द्वितीय चरण के लिए मुख्य अभियंता, इंदिरा गांधी नहर परियोजना, जैसलमेर करेंगे। यह सही है कि इन्होंने दो चरण में अध्यक्षता के लिए हनुमानगढ़ के चीफ इंजीनियर और दूसरे चरण के रेगुलेशन के लिए जैसलमेर की व्यवस्था की परन्तु बड़े दुःख और अफसोस के साथ यहां सदन में कहना पड़ रहा है कि यह केवल इन्होंने हनुमानगढ़ के अन्दर परामर्शदात्री कमेटी बनाई है जिसमें सिर्फ परामर्श लिया जाता है, पानी

(श्री पवन कुमार दुग्गल)

दें या न दें यह फैसला चीफ कमिश्नर, बीकानेर करता है और यही आंदोलन की प्रमुख जड़ है। इसलिए, सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से, आपकी इजाजत से इसको टेबल करना चाहूंगा और कुछ सुझाव राज्य सरकार को आपके माध्यम से देना चाहूंगा.....

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, यह 2004 में समझौता हुआ न आपका? 2008 तक बीजेपी की सरकार रही, ये अमराराम जी उसी सदन में थे, यह टेबल तब क्यों नहीं किया? 4 साल आप सोते रहे। मैं भी गया था इस आंदोलन में।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): इसीलिए कि आपको मौका देते।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): 8 दिन मैं रहा उस आंदोलन के अन्दर। इनको तो कुछ बोलो। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजो।

श्री पेमाराम (धोद): रघुजी, आप मत देना पानी, जो इनमें हुआ वो आप में हो जाएगा। पहले भी सात लोगों ने जान गंवाकर के पानी लिया था और अब आप उनके कठ मोसोगे तो वो लोग सड़कों पर आयेंगे।

श्री सभापति: विराजो। माननीय सदस्य बोल रहे हैं। माननीय सदस्य, विराजो।

श्री पेमाराम (धोद): सड़कों पर आयेंगे। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): मैं यही आपको कह रहा हूं कि आपके साथ 8 दिन तक उस आंदोलन में मैं खुद था इसीलिए मैं निवेदन कर रहा हूं कि आज टेबल कर रहे हो यह टेबल उसी टाइम करना चाहिए था। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): अब तो लागू करो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजो।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): मैंने तो बराबर रखा।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): एक मिनट रघुजी। सभापति जी, इतना ही करेक्शन करना चाहता हूं कि अभी केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य काफी जोर से बोल रहे थे, उसमें आप सहभागी थे।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): मैं भी उस आंदोलन में उनके साथ था।

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): आप भी उसमें सहभागी थे और दुर्भाग्य से किसी कारण से किसानों ने निकलने नहीं दिया, आपके प्रदेश अध्यक्ष वहीं फंसे बैठे थे और जहां तक साढ़े तीन रोजा बारी की बात है ... (व्यवधान)

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): तो उसी ने शुरू की थी सबसे पहले, कांग्रेस के राज में पिछली सरकार ने की थी। माननीय सभापति महोदय, मैं कुछ सुझाव आपके मार्फत माननीय मंत्रीजी को देना चाहता हूं। जैसा कि माननीय सदस्यजी ने भी बताया है कि पोंग डैम के किसानों को राजस्थान की तरफ से पैसे देकर, हमने उनको मुआवजा दिया था, उस पानी पर, जहां डैम बना है, उस डैम पर हमारा अधिकार है मगर आज भी ऐसी स्थिति निश्चित रूप से है कि वह किसान वहां भी आज अपनी फसल को बीज रहा है और पूरे प्रदेश की सरकार इन नहरों को देख रही है। यह सरकार जब चाहे इसका आब्जर्वेशन करवा सकती है, किसी एम.एल.ए. को साथ लेने की जरूरत नहीं है, अगर आप देखेंगे तो पोंग डैम का काश्तकार जिसने यहां भी मुआवजा ले लिया वहां भी काश्त कर रहा है, वह इस पानी को फालतू में ले रहा है राज्य सरकार इस पर अपनी कठोर नीति बनाए और उन काश्तकारों के ऊपर प्रतिबन्ध लगाए जिसकी वजह से इस इलाके का पानी बरबाद किया जा रहा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि यह पिछली सरकार का भी मुद्दा रहा है। पिछली सरकार ने भी उस समय सिंचाई मंत्री सांवरलाल जाटजी थे, उन्होंने भी आई.जी.एन.पी. में हमारे चीफ इन्जीनियर स्तर के स्तर पर 4 माइनर हरियाणा फीडर को जारी कर दिए, इसलिए इसके ऊपर भी मंत्रीजी ध्यान से सुनें और नोट करें। इस पर कार्यवाही हो और इसकी जांच हो।

माननीय सभापति महोदय, इसके साथ-साथ मैं आपका ध्यान इस ओर भी आकर्षित करना चाहता हूं कि जिस भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड का पंजाब अधिनियम के तहत 1969 में जो बी.वी.एम. के पास इसका जो कण्ट्रोल होना चाहिए था वह कण्ट्रोल आज नहीं है। पंजाब अपनी मनमर्जी चला रहा है, मैं समझता हूं कि आज राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, केन्द्र में कांग्रेस की सरकार है, आज भी अगर पंजाब पर शिकंजा नहीं कसा, राजस्थान के हक का पानी नहीं लिया तो कांग्रेस के लिए इससे ज्यादा बड़ी शर्मनाक बात कोई हो नहीं सकती।

श्री सभापति: सम अप करें, माननीय सदस्य।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस ओर भी आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि सदस्य महोदय ने भी कहा था कि पोंग डैम का सेफ्टी के नाम पर 10 फीट पानी खाली करवाया गया है, राजस्थान के मंत्री इस बात पर भी ध्यान दें और लम्बी चर्चा करें और अगर इस पर पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं की गई तो दिनोंदिन हालात बद से बदतर होते जाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के हिस्से का 0.6 एम.एफ. पानी जो इसी सरकार ने, इसी के मुख्य मंत्री महोदय और उस समय केन्द्र में भी प्रधान मंत्री राजीव गांधीजी थे, लोंगोवाल समझौते के तहत घुटने टेक दिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए राजस्थान को बरबाद किया, राजस्थान के तत्कालीन मुख्य मंत्री ने। मैं समझता हूं कि अब भी राजस्थान के मुख्य मंत्री अगर दुबारा ऐसी स्थिति पैदा करते हैं तो निश्चित रूप से राजस्थान सरकार के सामने बहुत कड़ा जन आंदोलन का सामना करना पड़ेगा।

श्री सभापति: सम अप करें माननीय सदस्य।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इतना ही कहना चाहता हूं कि चाहे प्रथम चरण का किसान हो, चाहे द्वितीय चरण का किसान हो, किसान को पानी चाहिए पानी। सरकार क्या करेगी, सरकार कैसे करेगी, यह सरकार को समीक्षा करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी ने तो 5 साल निकाल दिए, अगर इस सरकार ने भी गड़बड़ी की तो 5 साल नहीं निकलेंगे, 5 महीने में किसान सड़कों पर आकर जीना हराम करेगा। इन्हीं शब्दों के साथ, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री जीवराम चौधरी। (व्यवधान)

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): माननीय सभापति महोदय, सर्वप्रथम मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आप ए.सी. को कम करवाइए। ठण्ड लग रही है। (व्यवधान) पीछे वालों को नहीं लग रही है, हमको ठण्ड लग रही है। ए सी थोड़ा कम करवाइए।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ठण्ड लग रही है, ए.सी. बहुत ज्यादा ठण्डा हो रहा है इसलिए कम करवाइए।

श्री सभापति: कूलिंग कम करवा दो। कूलिंग कम करवा दो।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): ...(व्यवधान) निर्दलीयों को तो गर्मी लगती है, सर्दी तो आपको और इनको लगनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं कोई लम्बे चौड़े आंकड़ों में नहीं जाना चाहता। मेरे विधान सभा क्षेत्र में नर्मदा नहर का प्रोजेक्ट चल रहा है और वह लगभग 90 प्रतिशत पूर्ण होने की तैयारी में है, उसमें आज से 16-16 महीने पहले गुजरात से नर्मदा का नीर भी हमने सांचोर की धरती पर पिछली सरकार के सहयोग से और गुजरात सरकार के सहयोग से मिला और वह पानी आज पूरी नहरों में भरा पडा है। नर्मदा नहर की मेन कैनाल के बाद में जो वितरिकाएं तैयार की हैं उसका काम इतना घटिया किया है कि मैंने जब एक बालेरा वितरिका है जो इस कैनाल की तीसरी सबसे बड़ी वितरिका है, महीने भर पहले हमने उसमें पानी छोड़ा तो वितरिका के अन्दर उन्होंने सीमेंट की टाइलें फिट की हैं, उन टाइलों के बीच में अगर कोई कीड़ा-मकोड़ा भी घुस कर छेद कर दे और पानी टच होते ही पीछे की रेती जहां से उसकी फीलिंग की हुई है ऊंचाई पर जहां है वह दो बार वहां से टूट गया है। अगर इसी प्रकार से सारी वितरिकाओं का काम जो रहा है और होगा तो माननीय मंत्रीजी, मैं आपको सुझाव देना चाहता हूं कि जिस प्रकार से वह टाइलें लग रही हैं, उन टाइलों को बंद कर अगर पेवर सिस्टम से आप काम करवाएं और जिस प्रकार से मेन कैनाल का काम हुआ है, उसी प्रकार से आप करवाएं तो वह मजबूत होगी और हमारे सरकारी धन का दुरुपयोग भी नहीं होगा।

माननीय सभापति महोदय, नर्मदा के पानी से मेरे विधान सभा क्षेत्र में 2 लाख 46 हजार हैक्टेयर में सिंचाई होगी। उसमें बहुत सारी डिग्गियां तैयार हो गई हैं, सिस्टम पूरा लग चुका है, उन डिग्गियों के चुनाव हो गए हैं, उनके अध्यक्ष बना दिए गए हैं। मेरा माननीय मंत्रीजी को सुझाव है और रिक्वेस्ट भी है कि अगली सियालू फसल में उन डिग्गियों में पानी दिया जाए ताकि काश्तकार जीरा, ईसबगोल और गेहूं की खेती करके अपनी आजीविका पैदा कर सके।

पूरे जालौर और बाड़मेर के लगभग 1210 गांव, 610 गांव जालौर के और 602 गांव बाड़मेर जिले के पीने का पानी इस नर्मदा कैनाल के जरिये देना है। जालौर और आहोर के लिए पाइप लाइन का काम शुरू है, 70 प्रतिशत पाइप भी लग चुके हैं लेकिन पानी जहां से टंकी बनाकर रा वाटर स्टोक करके फिल्टर करके पाइप में डालेंगे उस जगह का अभी तक चयन नहीं हुआ है।

(श्री जीवाराम चौधरी)

माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि रणोदर करके एक गांव है उस गांव की जमीन विभाग ने चयनित की थी। वहां के काश्तकारों को नोटिस भी दिए गए लेकिन वहां के कुछ काश्तकार भाव के चक्कर में पजेशन नहीं दे रहे हैं। अगर दूसरी जगह मान लो और भी बहुत सारी जमीन हमारे वहां उपलब्ध है, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर वह किसी कारण से वहां किसी डिस्पुट के कारण क्लीयर नहीं होता है तो जालौर और आहोर को पानी जल्दी देने के लिए किसी और स्थान का चयन करके वहां रॉ वाटर का प्लांट जिस प्रकार से सीलू में बना है, मेरे खुद के सांचोर विधान सभा क्षेत्र में पी.एच.ई.डी. ने नर्मदा का प्लांट शुरू किया है जिससे 22 गांवों को पीने का पानी हम दे रहे हैं, ऐसे पी.एच.ई.डी. ने नर्मदा का पूरे तहसील का डिजाइनिंग करके प्लान किया है, उसका कार्य भी मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि समय से शुरू कराया जाए, उसके काम की गति अभी बहुत ढीली चल रही है। (व्यवधान)

श्री सभापति: क्या हो गया? (व्यवधान)

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): सर्दी लग रही है सर्दी ।

श्री जयदीप (भादरा): वह तो बसपा में शामिल होते ही लगी थी हमें तो।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): बसपा में शामिल कब हुए अपन?

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): बसपा तो कांग्रेस में शामिल हो गई तब ही ठण्डे हो गए।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचोर): तब तो ठण्डे हो ही गए। कोई बात नहीं, अपने भी भाव आएंगे, चिंता मत करो आप, अभी तो अपन ने समर्थन दे रखा है (व्यवधान) नहीं आएगा तो कोई बात नहीं अगली बार देखेंगे। आप भी लहर करो।

सभापति महोदय, मैंने मेरे मुख्य-मुख्य सुझाव दिये हैं, मैं सरकार से निवेदन करूंगा यहां उन सुझावों पर अमल करें और काश्तकारों को उनके खेतों में जल्दी से जल्दी नर्बदा का पानी उपलब्ध हो ताकि हमारे काश्तकार समृद्ध हों। हमारे काश्तकार समृद्ध हों तो हमारा राज्य समृद्ध हो, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रणवीरजी। (व्यवधान) एक मिनट विराजें।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आज की मांग के पारित होने तक बढ़ाया जाए।

श्री सभापति: आज की मांग पारित होने तक क्या सदन का समय बढ़ाया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय मांग पारित होने तक बढ़ाया गया।

मांग संख्या-46 पर विचार

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): सभापति महोदय, मैं पहली बार बोल रहा हूं और मैं आशा करता हूं कि मेरी बातों पर माननीय मंत्रीजी भी और मुझसे तो सारे ही सीनियर हैं, यहां जूनियर मैं ही हूं मेरे खयाल से। पहली बार बोलने में भी टाइम हो ही गया, गड़बड़ हो गई। एक पुरानी कहावत है कि शरीर में से खून की बोतल दे देना, पर पानी का गिलास खराब मत करना, दुबारा पानी नहीं आएगा। दूसरी कहावत यह है कि देशभक्ति जापान से और पानी की रक्षा इजरायल से सीखें।

माननीय सभापतिजी, भारत के कुछ राज्य ऐसे हैं हिमालय से नहरों के द्वारा उनकी सिंचाई हो जाती है। राजस्थान की परम्परा रही है बांध, तालाब, एनिकट बनाकर सिंचाई का प्रबंध किया जाए या सिंचाई के लिए रेनवाटर स्टोर करके इनको सिंचाई के काम में लिया जाए। अभी बहुत बड़ी-बड़ी नहरों का जिक्र यहां हो रहा था, सन् 1960 का प्लान चला आ रहा है, कोई सन् 1970 का चला आ रहा है, मर भी जाएंगे इन प्लानों को सुनते-सुनते, मेरे खयाल से ये पूरी जिन्दगी में होंगे भी नहीं। इसी आशा को ध्यान में रखते हुए टोंक जिले के टोडारायसिंह में एक बीसलपुर डैम का निर्माण आज से 20-22 वर्ष पहले किया गया और टोंकवासियों को अखबारों के माध्यम से बताया गया कि प्रत्येक के खेत में पानी होगा, पीने के लिए प्रत्येक के घर में टूंटियां लग जाएंगी, प्रत्येक गांव में पानी की टंकियां होगी, ऐसा माहौल बनाकर 200-250 गांव वहां से उठा दिये गये और वहां पर बांध का कैचमेंट एरिया बताकर उसमें बांध का निर्माण कर दिया गया। टोंक जिले के समस्त किसान, ग्रामीण जितने भी थे उनको खुशी थी कि यहां बांध बनेगा और एक दिन हमें इससे सिंचाई

(श्री रणवीर पहलवान)

और पीने का पानी मिलेगा। बांध बनने की पीड़ा वो किसान जो वहां से उठाये गये थे पूरे टोंक जिले की चरागाह भूमि थी विस्थापित के नाम पर उनको अलॉट करके चरागाह चला गया, उस चरागाह के जाने से टोंक जिले का पशुधन भी खतम हो गया। इसके उपरांत भी यह जुल्म सहन करते रहे वहां के किसान, मजदूर की आज भी हमें आशा है कि पानी मिलेगा। फिर पानी मांगा तो एक ऐसा एक्सीडेंट सोहेला के अन्दर हुआ कि पुलिस और संघर्ष करने वालों के बीच में गोली चली और 20 को गोली लगी। करीब पांच वहीं पर मारे गये। उनमें एक विधवा गरीब महिला भी थी और चार पुरुष थे, 15 घायल हुए। 15 अगस्त, 2007 को टोंक जिले ने आजादी का दिन न मनाकर करीब 40 हजार आदमियों ने आजादी के दिन जेल भरी जिराना गांव में। तब वहां पर गोलियां चलीं और उस रोड पर लाशें पड़ी थीं तब माननीय सोनिया गांधीजी और हमारे जो माननीय मुख्य मंत्रीजी हैं ये वहां पहुंचे और इन्होंने कहा कि थोड़े ही दिन में हमारी सरकार आ जाएगी और प्रत्येक घर के अन्दर टूंटियां सीधी ही चली जाएंगी। भगवान ने सुनी, वहां की सत्ता बदली हुई और सत्ता कांग्रेस की भी आयी। अभी बजट भाषण पढ़ा उसमें उसका नाम तक भी नहीं आया कि आगे देखा जाएगा, चालू वर्ष में जकियाजी से बात हुई, टोंक सिटी का नाम आया। जिस तहसील की, जिस डिस्ट्रिक्ट की जमीन गयी, चरागाह गया, गांव उजड़े उन ग्रामीणों के श्मशान घाट, कब्रिस्तान, पुरानी यादें, मंदिर, मस्जिद वहीं बांध की तलहटी में स्वाहा हो गये और इस उम्मीद में वे यह जुल्म सहन करते रहे कि एक दिन हमें पीने और सिंचाई का पानी मिलेगा। सभापति महोदय, कोई एक पार्टी में कमी नहीं निकाली जा सकती, 20 वर्ष में दोनों पार्टियां आयीं और गयीं, मेरे खयाल से दो-दो बार राज हो गया।

यहां में एक छोटा सा उदाहरण पेश करना चाहता हूं। एक पिता के चार पुत्र थे। दो कद में छोटे थे और दो थोड़े से लम्बे थे। एक उदाहरण इससे मिलता-जुलता है। उनके पिता मर गये। अर्थी लेकर चले तो पीछे से पंडितजी कह रहे थे "राम नाम सत है" तो आगे वाले भाई कह रहे थे ''आगे वज़न बत्ती है"। रास्ते में कंधा बदली हुआ, आगे वाले पीछे हुए, पीछे वाले आगे हुए। फिर पंडितजी ने कहा "राम नाम सत है" तो उन्होंने कहा कि "वो की वो गत है"। वो पीछे की अर्थी लुळ गई। 5-5 वर्ष में कंधा बदली होती रही, एक भी गांव में पीने की एक बूंद पानी नहीं। सिंचाई को तो क्या फूंकें। इतनी बड़ी पाइप लाइन जिसके अन्दर से टाटा सफारी गाड़ी बीसलपुर बांध से जयपुर आ सकती है

(श्री रणवीर पहलवान)

पाइप लाइन के अन्दर से उसे एक अण्डरग्राउण्ड बंद नहर का नाम न देकर पाइप लाइन का नाम दिया गया जिसकी साढ़े नौ फीट ऊंचाई है और उसमें से बीसलपुर बांध का 16 टीएमसी पानी कुल भराव क्षमता उसकी 38 टीएमसी पानी है, 16 टीएमसी पानी जयपुर को, 8 टीएमसी अजमेर को, 6 टीएमसी भीलवाड़ा को और 8 टीएमसी पानी बचा। कुल भराव क्षमता 38 टीएमसी है उस बांध की। (व्यवधान) माफ करें वो भीलवाड़ा को नहीं तो ब्यावर को चला गया होगा, 8 टीएमसी पानी बचा, 8 टीएमसी पानी में से 6 टीएमसी पानी छीजत हो जाता है, वाष्पीकरण विधि से उड़ जाता है, कछ जमीन सोख लेती है, 2 टीएमसी पानी बच गया। मुझे नहीं पता वो किसको दिया जाएगा टोडा और मालपुरा, जिसकी धरती के ऊपर वह बांध बना, जिसका चरागाह गया, जिसके आदमी मर गये और जिसके समस्त गांव उजड़ गये आज उन आदमियों को सिंचाई तो छोड़ो पीने का एक बूंद पानी नहीं मिल रहा है, इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? वे लोग सिंचाई के लिए नहीं मांग रहे हैं। बहुत से सदस्य कोई इंदिरा गांधी नहर की, कोई गंगा का, कोई यमुना का, कोई हजारों नदियां बना दीं। हम तो पीने का पानी मांग रहे हैं। इतनी कुर्बानी देने के बाद पीने का पानी नहीं मिल रहा सिंचाई तो बहुत दूर की बात है। 38 टीएमसी पानी में से 30 टीएमसी पानी अलाट हो चुका, 8 टीएमसी पानी बच गया, 6 टीएमसी पानी की छीजत हो जाती है 2 टीएमसी पानी बच गया उसको किस तरीके से दिया जाएगा, क्या किया जाएगा।

(समय : 16.57 बजे)

(श्री राव राजेन्द्र सिंह, सभापति, पदासीन)

माननीय मंत्रीजी यहां विराजमान हैं गांवों में लोग कहते हैं क्या हुआ, पानी नहीं मिला। कांग्रेस सरकार कह रही थी हम आते ही पानी दे देंगे।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): माननीय सभापति महोदय, मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य को विधायक इसीलिए चुना है कि ये पहलवान हैं। फिर पानी मिले नहीं ...(व्यवधान) आप तो झण्डा गाड़ दो।

श्री सभापति: अब आप विराज जाएं।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): बात झण्डा गाड़ने या उठाने की नहीं, सब एक समान हैं। थोड़े दिन पहले यह पार्टी भी थी, आगे यह पार्टी भी आ जाएगी। मेरा मकसद किसी की बुराई या भलाई करना नहीं है। दो चीज होती

(श्री रणवीर पहलवान)

है आवश्यकता और सुविधा। हम आवश्यकता की चीजें मांग रहे हैं, सुविधा नहीं मांग रहे हैं, कोई हवाई जहाज, रोड, बस, रेल नहीं मांग रहे हैं। हवा, पानी और रोटी तो प्रत्येक को देनी पड़ेगी। हमें आपत्ति नहीं आपने पानी जयपुर को दिया, दूदू, भीलवाड़ा, अजमेर को दिया, कोई आपत्ति नहीं है, राज्य सरकार का उत्तरदायित्व है प्रत्येक को पानी देना। लेकिन जिसका बांध है, जिसकी जमीन है, जिसका चरागाह गया उनको पीने का पानी नहीं देना न्याय नहीं अन्याय है। आशा करते हैं कि जल्दी से जल्दी आज मंत्री महोदय यहां विराजमान हैं, माननीय मुख्यमंत्रीजी नहीं हैं, एक प्रार्थना-पत्र के जरिये मैं उनके पास जाऊंगा। मैंने कांग्रेस से इस आशा से कुछ भी नहीं मांगा, पैसा कुछ नहीं चाहिए, केवल पीने का पानी चाहिए, सिंचाई का भी नहीं चाहिए। टोरडी सागर बांध उसी से ज्वाइंट है उसके कैचमेंट एरिया में पीछे 8-9 बांध और बना दिये, उसमें पानी आने से रुक गया, बीसलपुर डैम में पानी आता है उसको पाइपों के द्वारा बाहर ले गये, केकड़ी, भीलवाड़ा, दूदू, जयपुर ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य, मेरी तो खुद की कांस्टीट्युएंसी ...(व्यवधान) मेरे गांव विस्थापित हुए।

श्री सभापति: आदरणीय सदस्य, विराज जाएं।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): मेरे गांव विस्थापित हुए। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराज जाएं। आसन पैरों पर है।

आसन पांवों पर है। I think, by now you should know from where to speak.......(व्यवधान)......

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): रघुजी, आप बोलो, आपके पानी नहीं जा रहा है ......(व्यवधान)

(समय : 17.00 बजे)

श्री सभापति: If you do want to speak, you might as well go to your seat. Please keep that in mind.

आसन की बगैर इजाजत से चाहे कोई भी बोले अंकित नहीं होगा।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): माननीय रघुजी केकड़ी से जीत कर आए हैं। सभापति महोदय, आपके प्रत्येक गांवों के अन्दर बीसलपुर डैम का पानी गया हुआ है और आपको पता भी है। बघेरा गांव के अन्दर एक बहुत बड़ा वाटर स्टोरेज जो बीसलपुर डैम से ही वहां सारे गांवों में पाइप लाइनें

(श्री रणवीर पहलवान)

जाती हैं, किशनगढ़ में, अजमेर में, केकड़ी में प्रत्येक गांव में, जयपुर में, दूदू में परन्तु ऐसा क्या जुल्म टोंकवासियों ने किया कि उस बीसलपुर डैम का पानी उन ग्रामवासियों को सिंचाई तो दूर की बात, हम तो सपना सोचते हैं कि सिंचाई के लिए भी कोई पानी होता है। उस बांध का पीने के लिए भी नसीब नहीं हुआ किसी ग्राम को। और आज वहां के हालात देखिए फ्लोराइड की मात्रा 70 प्रतिशत, 80 प्रतिशत है, जमीन के नीचे पानी नहीं है, 4-4 सौ फीट, देखिए, 5-5 सौ फीट तक अगर हैंडपम्प लगाते हैं तो वह भी नहीं, उसमें पानी नहीं है। नीचे वाटर जमीन का जो था अण्डरग्राउंड वाटर बहुत नीचे जा चुका। मैं समस्त सदन से प्रार्थना करता हूं, यह सामान्य स्थिति नहीं है, केवल पीने का पानी तो अमीर लोग प्याऊ भी खोलते हैं। राज्य सरकार कम से कम उस डैम का पानी जिन व्यक्तियों की इतनी बड़ी कुर्बानी, जिन व्यक्तियों की चारागाह जमीन, गांव उजड़ा, आदमी मरे और उनको पीने का पानी नहीं। यह एक जुल्म है, आशा करता हूं समस्त सदस्य जो भी सदन के अन्दर है, सभापति महोदय, इस जुल्म के खिलाफ कम से कम उस गरीब जनता की तरफ से ध्यान दें, चाहे पीने के पानी की, बगैर फ्लोराइड पानी पी-पी कर उनकी हड्डियां मुड़ गई, आंखें, दांत टूट गये, सिर के बाल उखड़ गये, 30 वर्ष का बच्चा 60 वर्ष के बूढे से भी बदतर नजर आता है। आप वहीं से जीत कर आए हैं, माननीय जकियाजी, माननीय बैरवा साहब, माननीय रामनारायणजी, आप उसको जानते हैं, खड़े होकर बोलने दो, इनको भी कि हम भी उस जिले के, चुनाव के बाद सारा का सारा पानी ला दें, नहर ला दें, मौज करके चुनाव जीतते हैं। चुनाव के बाद भूल जाएं तो दूसरी बात है, इसमें कोई भी, मैं किसी को गुनहगार नहीं ठहराता, सरकारें 20 वर्ष में दो-दो बार, चार-चार बार सब की आई गई हैं। प्रार्थना करता हूं, माननीय सिंचाई मंत्री महोदय यहां हैं, आप तुरंत उन गांवों को कम से कम पीने के पानी की सुविधा उपलब्ध करवा दें या जो पाइप लाइनें गांव के बीच में आ रही हैं, उनसे टैंकर भरने की आज्ञा दे दें, उनमें से इतना पैक भेज दी, जैसे तो कोई दुबई से तेल के कुओं का पानी जा रहा है। उन पाइप लाइनों को देख कर औरतें रोती हैं, जहां से पाइप लाइन में रिसाव होता है, बहन और बेटियां मटके लेकर खड़ी रहती हैं, पुलिस वाले आते हैं तो भाग जाती हैं। उनके मटके तोड़े जाते हैं कि तुम पाइप लाइन को तोड़ रहे थे, वे रिसाव के नीचे मटके लेकर खड़ी रहती हैं। रघुजी, क्या बोलना चाह रहे थे, वह जरूर अपना इसमें बोलो, मैं बैठ जाता हूं, 5 मिनट बाद में बोलूंगा, आप बोलो।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, मैं कुछ कहना चाहूंगा।

श्री सभापति: I have not permitted you. आप अपनी बात समाप्त कर लें और एक बात आप ध्यान में रखें। No member has been given the authority to ask the other member to speak. आप अपनी बात को कन्क्लूड करें, you have been speaking for the last 13 minutes.

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): मैं तो बोल ही रहा था, जी, बीच में बोल गये थे, यहां की परम्परा ऐसी ही है, हमारी छोटी दुकान है न, इसलिए थोड़ा यहां बड़े दुकानदार हैं।

श्री सभापति: यहां एक बात और क्लियर कर दूं मैं आपको।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): माफ कर दें।

श्री सभापति: यहां न कोई छोटी दुकान है, न कोई बड़ी दुकान है, सब आप आदरणीय सदस्य हो, आप सब का अपना एक ओहदा है, इस सदन की अपनी एक गरिमा है।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा): सभापति महोदय, आप एजुकेटेड और समझदार पर्सन हो लेकिन सब के दिल में ऐसी भावना शायद नहीं है। आप जितने अच्छे और जितने प्यार प्रेम से समझा रहे हैं, मैं तो इतनी ही प्रार्थना करता हूं समस्त सदस्य से, यह कोई लड़ाई, मैं पाकिस्तान हिन्दुस्तान की बात नहीं कर रहा, कोई कांग्रेस बीजेपी की नहीं कर रहा, किसी की बुराई भलाई की नहीं कर रहा। सीधा-सीधा प्रश्न साफ-साफ छोटा सा है, एक गांव के अन्दर, एक घर के अन्दर एक मटका है, उस मटके से उस घर वालों को पानी नहीं देकर और दूसरे घर वालों को पानी पिलाया जाता है और घर वाले मरते हैं, यह अच्छी बात नहीं, यह जुल्म है। उसकी जितनी भी, उस बांध की तलहटी के अन्दर जमीन थी, समस्त टोंक डिस्ट्रिक्ट की टोडारायसिंह तहसील की जमीन, कई हजार हैक्टेयर भूमि है, कोई दूसरी तहसील की नहीं, वहां से जो गांव उजड़ गये। समस्त टोंक जिले की चरागाह भूमि उनको अलाट करके विस्थापितों को वहां पर बसा दिया गया। चरागाह भूमि जाने से उनका पशुधन खतम हो गया और बांध का पानी इकट्ठा हो गया, उसको भारी पाइप लाइनों से बाहर के जिलों में भेज दिया, यह जुल्म है, अन्याय है। मैं प्रार्थना पुनः करता हूं, माननीय सिंचाई मंत्री महोदय इस पर तुरन्त कार्यवाही करके उस जनता को

(श्री रणवीर पहलवान)

कम से कम पीने का पानी देंगे, अन्यथा मजबूर किसान फिर वही हालात होंगे, गोलियां चलेंगी, मरेंगे। क्योंकि वह जानते हैं जहां पानी नहीं, बिजली नहीं, रोटी नहीं, फिर तो पक्की जेलें बनी हुई हैं, पक्के मकान हैं, पानी फ्री, रोटी फ्री है, जेल फ्री है, उस गांव से तो जेल ही उचित है, यहां पानी भी मिलता है, फिर वह समस्त आदमी जेल की तरफ पलायन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे और यह एक अच्छी बात नहीं, बुरी बात है। आज सदन राजस्थान की सबसे बड़ी पंचायत है, इस पंचायत के समक्ष मैंने एक बहुत 20 वर्ष पुराना दुःख अपने दिल का उस जनता की तरफ से आपके समक्ष पेश किया है। आशा करता हूं इस पर माननीय मुख्य मंत्रीजी, माननीय सिंचाई मंत्रीजी तुरंत कार्यवाही करके राहत देंगे। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री राधेश्याम गंगानगर।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): आदरणीय, सभापति महोदय, आज मांग संख्या-46 पर सिंचाई में होने वाली चर्चा में मैं स्वयं को सम्मिलित करते हुए विनती करना चाहता हूं कि श्रीगंगानगर जो गंग कैनाल से सिंचित होता है जो महाराजा गंगासिंह की देन है जिन्होंने उस वक्त ऐसा विचार किया। श्रीगंगानगर की हालत यह थी कि वहां काली, पीली और लाल रंग की आंधियां आया करती थीं, छोटा सा गंगानगर हुआ करता था। उस महाराजा की सोच के लिए मैं आपको निवेदन कर रहा हूं, उन्होंने यह सोचा कि यहां की गंगानगर की जो पब्लिक है, जो किसान हैं, जो मजदूर है, जो व्यापारी है, वह कैसे खुशहाल हो सकता है, उन्होंने अपने खजाने के दरवाजे खोल दिये और वह ठेठ वहां से ऐसी पक्की कैनाल बना कर लाये जिसका आज तक दुनिया में इतिहास अलग ही रहेगा। 27 सौ क्यूसेक्स की वह कैनाल जिसमें उस वक्त 27 सौ क्यूसेक्स पानी लेता हुआ चला, आज वहां किसान रो रहे हैं, किसान की हालत बहुत खराब है, केवल हम किसान की बात नहीं करें, गंगानगर का कल्चर है, एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चर से सारा हमारा समाज सिंचित होता है। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा आपके माध्यम से सरकार को कि गंगानगर का किसान नहीं, गंगानगर का मजदूर, गंगानगर का व्यापारी, गंगानगर का डाक्टर, गंगानगर का वकील, गंगानगर का धोबी और तेली, सब इस पर निर्भर करते हैं। कुछ दिन पहले जब अभी घड़साना का जिक्र कर रहे थे, वहां हालात यह हो गये थे, पानी नहीं था, उस वक्त 40 लाख की दुकान व्यापारी 5 लाख में बेचता था और कोई लेता नहीं था, हालत यह है। जैसा यह आपके सामने

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

एक निवेदन करना चाहूंगा "रहीमन पानी राखिए, पानी बिन सब सून, पानी गये न उबरे मोती मानस चून" तो सभापति महोदय, गंग कैनाल की वह हालत जो देखता है, रोना आता है। आज जो, आज से मान लो 50 वर्ष पहले जो चीज लोगों को आबाद कर रही थी वह आज बरबादी के कगार पर खड़ी है। आज पीने का पानी नहीं है, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा, जब यह पक्की कैनाल बनाई गई तो लोगों को आशा थी, उसके मैंने पहले भारी प्रयास किया, सम्माननीय सिंचाई मंत्रीजी, आपके पिताजी मेरे भाई परसरामजी मदेरणा, मैं उनके यहां धरना लगा कर बैठ गया, मैंने कहा एक दफा चलो और गंगानगर चल कर देखो, उन्होंने मेरी अर्ज को कबूल किया, हम सारे विधायक इकट्ठे हुए और उन्होंने एक ऐसी बढ़िया मिसाल, ऐसी मिसाल कायम की, हाउस में उसको मैं कहते हुए गौरव से कह सकता हूं कि पूरी केबिनेट को लेकर अकेले नहीं, माथुर साहब मुख्य मंत्री थे, पूरी केबिनेट को लेकर श्रीगंगानगर गंग कैनाल का भ्रमण किया, इंदिरा गांधी कैनाल का भ्रमण किया, पूरे इलाके का और बहुत बड़ी वहां मीटिंग करके, केबिनेट की मीटिंग की, पब्लिक की बात सुनी, हजारों की तादाद में लोग दुःखी इकट्ठे हुए और उनकी बात सुन कर उन्होंने वहीं निस्तारण किया। एक तो उस वक्त की बात थी, उसके बाद में मैं यह भी नहीं भूलता, इसी बात को लेकर पुनः हमारे उप राष्ट्रपति श्री भैरोंसिंहजी इस गंग कैनाल के लिए उन्होंने गंगानगर के कलक्टर के आगे धरना दिया।

मतलब उसके कोई फर्क नहीं था, दोनों पार्टियां यही चाहती थीं और हमारे मिल जुलकर यह कार्य चलता था। आज न जाने क्या कारण हो गया, पता नहीं, किस कारण हम आपस में लड़ते हैं। लड़ाई केवल मनुष्य जीता रहे, उसके साधन उसको मिलते रहें और वह खुशहाल रहे, हमारा प्रदेश खुशहाल रहे और गंगानगर जिला खुशहाल रहे। उसके बाद मुझे भी एक, शायद आप इसको फील नहीं करें, मैं मेरी बड़ाई के लिए नहीं कहना चाहता लेकिन आपकी जानकारी के लिए यह कहना चाहता हूं। जो आज जिस सरकार के मुख्य मंत्री सम्माननीय अशोकजी गहलोत हैं, पिछली सरकार जब ये मुख्य मंत्री थे, उस समय मैं भी उनके साथ था, मैंने बहुत निवेदन किया और आपने मुझे यह कहा कि राधेश्यामजी, सदी का सबसे बड़ा अकाल है, कहां से पैसा लाऊं? कमलाजी सिंचाई मंत्री थीं। मुझे भी उन्होंने राज्य मंत्री का दर्जा दे रखा था, सिंचाई मेरे पास भी थी। तो जब उनसे बार-बार निवेदन किया तो मुख्य

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

मंत्रीजी कहते हैं कि भैया, मेरे पास ऐसी कोई स्कीम नहीं है न पैसा है। मैंने कहा कि मेरे पास एक स्कीम है, अगर आप हुक्म करें तो मैं अर्ज करूं। वह कहने लगे बताओ, कमलाजी को बता देना। मैंने बताया कि 300 करोड़ रुपये जयपुर में गंगानगर के एग्रीकल्चर विभाग के यहां पड़े हैं हमारे, आपको कोई पैसा नहीं देना। भारत सरकार पैसा दे रही है, 10 प्रतिशत अपने को लगाना है, 450 करोड़ रुपये का यह प्रोजेक्ट है, अपनी वाह-वाह, वाह-वाह हो जायेगी। उससे पहले इन्होंने कोशिश की तो एग्रीकल्चर विभाग का पैसा और बिजली विभाग में और कई जगह ब्याज पर दिया हुआ था लेकिन इन्होंने वहां अपने मैसेज से कलक्टर को यह कहा कि जनता की नब्ज टटोलो। हम चाहते हैं कि अगर किसान पैसा खर्च करे तो यह काम अति आवश्यक है, जरूरी है और इस काम को करवा दिया जाये तो कलक्टर ने मीटिंग बुलाई, सारी पार्टियों के लोग इकट्ठे हुए लेकिन रिजल्ट यह था कि किसानों से यह कहा कि आपके हर बीघे पर हम 500 रुपये लगाना चाहते हैं, क्या आप राज़ी हो? किसानों ने जवाब दे दिया। पुनः यहां धरने चले, प्रदर्शन हुए पर मुख्य मंत्रीजी का मन भी था कि किसी भी तरह से इस कार्य को किया जाये लेकिन माननीय मुख्य मंत्रीजी उस समय के यह सोचते थे कि इतने बड़े अकाल में 446 करोड़ रुपये गंगानगर जिले को दे दिया तो बाकी लोग मुझे क्या कहेंगे? क्योंकि उनके जिम्मेदारी पूरे प्रदेश की थी लेकिन मैं इस मामले में कोई कंजूसी नहीं करूंगा। मैं उनका आभारी हूं, उन्होंने कहा कि आप कोई ऐसा प्रोजेक्ट या ऐसी कोई बात लाओ, मैं उसको मंजूरी दूंगा। मैंने जो प्रोजेक्ट बनाकर दिया, यह मुझे कहते हुए गर्व होता है कि वह प्रोजेक्ट केबिनेट में जाकर वैसा का वैसा पास हुआ, यह मैं आज दावे के साथ कहता हूं और उस प्रोजेक्ट पर काम हुआ और पूरी केबिनेट सारी दुबारा जाकर गंगानगर की जनता को वह सौगात दी। वहां दो बार केबिनेट गई। एक बार माथुर साहब के टाइम में और दूसरी बार अशोकजी गहलोत के टाइम में। मैं उस बात की सराहना करता हूं क्योंकि यह इधर और उधर की बात नहीं है, यह बात है कि हमारा प्रदेश कैसे आगे बढ़े।

मैं इस बात के साथ-साथ यह भी कहना चाहूंगा, आज उस कैनाल में उससे दुःख की बात यह है कि अब बजट रखा। वही मुख्य मंत्रीजी हैं, उस बजट में गंग कैनाल का जो बचा हुआ पक्का करने वाला हिस्सा है, मेरे से पूर्व सादुलशहर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी यह बात कही है। वह कहीं भी जिक्र नहीं है बजट में। पक्के खालों का कहीं जिक्र नहीं है। जब बचा हुआ

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

काम नहीं होगा तो वह गंग कैनाल तो उसी तरह से लड़खड़ाती रहेगी। पहले 2,700 क्यूसेक्स का डिजाइन था और अब पानी 2,100-2,200 क्यूसेक्स से ज्यादा नहीं चला। आज हालत यह है कि पीछे से पानी, पंजाब वाले बताते हैं कि पानी 1,600 क्यूसेक्स और हमें शिवपुर हैड पर मिलता है माननीय सभापति महोदय, गजब की बात है, 1,500-1,600 क्यूसेक्स पानी इंडेंट होता है और पानी कितना मिला है, 900 और 1,100 क्यूसेक्स। किसानों को पीने के लिए पानी नहीं है। बरबाद हो जायेगा गंगानगर जिला। हमारे आज इस सदन में मेरे सिंचाई मंत्रीजी बैठे हैं, मैं इनसे निवेदन करूंगा सभापति महोदय, आपके माध्यम से, सिंचाई मंत्रीजी जाकर मौके का अध्ययन करें और दोनों तरफ के लोगों की एक पूरी टीम बनाकर जो उस समय के माननीय मंत्री महोदय पधारे थे और उन्होंने एक कीर्तिमान स्थापित किया था। मैं आशा करता हूं क्योंकि चूरू जिले से हमारे तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने बड़े सुन्दर शब्दों में आपकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है। इसी तरह से कोलायत से आने वाले मेरे माननीय सदस्य ने भी आपके लिए, आपकी ओर आशा भरी नजर से आपको देखा है। इसी तरह से हमारे दूसरे मित्र राजवी साहब बोले हैं, जिनका बड़ा अटैचमेंट है गंगानगर जिले से, इन्होंने भी एक ऐसे सुन्दर तरीके से बातें आपके सामने रखी हैं और आपको बड़े प्यार से, आदर से यह बात कही है कि आपकी तरफ हम ऐसी नजरों से आपको देख रहे हैं कि परसराम जी मदेरणा और महिपालजी मदेरणा का एक रूप हो जाये ताकि गंगानगर जिले का कल्याण हो जाये।

माननीय सभापति महोदय, मुझे पता है आप डिसीप्लीन से बहुत चलते हो और मैं आपसे बड़ा प्रभावित हूं। थोड़ी सी कृपा जरूर करना क्योंकि मेरे गंगानगर जिले का यह मामला है। मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा, आज सबसे बड़ी बात राजस्थान की इंदिरा गांधी कैनाल की है, इन्दिरा गांधी कैनाल जगह-जगह से जर्जर हो रही है, उसकी तरफ कोई ध्यान नहीं है। हमारी प्रिय नेता, भूतपूर्व मुख्य मंत्री और हमारे सदन में विपक्ष की नेता हैं, वे भी पूरा का पूरा सारा घूमकर आई हैं। वहां से लेकर पूरी नहर का कहीं भी कोई कमी नहीं छोड़ी, आठ दिन का गर्मी के अन्दर प्रवास किया और उन्होंने भी सारी स्टडी की और उधर के नेताओं ने भी स्टडी की हुई है। उसके उपरांत भी उस नहर का हाल अगर आप जाकर देखो माननीय सभापति महोदय और माननीय हमारे सिंचाई मंत्रीजी, तो आपको रोना आ जायेगा। जगह-जगह वह खोखली

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

हुई पड़ी है जैसे चूसे काट-काटकर खोखला कर देते हैं, पानी आएगा कहां से और मैं सबसे ज्यादा कसूरवार मानता हूं उस समय के हमारे इंजीनियर्स को जो 18,400 क्यूसेक्स का डिजाइन बनाते हैं, 18,400 क्यूसेक्स पानी लेंगे लेकिन उसमें केवल देवीसिंहजी के टाइम में 14,000 क्यूसेक्स पानी चला। न उसके बाद और न उससे पहले कभी इतना पानी आया। आज वहां पानी 5,600-5,500 क्यूसेक्स चल रहा है। पानी की हम बात कर रहे हैं, पानी के लिए लिफ्ट निकाल रहे हैं, पीने का पानी भेज रहे हैं, सिंचाई का पानी भेज रहे हैं। जेब में तो 100 रुपये का नोट है नहीं और बात करते हैं हम लाख रुपयों की। बड़ी गजब की बात है। पहले उसका तो इन्तजाम करो। जब पानी डैम में था, उस समय हमने आठ पानी दे दिया लोगों को, तब जरूरत थी केवल चार पानी की क्योंकि हमें चुनाव जीतना था, आठ पानी दे दिया और डैम में हमारा हिस्सा था, वह अधिक हमने ले लिया और यहां बुवाई होगी नरमा और कपास की, जिसके ऊपर 4,500 रुपये एक बीघा में बुवाई के ऊपर किसान का लगता है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि उस स्थिति में किसान का क्या हाल होगा कि किसान की खड़ी फसल, नरमा और देशी कपास बरबाद हो गई, कुछ नहीं मिलेगा उसको क्योंकि पानी जहां आना चाहिए 12,000 क्यूसेक्स, पानी चल रहा है, 5,000-5,500 क्यूसेक्स, कहां से किसान बचेगा और कहां से मजदूर और व्यापारी बचेंगे। मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करता हूं कि हमने ओवर-ड्रा कर लिया। अगर ओवर-ड्रा नहीं किया हुआ होता तो आज किसान भूखा नहीं मरता, नरमा और कपास उसकी पल जाती और आज यहां हमारी सरकार को इस तरह की मजबूरी का सामना करना नहीं पड़ता। हमारे मुख्य मंत्रीजी ने पंजाब के मुख्य मंत्रीजी से प्रधान मंत्री के माध्यम से जाकर रिक्वेस्ट की। मैं आभारी हूं मुख्य मंत्रीजी का इन्होंने बहुत अच्छी सोच का सबूत दिया। वहां जाकर के जब उनको कहा, उन्होंने बादल साहब से बात की और यह पता लगा कि पानी 250 क्यूसेक्स बढ़ रहा है। जब मुख्य मंत्रीजी वहां से दिल्ली से यहां आकर पधार गये जयपुर में, तो 250 क्यूसेक्स कम हो गया, बढ़ने की बजाय कम हो गया और फिर हमारे यहां विराजमान हैं श्री रामलुभायाजी, हमारे बहुत ही विद्वान और हमारे गंगानगर के कलक्टर भी रहे हुए और इनको लोग चाहते थे कि सारी उम्र वहां से जायें ही नहीं, यह गये वहाँ, सरकार ने भेजा, हमारे

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

सिंचाई मंत्रीजी ने, तो यह जाकर आये, इन्होंने बड़ा प्यार किया क्योंकि पंजाब ही इनका घर है, वहां ही इनका जन्म हुआ है, बड़ी कोशिश की इनके साथ, उन्होंने बड़े प्यार से मान लिया, जब इन्होंने जयपुर की तरफ किया ध्यान तो पानी पीछे से बंद। बड़े गजब की बात है कि पंजाब वाले हमारे से अन्याय क्यों करते हैं। हम उनको बार-बार, ऐसा कोई सिस्टम होना चाहिए, अब सरकार राजस्थान में और हमारे भारत में एक ही ग्रुप की, एक ही पार्टी की सरकार है, यह आपको ऐसा प्रिविलेज मिला है मेरे मित्रों कि आप वहां प्रधानमंत्रीजी से निवेदन करके और कृपा करके इस तरह का साधन करें कि हमारे पानी को इस तरह काटे नहीं। उनके जब चावल की बुवाई होती है तो हमारे हिस्से का पानी खतम। अब गंग कैनाल का तो यह हाल है सभापति महोदय, कि प्रि पार्टीशन शेयर है हमारा 2700 क्यूसेक्स जिसमें चिड़िया भी पानी नहीं पी सकती। महाराजा गंगा सिंह ने ऐसी कैनाल बनाई कि चिड़िया पानी पीना चाहे तो नहीं पी सकती थी। क्या उस वक्त के इंजीनियर थे और एक इंजीनियर यह, 18400 का डिजाइन और 14 हजार अगर पानी चल जाय तो नहर फट जाये। इतना अरबों रुपया उस पर खर्च हुआ, उनके लिए हमारे माननीय जो मंत्री पहले भाटीजी थे उन्होंने बड़ा प्रयास किया, उनके सामने भी बात रखी थी लेकिन कुछ भी नहीं हुआ।

सम्माननीय सभापति महोदय, यह हालत तब सुधरेगी जब हम दोनों तरफ के लोग मिल कर इसको सुधारने का दिल से प्रयास करेंगे क्योंकि पानी एक ऐसी चीज है जिसके बिना मनुष्य जी नहीं सकता। हम केवल बात करते हैं कि किसान की जरूरत है, भाई, किसान के पल्ले कुछ नहीं होगा तो संसार में कोई भी नहीं जी सकता चाहे वह किसी तरह का, छोटा हो, बड़ा हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो। पानी के बिना कुछ नहीं है। मैं आपके ध्यान में यह भी, सभापति महोदय, लाना चाहूंगा, गंगानगर जिला एक ऐसा जिला है जो हिन्दुस्तान में अपनी किस्म का अलग जिला है। चार-चार, पांच-पांच सिस्टम सिंचाई के और फिर भूखा मर रहा है। गंग कैनाल, इंदिरा गांधी कैनाल, भाखड़ा कैनाल, घग्घर फ्ल्ड और सिद्धमुख और नोहर योजना, इस तरह की अनेक योजना जो हिन्दुस्तान में इतनी एक जिले में कहीं भी नहीं है और उसके बाद पानी का भण्डार, पूरे राजस्थान को पानी देने वाला, सबसे ज्यादा अगर कोई टैक्स और रेवेन्यू देता है तो वह गंगानगर जिला देता है, आप रिकार्ड उठा कर देख लें। उसके बाद गंगानगर जिले की अगर यह हालत है तो

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

इसमें रोना आता है। मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्रीजी से कहूंगा कि जब आप खड़े होकर आश्वासन दें या अपनी घोषणा करें तो उस वक्त इन बातों का जरूर जिक्र करें। मैं छोटी सी बात कह कर अपनी बात समाप्त करूंगा, एक मिनट की। ए माइनर गंग कैनाल का एक हिस्सा, जिसमें लाखों लोग गंदा पानी पीकर अपना गुजारा कर रहे हैं। पानी कम मिले वह कोई बात नहीं, चलो, डैम में नहीं है तो कहां से आयेगा, व्यवस्था अपने को करनी है। भगवान करेगा बरसात अच्छी हो जायेगी तो शायद कोई मामला ठीक बैठ जाय। उस ए माइनर का, जिसके भाटीजी ने भी नक्शे बना दिये, कमलाजी ने बना दिये, मदेरणाजी के टाइम में भी हमने मौका दिखा दिया, उसमें हजारों की तादाद में नहरों के किनारे, शहर से गुजरती है, शहर को दो भागों में बांटती है, एक तरफ पुराना शहर जिसको राम नगर बोलते हैं, दूसरी तरफ श्रीगंगानगर बोलते हैं, उसके बीच में वह ए कैनाल जा रही है, ए माइनर । उस ए माइनर के किनारे हजारों होटल, इतनी गंदगी, मरे हुए कुत्ते उसमें डाले जाते हैं और घरों का गंदा पानी शौचालयों का और दूसरा उसमें छोड़ा जाता है और सारी मुर्गियां और जितने बकरे होते हैं जो होटलों में कटते हैं वह सारे उसमें डाले जाते हैं। वह गंदा पानी किसान पीकर पिछले सालों में सैकड़ों आदमियों को पीलिया हो गया था। मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, कृपया आप इस पर ध्यान दें, यह कई सरकारें आई और रोते रहे हम लेकिन रोना किसी ने सुना नहीं। यह आप भाग्यशाली हैं, आपको यह मौका मिला है, फायदा उठा लो, गिनीज बुक में नाम लिखा जायेगा, लोग याद करेंगे कि कोई माई का लाल महिपाल मदेरणा हुआ था, मैं आपके माध्यम से यह आपको निवेदन करना चाहूंगा। अगर उसको बाहर निकालने में कोई दिक्कत है तो कृपया उसको बंद करवा दें और सफाई के लिए मेनहोल बना दें ताकि किसान मरे नहीं। एक तो उसकी सफाई नहीं है, अभी पिछले दिनों में किसानों ने धरने दिये...

श्री सभापति: आप कन्क्लूड कर दें अब। अब आप कन्क्लूड करें।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : काफी लम्बे धरने दिये। एक ही मिनट, खतम कर रहा हूं। बिलकुल, मैं अनुशासन में रहूंगा। उन किसानों ने धरने दिये और जगह-जगह उसके ऊपर जो गंदगी थी, बड़े आक्रोश में आकर उन्होंने शुरू कर दिया तोड़ना, कई पुलिया तोड़ दीं, कई चीजें तोड़ दीं, शहर में एक इस तरह का माहौल हो गया पता नहीं कोई जंग हो जायेगी। तो आप इस बात पर जब भी आप यह फरमायेंगे उस वक्त आप ए माइनर का कृपा करके

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

पूरी जानकारी करके और जानकारी जिससे करनी है वह तो वहां कलक्टर रह चुके हैं और बड़े अच्छे कलक्टर रह चुके हैं, इनको गंगानगर जिले की एक-एक इंच जमीन का पता है और किसानों के मसीहा बनकर यह रहे। मैं तारीफ इसलिए नहीं कर रहा हूं, यह तो गाड-गिफ्ट होता है, ईश्वर किसी को ऐसा बना देता है, इसलिए उसकी तारीफ करनी चाहिए। माननीय मंत्री महोदय, इस बात को न भूलना, ए माइनर, उसके बराबर जितनी भी होटलें या दुकानें बनी हुई हैं वह जमीन आपकी है, वहीं से पैसा लेकर उनको पट्टे दे दो, पैसा ले लो, एक तो वह सुखी और आपका मुफ्त में काम, नाम आपका हो जायेगा।

श्री सभापति: चलिये, थैंक यू वेरी मच। विराजें आप। श्रीमती ममता भूपेश।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): सम्माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, मैं आपका आभारी हूं। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्रीमती ममता भूपेश (सिकराय): सभापति महोदय, मैं मांग संख्या-46 के संदर्भ में आपके माध्यम से सदन के समक्ष अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूं। माननीय सभापतिजी, राजस्थान देश का एक ऐसा प्रदेश है जहां कम से कम जल संसाधन उपलब्ध है। राजस्थान की 70 प्रतिशत जनता अभी भी अपना जीवनयापन करने के लिए कृषि और पशुपालन पर निर्भर रहती है। बढ़ती हुई आबादी, औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और धरती से पानी निकलाने की नई-नई तकनीकें आने की वजह से और जलवायु में तेजी से हो रहे परिवर्तन की वजह से जल का लेवल हमारा दिन प्रतिदिन घटता जा रहा है। इसलिए जन प्रतिनिधि होने के नाते हमारा उत्तरदायित्व होता है, सभापति महोदय, कि इस गम्भीर समस्या के ऊपर पूरा सदन एकजुट होकर, एकजुटता से इस गम्भीर समस्या के ऊपर अपने विचार रखें और एक ऊर्जावान निर्णय निकाल कर यहां से सदन के माध्यम से लेकर आयें जिससे राजस्थान के किसान को आने वाले वर्षों में सिंचाई के माध्यम से परेशानी का सामना उठाना न पड़े। सभापति महोदय, मैंने पूर्व सरकार द्वारा पिछले पांच वर्षों में जल संसाधन के क्षेत्र में किये गये कार्यों का अध्ययन करने का प्रयास किया। मैंने पूर्व मुख्य मंत्रीजी के बजट भाषण और जल संसाधन मंत्रीजी के सदन में दिये गये वक्तव्यों को भी ढंग से पढ़ने का प्रयास किया। मुझे बहुत हैरानी हुई कि मुख्य मंत्रीजी द्वारा, पूर्व मुख्य मंत्रीजी द्वारा पांच वर्षों के अन्दर जो

(श्रीमती ममता भूपेश)

घोषणाएं की गईं उन घोषणाओं में एक-चौथाई घोषणाएं सिर्फ कागजी पुलिंदा बन कर रह गई सभापति महोदय। कई तरह की नीतियां, जल नीति बनाई, ईशरदा बांध की नीति बनाई, 2005-06 के अन्दर माही नदी सिंचाई परियोजना, परवन सिंचाई परियोजना और वर्ष 2006-07 में घोषित जापान बैंक द्वारा पोषित 620 करोड़ की योजना भी इस सदन के समक्ष रखी गई, मगर, सभापति महोदय, मुझे कहते हुए बड़ा दुःख हो रहा है कि इन घोषणाओं को सिर्फ इस सदन के समक्ष रखा गया, इनकी क्रियान्विति कहीं नहीं हुई। तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी ने जो घोषणाएं कीं वह पूरी नहीं कीं और जल संसाधन मंत्रीजी की घोषणाओं का तो आप अन्दाजा ही लगा सकते हैं कि उन्होंने क्या किया होगा। राजस्थान के किसान और गरीबों के लिए यूरोपियन कमीशन के 450 करोड़ रुपये की पार्टनरशिप योजना प्रारम्भ की गई। माननीय सांवरमलजी जाट साहब का यह वक्तव्य मैं सन 2007-08 का आपके समक्ष दिखाना चाहती हूं। जिसमें उन्होंने संशोधित जल नीति पारित करने एवं भूजल के अति दोहन हेतु अधिनियम बनाने जैसी शर्तों को पूरा नहीं करने के कारण से माह अगस्त, 2008 को इस परियोजना के तहत धनराशि केन्द्र सरकार द्वारा मिलना बंद हो गया। बोलना बहुत आसान रहता है लेकिन उन कार्य विधियों को पूरा करना, राजस्थान के किसान को जल पहुंचाना और उसकी सिंचाई के लिए संघर्ष करना इसके अन्दर बहुत अन्तर है। इसी तरह के और काम आगे भी करे गए। मैं माननीय अशोकजी गहलोत को धन्यवाद देना चाहूंगी उन्होंने आते ही सबसे पहले कलक्टर्स की मीटिंग के तहत यह कदम उठाया और यूरोपियन कमीशन के राजदूत और अधिकारी स्तर पर वार्ता की और मुझे आशा है कि यह निश्चित तौर पर यह योजना हमारे राजस्थान के अन्दर चालू हो जाएगी। सभापति महोदय, इसी वर्ष 2006-07 के तहत माननीय तत्कालीन मुख्य मंत्री जी वसुंधरा राजेजी ने अपने भाषण के पैरा संख्या 129 में जापान फोर इन्टरनेशनल काआपरेटिव बैंक के ऋण के बारे में भी जिक्र किया। इसके अन्दर भी लिखा हुआ था कि बैंक की सहमति से 26 जिलों में 415 लघु सिंचाई परियोजनाओं का पुनरुत्थान 612 करोड़ रुपये की योजना के माध्यम से किया जाएगा। माननीय सभापति महोदय, मुझे दुःख इस बात का भी है कि यह योजना भी तीन वर्षों तक इसका कोई कार्यान्वयन नहीं किया गया। आज कई माननीय सदस्यों ने गिरते भू-जल पर गहरी चिंता व्यक्त की। राजस्थान के 198 ब्लाक डार्क जोन हो चुके हैं। इससे भयानक

(श्रीमती ममता भूपेश)

स्थिति हमारे राजस्थान के अंदर आने वाली है। लेकिन पूर्ववर्ती सरकार ने राजस्थान के दस लाख कुओं के कृत्रिम जल द्वारा पुनर्भरण योजना की क्रियान्विति पर कोई ध्यान नहीं दिया। वर्ष 2006 में भारत सरकार ने इस योजना के तहत 400 करोड़ रुपये का अनुदान स्वीकृत किया। लेकिन पूर्व सरकार पिछली तीन साल में एक भी पैसा इस योजना के तहत किसानों के लिए खर्च कर नहीं पाई। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और जल संसाधन मंत्री जी का आभार प्रकट करना चाहूंगी कि प्रथम कलेक्टर्स की मीटिंग में इस योजना को भी लिया गया और प्रथम चरण के अंदर लगभग दो लाख किसानों ने इसके अन्दर अपनी एप्लीकेशन लगाई हैं। और आने वाले समय के अन्दर राजस्थान के दस लाख किसान जो इस योजना से लाभान्वित होना चाहते हैं, वह इस योजना से लाभान्वित होकर अपने आपको सौभाग्यशाली महसूस करेंगे। आज विपक्ष के कई सदस्यों ने अन्तरराज्यीय जल की समस्या के बारे में अपने विचार रखे। अन्तरराज्यीय जल समस्या के सम्बन्ध में यदि पिछले पाँच वर्षों में पूर्व सरकार द्वारा किए गए कोई प्रयास होते तो आज हमें जल और सिंचाई के साधनों क लिए इस तरह से संघर्ष नहीं करना पड़ता। सिर्फ उन्होंने कागजी पुलिंदों की औपचारिकता पूरी करनी चाही सभापति महोदय, और हमारे मुख्य मंत्री जी ने आते ही सरकार के अन्दर कदम रखते हुए हरियाणा के मुख्य मंत्री जी से बात की और निश्चित तौर पर हमें उम्मीद है कि हमारे मुख्य मंत्री जी और सिंचाई मंत्रीजी आने वाले समय में इस परेशानी के वातावरण से दूर राजस्थान को, राजस्थान के किसान को निश्चित तौर पर इस अन्तरराज्यीय जल संसाधन योजना के तहत भी लाभ पहुंचाएंगे।

सभापति महोदय, मैं सदन का ध्यान दिलाना चाहती हूं कि पिछले सिंचाई मंत्रीजी ने अपने बजट का 20 प्रतिशत पैसा अजमेर ज़िले के अन्दर उपयोग में लाया, चाहे वह एनिकटों के अन्दर हो और चाहे पेयजल योजनाओं के तहत हो और डूंगरपुर, उदयपुर, बांसवाड़ा खासतौर से दौसा जिला जहां से मैं चुनकर के आती हूं सभापति महोदय, हम लोगों को दरकिनार रखा गया और किसी तरह की हम लोगों को सिंचाई की और पानी की व्यवस्था हमारे ज़िले में नहीं की गई। इसकी मैं बहुत भर्त्सना करती हूं। कांग्रेस सरकार ने राजस्थान के अन्दर सारी नहरों का जीर्णोद्धार किया। चाहे इंदिरा गांधी नहर, भाखड़ा नहर, बीसलपुर और माही चम्बल सभी कांग्रेस सरकार की सराहनीय देन की एक उदाहरण आपके समक्ष है। आजादी के बाद पहली पंचवर्षीय

(श्रीमती ममता भूपेश)

योजना से अब तक 36.58 लाख हैक्टेयर नहरी सिंचित क्षेत्र का विकास हुआ और इसमें से 27.22 लाख हैक्टेयर कांग्रेस सरकार की देन है और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी ने 9.36 लाख हैक्टेयर भूमि को सृजित किया। उसमें भी दुगुने पैसे कांग्रेस सरकार के माध्यम से लगाये। मैं जल संसाधन मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी को आपके माध्यम से कहना चाहूंगी कि पूर्ववर्ती सरकार की तरह जब किसान ने पानी मांगा अपनी खेती के लिए तो उस पानी की जगह उनको गोलियां मिली। मैं प्रार्थना करना चाहूंगी सभापति महोदय कि हमारी सरकार शांति का दूत बनकर राजस्थान के अन्दर आई है। एक नेक-दिल और गांधीवादी इन्सान के रूप में मुख्य मंत्रीजी हम लोगों को मिला है। हम चाहेंगे और हमें पूर्ण विश्वास है कि राजस्थान के किसानों को आने वाले समय में सौहार्दपूर्ण वातावरण के साथ सिंचित सिंचाई का पानी भी मिलेगा और प्रेम भाव के साथ उनकी जो समस्याएं हैं, उनके सिंचाई क्षेत्र के अन्दर आती हैं उनको भी पूरा करने में हमारे मुख्य मंत्रीजी और हमारे जल संसाधन मंत्रीजी निश्चित तौर पर सक्षम होंगे।

मैं कुछ सुझाव देना चाहूंगी माननीय मंत्री महोदय को आपके माध्यम से कि समय आ गया है कि हम लोगों को अपने मुद्दों पर बात करनी होगी। पक्ष और विपक्ष दोनों को क्योंकि किसान की कोई पार्टी नहीं होती, किसान के पेट के अन्दर न बीजेपी लिखा रहता है और न कांग्रेस लिखा रहता है। किसान के हाथों के अन्दर वह कला है जिसकी वजह से हमारा भरण-पोषण होता है। इसलिए हम लोगों को किसान की सिंचाई को दृष्टिगत रखते हुए सर्वदलीय एक कमेटी ऐसी बनानी चाहिए कि जो आने वाले समय में अगर किसानों को सिंचाई के क्षेत्र में समस्या आये तो सभी पार्टियों के माननीय सदस्य मिलकर उस समस्या का हल निकाल सकें और राजस्थान के किसानों को सहयोग देने में अपना कारगर कदम बढ़ा सकें। मैं एक और बात कहना चाहूंगी कि एक प्राधिकरण जिसके अन्दर किसानों से संबंधित विवाद हो, ऐसा प्राधिकरण का गठन भी राजस्थान सरकार को करना चाहिए। देश के कई राज्यों में आन्ध्र प्रदेश में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में इस तरह के प्राधिकरण स्थापित हुए हैं। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करना चाहती हूं कि स्वतंत्र जल प्राधिकरण का गठन भी राजस्थान के अन्दर किया जाना चाहिए। जिससे हम लोगों को आने वाले समय में हमारे किसानों को किसी तरह की समस्या हो तो उस प्राधिकरण के माध्यम से अपनी बातों को उसके समक्ष रख सकें। सभापति महोदय, भू-जल

(श्रीमती ममता भूपेश)

की स्थिति दिन-ब-दिन गिरती जा रही है। इसके निवारण हेतु प्रभावी कदम उठाने होंगे और अगर कानूनी कार्यवाही करनी पड़े, इसके अन्दर बिना राजनीति हस्तक्षेप के उन व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही करनी चाहिए जो हमारे किसान की आगे बढ़ने वाली गति में अवरोधक बनते हैं। एनीकटों के अंधाधुंध निर्माण में जहां जरूरत नहीं है, वहां भी एनीकट बनाए जा रहे हैं सभापति महोदय और इस वजह से हमारे उस किसान की पानी की समस्याएं बढ़ती जा रही हैं, जो खेती करता है, जो गेहूं पैदा करता है, जो बाजरा पैदा करता है, जो कपास पैदा करता है। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहूंगी कि इस तरह के एनिकट और तालाब जो जरूरत नहीं हैं जिनकी, उनको चिह्नित करके उनको तुरन्त प्रभाव से उनके ऊपर रोक लगानी चाहिए, उनको हटवाना चाहिए। जिससे हमारे राजस्थान के किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो सके। एनिकट में एकत्रित पानी को रिचार्ज करने का भी एक सिस्टम डवलप करना चाहिए। इसमें भी सिंचाई की अनुमति बिलकुल भी नहीं देनी चाहिए। नहर, बांधों व तालाबों की मरम्मत अगर करवानी है तो इनको नरेगा के माध्यम से जोड़ना चाहिए। जिससे कम से कम नरेगा के तहत छोटे-छोटे गांव, कस्बों, ढाणियों के अन्दर स्थित बांध और तालाबों का भी जीर्णोद्धार हो सकेगा और उनके सिंचाई वाले क्षेत्र प्रभावित न हो इस हेतु अलग से अगर फण्ड की भी स्थापना की जाए। नरेगा के अन्दर सिर्फ सिंचित जो भूमि है उसके अन्दर स्थित एनिकट, तालाब और बांध जो सिंचाई के ज़िलों के अन्दर जहां हमारी पैदावार होती है उन ज़िलों के अन्दर आते हैं उस हेतु नरेगा के अन्दर अलग से फण्ड स्थापित करना चाहिए। जिससे हमारे किसान भाइयों को समस्या न आ सके। सभापति महोदय, मैं दौसा ज़िले से तालुक रखती हूं। माननीय मंत्रीजी से कहना चाहूंगी कि हमारे ज़िले के अन्दर पानी की बहुत बड़ी समस्या है और मैं मांग रखना चाहूंगी कि सभापति महोदय आपके माध्यम से मुख्य मंत्रीजी से कि चम्बल से हमारे दौसा ज़िले को जोड़ा जाए। जिससे हमारे ज़िले के लोगों को भी पानी की समस्या से निजात मिल सके।

80 प्रतिशत पानी फ्लोराइड का हमारा दौसा का व्यक्ति आज की तारीख में पी रहा है। क्या हम ये चाहेंगे हमारा आने वाला भविष्य अपाहिज रहे, अपंग रहे। मैं सभापति महोदय, आपके माध्यम से प्रार्थना करना चाहूंगी इस बात की कि निश्चित तौर पर इसी बजट के तहत इस बात की पुरजोर मांग करना चाहती हूं कि दौसा जिले को चम्बल से जोड़ा जाए जिससे दौसा

(श्रीमती ममता भूपेश)

जिले के लोगों को आने वाले समय में पानी की समस्या से जूझना नहीं पड़े। इन्हीं बातों के साथ में आपने मुझे बोलने का मौका दिया तथा माननीय सदस्यों को मेरी विचाराधारा से अवगत कराने का सौभाग्य आपने दिलाया उसके लिए आपकी आभारी हूं और जो मैंने सर्वदलीय बात बोली है, सभापति जी, उसके ऊपर भी मैं माननीय प्रतिपक्ष से प्रार्थना करना चाहती हूं कि सकारात्मक रुख रख कर और राजस्थान के किसानों के विकास के लिए अपने कदम से कदम मिला करके हमारे साथ लगे जिससे राजस्थान का किसान आने वाले वर्षों के अन्दर सक्षम हो सके। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री जयदीप डूडी।

श्री जयदीप (भादरा): माननीय सभापति जी, ...

श्री सभापति: एक मिनट, मैं आपको बीच में डिस्टर्ब कर रहा हूं। Time duration is now 10 minutes each. तो आप दस मिनट जो भी सदस्य बोलें दस-दस मिनट आप अपने आप देख लें .... (व्यवधान) The Chair will have the prerogative of giving you more time if there is substance in what you are saying.

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): सभापति महोदय, व्यवस्था ऐसी है कि माननीय सदस्य अगर बात कहेंगे तो चले यह हाउस, लंबा चले थोड़ा। यह किसने तलवार टांग दी है।

श्री सभापति: आप चालू करें।

श्री जयदीप (भादरा): सभापतिजी, मैं मांग संख्या-46 पर अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। सबसे पहले मैं मुख्य मंत्रीजी को और माननीय मंत्री महोदय को इस बात का धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने सिंचाई व्यवस्था के लिए 2316 करोड़ रुपये का जो प्रावधान रखा है उसके लिए इनको बहुत-बहुत धन्यवाद है और 96 करोड़ रुपये जो सीएडी में खाले बनाने के लिए है उनमें मेरे विधान सभा क्षेत्र में ज्यादातर पैसा मेरे नोहर और भादरा विधान सभा क्षेत्र में खर्च होगा। 96 करोड़ रुपये उसमें रखे हैं, मैं बहुत-बहुत धन्यवाद माननीय मंत्री महोदय और माननीय मुख्य मंत्री महोदय को देना चाहता हूं। सबसे पहले खाले निर्माण पर मैं बात करना चाहूंगा। मैं अपने कुछ सुझाव भी माननीय मंत्री जी को देना चाहूंगा कि सीएडी में जो खाले निर्मित होते हैं वो खाले क्योंकि हमारे एरिये नोहर और भादरा के लिए स्पेशियली कहूंगा कि उसके तीन तरफ हरियाणा लगता है वहां की मिट्टी दोमट मिट्टी है, चिकनी

(श्री जयदीप)

मिट्टी है। वहां की मिट्टी में और जैसलमेर की मिट्टी में जमीन-आसमान का फर्क है। आप जैसलमेर के जैसे खाले बनाना चाह रहे हैं वो खाले आप भादरा में अगर बनाना चाह रहे हैं उस मिट्टी में सीमेंट को मिला कर तो सम्भव नहीं है। मेरा निवेदन है माननीय मंत्रीजी से सभापति महोदय के मार्फत कि हरियाणा पैटर्न पर वो मिट्टी वहां यूज नहीं की जाए क्योंकि वो मिट्टी मोटी है जैसलमेर की। वो बलुआ मिट्टी है और यहां मिट्टी चिकनी प्लस दोमट है। यह मिट्टी अगर उसमें मिला देंगे तो वो खाले कामयाब नहीं होंगे और पहले जो सीएडी ने खाले बनाये थे पिछले पांच साल में उनमें अस्सी प्रतिशत खाले टूट चुके हैं, खतम हो चुके हैं इसलिए इस पैटर्न को चेंज किया जाए। हरियाणा में जिस तरह के खाले बन रहे हैं जो हमसे तीन किलोमीटर दूर ही है जहां अभी खाले बन रहे हैं वहां जो पैटर्न चल रहा है वो पैटर्न आप हमें भादरा, नोहर में अपनाने दें तो उसमें लागत भी कम आएगी। आपने जो बढ़ी हुई लागत दी है अब की बार जो आपने हमें पन्द्रह हजार और अठारह हजार रुपये प्रति की दी है उतने ही पैसे में वो खाले निर्मित हो जाएंगे। ये किसान बना रहे हैं, खुद जो खाले बनाते हैं उन्होंने इतनी लागत में बनाये हैं इसलिए आपकी लागत नहीं बढ़ेगी लेकिन क्वालिटी बढ़िया बन जाएगी, यही निवेदन करना चाहता हूं।

दूसरी जो वहां प्रोब्लम आ रही है भादरा में वह है सिंचाई की व्यवस्था की सिद्धमुख नहर और भाखड़ा नहर फीडर में। ये नहर फीडर सिंचाई परियोजनाएं जो चल रही हैं फिलहाल इनमें एक तो सबसे पहली बात तो यह है कि हमारे सिद्धमुख नहर में दो सौ क्यूसेक्स पानी कम मिल रहा है हरियाणा से। हमें साढ़े पांच सौ क्यूसेक्स पानी मिलना चाहिए सिद्धमुख नहर से लेकिन हमें साढ़े तीन सौ क्यूसेक्स पानी मिल रहा है। आज चूंकि हरियाणा में भी कांग्रेस की गवर्नमेंट है, हरियाणा में अगर हमारा पानी है तो आप हरियाणा सरकार से बात करके और मैंने माननीय मंत्री महोदय आपसे भी और माननीय मुख्य मंत्रीजी से भी कहा था और मुख्य मंत्रीजी ने हरियाणा के मुख्य मंत्री से इस सम्बन्ध में बात भी की थी लेकिन एक बात जैसे ...(व्यवधान)... एक मिनट, आप डिस्टर्ब नहीं करें। जैसे राजेन्द्र सिंहजी कह रहे थे कि मुख्य मंत्री जी चले गये यह कह कर कि कमेटी बना दें दोनों सेक्रेट्रीज की। देखिये एक दिक्कत होती है हम समझते हैं हरियाणा का मुख्य मंत्री राजस्थान आकर यह घोषणा कर जाए कि आप अपना पानी ले लो तो उसको हरियाणा वाले घुसने

(श्री जयदीप)

नहीं देंगे, कहेंगे कि तू तो पानी बेच आया। एक तरीका है दोनों सेक्रेट्रीज बात कर लें और बात करके जो भी रास्ता निकले, हमें हमारे हिस्से का पानी जो दो सौ क्यूसेक्स पानी सिद्धमुख नहर का है वो हमें दिलवा दें, यह मेहरबानी आप जरूर करें।

दूसरी बात यह है कि वहां सिंचाई विभाग में कोई अधिकारी, एक एसडीओ, एक एक्सइएन पर पूरी नहर का सिस्टम चल रहा है। 17 जेइएन की जगह 3 जेइएन हैं। 4 एसडीओ की जगह एक एसडीओ है इससे सिस्टम चलाने में बड़ी दिक्कत आ रही है और पानी की चोरी हो रही है। पानी चोरी होता है तो टेल पर पानी नहीं पहुंचता है और पानी चोरी रोकने के लिए स्टाफ नहीं है। कृपया उस स्टाफ को पूरा करवायें जिससे पानी चोरी नहीं हो और लास्ट टेल तक पानी पहुंचे।

तीसरी बात, एक मेरे क्षेत्र का बहुत बड़ा इश्यू है। बहुत बड़ा संघर्ष करने के बाद यह सिद्धमुख कैनाल आयी थी। हम लोगों ने स्वयं गंगानगर तक जो दो सौ किलोमीटर पड़ता है मेरे क्षेत्र से दिल्ली जो ढाई सौ किलोमीटर पड़ता है, मैं स्वयं पैदल और हम लोगों ने पैदल यात्राएं की थीं और बड़ा संघर्ष किया था। मेरे पिताजी आदरणीय चौधरी लालचन्दजी डूडी ने 1 नवम्बर, 1987 को इस नहर की शुरूआत की थी। कमलाजी तब मंत्री हुआ करती थीं उन्होंने कहा था कि लालचन्दजी, आप जाइये और अकाल राहत के तहत उस काम को शुरू कीजिये। उसके बाद में आदरणीय राजीव गांधीजी ने विधिवत रूप से उसका उद्घाटन भिवानी में 20 अक्टूबर को किया था। राजीवजी का जो सपना था कि सारी जगह पानी पहुंचे, हम लोगों का सपना था कि सारी जगह पानी पहुंचे, वहां एक दिक्कत आ गयी। हुआ क्या कि सरकार तो बदलती रहती है लेकिन किसान बेचारे का कोई खोट नहीं है। हुआ क्या कि उस समय के माननीय मंत्रीजी ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल करके तारानगर, राजगढ़, भादरा के चौबीस गांव हटा दिये और नहर को अपने गांव की तरफ मोड़ करके नीचे करके ले गये। उस वक्त चौबीस गांव कट गये उन चौबीस गांवों के लोगों ने आंदोलन में साथ दिया था। आज वो चौबीस गांव इतने सालों से रो रहे हैं कि हमें पानी मिलना चाहिए। मैं माननीय मंत्रीजी, एक पूरा का पूरा सेट भी आपको दे चुका हूं उसकी पूरी स्टडी करके कि कैसे पानी आएगा, कितना पैसा खर्च होगा, किससे लगेगा, हम लोग यह चाहते हैं कि चौधरी कुम्भाराम साबा लिफ्ट से उन चौबीस गांवों को जोड़ दिया जाए तो बेचारे किसानों को जो इतने

(श्री जयदीप)

दिनों से इन्तजार कर रहे हैं, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी, क्योंकि आप भी किसान हैं और आपके माध्यम से भला हो जाए उन किसानों का तो बड़ी मेहरबानी होगी।

चौथी बात एक जनरल बात मैं कहना चाहता हूं कि यह फ्लड इर्रिगेशन का सिस्टम क्या है, इस फ्लड इर्रिगेशन को टोटली बंद कर देना चाहिए। टोटली बंद कर देना चाहिए जहां चावल की खेती होती है वो चिह्नित कर लें एरिया, सिर्फ वहां फ्लड इर्रिगेशन हो बाकी सब जगह ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम लगा दिया जाए। किसान ड्रिप व स्प्रिंकलर सिस्टम नहीं लगा पाएगा और ये जो पानी की समस्या है आज जितने एरिया में आप सिंचित कर रहे हैं खेतों को उससे चौगुना खेत सिंचित हो जाएंगे। आज सीकर का किसान, झुंझुनूं का किसान स्प्रिंकलर से गेहूं पैदा कर सकता है तो हनुमानगढ़ का, गंगानगर, बीकानेर का किसान क्यों नहीं कर सकता। फ्लड इर्रिगेशन के लिए वो जमीन ज्यादा बढ़िया है जो चावल वाली है और आज ये कपास और नरमे की होती है वहां स्प्रिंकलर सिस्टम सबसे बढ़िया सिस्टम हो जाएगा। मैंने खुद ने अपने खेत में माननीय सभापति महोदय, स्प्रिंकलर सिस्टम और ड्रिप सिस्टम अपनाया है नरमे और कपास में और मैंने दुगुनी पैदावार ली है और मेरे पानी की बहुत बचत हुई है। जहां मैं जिस खेत में बीस बीघा में खेती करता था आज मैं ड्रिप सिस्टम में चालीस बीघा में खेती कर रहा हूं। सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है लेकिन किसान नहीं बना पाएगा किसान को जिस तरह से आप लिफ्ट कैनाल में दे रहे हैं, आपको किसान को डिग्गी बनाकर देनी पड़ेगी, किसान का स्प्रिंकलर सिस्टम पूरा का पूरा बनाकर देना पड़ेगा तब वो होगा लेकिन इसमें एक साहस और हौसले की जरूरत है। हौसला और हिम्मत चाहिए । सब जगह आज जो दिक्कत आ रही है हमारे वहां पानी की दिक्कत खतम हो जायेगी और भविष्य में किसान बहुत लाभान्वित होगा। हौसले और हिम्मत की जरूरत है और हिम्मत है माननीय मंत्रीजी मुझे तो विश्वास है। अभी नहीं तो स्टेप बाई स्टेप कर दें।

दूसरी बात मैं बताना चाह रहा हूं जो एक प्रतिशत पानी आप दे रहे हैं बाग़ के लिये सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं इस पानी को आप भाखड़ा, आईजीएनपी में भी बाग़ के लिये अगर एक प्रतिशत पानी हमें दे दें टोटल पानी का तो बहुत बडी सम्भावना है।

(श्री जयदीप)

क्योंकि वहां भाखड़ा का और सिद्धमुख का जो सिस्टम हमारे यहां आया है उसमें पानी आया है। बहुत बढ़िया समतल जमीनें है, बाग़ के लिये उपयुक्त है अगर वह एक प्रतिशत पानी हमें मिल जाये तो माननीय मंत्रीजी वहां के किसान जो होर्टिकल्चर में रुचि लेना चाहते हैं उनको भी फायदा पहुंचेगा। मंत्री महोदय मैं कहना चाहूंगा कई जगह भूजल सर्वेक्षण हुआ है । मेरे पड़ौस में हरियाणा में एक हजार फीट ऊपर पानी खारा था, एक हजार फीट नीचे उनको मीठा पानी मिला है, एक हजार फीट नीचे से पानी निकाल कर वह 6 इंच पानी चला रहे हैं। 7-8 लाख रुपये की कीमत आती है कुएं को बोर करने के लिये किसान खुद नहीं कर सकता । बाई दवे खारा निकल जाये वह तो मर जाये। मैं चाहता हूं 5-7 पाइंट मेरे विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र में आप खुद बोर करवा दें। आज 13 किलोमीटर दूर पानी उनको मिला है एक हजार फीट नीचे तो पता नहीं अगर हमें ही मिल जाये तो हम लोग भी सबमर्सीबल के मार्फत उस पानी को बाहर निकाल लें तो क्षेत्र की पानी की काफी समस्या दूर हो जायेगी। 5-6 जगह सरकार अपने खर्च पर बोर करवा दे मैं यह निवेदन करना चाहता हूं । पानी की दिक्क्त तो आ ही रही है क्योंकि डैम में पानी नहीं है और सिस्टम सारा खराब है, सारी व्यवस्थाएं खराब हैं। हमारे वहां जहां कमी आई है, दिक्कत आई है वह है कमी इंजीनियरिंग की। सिद्धमुख सिस्टम को जो बनाया, जो खाले बनाये हैं नहर में पानी चलता है 5 फीट नीचे नहर के, पानी के लेवल से खाले बन गये 2 फीट ऊंचे । उस समय लोगों ने खाले क्या बनवा दिये ठेकेदार से मिलकर खाला ऊंचा हो जायेगा तो मेरा रकबा कमांड हो जायेगा। यह नहीं सोचा कि नहर के पानी के हिसाब से ही तो खेत कमांड होगा। यह इंजीनियर की गलती थी, वहां के इंजीनियर ने यह नहीं देखा इसलिए वह खाले गलत बन गये। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय को बताना चाहूंगा एक रतनपुरा, आउटलेट एक रतनपुरा, दो रतनपुरा सिद्धमुख सिस्टम में वहां के खाले का लेवल ऊंचा है नहर में पानी नीचा है। परमिशन लेकर वहां इंजन लगा कर, इंजन से पानी उठा कर उन खालों में डाला जाता है तब लोग खेती सिंचाई करते है। यह बहुत बड़ा विषय है इस विषय पर आप ध्यान दें। अब कहते हैं कि खाले बन गये सीएडी से, खाले तोड़ देंगे तो कहेंगे कैसे तोड़ दिये, गलत किसने बनाये, उसके खिलाफ जांच हो जायेगी । वह एक्स ईएन मारा जायेगा, वह जे.ईएन मारा जायेगा। इससे किसान को क्या लेना देना है। हम नहीं कहते किसी को मारो। हम तो यह

(श्री जयदीप)

कहते हैं कि खालों को नीचा करवा दो, उस पानी के हिसाब से उसमें आउटेड लगा दो फिर इंजन लगा कर नहर से पानी नहीं उठाना पड़े। बडे दुर्भाग्य की बात है नहर पर इंजन लगा कर पानी उठाना पडता है, यह निवेदन कर रहा हूं माननीय मंत्रीजी इस पर भी आप गौर फरमायें।

एक छोटी सी बात और रह गई है हमारे यहां चकबंदी, मुरब्बाबंदी का काम हो रहा है। वैबकास कंपनी वह काम कर रही है। जब तक चकबंदी, मुरब्बाबंदी नहीं होगी तब तक बाराबंदी नहीं होगी। बाराबंदी नहीं होगी पानी सही नहीं बटेगा। किसान आपस में लड़ रहे हैं, पानी की चोरी हो रही है। चकबंदी, मुरब्बाबंदी का काम वैबकास कंपनी कर रही है और वैबकास कंपनी पर किसी का कंट्रोल नहीं है। मैंने वहां के एडीएम, एसडीएम सबसे बात की। मैंने कहा इसका आप क्या कर रहे हो, कितना काम किया कि हमें यह रिपोर्ट ही नहीं देते। यह तो सीधा सब्मिट करते हैं कि हमने यह काम कर दिया। जबकि धरातल पर कोई काम नहीं हुआ है। आपको एग्रीमेंट में यह शर्त जोड़नी चाहिये थी कि हमारे वहां का राजस्व पटवारी भी साथ रहेगा, हमारे इर्रिगेशन का अधिकारी साथ रहेगा, हमारे वहां का एक्स ईएन साथ रहेगा । लेकिन वह शर्त एग्रीमेंट में नहीं जोडी वह वैबकास कंपनी वहां मनमर्जी चला रही है। एक भी चक उसने तैयार करके नहीं दिया है। आज एक साल में एक भी चक तैयार कर देते तो बड़ी खुशी होती और उन्होंने पेमेंट भी उठा लिया। 13 लाख रुपये मेरे भादरा से उन्होंने पेमेंट ले लिया है और सिंगल काम नहीं किया। इस पर भी आप गौर फरमायें और उस कम्पनी पर कंट्रोल करें और जो एग्रीमेंट आपने किया है उसको भी आप दुरुस्त करें।

एक हमारे वहां जो चंडीगढ़ और इधर उधर के अदालत के जो केस देखते हैं एक अधिकारी लगा रखा है, इतने साल से लगे हुए हैं । जब अधिकारी के कोई बात समझ में आती है, केस लास्ट स्टेज पर वह लेकर जाता है, सारी बात करता है तो उस अधिकारी को वहां से हटा दो। नया लगाओगे तो 5 साल तो उस अधिकारी को कागज पढ़ने में लग जायेंगे। कौन से केस की तारीख कहां है, किस केस में क्या बोलना है, किसमें क्या नहीं बोलना है। मुझे तो आज सुबह ही सूचना मिली कि कोई मिस्टर कलसी है जो इसको डील कर रहे थे उसको हटा दिया गया। अब दूसरा किसी को लगाओगे तो 5 साल तक तो आपको तारीख लेनी पड़ जायेगी कौनसी तारीख में कहां है।

(श्री जयदीप)

जो समझदार है, जो लगा हुआ था उसी को आप रहने देते जिससे जल्दी से जल्दी हमारे मुकदमे सलट जायें और किसानों को फायदा हो जाये।

इसी आशा और विश्वास के साथ मैं पुनः माननीय मंत्री महोदय का और मुख्य मंत्री महोदय का जिन्होंने उस क्षेत्र की सिंचाई व्यवस्थाओं के लिये जो व्यवस्था की है उसमें और सुधार करते हुए उन्हें पुनः धन्यवाद देना चाहूंगा और यह चाहूंगा कि वहां के किसानों पर विशेष रूप से आप ध्यान दें और जैसे कि अभी माननीय राधेश्यामजी गंगानगर ने कहा था कि एक टीम बनायें। आप लोग वहां पधारे। माननीय मंत्रीजी बिलकुल जहां से पानी निकलता है हरिके बैराज से आप साथ चलें, हम जनप्रतिनिधियों को साथ लें पूरी नहर का इंस्पेक्शन करें। जहां-जहां भी लीकेज है आपके समझ में आयेगा और विशेष रूप से मेरे नोहर और भादरा क्षेत्र में सिद्धमुख नहर में भादरा फीडर में आप एक बार वहां मौका देखें । उस नहर का आप सर्वेक्षण करें जिससे किसानों की समस्याएं आपको देखने से ज्यादा समझ में आ जायेंगी इससे उन लोगों को लाभ होगा। इसी आशा और विश्वास के साथ सभापति महोदय, आपने समय दिया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री ज्ञानदेव आहूजा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): सभापति महोदय, आज राजस्थान की सबसे बडी पंचायत में मांग संख्या 40-सिंचाई और राजस्थान नहर जिसको तथाकथित इंदिरा गांधी नहर कहते हैं पर चर्चा में भाग ले रहे हैं। (व्यवधान) आपने अपना बोला मैंने टोका नहीं आप भी मत टोकिये। आपके शब्द मेरे मुंह में नहीं आ सकते। सभापति महोदय, लोगों ने सारा भाषण देने के बाद, हमारे विद्वान सदस्यों ने चर्चा में भाग लेने के बाद सुझाव दिये हैं, मैं सुझावों से ही प्रारम्भ कर रहा हूं उसके बाद बाकी विषय पर बोलूंगा। सभापति महोदय, पानी की कमी है, इन्द्र देवता नाराज है। कहीं कोई ईश्वर की ओर से हमारे ऊपर कोई कोप है। माननीय मदेरणा साहब ने उस दिन पानी पर चर्चा करते हुए स्वयं ने भी भगवान से प्रार्थना करने के लिये कहा और माननीय सदस्यों को भी प्रार्थना करने के लिये कहा। मैं सबसे पहले निवेदन करुंगा कि हम लोग अपने-अपने गांव, पंचायत, तहसील, जिले में अपने-अपने मौहल्लों में यज्ञ करें, हवन करें, भगवान इन्द्रराज को प्रसन्न करें।

सुझाव क्रमांक दो, सफेदे का पेड़ जो एक घंटे में 6-8 लीटर पानी सोखता है। आस्ट्रेलिया में दलदल को खतम करने के लिये लगाया गया था

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

और विदेशी बबूल । हमारे स्वर्गीय संजय गांधीजी की भावना बिलकुल अच्छी थी आपातकाल में उन्होंने कहा पेड़ लगाओ । हमारे फोरेस्ट के अधिकारी विक्षिप्त हो गये पेड़ लगाओ ऊपर से आदेश थे, इमरजेंसी थी । पेड़ लगाओ, पेड़ लगाओ जैसे हमारे आरएसी के जवान जिनको हम कई बार ऊंट छाप भी कहते हैं और लोहे का दिमाग भी कहते हैं, जैसे उनको कहा जाता है डंडा मारो, दीवार पर मारो, अफसर को मारो, इधर उधर मारो वैसे ही फोरेस्ट के अधिकारी कुछ विक्षिप्त से हो गये। उन्होंने विदेशी बबूल जो यूरोप का षडयंत्र है, अमरीका का षडयंत्र है, उसमें लगा दिया और साथ में सफेदे का पेड़ जो एक घंटे में 6-8 लीटर पानी सोंखता है अण्डर ग्राउण्ड वाटर, भूमिगत जल नीचे से नीचे चला गया। हमारे विद्वान मंत्री महोदय और मुख्य मंत्री जी को मैं यह निवेदन करुंगा इनको तुरन्त प्रभाव से आदेश देकर इनको उखड़वाने का कष्ट करें।

(समय : 18.00 बजे)

उसके बाद हरित राजस्थान का अभियान चल रहा है। उसमें देशी पेड़ ही लगायें। विदेशी बबूल या ऐसी कोई बेल न लगायें जिससे पानी पर, वर्षा पर असर पड़े। देशी बबूल या शीशम या सागवान, या नीम, देशी पेड़, ये वर्षा लाते हैं, पर्यावरण को ठीक रखते हैं। विदेशी बबूल पर्यावरण को खराब करते हैं। सफेदे का पेड़ अण्डर ग्राउण्ड वाटर को सुखाता है। उसके बाद में मेरा आपको निवेदन है, आप सब को हंसी आयेगी, लेकिन मैं जानता हूं, मैं बहुत सोच समझ करके और जिस जनता के द्वारा, हाइएस्ट वोटों से जिले में जीता हूं, उस जनता की ओर से अधिकृत रूप से एक विधायक के नाते से सदन में बोल रहा हूं। प्रदेश में कोल्ड-ड्रिंक और मिनरल वाटर के उद्योगों को राजस्थान से कृपा करके बाहर कर दें, बहुत पानी लेते हैं और बहुत पानी को खराब करते हैं। यह तीसरा सुझाव है। चौथा सुझाव है कि भारी वर्षा का पानी, अभी अलवर में बरसात हुई, जयपुर में हुई और भी कई जगह हुई और अख़बार वाले मजाक उड़ाते हैं कि यह निगम की व्यवस्था है, यह यू.आई.टी., जे.डी.ए. की व्यवस्था है। पानी के आने से, 3-4-5 किलोमीटर लम्बी लाइनें लग गईं, पानी कहां जाता है, उसकी कुछ व्यवस्था करें कि उस पानी का संग्रहण हो। उसके बाद में मेरा सुझाव है कि सिर्फ बहुत लम्बा-चौड़ा पैसा बरबाद करने की जरुरत नहीं है। ठेकेदारों और एन.जी.ओ. के ऊपर और इंजीनियरों के सुझाव को मानने की आवश्यकता नहीं है। जो मैंने राजस्थान भर में महसूस किया, मैं 20 साल लेबर लीडर रहा, भारतीय मजदूर संघ का प्रदेश संगठन मंत्री रहा, प्रवास किया।

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

गांव-गांव, तहसील-तहसील में मैं गया हूं, हर जिले में। तो मैंने यह महसूस किया कि पुराने जो जल संसाधन हैं, हालांकि मुख्य मंत्रीजी ने उसकी चर्चा की है, पहले भी की थी। उन्होंने पहले भी, 5 साल जब मैं उनके साथ, वे मुख्य मंत्री थे, मैं सदस्य था, तब भी उन्होंने बावड़ी, पोखर, तालाब, जोहड़, नदी, नाले, पुरानों की हम लोग मरम्मत करेंगे, लेकिन कर नहीं पाये। अब कृपा करें, मंत्री महोदय, यह कृपा करके इनको आप ठीक से सुधारें। सिर्फ पुराने जल संसाधन जो स्टेट टाइम के थे, वे ही हमको सुख देंगे। ये रेत और बजरी की, 20 तगारियां मिलाकर के रेत की, और एक तगारी सीमेण्ट की मिलाकर बनाने वाले ये नाले और एनिकट, ये हमको बहुत काम नहीं आयेंगे। यह मेरा सुझाव है।

इसके साथ ही एक सबसे बड़ा आश्चर्यजनक सुझाव मैं दे रहा हूं। वह यह है कि शराब पर सम्पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया जाए। शराब पीने वाले भी पानी बहुत पीते हैं। शराब की बोतलों के लिये भी पानी बहुत खर्च होता है और डिस्टलरी में भी बहुत खर्च होता है तो सिर्फ 800 दुकानें बंद करने से काम नहीं चलेगा। माननीय सभापतिजी, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं और माननीय मंत्रीजी को कहना चाहता हूं कि 800 दुकानें बंद करने से नहीं चलेगा, शाम को 8 बजे के पहले दुकानें बंद करने से नहीं चलेगा। सम्पूर्ण रूप से गुजरात की तरह शराब पर प्रतिबंध लगे, यह मेरा सुझाव है। असली काम और असली सुझाव यही हैं, जो मैंने दिये हैं। क्योंकि मैंने भाषण से पहले सुझाव दिये हैं, कृपा करके मंत्री महोदय, आप गौर फरमायें। मेरे ऊपर कृपा करें, राजस्थान की जनता पर कृपा करें क्योंकि हम तो उनमें से हैं,

'जीवन पुष्प चढ़ा चरणों पर, मांगे मातृभूमि से यह वर,
तेरा वैभव अमर रहे मां, हम दिन चार रहें न रहें।'

हम लोग रहेंगे कि नहीं रहेंगे लेकिन यह भारत माता, यह राष्ट्र, यह देश, इस देश की जनता, यह गांव की जनता, यह गरीब जनता, यह रहेगी और हमारी संतति सुख पाये, आगे चलकर पानी का तृतीय विश्व युद्ध न हो, इस नाते से मैंने यह सुझाव दिये हैं, प्रारम्भ में ही। यह सुझाव नेगेटिव नहीं हैं, पोजिटिव हैं। कृपा करके इन पर पूरा ध्यान दें। इन्हीं बातों को मैं निवेदन करना चाहता हूं। माननीय सभापति महोदय, हमारे वरिष्ठ सदस्यों ने कुछ आंकड़े रखे, 'सरकार को आंकड़े और भैंस को कांकड़े', यह गांवों में प्रसिद्ध है।

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

देहात के लोग बोलते हैं, 'भैंस को कांकड़े और सरकार को आंकड़े'। बड़े-बड़े आंकड़े ले आये, पंजाब रेगुलेशन के ले आये, कोई इराडी कमीशन के ले आये, कोई राजस्थान कैनाल के, पता नहीं, कैसे-कैसे समझौते। कोई मियां बरकतुल्लाह खां साहब याद आ गये तो कोई मुख्य मंत्री दूसरे याद आ गये। महामहिम भैंरोंसिंहजी भी याद आये किन्हीं को। किन्हीं को वसुंधराजी भी इस मामले में स्मरण हो आईं। कहीं-कहीं किसी ने, हमारे राधेश्यामजी गंगानगर जैसे लोगों ने इधर रहते हुए भी माननीय मुख्य मंत्रीजी की प्रशंसा की, अच्छी बात है। उधर लोगों ने धन्यवाद बोला, ये भी धन्यवाद बोल देते। कोई दिक्कत नहीं, जब अच्छा काम हो रहा है तो धन्यवाद देने में।

श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़): आप भी दे दें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): Godaraji, please don't disturb me. मेरा आपको यह कहना है कि ये आंकड़े मैं इसलिये नहीं बोलूंगा, मैं भी लाया था, लेकिन चूंकि पूर्व वक्ता बोल चुके, अब उन आंकड़ों का कोई सेंस नहीं है, कोई मतलब नहीं है। अब जिस बात से मतलब है, वह यह है कि सभापति महोदय, जल संसाधन के अन्दर, सिंचाई के सिंचित क्षेत्र के सम्बन्ध में जो चर्चा हम कर रहे हैं, उसमें मेरा यह कहना है कि दुर्भाग्य है, मैं बिलकुल एकदम अलग से हट करके, लीक से अलग होकर के बोल रहा हूं, किसी की व्यक्तिगत बुराई नहीं कर रहा हूं लेकिन जो चर्चा का विषय है, उसमें वे नाम आएंगे। दुर्भाग्य है कि आजादी के 62 वर्ष बाद भी हम लोग सिंचाई के लिये और पीने के पानी के लिये त्राहि-त्राहि, त्राहिमाम-त्राहिमाम कर रहे हैं, 62 वर्ष बाद भी। आश्चर्य है, महोदय, इस सच्चाई को हम स्वीकार नहीं कर रहे हैं। कल पंचायत राज में, आप बुरा न मानें, मेरे कांग्रेस के भाइयों, मैं उस आलोचना के हिसाब से नहीं कह रहा हूं, आजादी के बाद में और लगभग 62 वर्ष के शासन में नेहरू परिवार का प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ही शासन रहा। 44 साल प्रत्यक्ष रूप से शासन रहा, अब मैडम सोनियाजी के अन्तर्गत प्रधान मंत्री हमारे श्री मनमोहनसिंहजी हैं, तो अप्रत्यक्ष रूप से, उससे पहले मोरारजी देसाई रहे, कांग्रेस के रहे, भले ही जनता पार्टी में रहे, वी.पी. सिंहजी रहे, गुजराल रहे, देवेगौड़ा साहब रहे, पता नहीं कौन-कौन, चरणसिंहजी प्रधानमंत्री बने। इन सब प्रधान मंत्रियों का मूल रूप कांग्रेस का ही था। आप इसको अन्यथा न लें। मैं जो कहना चाहता हूं, माननीय अटलबिहारी वाजपेयीजी और भारतीय जनता पार्टी मात्र 6 वर्ष के लिये दिल्ली में आये और उन्होंने शासन

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

किया। बहुत सारे अच्छे काम किये, उनकी गिनती मैं नहीं करुंगा, समय कम है।

माननीय सभापतिजी, मैं मंत्री महोदय को निवेदन करना चाहता हूं, ऐसी योजना राजस्थान में बनाएं, कल हमारे श्रवणसिंहजी ने कहा, एक बहुत सुन्दर बात कही, हमारे मार्क्सवादी भाई बुरा न मानें। वे नारे लगाते थे, मैं जब लेबर लीडर था, ये भी सीटू के और मैं बी.एम.एस. का, तो ये नारे लगाते थे, 'पूंजीपति को कंगाल बना देंगे, राजस्थान को बंगाल बना देंगे'। राजस्थान महाराणा प्रताप की भमि है, शूरवीरों की भूमि है, महाराजा सूरजमल की भूमि है, यहां के शूरवीरों की गाथा दूर दुनिया तक है। आप काहे को कंगाल बनाओ, और बंगाल बनाओ। इसी प्रकार से मैं कहना चाहता हूं कि राजस्थान को महाराष्ट्र का पैटर्न नहीं, राजस्थान को राजस्थान का पैटर्न दें, और जिस प्रकार से माननीय अटल बिहारी वाजपेयीजी ने 6 वर्षों में चतुर्भुज सड़क योजना बनाई, दूसरी बड़ी योजना थी नदी मिलाओ, नदी जोड़ो योजना। यहां से ले करके सब लोगों को उसका लाभ होने वाला है। राजस्थान की छह, साढे छह करोड़ की जनता को लाभ होने वाला है और राजस्थान का यह अनूठा एग्जाम्पल जाएगा जब पूरे देश में, तो कहेंगे कि राजस्थान का माडल ले लो। कम से कम राजस्थान की नदियों को तो मिलाने की कोई योजना, माननीय मदेरणा साहब करायें। आप दिल्ली से अनुमति लें, मैडम सोनिया गांधीजी से लेना चाहें, मनमोहनसिंहजी से लेना चाहें या उनको भी आप रिक्वेस्ट करें कि इस योजना को क्रियान्वित करें, जो अच्छा काम है, जो अच्छी योजना है, जो अच्छी बात है, वह सबको स्वीकार करना चाहिए। हमें स्वीकार करें, आप भी स्वीकार करें। शेखावाटी में कहावत है, 'ओ रे मेरे सम्पट पाट, मैं तन्ने चाटूं, तूं मन्ने चाट' इसका मतलब आपको, हमको जो अच्छी बात लगे हम एक दूसरे को अभिनन्दन करें। 62 वर्षों के शासन में 56 वर्ष दिल्ली में कांग्रेस ने शासन किया और राजस्थान में भी साढ़े 12 वर्ष छोड़ दो, 62 वर्षों में से तो 50 साल कांग्रेस ने शासन किया। 9 मुख्य मंत्री कांग्रेस के रहे, हमारे जयनारायणजी व्यास रहे, हीरालालजी शास्त्री, टीकारामजी पालीवाल, माननीय सुखाड़ियाजी रहे, हरिदेवजी जोशी रहे, शिवचरणजी माथुर रहे, बरकतुल्लाह खां साहब रहे, देवपुरा साहब भी बीच में कार्यवाहक रहे। और अब अशोक गहलोत साहब हैं, पहले भी थे। और इस बात को लेकर के, राजस्थान में कुल साढ़े 12 वर्ष बी.जे.पी. ने शासन किया। उसको हम ज्यादा कहना नहीं चाहते।

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

(व्यवधान) अकाल पुरुष की बात बाद में करना, पहले मत करो। इससे थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा। आज मैं गड़बड़ी की ओर नहीं, सकारात्मक सुझावों को लेकर के आया हूं। मैं कुछ शैर सुनाऊंगा। वह शैर तो चूंकि गालिब ने बनाये हैं या किसी शेक्सपीयर ने बनाये हैं। मैंने नहीं बनाये, उसको बोलूंगा बाद में।

माननीय सभापति महोदय, 50 वर्ष यहां शासन किया कांग्रेस ने और 56 वर्ष दिल्ली में किया। अब इसमें सारे जिलों का नाम है, अलवर का नहीं है। उसके बारे में बाद में बोलूंगा। इसमें आया है जल संसाधन में, पेज नम्बर 7 पर, जल नीति बनाएंगे। कौन बनाएंगे, माननीय मुख्य मंत्रीजी बनाएंगे। भाई, आपने सारी किताब में, बजट की इस सारी किताब में, बुक लेट में आपने 70 पेज में 60 नीति, रीति, समिति, कमेटी, प्रोजेक्ट, बोर्ड, निगम हैं। पहले क्या बोर्ड, निगम कम हैं जो और बनाएंगे आप। अब वह जल नीति बनाएंगे। पहले के 9 कांग्रेस के मुख्य मंत्री और दो मुख्य मंत्री बी.जे.पी. के महामहिम भैरोंसिंहजी और हमारी माननीय वसुंधराजी, ये सब बेवकूफ थे? कोई जल नीति बनाई नहीं। अब आज जल नीति बनाएंगे। और जल नीति बनाकर क्या करना है आगे। मुख्य बात यह है कि आप सब जानते हैं, जैसे कल भ्रष्टाचार के बारे में बातें, काहे के लिये भ्रष्टाचार की बात कहें, क्यों भ्रष्टाचार की बात करो। आपको पता है, मेरे को पता है, हमको पता है, मंत्रियों को पता है, संतरियों को पता है, सिपाहियों को पता है, आप सभापति महोदय को पता है, अधिकारियों को पता है, भ्रष्टाचार की जड़ कहां है और कहां ख़तम होगी।

इसकी चर्चा, भ्रष्टाचार करके मन को खराब न करें, मेरा आपको इतना ही कहना है। मेरा आपको यह भी निवेदन आपको करना है कि माननीय गहलोत साहब, एक दादाजी थे। उनके साथ एक बच्चा था छह-सात साल का, अब वह दादाजी के साथ गया। दादाजी को बोला, बाबा-बाबा, ऊंट देख लें, बाबा ऊँट, अब वह बाबा ने ऊंट देखा। हां, बेटा, ऊंट। ट्रेन जा रही थी, बाबा-बाबा, ट्रेन। बोले, हां, ट्रेन। अब उसने तो, छोटे से छह-सात साल के बच्चे ने यह सोचा कि बाबा ने तो शायद ऊंट और ट्रेन देखी नहीं। मैं ही दिखा रहा हूं तो पहले 9 मुख्य मंत्री कांग्रेस के, सुखाड़ियाजी जैसे कीर्तिमान, जय नारायणजी व्यास, टीकारामजी जैसे और हमारे दो मुख्य मंत्री, माननीय महामहिम भैरोंसिंहजी जो उपराष्ट्रपति रह लिये, महामहिम, ऐसे सब लोग तो नहीं जानते थे लेकिन अब छोटे से ही बच्चे का सा व्यवहार कर रहे हैं हमारे माननीय अशोक गहलोत साहब कि जल नीति बनाएंगे। क्या जल नीति बनाओगे? भाई,

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

आपको पता है जल कहां से आया और कहां जा रहा है? उसको रोकने का काम हो, उसके संवर्द्धन-संरक्षण का काम हो।

अब राजस्थान में दुर्भाग्य है कि हमारा अलवर, भरतपुर और धौलपुर का बेल्ट है वह राजस्थान में जुड़ा हुआ है। मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी, मंत्री महोदय, निवेदन करूंगा कि हमको तो आप ऐसा करो कि हरियाणा में भेज दें, यू.पी. में भेज दें, नहीं तो यमुना, नहीं तो चम्बल नदी में ही फेंक दो, कहीं कोई योजना राजस्थान कैनाल की बात चली लेकर के माननीय देवीसिंहजी भाटी साहब ने ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, एक ऐसी अनमोल धरोहर और इनको अगर समुद्र में फेंकने के लिए अनुमति दे देंगे तो क्या होगा? यह धरोहर मिलेगी कहीं? (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय राजेन्द्रजी, आपकी तो आदत है बीच में बोलने की।

अलवर का कहीं जिक्र ही नहीं है। आप दखिये कि सारे पूरे बजट में कहीं बीसलपुर के पानी से लेकर, कहीं बारां से लेकर, कहीं गंगानगर से लेकर, कहीं बीकानेर से लेकर, कहीं माही प्रोजेक्ट से लेकर, कहीं जाखम बन गयी और कहीं सोम-कमला-अम्बा बन गयी और कहीं और भी योजनाएं बन गयीं लेकिन अलवर में, अलवर में वैसे आपकी बहुत कृपा की हमको जरूरत नहीं है। माननीय मंत्री महोदय, इतनी कृपा करें माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अलवर में स्टेट टाइम के 52 डैम है। 52 डैम, बहुत बड़े-बड़े डैम और अलवर के सिलिसेढ का, जयसमन्द का पानी अलवर के शहर तक जाता था स्टेट टाइम में, नहरें थीं और वहां पर शिमला है, कम्पनी बाग़ में, किसी ने अलवर के दर्शन किये हो? अलवर 'ए' पर है, अलवर 'एक्स', 'वाई', 'जेड' पर नहीं है। अलवर का महत्व आप समझते नहीं। अलवर के काम को आप समझने का प्रयास करें। मेरा मंत्री महोदय, आपको निवेदन यह है कि वह नहरें जो टूट गयीं, शिमला उजड़ गया, शिमला में हमारे एम.पी. महोदय ने दस लाख रुपये दिये डाक्टर जसवन्तसिंहजी ने, रामदासजी को भी हमने रिक्वेस्ट की, एक शिमला है, वहां कम्पनी बाग़ में बना हुआ है, उसमें बहुत बड़े फव्वारे चलते थे। बहुत हरियाली है। आपको सुनने लायक बात है। 52 डैम के अलावा 150 कम से कम और छोटे-मोटे बांध और एनीकट हैं स्टेट टाइम के, उनको उजाड़ दिया।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): शेर भी है, टाइगर भी है।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): टाइगर तो खड़ा है आपके सामने ...(व्यवधान) उनको उजाड़ दिया और अब लगे हुए हैं नई-नई कहानियां कहने। एक कम्पनी बाग़, पुराना बहुत सुन्दर बताया मैंने बताया शिमला, अब वहां नेहरू पार्क बना दिया। भाई, जो पुराने हैं, नया युग करना है निर्माण, पुराने नहीं नया निर्माण, आप यह ध्यान रखिये कि Old is Gold. देवीसिंहजी के लिए किसी ने यह कमेंट्स किया, शायद डाक्टर रोहिताशजी ने किया, पुराने लोगों का जो चाल-चलन है, वह आज भी व्यावहारिक है। मैं आज भी पुराने माननीय सदस्यों को देखता हूं, सभापति महोदय हों या अध्यक्ष हों, वे बैठते हैं तो नीचे सिर झुका कर बैठते हैं। नये आते हैं सीधे अकड़ कर बैठ जाते हैं। उनका भी धीरे-धीरे स्टडी हो जाएगी, आ जाएगी समझ में। मेरा यह कहना है कि अलवर जिले की उपेक्षा क्यों? आपकी बहुत कृपा नहीं चाहिए। मुझे कोई जाखम परियोजना या माही प्रोजेक्ट जैसा प्रोजेक्ट नहीं चाहिए अलवर में। हमारा अलवर वालों का सबका कहना यह है कि जो डैम है, जो एनीकट है, जो वहां पर पहले से ही हमारे हैं उनको जो नहरें टूट-फूट गयी हैं, सिंचाई के साधन टूट-फूट गये हैं, आप कृपा करें, कुछ लाख लगाकर उनकी मरम्मत ही करवा दें। आप इतनी कृपा करें। आपसे हम कोई हजार-दो हजार करोड़ के लिए नहीं कह रहे हैं। वैसे आपने ...(व्यवधान)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

मुझे बोलने दें क्योंकि पहले मैं बोल ही नहीं पाया हूं। अध्यक्ष महोदय मेरे से कोई पुराने जन्मों के नाराज थे। उन्होंने अनुमति नहीं दी थी इसलिए कृपा करें आप। तो मेरा आपको यह निवेदन है कि आपका लाखों रुपया लगेगा, हमारी नहरों की मरम्मत हो जाएगी। आपका लाखों रुपया लगेगा, हमारे डैम की मरम्मत हो जाएगी, आपका लाखों रुपया चाहिए। हमको ज्यादा नहीं चाहिए। आप और कहीं फेंकिये, मारवाड़ में फेंकिये, मेवाड़ में, हमको खुशी है, हमारे राजस्थान का हिस्सा है, वहां की जनता भी हमारी जनता है, जब हम इस राष्ट्र के लिए जीते हैं, मैंने कहा 'जीवन पुष्प चढ़ा चरणों पर', राष्ट्र और देश के लिए जीते हैं, राजस्थान की जनता के लिए जीते हैं तो वहां प्रोग्रेस होगी, गंगानगर में होगी, मेवाड़ में होगी, बांसवाड़ा में होगी, डूंगरपुर में होगी तो भी हमको खुशी है। हमारे मन में कोई ईर्ष्या-द्वेष और जलन नहीं है लेकिन अलवर पर कृपा करिये। अलवर 'ए' पर है। आपको मैं फिर दोहरा कर निवेदन

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

करना चाहता हूं माननीय मंत्री महोदय, आप सिद्धमुख नहर योजना, बाकी योजना जो माननीय, करना चाहे करें। मेरा आपको यह कहना है कि सरकार जब आती है आपकी, पहले माननीय मुख्य मंत्रीजी कहा करते थे, मैं आपके ही कांग्रेस के एक माननीय सदस्य का, पुराने सदस्यों को, भंवरू खानजी वगैरह सबको ध्यान में होगा और भी कई हमारे, चौधरी साहब वगैरह बैठे हैं, सबको ध्यान में होगा। एक रतनगढ़ से जीतकर आये माननीय पंडित जयदेव प्रसादजी इन्दौरिया। चौथे बजट में उन्होंने माननीय गहलोत साहब को कहा था, संस्कृत के श्लोक से कि आप गहलोत साहब 24 घंटे कहते रहते हैं कि- 'खजाना खाली है, खजाना खाली है', आप खजाना खाली कहते हैं, मां सरस्वती, मां शारदा जबान पर, जिह्वा पर बैठती हैं, 24 घंटे में एक बार बैठती हैं, कौनसी बात आपकी फल जाए, आपने बरबाद करना है राजस्थान को? यह उन पंडित जयदेव प्रसादजी इन्दौरिया का नोटेड है, रिकार्ड में है, किताब में है हमारी विधान सभा की छपी हुई में, उनका भाषण, उन्होंने संस्कृत का एक श्लोक पढ़ा वह तो मुझे ध्यान नहीं है लेकिन जो उन्होंने कहा उसका भावार्थ यह है कि 24 घंटे में मां सरस्वती, शारदा जबान पर बैठती हैं। आप अब कोई मंत्री और माननीय मुख्य मंत्रीजी यहां के अशोक गहलोत साहब, मुंह से कभी यह नहीं कहें कि खजाना खाली है। हमारी मुख्य मंत्री माननीय वसुन्धराजी ने कभी नहीं कहा। हजारों-हजार करोड़ लग गये। अब हजारों-हजार कह रहे हैं, उसमें कुछ गड़बड़ियां हुईं, यह हुआ, वह हुआ, लोगों ने कहा कि 90 'बी', 90 'बी' पर बड़ा जोर देकर, पानी पी-पीकर छह बार माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बोला।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आप 90 'बी' को बदल कर 420 'बी' बना दीजिए। आप 420 'बी' के बजाए उसका डबल 840 'बी' बना दीजिए पर आपको इन्क्वायरी करने का, सरकार आपकी है, आपको जो करना हो वह करिये न, चिढ़ाने की जरूरत नहीं है एक दूसरे को। मेरा आपको यह निवेदन है इसलिए माननीय मुख्य मंत्री जो बार-बार बोलते थे उसको मैंने चेक करने के लिए, निवेदन करने के लिए कहा है।

आप लोग जब सत्ता में आते हैं तब आने से पहले तो बड़ी-बड़ी बात कहते हैं। हमारे पवनजी दुग्गल ने भी कहा, उसके बाद क्या होता है? उसके बाद यह होता है-

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

चढ़ी आस्तीनों ने पूछा क्या होगा ललकारों का,

दृष्टिकोण क्यों बदल गया सत्ता के सरदारों का?

अब आपका जो घोषणा-पत्र है, पहले भी था उसमें से पचास परसेंट पूरा हुआ। हमारे कई माननीय सदस्य बोले, मैं आपको फिर याद दिला रहा हूं, गालिब ने एक शेर लिखा है इस बारे में-

तुम उनके वादे का जिक्र उनसे क्यों करो गालिब?

यह क्या तुम कहो और वह कहें कि याद नहीं।

हमको याद ही नहीं है, क्या घोषणा-पत्र था। याद ही नहीं है।

माननीय, इसी के साथ एक साथ ही कह देता हूं। बाद में फिर घंटी बजी है तो मैं आदर करूंगा सभापति महोदय का, बादशाहों से बड़ा, सुनिये अमीन खां साहब आपके लिए है यह, आपके माननीय मुख्य मंत्री के लिए, आप भी राज्य मंत्री हैं हमारे।

बादशाहों से बड़ा फकीरों का रुतबा न था,

सारी दुनिया जेब में और हाथ में पैसा न था।

सारी दुनिया, माननीय मुख्य मंत्रीजी की जेब में, सारी दुनिया जेब में और हाथ में पैसा न था, This is the position राजस्थान सरकार की, यह मत बनाइये। (व्यवधान)

माननीय आजाद साहब, कृपा करें। मैंने टोका नहीं। आप पिछले जब भी शिक्षा पर चला, कृषि पर चला, मैं शांति रहा हूं, बाकी बीच में आप लोग जब गुलाबजी भाई साहब को चिढ़ाने की कोशिश करते हो तब ही बोलता हूं मैं। आप भी कृपा करिये जरा, मेरा यह कहना है कि जब मुख्य मंत्री बने माननीय गहलोत साहब, जब मुख्य मंत्री बने तो-

चहरे पर लाली आ गयी,

जब बजट सामने आया तो छाया काली आ गयी।

यह पोजीशन नहीं होनी चाहिए। आप तरक्की करें, हमारा साथ है। आप विकास करें, हमारा साथ है पर कृपा करें माननीय मंत्री महोदय, ... (व्यवधान)

श्री सभापति: गंगाजल मील।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपके

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

माध्यम से कहना चाहता हूं अलवर जिले का जरूर ख्याल रखें। वहां हमको हजारों करोड़ नहीं चाहिए। सैकड़ों करोड़ नहीं चाहिए। कुछ लाख चाहिए। जो तरक्की करें, अलवर का विकास करें। अलवर में सिलासेढ़ डैम है, 52 डैम हैं, अलवर में पूरी तरह से मिनरल-माइन्स है, हमारे ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये। श्री गंगाजल मील।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): हमारे भर्तृहरी का स्थान, तपो भूमि है। हमारे नारायणी माता है, हमारे ताड़ वृक्ष है, हमारे यहां ...(व्यवधान)

श्री गंगाजल मील (सूरतगढ़): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 46-सिंचाई योजना व इंदिरा गांधी नहर के बारे में मैं मेरे विचार सदन के सामने रखना चाहता हूं कि ...(व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): ...(व्यवधान) राम मंदिर है, बड़े-बड़े मंदिर और पांडवों के अज्ञात वास स्थान है। ऐसे अलवर को आप तरक्की में सहयोग करेंगे। जय हिन्द। आपको धन्यवाद साहब, माननीय सभापति महोदय, आप सभी को धन्यवाद, शांति से सुना। जय हिन्द।

श्री सभापति: गंगाजल मील।

श्री गंगाजल मील (सूरतगढ़): माननीय सभापति महोदय, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ जिला कृषि के क्षेत्र में राजस्थान के सिरमोर जिले माने जाते हैं। इन जिलों का समस्त व्यापार, उद्योग व रोजगार कृषि पर आधारित है। कृषि विकास के लिए विभिन्न नहरी परियोजनाएं कार्यरत हैं जिसमें भाखड़ा, गंग कैनाल, इंदिरा गांधी नहर परियोजना मुख्य रूप से सिंचाई का काम करती है।

माननीय सभापति महोदय, सिंचाई की तीनों प्रणालियां अब वृद्ध हो चुकी हैं क्योंकि जब यह परियोजनाएं प्रारम्भ हुई, अपने शैशव-काल में पूर्ण क्षमता से कार्य कर रही थीं, तब क्षेत्र की समस्त भूमि कृषि योग्य नहीं थी व लोगों का रुझान भी कृषि के प्रति कम था। आज युग परिवर्तन हो रहा है। परियोजना क्षेत्र में समस्त भूमि का सुधार हो चुका है। किसानों के कृषि संसाधन अत्यधिक आधुनिक हो गये हैं। हर रोज सरकार किसानों को नई तकनीक उपलब्ध करा रही है। इन सब चीजों को देखते हुए यह परियोजना पूरी क्षमता से कार्य नहीं कर पा रही है, इसके लिये इनका जीर्णोद्धार किया जाना अति आवश्यक है। सभापतिजी, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने अपने पूर्व

(श्री गंगाजल मील)

कार्यकाल के अन्दर जो गंग कैनाल थी जो 1927 में आई थी, वह बिलकुल टूट फूट गयी थी।

(समय : 18.20 बजे)

(श्री सुरेन्द्र जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

उसके जीर्णोद्धार के लिये 424 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया था और उन्होंने अपने कार्यकाल में काम शुरू कराया। पैसे केन्द्र से भी लिये, हालांकि केन्द्र में सरकार उस समय भाजपा की थी, लेकिन फिर भी अपने प्रयत्न से वह पैसा लाये। गंगानगर से आने वाले विधायकजी आज बड़ी-बड़ी बातें कर रहे थे, जैसे सारी परियोजनाएं यह ही लाये थे। उस वक्त अशोकजी मुख्यमंत्री थे ...(व्यवधान) उस वक्त 6 एम एल ए थे, कांग्रेस के थे ...(व्यवधान) मैं बहुत कम 10 प्रतिशत नहीं आता था, 90 प्रतिशत एरिये में पाँच एम एल ए और आते हैं।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): आप बीजेपी के थे।

श्री गंगाजल मील (सूरतगढ़): पूरा कांग्रेसी जिला था ...(व्यवधान) कांग्रेसी लोगों ने ...(व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): आप कहां थे, आज बड़ी-बड़ी बातें कर रहे हैं।

श्री गंगाजल मील (सूरतगढ): हां, मैं सही कह रहा हूं। आप लोग तो माननीय भैरोंसिंहजी को गाली निकालते थे। यह कहते थे कि मैंने पानी के लिये आन्दोलन किया तो मेरे को भैरोंसिंहजी ने चोट मारी। आपने पांच साल तक उस चोट को याद रखा और छह महीने पहले चोट को भूल गये। माननीय सभापतिजी, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने अपने बजट सम्बोधन में एक लाख हैक्टेयर नहर क्षेत्र सिंचित करने के लिये बजट में प्रावधान रखा है, यह कोई छोटी बात नहीं है। माननीय सभापतिजी, सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र तीनों परियोजनाओं का केन्द्र बिन्दु है, लेकिन फिर भी इस क्षेत्र का भू-भाग सिंचाई सुविधाओं से वंचित है। इसकी वजह पूर्व में जो सिंचित क्षेत्र था, उसमें बहुत बड़ा भू-भाग, 45 हजार हैक्टेयर जो रकबा था, जो हिन्दुस्तान में सबसे नम्बर वन था। सूरतगढ़, सरदारगढ़ और जयसर, इसमें से उस वक्त पंडित जवाहर लालजी नेहरू के समय समझौता हुआ था रशिया के साथ कि उन्नत बीज पैदा करने के लिये, उन्नत

(श्री गंगाजल मील)

कृषि करने के लिये उस वक्त यह रकबा लिया गया था। सूरतगढ़ क्षेत्र के अलावा 45 हजार हैक्टेयर भारत-रूस के सहयोग से बने। सूरतगढ़, जयसर और सरदारगढ़ कृषि फार्म के अधीन चला गया। इसके बाद सैकड़ों मुरब्बा सिंचित भू-भाग भारतीय वायु सेना के अधिग्रहण में चली गयी। सैन्य छावनी भी सिंचित क्षेत्र में शामिल हुई। करीब 100 मुरब्बा जमीन केन्द्रीय पशु प्रजनन फार्म व केन्द्रीय चारा उत्पादन के पास चली गयी। सूरतगढ़ सुपर थर्मल पावर स्टेशन के लिये भी हजारों बीघा जमीन अधिग्रहण में चली गयी। भविष्य में भी इसके लिये सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र की हजारों बीघा जमीन अवाप्त किया जाना प्रस्तावित है। सूरतगढ़ के सिंचित क्षेत्र में ही सेना का आयुध डिपो स्थापित हुआ। घग्घर डाइवर्जन चैनल के लिये 39,245 रकबा एक्वायर किया हुआ है, तत्पश्चात् सेम जैसी समस्या भी सूरतगढ़ विधान सभा में आज भी मार कर रही है। माननीय सभापतिजी, सूरतगढ विधान सभा क्षेत्र के हजारों काश्तकार इन राष्ट्रहित परियोजनाओं से प्रभावित हुए, पर इन किसानों ने राष्ट्रहित को ध्यान में रखते हुए इन सभी परियोजनाओं का खुले दिल से स्वागत कर भरपूर सहयोग दिया। जब अच्छा रकबा तो सारा एक्वायर हो गया, उसके बाद में मेरा टीबा क्षेत्र है। टीबा क्षेत्र, आप समझते हैं जिसमें बड़े बड़े धोरे होते हैं। माननीय सभापतिजी, पिछली सरकार के कार्यकाल में काश्तकारों ने सिंगरासर माइनर निर्माण के लिये बड़ा आन्दोलन चलाया, इसी बीजेपी सरकार के टाइम में। इसमें राधेश्यामजी भी हमारे साथ होते थे। मैं तो नहीं था, राधेश्यामजी कांग्रेस के साथ होते थे। मैं मानता हूं, लेकिन आप थे। आप थे, उस वक्त। तत्कालीन सरकार ने सिंगरासर माइनर के लिये आन्दोलनकारियों को लाठी व गोलियों से मारा था। परन्तु जब आन्दोलन और तेज होता नजर आया तो निर्माण का आश्वासन देकर एक सर्वे भी करवाया, लेकिन तत्कालीन सरकार न तो कभी किसानों के हित में थी और न ही सिंगरासर माइनर का निर्माण करवाया था। समय के साथ-साथ सभी सर्वे व आश्वासन ठंडे बस्ते में चले गये। सभापतिजी, मेरा मुख्य मंत्रीजी और सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन है ...(व्यवधान)

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): No paper reading. What is this happening? What is this? A very senior person, reading from the paper!

श्री गंगाजल मील (सूरतगढ़): सिंचाई सुविधा देने का प्रस्ताव बजट में

(श्री गंगाजल मील)

है। उस प्रस्ताव में प्रथम चरण में शेष रहे असिंचित क्षेत्र को पहले सिंचाई की सुविधा दी जाये और खासकर सूरतगढ़ विधान सभा क्षेत्र को समय पर सुविधा दी जाये, क्योंकि उसका बहुत बड़ा भू-भाग पहले भी एक्विजिशन में आ चुका है और किसानों के पास बहुत कम रकबा बचा है। माननीय सभापतिजी, सूरतगढ़ तहसील के टीबा क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर की 9 वितरिकाएं हैं। नम्बर वन – जे.वी.टी., नम्बर टू.टी.टी.डी., नम्बर थ्री बी.जे.डब्ल्यू., एस.एम.आर., के एन.डी., पी.पी.एन., एम.सी.एम., एम.आर.एम., पी.एच.एन., यह 9 परियोजनाएं हैं, लेकिन इनमें पानी कितना जाता है, हर छोटे कस्बे में 4-4, 5-5 मोगे हैं, लेकिन इनका सिंचित रकबा बहुत ही कम है। सिंचाई का कार्य कर रही हैं। इनमें प्रत्येक में चार-चार, पांच-पांच मोगे हैं। अगर इन वितरिकाओं को भी जहां तक पानी का बहाव हो सके, बढ़ाया जाये तो इस क्षेत्र की हजारों बीघा जमीन सिंचित हो सकती है। जहां जहां इन वितरिकाओं का अन्तिम छोर बनाया गया है, उसके आगे प्लेन एरिया है व बहाव के साथ सिंचाई की जा सकती है। इन वितरिकाओं के निर्माण पर अधिक धन भी खर्च नहीं करना पड़ेगा। नरेगा जैसी योजनाओं के माध्यम से भी इन वितरिकाओं का निर्माण करवाया जा सकता है। इन वितरिकाओं के लिये आज 70 या 100 क्यूसेक्स से ज्यादा पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी।

श्री सभापति: चलो हो गया तो विराजें।

श्री गंगाजल मील (सूरतगढ़): सभापतिजी, जो पिछला आन्दोलन चला, जो घड़साना के नाम से खासकर मशहूर हुआ। उस वक्त बीजेपी की सरकार थी और क्या अधिकारी, क्या मंत्री, क्या संतरी, सारे के सारे, इतना भ्रष्टाचार हो गया था, सब तरफ से भ्रष्टाचार था, कोई किसी की परवाह नहीं कर रहा था। उस वक्त कम से कम 1500 से लेकर 2000 तक क्यूसेक्स पानी, कोई पता नहीं था। अभी माननीय भाटीजी कह रहे थे 600 क्यूसेक्स का लोस हो रहा है, मैं कहता हूं 600 क्यूसेक्स तो पूरे प्रोजेक्ट में मैट खा जाते थे। कहीं 20 क्यूसेक चला गया, कहीं 50 क्यूसेक चला गया। ऐसे करके पूरे प्रोजेक्ट को मटियामेट कर दिया। उसी का वह आन्दोलन चला।

सभापतिजी, हमारे कामरेड साहब कह रहे थे 2004 के अन्दर अजमेर के अन्दर एक समझौता हुआ था। मैं कहता हूं उस समझौते की नींव ही गलत थी। उस वक्त तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी का इतना दबदबा था, वह कह रहे थे

(श्री गंगाजल मील)

थानवी साहब ने दस्तख्त किये। थानवी साहब के साथ तो दो नकली आदमी और लगा दिये थे कि जाओ दस्तख्त यह कर देंगे। उनका मैं नाम भी बता सकता हूं, हालांकि उसकी भी वजह थी, कोई एक दिन में आन्दोलन नहीं हो गया था। इसके पीछे सरकार की जो उस वक्त की जो तानाशाही थी, भ्रष्टाचार था, मैन मुद्दा वह था, आन्दोलन को समझती नहीं थी, इसके पीछे सबसे पहले देखो ..(व्यवधान) एक मिनट ..(व्यवधान)

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): आन्दोलनकारियों के साथ ही थे।

श्री गंगाजल मील (सूरतगढ़): मैं नहीं था।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): क्या आप भाषण दे रहे हैं? अध्यक्ष महोदय, what is this happening? It is not a good thing. ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): उनके साथ ही थे।

श्री हाजी मकबूल मण्डेलिया (चूरू): ...(व्यवधान) करने वाले कौन थे, पुराने वाले कौन थे? सगीर साहब से पूछिये। हमारे रामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री गंगाजल मील (सूरतगढ़): तत्कालीन सरकार को इलेक्शन के अन्दर ...(व्यवधान) 120 विधायक जीतकर आये और भी 12 से 15 एम एल ए थे, उनके साथ पार्लियामेंट का इलेक्शन आता तो सबका साथ हो गया और पार्लियामेंट में 25 में से 21 सीट जीतने के बाद सरकार अपने आपको, मतलब सरकार न रहकर तानाशाहों की सरकार हो गयी थी। और उसमें भी आप तो एक कत्ल की बात करते हैं, मैं कहता हूं, मैं कातिल से शुरू होता हूं। यहां जयपुर के अन्दर कातिल थे और कातिल कौन थे शुरू से, सबसे पहला कातिल, कातिल का मतलब भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार कहां से शुरू हुआ जे.डी.ए. से। (व्यवधान) मैं पानी पर आता हूं। मामला पानी पर ही आता है।

श्री सभापति: पानी पर चलो आप।

श्री गंगाजल मील (सूरतगढ़): यहां से शुरू होकर पूरे राजस्थान में चरम सीमा पर भ्रष्टाचार फैल गया, कोई आन्दोलन नहीं ...(व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): माननीय सदस्य, सिंचाई पर बहस है। सभापति महोदय, इनको विषय पर तो लाओ ...(व्यवधान) आप विषय तो बता दो।

श्री गंगाजल मील (सूरतगढ़): आज कामरेड आदमी हमारे बीच में बैठा है। मैं कहता हूं कि शर्मनाक बात है। युद्ध तो उस वक्त भी होता था लेकिन कामरेड हेतरामजी, वह अस्सी वर्ष का बुजुर्ग आदमी कैसे बच गया गिरफ्तार होने के बाद? पानी के पीछे जनता के पीछे गिरफ्तार हुआ और गिरफ्तार होने के बाद उनकी बेइज्जती की गयी और इस तरह से पीटा गया उस आदमी को। वह आदमी था जो बच गया1 यदि कांग्रेस और बी.जे.पी. का कोई आदमी होता तो वह मर ही जाता। वह तो कामरेड था। पता नहीं उसका स्टील हैड है कि क्या है। ये दुग्गलजी बैठे हुए हैं, इनको अरेस्ट कर लिया। जयपुर से आदेश गये इसको अरेस्ट करने के। ऐसी सरकार होती है? सरकार गयी तो इसका नतीजा तो यही होना था आखिर। लाठी का तो नाम ही नहीं था गोलियां चलीं, गोलियों से दुनियाभर के आदमी भूने गये। और कातिल का मतलब, जे.डी.ए. से शुरू हुआ, जे डी ए में कातिल कौन था, सब जानते हैं भ्रष्टाचार वहां से शुरू हुआ।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री गंगाजल मील (सूरतगढ़): एक मिनट।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): सभापति महोदय, ये खुद की अपनी व्यथा सुना रहे हैं यहां। हृदय की पीड़ा घर पर सुनाइएगा।

श्री गंगाजल मील (सूरतगढ़): आपको पता नहीं है। हमारे बड़े-बड़े नेता हमारे साथ थे। उसके बाद सब जानते हैं, दुनिया जानती है। (व्यवधान) इनकी क्या दुर्दशा थी, वह सब जानते हैं, दुनिया जानती है।

श्री सभापति: समाप्त करें आप।

श्री गंगाजल मील (सूरतगढ़): वह सरकार थोड़े ही थी। हमारी कोठियां ढहायी।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अगला नाम पुकारो सभापति महोदय।

श्री सभापति: समाप्त करो आप।

श्री गंगाजल मील (सूरतगढ़): माननीय मंत्रीजी, मैंने कम से कम वितरिकाओं के नाम गिनाये हैं। अच्छा रकबा था वह तो चला गया। अब ले

(श्री गंगाजल मील)

देकर थोड़ा बहुत रकबा टीबा क्षेत्र का बचा है उसमें वितरिकाओं को आगे बढ़ायें। हमारे बीकानेर के अन्दर सीकरवासी हैं। यहां पर बड़े अधिकारी भी बैठे हुए हैं। एक छोटी सी बात बताता हूं। मीरचन्द माइनर के दस मोगों की एक बस्सी है उसमें आठ मोगों का पानी समाप्त हो गया और दो मोंगों में पानी कम रह गया चार क्यूसेक। मेरे को किसानों ने कहा, मैंने चीफ साहब को कहा उन्होंने पानी सेंक्शन कर दिया और एस.ई. जो उस एरिया का लगता है उसने फाइल को रिजेक्ट कर दिया। कह दिया नहीं देते हैं हम पानी। मैंने कहा कि आपके जेब से क्या जाता है। चीफ इंजीनियर ने दिया है वह सूरतगढ़ के पानी को जान सकता है क्या। चार क्यूसेक पानी ही तो मांगते हैं। हम तो यहां सौ फीसदी की बात कर रहे हैं। सिंचाई मंत्री जब भाटीजी थे तब से मांग चली आ रही है और आप चार क्यूसेक पानी के लिए मना कर रहा है लेकिन फिर मेरे को किसी अधिकारी ने बताया कि भाई साहब, आप तो गलत ट्रेक पर चले गये, यह आदमी ऐसी सिफारिशों से काम करने वाला आदमी नहीं है, कहने से काम नहीं होगा। उसके पास तो किसान सीधे भेजो। यह हालत है चार क्यूसेक के लिए। उस आदमी ने चीफ इंजीनियर का आदेश नहीं माना। तो मेरा तो माननीय मंत्रीजी से यही निवेदन है कि हमारे टीबा क्षेत्र के अन्दर जो पानी की छोटी-छोटी वितरिकाएं हैं उनको आगे बढ़ाया जा सकता है, उनमें फ्लो से पानी लगे। आप इतना ही दे दो। ज्यादा खर्चे की भी जरूरत नहीं है और सिंगरासर का आज से नहीं चालीस साल से मुद्दा बना हुआ है और हर जो मंत्री गये, चाहे भाटीजी गये और चाहे और कोई गये हों सभी ने उसके लिए कहा है कि हम देंगे। तो मैं सिंगरासर माइनर के लिए श्रीमान। आपकी मार्फत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्रीजी और मुख्य मंत्रीजी से कि सिंगरासर की माइनर को सम्पूर्ण कराया जाए। जय हिन्द। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री हबीबुर्रहमानजी।

श्री हबीबुर्रहमान (नागौर): माननीय सभापति महोदय, अनुदान की मांग संख्या 46-सिंचाई, सिंचाई तो हमारे जिले में है नहीं, इंदिरा गांधी नहर पर मैं बोलूंगा। सिंचाई एरिया नहीं है, हमारे यहां बारानी एरिया है। जहां पर पानी की बहुत कमी है। मैं इस मांग पर कहना चाहता हूं, मंत्री महोदय सदन में नहीं हैं और इंदिरा गांधी नहर, जिसका इन्तजार हम 30-35 साल से करते आ रहे हैं। सभापति महोदय, जब मैं नवीं और दसवीं में पढ़ता था तब से सुनता था कि इंदिरा गांधी नहर आयेगी और नागौर के लिए ही इंदिरा गांधी

(श्री हबीबुर्रहखान)

नहर उस वक्त बनी थी लेकिन कुछ कारणों की वजह से इंदिरा गांधी नहर चूरू, जैसलमेर, बाड़मेर, रतनगढ़ उस ओर टर्न हो गयी और हमारे कई बुजुर्ग इंदिरा गांधी नहर का नाम लेते-लेते स्वर्गवासी हो गये। उसके 10-15 साल बाद तक हमने बहुत कोशिश की और यह इंदिरा गांधी लिफ्ट योजना के नाम से एक स्कीम बनी। मैं तत्कालीन मुख्य मंत्री, वसुन्धराजी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने 2005-06 में 761 करोड़ रुपये देकर इस योजना का शुभारम्भ किया। दो साल कोर्ट में लगे। जगह-जगह स्टे आ गये। रेलवे की मन्जूरी नहीं मिली और पिछले महीने इस लिफ्ट योजना का पानी हमारे नागौर में पहुंचा। मुझे दुःख इस बात का है कि राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार है और कांग्रेस के नेता लोग यह कहते आये हैं कि नागौर में इंदिरा गांधी नहर हम लेकर आ रहे हैं लेकिन पानी आने के बाद किसी भी कांग्रेस नेता ने इसका स्वागत नहीं किया। किसी ने यह नहीं कहा कि जो 30 वर्षों से हम लोग जिसका इन्तजार कर रहे थे वह पानी आज हमारे नागौर में पहुंचा है। हमारे जिले के केबिनेट मिनिस्टर भी हैं। उन्होंने भी कोशिश नहीं की, कि वहां जाकर वे उद्घाटन करें। इस बात का मुझे बहुत दुःख है। इंदिरा गांधी नहर तो आ गयी, पानी भी मिल गया लेकिन जो 761 करोड़ रुपये में से 237 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं और यह जो बजट प्रस्तुत किया गया है, मुख्य मंत्रीजी ने इसमें इंदिरा गांधी नहर का नाम ही नहीं लिया है। जब नागौर में इंदिरा गांधी लिफ्ट योजना का पानी आया और पानी आने के बाद जो सैकण्ड फेज है हमारा उसमें हमारे सभी गांव इस लिफ्ट योजना से जुड़ते हैं। इतना पानी का हम क्या करेंगे, क्या नागौर सिटी अकेली ही इतना पानी पीयेगी? आज मेरे नागौर विधान सभा क्षेत्र को देख लो, अराई क्षेत्र में देख लो, एक अराई गांव से 30-35 गांवों को पानी जाता है वहां से नहर गुजर रही है, जायल का एरिया है, इधर परबतसर का एरिया है। अगर हम इस योजना को सैकण्ड फेज को इस वर्ष नहीं लेंगे तो मुझे लगता है कि इस नहर का जो पानी आया है वह धीरे-धीरे हमारे यहां बंद हो जायेगा। पिछले 6 महीने से, जब से कांग्रेस की सरकार बनी है हमारे यहां पर 15-20 दिन से नागौर में पानी आ रहा है। बड़ी मुश्किल से यह पानी हम लोग यहां लाये हैं मेहनत करके। मैं मंत्रीजी से चाहूंगा कि जो सैकिण्ड फेज है हमारा उसका प्रावधान इसी बजट में करें क्योंकि बजट में इसका जिक्र ही नहीं किया गया है। नागौर जिले की जो वर्षों से मांग है, हम तो सिंचाई के लिए पानी चाहते थे लेकिन पीने का पानी मिला

(श्री हबीबुर्रहखान)

है और बजट के अभाव में वह पानी भी अगर वहां से चला गया तो हमारी जो वर्षों से मांग रही है वह भी खतम हो जायेगी। हमारे नागौर जिले की जमीन बहुत सिचिंत जमीन है लेकिन किसी ने यह कोशिश नहीं की, कि इन्दिरा गांधी नहर जिस तरह फलौदी में आई है, फलौदी से हम नागौर ला सकते थे। चूरू गई है, रतनगढ़ गई है, इधर से हम नागौर ला सकते थे। आज बीसलपुर योजना से पिछली कांग्रेस सरकार ने 87 गांव जोड़े थे नावां साइड के। इस बजट में उसका भी प्रावधान नहीं रखा गया है तो नागौर जिला जहां मार्बल है, जिप्सम हैं, लाइमस्टोन है, हमारे जहां रायडा अच्छा होता है, कपास होती है, हर फसल होती है लेकिन पानी नहीं है। अगर इस पानी को लाने के लिये कांग्रेस सरकार ने, जो लोग कह रहे हैं, रूपजी भी अभी 295 पढ़ रहे थे तब मैंने सुना था। उन्होंने भी अशोकजी की तारीफ की थी तो मैं माननीय सदस्य को कहना चाहता हूं कि अपने सैकण्ड फेज के जो पैसे हैं 761 करोड़ रुपये, उन रुपयों को देकर इन्दिरा गांधी नहर का पानी हमें पिलायें जिससे हमारे नागौर की यह समस्या दूर हो सके। आपने समय दिया इसके लिए धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री राजेन्द्र सिंह गुढा।

श्री राजेन्द्र सिंह गुढा (उदयपुरवाटी): सभापति महोदय, सुबह से सिंचाई के ऊपर हमारे माननीय सदस्य सभी आंकड़े पेश कर रहे हैं नहर के बारे में और सिंचाई के बारे में। लेकिन मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री श्री अशोकजी गहलोत की जब से सरकार बनी है उसके बाद केन्द्र सरकार से, पंजाब की सरकार से, हरियाणा की सरकार से बातचीत की है। और सीरियसली, गम्भीरता से राजस्थान को नहरों का पानी, सिंचाई का पानी, पीने का पानी देने के लिए काम कर रहे हैं और जो प्रयास किया है उसके लिए मैं राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्रीजी को आपके मार्फत धन्यवाद देना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र शेखावाटी के अन्दर मेरा विधान सभा क्षेत्र उदयपुरवाटी है, उसके बीच में एक काटली नदी बहा करती थी और काटली नदी की वजह से मेरे क्षेत्र के अन्दर, मेरे उदयपुरवाटी विधान सभा क्षेत्र, शेखावाटी में पानी के मामले में हम सबसे ज्यादा धनवान हुआ करते थे। आज से 30-40 साल पहले हमारे वहां एक

(श्री राजेन्द्र सिंह गुढा)

कोपर प्रोजेक्ट खेतड़ी के अन्दर आया और हिन्दुस्तान में उसका बड़ा नाम है लेकिन इस कोपर प्रोजेक्ट ने मेरे विधान सभा क्षेत्र की 25-30 पंचायतों का, किसानों का सत्यानाश करने का काम किया है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत सिंचाई मंत्रीजी को बताना चाहूंगा कि हमारे काटली नदी के आस-पास 25-30 पंचायत क्षेत्र हमारे विधान सभा क्षेत्र के और 15-20 हमारे ऊर्जा मंत्रीजी के, जो डा. जीतेन्द्र सिंहजी हैं उनके क्षेत्र के हैं। वह सारे के सारे किसान कोपर प्रोजेक्ट द्वारा हमारे पानी का जल दोहन होने की वजह से 24-24 इंच की दो बड़ी पाइप लाइनों के द्वारा रात-दिन, 24 घंटे जो जल दोहन किया गया उससे हमारे क्षेत्र का सत्यानाश हो गया।

माननीय सभापति महोदय, आज से 25-30 साल पहले हमारे क्षेत्र के अन्दर खड्डे खोद कर के और काटली नदी के बहाव क्षेत्र के अन्दर एक फुट के अन्दर पानी निकल जाता था, आज हमारा एक-एक किसान दस-दस, पन्द्रह पन्द्रह ट्यूबवैल करवा कर और ट्यूबवैल पर ट्यूबवैल,, बोरिंग पर बोरिंग करवा कर हमारे क्षेत्र के किसान का सत्यानाश हो गया। बरबाद हो गया, मेरे क्षेत्र का किसान पलायन करके गया मुम्बई और महाराष्ट्र के अन्दर, सूरत के अन्दर सारे के सारे किसानों के बच्चे टाइलों का काम कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सिंचाई मंत्रीजी को बताना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर जो जल का दोहन हुआ है, कृपा करके जो पाइप लाइन हमारे क्षेत्र से खेतड़ी कोपर प्रोजेक्ट जा रही है उन्हीं लाइनों द्वारा आप हरियाणा से नहर का पानी लाकर के जो हमारा जल दोहन हो रहा है उससे हमें मुक्ति दिलाने की कृपा करें।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस समस्या के विरोध के अन्दर हमारे चंवरा के कैम्प के अन्दर 13 दिन तक मैंने आमरण अनशन किया था, मेरा 17 किलो वेट कम हो गया था। उस समय के जिला कलक्टर, भवानी सिंहजी देथा को भेज कर, मैं प्रशंसा करना चाहूंगा राजेन्द्र सिंहजी राठौड़ की जिन्होंने उनको भेज कर के और हम जो मरणासन्न की स्थिति में थे और एक समझौता कराया था लेकिन उस समय में हमारी हालत खराब हो गयी थी, उस समझौते को भी लागू नहीं किया जा सका।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि हमारे क्षेत्र के अन्दर उसी कोपर प्रोजेक्ट वालों ने 35 साल पहले एक डामर की सड़क

(श्री राजेन्द्र सिंह गुढा)

डाली थी। 35 साल में उस सड़क की एक बार भी रिपेयरिंग नहीं हुई, सड़क नाम की चीज नहीं बची। उस कोपर प्रोजेक्ट के अन्दर जिन किसानों की, खातेदारों की जमीन चली गयी उनको सर्विस दी गयी थी, उनको नौकरी दी गयी थी लेकिन यह रात-दिन जल दोहन होने की वजह से हमारे 25-30 पंचायतों के जो किसान बरबाद हो गये उनको आबाद करने के लिए मैं सिंचाई मंत्री महोदय से निवेदन करूंगा कि हमारे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर अरावली श्रृंखला का जो घाट है उस पर एक बड़े डैम का निर्माण कराकर वाटर लेवल को अप करने का, बढ़ाने का काम करें और अरावली की पहाड़ियों के अन्दर बीच में और डैम बना कर के हमारे वाटर लेवल को बढ़ाने का काम करें। हमारा किसान बरबाद हो गया।

माननीय सभापति महोदय, आप सब लोग, यहां पर मंत्री महोदय विराजमान हैं, सदन के सभी माननीय सदस्य हैं, यह मेरे क्षेत्र की बहुत बड़ी समस्या है और इसके लिए बहुत बड़ा आन्दोलन हो सकता है। मैं तो सिंचाई के लिए निवेदन करना चाहता हूं, हमारा क्षेत्र एक आबाद क्षेत्र हुआ करता था, दोनों, तीनों फसलें हुआ करती थीं, सब्जी बाड़ी हुआ करती थी लेकिन आज हमें पीने का पानी नहीं मिल रहा, हमारे क्षेत्र में सारे हैण्डपम्प सूख गये, सारे ट्यूबवैल सूख गये और टैंकरों से पानी डलवाया जा रहा है। जो आज से 20 25 साल पहले एक आबाद क्षेत्र हुआ करता था वो क्षेत्र आज बरबाद हो गया।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत सिंचाई मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि इस ओर ध्यान दिया जाय नहीं तो हमारे वहां का किसान हमें माफ नहीं करेगा और जब हम नहीं रहेंगे तो वहां आन्दोलन होगा, घड़साना से बड़ा आन्दोलन हो सकता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया इसके लिए मैं आपका धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूं। हमारी सरकार से, हमारे सिंचाई मंत्रीजी से, हमारे मुख्य मंत्रीजी से हमें उम्मीद है कि उस साइड में ध्यान देंगे। धन्यवाद।

श्री सभापति: सुश्री सिद्धीकुमारीजी।

सुश्री सिद्धीकुमारी (बीकानेर): माननीय सभापति महोदय, परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2009-2010 के अनुदान मांगों के तहत मांग संख्या 46, सिंचाई, इंदिरा गांधी नहर सहित, पर मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए बहुत धन्यवाद।

(सुश्री सिद्धीकुमारी)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगी कि इंदिरा गांधी नहर का निर्माण विकट परिस्थितियों से जूझ कर मानवीय प्रयासों को मिली सफलता का एक ज्वलंत एग्जाम्प्ल है। राजस्थान के बीकानेर क्षेत्र में लम्बी दूरदर्शिता रखने वाले मेरे पूर्वज, भूतपूर्व महाराजा स्वर्गीय गंगा सिंहजी ने अपने मन में एक सपना संजोया कि इस मरू प्रदेश में, जहां पानी की बूंद मिलना मुश्किल था, वहां रेत के धोरों के बीच होकर ऐसी पानी की गंगा बहायी जाय जिससे प्रदेश के आम आदमी को पीने के लिए पानी तथा सिंचाई के लिए जल उपलब्ध हो सके।

माननीय सभापति महोदय, इसी क्रम में महाराजा गंगा सिंहजी ने तत्कालीन पटियाला रियासत एवं बहावलपुर रियासत के मध्य एक समझौता किया जिसकी सहमति एवं गारण्टी तत्कालीन ब्रिटिश सरकार ने दी, जो कि एक मिसाल है। यह समझौता इसलिए ऐतिहासिक है कि रायपेरियन थ्योरी लागू कर नदी बेसीन क्षेत्र का उक्त नदी के पानी पर अधिकार होना एक एग्जाम्पल बना। इससे increase of state revenue manifold, increase of state domestic product, food security, पशुओं के लिए फोडर employment generation, रेल, रोड नेटवर्क और गंग नहर के मात्र चार वर्षों में बन कर तैयार होने के यह सब एग्जाम्पल्स हैं जो कि इस परियोजना से लागू हुए। इतना तो कहना चाहूंगी मैं कि वर्ल्ड बैंक के सौजन्य से भारत पाकिस्तान के मध्य पानी के बंटवारे में रावी, व्यास एवं सतलज नदी के पानी का सम्पूर्ण भाग भारत के हिस्से से गया। यही नहीं, राजस्थान को सतलज नदी के पानी में 52.529 परसेंट हिस्सा पोंग बांध के माध्यम से राज्य के हिस्से में पानी मिलता है, हमें हमारे हिस्से का पूरा पानी पंजाब नहीं दे पा रहा है। इस समझौते के तहत हमें भरपूर प्रयास करना पड़ेगा ताकि हमें एवं हमारे किसानों को पानी मिले।

माननीय सभापति महोदय, राज्य में एक ही पैरेनियल नदी चम्बल नदी है। मध्य प्रदेश के एनीकट एवं बांध बना कर हमारे हिस्से के पानी का उपयोग कर रहे हैं, इसे भी अन्तरराज्जीय वार्ता कर हिस्से का पूरा पानी मिले, ऐसा गम्भीर प्रयास करना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगी कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना की फीडर नहरों की मरम्मत की जाय जिससे किसानों को पूरा पानी मिल सके। किसानों को मिलने वाली बारी के पानी की

(सुश्री सिद्धीकुमारी)

चोरी रोकी जाय। परियोजना क्षेत्र के रिक्त पड़े पदों को भरा जाय। सिंचित क्षेत्र के साथ-साथ असिंचित क्षेत्र में कुएं, बावड़ियां, तालाब का भी संरक्षण किया जाय जिससे पीने के पानी और सिंचाई जल की व्यवस्था हो सके। द्वितीय फेज की शेष रही नहरों व नालों को पक्का किया जाय। ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली को बढ़ावा दिया जाय। घटते जल स्तर को रोकने के लिए जल संग्रहण नीति बनायी जाय।

माननीय सभापति महोदय, आज इस समय जिस मुकाम पर हम सब रह रहे हैं यह समय हमारे लिए किसी तूफान के आने का आभास है। तूफान के संकेत मिलने शुरू हो गये हैं लेकिन शायद हमने आंखें बंद कर ली हैं और इन्तजार कर रहे हैं। पानी को लेकर मेरी आशंका के सम्बन्ध में इस सदन को एक मत होकर स्वीकार करना ही पड़ेगा कि सचमुच तीसरा युद्ध यदि कोई है तो वह होगा वाटर वार। थैंक यू।

श्री सभापति: श्री पदमारामजी मेघवाल।

श्री पदमाराम (चौहटन): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से मांग संख्या-46 सिंचाई एवं इन्दिरा गांधी नहर परियोजना के बाबत मेरे विचार प्रकट करना चाहता हूं। मनुष्य जीवन के अन्दर पानी बहुत जरूरी है, बिना जल के जीवन व्यर्थ है। मनुष्य को जीवित रहने के लिए पानी की अति जरुरत है। राजस्थान के अन्दर पूरी जनसंख्या के अस्सी प्रतिशत किसान गांवों में रहते हैं और उनका मुख्य धंधा, उनकी रोजी का मुख्य साधन कृषि है। किसानों को सबल बनाने के लिए, उसको सुरक्षित रखने के लिए पानी की व्यवस्था करनी बहुत जरूरी है। इन्दिरा गांधी नहर के मार्फत कई स्थानों पर पानी की व्यवस्था हो रही है, किसान वहां के खुशहाल हैं। हमारे बाड़मेर जिले के अन्दर बाड़मेर कैनाल के रूप में इन्दिरा गांधी नहर से योजना चालू की है परन्तु कुछ राजनीतिक कारणों से या पैसों के अभाव से उस योजना का पानी बाड़मेर के अन्दर नहीं पहुंचा है।

मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि बाड़मेर क्षेत्र के अन्दर कई गांवों के अन्दर खारा पानी है, लोगों को पीने के पानी की समस्या है। यहां सभी माननीय सदस्यों द्वारा अपने-अपने क्षेत्र के अन्दर किसानों की सिंचाई के लिए पानी की मांग की गयी है। हम निवेदन करना चाहते हैं कि हमारे बाड़मेर जिले के किसानों को पीने के पानी की व्यवस्था के

(श्री पदमाराम)

लिए बाड़मेर कैनाल का पानी जल्दी से जल्दी आप दिलाएं। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी और किसान का जीवन उत्तम होगा।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि बाड़मेर कैनाल का पानी बाड़मेर जिले तक ही है। यह सिटी से आगे चौहटन तहसील की जो कुछ पंचायतें आती हैं, गुढ़ामालानी की कुछ पंचायतों के अन्दर खारा पानी है, वहां भी इस पानी की व्यवस्था कराई जाय और लोगों को पीने के पानी की सुविधा दी जाय।

माननीय सभापति महोदय, नर्बदा नहर का कुछ हिस्सा मेरे विधान सभा क्षेत्र चौहटन में आ रहा है। नर्मदा नहर का आज से दस पन्द्रह साल पहले सर्वे हुआ था। उस सर्वे के अन्दर मेरे विधान सभा क्षेत्र के काफी गांव उसमें जुड़ रहे थे और वह पूरा क्षेत्र खारे पानी का है, लोगों को पीने के पानी की समस्या है। वर्षा के ऊपर ही वह लोग अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। यदि अकाल पड़ता है तो उन लोगों के कमाने का कोई साधन नहीं है। वह गुजरात मजदूरी करने के लिए जाते हैं परन्तु किसी कारणवश गत पांच सालों के अन्दर उसका दुबारा सर्वे हुआ है और उसके अन्दर हमारा कुछ हिस्सा उसमें छोड़ दिया गया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत माननीय मंत्री महोदय से और माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि नर्मदा नहर के अन्दर एक बनेरिया कैनाल योजना आगे निर्माणाधीन है। उसके अन्दर पूरब और पश्चिम के जितने भी भाग हैं उसको कमाण्ड एरिया मान लिया परन्तु दक्षिण और पश्चिम का जो भी हिस्सा है उसके अन्दर एक इंच भी जमीन नहीं ली है। आपसे निवेदन है कि उस क्षेत्र के अन्दर गरीब जनता, अनुसूचित जाति, जनजाति और अल्पसंख्यक लोगों की जनता निवास कर रही है। उनके भविष्य को उज्जवल बनाने के लिए, उनके बच्चों की रोजी उत्पन्न करने के लिए उस एरिये को आप कमाण्ड एरिये में ज्वाइंट करावें तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी।

माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि मेरा विधान सभा क्षेत्र जो पाकिस्तानी बार्डर के ऊपर बसा हुआ है, दूरदराज ढाणियों के अन्दर बसा हुआ है, उसका क्षेत्र बहुत लम्बा चौड़ा है और लोग ज्यादातर ढाणियों के अन्दर निवास करते हैं। उनके पीने के पानी की बड़ी समस्या है, पानी तो है केवल संसाधनों की कमी के कारण वहां पानी

(श्री पदमाराम)

की योजना नहीं पहुंच सकती है। पिछले पांच साल के अन्दर कर्मचारियों, अधिकारियों की कमी के कारण लोगों को पानी की समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर पचास-साठ ट्यूबवैल नये लगाए जाएं । पानी पर्याप्त है, लोगों को पानी की सुविधा उपलब्ध हो सकती है। माननीय अशोकजी गहलोत की पूर्व सरकार के समय में स्वर्गीय माननीय रामसिंहजी द्वारा एक करोड़ बीस लाख रुपये की एक बरोडी जल योजना स्वीकृत की थी। उस योजना का धौरीमन्ना पंचायत समिति के अन्दर ट्यूबवैल तैयार हो गया है, बरोडी के अन्दर जी.एल.आर. बन गया है परन्तु पाइप लाइन से पांच-छह साल हो गये, एक बूंद भी पानी अभी तक नहीं आया है। उस क्षेत्र के अन्दर पूरा खारा पानी है। लोगों को पानी की बहुत समस्या है, पांच-पांच, दस-दस किलोमीटर से अपने निजी साधनों से पानी लाकर लोग जीवनयापन कर रहे हैं।

मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि उस योजना को जल्दी से जल्दी चालू कराकर लोगों के पीने के पानी की समस्या का समाधान कराएं। माननीय मंत्री महोदय, मेरा आपसे यह भी निवेदन है कि पनोरिया कैनाल का जो काम चल रहा हैं, उसके अन्दर किस ठेकेदार का काम है, पिछली गवर्नमैंट में जिस ठेकेदार को काम दिया है, उसकी क्वालिटी बहुत हल्की है और जो ईंटें बनाई जा रही हैं वह हल्की क्वालिटी की बनाई जा रही हैं और उसके ऊपर जो पानी यूज कर रहे हैं वह बहुत खारा पानी है। इसलिए मेरा निवेदन है कि आपके अधिकारियों से और उच्च इंजीनियरों से उसकी जांच कराई जाए और उसको सही बनाने की कृपा कराएं।

माननीय सभापति महोदय, जो हमारा रेगिस्तानी एरिया है, उसके अन्दर पानी की भंयकर समस्या है, उसका समाधान कराने की मंत्रीजी कृपा कराएं। माननीय अशोकजी गहलोत को भी धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस बजट के अन्दर गांव-गांव, ढाणी-ढाणी पानी पहुंचाने की जो व्यवस्था की है, एक जल नीति बनाई है, उसके लिए बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। आपने मेरे को बोलने का समय दिया इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री अमरारामजी।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या 46 सिंचाई पर चर्चा चल रही है। इसमें मैं अपने आपको भी सम्मिलित करते

(श्री अमराराम)

हुए राजस्थान में, मैं समझता हूं कि छह दशक की आजादी के बाद हमारे जो सरफेस वाटर है, आज भी हम आधे पानी को काम में ले पाए हैं। चाहे वह हमारे राज्य में है और चाहे अन्तरराज्यीय समझौते से जो हमारा हिस्सा है, मैं नहीं समझता कि राजस्थान की जो भी सरकारें रही हैं वह इस पानी की कमी होने के बाद भी जिस सिंचाई के लिए जो सरकार की प्राथमिकता होनी चाहिए थी, मैं समझता हूं राजस्थान के इस पांच दशक में नहीं रही। उसका नतीजा है कि जो भी सिंचाई की परियोजनाएं चाहे वह मध्यम या लघु सिंचाई परियोजना रही, चाहे वृहद सिंचाई योजनाएं रहीं, राजस्थान में राजस्थान नहर जो चली थी, मैं समझता हूं साठ के दशक में आज तक भी चल रही है और आगे भी चलती रहेगी।

हमारी राजस्थान में जो भी सिंचाई परियोजनाएं बनीं हैं, मैं समझता हूं इसका रिकार्ड है कि जो तीन साल के लिए योजना बनी वह तेरह साल में पूरी हुई और जो तीन करोड़ की योजना बनी वह तीस करोड़ में जाकर के पूरी हुई। यह इस बात को दर्शाता है कि राजस्थान में पानी के प्रति जो सरकार की संवेदनशीलता होनी चाहिए थी वह संवेदनहीनता रही और उसी का नतीजा है।

सभापति महोदय, मुझे कहते हुए बड़ा अफसोस है कि राजस्थान की राजस्थान नहर में रावी व्यास में हमारा हिस्सा है और हमारे राजस्थान के हिस्से को लेने के लिए हमारी राजस्थान की सरकार और प्रशासन को पंजाब से मिन्नतें करनी पड़ें, राजस्थान के वर्तमान मुख्य मंत्री को राजस्थान के हिस्से का पानी लेने के लिए तीन-तीन दफे पंजाब के मुख्य मंत्री को पत्र लिखना पड़े।

(समय : 19.00 बजे)

केवल इस बात के लिये कि राजस्थान का हिस्सा मिले। आज भी बड़ी बातें हो रही हैं। दोनों तरफ से सरकारें रही हैं और मैं समझता हूं आज के मुख्य मंत्रीजी का तो बहुत बड़ा प्रभाव देश की सरकार में है और उसके बाद भी अगर बी.वी.एम.बी. में आज भी हमारे को राजस्थान का प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा तो आने वाले समय में भी नहीं मिल सकता है इसलिये सबसे पहली आवश्यकता है कि जो भी हमारा ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अशोकजी का दिल्ली में बहुत प्रभाव है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): प्रभाव का तो पता लगेगा कि वह

(श्री अमराराम)

इस ...(व्यवधान) मैं समझता हूं कि राजस्थान की सबसे बड़ी परियोजना इंदिरा गांधी नहर है उसमें हमारे हिस्से के लिये इस तरह से हमें मिन्नतें करनी पड़ें, मैनेजमेंट बोर्ड में हमारा प्रतिनिधित्व नहीं हो इससे ज्यादा अफसोसजनक, सरकारें आयीं और चली गयीं। हमने सर्व सम्मति से यहां पिछली विधान सभा में प्रस्ताव भी पास किया लेकिन आज भी राजनैतिक प्रतिबद्धताओं से ऊपर उठकर राजस्थान के हिस्से का पानी लेने के लिये हम सबको मिलकर प्रयास करना चाहिये कि फिर हमारे हिस्से के लिये पंजाब की सरकार से हमें मिन्नतें नहीं करनी पड़ें। मेरा तो आपसे निवेदन है सभापति महोदय, जो आज हालत है क्योंकि पानी ही जो हालत होती जा रही है, पानी के प्रति जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं हो, जहां पानी बचाने के लिये पूर्ववर्ती सरकार जल चेतना यात्रा निकाल रही थी, इससे पहले की सरकार बूंद बूंद बचाने की बात कर रही थी वहीं राजस्थान में चम्बल नदी पर हमारा चम्बल प्रोजेक्ट है, 3 दशक के बाद में भी आज तक भी उसमें चकबंदी नहीं है, बाराबंदी नहीं है। हम कितना ही प्रचार कर दें, बूंद-बूंद बचाने का प्रचार कर दें, जल यात्राएं निकाल दें, जल नीतियां बना लें, जब तक राजनीतिक इच्छा शक्ति नहीं होगी उस चम्बल प्रोजेक्ट में जो कमाण्ड होनी चाहिये थी। तहसील की तहसीलें, कई तहसीलें डी-कमाण्ड हो गयी लेकिन किसी सरकार में बैठे हुए, चाहे आज कांग्रेस की सरकार बैठी हुई है, इससे पहले चाहे भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है, किसी की भी इच्छा शक्ति यह नहीं दिखाती कि चम्बल में एक-एक बूंद पानी का उपयोग होना चाहिये, हम कह रहे हैं कि जो हम फ्लो से दे रहे हैं उनके लिये तो हम डिग्गी बनायेंगे, उनके लिये हम फव्वारे की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूं राजस्थान में जहां भी फव्वारा लगा है वह राजस्थान सरकार के कोई सहयोग से नहीं है। उस फव्वारे और ड्रिप में भी राजस्थान में ही नहीं पूरे हिन्दुस्तान में सीकर फव्वारे के मामले में एक नम्बर पर है। वह किसी सरकार की मेहरबानी से नहीं, किसान अपनी मेहनत से, अपने खून पसीने से, सरकार ने तो अनुदान के नाम से उस किसान को लूटने का काम किया है। आज सबसे बड़ी आवश्यकता है न केवल इसके लिये और मैं तो कहना चाहूंगा सीकर जिले के लिये जहां 284 गांव आज फ्लोराइडयुक्त पानी पीने के लिये मजबूर हो रहे हैं। 284 गांवों को फ्लोराइडयुक्त पानी पीना पड़ रहा है। आज 363 गांव हैं सीकर जिले में, 1000 गांवों में से जहां पानी समाप्त हो गया। न फ्लोराइडयुक्त है न बगैर फ्लोराइड है।

(श्री अमराराम)

आज जिस यमुना वाटर की हम बात कर रहे हैं जिसमें भरतपुर, झुंझुनूं और चूरू के साथ सीकर भी था। मूल प्रस्ताव में सीकर को इसमें से हटा दिया गया। मंत्रीजी से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यमुना वाटर में जब तक सीकर को आप नहीं जोड़ोगे 1015 गांवों में से 500 से ज्यादा गांवों में आज पीने का पानी नहीं है। अगर आप उस योजना को भी कैसे वह मिल पायेगी, सीकर में आज 1015 में से 500 से ज्यादा, आधे से ज्यादा गांव ऐसे हैं जहां पीने के पानी की व्यवस्था नहीं है। मैं तो आपके माध्यम से सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि यमुना वाटर में जो हमारा हिस्सा है राजस्थान का जब भी वह हरियाणा के साथ एम.ओ.यू. होकर मिले तो निश्चित रूप से मूल योजना के अन्दर सीकर को भी पुनः शामिल किया जाए जिससे आने वाले समय में जो भयंकर परेशानी न केवल 500 गांवों तक सीमित रहेगी, हर साल दर्जनों गांव जहां अण्डर ग्राउण्ड पानी खतम होता जा रहा है, आने वाले 10 साल के बाद सीकर के 1015 गांवों में से मुश्किल से शायद 600 गांव बचेंगे जिनमें पानी मिलेगा, बाकी को पानी नहीं मिलेगा इसलिये आज सबसे बड़ी आवश्यकता है।

सभापति महोदय, मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि बीसलपुर योजना, अभी टोड़ारायसिंह से जो माननीय सदस्य आते हैं वह इस बात को कह रहे थे आज भी आवश्यकता इस बात की है कि आज जहां पानी सिंचाई के लिये दिया जा रहा है उनसे छुड़ाने के बजाय जो कुछ भी सरफेस वाटर हमारे पास है, चाहे राजस्थान में आज भी बहकर गुजरात जाता है। आज भी चम्बल का पानी बहकर यू.पी. और मध्य प्रदेश जाता है। आज भी एक-एक बूंद बचाने के लिये बात होगी तो सरकार की प्राथमिकता सबसे पहली यह होनी चाहिये कि राजस्थान की एक-एक बूंद को रोक करके राजस्थान के 40,000 गांवों में से 10,000 से ज्यादा वह गांव हैं जो पीने के पानी के लिये तरस रहे हैं वहां पानी पहुंचे।

हमारी सरकारों की प्राथमिकताएं रही हैं जयपुर वर्ल्ड क्लास सिटी कैसे बनें ? दूसरे हैरिटेज होटल कैसे बनें ? गढ़ और किलों के लिये हम पैसा खर्च करेंगे लेकिन राजस्थान की छह दशक की आजादी के बाद भी साढ़े दस हजार गांव शुद्ध पीने के पानी के लिये तरस रहे हैं। उनके लिये हमें चिन्ता करनी पड़ेगी। उसके लिये बजट और जो कुछ भी पानी है उसकी एक-एक बूंद रोक कर उन प्यासे लोगों तक पहुंचाने की हमारी प्राथमिकता होनी चाहिये। जो

(श्री अमराराम)

प्रोजेक्ट बने हैं उनकी आज हालत यह है माननीय सभापति महोदय, जो गंग कैनाल बनी, जहां सीमेंट नहीं था। चूना और ईंट से बनी वह तो 70 साल के बाद में रिनोवेशन मांगती है और आजादी के बाद हमारी सिंचाई परियोजनाओं की हालत यह है कि जिस राजस्थान नहर को हमने बनाया वह बनने से पहले टूट जाती है। हम खालें बनाते हैं। एक साल बनाते हैं, दूसरे साल वह समाप्त हो जाते हैं । तो यह जो भ्रष्टाचार पनपा है इस पर अंकुश लगाना राजस्थान सरकार की पहली प्राथमिकता होनी चाहिये कि राजस्थान की एक-एक बूंद को बचा करके उन प्यासे लोगों के पास सबसे पहले पहुंचे।

सिंचाई में जो आपराधिक कार्य होते हैं सिंचाई परियोजनाएं बनाते हुए, सिंचाई विभाग के अधिकारी महज अपने कमीशन के लिये 30 करोड़ की परियोजना को 5 करोड़ की परियोजना बनाते हैं और पूरी होते-होते 5 करोड़ की जगह 40-50 करोड़ लगते हैं। 3 साल के बजाय 13 साल में पूरी होती है। अपने कमीशन के लिये कि कम बजट के नाम से वह पास हो जाए और पूरी होते-होते तीन गुणा, चार गुणा, आठ गुणा अगर लगता है तो केवल अपने कमीशन के लिये, उस जनता के लिये नहीं, उस पानी के उपयोग के लिये नहीं। इसलिये मेरा तो आपके माध्यम से इतना ही निवेदन है सिंचाई मंत्रीजी से कि पानी की जब तक हमारी सरकार की विजडम नहीं होगी, सरकार इस बात के लिये प्रयास नहीं करेगी, केवल आरोप-प्रत्यारोप लगाते रहेंगे तो राजस्थान का भला नहीं होगा। राजस्थान में जितनी पानी की कमी है, जिस तरह से सरकार, प्रशासन और इस विभाग ने अदूरदर्शिता दिखायी है मैं समझता हूं आने वाले समय में इस ओर प्रयास किया जायेगा और प्यासे लोगों को, राजस्थानवासियों को पानी दिलाने का काम करेंगे। सिंचाई के जो प्रोजेक्ट हैं उनका पुनर्निर्माण करके एक-एक बूंद पानी का सही रूप से उपयोग होगा।

आपने मुझे समय दिया इसके लिये धन्यवाद देता हुआ मेरी बात समाप्त करता हूं।

श्री सभापति: श्री सूरजभानजी धानका।

श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे टाइम दिया परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2009 2010 की मांग संख्या-46 सिंचाई के बारे में।

महोदय, सारा अर्थ चक्र किसान के ऊपर निर्भर है। चाहे वह सर्विस में है, चाहे व्यापार करता है तो यह सारी धुरी किसान के ऊपर है। किसान को

(श्री सूरजभान धानका)

अगर हम मूलभूत सुविधा पानी वगैरह आसानी से उपलब्ध करा देते हैं तो हमारा किसान मजबूत होगा, हमारा देश मजबूत होगा।

हमारे प्रधानमंत्री शास्त्रीजी ने कहा था, उन्होंने एक नारा दिया था 'जय जवान, जय किसान' आज देश जवानों के बलबूते पर आराम से सो रहा है। किसान रात-दिन गर्मी, बारिश और सर्दी सहकर हमारे लिये अन्न का उत्पादन करता है। मेरे ख्याल से इन दो जीवों से ज्यादा दुःखी और कोई नहीं है। हमारे कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, समय से आते हैं, समय से जाते हैं लेकिन इन दोनों का कोई टाइम नहीं है। रात में भी आजकल जंगली पशु हो रहे हैं। नील गाय हो रही हैं। रात को भी किसान को वहां रहना पड़ता है घर छोड़ कर। अगर उसको पानी नहीं मिलेगा, हम उसको सिंचाई की सुविधा नहीं देंगे तो सभी तरह से खतम हो जायेगा। हमारा अलवर जिला ना तो उसका नहर से ताल्लुक रहा, ना राजस्थान कैनाल से, इंदिरा गांधी कैनाल से ताल्लुक रहा क्योंकि वह आउट आफ साइड पड़ता है। हमारे पुराने वाटर सोर्स जैसे घाट कैनाल है लक्ष्मणगढ़ में अगर उसका पुनर्निर्माण कर दिया जाये, वह राजा महाराजाओं को बनाया हुआ है और उससे कम से कम 200-250 गांव लाभान्वित होते थे लेकिन वह 1995 में टूटने के बाद उसको आज तक हमारी सरकार पुनर्निर्माण नहीं कर सकी। उस क्षेत्र में मांग सबसे ज्यादा है, अगर घाट कैनाल डैम को बना दिया जायेगा तो निश्चित रूप से बिजली की भी बचत होगी और वाटर लेवल भी ऊपर आयेगा और हमारे किसानों की स्थिति सुदृढ़ होगी तो इन चीजों को देखते हुए मेरा सरकार से निवेदन है कि हमारा जो पुराना डैम घाट कैनाल है जिसका पुनर्निर्माण करवाया जाये। इसके लिये 3 करोड़ 10 लाख रुपये मंजूर हो गये हैं और यह जब चुनाव होने थे और आचार संहिता लागू होनी थी उसी दिन समर्थलालजी चले गये थे उद्घाटन करने के लिए लेकिन आचार संहिता का प्रचार हो गया और वह ज्यों का त्यों रह गया, अधर में रह गया।

सभापति महोदय, मेरा सरकार से और माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि एक महीने पहले यहां से चीफ इंजीनियर वगैरह गये हैं उसका दुबारा से एस्टिमेट लेकर के आये हैं, इसके तहत तकरीबन 10-12 करोड़ का वह खर्च बता रहे हैं। अगर यह हो जाता है तो निश्चित रूप से यह लक्ष्मणगढ़ वासियों के लिए एक नयी जीवन दायिनी योजना बनेगी। मेरे क्षेत्र लक्ष्मणगढ़ में घाट कैनाल की जल्दी से जल्दी शुरूआत की जाये, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री अभिषेक मटोरिया।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): अध्यक्ष महोदय, अगर आपकी अनुमति हो तो जो पाइंट आफ इन्फार्मेशन के माध्यम से मैने चक राजासर में हुए हत्याकांड के बारे में आपसे निवेदन किया था, मैं उस पर मात्र एक मिनट बोलूं, अगर आप कहें कि मांग संख्या पर बोलूं।

श्री सभापति: श्री अभिषेक मटोरिया, मांग संख्या-46 पर बोलें।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): उसको छोड़ दूं।

श्री सभापति: अभी तो इस पर विचार करें।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): नोहर क्षेत्र में नोहर शहर में फ्लैग मार्च होने की स्थिति आ गयी है, बाकी जैसी आपकी अनुमति सभापति महोदय, सिंचाई में भी हो जायेगी जल्दी ही ऐसी स्थिति, ऐसा चलता रहा तो।

सभापति महोदय, मांग संख्या-46 सिंचाई व आईजीएनपी पर बोलने हेतु मौका देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। मैं अपने निर्धारित समय में जो कटमोशन लगाये हैं, जो सुझाव दिये हैं, मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि उसके अनुरूप और उसके इर्द-गिर्द ही बोलूं।

सभापति महोदय, राजस्थान में वैसे ही पानी की कमी है। आये दिन जल के स्रोत घटते जा रहे हैं और तो और जिस प्रकार पूर्व सदस्यों ने सुझाव दिया, ऐसी-ऐसी योजना बतायीं, ऐसी-ऐसी परियोजनाओं का जिक्र किया जिसके तहत किसी ने कांग्रेस पर यह लांछन लगाया कि इन्होंने भाजपा की जितनी भी योजनाएं थी उनको बंद कर दी, भाजपा वाले कुछ सदस्यों ने यह कहा कि कांग्रेस ने भी योजना बंद कर दी। मैं भी सदन के समक्ष दो या तीन ऐसी छोटी परियोजनाएं बताना चाहूंगा जिसमें बड़े रूप से काश्तकारों का बड़ा लाभ मिलेगा। सरकार की नजर उन परियोजनाओं पर अभी तक तो नहीं पड़ी। मेरा उद्देश्य है कि सरकार की नालेज में, सरकार की नजर में वह परियोजना लाना, करना जाना सरकार का काम है।

सभापति महोदय, मैं शुरूआत करूंगा पायलट प्रोजेक्ट योजना से, पायलट प्रोजेक्ट योजना मुख्य रूप से किसी एक मुख्य नहर से उदाहरण के तौर पर नर्मदा और आईजीएनपी में दस प्रतिशत क्षेत्र में लागू की गयी थी कि अगर यह योजना कामयाब होती है, कारगर साबित होती है तो इसको आने वाले समय में और बढ़ावा दिया जायेगा। मैं नहीं जानता कि यह योजना किसकी सोच थी पर जिसने भी यह सोचा, राजस्थान के हित में, किसान,

(श्री अभिषेक मटोरिया)

गरीब और ग्रामीण के हित में सोचा और आने वाले समय में निश्चित रूप से यह योजना कारगर साबित होगी परन्तु बड़े दुर्भाग्य की बात है कि वर्तमान सरकार ने इस पायलट प्रोजेक्ट योजना पर कोई ध्यान नहीं दिया। मैं उदाहरण और तथ्यों के साथ इस बात को इस सदन में प्रमाणित कर दूंगा। पायलट प्रोजेक्ट मुख्य रूप से आईजीएनपी से डाइवर्ट होते हुए नोहर साहवा अर्थात चौधरी कुम्भाराम आर्य लिफ्ट परियोजना जिसका समुचा क्षेत्र 111458 हैक्टेयर है उसके 10 प्रतिशत अनुपात में 11888 हैक्टेयर में लागू की गयी। पूर्ववर्ती सरकार की मुख्य मंत्री वसुन्धराजी ने रामका, न्योलखा और थिराना माइनर में डिग्गी और फव्वारों की नीति से 8600 हैक्टेयर का काम पूर्ण कर दिया बाकी रेश्यों के अनुपात में आप घटाओगे तो लगभग 350 हैक्टेयर बचा है। उस बारे में सरकार ने कोई टिप्पणी नहीं की, सिर्फ 350 हैक्टेयर, 10 प्रतिशत के अनुपात में बाकी 90 प्रतिशत अनुपात की बात करना तो बहुत दूर की बात है।

सभापति महोदय, सीमित जल से अधिक क्षेत्र पैदावार हेतु एरिया खोला जाये, कम जल, कम खर्च, ज्यादा पैदावार और ज्यादा जमीन, इस सोच के साथ पायलट प्रोजेक्ट योजना की शुरूआत की गयी थी और जिन-जिन माइनरों में की गयी थी, जिन-जिन नहरों में की गयी थी, अगर मैं उनका उल्लेख करूं तो बहुत समय लग जायेगा परन्तु फिर भी मैं कुछ आंकड़े आपको बताना चाहूंगा। पूर्ववर्ती सरकार ने पायलट प्रोजेक्ट योजना के तहत 5 नहरों के उदाहरण के तौर पर 80 करोड़ रुपया खर्च किया गया था, ड्रिप और स्प्रिंकलर को बढ़ावा देने के लिए, मैं मानता हूं कि कुछ सदस्य इस बात पर जोर देंगे कि 80 करोड़ रुपये मुख्य रूप से केन्द्र सरकार के थे, पैसा चाहे किसी सरकार का हो उसको खर्च करने की सोच सरकार में होनी चाहिए। अगर वह पैसे केन्द्र सरकार के थे जो उस समय कांग्रेस की थी, वह आज भी कांगेस की सरकार है तो यह वर्तमान सरकार भी क्या संकोच कर रही है। सोच की सीमा है, क्यों ना हजारों करोड़ों रुपये लेकर ड्रीप और स्प्रिंकलर को बढ़ावा दिया जाये और हमारा राजस्थान स्टेट एक माडल स्टेट के रूप में आगे हो, ऐसी सोच हमारे यहां पर मंत्री और मुख्य मंत्री की होनी चाहिए। लेकिन मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि 80 करोड़ के अनुपात में इस बार परिवर्तित बजट में 8 रुपये भी नहीं दिये गये। जिन ठेकेदारों ने इन 80 करोड़ के काम किये थे, जिन्होंने लाइनिंग का काम किया था, लाइनें बिछायीं, बिजली भी इसमें उपयोग

(श्री अभिषेक मटोरिया)

की जाती है, डिग्गियां बनायीं ...(व्यवधान) टाइम हो गया, सारा ही पड़ा है अभी तो। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि समय सीमा उल्लंघन नहीं करूंगा।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): अभी तो ली अंगड़ाई है आगे और लड़ाई है।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): सभापति महोदय, बोलने दीजिये अभी तो शुरूआत ही हुई है।

श्री सभापति: अब तो विराजें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): सभापति महोदय, सबसे छोटा बच्चा है बोलने दें ना ...(व्यवधान)

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): सभापति महोदय, मैं समय का ध्यान रखते हुए जल्दी से जल्दी अपनी बात समाप्त करूंगा।

श्री सभापति: 35 माननीय सदस्यों को और इस वाद-विवाद में हिस्सा लेना है।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): सभापति महोदय, बिलकुल मैं आपकी बात से सहमत हूं।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): केवल दस मिनट, बड़े काम की टेक्निकल बात बता रहे हैं ...(व्यवधान)

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): सभापति महोदय, जो समय आपने दिया और जो सदस्य बाकी हैं उनके समय का ध्यान रखकर के पूरी कोशिश करूंगा कि आपने जो समय दिया उसमें अपनी बात समाप्त करूं।

श्री सभापति: बस वही, वही।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): 80 करोड़ के अनुपात में वर्तमान सरकार ने इस परिवर्तित बजट में 8 रुपये का प्रावधान नहीं किया। जिन ठेकेदारों ने अपनी एसोसिएशन बनाकर के करोड़ों रुपयों के काम किये उनका भुगतान नहीं हुआ। मैं ठेकेदारों का पक्षधर नहीं हूं लेकिन ठेकेदारों से इतनी बड़ी परियोजना को चालू करने के लिए हमने काम करवाये उनके भुगतान नहीं हुए। नये बजट में नये प्रावधानों की हम क्या बात करें।

सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि आंध्र प्रदेश, कर्नाटक,

(श्री अभिषेक मटोरिया)

महाराष्ट्र जैसे राज्यों में 1000, 1170 और 1500 करोड़ रुपये की योजनाओं के तहत 40 प्रतिशत से भी ज्यादा ड्रिप और स्प्रिंकलर को बढ़ावा दिया जाता है जहां वर्षा की कमी नहीं। राजस्थान में यह राष्ट्रीय स्तर का मात्र एक प्रतिशत, डेढ़ प्रतिशत, दो प्रतिशत पर है। उसके बावजूद इस वर्तमान सरकार ने ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम को बढ़ावा देने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की है। सभापति महोदय, मैं नया हूं और कहीं आंकड़ों के जाल में ना फंस जाऊं, मैंने सात बार इस बजट का अध्ययन किया। बाकी कामों की सभी माननीय सदस्यों ने अपने बजट भाषण में बात की। मैंने ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम के इस पायलट प्रोजेक्ट योजना को इस परिवर्तित बजट में खोजने की कोशिश की कि इसका पी मिल जाए पर बड़े अफसोस की बात है कि परिवर्तित बजट 2009-2010 के किसी भी पेज में, किसी भी पैरा में परिवर्तित बजट में किसी भी पेज या किसी भी पैरा में पायलट प्रोजेक्ट का 'पी' भी नहीं मिला। मिला तो सिर्फ प्रोत्साहन मिला, पैसा नहीं मिला। प्रोत्साहन मिला पर ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम को प्रोत्साहन दिया जाएगा, माननीय सभापति महोदय, प्रोत्साहन से कहां पेट भरता है, किसान आदमी तो पानी मांगता है, पानी मांगता है, प्रोत्साहन से उसका पेट नहीं भरेगा।

माननीय सभापति महोदय, अब मैं बात करना चाहूंगा आई.जी.एन.पी. की, गंग कैनाल और भाखड़ा की। आई.जी.एन.पी. का जलांक, फैक्टर आफ इर्रिगेशन साढ़े पांच क्यूसेक्स ओन एवरी वन थाउजेंड पर एकड़ क्यूसेक्स है और उसके विपरीत नोहर-साहवा का वन बाई फोर्थ पर थाउजेण्ड पर एकड़ है। जहां पानी की भयंकर कमी है, रेतीला रेगिस्तान है, इतना कम पानी होने के बावजूद फ्लो के माध्यम से वहां पानी पहुंचता है, वहां ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम को अगर बढ़ावा नहीं दिया जाएगा तो कहां दिया जाएगा?

माननीय सभापति महोदय, दस प्रतिशत की जो योजना लागू की थी उसको भी पूर्ण रूप से यह सरकार आगे बढ़ावा नहीं देना चाहती तो निश्चित रूप से मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि आप अपनी सोच को बदलिये, आने वाले बजट में अब तो बजट बन चुका है, मेरी सोच में तो शायद कोई ऐसे प्रावधान नहीं होंगे, अब इसमें ले लिया जाए, अगर जोड़ा जा सकता है तो निश्चित रूप से जोड़ा जाए नहीं तो कम से कम

(श्री अभिषेक मटोरिया)

अगले समय में इसको लिया जाए। पायलट प्रोजेक्ट, ड्रिप और फव्वारा डिग्गियों को बढ़ावा देने के लिए सरकार ऐसी योजना रखे। अगर हम वहां पर पानी नहीं पहुंचा रहे हैं जो आई.जी.एन.पी. और भाखड़ा के समीप है तो मैं कैसे उम्मीद करूं कि राजगढ़ और तारानगर और चूरू तक पानी पहुंचेगा, यह मेरी समझ से परे है।

माननीय सभापति महोदय, आई.जी.एन. पर अगर मैं बात करूं तो जितनी लम्बी नहर है उतनी लम्बी बातें हो जाएंगी लेकिन वह टोपिक कभी खतम नहीं होगा। मैं संक्षेप में आपको बताना चाहूंगा कि पश्चिमी राजस्थान में हनुमानगढ़ जिले से होते हुए बीकानेर और गंगानगर को सम्मिलित करते हुए यह जैसलमेर में खतम होती है। बहुत सारे माननीय सदस्यों को इस बात का पता भी नहीं होगा कि पहला फैज क्या है, दूसरा फैज क्या है, बी.वी.एम.बी. क्या है, सी.ए.डी. क्या है, सी.सी.ए. क्या है, लेकिन आप जिस क्षेत्र के हैं, उस क्षेत्र का आपको नॉलेज होना चाहिए। 18 हजार क्यूसेक्स की यह नहर मात्र दस से बारह हजार क्यूसेक्स पानी ड्रा कर रही है। इसकी रिपेयर में हजारों करोड़ रुपए खर्च हो गए लेकिन अभी अप्रैल माह में हमें क्लोजर मिला था, दो तीन सालों में ऐसा मौका मिलता है जब दोनों-तीनों सरकारें सहमत होती हैं, तब यह क्लोजर प्राप्त होता है, इसलिए प्राप्त होता है कि इसकी रिपेयर, रखरखाव और जीर्णोद्धार हो जाए। उस समय सरकार कहां सोई हुई थी, क्लोजर के समय नहरों को ठीक करने के लिए एक रुपया नहीं लगाया। मुझे बड़ी हैरानी हुई और समझ ही नहीं आया कि सरकार कहां चली गई। बाद में रिजल्ट आया तो पता चला सारे लोक सभा चुनाव में लगे हुए थे। माननीय सभापति महोदय, जब लोक सभा के चुनाव हुए थे तब क्लोजर की किसको कहां फिक्र थी, क्लोजर में इसको ठीक किया जाता तो हमारा हजारों क्यूसेक्स पानी जो लोसेज में जाता है वह आज बच जाता, ऐसी स्थिति हमारी नहीं होती।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सम अप करें, अभी 35 माननीय सदस्यों को और बोलना है।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): माननीय सभापति महोदय, जल्दी से जल्दी मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। आखिरी पन्ना है।

टी.एफ.सी. की राशि पूर्ववर्ती सरकार ने 2 साल पहले क्रोस रेगूलेटर

(श्री अभिषेक मटोरिया)

मंजूर किया था, 108 नम्बर बुर्जी, गांव खोड़ा रावतसर के समीप है, मात्र दस बारह करोड़ रुपये का क्रोस रेगूलेटर नोहर साहवा सिंचाई परियोजना जो साढ़े चार सौ-पांच सौ करोड़ रुपये की लागत से बनी हुई है, वह उसके ऊपर निर्भर करती है। क्रोस रेगूलेटर का यह काम है कि जो लोसेज हो, जो वाटर फ्लो बैक मारता है, जो पानी सही रूप से आगे नहीं पहुंच पाता है, डाइवर्ट और कंवर्ट करने के लिए उस क्रोस रेगूलेटर को माननीय वसुन्धरा राजेजी ने मंजूर किया था जब वह दो साल पहले उस दौरे में वहां गई थीं। दुःख की बात सुनिये माननीय सभापति महोदय, इस क्रोस रेगूलेटर के बारह करोड़ रुपये में से हमारे यहां सक्षम अधिकारी बैठे हैं, डेढ़ करोड़ रुपये, दो करोड़ रुपये आसान कार्यों में, मिट्टी के कार्यों में खर्च कर दिए। मैं यह कहते हुए बिलकुल संकोच नहीं करूंगा कि बचत के कार्यों में वह डेढ़ और दो करोड़ रुपये जो बचे हुए थे दस करोड़ रुपये में से उसके नाम पर खर्च कर दिए। मैं आई.जी.एन.पी. के अध्यक्ष से भी मिला था, डिजाइन और ड्राइंग के नाम पर वह कागज अभी भी वहां फाइलों के अन्दर पड़े हैं, सड़ रहे हैं, उन कागजों की कोई देखरेख नहीं है। अगर 2010 तक इस टी.एफ.सी. की राशि इसे नहीं लगाया गया तो यह पैसा वापस केन्द्र सरकार ले लेगी। दस करोड़ रुपये जब आपके वापस चले जाएंगे तो सरकार बाद में कहेगी कि यह पैसा वापस चला गया, एक करोड़ तो मिलता नहीं है, दस करोड़ रुपए जब वापस चले जाएंगे तब सब रोते रह जाएंगे। मात्र दस करोड़ रुपये के अभाव में यह नोहर साहवा सिंचाई परियोजना जो साढ़े चार सौ करोड़ रुपये की है, वह लटकी पड़ी है और दस-बारह करोड़ रुपये में से सिर्फ डेढ़ करोड़ रुपये का मिट्टी का काम हो गया बाकी सारा अधूरा पड़ा है, कमाल की बात है।

माननीय सभापति महोदय, अन्त में मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि मरुस्थली इलाका, जहां सबसे ज्यादा भयंकर रूप से अकाल पड़ता है, पल्लू क्षेत्र में, वहां पूर्ववर्ती वसुन्धरा राजेजी की सरकार ने सुई ब्रांच बनाई थी 45 किलोमीटर लम्बी यह ब्रांच 63 किलोमीटर पर शुरू होती है, तीसरे पम्पिंग स्टेशन से इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ उसको 45 में से 25 किलोमीटर बना दिया गया, शेष बची 20 किलोमीटर किन्हीं अपरिहार्य कारण से वापस रोक दी गई। परन्तु मैं निवेदन करना चाहता हूं माननीय मंत्रीजी से कि उसका अधिकांश हिस्सा मेरी खुशकिस्मती है कि लूणकरणसर से आने वाले माननीय सदस्य यहां विराजमान हैं उनके गांव

(श्री अभिषेक मटोरिया)

जैतपुरा रामबाग और खड़ोला से होते हुए निकलती है, 12 किलोमीटर का क्षेत्र पल्लू और 8 किलोमीटर का लूणकरणसर विधान सभा क्षेत्र में यह ब्रांच बननी है। जिन लोगों ने कल्पना भी नहीं की थी कि यहां नहर आएगी, वहां 25 किलोमीटर की नहर बन चुकी है, 20 किलोमीटर बनने के अभाव में वह 25 किलोमीटर की नहर भी खराब हो जाएगी, 20 किलोमीटर नहर बन नहीं रही, सिर्फ 20-25 करोड़ रुपए लगने हैं माननीय सभापति महोदय, कितनी बड़ी नहर बन जाएगी और लोगों को पीने का पानी उपलब्ध हो जाएगा। मेरा माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि इस सुई ब्रांच पर गौर फरमायें। माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, जो बात मैंने बताई, मैं उम्मीद करूंगा कि सरकार उसको सुझाव के रूप में मानेगी।

श्री सभापति: श्री बृजेन्द्र सिंह ओला।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): माननीय सभापति महोदय, दो सुझाव तो रह ही गये। आई.जी.एन.पी. में आज 1100 से ऊपर पद रिक्त पड़े हैं, सरकार उनको भरने की कृपा करे। फोन के द्वारा अधिकारियों से जो जानकारी ली जाती है वह सूचना उसी तरह मंत्रीजी तक पहुंचती है जो टेल तक पानी पहुंचते-पहुंचते बूंद-बूंद लटक-लटक कर, वहां से सूचना फोन पर नहीं लेकर क्षेत्र में जाकर ली जाए तो बढ़िया होगा।

आज रेगूलेशन में हम लोगों को बुलाकर मूर्ख बनाया जाता है। रेगूलेशन तय होता है बीकानेर में, कमिश्नर तय करते हैं, हमें परामर्शदात्री मीटिंग में बुलाया जाता है, बिस्किट, लड्डू खिलाकर वापस भेज दिया जाता है। रेगूलेशन में सरकार अपने हिसाब से बनाती है, परामर्शदात्री समिति में हमको इतना अधिकार होना चाहिए कि कम से कम रेगूलेशन में हम अपनी बात रख सकें। माननीय सभापति महोदय, कण्ट्रोल और पानी चोरी की जो समस्या है, हमारे राजस्थान में उसका हैड, कंट्रोल पंजाब वाले करते हैं, हमारी कोई सुनवाई नहीं होती है, उसमें भी राज्य सरकार का कुछ हिस्सा होना चाहिए। आई.जी.एन.पी., गंग नहर व भाखड़ा क्षेत्र के लिए जो 518 करोड़ की योजना जो इस सरकार ने भेजी ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप सम अप करें।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर): अन्त में मैं अपनी बात समाप्त करने से पहले यह कहना चाहता हूं कि नरेगा के माध्यम से इन नहरों की सफाई, सुदृढ़ीकरण और मरम्मत के लिए सरकार गौर फरमाये। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापतिः श्री बृजेन्द्र सिंह ओला।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या-46 जो सिंचाई, इन्दिरा गांधी नहर सहित है उसमें अपने विचार प्रकट करने के लिए मुझे समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं उस जिले से आता हूं जहां का पानी बहुत नीचे चला गया है अधिकांश ब्लाक हमारे डार्क जोन में है और वह भी अलार्मिंग डार्क जोन में है। यहां 8 ब्लाक हैं जिनमें से 7 ब्लाक डार्क जोन में है और 1 ब्लाक डार्क जोन में नहीं है लेकिन वह डार्क जोन से भी खराब है क्योंकि वहां का पानी बहुत खारा है, उसको पशु भी नहीं पी सकते। इसी परिप्रेक्ष्य में हमारा जिला है, यह रेगिस्तानी क्षेत्र में भी आता है। 1994 की 12 मई को 5 स्टेट्स के बीच में यमुना जल के बारे में समझौता हुआ, उस समझौते के फलस्वरूप मार्च, 1995 में अपर यमुना बोर्ड का गठन किया गया, उस अपर यमुना बोर्ड ने कई मीटिंगें करके, अपनी 22वीं मीटिंग में राजस्थान को 3198 क्यूसेक्स पानी यमुना जल से देने का अलोकेशन किया और उस 3198 क्यूसेक्स में से 1917 क्यूसेक्स ताजेवाला हैड से देने का निश्चय हुआ तो ताजेवाला हैड से पानी आना था। यह झुन्झुनूं और चूरू जिलों के लिए था कई बार डिलेवरेशन चलता रहा, चर्चाएं चलती रहीं, संयुक्त निरीक्षण केन्द्रीय वाटर बोर्ड के नेतृत्व में किया गया, हरियाणा में कि पानी किस तरीके से झुन्झुनूं और चूरू जिले में पहुंचे। एक संयुक्त निरीक्षण में हरियाणा के अधिकारी भी थे, राजस्थान के अधिकारी भी थे और सेंट्रल वाटर कमीशन के अधिकारी भी थे। उनके संयुक्त निरीक्षण के बाद दोनों स्टेट अपनी बात करते रहे पर सेंट्रल वाटर कमीशन के अधिकारियों ने यह व्यू लिया

कि पश्चिमी यमुना कैनाल, ओल्ड दिल्ली कैनाल, जवाहरलाल नेहरू फीडर और लुहारू कैनाल इसको लेते हुए, इसको मजबूत करते हुए इससे पानी झुंझुनूं और चूरू के लिए आये और 50 किलोमीटर नई नहर बनायी जाए। पुरानी नहरें 270 किलोमीटर है उनको काम में लिया जाए और 50 किलोमीटर नयी नहर बनायी जाए, यह सेंट्रल पावर कमीशन ने अपना व्यू लिया। नौ साल गुजर गये अचानक 2005 में हरियाणा यमुना वाटर बोर्ड में रिव्यू के लिए चला गया और रिव्यू में जाकर यह कहा कि हम इस समझौते से जो हुआ था उससे सहमत नहीं हैं। उस रिव्यू में गये तो कमेटी बनायी गयी। उस कमेटी की चार-पांच मीटिंग हुईं उसमें सेंट्रल वाटर रिसोर्स सेक्रेट्री उसके चेयरमैन थे, राजस्थान के वाटर रिसोर्स सेक्रेट्री उसके मेम्बर थे, हरियाणा के वाटर रिसोर्स सेक्रेट्री उसके मेम्बर थे उसमें हरियाणा ने यह व्यू लिया कि राजस्थान पश्चिमी

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

यमुना का एक किनारा लेते हुए ओल्ड दिल्ली कैनाल का एक किनारा लेते हुए और जवाहरलाल नेहरू कैनाल का एक किनारा लेते हुए एक नयी नहर बना ले जो किसी तरह से प्रेक्टिकल नहीं है। अलबत्ता नई नहर ऐसे इलाकों में से आ गई वो कई जगह शहरों में से है, गांवों में से है उसके लिए जमीन ही उपलब्ध नहीं होगी, किसी तरह जमीन उपलब्ध हो जाएगी तो बहुत सारा खर्चा उसके लिए बढ़ जाएगा। इस तरह से उस बात के लिए हरियाणा आ गया, उसके बाद उस रिव्यू कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दे दी और उसमें भी एकमत नहीं हुए। पांचवी मीटिंग के बाद अपनी ड्राफ्ट रिपोर्ट दे दी और उसके बाद फाइनल रिपोर्ट दे दी। उसके बाद हरियाणा अपना हर बार स्टेंड बदल रहा है उसका कारण है हरियाणा 15 साल से हमारे पानी का उपयोग कर रहा है और जो व्यक्ति किसी चीज को उपयोग कर रहा है उसको छोड़ने में बहुत तकलीफ होती है। हरियाणा ने बार-बार अपना स्टेण्ड बदला। हम मिले, चौटालाजी मुख्य मंत्री थे, उन्होंने कहा, हां, अपनी भाषा में उन्होंने कहा, "थारो पाणी थानै दे देस्यां, म्है एक बूंद ही कौणी राखां", पर देने के नाम पर कुछ नहीं दिया। यह जरूर है कि चौटालाजी अपर यमुना बोर्ड में नहीं गये, अपर यमुना बोर्ड में फरवरी, 2005 में हुड्डा साहब मुख्य मंत्री बने और नवम्बर, 2005 में हुड्डाजी गये अपर यमुना बोर्ड में। इसलिए गये कि किसी भी तरह टेक्टिस अपनाकर डिले किया जाए।

सभापति महोदय, 15 साल हो गये, 1994 को, उस समय का पानी आज तक नहीं मिला। मैं जिस जिले से आता हूं वह सबसे ज्यादा सैनिक देता है, शहीद है और चूरू जिले के जिस एरिया को यह पानी जाना है वह भी खारा पानी का एरिया है। यह सब बातें हुईं।

सभापति महोदय, पिछली जो हमारी कांग्रेस सरकार थी उसने राज्यपाल का अभिभाषण, उस सरकार का यह अन्तिम अभिभाषण था, अंशुमान सिंहजी राज्यपाल थे, पैराग्राफ 33 में राज्यपाल महोदय ने इस सदन में यह कहा कि अपर यमुना मण्डल द्वारा 21 दिसम्बर, 2001 को राजस्थान के कुल यमुना जल का 2198 क्यूसेक्स जल भरतपुर, झुंझुनूं एवं चूरू में उपयोग हेतु परियोजना की स्वीकृति देने के उपरांत केन्द्रीय जल आयोग की तकनीकी सलाहकार समिति द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई। उसके बाद माननीय तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य यहां नहीं विराज रहे हैं, यहां डीग से आने वाले माननीय सदस्य भी नहीं विराज रहे हैं, पांच साल में सरकार के किसी भी

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

डाक्यूमेंट में इस योजना का कहीं कोई नाम नहीं आया। मुझे खेद है कि इस बार फिर हमारी सरकार आई और माननीय सिंचाई मंत्रीजी से आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इस बार भी कहीं भी यमुना के पानी का न तो बजट में जिक्र है, न राज्यपाल के अभिभाषण में जिक्र है, न सिंचाई विभाग की रिपोर्ट में कोई जिक्र है। सभापति महोदय, हम हमारे हिस्से के पानी के लिए इस तरह लापरवाह रहेंगे तो देने वाला हमको क्यों देगा?

हरियाणा के मुख्य मंत्री यहां जून में आये और दूसरे दिन एक वक्तव्य दे दिया कि सिंचाई सचिव इस पर विचार करेंगे। सभापति महोदय, सिंचाई सचिव तो पहले ही इस पर विचार कर चुके हैं जब यह हरियाणा रिव्यू के लिए गया, पर ठीक है दुबारा सचिव ये विचार कर रहे हैं। मेरा सिंचाई मंत्रीजी से अनुरोध है कृपा करके वे इस मसले को सिंचाई सचिवों की जो कमेटी बनायी है उसको जल्दी से जल्दी उसका फैसला करवाएं। हरियाणा बार बार अपना स्टेण्ड बदल रहा है, कभी वो कह रहा है कि कैनाल साथ-साथ बना ले, कभी कह रहा है यह कर ले। अब उन्होंने एक शगूफा छोड़ा है, एक मऊ गांव है वहां से आप पानी ले लो, वहां बैराज बन जाएगा। न नौ मन तेल होगा, न राधा नाचेगी। न बैराज बनेगा और न राजस्थान को पानी मिलेगा।

हरियाणा में भी कांग्रेस की सरकार है, दिल्ली में यूपीए कांग्रेस नीत सरकार है और राजस्थान में भी कांग्रेस की सरकार है। माननीय जल संसाधन मंत्री के मुझे जानकारी है वहां के सिंचाई मंत्री से अच्छे सम्बन्ध हैं। हरियाणा के मुख्य मंत्रीजी से हमारे मुख्य मंत्रीजी के अच्छे सम्बन्ध हैं। वे जब कांग्रेस के महामंत्री थे और वहां विधायक दल की मीटिंग हुई तो वे उनको चुनवाकर लाये थे, भूपेन्द्र सिंहजी चुने गये थे। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप अपने प्रभाव का उपयोग करें। राजस्थान के हिस्से का पानी यमुना का हरियाणा यूज कर रहा है उसको झुंझुनूं जिले में लाएं, चूरू जिले में लाएं, भरतपुर में लाएं।

तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य उस सरकार में मंत्री थे, डीग से आने वाले माननीय सदस्य भी मंत्री थे, मुझे यह बता देते तो अच्छा होता यह सब बातें तो रिकार्ड की थी कि इस दिन समझौता हुआ, इस दिन यह हुआ, इस दिन यह हुआ। वो यह बताते कि तत्कालीन राज्य सरकार ने क्या क्या प्रयत्न किये। मैं आपके माध्यम से इस सदन के ध्यान में लाना चाहूंगा

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, एक मिनट में करता हूं।

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

यूपीए के शासन में चार सिंचाई मंत्री हुए, पी.आर. दास मुंशी ने हरियाणा सरकार को लिखा, संतोष मोहन देवजी थे उन्होंने हरियाणा सरकार को लिखा, सैफुद्दीन सौज साहब ने हरियाणा सरकार को लिखा। बार-बार उनको लिखा, पर राजस्थान सरकार ने क्या प्रयत्न किये यह पूर्व मंत्री महोदय बताते तो उचित रहता। अब मेरा वर्तमान मंत्री महोदय से निवेदन है कृपा करके आप यमुना के पानी को लाएं और जिस तरह भगीरथ को गंगा को लाने के लिए श्रेय मिला था उस लिहाज से मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं कि यमुना का पानी लाएं और झुंझुनूं के लिए आप भगीरथ की भूमिका निभाएं, धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापतिः श्री रामस्वरूपजी कसाना।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): यमुना का पानी लाने के लिए श्रीमान शीशरामजी बहुत वर्षों से कहते आ रहे हैं, बृजेन्द्रजी आप भी कह रहे हो, कितनी पीढ़ी तक आपकी बात सुनेंगे?

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): साफ बात तो नहीं कह रहे ना।

श्री रामस्वरूप कसाना (कोटपूतली): माननीय सभापति महोदय, अनुदान मांग संख्या-46 सिंचाई पर मैं अपने विचार रखना चाहता हूं। सभी सदस्यों ने अपने-अपने सुझाव दिये, मैं भी अपने सुझाव देना चाहूंगा।

सिंचाई मंत्री महोदय से मैं निवेदन करना चाहूंगा कि सिंचाई की बजाय मेरे क्षेत्र कोटपूतली में पीने के पानी की समस्या होने के कारण खासतौर से आप हमारे को पीने के पानी के लिए विशेष रूप से ऐसी योजनाएं दें जिससे कम से कम सिंचाई की बात तो छोड़िए, मैं तो यही कहना चाहूंगा कोटपूतली में पीने के पानी की समस्या न हो इसके ऊपर आप विशेष ध्यान दें, अधिक से अधिक हैण्ड पम्प दें। हम बार-बार आपसे यही निवेदन करेंगे सिंचाई की नहर की बात है उस योजना के लिए तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि अभी तो लोग कह रहे थे, मेरे साथी सदस्य कह रहे थे कि दौसा तक चम्बल नदी का पानी आएगा। गलती से चम्बल नदी का पानी दौसा तक आये तो मैं अनुरोध करूंगा कि उसको आप कोटपूतली तक पहुंचाएं यदि गलती से आ जाए तो। मैं तो सिर्फ आपसे इतना ही निवेदन करना चाहूंगा कि आप कोटपूतली में पानी की योजना जो भी सरकार बनती है उसका दायित्व होता है कि वह सरकार प्रत्येक नागरिक को पीने का पानी का उपलब्ध करवाए। इसके लिए हमने काफी योजनाएं पिछली दफा भी सरकार के माध्यम से रखीं और अभी

(श्री रामस्वरूप कसाना)

भी आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि जो पीने के पानी की सबसे बड़ी समस्या है, मेरा क्षेत्र कोटपूतली अधिकतर ग्रामीण गांवों में बसा हुआ है और वहां पर पीने के पानी की इतनी भयंकर समस्या है कि वहां पानी पीने के लिए दूर-दूर तक लोगों को जाना पड़ता है। मैं तो आपसे यही अनुरोध करूंगा कि आप कम से कम एक गांव में एक हैंडपम्प की व्यवस्था तो कराएं ताकि पीने के पानी के लिए तो लोगों को माननीय सिंचाई मंत्री महोदय, कृपया थोड़ा सा सुन लो, सिर्फ मैं सिंचाई की बात और सिंचाई की मांग नहीं करूंगा मैं तो सिर्फ पीने के पानी की ......(व्यवधान) हैंडपम्प के माध्यम से मेरे क्षेत्र में मेरे कोटपूतली के अन्दर देवता, बनार, दांतिल, बनेठी यह ऐसा जोन है जहां पानी लगभग हजार मीटर गहराई तक नहीं मिलता और सरकार की तरफ से जो हैंडपम्प योजना है, अगर उस योजना के तहत हम हजार फीट, उस योजना के तहत मैं यह चाहूंगा कि जो सरकार की तरफ से हमें हैंडपम्प मिलते हैं, वह अधिकतर हैंडपम्प नाकारा साबित हुए हैं, फिलहाल कोटपूतली के गांवों में मुख्य रूप से पानी की सबसे भारी समस्या है। इस पर आप विशेष ध्यान देकर पीने के पानी की व्यवस्था कराएं और जो कोटपूतली क्षेत्र के अन्दर सबसे ज्यादा फ्लोराइड की मात्रा पानी के अन्दर फ्लोराइड की मात्रा है तो शहर में खास तौर पर कोटपूतली जो नगरपालिका क्षेत्र है उसमें आप विशेष तौर पर पानी के लिए हमारे को विशेष राशि दें ताकि कोटपूतली नगरपालिका क्षेत्र में आए दिन हमारे यहां कोई ऐसी बड़ी समस्या नहीं, सबसे बड़ी अगर कोई समस्या है कोटपूतली नगरपालिका क्षेत्र में तो वह पीने के पानी की समस्या है ......(व्यवधान) नहीं, नहीं, आराम से, घबराने का काम नहीं है। मुख्य रूप से जहां नगरपालिका क्षेत्र में आये दिन एक वार्ड में अगर एक दिन पानी पहुंचता है तो दूसरे वार्ड में दूसरे दिन पानी नहीं पहुचता पाता है। तो मैं सभापति महोदय, आपके माध्यम से सिंचाई मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि कोटपूतली नगरपालिका क्षेत्र को सिंचाई के बजाय पीने के पानी के लिए विशेष राशि स्वीकृत करें ताकि कोटपूतली के नागरिकों को पानी मिल सके, पीने के लिए, सिंचाई के लिए नहीं, सिर्फ पीने के लिए, इसी कोटपूतली में, जहां सभी लोग अपनी-अपनी बात कह रहे हैं, मैं भी किसानों को सिंचाई की बात तो हम तब करेंगे, सभापति महोदय, जब वहां हमारे क्षेत्र में पीने का पानी उपलब्ध हो इसलिए आप तो सिंचाई पर इतना ध्यान न देकर सिर्फ पीने के पानी पर कोटपूतली विधान सभा क्षेत्र में तो पीने के पानी के ऊपर विशेष

(श्री रामस्वरूप कसाना)

ध्यान दें ताकि कोटपूतली के नागरिकों को पीने के पानी की कोई समस्या न हो। जय जवान, जय किसान।

श्री सभापति: श्री जसवंतजी यादव।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सभापति महोदय, आपने व्यवस्था दी थी छात्रों की चिंता मिटाने के लिए, उच्च शिक्षा मंत्री उनकी चिंता मिटा दें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपने जो प्रश्न उठाया था, मंत्रीजी खुद यहां पर सदन में उपस्थित रहे, आसन ने उनको समय नहीं दिया, उनकी स्लिप भी आ गई कि मैं वक्तव्य देना चाहता हूं, वे वापस आ रहे हैं और शीघ्र ही आकर अपना वक्तव्य देंगे।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): सभापति महोदय, 46वीं मांग संख्या के अन्दर मैं भी अपने आपको सिंचाई में सम्मिलित कर रहा हूं आपके माध्यम से। अभी दिन भर हो गया सुनते हुए और बजट का पूरा वह भी देखा। मेरे ख्याल से इर्रिगेशन का जो पैसा है, राजस्थान के 80 परसेंट हिस्सों में तो कुछ लग ही नहीं रहा है, केवल 20 परसेंट हिस्सों में लग रहा है और जिस जिले से मैं आता हूं, अलवर जिला, दौसा, जयपुर, झुंझुनूं में, मैं देख रहा था, इन जिलों में तो शायद इर्रिगेशन के नाम पर कुछ है ही नहीं। ऐसा लग रहा है कि किसान रहते हैं कि नहीं रहते हैं, उनकी सिंचाई की जरूरत है कि नहीं है और सरकार चारों तरफ ध्यान दे, पूरे राजस्थान के विकास पर ध्यान दे, हर व्यक्ति पर ध्यान दे, तभी उपलब्धि होती है। आज मेरा अपना जिला है, सबसे ज्यादा मंडी टैक्स देता है, सबसे ज्यादा सेल्स टैक्स देता है और इनकम टैक्स भी देता है, एक्साइज टैक्स भी देता है और देश के लिए भी सबसे ज्यादा शहादत इन्हीं जिलों के अन्दर है जिसमें हमारा जिला भी नम्बर एक है। आज झुंझुनूं, अलवर एक ही है, मैं तो पहले ही आपने तो लिया नहीं अलवर का नाम पर मैंने तो झुंझनूं का पहले ही ले दिया और इर्रिगेशन के नाम पर सरकार पैसा जो बजट खर्च कर रही है, वह जीरो है। कोई प्लान ही नहीं है, कोई योजना ही नहीं है। आज मेरे जिले को खास कर मेरे विधान सभा क्षेत्र को और जिले को डार्क जोन घोषित कर दिया। यह काला कानून तो लगा दिया पर एक बार भी यह सोचा है कि वहां के किसानों को भी जीने का हक है, अपने बच्चों को पालने का हक है, उन्हें भी खेती करने का हक है, वह भी

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

अपने आपको जिंदा रखना चाहते हैं, इसका कोई आल्टरनेटिव उपाय नहीं है, कह दिया कि साहब, कोई सिंचाई नहीं करेगा ......(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): आप तो डाक्टर हो, बताओ कोई उपाय।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): मैं आपको बताऊंगा कि आपमें क्षमता है, केवल बोलने के अलावा कर सकते हो तो आपके हाथ में बहुत कुछ है।

डार्क जोन के लिए सख्त जरूरत है कि वाटर हारवेस्टिंग रिचार्ज हो जाए। अभी माननीय मंत्री महोदय हमारे उद्योग मंत्रीजी बोले। उद्योग मंत्रीजी, अगर आपमें क्षमता है, आपका एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा है, आप कुछ कर सकते हो तो काफी गांवों को तो सिंचाई के लिए आप पानी दे सकते हो। मेरे यहां उद्योगों के अन्दर इतना पानी निकलता है लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आपकी कमजोरी की वजह से वहां के उद्योगपति उस वाटर जो उनकी फैक्ट्रियों से ट्रीटमेंट प्लांट लगे हुए हैं, वह नाम मात्र के हैं, एक भी काम नहीं कर रहे हैं, दूषित पानी छोड़ते हैं, अगर आप सख्ती करें और इण्डस्ट्रियलिस्ट को इस बात के लिए बाध्य करें कि तब तक उद्योग नहीं चलेंगे जब तक पानी के ट्रीटमेंट प्लांट को सही रूप से नहीं चलाएंगे, उसका उपयोग सही नहीं करेंगे तो वह पानी कम से कम भिवाड़ी का जो चारों तरफ भरा हुआ है, गंदा भी पानी है, दूषित भी है, एसिड भी है उसके अन्दर जहरीली और भी चीजें हैं, वह पानी सौ गांवों को आबाद कर सकता है। अब यह उपाय आपको बता दिया है, यह आपकी क्षमता है कि आप कितने दिन में कर सकते हो उसको पर मैं जानता हूं आप करोगे नहीं क्योंकि केवल आप बोलते हैं, एक मिनट में आपको दवाइयां बता दीं ......(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): आपको तो समाधान पूछा था, आपने तो समस्या बता दी।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): समाधान बताया है कि उद्योगपतियों पर अंकुश लगाइए कि वह अपने ट्रीटमेंट प्लांट में पानी को ठीक करके छोड़ें।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): मैं तो यह समझ रहा था कि आप डाक्टर हो, इसका कोई न कोई इलाज करोगे, बजाय इलाज बताने के आपने तो बीमारी खुद बता दी।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): अब मंत्रीजी के समझ में नहीं आ रहा है तो मेरे पास तो कोई उपाय है नहीं उसका ......(व्यवधान) मंत्रीजी की समझ में अगर नहीं आए तो।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): उद्योग मंत्रीजी, पानी का ट्रीटमेंट तो कब करेंगे, 20 साल हो गये भिवाड़ी को औद्योगिक क्षेत्र बने हुए, उसका जो वेस्ट पानी है, जो जहरीला पानी है।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): उसी का कह रहा हूं।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): उसमें रीको की तरफ से सिर्फ दो करोड़ मांगे थे, 20 साल में दो करोड़ ही नहीं दिये, उस पानी का ट्रीटमेंट कहां करवाएंगे?

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): पर उद्योग मंत्रीजी, यह कहने की बात नहीं है, हकीकत में कुछ आप करके दिखाओ, केवल आपको तो बोलने की बीमारी है और कर कुछ सकते नहीं हैं।

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): आपसे हमको बहुत उम्मीद है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ऐसा है, सभापति महोदय, जब किसी डाक्टर से इलाज नहीं होता तो उसको रैफर कर देते हैं तो मैं इनको कह रहा हूं इनको रैफर करें।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड): कर दिया एक मिनट में। इसी तरह से जैसा हकीकत है कि राजस्थान को बचाना है, सभापति महोदय, अब आप घंटी नहीं बजायेंगे क्योंकि टाइम मेरा नहीं कट रहा है इन सब का कट रहा है। सभापति महोदय, राजस्थान को बचाना है तो सरकार को अपनी इच्छा शक्ति जगानी पड़ेगी और इसके लिए बहुत सख्ती से कानून लागू करना पड़ेगा ड्रिप सिस्टम का और स्प्रिंकलर सिस्टम का और वो जब लागू हो सकता है जब सरकार ड्रिप सिस्टम और स्प्रिंकलर सिस्टम पर सब्सिडी बढ़ा दे जिससे किसान के अन्दर उसके प्रति अट्रेक्शन हो, वो उसको एडाप्ट कर ले, इसका प्रचार-प्रसार हो। आप सभी इस बात को जानते हैं, पानी का आज से नहीं हो रहा है, वाकई में तीसरा युद्ध होना है तो पानी पर ही होना है तो इस राजस्थान को बचाने के लिए सरकार और कुछ करे या नहीं करे, मैं जानता हूं कि सरकार कुछ करने वाली नहीं है पर फिर भी अगर सरकार किसान को बचाना चाहती है तो ड्रिप सिस्टम को कानूनी जामा पहनाये और उसके ऊपर सब्सिडी बढ़ाये जब राजस्थान के अन्दर पानी की समस्या का काफी समाधान हो सकता है।

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

इसी तरह से अलवर के लिए क्या योजना है यह मंत्रीजी बता नहीं सकते। मैंने मंत्रीजी से पूछा कि अलवर के लिए भी कोई योजना है, फिर मैंने इर्रिगेशन के चीफ सैक्रेटरी साहब से भी पूछा है कि कोई योजना है तो कहा कि साहब, अलवर के लिए कोई योजना नहीं है। क्यों साहब, अलवर राजस्थान का हिस्सा नहीं है क्या? अलवर को जीने का हक नहीं है क्या? अलवर के अन्दर जितनी सरसों पैदा होती है, पूरे राजस्थान में जिन इलाकों को आप आबाद कर रहे हो उन इलाकों में जिन्दगी भर उतनी पैदा नहीं ले सकते जितनी कि अलवर के अन्दर अगर सिंचाई की व्यवस्था सही कर दो तो आप एक बार में ले सकते हो। पर राजनीतिक कमजोरी की वजह से मैंने देखा है कि जहां मैं इस सदन में भी देखता आ रहा हूं कि अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, झुन्झुनूं, सीकर, इन जिलों के विधायकों को तो एक होकर मजबूती से इस सरकार के साथ लड़ना पड़ेगा तब कुछ कर सकती है नहीं तो यहां पर किसान तो बिल्कुल खतम हो लिया है।

श्री ओम जोशी (फलौदी): जैसलमेर, बाड़मेर और जोधपुर, वो भी एक हो जाएंगे। पानी के लिए लोग तरस रहे थे और आज भी तरस रहे हैं।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): जब हम सब एक हैं और किसान को बचाना चाहते हैं और किसान के हित की बात करना चाहते हैं तो सर्वसम्मति से क्यों न हम यह कहें चाहे और कहीं कटौती करनी पड़े पर स्प्रिंकलर और ड्रिप सिस्टम के ऊपर 80 प्रतिशत सब्सिडी कर दी जाए। इस मामले में मैं भी, आप भी, सब किसान हैं और किसान के नाम पर जीतकर आते हैं। किसान का भला चाहते हैं तो सारा सदन अगर एक हो जाए तो मेरे ख्याल से किसान को सब्सिडी देने में कोई दिक्कत नहीं आयेगी और पानी की समस्या का भी काफी समाधान हो जाएगा।

इसी तरह से स्टेट टाइम के अन्दर जो बांध अलवर में बने हुए हैं उन पर कोई पैसा नहीं लगा रहे हैं और वो बांध टूटे पड़े हैं, उनकी कोई योजना नहीं है। (व्यवधान) क्या कह रहे हो काका? सुधरे ही नहीं, सुधारे नहीं, पैसा ही नहीं दे रहे हैं, एक पैसा भी लगाना नहीं चाहते। अगर आज उन्हीं बांध की मरम्मत करवा दें, उन्हीं में आगे नहर बनवा दें, उन्हीं के नालों को ठीक करवा दें तो भी काफी समस्या का समाधान हो जाए। जब भरतपुर के लिए आप यमुना नहर की बात कर रहे हैं तो पहले तो जो रूपारेल नदी का पानी भरतपुर

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

में जाता है उसको अलवर की अलवर में रहने दिया जाए और केवल हाई-कोर्ट की बात नहीं करके सरकार चाहे तो उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर के बदलवा सकते हैं इससे अलवर के अन्दर भी काफी समस्या का समाधान हो जाएगा। (व्यवधान) सभापति महोदय, कसानाजी, आप बोले तब मैं चुप था, आप भी चुप रहो। रघु शर्माजी, आपके क्षेत्र की तो और भी बहुत ज्यादा हालत खराब है। आपके क्षेत्र की तो और भी ज्यादा हालत खराब है।

श्री सभापति: आधे सदस्य भी अभी तक नहीं बोल पाये, स्थिति आप खुद देख लो।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): आपके क्षेत्र की तो और भी ज्यादा हालत खराब है। आप तो सरकार में बैठे हैं, मंत्री बनने के चक्कर में ताली बजाते रहते हैं अब देखो नम्बर आयेगा या नहीं आयेगा वो तो ऊपर वाला जाने। इस तरह हमारे एक-एक क्षेत्र को अगर देखा जाए तो जब तक एनीकट्स नहीं बनायेंगे, खाली नरेगा वाले एनीकट हमारे यहां नहीं चलेंगे क्योंकि वह तो पानी आता है और बह जाते हैं। इतने बांध थे हमारे अलवर जिले के अन्दर, उनको एक बार सही तरीके से कर लिया जाए तो अलवर जिला ही नहीं होगा, अलवर जिला पड़ौसी जिलों को भी पानी दे सकता है जो पहले देता था। पहले हरियाणा को भी पानी देता था, भरतपुर को भी पानी देता था। इस समस्या के समाधान के लिए मेरा तो एक निवेदन है, मन तो आ रहा है कि पता नहीं सारे जिले के लोग हम सब लोग मंत्रीजी, यहीं पर धरने पर बैठ जाएं क्योंकि हमारे क्षेत्र की तरफ ध्यान नहीं दोगे तो क्षेत्र बरबाद हो जाएगा। किसान कहां जाएगा, किसान क्या करेगा, कैसे खेती करेगा, कैसे अपने बच्चों को पालेगा? उद्योग मंत्रीजी, आपने मेरी बात तो कही है पर इसका ट्रीटमेंट करो भी, एक केस मैंने आपके पास रैफर किया है और आपसे मेरा निवेदन है कि एक बार आप अपनी इच्छा शक्ति दिखाकर जितनी जमीनें हमारे एक्वायर हुई हैं, जितना पाल्यूशन हमको मिल रहा है, जितनी बेरोजगारी हमको मिल रही है, जितना किसान बर्बाद हो रहा है.....

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): जो पानी आपके लोक सभा चुनाव में बानसूर से सप्लाई हुआ उससे आपको संतुष्टि नहीं हुई क्या?

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): यह हमारा घर का मामला है इसमें आपको बीच में बोलने की कहां जरूरत है? बिचौलिया थोड़े ही बनाया है।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): दोनों का केस साथ कंसीडर कर लेंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): यह लोक सभा और विधान सभा के चुनाव तो ऐसे ही चलते रहे और चलते रहेंगे, कभी कोई जीता है और कभी कोई हारा है और कभी कहीं कुछ हुआ है। जो आपके साथ हुआ वो मेरे साथ हुआ और जो मेरे साथ हुआ वह आपके साथ हुआ। (व्यवधान) डाक्टर जसवंत तो नहीं आना चाहता, रोहिताशजी आये तो पूछ लो, इनकी बात तो उनसे जानो पर डाक्टर जसवंत तो कम से कम नहीं आयेगा। क्या करूं मैं आपके पास आकर, आपको इधर आना है तो हमको उधर तो आना है पर आपको इधर आने में तो समय तो लगेगा और आपकी सीट भी है इसकी चिंता मत करो।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): वाजपेयीजी का सम्मान बढ़ाया था उसके अलावा चारा ही क्या है फिर, बताओ आप।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): रघुजी, सच्चाई तो यह है कि हम किसान परिवार में पैदा हुए हैं, सुप्रीम कोर्ट भी आप, लोअर कोर्ट भी आप और हाई कोर्ट भी आप। हम अपनी एप्लीकेशन लगायें जब चाहे जब फांसी दे देते हो इसलिए अपने बचाव के लिए अपनी जगह तो तलाश करनी ही पड़ती है। जब आपके यहां न्याय नहीं मिलता है....

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): हम राजनीति करने के लिए आये हैं कोई बाबाजी बनने के लिए नहीं आये हैं।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): सभापति महोदय, बात का सारा फ्लो तो वहीं खतम हो जाता है इसलिए मैं तो एक ही बात कहूंगा आपके माध्यम से इर्रिगेशन मंत्रीजी को कि माननीय मंत्रीजी, सारा का सारा जोधपुर ही जोधपुर नहीं अलवर के लिए भी कुछ दो।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

अलवर के लिए भी कुछ करो। यह राजस्थान आपका है। अलवर के किसानों को भी बचाओ। अलवर का किसान बरबाद हो रहा है, अलवर का किसान आज इस हालत में पहुंच गया है कि वह जीने की हालत में नहीं है, जमीनें उसकी उद्योग में चली गई, आपने डार्क जोन घोषित कर दिया, विद्युत कनेक्शन मिल नहीं सकता, कुएं-बावड़ियों को गहरा करा नहीं सकते, उनकी परमीशन आप दे नहीं सकते तो किसान को बचाने के लिए उपाय सोचो। इसके

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

अन्दर दलगत राजनीति से ऊपर उठकर के कुछ करके दिखाओ। आप अच्छा करोगे तो निश्चित रूप से हम तो आपका भी सम्मान कर देंगे पर कुछ करके तो दिखाओ। केवल उस सरकार ने यह किया और हमने यह किया यही आप करते रहोगे तो ठीक नहीं है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

आखिर के अन्दर हमारे पास तो कोई चारा नहीं है कि आकर कम से कम हम आपके यहां धरने पर बैठ जाएं। कुछ कर सको तो अलवर वालों को तय कर लेना चाहिए कि शुरूआत करें और मैं तो दु:खी होकर, दु:खी आत्मा से कि अलवर का किसान बरबाद हो रहा है, उसकी कोई सुनने वाला नहीं है, अलवर के ऊपर बजट में एक पैसा नहीं है, अलवर को उपेक्षित किया जा रहा है, अलवर बर्बाद हो रहा है और हम अलवर के विधायक इस बात को लेकर के धरने पर बैठ रहे हैं। राम-राम।

(भारतीय जनता पार्टी के अलवर जिले के माननीय सदस्य डा. जसवन्त सिंह यादव, श्री ज्ञानदेव आहूजा, श्री रोहिताश कुमार, श्री रामहेत सिंह, श्री बाबूलाल बैरवा एवं श्री हेमसिंह भड़ाना द्वारा सदन वैल में धरना)

श्री सभापति: सदन के सभी माननीय सदस्यों से मेरा अनुरोध है कि समय सीमा के अन्दर बोलें। यह क्या हो रहा है? पधारो-पधारो। विराजो। डाक्टर साहब विराजो।

(समय : 20.00 बजे)

माननीय सदस्य, विराजिये विराजिये। विराजें विराजें। (व्यवधान) आपने अपनी बात, अभी सभी माननीय सदस्यों ने कही है। मंत्रीजी अभी अपनी बात, मंत्रीजी जब जवाब देंगे, उन्होंने आपकी पीड़ा को समझ लिया है। माननीय सदस्य, अभी आपने अपनी बात कही है। मंत्रीजी बोलेंगे ना अभी। मंत्रीजी जवाब देंगे। मंत्रीजी जवाब देंगे तब हर चीज का स्पष्टीकरण हो जायेगा। आप लोग विराजें। (व्यवधान) अभी सात घंटे हुए हैं और अभी आधे माननीय सदस्य भी नहीं बोल पाये हैं। श्री प्रदीप कुमार सिंह।

(भाजपा के अलवर जिले के माननीय सदस्य सदन कूप से उठकर अपने-अपने स्थान पर गये)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): वह कुएं में बैठने में इतनी दिक्कत आ रही है।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): 15 मिनट तो बैठाओ, 10 मिनट तो। बहुत अच्छा लगता है क्या इतनी जल्दी।

श्री सभापति: श्री प्रदीप कुमार सिंह।

श्री प्रदीप कुमार सिंह (माण्डलगढ़): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-46 पर चर्चा करते हुए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि समूचा राजस्थान पानी की कमी से जूझ रहा है। हमारे अलवर के सदस्य आज कुए में ही जाकर बैठ गये पानी की कमी से दुःखी होकर के, ऐसी परिस्थितियों में सरकार को और हम सब को गम्भीरतापूर्वक जल संरक्षण पर विचार करना पड़ेगा और करना चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मैं लम्बी-चौड़ी बात नहीं कहते हुए मेरे क्षेत्र की बात करता हूं। मेरे क्षेत्र की भौगोलिक परिस्थितियां ऐसी हैं जहां पानी ठहरता नहीं, बहकर सारा पानी बीसलपुर बांध में चला जाता है और जिसके साथ निवेदन करना चाहता हूं कि बीसलपुर बांध का कैचमेंट एरिया पूरा मेरे क्षेत्र में है और वहां सरकार ने नया बांध बनाने पर भी रोक लगा दी है इसलिए वहां के किसान वर्षा ऋतु में तो पानी बहुत देखते हैं। अभी भी मेरे क्षेत्र में भगवान की कृपा से नदियां बह रही हैं। कोई नदी खाली नहीं है जिसमें पानी नहीं बह रहा हो। पिछले पांच दिन से लगातार बारिश हो रही है लेकिन जैसे ही वर्षा ऋतु गई, पानी देखने को भी नहीं मिलेगा और अण्डरग्राउण्ड वाटर भी नीचे चला जाता है इसलिए मेरा निवेदन है आपके माध्यम से, माण्डलगढ़ विधान सभा क्षेत्र में जितनी नदियां बहती हैं क्योंकि वहां बांध अब नहीं बनाये जा सकते, सरकार के आदेश हैं, रोक लगी हुई है। बीसलपुर का कैचमेंट एरिया है इसलिए जितनी नदियां वहां पर हैं, जिनमें मुख्य रूप से बनास, बेडच, मेनाली, मेज, ओंली, ये बड़ी-बड़ी नदियां हैं। इन पर अगर जो सरकार ने अलाऊ कर रखे हैं दो-दो मीटर के एनीकट बनवा दिये जायें तो मेरा क्षेत्र पुनः पानी से रिचार्ज हो सकता है और उजड़ती हुई खेती किसानों की बच सकती है इसलिए मेरा निवेदन है जल संसाधन मंत्री महोदय से कि मेरे क्षेत्र में जितने एनीकट्स के प्रस्ताव हमने दिये हैं, उनकी स्वीकृति फरमाकर हमारे किसानों को बर्बाद होने से बचायें।

महोदय, मेरे से पूर्व आज वे इस दुनिया में नहीं हैं, स्वर्गीय शिवचरण जी माथुर साहब, वहां से विधायक हुआ करते थे। उन्होंने 2005-2006 में भाजपा की सरकार से 14 एनीकट्स मंजूर करवाये थे, लेकिन न मालूम किन कारणों से उस समय वापस वे विदड्रा कर लिये गये, उनकी स्वीकृति निरस्त

(श्री प्रदीप कुमार सिंह)

कर दी गई। मैं चाहता हूं, यह उस क्षेत्र की महती मांग है इसलिए जितने एनीकट्स की वहां मांग है, उनको स्वीकृति फरमाई जाये।

दूसरा, मेरे क्षेत्र में चित्तौड़गढ़ जिले का एक बांध है, वहां पर सिंचाई हो रही है ओराई डैम, उस ओराई बांध की पाल में दरारें आ रही हैं, जगह-जगह से पानी निकल रहा है, उस पानी को रोकने के समुचित उपाय किये जाने चाहिए, उस पाल के सुदृढ़ीकरण के उपाय किये जाने चाहिए। सन् 2004-2005 में डी.एस.आर.पी. ने जो अपनी रिपोर्ट दी थी, उसमें उस बांध को असुरक्षित घोषित किया हुआ है। यदि वह बांध टूट गया तो जन-धन की हानि होगी ही होगी, पूरा क्षेत्र बरबाद हो जायेगा, वहां के किसानों की खेती चौपट हो जायेगी, पीढ़ियों तक वह किसान अपनी इन समस्याओं से उभर नहीं पायेगा इसलिए मेरा निवेदन है, ओराई बांध की मरम्मत के लिए आर.डब्ल्यू.एस.आर.पी. प्रोजेक्ट के माध्यम से उसकी मरम्मत के प्रावधान किये जाने चाहिए। पिछली बार भी सन् 2004-2005-2006 में, तीनों बार आर.डब्ल्यू.एस.आर.पी. का वर्ल्ड बैंक का जो प्रोजेक्ट था, मैं उस प्रोजेक्ट का चेयरमैन था, तीनों बार उस पाल की मरम्मत के लिए टेण्डर हुए और टेण्डर की पूरी प्रक्रिया हो जाने के बावजूद न जाने किन कारणों से तीन साल तक लगातार वे टेण्डर निरस्त होते रहे। न जाने अधिकारियों के बीच में, ठेकेदारों के बीच में और तत्कालीन सरकार के बीच में क्या पता क्या अड़चनें आईं, किसी प्रकार से बात नहीं बैठ पाई, वह टेण्डर बार-बार निरस्त कर दिये गये और वह बांध आज टूटने के कगार पर है। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इन बातों को गम्भीरता से लेते हुए ओराई बांध की मरम्मत के लिए प्रावधान किया जाये।

यद्यपि वर्ल्ड बैंक के इस प्रोजेक्ट से नहरों की मरम्मत की गई लेकिन आधी से अधिक नहरें अभी भी बिना लाइनिंग की हैं इसलिए उसके लिए पुनः बजट का प्रावधान करके नहरों की लाइनिंग की जाये। पिछली बार जो आधी नहरों की लाइनिंग हुई है, उससे 500 हैक्टेयर जमीन की सिंचाई बढ़ी है। अगर आगे और लाइनिंग करा दी जाये तो निश्चित रूप से सिंचाई की सुविधा और बढ़ेगी।

मैं निवेदन करना चाहता हूं, इसके अलावा भी मेरे क्षेत्र में एक डामटी खोखरा बांध है, उसकी भी लगभग पाल की यही स्थिति है और एक पंचानपुरा

(श्री प्रदीप कुमार सिंह)

बांध, जो बिजौलिया क्षेत्र में है, वहां पर माननीय शिवचरणजी माथुर जब मुख्य मंत्री थे, उन्होंने 40 गांवों की पेयजल योजना के लिए एक बांध से पानी देने की योजना बनाई थी और वह चल रही है। ओला साहब जब जल संसाधन मंत्री थे, पी.एच.ई.डी. मंत्री थे, तब वे पधारे थे और वह चल रहा है लेकिन उसकी भी यह स्थिति हो गई है कि कभी भी किसी भी क्षण फूट सकता है तथा सिंचाई और पेयजल की सारी समस्याएं वहां पैदा हो जायेंगी। इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं, उसके भी संरक्षण के उपाय किये जाने चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पेयजल की बात भी करना चाहूंगा। जो योजनाएं शहरों में चल रही हैं और करोड़ों की, अरबों की योजनाएं हैं। उनके बिल और उनकी सारी, उन पर जितना व्यय हो रहा है, सरकार वहन करती है लेकिन छोटे-छोटे गांवों में भिन्न-भिन्न नाम से पेयजल की योजनाएं प्रारम्भ की गई हैं। कहीं पनघट योजना है, कहीं स्वजलधारा योजना है और कभी कहीं एम.एल.ए. फण्ड से, एम.पी. फण्ड से, पंचायतों के माध्यम से, जिला परिषद के माध्यम से, पंचायत समितियों के माध्यम से विभिन्न योजनाओं के माध्यम से पनघट योजना ली गई और उनका संधारण कर दिया गया, ट्यूबवैल लग गये, टंकी बन गई, कनेक्शन हो गये लेकिन उनके बिजली के बिल सरकार जमा नहीं कराती है इसलिए वे सारी की सारी योजनाएं बंद पड़ी हैं। जब हजारों करोड़ रुपये हम पेयजल पर खर्च कर रहे हैं तो उन छोटे-छोटे गांवों के लिए अगर बिजली के बिल सरकार भर दे तो उन गांवों के लिए यह योजना पुनर्जीवित हो सकती है और गांव के लोगों को पीने का पानी उपलब्ध हो सकता है। इतना ही निवेदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: डाक्टर विश्वनाथ मेघवाल।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-46 सिंचाई पर चर्चा में भाग लेने के लिए आपने जो समय दिया, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूं। सभापति महोदय, आज सुबह से सदन में सिंचाई पर सभी माननीय सदस्यों ने अपनी-अपनी बात रखी। सिंचाई के पानी के लिए और पीने के पानी के लिए आज हम बात कर रहे हैं। भू-जल स्तर गिरता जा रहा है। सिंचाई की बात एक तरीके से बेमानी होगी। हमें पानी पीने को ही नहीं मिलता है। पूरे राजस्थान में पीने के पानी के लिए त्राहि-त्राहि मच रही है।

(डा. विश्वनाथ मेघवाल)

सभापति महोदय, माननीय अटलजी जब प्रधान मंत्री थे उनकी दो सोच थी। प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना, आज पूरे देश में लोग उस योजना की सराहना कर रहे हैं और पूरे गांव-ढाणियों में जो बैठा है, 250-500 तक की आबादी के जो शहर हैं वहां तक रोड चली गई है, वह प्रधान मंत्री जो हमारी पूर्ववर्ती सरकार में अटलजी थे उनको वह श्रेय जाता है। ऐसे ही उनकी एक सोच और थी कि पूरे भारतवर्ष में जितनी भी नदियां हैं उन सभी नदियों को जोड़कर आज जो पानी की समस्या हमारे देश में पैदा हो रही है, पूरे राजस्थान में हो रही है, इन नदियों को एक साथ जोड़ कर इस समस्या का समाधान किया जाय। सभापति महोदय, एक तरफ तो दूसरे स्टेट में बाढ़ आ रही है और एक तरफ पानी के लिए त्राहि-त्राहि मच रही है पीने के लिए भी। सभापति महोदय, अगर इस योजना पर हम दलगत राजनीति से ऊपर उठ कर बात करें तो कांग्रेस सरकार को इस योजना को लागू करना चाहिए और आज जहां बाढ़ आ रही है वहां 800-800 करोड़ रुपये बाढ़ मैनेजमेंट पर लगते हैं, वह पैसा खराब नहीं करके ऐसी योजना बनाई जाय जिससे पूरे राजस्थान को, पूरे देश को पूरा पानी मिल सके और सिंचाई के लिए आज हम बात करते हैं, सिंचाई के लिए बिलकुल भी पानी नहीं मिलता है। पिछली सरकार, जब हमारी माननीय वसुंधराजी सरकार में थीं, उन्होंने अपने टाइम में पूरा पानी देने की कोशिश की और पूर्ववर्ती सरकार जब कांग्रेस की थी उस समय पूरे पांच साल अकाल पड़ा। माननीय अशोकजी ने पूरे पांच साल अकाल मैनेजमेंट में लगाये जिसमें हमारे अटलजी का भी सहयोग था। (व्यवधान) अकाल मैनेजमेंट जो अशोकजी ने किया उस अकाल मेनेजमेंट में हमारे अटलजी ने भी इनको काफी सहयोग किया, उस टाइम प्रधान मंत्री थे। आज पिछले पांच साल में ऐसी स्थिति पैदा नहीं हुई, पूरा पानी पीने का मिला और सिंचाई के लिए भी मिला और पिछली बार तो मैं बताऊं आपको कि रिकार्ड तोड़ फसल हुई। सरसों और गेहूं की इतनी फसल हुई, माननीय वसुंधराजी ने इतना पानी दिया लेकिन जब फसल पकाई पर आई जनवरी में, कांग्रेस गवर्नमेंट ने रेगुलेशन चेंज करके चार में से जो दो ग्रुप चल रहे थे उसको तीन में से एक ग्रुप किया और किसान की फसल बरबाद करने की सोच ली। (व्यवधान) सभापति महोदय, वह तो भगवान की दया थी और बारिश आ गई और फसल अच्छी हुई, इतनी फसल हुई कि पिछली बार कांग्रेस सरकार यहां तक मुसीबत आ गई और हमारे खाजूवाला विधान सभा क्षेत्र में बारदाना ही पूरा सप्लाई नहीं कर पाई। रिकार्ड

(डा. विश्‍वनाथ मेघवाल)

तोड़ फसल हुई जिसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री, जो भूतपूर्व मुख्य मंत्री हमारी वसुंधराजी थीं उनको मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने जनता को इतना पानी दिया। हमारे खाजूवाला क्षेत्र में इतना पानी मिला कि रिकार्ड तोड़ फसल हुई। सभापति महोदय, आज सरकार चालू वर्ष में एक लाख हैक्टेयर सिंचाई क्षेत्र के लिए खोलना चाह रही है, इसका फैसला किया है। सभापति महोदय, आज पूरे राजस्थान में पीने के पानी की त्राहि-त्राहि मच रही है और जो जमीन आलरेडी कमाण्ड जमीन है उसको पानी नहीं मिल रहा है, एक लाख हैक्टेयर और ज्यादा खोलकर यह क्या करना चाहते हैं, समझ के बाहर की बात है। सभापति महोदय, सिंचाई का पानी कहां से देंगे, समझ में नहीं आता कि एक लाख हैक्टेयर और यह कमाण्ड करने जा रहे हैं। सभापति महोदय, 0.6 एमएएफ पानी जो पंजाब सरकार से समझौते के तहत कांग्रेस गवर्नमेंट नहीं ले सकी इसके लिए कांग्रेस जिम्मेदार है। आज मैं इनसे कहना चाहूंगा कि आज राजस्थान में भी कांग्रेस सरकार है और सैंटर में भी कांग्रेस सरकार है, अगर कांग्रेस सरकार में यह है कि जनता के लिए पानी की यह सोच रखते हैं तो 0.6 एमएएफ का जो समझौता है हमारा, इसको लागू किया जाए, यह मैं मांग करता हूं।

सभापति महोदय, इस बार भी क्षेत्र में जनता को मिसगाइड किया है और जनता को मार्च और अप्रैल में पानी देकर, जब पीने का पानी दिया जाता है उस जगह इन्होंने रेगुलेशन जारी करके नरमा और कपास की इतनी बुवाई करा दी कि पचपन हजार हैक्टेयर क्षेत्र में नरमा और कपास की बुवाई करवा दी और जो पिछली बार सात हजार हैक्टेयर में हुई थी। आज वह फसल नष्ट होने जा रही है। मैं सरकार से कहना चाहूंगा कि इतनी बीजाई कैसे करवाई। एम.पी. चुनाव को मद्देनजर रख कर सिर्फ वोटों की राजनीति रखते हुए इन्होंने मार्च और अप्रैल में पानी दिया और आज 55 हजार हैक्टेयर में जो नरमा और कपास बुवाई हुआ है वह नष्ट होने जा रहा है जिसके लिए सरकार जिम्मेदार है और मैं यह मांग करता हूं कि सरकार इस फसल का मुआवजा दे और वहां पर अकालग्रस्त एरिया घोषित करे। सभापति महोदय, मेरा खाजूवाला विधान सभा क्षेत्र सिंचाई के हिसाब से टेल क्षेत्र है, वहां की जनता टेल पर बैठी है, किसी के पास पूरा पानी नहीं पहुंच रहा है। पीने के पानी के लिए वहां त्राहि-त्राहि मच रही है, जब सिंचाई का पूरा पानी दिया जाता है तो टेल पर उस वक्त भी पचास प्रतिशत ही पानी पहुंचता है, आज पीने का पानी भी जब यह

(डा. विश्वनाथ मेघवाल)

छोड़ते हैं तो सिंचाई के पानी से आधा पानी छोड़ा जाता है उस समय पानी पचास प्रतिशत जब सिंचाई के टाइम पहुंचता है तो अभी पीने के लिए पानी छोड़ा जायेगा तो बिलकुल ही पानी नहीं पहुंचेगा। आज पूरे क्षेत्र में पानी की त्राहि-त्राहि मच रही है। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय और सिंचाई मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि क्षेत्र में पीने के पानी की जो समस्या है उसका समाधान करें और हैण्ड पम्प के लिए, जैसे माननीय वसुंधराजी थीं पिछली बार, उन्होंने हर विधायक को तीस-तीस हैण्ड पम्प, (व्यवधान) चालीस-चालीस हैण्ड पम्प हर साल देती थीं उसी हिसाब से मैं माननीय सिंचाई मंत्री से मांग करता हूं कि हर विधायक को अपने-अपने क्षेत्र के लिए पचास-पचास हैण्ड पम्प दें। सभापति महोदय, रैगुलेशन की बात करते हैं, परामर्शदात्री की मीटिंग हनुमानगढ़ में होती है। वहां पर हमारे जन प्रतिनिधियों को बुला लिया जाता है और अपनी मनमर्जी से रैगुलेशन जारी कर देते हैं, खाली विधायकों को वहां पर बुलाया जाता है और खिला-पिला कर भेज दिया जाता है, किसी को यह नहीं पूछा जाता कि आपका रैगुलेशन कैसे जारी किया जाय, यह सिर्फ हमारे जन प्रतिनिधियों के साथ अन्याय है। जन प्रतिनिधियों की कोई बात नहीं सुनी जाती और रैगुलेशन अपनी मनमर्जी से करते हैं, तो मैं यह मांग करता हूं कि अगर जन प्रतिनिधियों की मांग सुननी है इनको तो उनसे भी राय ली जाय। सभापति महोदय, मेरा क्षेत्र टेल का क्षेत्र है, पानी की चोरी होती है, मैं सिंचाई मंत्री महोदय से मांग करता हूं कि इस चोरी को रोका जाय और मेरे जो टेल का किसान है उसको पूरा पानी मिले, यह मैं आपसे मांग करता हूं। आपने जो समय दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री कैलाशचन्द्रजी मीणा। थोड़ा संक्षिप्त में ही चलो, क्योंकि वक्ता बहुत हैं अभी, कई माननीय सदस्यों को बोलना है और कल का समय आपको ध्यान है कि कल कितने बजे तक हम लोग सदन के अन्दर थे, इसलिए समय सीमा के अन्दर आप चलेंगे, सारगर्भित आप सुझाव और आज मुख्य रूप से सिंचाई के ऊपर चर्चा हो रही है।

श्री कैलाश चन्द मीणा (मनोहरथाना): आदरणीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सिंचाई की मांग पर मेरे विचार रखने के लिए खड़ा हुआ हूं। सम्मानीय मुख्य मंत्रीजी ने, सिंचाई मंत्रीजी ने जो यह 2009-10 का बजट पेश किया और जो एग्रीकल्चर के ऊपर, इर्रिगेशन के ऊपर जो आम

(श्री कैलाश चन्द मीणा)

जनता का ध्यान रखा और उसी में ही हमारे झालावाड़ क्षेत्र में जो एक परियोजना थी परवन वृहद सिंचाई परियोजना जिस पर 1114 करोड़ रुपये की घोषणा कर हमारे जिले की जनता को लाभान्वित किया है इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में मैं सम्माननीय मुख्य मंत्रीजी और सिंचाई मंत्रीजी से आग्रह करना चाहूंगा कि इसी परवन वृहद सिंचाई परियोजना पर एक मनोहरथाना वृहद सिंचाई परियोजना प्रस्तावित है उसकी लागत 135.10 करोड़ है जिसकी भराव क्षमता 84.76 है, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से मैं सम्माननीय मुख्य मंत्रीजी और सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा।

सम्माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्माननीय मुख्य मंत्रीजी और सिंचाई मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि इसमें सारी शर्तें पूरी कर रखी है, जितनी भी शर्तें होती हैं वह सारी पूरी कर रखी हैं तो सम्माननीय मंत्रीजी से आग्रह करूंगा कि इस बजट में इसे भी शामिल किया जाए। दूसरा, मेरा यह निवेदन है कि अभी जितने भी जन-प्रतिनिधि प्रतिपक्ष में बैठे हैं, वह सभी जोधपुर का बार-बार जिक्र करते हैं, सम्माननीय जब तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी वसुंधरा राजेजी थी वह हमारे जिले से मुख्य मंत्री थीं और हमारा दुर्भाग्य है कि हमारे जिले में मनोहर थाना कॉन्स्टिट्युएंसी को एक रुपए का भी उनकी तरफ से पूरे पांच साल में कभी भी एक रुपए की घोषणा नहीं की गई। दूसरा मेरा अनुरोध है सम्माननीय सभापति जहां उनकी कॉन्स्टिट्युएंसी झालरापाटन थी उसके पांच किलोमीटर बाद ही काली सिंध नदी पड़ती है, बहुत बड़ी नदी है, उसमें बहुत अच्छी परियोजना हो सकती थी। पर वहां पेयजल से झालरापाटन और पाटन को नहीं देकर चालीस किलोमीटर दूर छापी डैम से वहां लाकर के झालरापाटन और पाटन को पानी दिया गया है। जो बिलकुल दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि पांच किलोमीटर दूर पानी नहीं देकर और चालीस किलोमीटर से लाकर पानी दिया गया है। सम्माननीय सभापति महोदय आपका ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इसी तरह की जो हमारे वहां तत्कालीन सरकार के टाइम जो पांच एनिकट थे, राष्ट्रीय ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत, पांचों एनिकटों पर जो बजट में प्रावधान रखा था, उन्हें निरस्त कर दिया गया है, उन्हें वापिस पुनः उसी योजना में जोड़कर वहां की जनता को लाभान्वित करें। मेरा आपके माध्यम से यह अनुरोध है। दूसरा वाटर डब्ल्यूएचएस के तहत पांच एनिकट हमारे वहां प्रस्तावित हैं मनोहरथाना

(श्री कैलाश चन्द मीणा)

विधान सभा क्षेत्र के अन्दर, उनकी सात करोड़ की लागत थी और पांचों एनिकट बनकर के तैयार हो गए। उनका सभापति महोदय एक रुपया भी पेमेंट अभी तक हुआ नहीं है तो आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा सम्माननीय मंत्री से कि उनका पेमेंट करवाया जाए। यदि पेमेंट नहीं होने की स्थिति में ठेकेदारों की तरफ से डिपार्टमेंट को लिख दिया गया कि उनके वह गेट नहीं लगाने देंगे, गेट नहीं लगाने देंगे तो इस स्थिति में उन एनिकटों का जनता के लिए कोई उपयोग नहीं होगा तो मेरा आपसे अनुरोध है सरकार को आपके माध्यम से अवगत करायें।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, नया सदस्य हूं, पहली बार खड़ा हुआ हूं, अभी दो मिनट में घंटी बजा दी आपने।

श्री सभापति: लिस्ट काफी लम्बी है।

श्री कैलाश चन्द मीणा (मनोहरथाना): सम्माननीय सभापति महोदय, जो हमारी यह योजनाएं हैं, वह आपके माध्यम से जल्दी से जल्दी इन पर ध्यान राज्य सरकार का दिलवाया जाए और एक जो मनोहरथाना विधान सभा क्षेत्र की वृहद योजना है उसे भी जो जयपुर इकाई में पड़ी हुई है सीडब्लूसी में उसे तुरन्त प्रभाव से इस बजट में लाया जाए और सम्माननीय मंत्री महोदय से एक और अनुरोध है हमारे जो डेम और एनिकट बने हुए हैं तो उन डेमों से बीच-बीच में पानी छोड़ा जाए ताकि वह नदियां जीवित रह सकें और क्षेत्र का वाटर लेवल रिचार्ज हो सके। क्योंकि बिलकुल पानी बंद कर देते हैं तो उसमें हैण्डपम्प, कुएं, बावड़ियां सारी सूख जाती हैं, बीच में पानी पीने के लिए भी जानवरों को नहीं मिलता तो सभापति महोदय, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान दिलाना चाहता हूं कि बीच-बीच में जो चार पानी देते हैं फसल में, उसमें से तीन ही पानी दिया जाए पर बीच-बीच में पानी छोड़ा जाए। आपने बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री फूलचन्द भिण्डा।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): माननीय सभापतिजी, सुबह से सिंचाई की मांग पर वाद-विवाद चल रहा है, कई माननीय सदस्यों ने सिंचाई के आकार के बारे में कहा। महाभारत में एक शब्द आया है 'अ देव मातृका' वह व्यवस्था जो देवताओं पर निर्भर नहीं है, उसका अर्थ है सिंचाई। यहां केवल

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

नहरी सिंचाई की बात चली, कुआं और तालाब यह भी बहुत बड़ी मात्रा में हैं और मैं कहना चाहूंगा 50 प्रतिशत से ज्यादा राजस्थान की सिंचाई आज भी कुओं और नलकूपों से होती हैं। पिछले बीस वर्ष में और बीस वर्ष में ही क्या? मंत्री महोदय का एक बड़ा वेदनापूर्ण पत्र मिला है पानी के बारे में, 237 में से 31, केवल 31 पंचायत समितियां ऐसी हैं जिनमें वाटर है बाकी 100 प्रतिशत से भी अधिक वह कर रहे हैं और उनकी चिन्ता निश्चित है लेकिन नलकूपों से और कुओं से जो सिंचाई हो रही हैं, पानी गहरा जाने के कारण से, विद्युत के चार्जेज बढ़ने के कारण से, खाद की कीमतें बढ़ने के कारण से, लेबर कोस्ट बढ़ने के कारण से आज कोस्ट बेनिफिट अधिक है। कुओं की सिंचाई को हम शीघ्रता से प्रतिफल देने वाली और लाभदायी योजना मानी जाती थी सिंचाई की वह भी घाटे में चली गई है। इस कारण से मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं सरकार से कि कुओं के लिए भी, कुओं से होने वाली सिंचाई के लिए भी हम पर्याप्त मात्रा में अनुदान की व्यवस्था करे। राजस्थान का जो अन्न पैदा होता है उसमें बहुत बड़ी भूमिका कुओं की, नलकूपों की है। एक तो मेरा यह निवेदन है और दूसरा मेरा निवेदन यह है कि मैं सारे सदन से निवेदन करना चाहता हूं कि इस सत्र के बाद में एक अलग से सत्र आयोजित किया जाए दो दिन के लिए और टोटल राजस्थान का वाटर मैनेजमेंट है उस पर भी और वाटर की उपलब्धि पर एक डिबेट होनी चाहिए। सब लोग तैयारी करके आयें और एक मास्टर प्लान बनना चाहिए अगले बीस साल का। हम आजकल नजदीक के चश्मे से देखते हैं, दूर के चश्मे से नहीं देखते। मैं आपको उदाहरण देना चाहूंगा कि जो प्रभावशाली लोग हैं, उनके यहां तो लिफ्ट से 60 मीटर ऊंचाई से भी पानी राजस्थान नहर का आया, उनका 400 किलोमीटर तक भी आया लेकिन माही डैम से केवल 25 किलोमीटर पर कुशलगढ़ की सीमा प्रारम्भ होती है वहां लिफ्ट से पानी इसलिए नहीं गया कि वहां प्रभावशाली नेता नहीं हुए। लेकिन मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि आज तक जो 6 लिफ्ट योजनाएं बनी हैं वह राजनेताओं के नाम पर, देवताओं के नाम पर, साधुओं के नाम पर बनी हैं। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि बांसवाड़ा वह क्षेत्र है जहां मेवजी महाराज पैदा हुए, बांसवाड़ा है जहां अंग्रेज़ों के खिलाफ में सत्याग्रह करके जलिया वाला काण्ड से भी भयंकर काण्ड का नेतृत्व करने वाले गुरु गोविन्द हुए, हरदेव जोशीजी वहां हुए, काली बाई वहां हुई उनके नाम पर आप चालू कर सकते हैं। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैं आपके सामने एक चित्र स्थापित कर रहा हूं। आप जिस स्थान पर बैठे हैं वहां से उस हाथ

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

को पूरे राउण्ड काटते हुए माही नदी आती है और सीधा आपके स्टेज से मेरे स्थान पर पानी आता है नहर का। तो वह कौनसा कारण है कि मेरे दाहिने हाथ की तरफ जो कुशलगढ़ है, वहां पानी नहीं मिल सकता? और यह कहा गया रिपोर्ट में जांच कराई जाए इस बात की, इंजीनियरों ने कहा कि कुशलगढ़ में पानी जा नहीं सकता लिफ्ट से। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि 20 मीटर और ढलान पर भी वहां जा सकता है और कुशलगढ़ का जो ढलान है वह सारा का सारा उसमें गूगल कोर्ट में जो सारी साइट घुमकर आती है वहां पर ढलान जाता है, एक बार पानी अगर कुशलगढ़ में छोड़ देंगे तो पूरा कुशलगढ़ सिंचित होगा। इतना ही मैं आपका ध्यान ओर दिलाना चाहता हूं कि जो मिट्टी गंगानगर की है खूब उपजाऊ मानी जाती है लेकिन मैं आप लोगों के सामने प्रार्थना कर रहा हूं मैंने ही देखा है एक फुट लम्बा करेला और एक मीटर लम्बी तरोई अगर कहीं पैदा होती है तो बांसवाड़ा की धरती में पैदा होती है, खनिजयुक्त मिट्टी है, वहां पानी की वह है और मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि माही के ड्राफ्ट में यह लिखा हुआ है सम्पूर्ण बांसवाड़ा जिले में पानी जाएगा, सीमलवाड़ा में, आसपुर में और सागवाड़ा में पानी जाएगा। उनमें से केवल सागवाड़ा में पानी गया है, कुशलगढ़ और दूसरे डूंगरपुर की तहसीलें हैं उसमें आज तक पानी नहीं गया। इस कारण से मैं कहना चाहता हूं यह जो भेदभाव की स्थिति हुई है और कोस्ट बेनिफिट के आधार पर जो गंगानगर का जो पानी है उस नहर से जो पानी आता है उससे कम लागत पर पूरा बांसवाड़ा सिंचित हो सकता है। एक मेरा निवेदन यह था। दूसरा मेरा यह निवेदन है कि हम सिंचाई की जब बात करते हैं....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तो डूंगरपुर का पानी भी, उदयपुर का पानी भी, प्रतापगढ़ का पानी भी ओवरफ्लो करके बांसवाड़ा का पानी भी जब समुद्र में जाता है तो फिर कौनसा मैनेजमेंट कर हैं? यहां कह रहे थे अभी माननीय सदस्य की तरफ से कि यह 14 हजार करोड़ रुपए खर्च हो गए उसमें से हमने इतनी नहरें बनाई। मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूं पूरे सदन से आंकड़े दें तो तुलनात्मक रूप से दें। मैं कहता हूं जब राजस्थान नहर का प्रपोजल बना था उस समय एक मन एक रुपया का आता था, आज 400 गुणा कीमत बढ़ गई गेहूं की और उसी रूप में उसकी जो लागत है वह केवल 560 करोड़ रुपए की बननी चाहिए। 1976 में ही कम्पलीट हो जानी चाहिए थी।

(श्री फूलचन्द भिण्डा)

राजस्थान में आज भी नहीं बनी इस कारण से ये हुआ है राजस्थान की कोई भी सिंचाई परियोजना समय पर पूरी नहीं हुई। रपटें बढ़ती गईं इस कारण से आज हमारी ये स्थिति बनी है कि हम कोई भी योजना समय पर पूरी नहीं कर पाए इस कारण से मैं यह कहना चाहता हूं हमारा मैनेजमेंट नहीं, मैनेजमेंट भी नहीं हुआ इस देश में तो वाटर मैनेजमेंट भी नहीं हुआ है इस कारण से दो दिन की जो डिबेट की मैं बात करता हूं कि वो वाटर मैनेजमेंट पर होनी चाहिए और वाटर मैनेजमेंट पर हम बिना किसी भेदभाव के बिना किसी राजनीतिक आग्रह के कि मेरे यहां पानी आना चाहिए, वहां नहीं आना चाहिए, मैं कहता हूं कि पूरे राजस्थान का पानी का मैनेजमेंट बनना चाहिए। अभी कहा गया बीसलपुर के पानी के बारे में। हमारे मालपुरा से आने वाले माननीय सदस्य से मैं पूछता हूं कि वो जो पानी आ रहा है वो तो उदयपुर से चल कर पूरा भीलवाड़ा पार करके वहां से आ रहा है अगर भीलवाड़ा के एमएलएज भी वहीं पानी रोक लें तो बीसलपुर तो जयपुर को भी सुखा देगा। इसके कारण से पूरे देश की बात होनी चाहिए, पूरे प्रान्त की बात होनी चाहिए। एक बात और कहता हूं इस सदन से निवेदन करता हूं कि आज समय आ गया है पूरे भारतवर्ष में जो विषय राज्य का है सिंचाई विषय जो पानी राज्य का विषय है वो केन्द्र का विषय होना चाहिए। हमारे देश में जितनी परियोजनाएं बनीं सारी की सारी परियोजनाओं में इसीलिए विलम्ब हुआ कि राज्य आपस में लड़ते हैं। अभी हरियाणा की बात कही गयी मैं निवेदन करता हूं कि आज नहीं तो कल बीस साल बाद में राजस्थान में अन्न पैदा होगा बढ़ी हुई जनसंख्या के लिए उस समय जो सरप्लस पानी है गंगा का वो जमुना में डालना पड़ेगा और जमुना का पानी राजस्थान में डालना पड़ेगा तब जाकर के वाटर मैनेजमेंट के अन्तर्गत पानी ऊपर आएगा। यह मेरा दावा है यह मेरी चुनौती है ऐसा ही करना पड़ेगा वरना कोई चारा नहीं है एक्स्ट्रा देने के लिए। मैं एक बात और मेरे क्षेत्र के बारे में कहना चाहूंगा मंत्रीजी यहां नहीं हैं मेरे क्षेत्र में चार बांध हैं चारों बांधों में न तो नहरें बनी हुई हैं और बांधों से एक क्यारी भी सिंचाई नहीं होती है उनके देखरेख की स्थिति के बारे में, विराट नगर विधान सभा क्षेत्र में चार बांध हैं इसके लिए मैं प्रार्थना करना चाहूंगा कि उनके बारे में विचार किया जाए और उनको नहर से जोड़ने का काम उनके रखरखाव के काम पर भी प्रयास होना चाहिए। जय हिन्द। जय भारत।

शासकीय वक्तव्य

बीकानेर के महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय की अंकतालिकाओं का समय पर वितरण नहीं

श्री सभापति: पाइंट आफ इन्फोर्मेशन के माध्यम से दांतारामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने बीकानेर के अन्दर छात्रों के प्रवेश को लेकर जो विषय सदन में रखा, सरकार की ओर से उच्च शिक्षा मंत्रीजी अपना वक्तव्य देवें।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, दांतारामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने जो महाराजा गंगासिंह विश्वविद्यालय, बीकानेर की अंकतालिकाओं के समय पर वितरण नहीं होने पर चिन्ता जाहिर की है, मैं इस विषय पर सदन को अवगत कराना चाहता हूं। अंकतालिकाओं के मुद्रण का कार्य निजी फर्म को दिया हुआ है। यह कार्य गोपनीय होता है। फर्म द्वारा 16.7.2009 को अंकतालिकाओं की आपूर्ति की गई। विश्वविद्यालय ने पाया कि अंकतालिकाओं पर विश्वविद्यालय का प्रतीक चिन्ह लोगो स्पष्ट रूप से निर्धारित प्रारूप में नहीं है अतः विश्वविद्यालय ने निजी फर्म को पुनः अंकतालिकाएं मुद्रित कर आपूर्ति करने हेतु निर्देश दिये। अंकतालिकाएं स्पष्ट निर्धारित प्रतीक चिन्ह के साथ दिनांक 27.7.2009 तक विश्वविद्यालय में प्राप्त होने की पूर्ण सम्भावना है। फिर भी छात्र हितों को देखते हुए विश्वविद्यालय ने अपने स्तर पर प्रोविजनल अंकतालिकाएं आवश्यकतानुसार जारी करना तुरन्त प्रारम्भ कर दिया है एवं 27.7.2009 तक मुद्रित अंकतालिकाएं प्राप्त नहीं होने की स्थिति में बीकानेर विश्वविद्यालय से संबंधित सभी महाविद्यालयों द्वारा स्थानीय स्तर पर प्रोविजनल अंकतालिकाएं जरूरतमंद छात्रों को प्रदान कर दी जाएगी। सरकार छात्र हितों पर किसी प्रकार का कुठाराघात नहीं होने देगी एवं उनके भविष्य का पूर्ण ध्यान रखा जाएंगा। बीकानेर विश्वविद्यालय में अंकतालिका वितरण में हुई देरी के लिए सम्भागीय आयुक्त से तथ्यात्मक रिपोर्ट पूर्ण विवरण के साथ सात दिवस में प्राप्त की जाएगी। मैं सदन को आश्वस्त करता हूं कि छात्र हितों को सर्वोपरि रखा जाएगा एवं उनके प्रवेश तथा प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निर्धारित काउंसलिंग इत्यादि हेतु प्रोविजनल मार्कशीट विद्यार्थी के चाहने पर तुरन्त उपलब्ध कराने की व्यवस्था कर दी गई है। अंकतालिकाओं का प्रारूप विश्वविद्यालय ने अनुमोदित किया था। लोगो पूर्व में ही फर्म के पास उपलब्ध था अतः उसे अलग से अनुमोदित करने की आवश्यकता नहीं थी। धन्यवाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, मैं मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा। मंत्रीजी, आपने उत्तर दिया पर इसमें उत्तरदायित्व का निर्धारण तो करें। लैप्सेज तो रहे हैं इन लैप्सेज के लिए अगर आप जैसे व्यक्ति उत्तरदायित्व का निर्धारण करके उन लोगों को जो दोषी हैं उनको सज़ा नहीं देंगे तो इसका मैसेज कैसे जाएगा इसलिए मेरी प्रार्थना है कि इसमें उत्तरदायित्व का निर्धारण करें आप।

श्री सभापति: श्री गोपाल मीणा।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ...(व्यवधान) तो यह हालत नहीं होती आज चार-चार महीने हो गये ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): एक लाख विद्यार्थियों के साथ मजाक हुआ है। आप राज्य के उच्च शिक्षा मंत्री हैं इसका इतना फौरी तौर पर वक्तव्य देने से काम नहीं चलावें, आगे भी मैसेज दें आप। आप बतायें ...(व्यवधान) आप क्या कार्यवाही करना चाहते हैं?

श्री सभापति: श्री करण सिंह राठौड़।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): I have given my statement here.

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): ...(व्यवधान) नौकरशाहों के आधार पर उच्च शिक्षा नहीं चल सकती मैं डाक्टर साहब से यही निवेदन कर रहा हूं कि जल्दी से जल्दी ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजें। विराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, बहुत महत्वपूर्ण मामला है यह। विश्वविद्यालय के अन्दर अगर इसी तरह की गलतियों की पुनरावृत्ति होती रहेगी, छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ होता रहेगा और आज ऐसा मौका आ गया कि मंत्री महोदय को वक्तव्य देना पड़ा और उसके साथ आपका एक्शन-टेकन क्या है यह तो बतायें कि ये कार्यवाही करेंगे उनके ऊपर।

डा. जितेन्द्र सिंह (ऊर्जा मंत्री): माननीय सभापति महोदय, तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य वरिष्ठ सदस्य हैं और अनेकों बार आप यहां के इम्पोर्टेंट मिनिस्टर रहे हैं, मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि आप स्वयं प्रेसीडेंट आफ दी यूनिवर्सिटी भी रहे हैं, कि सरकार बहुत सख्त कदम ले रही हैं और सात दिन में हमने डी.सी. से रिपोर्ट मांगी है जो खुद वहीं के अभी वाइस चांसलर का चार्ज हैं उनके पास और जो भी इसमें दोषी होगा, छात्र हित

(डा. जितेन्द्र सिंह)

सर्वोपरि है, छात्रों का कोई अहित नहीं होने दिया जाएगा, सरकार बहुत संवेदनशील है Whosoever is responsible for the lapses, he will be penalisd.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): पर जिस डिवीजनल कमिश्नर के पास डी.सी. का चार्ज है जिसकी सदारत में यह गलती हुई उसी से जांच करवा रहे हो आप।

श्री सभापति: श्री करण सिंह राठौड़।

श्री करण सिंह (छबड़ा): माननीय सभापति महोदय, मुझे ...(व्यवधान)

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़): सभापति महोदय, ...

श्री करण सिंह (छबड़ा): अब आपका नंबर मेरे बाद आएगा। सभापति जी ने मेरा नाम पुकार लिया।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें।

मांग संख्या-46 पर विचार

श्री करण सिंह (छबड़ा): माननीय सभापति महोदय, आज सदन में सिंचाई के ऊपर और पानी के ऊपर लम्बी चर्चा हो रही है। मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि मैं हाड़ौती क्षेत्र से हूं कोटा और हाड़ौती क्षेत्र में झालावाड़, बारां, कोटा, बूंदी सर्वाधिक नदियां अगर हैं पूरे राजस्थान के अन्दर तो पूरे हाड़ौती सम्भाग में है। जहां पानी के जलस्रोत हैं जहां पानी के प्रचुर भण्डार है जहां पानी की वृहत योजनाएं बनायी जा सकती हैं और जहां पानी है वहां विकास है। मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं सदन में मैंने काफी सदस्यों की चर्चा सुनी। सभापति महोदय, सुनने के बाद हरियाणा से पानी लेने की बात करते हैं और पंजाब से पानी लाया जा रहा है। अपने घर का पानी जो बरसात के माध्यम से अभी भी आजादी के बासठ साल बाद 46 प्रतिशत आपका पानी बह कर के दूसरे प्रदेशों में चला जाता है, यह बहुत चिन्ता का विषय है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे राजस्थान को हम पानी की व्यवस्था कर सकते हैं हमारा 46 प्रतिशत पानी हम बचा लें तो। इतने पानी के जलस्रोत हैं हमारी कोई योजनाएं नहीं हैं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं जवाहर लालजी नेहरू को जिन्होंने चम्बल पर राणाप्रताप सागर, गांधी सागर, जवाहर सागर, कोटा डैम ऐसे वृहद प्लान आज बना दिये जो सदन में सारे माननीय सदस्य चम्बल नदी की बात करते हैं, चम्बल नदी से

(श्री करण सिंह)

पानी लाने की बात करते हैं मैं सुन रहा हूं सदस्यों की बातें। दौसा के सदस्य बोलते हैं कि चम्बल से पानी दे दो। आपके अजमेर के बोलते हैं कि चम्बल से पानी दे दो। भीलवाड़ा वाले बोलते हैं कि चम्बल से पानी दे दो और अभी कोटपूतली वाले भी बोले ...

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): सभापति महोदय, भीलवाड़ा वालों का पानी पर हक है। बीसलपुर से पानी जो जा रहा है वो सारा भीलवाड़ा से होकर जा रहा है। हमारा हक मांगते हैं हम पानी के लिए ।

श्री करण सिंह (छबड़ा): मैं आपका विरोध नहीं कर रहा हूं ... (व्यवधान) आप मेरी भावनाओं को सुनिये। पानी हम देंगे और कुछ योजनाएं बनाने की बात करूंगा मैं आपको बिलकुल पानी देंगे चिन्ता मत करिये आप। मैं आपको उस जगह ले जाना चाहता हूं, पूरे सदन का ध्यान उस तरफ आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री सभापति: राठौड़ साहब, थोड़ा आवश्यक सुझाव के साथ आगे बढ़ें आप।

श्री करण सिंह (छबड़ा): मैं बिलकुल, पानी हमारे पास है माननीय सभापति महोदय, इसलिए मैं बोलूंगा और थोड़ा समय लूंगा। मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हाड़ौती के अन्दर पार्वती नदी, वेटकी नदी, लाची नदी, हेण्डरी नदी, गउवा, ढिंढलो, पुतावली, फलिया ये तो बारां में हैं। झालावाड़ में कालीसिंध, पीपलाज, हाऊ, चन्द्रभागा और चम्बल। चम्बल हमारे चौमेला के पास में है। इसके बाद कोटा की चम्बल नदी चन्द्रेशन और अलनिया और बूंदी में पूरल मेघ व घोड़ापछाड़ व मांगली इतनी नदियां होने के बाद अभी आप जाकर देख लें नदियों में पानी उफान पर है।

पानी बहकर बाहर बेकार जा रहा है और हम स्प्रिंकलर सिंचाई की बात करते हैं, पानी बचाने की बात करते हैं, अच्छी बात है क्योंकि अलग-अलग भौगोलिक स्थिति के अनुसार अलग-अलग योजना होती है। जैसे आपके रेगिस्तान में स्प्रिंकलर काम करेंगे। गंगानगर की तरफ पंजाब का पानी मांगेंगे। आदरणीय भरत सिंहजी का जो सपना था वह हमेशा कहा करते थे पानी बह कर निकल जाता है और गवर्नमेंट कुछ सोचती नहीं है। आजादी के 62 साल बाद भी हमारी कोई योजना नहीं बनती है। मैं उनसे कहना चाहता हूं कि हमें खुशी थी जब मुख्य मंत्री वसुंधराजी बनी थीं कि झालावाड़ की मुख्य

(श्री करण सिंह)

मंत्री हैं हमारे हाड़ौती का भला करेंगी। एक भी योजना हमको नहीं दी और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अशोकजी को जिन्होंने हमारी परमा नदी की जो योजना विचाराधीन थी उस पर उन्होंने ...(व्यवधान) धीरे-धीरे भाई उतावला मत करो, आप लोग चढ़ा देते हो तो गड़बड़ हो जाता है मामला, आप बिगाडा मत करो। मैं जनता की बात बोल रहा हूं। मैं नया-नया हूं तो सारी बात को समझता नहीं हूं, थोड़ा उलटा सीधा हो जाता है। उसमें हमारे मुख्य मंत्री जी ने घोषणा की है। इतनी बड़ी घोषणा जिसके लिये हमारी जनता काफी समय से मांग कर रही थी परमा नदी की। दूसरी कालीसिंध परियोजना, उसके लिये मैं धन्यवाद देना चाहता हूं तिवाड़ी साहब, आपको भी दुःख होगा इस बात को सुन कर कि आपके मुख्य मंत्रीजी ने हमारा कितना भला किया। इसलिए धन्यवाद उन सिंचाई मंत्रीजी को और धन्यवाद हमारे मुख्य मंत्रीजी को जिन्होंने हमारे हाड़ौती का ध्यान रखा। इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूंगा आदरणीय मंत्री जी और आदरणीय सभापति महोदय और आदरणीय सैक्रेटरी जो यहां बैठे हैं कि हमारे क्षेत्र में जल संसाधन के विशाल भण्डार हैं। आप जाइए और पानी की विशाल योजना बनाइए। हम जयपुर को भी पानी देंगे, भीलवाड़ा को भी देंगे, अलवर को भी देंगे और कोठपुतली को भी देंगे पर योजना बनवाओ, पैसा दो। ऐसी जगह पैसा खर्च मत करवाइए जहां पर यह लोग स्प्रिंकलर लगा देंगे और योजनाओं का पैसा खा जायेंगे और जीरो काम होगा उसका। मैं आपसे कहना चाहता हूं ...(व्यवधान) मेरी बात को सुनिए, मैं जो बोल रहा हूं आपके हित में बोल रहा हूं, मुझे बोलने दीजिए। मैं एक सुझाव देना चाहता हूं कि आज कोटा का नाम चम्बल नदी की वजह से है। व्यवधान) भाई साहब, डिस्टर्ब मत कीजिए आपका बोलने का नाम आये तब बोल लेना। कोटा चम्बल की देन है और कोटा औद्योगिक नगरी पानी की वजह से है और आज शिक्षा नगरी में कोटा का नाम है। मैं आपसे सदन में कहना चाहता हूं हमारे ऊर्जा मंत्रीजी भी बैठे हैं, राजस्व मंत्रीजी भी बैठे हैं, इर्रिगेशन मंत्रीजी भी बैठे हैं विद्युत के उत्पादन में हम हाड़ौती में सबसे आगे जाने वाले हैं। हम विद्युत उत्पादन में आगे इसलिए जा रहे हैं कि हमारे पास पानी है। पानी होने की वजह से एक हजार मेगावाट झालावाड़ और 2320 मेगावाट छबडा और मैं आपसे कहना चाहता हूं आप जगह-जगह जाकर एनिकट डैम बनाइए, बांध बनाइए हम आपको 5 हजार मेगावाट उत्पादन के लिये पानी मुहैया करा सकते

(श्री करण सिंह)

हैं, हम बिजली उत्पादन के लिये पानी दे सकते हैं। ऐसी योजना हमारे क्षेत्र में बन सकती है। मैं आपसे गम्भीर बात कर रहा हूं इसलिए सदन का पूरा ध्यान आकर्षित करने के लिये यह सारी बातें कर रहा हूं। (व्यवधान)

सदन के माध्यम से मैं एक चीज और कह रहा हूं इर्रिगेशन मंत्रीजी ध्यान दें, सभापति महोदय ध्यान दें और मेरे बडे भाई राठौड़जी ध्यान दें। मैं अच्छी बात बोल रहा हूं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूं। जो डैम बनते हैं अभी एक डैम बना छबडा में उस डैम का जल स्तर बढ़ सकता था । उसमें हम पक्की नींव डाल कर बड़ा डैम बना सकते थे। एक बार डैम बनने के बाद वह छोटे स्तर का डैम बन जाये अब जब एक बार छोटे स्तर की नींव बन गई उसको हम बड़े स्तर का डेम बनाना चाहेंगे तो छोटे स्तर के डैम पर बड़े स्तर का डैम कैसे बनेगा। मैं आदरणीय भरत सिंहजी से कहूंगा कि इस चीज को ध्यान रखें कि हमारा परमा पर जो डैम बन रहा है वह छोटे स्तर का नहीं बन जाये। कहीं अधिकारी छोटी नींव रख दें और उसको हम बाद में वृहद योजना में बदलना चाहेंगे ...(व्यवधान) किसानों को पानी नहीं मिलेगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य समाप्त करो।

श्री करण सिंह (छबड़ा): मैं जो बता रहा हूं वह मैं टेक्निकल चीज बोल रहा हूं, मुझे मालूम है इस चीज का। मैं पढ़ाई लिखाई कर के बोलता हूं ऐसे नहीं बोलता हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य समाप्त करो।

श्री करण सिंह (छबड़ा): सभापति महोदय, थोड़ा और बोलने दो जनहित का मामला है।

श्री सभापति: बोलने वाले बहुत हैं, बहुत लम्बी लिस्ट है।

श्री करण सिंह (छबड़ा): सभापति महोदय, प्लीज दो मिनट। दूसरा यह था हिंग्लोद का जो डैम बनाया है वह छोटा बनाया है। छबड़ा के लोगों से बीजेपी के नेताओं ने कहा था हम आपको पानी देंगे और वह पूरा पानी इन्होंने थर्मल को दे दिया, किसानों को पानी नहीं दिया। ऐसी योजना नहीं बनानी चाहये कि बिजली उत्पादन के लिये योजना बन जाये और किसानों को पानी नहीं मिले। किसानों को पानी देने के लिये और बिजली उत्पादन करने के लिये दोनों को मिलाकर उस तरह की योजना बनानी चाहिये ताकि हम बिजली भी बना सकें। मैं एक बात और कहना चाहूंगा माननीय राजस्व मंत्रीजी भी बैठे हैं,

(श्री करण सिंह)

डैम बनाने के नाम से आदरणीय राठौड़ साहब, सभापति महोदय, किसानों की जमीनों को हम डीएलसी की रेट देकर जमीनें छीन लेते हैं चाहे डैम के नाम पर, चाहे इंडस्ट्री के नाम पर। किसानों को उचित मुआवजा दिया जाये। किसानों को हम उचित मुआवजा नहीं देते हैं और किसान दर-दर भटकते रहते हैं और इस कारण हम किसानों का भला नहीं कर सकते। मैं कांग्रेस का सदस्य होने के नाते इस सरकार से भी चाहूंगा चाहे डैम बनाये, चाहे इंडस्ट्री लगाये, चाहे सड़क बनाये किसानों को उचित मुआवजा मिलना चाहिये और जब हम किसानों को उचित मुआवजा देंगे तो हम समझेंगे हम जनता का भला कर रहे हैं। मेरे छबड़ा क्षेत्र में किसानों को बरबाद कर दिया भारतीय जनता पार्टी के समय पर और उससे आज किसान दर-दर भटक रहे हैं। इसलिए मैं उन बातों को सदन में बोलना चाहता हूं किसानों को बरबाद कर दिया। सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी से आशा रखता हूं कि किसानों का भला होना चाहिये और किसानों की जमीन लेने से पहले किसानों को बसाने की बात सोचनी चाहिये। अगर हम डैम बनाते हैं तो मंत्री महोदय झालावाड़ के किसानों का जिनकी जमीनें जाती हैं उन किसानों को उचित मुआवजा और उनको बसाने का सोचना पड़ेगा। इसलिए मैं आप सब से निवेदन करना चाहता हूं कि ऐसी योजना बनाइए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य अब समाप्त करो।

श्री करण सिंह (छबड़ा): मैं बोलूंगा, दो मिनट और बोलूंगा।

श्री सभापति: अब कितना बोलोगे आप, और भी सदस्य हैं बोलने वाले वह भी बोलेंगे। आप खुद सोचो कल कितना वक्त हुआ था। अभी बहुत सारे माननीय सदस्यों को बोलना है, माननीय सदस्य अब समाप्त करो।

श्री करण सिंह (छबड़ा): मुझे मालूम है मुझे कुछ सदस्य डिस्टर्ब कर रहे हैं, मैं जो बोल रहा हूं ...(व्यवधान) हाड़ौती में नदियां हैं, पहाड़ियां हैं, उपजाऊ जमीन है और वहां नदियों की कलकल छलछल है, प्राकृतिक सौंदर्य है और उस प्राकृतिक सौंदर्य और नदियों के बीच आप पानी रोक कर अच्छी योजना बना सकते हैं। मैं कहना चाहूंगा कि जो पांच साल तक भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने नहीं किया वह कांग्रेस के राज में होना चाहिये तो हम जनता का भला कर सकते हैं और पूरे राजस्थान को पानी देंगे, धन्यवाद।

श्री सभापति: विराजो, श्री पूराराम चौधरी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, यह व्यवस्था हुई थी कि सभी माननीय सदस्य जो बोलने वाले हैं जिनकी संख्या काफी लम्बी है 5 5, 7-7 मिनट में अपनी बात कह देंगे। मैं सत्ता पक्ष के सचेतक महोदय आपसे निवेदन करुंगा कि अगर आपके पास बोलने वाले हैं तो इधर भी कम नहीं है। फिर आधा-आधा घंटा सब बोलेंगे, पूरा बोलो जी अपने भी।

श्री पूराराम चौधरी (भीनमाल): सभापति महोदय, आज मांग संख्या 46 पर मैं माननीय मंत्रीजी का और सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। सभापति महोदय, मैं तो पांच मिनट में सारा बोल दूंगा चिन्ता मत करो। सभापति महोदय, आज जो सदन में चर्चा हो रही है यह बहुत बड़ा गम्भीर विषय है। सारे सदन को मिल कर क्योंकि यह भारत सरकार का मामला है नदियों को जोड़ने का, हम सब मिलकर यदि भारत सरकार को एक प्रस्ताव भेजें ताकि नदियों को जोड़ने का काम जल्दी से जल्दी हो जाये। सभापति महोदय, जब देश आजाद हुआ था भारत के प्रथम प्रधान मंत्री पंडित जवाहर लालजी नेहरू और पहली बार पार्लियामेंट की जो मीटिंग हुई तब उसमें यह पहला प्रस्ताव था और वल्लभ भाई पटेल ने प्रस्ताव रखा था कि सर्वप्रथम हम देश की जितनी भी प्रमुख नदियां हैं उनको जोड़ें और जो चार मेन लाइन हैं, चार महानगरों की यदि वह जोड़ दी जाये तो सारी व्यवस्था हो सकती है। सभापति महोदय, मैं जालौर जिले के भीनमाल विधान सभा क्षेत्र की बात करुंगा।

माननीय मंत्री महोदय 1983 के अन्दर माही योजना और नर्मदा योजना बनी थी। उसमें 1993 से 95 में उसका कुछ काम हुआ। जब माननीय गहलोत साहब की सरकार थी, गुजरात सरकार को पैसे नहीं भरे। माननीय मंत्रीजी के गांव का भी यही मामला है। वहीं से जाती है नर्मदा। कई वर्षों के बाद जब नर्मदा राजस्थान के अन्दर जालौर जिले में आई, परिवर्तन यात्रा के अन्दर, माननीय वसुंधराजी ने वहां वादा किया था कि अगर मैं मुख्य मंत्री बन गई तो पीने का पानी पूरे जालौर जिले को दूंगी और जो कुछ भाग बाड़मेर का है, और सांचोर की कम से कम 50-60 हजार हैक्टेयर जमीन है, उसमें मैं यह व्यवस्था करुंगी। सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करुंगा कि मंत्री महोदय बीच में पधारे भी थे वहां। जो योजना बनी थी, वह पूरे जालौर जिले में सिर्फ पेयजल की योजना थी, आज सबसे बड़ी विकट स्थिति यह है कि जो पानी का लेवल है, वह साढ़े छह सौ फुट, मतलब 700-700 फुट चला गया। बरसात है नहीं, जो जालौर जिले का सबसे मैन कस्बा

(श्री पूराराम चौधरी)

भीनमाल है, जालौर जिले में तीन एम.एल.ए. आज कांग्रेस के जीतकर आये हैं और चौथे ने भी आपको ही समर्थन दिया है। अकेला ही मैं अपोजिशन में हूं। सभापति महोदय, मैं मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि जो सांचोर से योजना आ रही थी, उसको भी आपने बंद कर दिया। वह ठेकेदार चिल्ला रहे थे कि हमारे पास पैसे थे, वह भी नहीं हैं। महोदय, जब मुख्य मंत्री वसुंधराजी थीं, 170 करोड़ रुपये उसमें पड़े थे हैड में, वह रुपये पता नहीं आपने किसको डिबार कर दिये, या तो पगार नहीं थी आपके पास, जाने उसमें बांट दिये, किस में बांट दिये, यह पता नहीं है। भीनमाल के लिये 130 करोड़ की योजना थी, जिसमें जसवंतपुरा, रानीवाड़ा और भीनमाल कस्बा जो जालौर जिले का सबसे बड़ा कस्बा है, सभापति महोदय, मंत्री महोदय से मेरा एक ही अनुरोध है कि वह जो भीनमाल कस्बे में रानीवाड़ा और जसवंतपुरा, सबसे बड़ा कस्बा भीनमाल है, उसके बाद बागोड़ा होते हुए आपकी लाइन पूरी जाती है आहोर तक। यह कब तक आप चालू कर देंगे। क्योंकि स्थिति एक्चुअली में बहुत कुछ वहां पानी की गम्भीर होती जा रही है। आप तो स्वयं उससे वाकिफ हैं। माननीय मंत्रीजी हेमारामजी भी स्वयं वहीं के हैं। उनको भी पता है सारी स्थिति। इसलिये मेरा अनुरोध है, मैं ज्यादा आपका समय नहीं लूंगा। आप कब तक इस योजना को भीनमाल के लिये 130 करोड़ थे, वह कब तक, कुछ फाइलें आपने दिल्ली भी भेजी हैं, आपके पास पड़ी हैं, चाहे तो मैं कल आपको चेम्बर में मिल लूंगा। मेरा अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी यह नर्मदा का पानी है, जो पीने के लिये कम से कम पूरे जालौर जिले में जाए। यही मेरा निवेदन है। सभापति महोदय, आपने मुझे समय दिया, उसके लिये धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री रामलालजी मेघवाल। समय सीमा पांच मिनट।

श्री रामलाल मेघवाल (जालौर): माननीय सभापति महोदय, आज आपने यह 47 संख्या पर बोलने का मौका दिया, उसके लिये मैं आपको कोटि-कोटि धन्यवाद अर्पित करता हूं। इस राजस्थान की बड़ी पंचायत में बोलने के लिये, सभापति महोदय, मैंने बहुत मशक्कत की है। मैंने खेल खेला, जो एक पूरा ओवर खेला। पांच बॉल मेरी आउट हो गई और छठी बॉल पर छक्का मारकर मैं विधान सभा में आया हूं। इसलिये मेरे पर कटौती न की जाए। माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से सिंचाई मंत्रीजी को निवेदन करना चाह रहा हूं कि हमारा जालौर जिला जो है, यह जंवाई बांध बना है, यह जंवाई नदी पूरी हमारे जालौर जिले में आहोर विधान सभा क्षेत्र, जालौर विधान

(श्री रामलाल मेघवाल)

सभा क्षेत्र, भीनमाल विधान सभा क्षेत्र और सांचोर तक यह नदी बहती थी। उससे हमारे कुएं रिचार्ज होते थे। पानी का लेवल ऊंचा था। इस बांध के बाद, मैं यह विरोध नहीं करता हूं कि इसका पानी पाली और सोजत को जाता है। कहीं भी पानी पीने के लिये दें, लेकिन हमारा इस बांध से, माननीय सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन है कि इस बांध को यूं तो हमारा जल स्तर नीचे घट गया और जब इसकी क्षमता के ऊपर फाटक खोलते हैं उस समय भी हमारे जालौर जिले को नुकसान होता है। यह भली-भांति आप जानते हो। जब-जब फाटक खोलते हैं, ओवर-फ्लो होने के बाद में तो जान-माल की बड़ी हानि होती है। जमीन कटती है, मवेशी मरते हैं और इन्सान मरते हैं। यह आपसे छिपा हुआ नहीं है। तो मेरा निवेदन यह है कि यह जंवाई बांध है, इसकी 62 फुट की क्षमता है। 50 या 55 फुट के ऊपर का जो पानी है, वह 55 फुट तक उसमें रखा जाए और 55 फुट के ऊपर हो तो जंवाई नदी में छोड़ा जाए जिससे जल स्तर भी ऊपर उठेगा और जान-माल का नुकसान भी नहीं होगा। यह मेरा निवेदन है। दूसरी बात, अभी भीनमाल से आने वाले विधायक महोदय ने बताया कि यह जब नर्मदा नहर पहले से कार्य प्रगति पर था, जब यह विधान सभा के चुनाव नजदीक आये तो तत्कालीन माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने वही रूप, जो परिवर्तन यात्रा का लाकर के यह घोषणा की, जालौर जिले में नर्मदा का पानी दे रहे हैं, उद्घाटन किया। बड़े-बड़े विज्ञापन छपाये, नरेन्द्र मोदीजी के आने का एलान किया। लेकिन नरेन्द्र मोदीजी 50 किलोमीटर दूर बैठे थे, वह नहीं आये और उस नर्मदा के गुजरात से लगाकर वहां 30 किलोमीटर तक अभी तक नहर नहीं बनी है। एक पाइप लाइन से पानी लाकर के उस नहर में डाला गया और सांचोर के मात्र कुछ गांवों को पीने के लिये पानी दिया गया। जालौर जिले को ऐसे ही रखा गया है, न तो भीनमाल क्षेत्र को है, न ही जालौर क्षेत्र को है, न ही आहोर को है। वह पानी नहीं मिलने के कारण से हमारे वहां यह नर्मदा नहर का एक प्रचार हो गया। हम अधिकारियों के पास या किसी मंत्री के पास जाते हैं, उस समय भी यह कहा जाता है कि आपके यहां तो नर्मदा आ गई। नर्मदा नहीं आई है। हमारे से पौने दो सौ किलोमीटर दूर है। इसलिये मंत्री महोदय, आपसे निवेदन है कि बागोड़ा का कार्य बंद है, उम्मेदा बाढ़ का कार्य बंद है और 600 एकड़ जमीन जो सांचोर में डीग के लिये एक्वायर की है, वह राज्य रिकार्ड में पेयजल के नाम अंकित हो गई है लेकिन उनका कब्जा नहीं लिया है। वह कब्जा नहीं लिया जाएगा जब

(श्री रामलाल मेघवाल)

तक न तो डीग बन सकती है, न ही आगे पानी बढ़ सकता है। इसलिये मेरा पुरज़ोर, सभापति महोदय के माध्यम से निवेदन है कि यह जल्दी से जल्दी नहर, जालौर जिले को पीने के लिये पानी दिया जाए। हम नहर को सिंचाई के लिये आप से नहीं मांग रहे हैं। सिर्फ पीने के लिये मांग रहे हैं। आज हमारा क्षेत्र जो है, मेरा विधान सभा क्षेत्र जिला मुख्यालय पर है और मुख्यालय पर 5 दिन से पानी पीने को मिल रहा है। ऐसी स्थिति में मेरा निवेदन है कि आप इसकी व्यवस्था करें और यहां भी ट्यूबवैल किसानों के हैं तो आप भी ट्यूबवैल सेंक्शन करें जिससे पानी की समस्या से निजात मिल सके। आपने मुझे बोलने का समय दिया, धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री अनिलजी जैन।

श्री अनिल जैन (खानपुर): सभापति महोदय, अनुदान की मांग संख्या 46, सिंचाई पर मुझे बोलने का अवसर प्रदान किया जिसके लिये मैं आपका आभारी हूं।

श्री सभापति: समय का ध्यान रखना आप।

श्री अनिल जैन (खानपुर): माननीय सभापति महोदय, झालावाड़ जिले के साथ बिलकुल अन्याय हो रहा है। बजट में कोई प्रावधान नहीं रखा। झालावाड़ जिले में पानी की सम्भावनाएं अपार हैं। इसलिये झालावाड़ जिले को और हाड़ौती को बजट में प्रावधान देना चाहिए था। पानी आज विश्व की महत्वपूर्ण एवं ज्वलंत समस्या है। पानी सम्पूर्ण विश्व की महत्ती आवश्यकता है। माननीय सभापति महोदय, मैं जिस क्षेत्र से आ रहा हूं, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान का अन्तिम छोर है। एक तरफ जहां राज्य में रेगिस्तान है, वहीं दूसरी ओर दक्षिणी पूर्वी छोर जहां पानी की अपार सम्भावनाएं हैं। पिछले 20 वर्षों से बारिश के पानी के संग्रहण के संसाधनों के अभाव में झालावाड़ जिले का किसान गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है।

(समय : 21.00 बजे)

किसान पानी के अभाव में कृषि नहीं कर पा रहे हैं। झालावाड़ जिले में पानी की अपार सम्भावनाएं हैं। झालावाड़ जिला राजस्थान का सबसे आर्द्र जिला है जहां पर बारिश 150 से 250 मिलीमीटर तक औसतन सालाना होती है। राज्य की लगभग समस्त महत्वपूर्ण नदियां इस जिले से होकर बहती हैं। इन नदियों का बहाव क्षेत्र झालावाड़ जिले में लगभग 1500 किलोमीटर लम्बा

(श्री अनिल जैन)

है। जितना पानी सम्पूर्ण राज्य में है उसका पचास प्रतिशत से अधिक तो केवल झालावाड़ और हाड़ौती क्षेत्र में ही है।

माननीय सभापति महोदय, आजादी के बाद झालावाड़ जिले की उपेक्षा होती रही है। झालावाड़ जिले के आम जन को बिजली-पानी, चिकित्सा, शिक्षा, सड़कें व हर प्रकार की मूलभूत आवश्यकता मुहैया करवा कर पूर्ववर्ती यशस्वी मुख्य मंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजेजी ने समूचे राजस्थान के साथ-साथ अन्तिम छोर पर बसा पिछड़ा हुआ झालावाड़ जिले को सक्षम एवं समृद्ध बनाने में, 'गरीब को गणेश मानकर' पूजा करने वाली कहावत को चरितार्थ किया है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा, कुशल नेतृत्व की धनी पूर्ववर्ती यशस्वी मुख्य मंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजेजी को जिन्होंने हमेशा से उपेक्षित रहे झालावाड़ जिले के किसान को आवश्यकता एवं जिले में पानी की अपार सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए किसानों के खेतों तक पानी पहुंचाने के जो आयाम पेश किये हैं, जिससे झालावाड़ की जनता उनको कभी नहीं भूला सकती तथा सदैव आभारी रहेगी।

माननीय सभापति महोदय, पूर्ववर्ती सरकार द्वारा कई लघु सिंचाई परियोजनाएं झालावाड़ जिले में लायी गयीं तथा किसानों के खेत में पानी पहुंचाने का पुण्य कार्य किया जिससे यह क्षेत्र खुशहाली की ओर अग्रसर हुआ। सूखे खेतों को पानी पहुंचा कर किसान के कदम समृद्धि की दिशा में बढ़ाये गये। पिछले पांच वर्षों में दो मध्यम, 13 लघु सिंचाई परियोजनाएं पूरी की तथा 11 नई स्वीकृतियों को मंजूरी दी है। साथ ही 60 छोटे-बड़े एनिकट निर्माण करवाये गये। गत पांच वर्षों में राजस्थान में 90 परियोजनाओं में जीर्णोद्धार के कार्य किये गये। नर्मदा परियोजना के अन्तर्गत गुजरात से पहली बार पानी लाकर राजस्थान के मरू क्षेत्र सांचोर तथा जालौर में पानी का प्रवाह किया गया। पूरे राज्य में 3000 एनिकट बनवाये गये जबकि अब एनिकटों का निर्माण कार्य बंद पड़ा है। पिछले पांच वर्षों में झालावाड़ जिले में कई सिंचाई परियोजनाएं पूर्ण की गयीं। इनमें 15143 हैक्टेयर कृषि भूमि की सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध हुआ।

मैं इसको संक्षेप में करता हूं, नहीं तो आपको योजनाओं के नाम बताऊंगा, मेरे से पूर्व जो माननीय सदस्य बोले थे झालावाड़ जिले के, उन्होंने गलत इन्फोर्मेशन दी है। मनोहरथाना क्षेत्र में दो परियोजनाएं पांच साल में पूरी

(श्री अनिल जैन)

की हैं जो 3021.43 लाख, 3248.79 लाख की, मनोहरथाना तहसील, मनोहरथाना विधान सभा क्षेत्र में यह योजनाएं पूरी की हैं। ऐसे मेरे विधायक साथी जिनको इतनी बड़ी योजना है उनकी विधान सभा में हुई है, मात्र आरोप लगाने के लिए उन्होंने यह गलत इन्फोर्मेशन दी है जो कि एक ठीक बात नहीं है।

माननीय सभापति महोदय, इन योजनाओं से 15143 हैक्टेयर क्षेत्र सिंचित हो रहा है। माननीय सभापति महोदय, इसके बावजूद इस जिले में पानी की समस्या बनी रहती है क्योंकि वर्षा के पानी के संग्रहण, संसाधनों की कमियों के कारण यहां होने वाली बारिश का पानी व्यर्थ ही बह कर नदियों के रास्ते समुद्रों में समा जाता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, दो मिनट और लूंगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री अनिल जैन (खानपुर): गत सरकार ने झालावाड़ जिले में निम्न योजनाएं पिछले वर्ष आर.के.वी.वाई. से स्वीकृत की गयी थीं। लघु सिंचाई परियोजना गुरालिया, लघु सिंचाई परियोजना बोरबंद, लघु सिंचाई परियोजना भैरूं घाटी, लघु सिंचाई परियोजना करल गांव, लघु सिंचाई परियोजना रिजोन, माननीय सभापति महोदय, इन पांचों परियोजना से क्षेत्र के 65 गांवों की कुल 1928 हैक्टेयर भूमि सिंचाई से लाभान्वित होनी है। इन परियोजनाओं की स्वीकृति नई सरकार ने वापस ले ली, विद्-ड्रा कर ली है। विकास के कार्यों में यह भेद-भाव क्यों? यह अन्याय झालावाड़ जिले की जनता के साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि पूर्व में मुख्य मंत्री वहां से झालावाड़ जिले से थीं इसीलिए यह झालावाड़ जिले की जनता के साथ अन्याय हो रहा है। वर्तमान सरकार ने झालावाड़ जिले की महत्वपूर्ण सिंचाई परियोजनाओं पर रोक लगा दी है। किसानों को खेतों को पानी पहुंचाने, कई योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृतियां जारी हो चुकी हैं उन पर भी रोक लगा दी है। जिस जिले में सर्वाधिक बारिश होती है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री अनिल जैन (खानपुर): उसी जिले में पानी के संग्रहण हेतु बजट में आर्थिक रूप से जर्जर वर्तमान सरकार ने कोई प्रावधान नहीं कर जिले की जनता के साथ अन्याय किया है।

(श्री अनिल जैन)

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री महोदय इन विद्-ड्रा की गयी योजनाओं को पुनर्जीवित कर क्रियान्विति सुनिश्चित करने की घोषणा करें।

माननीय सभापति महोदय, झालावाड़ जिले में दो वृहत, दो मध्यम सिंचाई परियोजना अभी स्वीकृत की गयी थी, जिन्हें समय रहते पूरा करवाना अति आवश्यक है। परवन वृहत सिंचाई परियोजना 1114 करोड़ की ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप समाप्त करें।

श्री अनिल जैन (खानपुर): काली सिंध 600 करोड़ की, मनोहरथाना 150 लाख, राजगढ़ 135 लाख, पूर्ववर्ती सरकार के समय परवन वृहत सिंचाई परियोजना का प्रस्ताव 1114 करोड़ का केन्द्रीय जल आयोग को भेजे जा चुके थे लेकिन केन्द्र सरकार ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब समाप्त करें आप। लम्बा समय निकला जाए, बहुत माननीय सदस्यों को बोलना है।

श्री अनिल जैन (खानपुर): माननीय सभापति महोदय, दो मिनट साहब, मैं पहली बार बोल रहा हूं।

केन्द्र और राज्य में सरकार भिन्नता के कारण कुछ निदेशालयों से स्वीकृति मिल गयी और तीन निदेशालयों से आक्षेप लगकर पूर्ति के लिए भेज दिया गया। वर्तमान राज्य सरकार ने 4 करोड़ 62 लाख का बजट में प्रावधान पूर्ति, आक्षेपों की पूर्ति करने के लिए प्रावधान किया है, धन्यवाद के पात्र हैं लेकिन केवल आक्षेप पूर्ति ही नहीं केन्द्र व राज्य में सरकार ...(व्यवधान)

श्री सभापति: अब आप समाप्त करें। ठीक है माननीय सदस्य, खूब हो गया, बहुत अच्छे-अच्छे सुझाव दे दिये आपने। (व्यवधान)

श्री अनिल जैन (खानपुर): एक ही दल की होने की वजह से इस महत्वाकांक्षी योजना को समयबद्ध तरीके से पास करवा कर झालावाड़, बारां और कोटा जिलों पर बहुत बड़ी कृपा होगी कि यह योजना पास करवा कर एक समयबद्ध तरीके से इसको पूरा करवाया जाए। आपने बोलने का समय दिया, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मेवाराम जैन। समय का पूरा ध्यान रखें।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): माननीय सभापति महोदय, आज मांग

(श्री मेवाराम जैन)

संख्या-46 सिंचाई एवं इंदिरा गांधी नहर पर चर्चा हो रही है और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस परियोजना में आज इस बजट में जिस तरह से माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पूरे राजस्थान को सभी जिस तरह से बजट दिया, इसके लिए मैं उन्हें बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा और निवेदन करना चाहूंगा कि आज जिस तरह से चर्चा हुई पक्ष और विपक्ष सभी ने चर्चा की और सभी ने सिंचाई के लिए बात की। कहीं नहरों की बात की, नालों की बात की, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि बाड़मेर जिले में जो योजनाएं बनी हैं एक मोहनगढ़ से बाड़मेर लिफ्ट कैनाल, एक जैसलमेर से गडरा रोड कैनाल जो आज से 20-25 साल पहले स्वीकृत हुई थी और वह स्कीम सिर्फ जैसलमेर तक अटक गयी और गडरा रोड जो डेजर्ट पार्क की वजह से उस स्कीम का काम बंद कर दिया गया है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस स्कीम को, इस योजना को जो बहुत ही महत्वपूर्ण है, वहां सिंचाई के लिए योजना बनाई गयी थी। सिंचाई नहीं तो लोगों को पीने के पानी के लिए इस स्कीम को तुरन्त चालू करवाया जाए और जो डेजर्ट पार्क की जो जमीन है इसको कहीं और शिफ्ट किया जाए, नहीं शिफ्ट होता है तो इसके बीच में से इस नहर को गडरा रोड तक पहुंचाया जाए जिससे लोगों को फायदा होगा। इसके साथ-साथ नर्मदा नहर, जिसके लिए इलेक्शन से पहले कई तरह की बात हुई थी, उद्घाटन हुआ परन्तु मेरे ख्याल से अभी तक इसका फायदा हमारे बाड़मेर जिले को कतई नहीं हुआ। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि इस कैनाल का भी काम तुरन्त तीव्र गति से चालू किया जाए ताकि यहां के लोगों को फायदा मिले।

इसके साथ-साथ मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा, चर्चा में सभी लोगों ने सिंचाई के पानी की बात की। मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि बाड़मेर में पानी की इतनी भयंकर समस्या है और मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा कि बाड़मेर के गांवों में कई गांव तो ऐसे है जहां एक-एक, दो-दो साल से उस गांव में पानी पहुंचा ही नहीं है। बाड़मेर शहर में एक लाख की आबादी है और उस शहर में चालीस वार्डों में से बीस वार्डों में तो सौ घंटे में एक, दो, चार घंटे सप्लाई होती है और बीस वार्ड ऐसे हैं जहां 15-20 दिन से बड़ी मुश्किल से पानी शहर के अन्दर भी उपलब्ध होता है तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा जो मोहनगढ़ से बाड़मेर लिफ्ट कैनाल जो स्वीकृत हुई है, सात-आठ साल पहले यह स्वीकत हुई थी और उसका पूर्व में माननीय

(श्री मेवाराम जैन)

अशोकजी गहलोत ने उसका शिलान्यास किया था, दुर्भाग्यवश वह स्कीम पांच साल तक बिलकुल ठंडे बसते में डाली गयी।

और अब जाकर इस स्कीम का तीव्र गति से कार्य प्रारम्भ हुआ है। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से भी निवेदन करना चाहूंगा कि इस स्कीम को जल्दी से जल्दी इसका बजट बढ़ाकर और इस स्कीम को तुरन्त बाड़मेर तक लाया जाये ताकि बाड़मेर शहर और इसके साथ-साथ कई गांवों को फायदा हो सके।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि बाकी तो सभी जगह काफी चर्चा हुई कि यहां खारा पानी है, फ्लोराइडयुक्त पानी है। मैं तो आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यहां न तो खारा पानी मिल रहा है, न कोई फ्लोराइडयुक्त पानी मिल रहा है। लोग पानी के लिये तरस रहे हैं। वह तो यह भी कह रहे हैं कि हमें खारा पानी उपलब्ध कराओ जिससे कम से कम हमारे यहां जीवन-यापन तो हो सके। इसलिये मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा और माननीय मुख्य मंत्रीजी ने भी इस बजट में बाड़मेर लिफ्ट कैनाल में राशि का प्रावधान किया है, इसके लिये मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा और मैं मंत्रीजी से भी निवेदन करना चाहूंगा कि इतनी भंयकर समस्या पानी की देखते हुए आप बाड़मेर में लिफ्ट कैनाल योजनाओं और बाकी की योजनाओं को तुरन्त तीव्र गति से वहां प्रारम्भ करके काम पूरा कराया जाये, यही मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें। श्रीमती अनिता सिंह। समय का ध्यान रखें माननीय सदस्या।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): ठीक है। आदरणीय सभापति महोदय, मांग संख्या-46 इर्रिगेशन के ऊपर सदन में आज चर्चा हुई। चर्चा के अन्दर सभी माननीय सदस्यों ने बहुत अच्छी राय भी दी है, बड़े अच्छे तरीके से सुबह से जो चर्चा हो रही है, उसमें अच्छे-अच्छे विचार आ रहे हैं। मैं तो अपने क्षेत्र के विषय में कहना चाहूंगी कि माननीय मंत्रीजी यहां बैठे हैं। भरतपुर जिले में, यह एक ऐसा जिला था कि पहले यहां पर लोग बाढ़ से त्रस्त रहते थे। हमारे भरतपुर की जो भौगोलिक स्थिति है, वह बिलकुल एक बाउल की तरह है कटोरी की तरह है कि जहां पर भी पानी आता था, उसमें इकट्ठा होता था, उसको बाढ़ से रोकने के लिये जगह-जगह पुल बना दिये गये और उन पुल की

(श्रीमती अनीता सिंह)

वजह से, उन बांधों की वजह से आज भरतपुर की यह स्थिति है कि वहां पर पीने के पानी की भी मुश्किल हो रही है। सरकार की ओर से डार्क जोन घोषित किया हुआ है कि यहां पर पीने के पानी की मुश्किल है और जब हम यहां पर सुबह से चर्चा सुन रहे हैं, कोई इंदिरा गांधी नहर की बात कर रहा है कि हमारे यहां नहर से सिंचाई होनी चाहिये, कोई कहता है नहरों से हमारे यहां सिंचाई होनी चाहिये तो मुझे यहां बैठकर बड़ा आश्चर्य होता है कि हमारे यहां तो सच्चाई के लिये हम लोग चर्चा ही नहीं करते कि हमारे यहां भी किसान रहते हैं, सरसों और गेहूं की अच्छी फसल हमारे क्षेत्र में भी होती है, यहां भी किसानों के लिये सिंचाई की व्यवस्था करनी चाहिये। राजस्थान के पूरे किसान, सबको एक नजर से, सबको बराबर से जो सरकार रहती है, उसको एक नजर से देखना चाहिये। पूरा जो राजस्थान है, उसमें जो भी जिले हैं, उन सब जिलों के किसानों को एक नजर से देखना चाहिये कि हर किसान को अपने खेत के सिंचाई के लिये पानी उपलब्ध हो। ऐसा जो सरकार करेगी, उसी सरकार की आगे कीर्ति बढ़ती चलेगी।

मेरा यह निवेदन है कि हमारे यहां भरतपुर में रियासतकालीन का, स्टेट टाइम का एक बांध है, सीकरी बांध, उसमें से 28 नहरें निकलती हैं और नहरें निकलकर पूरे नगर को, डीग को, भरतपुर को, नदबई को, कामां को पांच विधान सभा क्षेत्रों को पूरा करती हैं, जो सिंचाई के पूरे पानी को फैलाकर आगे कर देती है। यह सीकरी बांध बना तो इसलिये था कि भरतपुर जिले में बाढ़ आती थी रूपारेल नदी से, तो उस बाढ़ के पानी को फैलाकर देते थे। फैलाकर देने से उस बाढ़ की गति थोड़ी कम हो जाती थी, लेकिन आज जब हमारे क्षेत्र में पीने के पानी की कमी हो रही है, सिंचाई की कमी हो रही है। मेरा तो मंत्री महोदय से इतना ही निवेदन है कि आप जब अपना वक्तव्य पढ़ें तो उसमें हमारे सीकरी बांध के लिये अपना जो भी देना उसको पुनर्दान के लिये जो आप करना चाहें, अपने वक्तव्य में जरूर कहें। क्योंकि, सभापति महोदय, आपने समय बहुत कम दिया है, मैं तो दूसरे पाइंट पर आपसे यह कहना चाहती हूं कि यह जो यमुना का पानी हमारे भरतपुर में आना है, क्योंकि इसकी बात हो रही है कि यमुना का जो पानी है, वह जिला झुन्झुनूं और चूरू में भी जाना चाहिये और 1917 क्यूसेक पानी का दिया जाना प्रस्तावित है। मैं तो यह कहना चाहती हूं कि भरतपुर जिला, जो बिलकुल यमुना से सटा हुआ है कि सीधे वहां पानी आयेगा। जब हमारे यहां पर ही पानी नहीं आ रहा है तो चूरू और झुन्झुनूं में पता नहीं कैसे पहुंचेगा?

(श्रीमती अनीता सिंह)

मेरा तो आपसे निवेदन है कि हमारे यहां पर पानी की जो बात तय हुई थी, वह हुई थी 1281 क्यूसेक पानी की, और 1281 क्यूसेक पानी वहां से दिया जाये तो हमारे भरतपुर जिले में वह संसाधन ही नहीं है कि हम भरतपुर जिले में वह पानी ले सकें। 800 क्यूसेक के करीब वह पानी देते। 800 क्यूसेक पानी की क्षमता को हम ले सकते हैं और वहां से 800 भी नहीं आ रहा, केवल 500 आ रहा है तो मेरा मंत्री महोदय से विनम्र निवेदन है कि आप इस जल के लिये हरियाणा के मुख्य मंत्री और वहां के मंत्रीजी से बात करके इसको पूरा लेने का प्रयास करें और पूरा लेने के बाद हमारे यहां संसाधन भी डवलप करें जिससे 1281 क्यूसेक जो पानी है, वह कम से कम हमारे क्षेत्र में आ सके।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

तीसरी बात मैं आपसे यह कहना चाहती हूं कि वर्षा का पानी इकट्ठा होकर हरियाणा से हमारे भरतपुर जिले में आता है, राजस्थान में यहां आता है, हरसोला बांध के यहां से आता है, के.पी. ड्रेन निकलती है। इसमें आउटलेट और इनलेट, दोनों बने हुए हैं, लेकिन इसकी कोई व्यवस्था नहीं है। इसकी वजह से सारा पानी, जो भी बरसात का पानी आता है, इधर-उधर होकर उत्तर प्रदेश में निकल जाता है। उसको रोकने की व्यवस्था हम अपने जिले में, अपने राज्य में कर लेंगे तो भी हमारे यहां पर भूजल की बात कर रहे हैं कि पानी खतम हो रहा है, अगर वहां रूकेगा तो वह पानी भी आगे बढ़ता जायेगा।

चौथा पाइंट, सभापति महोदय, आपसे निवेदन करना चाहती हूं । चौथी बात डि-स्केप के बारे में निवेदन करना चाहती हूं। डि-स्केप का पानी, जो हाथिया के हैड से निकलता है और गांव के पोखर और डीग के तालाबों से होकर वहां आ जाता है। हमारे जो डीग के महल हैं, वह भी देखने लायक बहुत अदभुत वहां के महल हैं, उसमें भी तालाबों के द्वारा पानी आता था। वहां रंगीन फव्वारे चलाये जाते थे, साल में एक बार जिला कलक्टर उन फव्वारों को चलाता है। मेरा निवेदन है आपसे कि डीग के महलों का सौन्दर्यकरण बिना तालाबों के नहीं रह सकता है, इसलिये फव्वारों को बारहमासी किया जाये और होम कैनाल में डालकर डीग के आस-पास के गांवों में, पोखरों की पाल पर बदस्तूर जो मीठा पानी उपलब्ध हो सकता है, उससे उसके सौन्दर्य में भी चार चांद लगेंगे, इसलिये इसको भी किया जाना बहुत आवश्यक है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्रीमती अनीता सिंह)

मैं, सभापति महोदय, सिर्फ दो मिनट में अपनी बात कह दूंगी। मैंने बहुत जल्दी-जल्दी में ही खतम किया है।

श्री सभापति: समअप करें।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर): मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूं कि यह बहुत कहने की आवश्यकता नहीं है कि जल संकट से उबरने के लिये जो ऐहतियात उपाय न करने के लिये आज राजस्थान में, हमारे हिन्दुस्तान के अन्दर जल के लिये भी युद्ध जैसी स्थिति पैदा हो गयी है। मेरे से पहले भी कई माननीय सदस्यों ने कहा है कि तीसरा विश्व युद्ध अगर होगा तो वह पानी के लिये होगा और यह सच्चाई भी है कि जल के संकट की यह घटना प्राकृतिक आपदा की तुलना में सरकार द्वारा मानवीय कुप्रबन्धन और हमारे जल की संस्कृति को विकसित न करने का परिणाम अधिक है। हमारे पहले से रियासतकालीन जमाने के अन्दर बहुत से बांध बने हुए हैं। इसीलिये मैं निवेदन करना चाहती हूं कि पिछले पांच दशक का इतिहास साक्षी है कि इस प्रकार के जल संकटों से निपटने के लिये सरकारों ने राहत कार्यों के लिये प्रभावित होकर सिर्फ रोग के ऊपरी सतह पर मरहम लगाया है और आपदा से निपटने के लिये कोई स्थाई समाधान ढूंढने के लिये उन्होंने कोई प्रयास नहीं किये। इसलिये सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा निवेदन कर देना चाहती हूं कि अब जो जल है उसको और उपेक्षित न किया जाये। जो हमारे पास जल शेष है, उसको संरक्षित करना चाहिये जिससे हमारे किसानों का, हमारे जिले का, हमारे राजस्थान का भला हो । मैं सभापति महोदय, आपको धन्यवाद देना चाहती हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया।

श्री सभापति: श्री गिर्राज सिंह मलिंगा। समय का पूरा ध्यान रखें।

श्री गिर्राज सिंह (बाड़ी): अभी बोलने तो दो, अभी कुछ बोला ही नहीं और आप मुझे समय में पाबंद कर रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, सुबह से सदन में पानी के ऊपर चर्चा हो रही है। मैं भी पानी के ऊपर कहना चाहता हूं। धौलपुर जिले में चम्बल बहती है, धौलपुर जिले में चम्बल इतना नुकसान करती है कि करीबन साल में 20-25 लोगों की जान लेती है। हर साल 20-25 लोग बहते हैं, 40-50 गांव में नुकसान होता है और उस धौलपुर जिले में नुकसान होता है। आप पानी की बात करते हैं, पानी के फायदे के लिये आपने भरतपुर के लिये पाइप लाइन बिछा रखी है। पहले चम्बल का पानी धौलपुर के

(श्री गिर्राज सिंह)

लिये होना चाहिये, धौलपुर के लोगों को उससे नुकसान हो रहा है तो फायदा भी उन्हीं लोगों को मिलना चाहिये।

आप सौ किलोमीटर की पाइप लाइन तो बिछा रहे हैं भरतपुर के लिए, धौलपुर में मात्र दस किलोमीटर की पाइप लाइन बिछानी है तो पूरे धौलपुर जिले में पानी ही पानी हो जाएगा। छोटे-छोटे एनीकट बनवाये जाएं। पानी की धौलपुर जिले में कोई कमी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा चालीस पचास करोड़ रुपये की लागत से ही यह काम हो जाएगा और यह सरकार के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। पूरे जिले में एनीकट हैं। छोटे-छोटे एनीकट बनाये जाएं, मिनी डैम बनाया जाए। मिनी पार्वती के लिए कई बार सर्वे हो चुकी है। पहले बी जे पी की गवर्नमेंट थी। उन्होंने भी सर्वे कराया। अब मालूम नहीं है कि वह सर्वे रिपोर्ट कहां खो गयी। यह तो सिर्फ सर्वे ही सर्वे की बात कही है। पेपर में निकलवा दिया, बढ़िया-बढ़िया फोटो आ गये। जिला अध्यक्ष और पूर्व विधायक सभी ने अपने-अपने फोटो खिंचवाये हैं और बहस होने लगी है। कांग्रेस के लोग कहने लगे कि हमने इसको सैंग्शन कराया है, बी जे पी के लोग रोजाना पेपरों के माध्यम से कहने लगे कि इसको हमने सैंग्शन कराया है। यदि सैंग्शन हो गयी तो पानी की चम्बल योजना फिर गई कहां? उसका मालूम ही नहीं है। न तो बी जे पी के राज में मालूम हुई और न ही कांग्रेस के राज में मालूम हुई। वह चम्बल योजना खो कहां गई? इसलिए मैं माननीय मंत्रीजी से कहना चाहता हूं यह कोई ज्यादा बड़ी लागत का काम नहीं है। धौलपुर जिले ने वैसे भी आपसे कुछ नहीं मांगा है। एक चीज मांग रहे हैं। इसको करवाओ।

सभापति महोदय, इसके बाद में जो छोटे-छोटे बांध हैं उनमें भी उसी चम्बल योजना से पानी चला जाएगा। आप चम्बल लिफ्ट योजना हमें दे दो क्योंकि बाड़ी और बसेड़ी दोनों विधान सभा क्षेत्र हमारे कवर हो रहे हैं। पूर्व मुख्य मंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजेजी हुई तब हमने सोचा कि चलो हमारे जिले को कुछ मिलेगा। उन्होंने भी कुछ नहीं दिया । वह तो धौलपुर को ऐसे भूल गयीं कि जैसे वो धौलपुर की हैं ही नहीं। मैं तो आपसे यही कहना चाह रहा हूं कि आप तो कम से कम थोड़ा धौलपुर पर नजर करो। वैसे भी धौलपुर पिछड़ा हुआ जिला है। पानी के लिए वहां कोई व्यवस्था नहीं है। पांच किलोमीटर दूर तक पानी भरने के लिए किसान जाते हैं। गांवों में आप कहीं भी सर्वे करवा लो, करीब दो सौ गांव खाली पड़े हुए हैं। वह सब लोग अभी यू पी में बसे हुए

(श्री गिर्राज सिंह)

हैं। जब बरसात हो जाएगी तब वह वापस आयेंगे। तो चम्बल का पानी सबसे पहले धौलपुर को चाहिए। अगर आपने धौलपुर को पानी नहीं दिया और अगर भरतपुर को पानी दे दिया तो रोजाना हम पाइप लाइन तोड़ेंगे और तुड़वायेंगे। आपने मुझे बोलने का मौका दिया। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री छोटू सिंहजी भाटी। समय का ध्यान रखें।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-46, सिंचाई एवं इन्दिरा नहर के बारे में मैं अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। सर्वप्रथम मैं उन जन-प्रतिनधियों को, उन समाजसेवियों को, और उन श्रमिकों को धन्यवाद देना चाहता हूं जिनके अथक प्रयासों से हमारे रेगिस्तानी प्यासी धरती जैसलमेर के लिए हिमालय का पानी लाया गया। इसके साथ ही कई महानुभावों ने, माननीय सदस्यगण ने पानी के बारे में अपने-अपने विचार रखे। कुछ विचारों से सभी मिलकर सहमत होंगे तो शायद इस वर्ष के पानी के लिए अपन मुकाबला कर सकते हैं। माननीय मंत्री महोदय, हमारे जैसलमेर में नहरें खूब बनी हैं। इतनी नहरें बनी हैं जिसका कोई अन्त नहीं लेकिन इस साल देखा जाए तो आधे से ज्यादा नहरें खाली पड़ी हैं। कुदरत का साथ भी है, कुदरत ने साथ नहीं दिया लेकिन आज से चार महीने पहले नहरों में बहुत पानी था तब न अधिकारियों ने सोचा और न सरकार ने सोचा। सभी किसानों ने अपनी-अपनी खेती कर ली और आज जब पानी का मौका आया तो कहीं पानी है ही नहीं। उस वक्त सूझ-बूझ से यह सोचना था और किसानों को यह कहना था कि यह पानी पीने योग्य है, आप खेती नहीं करोगे। आज वह किसान बरबाद हो गये। मैं मानता हूं कि पानी हरिके बांध में भी नहीं है तो कहां से आयेगा लेकिन यह सरकार की और अधिकारियों की लापरवाही रही, उससे हमारे किसान बरबाद हुए।

माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि जैसलमेर की हमारी नहरों में कुछ तकनीकी खराबियां हैं। हमारी नहर सागरमल गोपा की सादा वितरिका की निकली एक टिबरा वितरिका थी। उसमें अधिकारियों और इंजीनियरों की गलती से उस नहर का बन्टाधार हुआ। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं, माननीय हेमारामजी साहब को भी यह पता होगा कि इस नहर में बैड लेबल में गड़बड़ है। यह कब खराब हुई है, यह अधिकारी और इंजीनियर ही जानते हैं। जब यह नहर चलती है तो इसकी भराव क्षमता, इसका बैड लेबल, इसकी केपेसिटी 140

(श्री छोटू सिंह भाटी)

क्यूसेक्स की है जबकि 70 क्यूसेक्स इसमें पानी छोड़ा जाता है तो नहरें टर्न हो जाती हैं। अभी मैं गया था और मैंने वहां देखा क्योंकि मेरा भी काम पड़ा। मैं भी ग्राम सेवक से विधायक बना हूं इसलिए मेरा घूमने का काम था। उस टाइम भी मैंने देखी थी कि नहर के बैड लेबल में अभी 30 क्यूसेक पानी छोड़ा। तब मैंने उसकी भराव क्षमता देखी तो कहीं दो फिट है, कहीं फिट भर है तो कहीं आधा फिट भी है। इतना बैड लेबल में डिसटेंस है। माननीय मंत्री महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं, एक पुरानी कहावत है मूल नक्षत्रों में जन्मा जो तो जन्मा, बाद में पूजा प्रतिष्ठा ही होती है। मेरा आपसे निवेदन है कि इसको और रेज किया जाए। इसका प्री बोर्ड बैठाया जाए। यदि इसका प्री बोर्ड बैठाया जाए तो हो सकता है कि इस नहर का जीर्णेद्धार हो जाए। माननीय मंत्री महोदय, इस नहर का हाल, इस नहर से तीन सब नहरें और निकली हैं, उनका भी यही हाल है। मैं उन सभी में घूमा और उनमें देखा मैंने पूरी नहर का यही हाल है तो इसके बारे में ज्यादा कहना मैं नहीं समझता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

शार्ट में समय है। सभापति महोदय, घंटी लगा रहे हैं लेकिन बोलना तो पड़ेगा कि अन्तिम छोर में, जैसलमेर में बैठा हूं। मान्यवर, ऐसा ही आलेख हमारे पाइपों में है। जो हमारे आदरणीय देवी सिंहजी साहब ने कहा था उसी प्रकार हमारी पाइप लाइन में भी है। वह तो शुरू से आज तक चाक ही हो गयीं। इन तीनों नहरों पर और चौथी नहर यह, इन पर हमारे पांच हजार काश्तकार हैं। उनको कमाण्ड जमीन दी हुई है और कमाण्ड जमीन का उन्होंने पैसा भरा है। हमारे कई भाई बाड़मेर से आये, कई जैसलमेर के थे। माननीय मंत्री महोदय, वे आज भी बरबाद हैं। जब अधिकारियों को कहा जाता है कि आप नहर में पानी क्यों नहीं छोड़ते हो, तो वह यही कहते हैं कि काश्तकार नहीं आये। काश्तकार कहां से आयेगा जब पानी की भराव क्षमता ही इतनी चल रही है तो काश्तकार तो आकर बरबाद होकर चले गये।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब समाप्त करो आप।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): माननीय मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा अन्तिम छोर जैसलमेर में है। द्वितीय चरण में इन्दिरा गांधी नहर में हमारे जिले में कभी-कभी पानी उपलब्ध नहीं होता है। इसलिए व्यवस्था सुचारू और सुदृढ़ करना आवश्यक है। द्वितीय चरण के

(श्री छोटू सिंह भाटी)

किसानों को उनके हक का पूरा पानी मिले इसके लिए विशेष जल नीति बनाने की नितान्त आवश्यकता है। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इसके अलावा हमारे जैसलमेर से बाड़मेर के लिए खनिज के लिए भी पानी जा रहा है। मैं स्वागत करता हूं कि पीने के लिए पानी जायेगा। उसके साथ में हमारे गांव भी मिलते हैं। मंत्री महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उस पाइप लाइन से हमारे गांव के लोग जो खारा पानी पीते हैं और वे पानी की समस्या से गस्त हैं, उनको भी जोड़ा जाए ताकि उनको भी वह पानी मिल सके। दूसरे कई गांव हमारे ऐसे हैं जो सम की साइड में हैं, उनको पानी नहीं मिलता और वे खारे पानी से ग्रसित हैं। उनको पाइप लाइन के जरिये, जब जैसलमेर से बाड़मेर पानी पीने के लिए जा रहा है तो उनको जरूर पिलाया जाए इसके साथ-साथ मान्यवर, मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): कई नहरें ऐसी हैं जो आज भी अधूरी पड़ी हुई हैं। हमारे माननीय सदस्य ने कहा था, डी.एन.पी. एरिये में आयी हुई हैं नहरें। वो बाकी हैं। कृपया उनको भी चालू कराने के लिए व्यवस्था करें। इसके साथ में मैं थोड़ा सा निवेदन करना चाहता हूं। पानी की समस्या को देखते हुए हमारे जैसलमेर में एक डिग्गी की व्यवस्था की जाए। जहां बिजली की उपलब्धता हो, वहां डिग्गी की व्यवस्था करके वहां पांच हार्स पावर का कनेक्शन दिया जाए, जिससे कि पानी की कमी से उन डिग्गियों से काश्तकारों को पानी मिल सकता है। ऐसा मेरा सुझाव है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर): माननीय मंत्रीजी, इसके लिए आप विचार करें, डिग्गियों की व्यवस्था और पांच हार्स पावर का लाइट का कनेक्शन दिया जाए। इस कम पानी की व्यवस्था में हम फव्वारा पद्धति से पानी ला सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बोलने के लिए मौका दिया इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जयहिन्द।

सूचना

पलटन बाजार, अजमेर में पानी की किल्लत-प्रदर्शन

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय सभापति महोदय, पाइण्ट आफ इन्फोर्मेशन।

माननीय सभापति महोदय, अजमेर शहर में पलटन बाजार में पिछले पांच दिन से पानी नहीं आ रहा था आज वहां की महिलाएं वहां पर प्रदर्शन करने के लिए गयीं। पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज किया, अभी उनको अन्दर दतिया थाने में रात्रि में पुलिस ने थाने में बंद कर रखा है। मैंने सी.आई. से बात की, सी.आई. उनको छोड़ने को तैयार नहीं है। उन्होंने कहा केस दर्ज कर लिये हैं। मैंने कहा, जमानत कर लो लेकिन रात्रि में महिलाओं को थाने में रखना निश्चित रूप से एक प्रक्रिया के अन्तर्गत नहीं है। इस तरह से पानी के लिए मांग कर रहे लोगों पर बराबर लाठी चार्ज हो कर के उनको घायल किया है, मैं मांग करता हूं, माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से, माननीय मंत्री महोदय, अभी उनको तत्काल छोड़ा जाए, मुकदमे वापस लिये जाएं और सी.आई. के खिलाफ कार्यवाही की जाए।

श्री सभापति: श्री ओमजी जोशी।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): यह सदन इस तरह नहीं चलेगा। नहीं तो मैं अभी धरने पर बैठूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने एक ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): मेरे क्षेत्र की महिलाएं इस तरह थाने में बंद नहीं रहेंगी।

श्री सभापति: विराजें, विराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, मेरी बहुत नम्र शब्दों में प्रार्थना है कि माननीय सदस्य ने एक अति महत्वपूर्ण विषय की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया है। इस देश के अन्दर आन्दोलन करना जनता द्वारा पानी की मांग करना, यह कोई बड़ी बात नहीं है। कल तक हमारे पर आरोप लगाने वाली सरकार की कलई खुल रही है। महिलाओं को रात के अन्दर, इन्होंने कसूर क्या किया? उनको हिरासत में रखना, उनकी पिटाई

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

करना मैं समझता हूं, माननीय सभापति महोदय, आप आसन पर विराजे हैं, सरकार को निर्देश दें। अगर उन्होंने कोई अपराध किया है, वो जब जमानत लेने के लिये तैयार हैं ...(व्यवधान) इसलिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो अन्याय हो रहा है, माननीय सभापति महोदय, हम आपसे संरक्षण चाहते हैं। माननीय सदस्य ने बड़ी गम्भीरता से अपनी बात कही है।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): मुझे संरक्षण चाहिए आप से। मेरे क्षेत्र की जनता के लिये संरक्षण ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजो। विराजो।

श्री नाथूराम सिनोदिया (किशनगढ़): दाता राम के मायनै सलेमान सै बस भर क ले जा के पटकी लुगाया न, म्हां की औरता न।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजो। श्री ओमजी जोशी।

श्री नाथूराम सिनोदिया (किशनगढ़): पानी मांगता ही लाठियाऊं कूटी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, आप विक्रमादित्य की कुर्सी पर बैठे हैं।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय सभापति महोदय, मुझे संरक्षण तो दो।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): और ऐसी कुर्सी पर विराजे हैं, इस सर्वोच्च सदन के अन्दर इस सबसे बड़ी पंचायत के अन्दर हम आपसे न्याय की उम्मीद करते हैं।

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): महिलाएं जेल में बंद हों, पुलिस बर्बर लाठी चार्ज करती है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): हम निवेदन करना चाहते हैं, सभापति महोदय ...(व्यवधान)

श्री नाथूराम सिनोदिया (किशनगढ़): यह कहे जो सारी सच्ची और दूसरा कहे जो सारी झूठी ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): हम निवेदन करना चाहते हैं, सभापति महोदय, इस पर व्यवस्था करें और उनको छुड़ाने की व्यवस्था करें।

श्री सभापति: विराजें।

श्री नाथूराम सिनोदिया (किशनगढ़): पट्टा बंध गया हाथों के कूटते कूटते। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये। (व्यवधान)

श्री नाथूराम सिनोदिया (किशनगढ़): थाने में ही ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय सदस्य बोल रहे हैं, विराजें आप। श्री ओमजी जोशी। जोशीजी, जोशी साहब, बोलिये। विराजिये, आप पीछे, माननीय सदस्य। आप विराजिये। अंकित नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र सिंह गुढा (उदयपुरवाटी): ×××

श्री सभापति: ओम जोशीजी, बोलिये।

श्री राजेन्द्र सिंह गुढा (उदयपुरवाटी): ×××

श्री सभापति: आप विराजिये। नहीं, अंकित नहीं होगा, आप विराजिये। अंकित नहीं होगा, माननीय सदस्य, आप विराजिये।

श्री राजेन्द्र सिंह गुढा (उदयपुरवाटी): ×××

श्री सभापति: ओमजी जोशी। जोशीजी, आप बोलना चाहते हैं या नहीं बोलना चाहते?

श्री राजेन्द्र सिंह गुढा (उदयपुरवाटी): ×××

श्री सभापति: विराजिये आप। आप अपनी चर्चा शुरू करें। विराजिये, अंकित नहीं हो रहा है।

श्री राजेन्द्र सिंह गुढा (उदयपुरवाटी): ×××

मांग संख्या-46 पर विचार

श्री ओम जोशी (फलौदी): माननीय सभापति महोदय, परिवर्तित बजट 2009-2010 के अनुदान की मांग संख्या-46, सिंचाई विभाग जिसमें कि इंदिरा गांधी नहर सम्मिलित है, पर काफी लम्बे समय से चर्चा हो रही है। चूंकि समय सीमा है।

श्री सभापति: आप सीधे मुख्य मुद्दे पर आ जाइये और अपनी शुरू करिये।

श्री ओम जोशी (फलौदी): मैं उसी पर आ रहा हूं, माननीय सभापति महोदय। समय की सीमा को देखते हुए न मैं भूमिका रख रहा हूं, न प्रस्तावना रख रहा हूं, न मैं कोई आलोचना करूंगा, न मैं किसी प्रकार का छिद्र ढूंढने की

(श्री ओम जोशी)

कोशिश करूंगा, न तो मुझे कोई आंकड़े पेश करने हैं, न मुझे योजनाओं को आगे विस्तारित करके बताना है मैं तो मेरे विधान सभा क्षेत्र में इस विभाग के माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी जो हमारे राजस्थान के लिए सब कुछ देना चाहते हैं, कुछ हमें मिल जाए, कुछ हमें आगे बढ़ने के लिए मौका मिले, वो यहां मांग करने की कोशिश कर रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, हमारे रेगिस्तान में जल संरक्षण को महत्व दिया जाता है। वो जमाना था जब एक बाल्टी पानी से ही रेगिस्तान में रहने वाला व्यक्ति स्नान भी करता था, उससे ही आगे जाकर पानी पीकर था, उसको एक कुण्डे में कहते हैं कि इकट्ठा करके कपड़े धोता था और वो बचा हुआ पानी अपने मवेशियों को पिला कर और अपना जीवन यापन कर रहा था। हमारे स्वर्गीय प्रधानमंत्री पंडित जवाहर लाल नेहरू की दूरदृष्टि सोच के द्वारा आई.जी.एन.पी., राजस्थान नहर, इंदिरा गांधी नहर के नाम से जो आगे प्रसिद्ध है, उस नहर को दूरदृष्टि रखते हुए बनाया और मोहनगढ़ तक पानी को पहुंचाया है। हमारे उस क्षेत्र में इस पानी की समस्या की वजह से सम्बन्ध नहीं होते थे, शादियां नहीं होती थीं और परिवार में कुंवारे रह जाते थे, आज हम शुक्रगुजार हैं कांग्रेस की सरकार के जिन्होंने इतनी वृहद योजना बना लागू करके हमारे सामाजिक परिवेश को आगे बढ़ाया है।

माननीय सभापति महोदय, अन्य लिफ्ट योजनाओं के साथ इस बजट में गुरु जम्भेश्वर भगवान के नाम से जो पोकरण लिफ्ट है और जय नारायण व्यासजी, जो हमारे लोक नायक थे, उनके नाम से जो फलौदी लिफ्ट है उन दोनों लिफ्टों के माध्यम से फव्वारा और बूंद-बूंद सिंचाई योजना के माध्यम से जिस तरीके से प्रावधान रखा गया है वो स्तुत्य है। मैं निवेदन करना चाहूंगा, मैं दोनों नहरों पर गया हूं, पिछले पांच वर्षों में जो इन दोनों लिफ्ट कैनाल की गति हुई है वो बखान नहीं की जा सकती। रेत से भर चुकी है, जो पम्पिंग स्टेशन बने हैं वो बन कर तैयार हो गये लेकिन वहां पर इलैक्ट्रिक मशीनें नहीं लगीं। आज यह हालत है कि अरबों रुपये की जो राशि उस पर खर्च हुई है वह राशि कोई काम नहीं आ रही थी। पिछले वर्ष में केवल मात्र दस लाख रुपये का बजट प्रस्ताव करके और हमारे साथ में बहुत बड़ा अन्याय किया गया है। इस बजट में इन योजनाओं को सम्मिलित करते हुए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो संकल्प दोहराया है, मैं आशा करता हूं कि हमारे ही क्षेत्र के रहने वाले, हमारे क्षेत्र की समस्याओं को जानने वाले माननीय सिंचाई मंत्री महोदय इन

(श्री ओम जोशी)

योजनाओं को बहुत ही प्रभावी तरीके से लागू करेंगे। फलौदी में तालाबों को मिला कर झील का निर्माण किया गया है। झील का निर्माण प्रगति पर है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि उसमें जो कमी है उसको भी इस साल में पूरी करने से एक ऐसा जल संरक्षण का साधन हो जायेगा जिससे फलौदी के साथ फलौदी के आस-पास के क्षेत्रों को भी जब पानी की कठिनाई रहती है तो लोग उस पानी को उपयोग में ले सकेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि फलौदी और उसके आस-पास कई जगह, फलौदी में खास तौर से 350 बीघा में इंदिरा गांधी नहर परियोजना का जब निर्माण हो रहा था तो इतने लम्बे-चौड़े इलाके में भवन बने हैं, कुछ आवासीय परिसर बने हैं, आफिसेज बने हैं, गोदाम बने हैं लेकिन उनके रख-रखाव के अभाव में, चूंकि वो योजना पूरी हो चुकी वहां से स्टॉफ का स्थानान्तरण हो चुका, उन भवनों की देख-रेख की आवश्यकता है, उन भवनों के उपयोग की आवश्यकता है। मैं माननीय सिंचाई मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि इन भवनों को जी.ए.डी. को सुपुर्द करके इनका सही उपयोग लिया जा सकता है और जिस तरीके से करोड़ों रुपये की लागत के भवन हैं और उनका जो विनाश हो रहा है उसको अपन रोक सकते हैं।

मैं निवेदन करना चाहूंगा रेगुलेटरी समिति के बारे में, माननीय सभापति महोदय, बहुत ही महत्वपूर्ण है...

श्री सभापति : समाप्त करो।

श्री ओम जोशी (फलौदी): रेगुलेटरी समिति में विधायकों का मजाक उड़ाया जाता है, अधिकारी हमें सूचना नहीं देते हैं और मीटिंग करके, मात्र ए.ईएन., जे.ईएन. की कमेटी ही मीटिंग करके कार्यवाही हमें भेज देती है कि कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ जबकि हमें इसकी सूचना ही नहीं मिलती है।

श्री सभापति: सम अप करो, माननीय सदस्य।

श्री ओम जोशी (फलौदी): माननीय सभापति महोदय, अन्त में मैं निवेदन करना चाहता हूं कि खातेदारी के अधिकार उपनिवेशन क्षेत्र में दे रहे हैं धारा 15 एएए के तहत अभियान चला कर सभी किसानों को अपने हक के लिए जो उनकी जमीन गैर-खातेदारी की है, खातेदारी अधिकार दिये जाएं।

माननीय सभापति महोदय, यहां पर जो पानी की कमी की चिन्ता की

(श्री ओम जोशी)

जा रही है, मैं और तिवाड़ीजी, चूंकि दोनों संयुक्त रूप से एक सुझाव दे रहे हैं, सभी विधायक महोदय जागरुक हैं, सभी सदस्य पूरी तौर से अपने क्षेत्र की समस्याएं उठा रहे हैं, मैं सुझाव देना चाहता हूं कि ऋग्वेद की ऋचाओं में इन्द्र देव को प्रसन्न करने के बहुत बड़े प्रभाव हैं। मैं चाहता हूं कि रूद्राभिषेक के माध्यम से सब लोग अपने-अपने जिले में रूद्राभिषेक कराकर इन्द्र देव को प्रसन्न करके बारिश प्राप्त कर सकते हैं। इन्हीं भावनाओं के साथ आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। (व्यवधान) पण्डित उपलब्ध मैं करवा दूंगा, नि:शुल्क करवा दूंगा।

श्री सभापति: श्री रविन्द्रजी बोहरा। समय का ध्यान रखते हुए सीधे सुझावों पर आ जाएं।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): माननीय सभापति महोदय, मैं जिस जगह से आता हूं उसका नाम राजाखेड़ा है और धौलपुर जिला है। माननीय सभापतिजी, सारे दिन हमने पानी के पहलवानों की बहस सुनी है। जिनके पास पानी है वह लड़ रहे हैं और हम तो वो बदनसीब हैं जिनके पास पानी होते हुए भी प्यासे हैं, खेत प्यासे हैं और हम प्यासे हैं। चार लाइनों से शुरु करना चाहता हूं।

चम्बल लिफ्ट राजाखेड़ा का सपना है, जमीन सूखी है पर सरकार में हमारा कोई है, कोशिश कर रहे हैं ढूंढने की। चम्बल लिफ्ट का वादा आपने घोषणा पत्र में तो कर दिया फिर क्या वजह है यह वादा बजट में नहीं करते हैं, बजट में नहीं है। चम्बल का जो सपना है, चम्बल का जो वादा है वह घोषणा-पत्र में जरुर है। हमारी दुविधा यह है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में तीन राज्य मिलते हैं, एम.पी., यू.पी. और राजस्थान। एम.पी. हमसे ऊपर है और यू.पी. हमसे नीचे है। एम.पी. के अन्दर जगह-जगह एनीकट्स बन गये चम्बल के अन्दर और यू पी के अन्दर बैराज बन गया। जब हमारे चम्बल लिफ्ट कैनाल की बात आती है तो सरकार एक जवाब देती है कि आपकी फाइल केन्द्र सरकार के पर्यावरण महकमे के अधीन लम्बित है, सन् 1981 से लम्बित है। कई सरकारें आयीं और कई सरकारें चली गयीं। हमारे लिए सौभाग्य की बात थी कि हमारी पूर्व मुख्य मंत्रीजी ने ...(व्यवधान) सच्चाई की कोई बधाई नहीं होती, सच्चाई को सच्चाई कहते हैं। पिछले बजट में चार सौ करोड़ का

(श्री रविन्द्र सिंह बोहरा)

प्रावधान किया और खुशी यह हुई कि कांग्रेस के घोषणा-पत्र के अन्दर भी कहा गया कि हम चम्बल लिफ्ट कैनाल को बनायेंगे।

माननीय सभापतिजी, यह धौलपुर जिला बदनसीब जिला है, एक कोने पर जाकर पड़ गया है, इधर यू.पी. उधर एम.पी. और बीच में हम और बिलकुल छोर पर हैं। कहीं भी देख लीजिए, किसी भी चीज में देख लीजिए, जो टेल एंडर्स होते हैं रोते ही रहते हैं। हम भी टेल एंडर हैं। हमको कहा जाता है कि पर्यावरण की वजह से पानी उठाने में मुश्किल आ रही है तो राजस्थान के लिए क्या पर्यावरण का कायदा अलग है या धौलपुर के लिए अलग है। जब आप भरतपुर सौ किलोमीटर दूर पानी ले जा रहे हो तो उसमें पर्यावरण नहीं आता क्या, धौलपुर के लिए क्या विशेषता है कि पर्यावरण यहीं लागू हुआ था। मध्य प्रदेश वाले ले रहे हैं, उनके लिए पर्यावरण नहीं। मेरा यह मानना है, यह समझा जाता है, अब तक समझा गया कि धौलपुर में कोई मंत्री बना दो, लोग चुप हो जायेंगे तो एक मंत्री धौलपुर से बनाते रहे और वह मंत्री अपने मंत्रित्व की खातिर धौलपुर को कुछ नहीं दिला सके और आखिर नहीं दिला सके तो जनता ने उनकी जगह मुझे भेज दिया ...(व्यवधान)

श्री सभापतिः बीच में व्यवधान न करें। आपस में कृपया बात न करें। आप अपनी बात कहें।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): सरकार दिल्ली में आपकी थी लेकिन वह प्रतिरोध अब उठ गया। मुख्य मंत्रीजी ने वादा किया, मुख्य मंत्रीजी संवेदनशील हैं, मुझे कहने में आपत्ति नहीं है। उम्मीद बंधी है, बजट बनाते वक्त लगता है कि धौलपुर का मामला कुछ गलती से भूल-चूक से रह गया, मैं कोई उनके ऊपर आरोप नहीं लगा रहा हूं। मैं अभी भी उम्मीद करता हूं कि वह धौलपुर का ख्याल रखेंगे और हमारी लाइफ लाइन पानी की इसके अलावा कोई नहीं है। इतना बड़ा जिला, जब हम राजस्थान में मिले थे, सरसब्ज जिला था।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापतिजी, प्यासों की बात नहीं सुनेंगे तो आप किसकी सुनोगे। आप तो मेरा भाइचारा निभाओ।

श्री सभापतिः समय का ध्यान रखना पड़ेगा।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): समय तो बहुत है।

श्री सभापतिः सबके साथ फिर वही रहेगी स्थिति।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): मेरा कहना यह है कि उम्मीद यह है कि पालिटिकल विल चाहिए और माननीय मुख्य मंत्रीजी केन्द्र के अन्दर भी कम प्रभाव नहीं रखते। मैं बी.जे.पी. में जरूर हूं लेकिन मैं उनकी क्षमता को जानता हूं और मैं जानता हूं कि धौलपुर के मामले में, इस बार उन्हें हालात का पता लग गया है, न्याय करेंगे, दिल्ली में अपने प्रभाव का इस्तेमाल करेंगे और मैं समझता हूं कि उनके इस मुख्य मंत्रित्व काल के अन्दर हमारी लिफ्ट परियोजना जरूर मंजूर होगी। मैं तो यह कोशिश करूंगा कि जिस दिन यह कार्य चालू हो गया, मुख्य मंत्रीजी को, पूर्व मुख्य मंत्रीजी को, माननीय मदेरणाजी को अपने क्षेत्र में ले जाऊंगा और यह कोशिश करूंगा करने की कि जनता आपको तहे दिल से बधाई देता हूं। वैसे भी हमारा हक बनता है, विधान सभा में राजाखेड़ा की जनता ने मुझे वोट दिया, लोक सभा में आपको भी दिया है। जनता वही है तो आपका भी हिस्सा बढ़ा है और मेरा हिस्सा भी बढ़ा, आपकी जिम्मेदारी भी बढ़ी है और मेरी जिम्मेदारी भी बढ़ी है।

तो अपने को यहां एक दूसरे पर छींटाकशी न करके धौलपुर का जिला राजाखेड़ा इस राजस्थान का भाग है और हम लोग देखते रहें प्यासे लोग, सरसब्ज लोग किस तरह से आपस में पानी के लिए लड़ रहे हैं। उनको तो पिछले साठ साल से पानी पिला रहे हो और हमको इतने साल बाद हमारी भी सुध ले लो। इसलिए यह कहना चाहता हूं आपके माध्यम से

श्री सभापति: समअप करें माननीय सदस्य।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): क्या बात है आप कल तो बड़े मेहरबान थे, आज क्या हो गया।

श्री सभापति: समय का थोड़ा सा हमको ध्यान रखना पड़ेगा।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): चार सौ करोड़ की बात अब नये बजट में नहीं है, नाम ही नहीं है। आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि धौलपुर में बहुत बड़ा ग्रोथ सैंटर लगा, इण्डस्ट्री के लिए बहुत बड़ा ग्रोथ सैंटर लगा, वहां इण्डस्ट्री केवल इसलिए नहीं पनप रहीं क्योंकि पानी नहीं है। इधर आगरा, इधर ग्वालियर, ब्राडगेज पर हम, नेशनल हाई-वे पर हम, सब कुछ इन्फ्रास्ट्रक्चर मौजूद है केवल पानी नहीं है, उस पानी को अगर आप दे दोगे, हम भरतपुर को भी पिला देंगे, धौलपुर जिले को भी पिला देंगे वरना हम लोग चारों विधायक, जेल जाना पड़े, भरतपुर को पानी नहीं पीने देंगे। इतना सुकारी मत समझियेगा कि हम लोग अलग-अलग पक्ष में बैठे हैं, पानी के मामले में पूरा धौलपुर एक है।

(श्री रविन्द्र सिंह बोहरा)

एक ले देकर हमारा बांध है पार्वती बांध। पार्वती बांध की भी स्थिति यह है कि जब डिस्टिब्यूट्रीज में वह जा रही है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सम-अप करो आप कृपया।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): बड़ी मुश्किल में आपने बोलने का मौका दिया। मैं बताना चाहता हूं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: सब अच्छी चीज आपने कह दी।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): खैर बताना चाहता हूं उस पार्वती की डिस्टिब्यूट्रीज से जब पानी बहता है सिंचाई के लिये तो यू.पी. वाले उसमें चोरी कर रहे हैं। डीजल इंजनों से लगा-लगा करके चोरी करके जा रहे हैं तो मैं उम्मीद करता हूं विभाग से कि किसी भी हालत में उस चोरी को रुकवाने का कष्ट करें।

धौलपुर के अन्दर सैकिण्ड पार्वती बनाने की भी स्थिति है और सरमथुरा प्यासा है। चम्बल की एक और योजना बन सकती है। केवल इतना कहना चाहता हूं कि धौलपुर में जब तक बैराज नहीं बनेगा तब तक चम्बल का पानी हमें कोई नहीं पिला सकेगा..

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

ऐसी नाराजी ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सम-अप करें। श्री उदय लालजी आंजना।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): आपका बहुत-बहुत आभार आपने चन्द बात ही कहने का मौका दे दिया ...(व्यवधान)

श्री सभापति: बहुत कुछ बोल गये आप। सारे महत्वपूर्ण सुझाव दे दिये।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): यह सिफारिश कर दीजियेगा।

श्री उदयलाल आंजना (निम्बाहेड़ा): सभापति महोदय, मुझे सिंचाई की मांग संख्या-46 पर बोलने का अवसर दिया इसलिये मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं। मैं चित्तौड़गढ़ और नवनिर्मित प्रतापगढ़ जिले के विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा से आता हूं जहां की भौगोलिक स्थिति बहुत ही अनुकूल है। पूरे चित्तौड़ और प्रतापगढ़ की भौगोलिक परिस्थिति को देखते हुए ही पूर्व की

(श्री उदयलाल आंजना)

कांग्रेस की सरकारों ने पूरे जिले में 47 बांध बना रखे हैं जिनका लाभ पेयजल के रूप में, सिंचाई के रूप में किसान को मिलता है। ज्यादा लम्बी बात नहीं करूं लेकिन इससे पूर्व के कार्यकाल में माननीय अशोकजी गहलोत मुख्य मंत्री ने चित्तौड़ जिले का विशेष ख्याल रखा और 15 बांध निर्मित कराये हैं जिनका लाभ आज मिल रहा है। केवल घोषणा ही नहीं की बल्कि 5 साल के कार्यकाल में 15 बांध का पूरा होना निःसन्देह बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे चित्तौड़गढ़ जिले को मिली है। पुनः विकास का अवसर जनता ने मुख्य मंत्री जी को दिया है, कांग्रेस को दिया है और विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा के साथ-साथ पूरे जिले में उम्मीद करते हैं कि जो कुछ भौगोलिक परिस्थिति के अनुसार बांध बनने शेष हैं उनके लिये भी यह सरकार प्रयास करेगी और इस कार्यकाल में वह पूरे हो जायेंगे।

मुझे कहते यहां यह कहते हुए दुःख है कि जब मैं निर्वाचित हुआ और निर्वाचित होते ही मैंने 2 फरवरी को माननीय मंत्रीजी और प्रमुख शासन सचिव को पत्र लिखकर अपने क्षेत्र में सम्भावित बांध की एक रूपरेखा बनाकर प्रस्तावित किया था लेकिन वापस चीफ इंजीनियर से जो पत्र मिला उसमें लिखा गया कि यह-यह योजनाएं आपने बतायी हैं, यह बीसलपुर के कैचमेंट, जाखम के कैचमेंट और कोटा बैराज के कैचमेंट में आती हैं इस कारण से यह उपादेय नहीं हैं और यह बन नहीं सकते हैं।

मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि अगर बागारी का नाका पर बांध बन सकता है जो वहां की आवश्यकता को देखते हुए बनाये गये थे। जनता को प्यासा नहीं रख सकते। जब बागारी का नाका सरीखा बांध बन सकता है तो जो मैंने योजनाएं प्रस्तावित की हैं वह तो काफी छोटी हैं, उनको बनाना नितान्त आवश्यक है। जब चित्तौड़ जिले में भौगोलिक स्थिति ठीक थी, बहुत अच्छी बरसात होती थी, नदियां बहती रहती थीं उस समय बात अलग थी लेकिन आज भौगोलिक स्थिति बदल गयी है। पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है। 800-900 फीट नीचे तक पानी उपलब्ध नहीं है और जैसे मांडलगढ़ से आने वाले सदस्य ने अपनी बात कही है कि इतनी बढ़िया बरसात होती है उसके बावजूद भी हम प्यासे हैं। चित्तौड़ जिले में जो एवरेज निकाला गया है बरसात का 1967 से लगाकर 2008 तक 41 साल में एवरेज 34 इंच और 850 मिलीमीटर का आया है। इतनी बरसात होते हुए भी हमारा जल स्तर घटता जा रहा है क्योंकि पर्यावरण की वजह से पेड़ कट गये और पानी जितना

(श्री उदयलाल आंजना)

भी बरसता है वह बहकर नदियों में चला जाता है इसलिये जब तक हम इन बांधों को नहीं बनायेंगे, इनको हम नहीं रोकेंगे तब तक किसान को खुशहाल नहीं रख सकते और पेयजल का लाभ नहीं मिल सकता।

आज 800 फीट नीचे से पानी निकालना किसान के लिये बहुत ही दुर्लभ है। हमारे चित्तौड़ जिले का काश्तकार बहुत ही मजबूत और मेहनती है लेकिन पानी के अभाव में अपनी मेहनत का लाभ वह नहीं उठा पा रहा है इसलिये मैं सरकार से यह मांग करता हूं जो मैंने बांध की योजनाएं प्रस्तावित की थीं, जो कोई बहुत बड़ी योजनाएं नहीं हैं। पूरे विधान सभा क्षेत्र में मिल करके 368 करोड़ की योजनाएं हैं, अगर वह 5 साल में मंजूर कर दी जाएं तो मैं समझता हूं कि चित्तौड़ जिले और विशेषकर निम्बाहेड़ा विधान सभा क्षेत्र के काश्तकारों पर बड़ी महती कृपा होगी। साथ ही पेयजल की उपलब्धता भी कम हो रही है, वह भी बराबर मिलती जायेगी।

निम्बाहेड़ा में वह दिन भी देखे हैं जब ट्रेन के द्वारा पानी लाया गया है इसलिये यह कोई तर्क कैचमेंट के नाम पर इस प्रकार से विकास नहीं रोका जा सकता कि पानी बहता हुआ यहां से चला जाए और वापस हम ट्रेनों से ला करके जनता को पिलाएं। इसलिये समय रहते हुए हमें कदम उठाना चाहिये। इन बांधों को बनाना नितान्त आवश्यक है। कैचमेंट एरिया जब बांध बने थे उस समय चित्तौड़ की नदियां बहती थीं। जल स्तर 100 फीट पर था लेकिन आज परिस्थितियां बदली हैं इसलिये पानी को रोकना नितान्त आवश्यक है। मैं आपसे यही निवेदन करना चाहता हूं कि जो योजनाएं मैंने भेजी हैं उनको नि:सन्देह आप मंजूर करा कर इसका लाभ देंगे।

कैचमेंट की बात करें तो इन्द्र देव की मेहरबानी कभी कहां होती है और कभी कहां होती है। 2006 में जब ज्यादा बरसात हुई तो पहले बीसलपुर डैम ओवर फ्लो हुआ उसके बाद गंभीरी और छोटी सादड़ी क्षेत्र के बांध भरे हैं तो यह इन्द्र देव की मेहरबानी कहां कहां हो जाए यह तो ईश्वर ही जानता है लेकिन अगर बांध बने हुए होंगे यह बांध भी भरेंगे और आगे बीसलपुर और यह भी भर जायेंगे इसलिये इस तरफ ध्यान देकर सिंचाई पर विशेष ध्यान देना चाहिये।

मैं तो यह मांग करता हूं कि मेरे क्षेत्र में जो सड़कें हैं चाहे उनके काम रोक दिये जाएं। विभाग अलग-अलग हैं लेकिन पहली प्राथमिकता हमारे

(श्री उदयलाल आंजना)

ग्रामीण क्षेत्र की जो मैं पूछकर आया हूं उस आधार पर कह सकता हूं कि सड़क के स्थान पर हमें बांध दिये जाएं तो ज्यादा लाभ हमारे क्षेत्र को मिलेगा। धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: ग्यारसा रामजी। (व्यवधान) एक मिनट विराजें।

सूचना

पलटन बाजार, अजमेर में पानी की किल्लत-प्रदर्शन

श्री महिपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, अभी सदन के अन्दर अजमेर से आने वाली माननीय सदस्या ने अजमेर की घटना के बारे में बात कही थी जो पानी के सम्बन्ध में थी। अजमेर कंटोनमेंट में पी एच ई डी बल्क सप्लाई करता है, आगे डिस्ट्रीब्यूशन कैंट आर्मी स्वयं करते हैं। आज 11 बजे पलटन बाजार में कैंट के लोग और कैंट बोर्ड में वितरण केन्द्र पर जमा हुए और मांग की थी कि पानी की सप्लाई का समय बढ़ाया जाए। वहां पर किसी महिला द्वारा पुलिस सी आई को थप्पड़ मारने की घटना हुई है। उस महिला के खिलाफ शायद एफ आई आर लाज हुई होगी और उसी के अन्तर्गत उसको हिरासत में लिया होगा।

श्री सभापति: श्री ग्यारसा रामजी। (व्यवधान) आप विराजिये माननीय सदस्या।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): पर रात्रि को उस महिला को ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये माननीय सदस्या ...(व्यवधान) ग्यारसा राम ...(व्यवधान)...

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): वह महिला थाने में बंद है आप उसको छुड़ा तो सकते हैं ना। कोई जन प्रतिनिधि अपनी मांग के लिये जा तो सकता है।

श्री सभापति: विराजें।

मांग संख्या-26 पर विचार

श्री ग्यारसा राम कोली (बयाना): माननीय सभापति महोदय, मांग संख्या-46 सिंचाई के बारे में अपने विचार रखने से पूर्व मैं एक बात पर आपका और मंत्री महोदय का आपके माध्यम से ध्यान आकर्षित करना

चाहूंगा। आपके बजट में पूर्वी राजस्थान के जिले अलवर, भरतपुर और धौलपुर को दर्शाया ही नहीं गया है। यदि नालेज नहीं है तो नक्शा खोलें और कम से कम राजस्थान की सीमाओं का पुनः अवलोकन करें और उसमें शामिल करें ...(व्यवधान) जब नॉलेज नहीं होती है किसी चीज को उपेक्षित कर देते हैं। यह माना जाता है कि वह अब उस नक्शे में शामिल नहीं किया गया। मैं अपनी मूल बात पर आता हूं।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): कुछ तो ले लो आप ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजें।

श्री ग्यारसा राम कोली (बयाना): माननीय सभापति महोदय, विपक्ष की भूमिका गुरु के बराबर होती है। हम आपका तो मार्ग दर्शन करते हैं। समझते हैं आपको।

श्री सभापति: ग्यारसा रामजी, माननीय सदस्य, विषय पर आओ आप। माननीय सदस्य, विषय पर ...(व्यवधान) अपना जो विषय है उस विषय पर पधारो।

श्री ग्यारसा राम कोली (बयाना): सिंचाई के क्षेत्र में मैं अपनी मूल बात पर आता हूं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र बयाना में दो तहसील आती हैं रूपवास और बयाना। आवश्यकता है, असिंचित क्षेत्र है और आपका यह बजट जो असत्य का पुलिन्दा है और जनता को गुमराह करने की इसमें तमाम बातें कही गयी हैं। इसको बजट की संज्ञा में मैं तो मानता ही नहीं। बजट में तो पूरी जनता को गुमराह किया गया है। आपने इसमें सिंचाई के मामले में पेज नम्बर 8 पर 2316 करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा है, इस बजट में सिर्फ घोषणाओं के अलावा है भी क्या, एक्टिवेशन हुआ नहीं है, इसमें ऐसी कोई बात नहीं है कि हम यह करेंगे कि यह देंगे। ऐसा एक भी शब्द अगर हो तो मुझे बतायें। मैंने इसकी स्टेडी की है, हो जायेगा, कर दिया जायेगा, यह नहीं है। यहां कोई घोषणाओं से काम नहीं चलने वाला है।

(समय : 22.00 बजे)

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): घोषणाओं का बजट कहने से हकीकत नहीं बदल जायेगी ...(व्यवधान)

श्री ग्यारसा राम कोली (बयाना): आप इतने इंटेलिजेंट होते तो अपने नम्बर पर बोलते, प्लीज बंद रहिये, चुप रहिये और मेरी बात को सुनिये। आपको हम देखते हैं आप हर जगह इंटरफियर करते हैं। किसी सदस्य की बात सुना करें।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): पीछा छुड़ाने से काम नहीं चलेगा।

श्री ग्यारसा राम कोली (बयाना): आप अपने इस निरर्थक और सारहीन बजट को खुद भी पढ़ें एक दफे, क्या मैं गलत कह रहा हूं, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं कि मेरी बात में एक भी बात गलत हो तो आप मुझे बता देना मैं उसको स्वीकार कर लूंगा ...(व्यवधान)

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाईमाधोपुर): उसमें चैलेंज में क्या ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें ...(व्यवधान) आजाद साहब, माननीय सदस्य विराजें।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): जो भी बजट है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: जो माननीय सदस्य बोल रहा हो उसके अलावा कोई माननीय सदस्य बोलेगा तो अंकित नहीं होगा, विराजें आप।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): ×××

श्री सभापति: विराजिये आप, विराजें माननीय सदस्य।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): ×××

श्री टीकाराम जूली (अलवर ग्रामीण): ×××

श्री ग्यारसा राम कोली (बयाना): जो सरकार की इच्छा शक्ति होती है, जो व्यक्ति की इच्छा शक्ति होती है, वह यह शब्द कहते हैं कि मैं कर दूंगा, आर्मी में कभी ऐसा नहीं कहा जाता, वहां इच्छा शक्ति होती है कि हम कर देंगे, इसमें एक भी शब्द ऐसा हो तो मुझे बता दीजिये ...(व्यवधान)

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): ×××

श्री सभापति: आजाद साहब, माननीय सदस्य विराजें, माननीय सदस्य विराजिये, अंकित नहीं हो रहा है, अंकित नहीं हो रहा है।

श्री ग्यारसा राम कोली (बयाना): माननीय सदस्य या तो इनको नालेज नहीं है या समझते नहीं हैं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: अंकित नहीं हो रहा है, आप विराजें।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): ×××

श्री ग्यारसा राम कोली (बयाना): सभापति महोदय, आज हिन्दुस्तान के किसी भी ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजिये माननीय सदस्य।

श्री ग्यारसा राम कोली (बयाना): सिंचाई के मामले में मेरा व्यक्तिगत सुझाव है, असिंचित क्षेत्र के नाते इस क्षेत्र में कम से कम एनीकट तो बनाने की योजना बनाते, घोषणा नहीं बनाने की चेष्टा करते, बताते कि कितना बजट दिया है और बजट यह दे देना कि इतने करोड़ का हमने कर दिया। क्या विधान सभा के पटल पर या आकाश में या जोधपुर में जाकर करेंगे, यह भी तो बतायें और कितना-कितना पैसा कहां करेंगे ...(व्यवधान)

सभापति महोदय, दूसरा मेरा इसमें एक प्रस्ताव है इर्रिगेशन के लिए चम्बल से लिफ्ट करके पानी यदि उस क्षेत्र में एक बंध बारेठा बांध है, बहुत बड़ा बांध है, यदि लिफ्ट करके उसमें पानी लाया जाये इर्रिगेशन के लिए तो कृषकों का भला होगा और जब कृषकों का भला होगा तभी आपका भला होगा और अगर आपने कृषकों की उपेक्षा की तो वह शुरूआत हो गयी है, आपका भला होने वाला नहीं है और जैसे आप उनकी उपेक्षा कर रहे हैं आपको अगले चुनाव में इसी तरह से उपेक्षा करते हुए जमीन पर ला दिया जायेगा।

सभापति महोदय, मेरा दूसरा सुझाव यह है कि पुराने कुएं हैं, उनको गहरा करवाने की कोई योजना बनाते तो हो सकता है कि गरीबों का भला होता, उस क्षेत्र में न तो कोई नहर है, ना कोई इस तरह के तालाब हैं।

श्री सभापति: समअप करें माननीय सदस्य।

श्री ग्यारसा राम कोली (बयाना): सभापति महोदय, अभी मैंने बोलना शुरू किया ...(व्यवधान)

श्री सभापति: नहीं, नहीं, समय का तो आपको भी ध्यान रखना होगा ...(व्यवधान)

श्री ग्यारसा राम कोली (बयाना): आप बराबर घंटी बजा रहे हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समय का ध्यान रखें।

श्री ग्यारसा राम कोली (बयाना): कम से कम पांच मिनट तो दिये जायें।

श्री सभापति: समय की सीमा सब पर लागू है, सब पर लागू है।

श्री ग्यारसा राम कोली (बयाना): सभापति महोदय, अगर किसानों की फसल इस तरह से नष्ट हो गयी और किसान के पौधे मुरछा गये तो आपका यह सत्ता रूपी पौधा भी बहुत जल्दी ही मुरछा जायेगा और जमीन पर गिर जायेगा।

सभापति महोदय, यदि कोई नया सदस्य हो तो उसके लिए दो, चार, पांच मिनट देने में कोई आपत्ति नहीं है। जनता मान लेती है कि ऐसी सरकार या ऐसी सत्ता जिसकी आंखों में ही पानी नहीं हो वह पब्लिक को क्या पानी देगी, चाहे पीने का हो या सिंचाई का हो और अब वह सामने आ गया है, मैं अपनी बात एक मिनट में खतम करता हूं।

श्री सभापति: समअप करो।

श्री ग्यारसा राम कोली (बयाना): 'ओ गौरी कब तक नैन छुपाओगी, तेरे पीछे पड्यो सांवरियो' इसलिए अब जब पीछे विपक्ष पड़ गया है तो आप बिलकुल सचेत रहें और निर्धारित कार्यक्रम में काम करें। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री टीकाराम जूली, संक्षिप्त में माननीय सदस्य।

श्री टीकाराम जूली (अलवर ग्रामीण): सभापति महोदय, हमारे साथ मुसीबत यह है कि कल तो दस बजे पहले बोले तो समय की कटौती हो रही थी और दस बजे बाद छूट थी, आज दस बजे से पहले छूट थी और हम बोलने लगे तो फिर कटौती।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से सदन को बताना चाहूंगा कि आज मेरे से पूर्व वक्ताओं में हमारे अलवर के माननीय सदस्यों ने जो बातें अलवर जिले की बातें रखीं। अलवर जिला आधे से ज्यादा डार्क जोन में आ चुका है और वहां पर किसानों को सिंचाई करने के लिए भी नये टयूबवैल पर भी सरकार की तरफ से रोक लगा रखी है। काका बैठ जा थोड़ी देर, वहां पर किसानों को अगर नये टयुब वैल पर वह कनेक्शन लेते हैं तो उस पर भी रोक है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि अलवर जिले की प्यास जहां सिंचाई की बात तो हम छोड़ दें, आज आधे से ज्यादा जिले में पीने के पानी की समस्या उत्पन्न हो गयी है। फिर

(श्री टीकाराम जूली)

हमारे साथी कहेंगे कि चम्बल से ही कह रहे हैं लेकिन चम्बल के अलावा कोई चारा नहीं है। चम्बल से धौलपुर होते हुए पानी, वह धौलपुर में भी पानी की पूर्ति करेगा और उसके बाद अलवर जिले में वह पानी जब तक नहीं आयेगा तब तक हम कितनी भी योजना बनाएं, कितना भी बजट लें हम उसमें सफल नहीं होंगे। मैं यह आपको कहना चाहता हूं ...(व्यवधान) साथ की साथ मैं यह भी कहना चाहूंगा कि हमारे अलवर जिले में स्टेट टाइम के काफी बांध हैं और एक मुख्य बांध है बंटवारा जो भरतपुर और अलवर जिले की जहां सीमा है, नटनी का बारां एक जगह है वहां पर वह स्टेट टाइम में बंटवारा हुआ था और उस समय जो पानी का बहाव आता था उसी हिसाब से वह अपने आप आधा आधा पानी दोनों जिलों में बंट जाता था। लेकिन उस समय से लेकर आज तक वहां पर किसी भी प्रकार की कोई छंटाई डिपार्टमेंट के द्वारा नहीं करवायी गयी है जिससे उस पानी का जो बहाव था वह आते-आते जिधर अलवर का पानी जाता है उधर मिट्टी ज्यादा चढ़ गयी है, जहां बहुत तेज बारिश होती है तो ही पानी उसमें कुछ जा पाता है नहीं तो धीरे पानी जो भी आता है वह सारे धीरे-धीरे भरतपुर चला जाता है। सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहूंगा मंत्रीजी को कि सबसे पहले उसकी छंटाई हो जाये तो वह पानी दोनों जगह बराबर चला जाये जिससे जो अभी अलवर जिले का हक है, हमारा हिस्सा है उसमें कोई कमी नहीं रहे वह हमें पूरा मिलता रहे।

सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में सीलिसेढ़ झील में जो हमारा पर्यटन स्थल भी है, जयसमंद झील जो पर्यटन स्थल भी है और वहां के जो आस-पड़ौस के गांव हैं, किसान हैं उनकी फसल की भी पानी की पूर्ति कर रहे हैं। वहां पर जो अड़ोस-पड़ोस का अलवर जिला है उसकी भी पानी की पूर्ति उसकी वजह से हो रही है। एक बारेठा बांध है, उसकी मरम्मत होनी है और इन दो बांधों की छंटाई होगी, इनकी नहरों की मरम्मत होगी, जब से यह नहरें बनी हैं तब से लेकर आज तक इनकी मरम्मत में कोई बजट नहीं आया।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे अलवर जिले की जो जिला परिषद है उसमें 104 बांध हमने ले रखे हैं लेकिन आज तक उसमें भी किसी प्रकार की कोई मरम्मत का बजट नहीं आया है। वहां पर 104 बांधों पर अंदाजन 10 व्यक्तियों का स्टाफ है और एक भी टेक्निकल व्यक्ति का स्टाफ वहां नहीं है,

(श्री टीकाराम जूली)

जिसकी वजह से या तो उन बांधों में पानी आता नहीं है, आता है तो वेस्टेज चला जाता है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि हमारे साथ एक बहुत बड़ी घटना हुई कि 1995 में जब फ्लड आई तो जो घाट कैनाल थी वह उस समय क्षतिग्रस्त हो गई और उसके बारे में 1995 से लेकर आज तक मांग उठाई जाती रही है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, घंटी खराब हो गई है इसलिए आप जल्दी कह दें।

श्री टीकाराम जूली (अलवर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, आपकी घण्टी तो खराब होनी ही थी, रोज मैं बोलता हूं तभी आपकी यह घंटी बजती है। मैं दो ही मिनट लेना चाहूंगा।

श्री सभापति: दो मिनट बहुत हैं, आप जल्दी सम अप करें।

श्री टीकाराम जूली (अलवर ग्रामीण): मैं निवेदन करना चाहता हूं कि हमारा इस वजह से नुकसान हो रहा है। 1995 में यह टूट गई थी तब से लेकर आज तक यह मांग लगातार उठाई जाती रही है। मैं कहना चाहता हूं सदन में कि पिछली सरकार ने भी इसके बारे में घोषणा की थी कि इसका 3 करोड़ 10 लाख 30 हजार रुपए का बजट हमने पास किया है और हम इसका शिलान्यास करेंगे, इसका उद्घाटन करेंगे लेकिन सारी घोषणाएं झूंठी साबित होती रहीं और आज तक यह घाट कैनाल यूं की यूं है। मैं आपके माध्यम से सदन में कहना चाहता हूं कि इसका अंदाजा आप लगा लें कि 3 करोड़ रुपये का जो बजट था, आज वह बढ़कर 6 करोड़ रुपये हो गया है और मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जल्दी से जल्दी यह घाट कैनाल ठीक नहीं हुई तो आगे बढ़कर यह 9 करोड़ रुपए का हो जाएगा और हमारे वहां के कम से कम दो सौ गांव इससे लाभान्वित नहीं होंगे व पीने के पानी की समस्या से लाभान्वित नहीं हो पाएंगे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सम अप करें। श्री कैलाशजी भंसाली।

श्री टीकाराम जूली (अलवर ग्रामीण): मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे बोलने का समय दिया, जय हिन्द, जय भारत।

श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर): माननीय सभापति महोदय, परिवर्तित बजट 2009-2010 की मांग संख्या 46 पर मैं चर्चा में भाग ले रहा हूं। आपने मुझे समय दिया उसके लिए धन्यवाद।

जोधपुर लिफ्ट कैनाल में इन्दिरा गांधी नहर से पानी ले रहे हैं,

(श्री कैलाश चन्द भंसाली)

जोधपुर की भीषण पेयजल की समस्या के समाधान के लिए बनाई गई यह योजना मंथर गति से चली थी। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे वर्तमान मुख्य मंत्रीजी को जो पूर्व में जल संसाधन मंत्री भी थे, उन्होंने अपने कार्यकाल में इसका बजट रिलीज करवाने में बहुत कुछ कोशिश की और अच्छा बजट रिलीज करवाया परन्तु बजट का पैसा पूरा नहीं मिला फिर यह योजना मंथर गति से चलने लगी। मैं धन्यवाद दूंगा हमारे राज्य मंत्रीजी और लोकप्रिय विधायक राजेन्द्रजी गहलोत को जिन्होंने अपने अथक प्रयासों से माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत से पूरा बजट लिया और यह योजना 1996 में पूरी हो गई। आज जोधपुर जल के मामले में राजस्थान में एक अच्छे स्थान पर है, पेयजल की वहां समस्या नहीं है परन्तु जो पानी इन्दिरा गांधी नहर से आता है, वह पोंग बांध से आता है, पोंग बांध में इस वर्ष अकाल की स्थिति है और डेड स्टाक से आज पानी दिया जा रहा है, पानी की उपलब्धता कम हो रही है परन्तु उसके साथ में जोधपुर जिले के पेयजल की समस्या को सुलझाने में इस पानी को काम लिया जाए। यह योजना केवल जोधपुर के लिए थी लेकिन आज यह जिला योजना बन गई है। मेरा निवेदन है कि इसके लिए अलग से चैनल बनाकर समस्या का समाधान किया जाए। इसी प्रकार इन्दिरा गांधी लिफ्ट कैनाल से उसका क्लोजर लिया जाता है, एक माह का क्लोजर लिया जाता है उसको पन्द्रह दिन किया जाए ताकि पानी की उपलब्धता बनी रही। इसकी फिल्टर क्षमता भी बढ़ाई जाए ताकि आज जो दो दिन में एक दिन पानी कुछ बस्तियों में दिया जाता है उसकी जगह रेगूलर पानी दिया जा सके। मैं पूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजेजी का भी आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने इस ओर ध्यान दिया और सैकण्ड फेज फिल्टर हाउस बन गया है। मेरा आपसे एक निवेदन है कि इसमें लगातार और पानी का निरन्तर बहाव आता रहे1 उसके लिए एक अलग से चैनल और बनाया जाए ताकि आने वाले समय में पानी मिलता रहे। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री मदनजी प्रजापत। संक्षेप में कहें।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या-46 पर पूरे दिन से हो रही चर्चा में मैं भाग ले रहा हूं और मेरे विचार व्यक्त कर रहा हूं। आज पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर जिला हो, पूरे पश्चिमी राजस्थान की जनता इस देश की पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इन्दिरा गांधी को याद कर रही है कि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वहां नहर का

(श्री मदन प्रजापत)

पानी जैसलमेर तक आएगा, जहां पीने का पानी नहीं था और वहां आज हरा भरा जैसलमेर है। आज की जैसलमेर की धरती पर जो नहर है वह स्वर्गीय इन्दिरा गांधी की मेहरबानी से है, इसके लिए आज हमारी पूरी जनता उनका धन्यवाद व्यक्त कर रही है। मैं मारवाड़ की समस्त जनता और मेरी ओर से स्वर्गीय इन्दिरा गांधीजी को धन्यवाद देता हूं।

मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आज पानी और सिंचाई पर जो बहस हो रही है और सब लोग सिंचाई की बात कर रहे हैं लेकिन हमारे बाड़मेर जिले में सिंचाई की बात नहीं करके मैं सर्वप्रथम माननीय मंत्रीजी और माननीय मुख्य मंत्रीजी, अशोकजी गहलोत का आभार व्यक्त करता हूं कि आपने धवा उम्मेद सागर, कल्याणपुर योजना को इसी वर्ष पूरा करने के लिए करोड़ों रुपयों का बजट जो बाड़मेर और बालोतरा के लिए दिया है, मैं समस्त जनता की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं और बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

दूसरी जो योजनाएं हैं, जैसे पोकरण, फलसूण्ड, बालोतरा लिफ्ट कैनाल, उनका एक पार्ट बढ़ाने के लिए भी बजट दिया है, उस योजना के सम्बन्ध में मैं निवेदन करता हूं कि उनको तुरन्त पूरा करवाने के लिए आप प्रयास करेंगे तो वहां की जनता की मुख्य समस्या, पेयजल की जो है उसके समाधान में सराहनीय कदम होगा। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि आज राजस्थान की सबसे बड़ी नदी लूणी नदी को जो दो स्कीमों की तरफ से जोड़ सकते हैं, अगर उस लूणी नदी को जोड़ने के लिए बहुत लम्बा प्रोजेक्ट है, लेकिन अगर जोड़ा जाता है तो लगभग पूरा राजस्थान इस लूणी नदी से फायदा उठा सकता है। यह मेरा सुझाव और निवेदन भी है।

आज हमारे विपक्ष में बैठे भाई जो हमारे वरिष्ठ वक्ता भी हैं और जब उनका नम्बर आया उस वक्त नहर के नाम की जगह इन्दिरा गांधी नहर का नाम लेना पसन्द नहीं किया, उसका हमें बहुत खेद है, अफसोस है और यह हमें फील हुआ कि उस माननीय सदस्य को इन्दिरा गांधी का नाम लेना भी पसन्द नहीं आ रहा है और बार-बार राजस्थान नहर, राजस्थान नहर, पहले राजस्थान नहर थी और आज इन्दिरा गांधी नहर है और रहेगी। माननीय सदस्य ने जो उदाहरण दिया कि ऊंट पर बाबा, रेल गाड़ी, बाबा ऊंट, मैं उन माननीय सदस्य को निवेदन करता हूं कि मैं भी सामने आ रहा था और शायद ऊंट पर माननीय सदस्य, ज्ञानदेवजी आहूजा भी बैठे हुए थे।

(श्री मदन प्रजापत)

माननीय सभापति महोदय, जब काम पूरा होता है तो उनका उद्‌घाटन भी होता है और काम पूरा नहीं होने पर भी पहले ही उद्‌घाटन कर दिया जाता है। आज रिकार्ड में पूरे राजस्थान की जनता की नजरों में नर्मदा का पानी बाड़मेर जिले को मिल गया है लेकिन असलियत और हकीकत बात यह है कि बाड़मेर जिले में नर्मदा का पानी नहीं है और सिर्फ पाइप के जरिये एक टेम्परेरी एक दिन के लिए पानी लाकर पूर्व मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजेजी ने नर्मदा नहर प्रोजेक्ट का जो उद्‌घाटन किया वह आज वास्तविक धरातल पर यह है कि वहां आज पानी नहीं है और सिर्फ जनता को गुमराह करने के लिए चुनावों के पूर्व वोट बटोरने के लिए यह उद्‌घाटन किया गया।

माननीय सभापति महोदय, मैं सदन में अवगत कराना चाहता हूं वहां पानी नहीं है और पाइप के जरिये उद्‌घाटन कराना, इसी तरह से बालोतरा में उद्घाटन हुआ, दहवा उम्मेद सागर लिफ्ट कैनाल का उद्घाटन कल्याणपुर गांव में दो पाइप डालकर, मैं हकीकत कह रहा हूं, दो पाइप अभी वहां पड़े हैं उन दो पाइप के जरिये 8-10 हजार लोगों को इकट्ठा करके एक जोरदार फंक्शन करके उद्‌घाटन किया। न वहां नहर है, न कोई पानी की व्यवस्था है, अगर ऐसे उद्‌घाटन हो, सरकारें पहले भी बनी थीं, लेकिन झूठे उद्घाटन हमने नहीं सुने थे .(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सम-अप करें।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): झूठे उद्घाटन हमने आंखों से देखे हैं, अगर आने वाले समय में सरकारें ऐसे उद्घाटन करने लगी तो आने वाले समय में उद्‌घाटन का विश्वास नहीं करेंगे कि उद्‌घाटन क्या होता है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सम-अप करें।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): मैं माननीय मंत्रीजी से आग्रह करता हूं, निवेदन करता हूं कि पोकरण फलसूण्ड लिफ्ट कैनाल के लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूं और पोकरण फलसूण्ड लिफ्ट कैनाल बालोतरा के लिए आने वाले समय में तुरन्त पूरा करने के लिए आप प्रयास करें।

एक बात कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं कनेक्शन का जो मामला है और आदिवासी भील जाति है एससी को कृषि कनेक्शन में प्रायरटी दी जाती है, हमारी नहर बाड़मेर में नहीं है, लेकिन जहां भी पानी है और पानी कनेक्शन के लिए एससी को प्रायरटी पर तुरन्त हाथों-हाथ कनेक्शन दिया

(श्री मदन प्रजापत)

जाता है तो मेरा निवेदन है एसटी में जो भील जाति के लोग हैं, हमारे भाई हैं उनको भी हाथों-हाथ कनेक्शन दिया जाता है, नहर नहीं है तो कुओं से सिंचित कर सके, कुछ भाग में बाड़मेर जिले में पानी है उसमें उन गरीब लोगों को फायदा मिल सके और मैंने सुना है बाकी जगह हाथों-हाथ एसटी को कनेक्शन मिलता है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): अभी बाड़मेर और पश्चिमी राजस्थान में दीजिए। अन्त में मैं अपना स्थान ग्रहण करता हूं। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री सुखराम कोली।

श्री सुखराम (बसेड़ी): आज जो चर्चा हो रही है ...

श्री सभापति: समय का ध्यान रखें।

श्री सुखराम (बसेड़ी): उस चर्चा से पूर्व मैं चार पंक्ति कहूंगा-

बजट के सम्बन्ध में दे दिया सब कुछ वहां को श्रीमन जहां पैदा हुए,
दे दिये गम हम सभी को, हम सभी आहत हुए।
जोधपुर जन्नत बनाकर क्या बताना चाहते हो,
देखकर इस बजट को हम सभी आहत हुए।।

सभापति महोदय, मैं धौलपुर जिले की उस बदनसीब जनता के दिल की बात को यहां रखना चाहता हूं जिसकी हमेशा से उपेक्षा की गई। धौलपुर वह क्षेत्र है जिसे डाकुओं के लिए जाना जाता है, चम्बल के बीहड़ों के लिए जाना जाता है, पर अगर विकास के लिए जाना जाता तो यह धौलपुर की जनता का सौभाग्य होता, पर हमेशा से ही धौलपुर क्षेत्र विकास के लिए इस जयपुर की तरफ देखता रहा, परन्तु जयपुर ने कभी भी धौलपुर की तरफ नहीं देखा। यहां मंत्री भी आये हमारे जिले से, यहां विधायक भी आये, पर किसी ने उस धौलपुर की आहट को नहीं सुना और न सदन पर रखा। हमारी धौलपुर की जनता कहती है, डाकू पैदा हो जाते हैं। वे डाकू पैदा नहीं होंगे तो क्या करेंगे? आप पानी दे नहीं सकते, बिजली दे नहीं सकते, सड़क दे नहीं सकते, शिक्षा दे नहीं सकते तो वे बंदूक नहीं उठाएं तो क्या करें? कहां से अपनी जीविका चलाएं? अगर अशोकजी गहलोत, माननीय मुख्य मंत्री भी इस सवाल को सुन लेते तो धौलपुर की जनता के भाग्य को लिखने वाली जो चम्बल लिफ्ट योजना है उसके लिए कुछ न कुछ तो धौलपुर की झोली में डाल देते, परन्तु

(श्री सुखराम)

उसको भी नहीं सुना और वहां की हमेशा उपेक्षा की गई। अगर हम देखते हैं यहां धौलपुर है, धौलपुर के लिए वहां पर रियासतकालीन छोटे-छोटे बांध बने हुए हैं उन बांधों में वर्षा हो जाए तो पानी आ जाता है और उससे सिंचाई थोड़ी बहुत हो जाती है। पूर्व सरकार में ...(व्यवधान)

श्री सभापति: सदन में शांति रखें, माननीय सदस्य बोल रहे हैं।

श्री सुखराम (बसेड़ी): पूर्व सरकार में श्रीमती वसुंधराजी राजे सिंधिया का हम बहुत आभार प्रकट करते हैं कि उन्होंने पार्वती बांध के लिए हमारे लिए पैसा दिया और उससे बसेड़ी का अधिकांश क्षेत्र सिंचित हो गया, परन्तु बहुत दुर्भाग्य है कि जो चम्बल लिफ्ट योजना राजाखेड़ा, धौलपुर, बाड़ी और बसेड़ी इन चारों क्षेत्रों का भाग्य लिखने वाली चम्बल लिफ्ट योजना थी उसकी हमेशा उपेक्षा की गई। यहां पर हम देखें तो धौलपुर में पार्वती बांध, रामसागर बांध, उर्मिला सागर बांध और तालाबशाही जैसे छोटे-छोटे बांध हैं। अगर इन बांधों में चम्बल से पानी लिफ्ट करके डाल दिया जाए तो निश्चित रूप से जो राजाखेड़ा की जनता है जहां पर पानी की कोई सुविधा नहीं है वहां पर फसल के लिए काफी अच्छा है, उनके पास मेहनत करने का माद्दा है, परन्तु पानी नहीं है, पीने के पानी के लिए चाहे राजाखेड़ा का क्षेत्र हो, चाहे हमारा बाड़ी का क्षेत्र हो, चाहे धौलपुर का हो, चाहे बसेड़ी का हो अपने दुर्भाग्य के लिए रो रहे हैं और उनके लिए रो रहे हैं जिन्होंने कभी इसकी तरफ देखा नहीं। अगर हम और देखें तो विधान सभा क्षेत्र बाड़ी है उसमें राम सागर है, राम सागर योजना छोटी सी योजना है, चम्बल लिफ्ट योजना है जहां एक हजार करोड़ की योजना स्वीकार करते हैं, धौलपुर के लिए आप कुछ नहीं दे सकते, पता नहीं खजाने का मुंह जोधपुर के लिए ही क्यों खोला गया, उसमें दो-चार बिन्दु धौलपुर के लिए डाल देते तो निश्चित है धौलपुर की जनता भी आपको धन्यवाद देती।

एक और बात है। इस सदन में परम्परा चली है, शायद मुझे ऐसा लगता है हमारे सत्ता पक्ष में कुछ पुरस्कार वितरण हो रहा है और उसमें सभी भाग ले रहे हैं और वह पुरस्कार वितरण है धन्यवाद का। खड़े हो रहे हैं धन्यवाद, बैठ रहे हैं धन्यवाद, बात कर रहे हैं धन्यवाद, तो शायद इनका गिनीज बुक में नाम हो तो जरूर दर्ज करा देना। (व्यवधान)

सभापति महोदय, मैं इस सदन को आगाह कर देना चाहता हूं जब चम्बल नदी से पानी ले जाकर भरतपुर को दिया जा सकता है, यह धौलपुर की

(श्री सुखराम)

जनता को जब तक उसके हिस्से का पानी नहीं मिलेगा वो किसी को भी पानी नहीं ले जाने देगी चाहे उसके कितनी ही गोलियां खानी पड़े और यह निश्चित है कि आगामी भविष्य में जो चम्बल नदी है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: सम-अप करें माननीय सदस्य।

श्री सुखराम (बसेड़ी): उस चम्बल नदी में हमारे धौलपुर को हमेशा से आहत किया है।

श्री सभापति: अब आप सम-अप करें।

श्री सुखराम (बसेड़ी): अभी बाड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि जब चम्बल के नुकसान को हम झेलते हैं, उन डकैतों की गोलियां हम खाते हैं, उस चम्बल के नुकसान को हम झेल रहे हैं, हमारी जनता झेल रही है तो इस चम्बल का फायदा हमें क्यों नहीं दिया जा रहा है। उस पानी को भरतपुर भेज रहे हैं, हम भरतपुर के भाइयों का भी सम्मान करते हैं उनके लिए भी भेजेंगे, परन्तु उससे पहले जब तक हमारा घर नहीं भरा जाएगा तब तक दूसरों को हम पैर नहीं रखने देंगे और मैं आगाह कर रहा हूं कि अगर यहां चम्बल लिफ्ट योजना स्वीकार नहीं की गई तो निश्चित है कि दूसरा घड़साना धौलपुर हो जाएगा और आपके जितने प्रशासनिक अधिकारी हैं, जो आपके नुमांइदे हैं उन नुमाइंदों को धौलपुर में धौलपुर की जनता कदम नहीं रखने देगी अगर चम्बल को स्वीकार नहीं किया गया तो। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं, जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: श्री गोपालजी मीणा। (व्यवधान) संक्षिप्त में माननीय सदस्य।

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़): सभापति महोदय, मांग संख्या-46 पर मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। आज पानी के ऊपर काफी चर्चा हुई ...(व्यवधान)

श्री सभापति: सदन में शांति बनाये रखें।

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़): माननीय सभापति महोदय, पानी पर काफी कुछ चर्चा हो चुकी है। मैं भी इसमें मेरे क्षेत्र के बारे में और जयपुर जिले के पानी के संकट के बारे में चर्चा करना चाहूंगा। जयपुर जिले का जो मुख्य स्रोत है वह जमवारामगढ़ में जमवारामगढ़ बांध है, वह जमवारामगढ़ में स्थित है। इसलिए मैं उसके बारे में जो यहां पर सदस्यों ने अपनी-अपनी राय दी है, जमवारामगढ़ झील जो आज तक जयपुर को पानी पिलाती रही है। आज

(श्री गोपाल मीणा)

जमवारामगढ़ की झील का पिछले 5 साल में कोई ध्यान नहीं दिया गया क्योंकि उस झील से पानी आता है, उस जगह पर कब्जे हो गये, उस जगह पर कालोनियां कट गई। उस जगह का जो पानी का रास्ता है, उस पानी के रास्ते को रोकने के लिए जगह जगह जो एनीकट बना दिये गये, बड़े बांध बना दिये गये इसलिए उस बाँध के पानी का रास्ता बंद हो गया। मैं कहना चाहूंगा कि इस सदन में कुछ सदस्य कह रहे थे कि जब अशोक गहलोतजी आते हैं तब अकाल पड़ता है, मैं इन सदस्यों को कहना चाहूंगा कि जमवारामगढ़ में जब से हमने देखा है और आपने भी देखा होगा उसमें पानी नहीं सूखा लेकिन बीजेपी सरकार में उस जमवारामगढ़ का पानी सूख गया। जयपुर की जो 26 लाख की जनसंख्या है, उसकी तो व्यवस्था बीसलपुर बांध से हो गई, अभी टोडारायसिंह से जो सदस्य आए हैं उन्होंने बताया कि जयपुर को पानी दे दिया, अजमेर को दे दिया, ब्यावर को दे दिया लेकिन हम कहां जाएं? लेकिन मैं यह कहना चाहूंगा कि इस जमवारामगढ़ झील पर ध्यान इस जयपुर को भी देना पड़ेगा और इस सरकार को भी देना पड़ेगा क्योंकि यदि जयपुर को पानी पिला सकती है तो जमवारामगढ़ झील ही पानी पिला सकती है और सस्ता और सही हिसाब से पानी पिला सकती है तो जमवारामगढ़ झील ही पानी पिलाएगी। मैं आप लोगों से भी यह कहना चाहूंगा कि, माननीय सभापति महोदय, 1982 में एशियाई प्रतियोगिता के दौरान जमवारामगढ़ बांध में नौकायान प्रतियोगिता हुई थी और उसकी वजह से जमवारामगढ़ झील पर्यटन मानचित्र पर अंकित हुई। लेकिन आज यह जमवारामगढ़ झील उचित संरक्षण के अभाव में ऐतिहासिक स्वरूप में, यहां देश-विदेश से पर्यटक भी आते हैं इसलिए मैं आपको निवेदन करूंगा कि जमवारामगढ़ झील का संरक्षण करना चाहिए और जमवारामगढ़ जो विश्व के मानचित्र पर आई है तो उस पर विशेष ध्यान देकर जमवारामगढ़ झील के जो रास्ते में अवरोध पैदा हुए हैं उसमें टोडामीणा के पास में बहुत बहुत बड़ी रियल गार्डन के नाम से एक कालोनी काटी गई है, उस कालोनी को वहां से बिलकुल हटाया जाए।

श्री सभापति: सम-अप करें, माननीय सदस्य।

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़): क्योंकि बाणगंगा नदी का जो बहाव है उसके बीचों बीच में रियल गार्डन काट दिया गया जिसके अवरोध से जमवारामगढ़ झील में पानी आना रूक जाएगा। मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जमवारामगढ़ की झील में आने वाले पानी को, जो भी कब्जे हुए हैं और जहां

(श्री गोपाल मीणा)

रूकावट हुई है, उसको रोका जाए और पानी का बहाव उस क्षेत्र में खाली करवाया जाए। यही मैं आपसे निवेदन करूंगा और जमवारामगढ़ का पानी जो जयपुर को पिलाते हैं, मैं चाहूंगा कि जमवारामगढ़ विधान सभा क्षेत्रों को आप विशेष पैकेज देकर उसकी व्यवस्था करें। क्योंकि आज जमवारामगढ़ झील उसमें पानी सूखने के बाद भी जयपुर को पानी पिला रही है, 50 हैंडपम्प उस बांध में लगे हुए हैं इसलिए उस क्षेत्र का जल स्तर बिलकुल नीचे चला गया, आज जमवारामगढ़ क्षेत्र में पानी पीने के लिए लोग तरस रहे हैं तो मैं आपसे निवेदन करूंगा कि जमवारामगढ़ विधान सभा क्षेत्र को आप विशेष देकर विधान सभा क्षेत्र में पानी की समस्या को खतम कराएं।

श्री सभापति: सम-अप करें, माननीय सदस्य।

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़): इन शब्दों के साथ बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती चन्द्रकांता मेघवालजी।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): सभापति महोदय, आज मांग संख्या 46 पर सिंचाई के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं और मैं सबसे लास्ट में बोल रही हूं इसीलिए मुझे लगता है कि कहीं किसी तरह की योजना के बारे में मुझे नहीं बताना, मात्र मैं मेरे क्षेत्र की जो योजनाएं हैं और जो काम रूके हुए हैं, उन कामों के बारे में सभापति महोदय का ध्यान इंगित करवाना चाहूंगी। मैं आपको बताना चाहूंगी कि मेरा विधान सभा क्षेत्र 20 वर्ष पूर्व डार्क जोन साबित हो चुका था और मैं मानती हूं कि कहीं न कहीं इस गलती में हम भी दोषी हैं इसीलिए आज वहां के जोन को इस डार्क जोन की वजह से वहां के किसानों को इतना बड़ा नुकसान भुगतना पड़ रहा है कि उनको कहीं भी लोन नहीं मिलता, उनकी जमीनें सूखी पड़ी रहती हैं और आज भी उनकी यह दशा है कि जो इस सिंचाई के पानी के लिए दूर की बात है, उनको पीने के लिए पानी तीन-तीन किलोमीटर दूर से लाना पड़ता है। यह हालत उन लोगों की है। मैं आपको बताना चाहूंगी रामसागर बांध के बारे में, मेरी एक पंचायत है रांवठा जो मंडाना से मात्र 20 किलोमीटर दूर है, वह रामसागर बांध जो स्टेट के टाइम का बांध है, उस बांध की हम दुर्दशा देखें तो मैं कहूंगी बहुत ज्यादा दुःखी हम होंगे और एक इतना बड़ा स्टेट टाइम का बांध जिसकी भराव क्षमता मैं मानती हूं कि जो पूरा मंडाना क्षेत्र है, उस क्षेत्र में अगर इस रामसागर बांध

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

की मरम्मत हो जाए तो मैं मानती हूं कि सिंचाई के लिए किसानों के लिए मंडाना क्षेत्र के पूरे किसानों के लिए एक वरदान साबित होगी लेकिन आज तक आजादी के 60 साल हो चुके, उसके बावजूद भी अधिकारी का इर्रिगेशन वालों का ध्यान वहां तक नहीं गया। मैं आपको बताना चाहूंगी कि उस क्षेत्र से विधायक रहे, मंत्री भी बने, मंत्री भी गये, जब जब उनको मौका मिला, अधिकारियों को लेकर गये, उस जगह लड्डू बाटी बनाए और खा कर आ गये लेकिन वह जो रामसागर बांध है उसकी रिपेयर के बारे में किसी ने चिन्ता नहीं की। मैं जिला परिषद् सदस्य थी, तीन पहले, तब भी मैं गई, कलक्टर साहब को भी मैं लेकर गई, माननीय सिंचाई मंत्रीजी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी के थे उनको भी मैं लेकर गई, वहां हमने काफी कोशिश की, अभी तक उसमें यह पता नहीं लग पा रहा कि इस रामसागर बांध का पानी कहां जाता है, उसमें कोई न कोई अन्दर इस तरह का कोई सुराग है कि वह पानी को उसकी जरिए बहा कर ले जाता है। और मैं निवेदन करना चाहूंगी कि अगर राज्य सरकार इस योजना को पास करती है और इस रामसागर बांध की जो मरम्मत का कार्य है उसको करवाया जाए तथा मंडाना क्षेत्र की जनता उनके लिए कोटि-कोटि धन्यवाद देना चाहूंगी और सदा-सदा के लिए उनका आभारी रहेंगे।

मैं आपसे एक बात और निवेदन करना चाहूंगी कि वैसे तो रामगंजमण्डी विधान सभा क्षेत्र में एक ऐसा तालाब एक ऐसी जगह पर है जहां पर सर्वे भी हो चुका है, प्रोजेक्ट फाइल की रिपोर्ट भी तैयार है, जैसे कि फावा का तालाब, दूनिया निमाण का तालाब, अरण्या गोला का तालाब, बंधा धर्मपुरा, भरड़ा का तालाब और मोहनपुरा मांदलिया का तालाब तो मैं मानती हूं कि अगर इस जगह हम छोटे-छोटे डैम बनाएं या कोई बड़ा तालाब बनाकर लिफ्ट परियोजना बनाई जाए तो यह सूखा क्षेत्र है, जो डार्क जोन है, इससे भी हमें राहत मिलेगी, वहां के किसानों को ऐसी राहत मिलेगी। मैं एक बात आपके ध्यान में डालना चाहती हूं कि मेरे रामगंजमण्डी विधान सभा क्षेत्र में जो बोरावास पंचायत है उसमें हमने डाइवर्जन चैनल का जो काम शुरू किया है, जो काफी हद तक बन चुका। एक तरफ तो हम सोचते हैं कि पानी को रोकें, पानी को रोक कर हम इकट्ठा करें, किस तरह से रि-चार्जिंग का काम हम करें और दूसरी तरफ पानी को, इतने बड़े क्षेत्र के बरसात के पानी को हम बहा कर चम्बल में डाल रहे हैं, यह कौन सी योजना है? मैं कहना चाहूंगी कि डाइवर्जन चैनल का निर्माण हो लेकिन उसका निर्माण जिस समय हुआ तो किसी

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

अधिकारी ने यह बात नहीं सोची कि इसमें क्यों नहीं एनीकट बाई सिरीज बनाए जाएं ताकि यह पानी बह कर न निकले और इसको कहीं न कहीं इस क्षेत्र की जनता को इसका फायदा मिले। मैं एक बात और आपकी जानकारी में डालना चाहूंगी कि आदरणीय पूर्व मुख्य मंत्रीजी ने, वसुंधराजी ने मेरे क्षेत्र में 75 करोड़ की एक योजना वहां पास की थी, ताखली बांध के नाम से, वह ताखली बांध जो वर्ष 2006 में उसका काम शुरू हुआ और वर्ष 2007-08 में शुरू होकर वापस किसानों की जो परेशानियां थीं।

जिसका समाधान इर्रिगेशन विभाग के कर्मचारी या अधिकारी नहीं कर सके इसी वजह से उसका काम आज भी बन्द पड़ा है। उस ताकली बांध का काम तीन बार चालू हुआ और तीन बार ही बन्द हो गया।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: माननीय सदस्या, सम-अप करो।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): लास्ट में मैं बोल रही हूं, मैं मेरी बात को खुद अपने आप ही समाप्त कर दूंगी। मैं एक बहुत मुख्य बात मेरे क्षेत्र की बताना चाहती हूं कि जो ताकली बांध है जिसका काम बन्द पड़ा है उसमें जो किसानों की इस क्षेत्र में जो अवाप्त भूमि है उनका मुआवजा जो राज्य सरकार ने दिया है उसके बारे में आपको बताना चाहूंगी कि जो सिंचित भूमि है उसका 18 हजार रुपये प्रति बीघा और जो असिंचित भूमि है उसका 30 हजार रुपये प्रति बीघा के हिसाब से प्रभावित किसानों को, 166 किसानों को यह मुआवजा दिया गया है यानि की समान रूप से दिया गया है। मैं आपको बताना चाहूंगी कि अगर उसी समय वर्ष 2006 की आबादी के हिसाब से, यानि की सड़क आबादी के हिसाब से बिन्दु मानकर के अगर मुआवजा दिया जाता तो मैं मानती हूं कि असिंचित को 33 हजार रुपये प्रति बीघा और सिंचित को 40 हजार रुपये प्रति बीघा मिलता। मैं यह मानती हूं कि किसानों के साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, उनके साथ धोखा किया गया है। एक बात और बताना चाहूंगी कि जब यह मुआवजा दिया गया उस समय जो मुआवजे की डीएलसी रेट थी वो रेट बढ़कर उस समय 40 हजार रुपये प्रति बीघा असिंचित और 50 हजार रुपये बीघा सिंचित थी लेकिन धारा 4 की कार्यवाही को आधार मानकर....

श्री सभापति: माननीय सदस्या, सम-अप करो। आपने सारे इम्पोर्टेंट बिन्दु ही बताये हैं।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): मैं बहुत इम्पोर्टेंट बिन्दु बता रही हूं। सिंचाई विभाग का मामला है और तीन साल से काम बन्द पड़ा है। उनको मुआवजा नहीं दिया गया जिसके कारण किसानों को न्याय की शरण लेनी पड़ी परन्तु डूब क्षेत्र के किसानों को मुआवजा अभी तक नहीं मिला। मैं आपको बताना चाहूंगी कि वर्तमान में जो डी.एल.सी. दर है और वो डी.एल.सी. दर जो सड़क आबादी के पास है उसके अनुपात में मैं आपको बताना चाहूंगी.....

श्री सभापति: माननीय सदस्या, सम-अप करो आप। आपसे निवेदन है कि सम-अप करो आप।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): एक लाख पच्चीस हजार रुपये प्रति बीघा असिंचित एक लाख रुपये बीघा सिंचित उनको मिलनी चाहिए जो उनको नहीं दी जा रही है। मेरा निवेदन है कि जो किसान हैं जिनकी गैर खातेदारी में जमीन दर्ज है जबकि....

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: अब आप सम-अप करो।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी): यह जमीन उनकी खातेदारी में होनी चाहिए, उनके पास नकल है, सब कुछ है फिर भी यह गैर खातेदारी में ही यह जमीन बोल रही है। मैं मानती हूं कि अधिकारियों को कुछ न कुछ राहत इन किसानों को देनी चाहिए। यही बात कहकर मैं अपनी बात को विराम देती हूं। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री विनोदजी चौधरी।

श्री विनोद कुमार 'लीलावाली' (हनुमानगढ़): माननीय सभापति महोदय, आज मांग संख्या-46 सिंचाई एवं इन्दिरा गांधी कैनाल पर चर्चा हो रही है। जितने भी सभी माननीय सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया, सब ने अपने विधान सभा क्षेत्र में पेयजल या सिंचाई के लिए पानी ले जाने की बात कही है। मैं माननीय मंत्रीजी का और सदन का ध्यान इन्दिरा गांधी कैनाल की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। हनुमानगढ़ के पास मिस्टावाली हैड के पास दो-तीन दफे यह नहर बैठ गई। लाखों रुपये लगे, जहां से भी ठीक करते हैं आगे से बैठ जाती है, इसके नजदीक-नजदीक दलदल बन चुकी है, सारे क्षेत्र के अन्दर सेम आ चुकी है। पूर्ववर्ती सरकार ने भी इसकी रिपेयर के लिए पंजाब को पैसे दिये लेकिन उन्होंने वो पूरे पैसे नहीं लगाकर के काम चलाऊ इसकी रिपेयर

(श्री विनोद कुमार 'लीलावाली')

कर दी और जो पाकिस्तान को पानी जाता था उस गेट की भी रिपेयर करवाई जिससे भी पानी पाकिस्तान में जाना रुका है। मैं मंत्रीजी का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जो अपने यहां कह रहे हैं कि पानी की चोरी हो रही है, किसी का कोई मोगा बड़ा होगा या किसी ने कोई साइफन लगा दिया होगा लेकिन वह राजस्थान का काश्तकार तो है। पंजाब के अन्दर जिनके पास नजदीक-नजदीक पंजाब की नहर नहीं है, जहां कोई पानी की पर्ची नहीं है और वहां सैंकड़ों बीघा काश्त कर रहे हैं, चोरी से पानी उठा रहे हैं उनको वाच करने की जरूरत है। इसी तरह से वहां हैड का जो गेज रीडर है, हमारे जो अधिकारी जाते हैं वो उनका रजिस्टर चैक नहीं कर सकते, कितना पानी छोड़ते हैं उसका पता नहीं है और मैं तो यह समझता हूं कि जैसे गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा था कि 1700 क्यूसेक्स पानी वहां से रिलीज करते हैं और यहां 1100-1200 ही आ जाता है तो हम यह संतुष्टि कर लेते हैं कि लोसेज हो गई है। मेरे ख्याल में यह गेज के अन्दर भी इनका गड़बड़ है और जितना पानी छोड़ते हैं उतना पानी एक्चुअल में होता नहीं है। अगर उनके पास मेजरमेंट की कोई ऐसी व्यवस्था है तो चैक करना चाहिए कि जितना वो पानी कह रहे हैं वो आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर यह पानी भी पूरा ले लें तो मैं समझता हूं कि इससे अपने को काफी फायदा मिल सकता है।

दूसरी बात यह है कि जो फर्स्ट और सैकण्ड फेज का जो झगड़ा खड़ा हो रहा है यह आने वाले समय में और ज्यादा बढ़ने की सम्भावना है। अगर इन दोनों का रेगुलेशन, पानी का बंटवारा होकर के चीफ इंजीनियर, हनुमानगढ़ और चीफ इंजीनियर, जैसलमेर के पास हो जाए तो मैं समझता हूं कि जो रास्ते के अन्दर आने-जाने वाला हजारों क्यूसेक्स पानी खर्च हो जाता है, अगर वो रेगुलर चलेगा तो कम पानी से काम चल सकता है, अगर ऐसी व्यवस्था हो जाए तो मैं समझता हूं कि सब के लिए हित में रहेगा।

इसी तरह से जिस तरह से नहर के आखिरी छोर तक पानी पहुंचना जरूरी है उसी तरह से चक के अन्दर भी आखिरी छोर तक पानी पहुंचाना है तो पक्के खालों की व्यवस्था भांखड़ा के अन्दर हो जाए तो मैं समझता हूं कि इससे काफी पानी की बचत होगी और पानी बढ़ेगा।

जो हमारा घग्घर बैल्ट है, वर्ल्ड के अन्दर सबसे ज्यादा फर्टाइल जमीन है। यह ऐसी जमीन है जहां 5 कनाल के अन्दर हर साल 100 मण अनाज पैदा होता है चावल और गेहूं। अगर इसका वाटर लेवल भी डाउन जा

(श्री विनोद कुमार 'लीलावाली')

रहा है तो अगर इसको भी रिचार्ज कर इसके अन्दर बोरिंग, ट्यूबवैल, दो-दो मुरब्बा पर बड़े बोर कर दिये जाते हैं और वह पानी नीचे जाए तो मेरे ख्याल में 25-30 प्रतिशत पानी की व्यवस्था हम खुद ट्यूबवैलों से कर सकते हैं, इस पर अपन ध्यान दें। यह इंदिरा गांधी कैनाल राजस्थान की लाइफ लाइन है, अगर यह हमारी टूट गई तो जो आज माननीय सदस्य कोई वितरिका बढ़ाने की बात कर रहे हैं, कुछ लिफ्ट कैनाल चालू करने की बात कह रहे हैं वो सब हमारी अधर में रह जाएगी तो उस पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री रूपारामजी डूडी।

श्री रूपाराम डूडी (डीडवाना): सम्माननीय सभापतिजी, मांग संख्या 46 सिंचाई (इन्दिरा गांधी नहर सहित) पीने के पानी के लिए आपके सामने नागौर जिले की लिफ्ट योजना के बारे में बोलना चाह रहा हूं। आपने मौका दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

माननीय सभापतिजी, भारत के नक्शे में राजस्थान अपने आप में एक अलग प्रदेश है। आजादी के बाद जो राजस्थान के प्रथम मुख्य मंत्री से लेकर आज तक जिन महानुभाव ने शासन संभाला उन सभी ने राजस्थान को प्रगति की ओर अग्रसर किया। माननीय सभापतिजी, स्वर्गीय प्रधान मंत्रीजी परम् सम्माननीय इंदिरा गांधीजी, राजीवजी ने राजस्थान के दूर-दराज के गांव ढाणियों में बसे लोगों को देखा और उन्होंने राजस्थान कैनाल राजस्थान के उन हल्कों में बढ़ाया जहां इन्सान और जानवरों को पानी हफ्तों बाद भी नसीब नहीं होता था। आज जो राजस्थान के हरे-भरे इलाके हैं, जिन लोगों को गंगा का जल मिलता है वह उन्हीं की देन है। माननीय सभापतिजी, जन्मजात से ही इन्सान और जानवरों को अधिकार है कि पीने का साफ पानी नसीब हो लेकिन दुर्भाग्य है कि नागौर जिले की जनता आजादी के 62 साल बाद भी नहीं पीने वाले पानी को पीने के लिए मजबूर है। माननीय सभापतिजी, मंत्रीजी से निवेदन करता हूं कि वर्ष 1994 में स्वीडिश इंटरनेशनल एजेंसी भारत सरकार की एक टीम ने तीन अन्तरराष्ट्रीय एवं 9 स्थानीय सलाहकारों द्वारा 4 सप्ताह तक 40 गांवों का भ्रमण, निरीक्षण कर पाया कि नागौर जिले का पानी अत्यधिक फ्लोराइडयुक्त होने के कारण पीने योग्य नहीं है ऐसे में नागौर जिले के 1384 गांव एवं 11 कस्बों में पेयजल किल्लत दूर करने के लिए उदयसी से

(श्री रूपाराम डूडी)

नागौर लिफ्ट पेयजल योजना दो चरणों में प्रथम फेज और द्वितीय फेज में बनाई गई जिसमें प्रथम फेज की योजना 761.1 करोड़ रुपये की बनाकर कार्य प्रारम्भ किया, जिसमें अब तक मात्र 254.97 करोड़ रुपये खर्च किये गये परन्तु उसके बावजूद भी धीमी गति से कार्य चल रहा है।

(समय : 22.50 बजे)

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि तत्कालीन भाजपा की सरकार की कारगुजारी के कारण प्रथम फेज का कार्य अक्टूबर, 2006 में शुरू किया गया एवं कार्य आधा-अधूरा ही रहा एवं यह कार्य नागौर की जनता को गुमराह करने के लिए शुरू किया गया जबकि फेज सैकण्ड का काम 2007 में शुरू होना, इस प्रथम फेज की योजना, 502 गांव एवं पांच कस्बे क्रमशः नागौर, बासनी, मेड़ता, कुचेरा को लाभ मिल सकेगा। सैकण्ड चरण योजना के शहरी क्षेत्र क्रमशः डीडवाना, लाडनूं, मकराना, कुचामन सिटी, परबतसर, नावां तथा जायल एवं 882 गांव हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, बीकानेर जिले के नोखा, देशनोक के शहरी क्षेत्र और बीकानेर के नोखा के 111 गांवों में नागौर जिले के लिए शहरी-ग्रामीण क्षेत्र के लिए मीठा पानी उपलब्ध कराने हेतु नागौर लिफ्ट कैनाल के सैकण्ड फेज के लिए राशि 2,013.91 करोड़ रुपये का प्रस्ताव तैयार कर शासन सचिव, पी.एच.ई.डी., जयपुर के द्वारा डिप्टी एडवाइजर, डिपार्टमेंट आफ ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, मिनिस्ट्री आफ रूरल डवलपमेंट, नई दिल्ली के पत्रांक 832-837 दिनांक 5.9.2006 के द्वारा वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए लिखा गया था। वर्ष 2006 में वर्ल्ड बैंक के प्रतिनिधियों द्वारा लाडनूं, डीडवाना क्षेत्र के गांवों का दौरा किया गया लेकिन तत्कालीन भाजपा सरकार ने ध्यान नहीं देकर ठंडे बस्ते में डाल दिया। आज दिनांक तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं की गई है। वित्तीय वर्ष 2009-2010 के दौरान हाल ही में बजट प्रस्तुत किया। इस हेतु बजट आबंटित नहीं किया गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, नागौर जिले के सैकण्ड फेज में शामिल किये जाने वाले प्रस्तावित गांव एवं शहरों में पेयजल की गुणवत्ता उपयुक्त नहीं है। अत्यधिक दोहन के कारण भूमिगत जल भी उपलब्ध होने में निरन्तर कमी आ रही है। ऐसे में नागौर जिले में पेयजल संकट में आगामी वर्षों के दौरान कोई गदर उत्पन्न नहीं हो,

(श्री रूपाराम डूडी)

इससे पहले ही योजना को अविलम्ब स्वीकृत कर कार्य प्रारम्भ करवाया जाये। फर्स्ट फेज के कार्य में भी त्वरित गति लाई जाये। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री प्रेमचन्द।

श्री प्रेमचन्द नागर (पीपल्दा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आज मुझे मांग संख्या-46 पर आपने बोलने का मौका दिया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। मेरा विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा पूर्ण रूप से ग्रामीण क्षेत्र है और कृषि पर आधारित है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे क्षेत्र में दो इलाके ऐसे आते हैं जहां पर पानी टेल पर पड़ता है। चम्बल कमांड एरिया होने के बावजूद भी हम लोगों को पानी के लिए किसानों को बड़ी मशक्कत करनी पड़ती है, बड़ी परेशानी उठानी पड़ती है। मैं मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि दोनों क्षेत्र में सुल्तानपुर पंचायत समिति के क्षेत्र में उजाड़ा एवं इटावा पंचायत समिति में अठाखा क्षेत्र है। वह बिलकुल चम्बल कमांड में टेल पोर्शन में आते हैं। इन दोनों क्षेत्रों में अगर लिफ्ट इर्रिगेशन की सुविधा मुहैया करा दी जाये तो काफी अच्छा डवलपमेंट उस इलाके का हो सकता है, विकास हो सकता है और गरीब जनता को इससे काफी राहत मिलेगी, लाभ मिलेगा। माननीय अध्यक्ष महोदय, कुछ क्षेत्र मेरे इलाके में ऐसा भी है जहां पीने के पानी की बड़ी किल्लत है। अठाखा क्षेत्र उसमें पानी के जो हैण्ड पम्प लगे हुए हैं, उनमें भी जो पानी आता है, उसमें काफी मात्रा में फ्लोराइड रहता है और पीने योग्य नहीं रहता है। वहां अगर पेयजल की पाइप लाइन के द्वारा पानी लाया जाता है तो अति उत्तम रहेगा। माननीय मंत्री महोदय, इसके लिए कोई व्यवस्था अपने बजट में अगर फरमायें तो वहां के लोगों को, गरीब जनता को उससे काफी राहत मिलेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, चम्बल कमांड एरिया होने के बावजूद भी सन् 2007-2008 में आपका गांधीसागर पूरा लबालब भरा हुआ था, उस वक्त भी हमें हमारे हिस्से का पानी नहीं मिल पाया। कोटा बूंदी से आने वाले माननीय सदस्य भी इस बात को कहना चाहते हैं कि हम लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। जब भी पूछा जाता तो हमें एक ही जवाब मिलता था कि पानी एम.पी. में जा रहा है। लगभग 70 प्रतिशत पानी एम.पी. में देने के बाद भी कोटा और बूंदी क्षेत्र के लोगों को 2007 में इतनी

(श्री प्रेमचन्द नागर)

त्राहि-त्राहि करनी पड़ी पानी के लिए। आज भी किसानों के ऊपर मुकदमे चल रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा और इस सरकार से उम्मीद रखता हूं कि आने वाले वक्त में हम लोगों को भाजपा की तरह पानी के लिए नहीं तरसना पड़े। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री महिपाल मदेरणा, जल संसाधन मंत्री अनुदान की मांग संख्या-46 सिंचाई (इन्दिरा गांधी नहर सहित) मतदान हेतु प्रस्तुत करेंगे।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जल संसाधन विभाग की मांगों के सम्बन्ध में कुल 148 प्रस्ताव प्रस्तुत हुए हैं जिनके उत्तर मैं अगले 24 घंटों में माननीय सदस्यों को भिजवा दूंगा। मैं माननीय सदस्यों का आभारी हूं कि उन्होंने अनुदान की मांगों पर और जल संसाधन के सम्बन्ध में विभिन्न मुद्दों को प्रमुखता से उठाया है, उनके माध्यम से मुझे विभिन्न बिन्दुओं की जानकारी एवं सुझाव प्राप्त हुए हैं। इसमें विभागीय कार्यों में सुधार हेतु मदद मिलेगी। मेरा विभाग जन समस्याओं को बेहतर...

श्री अध्यक्ष: कृपया एक मिनट, एक बार विराजिये। श्री महिपाल मदेरणा, जल संसाधन मंत्री अनुदान की मांग संख्या-46 सिंचाई (इन्दिरा गांधी नहर सहित) मतदान हेतु प्रस्तुत करेंगे। हो गई? पहले हो गई है। अब वाद-विवाद का उत्तर देंगे।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): हो गई, सुबह ही हो गई।

श्री अध्यक्ष: नहीं, मैंने उत्तर देने के लिए नहीं कहा, उससे पहले उत्तर चालू हो गया।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): मैं सदन को विश्वास दिलाना चाहूंगा कि सरकार समस्त सुझावों पर गम्भीरता से विचार कर उचित निर्णय लेगी ताकि राजस्थान के जल संसाधनों का बेहतर विकास और प्रबन्धन हम कर सकें। राजस्थान में जल संसाधन की उपलब्धता की स्थिति पर माननीय अध्यक्ष महोदय, उसकी जानकारी कराना चाहता हूं। राजस्थान देश का सर्वाधिक सूखा प्रांत होने के साथ-साथ क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा राज्य है और राज्य का क्षेत्रफल और देश के क्षेत्रफल का 10.10 प्रतिशत, देश की आबादी का 5.4 प्रतिशत है और...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अध्यक्ष महोदय, आपके विचारार्थ हमारे भाजपा के उप नेता महोदय ने पहले भी एक व्यवस्था का प्रश्न उठाया था और आपसे यह निवेदन किया था कि हमारे सदन के नियमों में, प्रक्रिया में और परम्परा में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं है...

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): मैं पढ़ नहीं रहा हूं, मैं तो आंकड़ें पढ़ रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ...कि मंत्री महोदय उत्तर देते हुए पूरा वरबेटम पढ़ें। कल भी अध्यक्ष महोदय, इसी बात पर गतिरोध भी हुआ था। मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से कहना चाहूंगा कि आप ज्ञानी हैं, अनुभवी हैं। मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करना चाहता हूं कि आप कृपया पढ़े नहीं। आपको जितना अपने विभाग की जानकारी है, जितना आपका ज्ञान है, आप बेबाक रूप से कहें, हम सुनने को तैयार हैं। पर यह पढ़ा हुआ भाषण, इस तरह की नई परम्परा है अध्यक्ष महोदय, यह नई परम्परा कृपा करके मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि नई परम्परा मत डालें।

(समय : 23.00 बजे

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): नहीं-नहीं, आंकड़े तो देखने ही पड़ेंगे। (व्यवधान)

श्री परसादीलाल (सहकारिता मंत्री): आप खुद मंत्री रहे हैं, पढ़कर बोलते थे, मैंने देखा है आपको, जब आप हैल्थ मिनिस्टर थे, पढ़ कर जवाब दिया करते थे। (व्यवधान) पहला सत्र है, क्या बात कर रहे हैं आप?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मैंने कभी पढ़कर जवाब नहीं दिया, एक बात। दूसरी बात, अध्यक्ष महोदय, अगर किसी ने पढ़कर जवाब दिया, उस समय व्यवस्था का प्रश्न उठाते। (व्यवधान) मेरा व्यवस्था का प्रश्न है, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है अध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): प्रताप सिंहजी सिंघवी, वीरेन्द्र मीणाजी, राजेन्द्र राठौड़जी, इतने...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मैं आसन से प्रोटेक्शन चाहता हूं, इस बात का उत्तर मैं उनसे नहीं चाहता, मैं आसन से प्रोटेक्शन चाहता हूं कि सदन के नियमों में, परम्पराओं में इस तरह की व्यवस्था है कि कोई उत्तर पढ़कर नहीं सुनायेगा।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): पेपर हाथ में लेकर के पढ़-पढ करके बोलते हुए देखा है माननीय अध्यक्ष महोदय...(व्यवधान)

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): जोर से बोलने से नहीं होता।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): अभी वह बोलने नहीं दे रहे, यह कोई तरीका, कोई व्यवस्था है...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, आप आसन से फरमा दें अगर...(व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): आप उनको कहने दें ना...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अगर आपको, अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था देनी है कि माननीय सिंचाई मंत्री महोदय पढ़ कर उत्तर दे सकते हैं तो आसन से व्यवस्था फरमा दें।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह कोई नया नहीं है, इनकी रोजमर्रा की आदत हो गई...(व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): पिछले सदन में आप थे कहां? पिछले सदन में तो थे ही नहीं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सदन में भारतीय जनता पार्टी के उप नेता महोदय ने एक-दो नहीं, तीन-तीन अध्यक्षीय व्यवस्था का उदाहरण देते हुए कहा था कि पढ़कर नहीं बोल सकते, तीन-तीन अध्यक्षीय व्यवस्था दी थी उस समय उठाते अगर इनके पास उत्तर की कोई बात थी तो।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): एक भी सदस्य को नहीं बोलने दिया अध्यक्षजी, हर बात में खड़े हो जाते हैं।

एक माननीय सदस्य: कोई सदन की प्रोपर्टी है...(व्यवधान)

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री): माननीय अध्यक्षजी, कल मैं यहां आपके आदेश से बोलने के लिए खड़ा हुआ था और मैंने बोलना आरम्भ नहीं किया, उसके पहले ही मुझे इस आरोप को लगा कर कि पढ़ना मना है...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): नो-नो, हमने कोई आरोप नहीं लगाया।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री महोदय खड़े नहीं हुए, उससे पहले माननीय उप नेता महोदय ने खड़े होकर

(श्री राजेन्द्र पारीक)

व्यवस्था का प्रश्न उठाया। कल माननीय मंत्री महोदय कुछ बोले नहीं, उससे पहले माननीय उप नेता महोदय ने खड़े होकर व्यवस्था का प्रश्न उठाया और कहा कि माननीय मंत्री जो हैं, पढ़ा-लिखा जवाब दे रहे हैं जबकि माननीय मंत्री खड़े ही नहीं हुए उस वक्त, आपने नाम नहीं पुकारा उस वक्त।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): किसने कहा आपको?

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): ऐसे थोड़े ही होगा...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह क्या है?

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): आप कब से अध्यक्ष बन गये, बैठो। (व्यवधान) ऐसे नहीं हो सकता।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह क्या है अध्यक्ष महोदय, सदन को मछली बाजार समझ रखा है उन्होंने, किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं।

श्री अशोक बैरवा 'खण्डार' (राज्य मंत्री, सूचना एवं जनसम्पर्क): अध्यक्ष महोदय, धमकाना बंद करें हमारे को।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय मंत्री महोदय। अध्यक्ष महोदय, एक विनम्र निवेदन करूं, कल की व्यवस्था देखें आप, आपने माननीय मंत्री का नाम नहीं पुकारा था। श्रवणजी, एक मिनट। माननीय अध्यक्ष महोदय, कल आपने माननीय मंत्री महोदय का नाम नहीं पुकारा था, आप व्यवस्था देख लें कल की, माननीय उप नेता महोदय ने खड़े होकर कहा कि मंत्रीजी पढ़ा-लिखा जवाब देंगे जबकि मंत्रीजी को आपने रिप्लाई के लिए खड़ा ही नहीं किया था, उससे पहले माननीय उप नेता महोदय ने खड़े होकर कहना शुरू कर दिया, माननीय अध्यक्ष महोदय, रोजमर्रा की इनकी व्यवस्था की बात हो गई, हमने इतनी शालीनता से सुना है जब भी उप नेता महोदय खड़े होकर कोई बात कहते हैं पूरा सदन...(व्यवधान) श्रवणजी...

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी बोल रहे हैं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह व्यवस्था आपको कायम करनी है, प्रतिदिन एक घटना होती है, क्या है यह, आपको करनी है तो व्यवस्था आपकी है तो, यह क्या है, चाहे वह खड़े होकर बोल देता है पढ़ा हुआ मान लिया जाए, यह क्यों? (व्यवधान) हां, +++ आप उत्तर देने ही नहीं देते।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी कुछ कह रहे हैं, उद्योग मंत्रीजी। माननीय सदस्य, उद्योग मंत्रीजी कुछ कह रहे हैं। एक मिनट, उद्योग मंत्रीजी आपकी ओर से कुछ कह रहे हैं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): व्यवस्था, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपकी है, आप अध्यक्ष हैं, +++ क्या मतलब था आपको भी, यह क्या कर रहे हैं आप..(व्यवधान) आप बोलने ही नहीं देते माननीय मंत्री को।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका मान-सम्मान करना हमारा कर्तव्य है, आप सर्वोच्च आसन पर बैठे हैं, आपका मान-सम्मान करना, आपके आदेश की पालना करना हमारा कर्तव्य है।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा विनम्र निवेदन है माननीय अध्यक्ष महोदय, कल की आप वह सारी की सारी कार्यवाही देख लें...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपके सदस्य पहले चुप हों तब आप बोलेंगे।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमारा आप प्रोटेक्शन कीजिये, हमारी मदद करिये...

श्री अध्यक्ष: आप विराज जायें। अंकित नहीं होगा। आप विराज जायें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: हे प्रभु, इनको क्षमा करें, यह क्या कर रहे हैं खुद को भी पता नहीं। (व्यवधान) आप विराज जाइये मेहरबानी करके, आसन पांवों पर है, आप विराज जाइये।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: आप विराज जाइये, आप बहुत सीनियर हैं, कृपया विराज जायें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: आपको यही ध्यान नहीं है कि आसन पांवों पर है। तो आप बोलते रहिये।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री सी.एल. प्रेमी (केशवरायपाटन): माननीय सदस्य जो कह रहे हैं, सही कह रहे हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): एक मिनट, बात तो सुनें। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत विनम्र निवेदन है, आप कल की कार्यवाही दिखवा लें, माननीय मंत्री महोदय को आसन से...

श्री अध्यक्ष: नहीं, क्या निवेदन है, आपके सदस्य को यही पता नहीं है बोल क्या रहे हैं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। इस तरह सदन नहीं चल सकता।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): इस तरह हम देखते रहेंगे, यह आसन का अपमान करेंगे, यह आसन को धमका रहे हैं। यह आसन का अपमान है, सदन का अपमान है। आसन सर्वोपरि है हमारे लिये, यह आसन को धमकायेंगे। आसन के साथ यह व्यवहार...(व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): जब आसन के साथ यह कर रहे हैं तब प्रतिपक्ष के साथ..(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: कौन सी मर्यादाएं रह गई हैं?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): यह खड़े होने से पहले बोलना शुरू कर दिया आपने। आंकड़े ही तो बताये, कैसे आंकड़े बोलकर बतायेंगे। आंकड़े, कब तक याद होते हैं क्या आंकड़े। आंकड़े कब तक याद आते हैं क्या, आंकड़े ही बता रहे हैं, और क्या कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य: ऐसा है श्रवणजी, आप बहुत सीनियर मेम्बर हैं...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): तो आंकड़े ही तो बता रहे हैं, और क्या कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य: आसन का सम्मान करो कम से कम।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मैं नाम से पुकार रहा हूं, श्रवण कुमार, अगर आपने बदतमीजी की तो मुझे मजबूर होकर मार्शल को कहना पड़ेगा कि बाहर निकालें। बहुत देर हो गई है सुनते हुए, कृपया चुप रह जाइये। कोई तरीका होता है व्यवस्था का, कोई व्यवस्था बननी होती है। आपने यही तय कर रखा है कि नहीं चलाने देना है, इस तरह से नहीं चल पायेगा, नियमों के तहत बोलिये, नियमों के तहत बात करिये, यह तरीका ठीक नहीं है। मैं आपको

(श्री अध्यक्ष)

अन्तिम रूप से चेतावनी दे रहा हूं, अब आपने अगर अव्यवस्था की तो मुझे मजबूर होकर मार्शल को कहना पड़ेगा कि आपको बाहर ले जाये। सिंचाई मंत्रीजी।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान का क्षेत्रफल देश के क्षेत्रफल से 10.40 प्रतिशत है, देश की आबादी का 40.5 प्रतिशत है एवं पशुधन 18.70 प्रतिशत है और देश की कृषि योग्य भूमि 13.88 प्रतिशत राजस्थान में है। परन्तु सतही जल की उपलब्धता 1.16 है और भूजल उपलब्धता 1.6 प्रतिशत है। पिछले दस वर्षों में वर्षा की निरन्तर कमी आई है और मानसून की वजह से अचानक बदलाव भी आया है। राज्य के विभिन्न स्रोतों से 50.74 बीसीएम जल संसाधन उपलब्ध हैं हमारे पास, जिसमें से 76.8 प्रतिशत का उपयोग कर रहे हैं। राज्य का अधिकांश जल संसाधन का हम उपयोग कर चुके हैं और भूजल की स्थिति आप देखिये, इतनी नाजुक है कि वर्ष 2007 के अनुमानों के अनुसार राज्य के 237 ब्लाक में से 198 डार्क जोन में हैं और जबकि 84 में इस श्रेणी के सिर्फ 23 जोन थे। अब यह 12, दस ब्लाक अर्धविषम श्रेणी में है और 31 ब्लाक सुरक्षित श्रेणी में हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, जल की उपलब्धता की स्थिति को देखिये, हमें पानी की एक-एक बूंद को इकट्ठा करना पड़ेगा और उसके उपयोग और प्रबंधन के लिए एक प्रभावी रणनीति बनानी पड़ेगी और इसके तहत हमने कार्य करना आरम्भ कर दिया है। पानी के साथ राज्य का विकास और लोगों का जीवन यापन भी पानी से जुड़ा है। अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने कई अपने क्षेत्र से संबंधित कई नीतिगत मुद्दे उठाये, समयाभाव के कारण प्रत्येक का तो उत्तर देना मेरे लिये सम्भव नहीं होगा, जैसा मैंने पहले कहा, सभी बिन्दुओं का लिखित उत्तर उन्हें भिजवा दिया जायेगा बल्कि जो उत्तर कुछ संक्षेप में मैं आपको देना चाहूंगा, मैंने पूर्व में पेयजल के मुद्दे पर अपनी व्यवस्था में कहा था, पानी के मुद्दे पर राजनीति नहीं होनी चाहिए। पूर्व में भी राजस्थान के हिस्से का पानी प्राप्त करने के लिए पक्ष और विपक्ष ने मिलकर सदन में एकजुटता दिखाई है, मैं आपकी एकजुटता के सहयोग की कामना करता हूं, मांग करता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं अन्तर्राज्यीय जल विवादों के, यमुना जल विवाद पर जाऊं उससे पहले मैं दो बात आपके समक्ष रखना चाहता हूं।

डा. दिगम्बर सिंहजी ने एक मामला उठाया अपने बजट भाषण के पैरा संख्या 35 में 1 लाख हैक्टेयर सिंचित सिंचाई खोलने की घोषणा है और वह

(श्री महीपाल मदेरणा)

सभी परियोजनाओं की है। इंदिरा गांधी नहर से 2009-10 में 44 हजार हैक्टेयर सिंचित क्षेत्र सृजित किया जाएगा और उन्हीं का दूसरे कार्य योजनाओं पर पैरा 6(1) में उल्लेख है नर्मदा से 40 हजार हैक्टेयर हम नया क्षेत्र करेंगे। गंग नहर आधुनिकीकरण परियोजना से 11 हजार, लघु सिंचाई परियोजना से पांच हजार और इंदिरा गांधी नहर परियोजना से 44 हजार, 1 लाख हैक्टेयर क्षेत्र अतिरिक्त में अतिरिक्त सिंचाई सुविधा सृजित की जाएगी आईजीएन के अतिरिक्त। दूसरा, जल संसाधन की मांगों के सम्बन्ध में नागौर जिले से आने वाले माननीय सदस्य ने पीने के पानी की लिफ्ट की बात करी, उन्होंने इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया है। मैं उनको सही करना चाहूंगा इस वर्ष बजट में 70.70 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने किया है। अभी हनुमानगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने हरिकेज बैराज में पानी का सही नाप सुनिश्चित करने हेतु हमने एक अधिशासी अभियंता व सहायक अभियंता को हाल ही में पदस्थापित कर दिया है। पहले यह फिरोजपुर में बैठते थे, पूर्व में एक गैजडीजडी पर पद स्थापित था हमने अधिशासी अभियंता और सहायक अभियंता का पद स्थापित कर दिया है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, विभिन्न सदस्यों ने अन्तरराज्यीय जल विवादों के सम्बन्ध में प्रभावी कार्यवाही करने की बात कहीं है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि पड़ोसी राज्य पंजाब, हरियाणा, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के साथ जो हमारे जल विवाद लम्बित हैं उसमें राजस्थान का पक्ष प्रभावी ढंग से रखने हेतु सरकार कोई कसर नहीं छोड़ेगी। इस रणनीति के तहत माननीय मुख्य मंत्रीजी ने पहल करते हुए हरियाणा के मुख्य मंत्री के साथ विभिन्न लम्बित मुद्दों पर बातचीत की शुरूआत की है और हम इस क्रम को जारी रखेंगे। अधिकांश विवादों का हल आपसी बातचीत से ही निकल सकेगा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप बीच में डिस्टर्ब नहीं करें। भाषण दे रहे हैं, लिखा हुआ नहीं पढ़ रहे हैं।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यमुना जल की बाबत झुन्झुनूं, चुरू व भरतपुर के माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे। यमुना जल को चुरू और झुन्झुनूं जिले में लाने हेतु हरियाणा के पूर्व मुख्य मंत्री श्री ओम प्रकाश चौटाला द्वारा राजस्थान सरकार के साथ वर्ष 2002

(श्री महीपाल मदेरणा)

में वादा किया था कि ताजेवाला से यमुना का पानी हरियाणा की नहरों के माध्यम से राजस्थान लाने हेतु वह सहमत है। लेकिन बाद में वह पीछे हट गए और हरियाणा से यमुना का पानी राजस्थान लायें वह उनको स्वीकार्य नहीं था। इस प्रकरण को अपर यमुना बोर्ड में रखा और ताजेवाला से ही हरियाणा राज्य की नहरों के माध्यम से पानी लाने का प्रयास जारी रखेंगे। आवश्यकता पड़ी तो केन्द्र सरकार की भी मदद लेंगे और न्यायालय से भी बात करेंगे। गुड़गांव कैनाल में कम पानी की प्राप्ति का है। अध्यक्ष महोदय, यमुना का आंशिक हिस्सा ओखला हैड वर्क्स से उत्तर प्रदेश की आगरा कैनाल व हरियाणा की गुड़गांव कैनाल से भरतपुर को मिलता है। गुड़गांव कैनाल से कम पानी की प्राप्ति के सम्बन्ध में माननीय सदस्यों ने बात कही है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा राजस्थान के हिस्से के पानी की चोरी होने के कारण राजस्थान को उनके हिस्से का पूरा पानी नहीं मिल रहा है। वर्ष 2006 से 2008 के बीच में निर्धारित हिस्से के विरुद्ध 35 प्रतिशत पानी राजस्थान को मिला है। हम संबंधित राज्यों से इस समस्या के समाधान हेतु चर्चा कर हल निकालने का प्रयास करेंगे। हरियाणा के मुख्य मंत्रीजी से भी चर्चा हुई थी। उन्होंने इस सम्बन्ध में कार्यवाही का आश्वासन दिया है।

अध्यक्ष महोदय, इसके लिए हमने सैक्रेटरी लेवल पर भी कमेटी बनाई, कुछ मुद्दे ऐसे थे उनको रिजोल आउट करने के लिए जब हरियाणा के मुख्य मंत्रीजी आये तो सैक्रेटरी लेवल की हमने कमेटी बनाकर और जो वह मुद्दे कह रहे थे उनमें और अपने मुद्दों में बैठकर आपस में बातचीत करके हल निकालने का प्रयास किया है। यमुना जल समझौते के लिए भरतपुर के लिए 1281 क्यूसेक्स जल की मात्रा आबंटित है। वर्तमान में 800 क्यूसेक्स जल उपयोग हेतु सिंचाई का संसाधन हमारे को मिल रहे हैं। शेष 481 क्यूसेक्स जल के उपयोग हेतु एक परियोजना की राशि 144 करोड़ केन्द्रीय जल आयोग से अनुमोदित है। जिसे हरियाणा सरकार से एमओयू हुए समझौते की कार्यवाही के प्रयास राज्य सरकार के स्तर पर किए जा रहे हैं। इस नये क्षेत्र से 65 हजार 200 हैक्टेयर बढ़ जाएगा। यमुना जल समझौते के अनुसार भरतपुर जिले को पानी दिया जा रहा है। नवम्बर से फरवरी तक 238 क्यूसेक्स पानी आबंटित हुआ था। मार्च-जून में 288 और जुलाई अक्टूबर से लगातार 1281 क्यूसेक्स पानी मिला था। माही परियोजना का पानी माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने राजस्थान एवं गुजरात के मध्य वर्ष 1996 में हुए माही जल

(श्री महीपाल मदेरणा)

समझौते के अन्तर्गत 40 टी.एम.सी. पानी के उपयोग का बिन्दु उठाया है। मैं सदन को अवगत करवाना चाहूंगा कि गुजरात राज्य, राजस्थान को यह पानी नहीं देना चाहता। गुजरात राज्य के साथ वर्ष 1966 में हुए समझौते में यह शर्त थी कि गुजरात में माही कमाण्ड क्षेत्र जब नर्बदा के पानी से सिंचित होने लग जाएगा, तो गुजरात के हिस्से का 40 टी.एम.सी. पानी राजस्थान उपयोग कर सकेगा। लेकिन गुजरात सरकार ने सुनियोजित ढंग से नर्बदा ट्रिब्यूनल के समक्ष अपना पक्ष इस तरीके से पेश किया कि माही से सिंचित कमाण्ड एरिया को यथावत रखते हुए उन्होंने नर्बदा का सिंचित क्षेत्र अलग से निर्धारित करवा लिया। नर्बदा ट्रिब्यूनल का अवार्ड वर्ष 1976 में आया जिसके विरुद्ध राजस्थान सरकार ने एस.एल.पी. संख्या 2614/83 माननीय सर्वोच्च न्यायालय में दायर कर अवार्ड को चुनौती दी। लेकिन एस.एल.पी. का निर्णय वर्ष 2002 में हुआ और हमारी एस.एल.पी. खारिज कर दी गई।

गुजरात राज्य का अब यह स्टैण्ड है कि राजस्थान का दावा सर्वोच्च न्यायालय में खारिज हो चुका है इसलिए 40 टी.एम.सी. पानी पर राजस्थान का कोई हक नहीं हैं। दूसरी ओर वह नर्बदा कैनाल से एस्केप के माध्यम से माही कमाण्ड में पानी भी ले रहा है। राज्य सरकार द्वारा वर्ष 2005 में माही के पानी संबंधी एक उच्च स्तरीय तकनीकी समिति गठित की थी जो वार्ता हेतु गुजरात गई थी। लेकिन गुजरात सरकार के अधिकारियों ने समिति से कोई वार्ता नहीं की और वे खाली हाथ लौट आए। तत्पश्चात तकनीकी समिति की बैठक में वर्ष 2006 में यह निर्णय लिया गया कि जब तक नर्बदा का पानी राजस्थान की सीमा तक नहीं पहुंचता तब तक इस प्रकरण को लम्बित रखा जावे।

दिनांक 27.03.2008 को नर्बदा का पानी राजस्थान पहुंचने के बाद भी इस पर कोई आगे कार्यवाही नहीं हुई। इस पृष्ठभूमि में सरकार इस मामले के समस्त कानूनी बिन्दुओं का परीक्षण विधि विशेषज्ञों से करवाने के पश्चात आगे कार्यवाही पर विचार करेगी और गुजरात सरकार के साथ इस मसले को उठाएगी। इसके साथ ही इस पानी के उपयोग हेतु मास्टर प्लान बनाने के आदेश भी राज्य सरकार ने दे दिए हैं। जो अगले तीन माह में तैयार हो जाएगा। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहता हूं कि हम राजस्थान के हिस्से का पानी गुजरात को किसी भी हालत में नहीं देंगे और यह पानी राजस्थान के गरीब आदिवासियों की भूमि की सिंचाई के काम में लिया जाएगा। जिसके लिए हम प्रयत्नशील रहेंगे।

(श्री महीपाल मदेरणा)

अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों ने पंजाब में राजस्थान के हिस्से का पानी रिलीज नहीं करने के विचार रखे। मैं उनके विचारों से सहमत हूं। हमने मुख्य मंत्री स्तर पर पूरे प्रयास किए जिसमें हमको कुछ सफलता मिली। हमने पंजाब में पूरा पानी रिलीज करने के प्रत्येक स्तर पर दबाव बनाया है। जिसके फलस्वरूप 21.07.2009 को निर्धारित हिस्से में बढ़ोतरी की है। हम चाहेंगे कि पंजाब का सहयोग निरन्तर बना रहे। इस मामले का स्थाई समाधान तब तक सम्भव नहीं है जब पंजाब के पुनर्गठन कानून की धारा 79 के तहत समस्त हैडवर्क्स नियंत्रण पंजाब द्वारा भाखड़ा व्यास प्रबंधन बोर्ड को नहीं सौंप दिया जाता। यह मामला सर्वोच्च न्यायालय में विचाराधीन है जिसमें हमने देश के ख्याति प्राप्त अधिवक्ताओं को लगाया है। हमारा प्रयास रहेगा कि इस प्रकरण का शीघ्र निस्तारण हो। इसके साथ ही हम राजनीतिक व प्रशासनिक स्तर पर पूरा पानी लेने के प्रयास जारी रखेंगे।

अध्यक्ष महोदय, मैं सदन को पूर्व में भी अवगत करवा चुका हूं कि इस बार पोंग व भाखड़ा डैम के केचमेंट में वर्षा कम होने एवं बर्फ नहीं पिघलने के कारण पानी की आवक पिछले 14 वर्ष के न्यूनतम स्तर पर है। हम निरन्तर स्थिति पर निगाह रख रहे हैं हुए हैं और आशा करते हैं कि आने वाले दिनों में वर्षा होगी तो इन बांधों में पानी आएगा। जिसका उपयोग हम खरीफ की खड़ी फसल को बचाने हेतु कर सकेंगे। पिछले दो-तीन दिन से पानी की आवक बढ़ी है। मैं सदन को आश्वस्त करना चाहूंगा कि यदि बांधों में पानी उपलब्ध हुआ तो सरकार खरीफ की फसल हेतु पूरा पानी देने का प्रयास करेगी। मैं एक किसान होने के नाते किसान की फसल की बरबादी को नहीं देख सकता, इसलिए हम और हमारी सरकार इस प्रयास में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): बरसात भी करवाओ।

श्री महिपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): अभी आ रहा है पानी। आप कहें तो और डेटा बताऊं? ...(व्यवधान) सादुलशहर से आने वाले माननीय सदस्य श्री संतोष कुमार सहारण साहब ने बीकानेर नहर की आरडी 86 से पंजाब द्वारा गंग नहर में पानी कम छोड़ने का मुद्दा उठाया है यह समस्या पिछले दो वर्षों से चली आ रही है जब से पंजाब ने आरडी 86 पर क्रास

(श्री महीपाल मदेरणा)

रेगुलेटर लगाकर, कानिया माइनर में पानी ले जाने हेतु पोंडिंग की व्यवस्था कर ली। यदि उसी समय पंजाब को रोक दिया जाता तो यह समस्या नहीं आती। गंग कैनाल में 200-300 क्यूसेक्स पानी कम प्राप्त होता है व लगातार फ्लचुएशन आते हैं। हमने इस प्रकरण को पंजाब सरकार के साथ उठाया है व भाखड़ा व्यास प्रबंधन मंडल की बैठक में भी रखेंगे। इसके साथ ही गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने गंग कैनाल का श्रेय दिया है गंग कैनाल के आधुनिकीकरण, सुदृढ़ीकरण के लिए समस्त कार्य पूर्व कांग्रेस की सरकार के दौरान एआईबीपी, आरडब्ल्यूएसआरपी के तहत आरम्भ किये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): पूरा अर्थ क्या है?

श्री महिपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): अभी बता दूंगा इसका है, एक्सीलरेटेड इर्रिगेशन बेनीफिट प्रोग्राम, त्वरित सिंचाई लाभ योजना । गंग नहर के आधुनिकीकरण के लिए प्रशासनिक स्वीकृति 87.5 करोड़ रुपये राज्य सरकार के पत्र क्रमांक 477 दिनांक 28.9.1983 को जारी की। गंग नहर प्रणाली के लिए 445.79 करोड़ रुपये की आधुनिकीकरण की सीडब्ल्यूसी की 73वीं बैठक में 21.5.2000 को जारी की गई। पंजाब भाग में 98.6 किलोमीटर लाइनिंग व राजस्थान में 16.72 किलोमीटर लाइनिंग का कार्य, जून, 2005 से बीकानेर कैनाल में पानी दिया जा रहा है। एआईबीपी के अन्तर्गत 769 किलोमीटर, आरडब्ल्यूएसआरपी के अन्तर्गत 396 किलोमीटर वितरिकाओं का कार्य मार्च, 2009 तक पूर्ण किया जा चुका है। आरडब्ल्यूएसआरपी के अन्तर्गत योजना सितम्बर, 2000 में तैयार कर राज्य सरकार को प्रस्तुत है। यह कार्य अप्रैल, 2000 से आरम्भ किया गया था।

अध्यक्ष महोदय, टेल पर पानी नहीं पहुंचने की कोलायत से आने वाले माननीय सदस्य ने बात उठायी थी। मैंने उनको विश्वास दिलाया था कि मैं इच्छाशक्ति के साथ और संवाद के साथ उन किसानों को जो टेल पर हैं उनको पानी पहुंचाने के मुद्दे पर, पानी उन तक पहुंचे मैं इसके प्रयास करवाऊंगा। यह समस्या काफी पुरानी और निरन्तर चली आ रही है। मैंने पेयजल का वक्तव्य देते समय महात्मा गांधीजी के कथन की ओर सदन का ध्यान आकर्षित किया था कि इस देश में प्रत्येक व्यक्ति की आवश्यकता पूरी करने योग्य संसाधन तो हैं लेकिन प्रत्येक व्यक्ति का लालच पूरा करने के लिए नहीं। माननीय अध्यक्ष महोदय, नहरी क्षेत्र में भी यही स्थिति है। बड़े व प्रभावशाली लोग सीधे मोगे

(श्री महीपाल मदेरणा)

लगाकर व मोगो को चौड़ा कर अधिक पानी लेते हैं जिससे टेल के गरीब काश्तकारों को पानी नहीं पहुंचता है। पूर्ववर्ती सरकार ने भी मोगे ठीक करने का अभियान शुरू किया जिसे बीच में ही रोकना पड़ा। द्वितीय चरण में 472 ऐसे मोगे चिह्नित किए गये थे जिनमें स्वीकृत पानी से पचास प्रतिशत या इससे अधिक पानी वे काश्तकार ले रहे थे। लेकिन उसमें से 164 ही ठीक कर पाए व अभियान बीच में ही रोकना पड़ा। इसके अतिरिक्त साईफन लगाकर व दूसरे तरीके से पानी की चोरी भी होती है। मिलीभगत से बंदी के दौरान भी कुछ नहरें चलने की शिकायतें मिलती हैं। समस्या गम्भीर है। नहरों में मिट्टी जमने व रखरखाव की कमी भी इसका एक कारण है। इन समस्त मुद्दों पर हमने एक कार्यकारी योजना बनाई है जिसे समयबद्ध तरीके से लागू किया जायेगा और इसमें मैं समस्त सदस्यों का सहयोग चाहता हूं कि ऐसी स्थिति नहीं आने दें कि फिर अभियान बीच में ही रोकना पड़े। सरकार इस सम्बन्ध में पूरे प्रयास करेगी कि प्रत्येक काश्तकार को उसके हिस्से का पानी मिले। नहरों के संचालन में व जल वितरण में जनसहभागिता भी सुनिश्चित की जाएगी। We will create the necessary bodies जिससे इस समस्या के समाधान करने में हम मदद कर सकें।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इंदिरा गांधी नहर फीडर की मरम्मत की बात बहुत से माननीय सदस्यों ने उठाई। यह बात सही है कि इंदिरा गांधी नहर फीडर जिसकी लम्बाई 204 किलोमीटर है की मरम्मत का कार्य उच्च प्राथमिकता पर लिया जाना चाहिए। पंजाब सरकार ने आरडी 496 तक 901 करोड़ की एक वृहद योजना तैयार कर केन्द्रीय जल आयोग को भेजी थी जिस पर राजस्थान सरकार द्वारा सहमति अप्रैल, 2009 में दे दी गई है आरडी 496 से 671 फीडर व 0 से 1458 आरडी तक मुख्य नहर की मरम्मत की अन्य योजना पांच सौ करोड़ की है तैयार कर केन्द्रीय जल आयोग को भेजी गई है। राजस्थान ने इन योजनाओं को एआईबीपी कार्यक्रम के अन्तर्गत सहायता प्रदान करने हेतु भारत सरकार को अनुरोध किया है। मुख्य मंत्रीजी के स्तर पर पंजाब के मुख्य मंत्रीजी से भी इस सम्बन्ध में चर्चा हुई है। हम शीघ्र ही तकनीकी अधिकारियों का उच्च स्तरीय दल पंजाब भेजेंगे जो वहां के तकनीकी अधिकारियों से चर्चा कर इस परियोजना के संचालन के विभिन्न तकनीकी पहलुओं पर विस्तृत चर्चा कर इसकी क्रियान्विति का रोड मैप तैयार करेंगे। भारत सरकार से भी इस परियोजना को शीघ्र स्वीकृत कराने हेतु उच्च स्तरीय

(श्री महीपाल मदेरणा)

प्रयास किये जाएंगे। यदि आवश्यक हुआ तो राज्य सरकार राज्य मद से इस परियोजना के लिए राशि प्रदान करेगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, रेगुलेशन की समस्या के बारे में कोलायत से आने वाले माननीय सदस्यों ने नहरों के रेगुलेशन में हो रही अनियमितताओं की ओर राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित किया है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): दो पेज ही रहे हैं।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): नहीं-नहीं, लम्बा है। आप कल न कह दोगे कि कटौती प्रस्ताव पर नहीं बोले, अध्यक्ष महोदय।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान) ये जो कहना चाहते हैं वो हमने सुन लिया हम सन्तुष्ट हैं।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): नहीं सरकार का जवाब तो आएगा ही। कितने सदस्य के जवाब...

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): जवाब आ गया न। आ तो गया जवाब में अब बचा क्या है?

श्री अध्यक्ष: आप विराजें माननीय सदस्य।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): अभी पवन दुग्गल साहब ने भी उठाया है उनका भी जवाब देना है।

एक माननीय सदस्य: ...(व्यवधान) हम सुनना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजें।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): हमारी सरकार आने के पश्चात् इंदिरा गांधी नहर परियोजना के प्रथम व द्वितीय चरण के काश्तकारों को उनके निर्धारित हिस्से का पानी दिलवाने हेतु गम्भीर प्रयास किये हैं। हमने अनियमितता करने वाले अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही भी की है। हाल ही में तीन उच्च अधिकारियों को आदेश की प्रतीक्षा में किया गया है व तीन अधिकारियों को निलम्बित भी किया गया है। यदि कोई भी अधिकारी या कर्मचारी रेगुलेशन के मामले में अनियमितता बरतेगा तो सरकार सख्त कार्यवाही करेगी। लेकिन अकेले सरकारी कार्यवाही से इस समस्या का समाधान नहीं होगा। जनता को भी आगे आना होगा कि वे ऐसी अनियमितताओं को उजागर करें क्योंकि अधिकांश अनियमितताएं चन्द लोगों के निहित स्वार्थ के

(श्री महीपाल मदेरणा)

कारण पूरी होती है। मैं माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि जो भी अनियमितता हो वह मेरे या उच्च अधिकारियों के ध्यान में लाएं ताकि उन पर तत्काल कार्यवाही हो सके।

अध्यक्ष महोदय, कुछ माननीय सदस्यों ने सिंचाई हेतु इंदिरा गांधी नहर का पानी नागौर, जौधपुर और पाली जिलों को उपलब्ध कराने की बात कही है। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि नागौर, भोपालगढ़ व सोजत से आने वाले माननीय सदस्यों ने इंदिरा गांधी नहर का पानी उनके जिलों में सिंचाई हेतु उपलब्ध कराने की मांग की है। मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि इंदिरा गांधी नहर परियोजना के समस्त पानी का उपयोग किया जा चुका है। अब अधिशेष पानी नहीं है जो अन्य जिलों को सिंचाई हेतु दिया जा सके।

एक माननीय सदस्य: यह तो बता दो डार्क जोन वालों का क्या करोगे।

श्री अध्यक्ष: कृपया व्यवधान नहीं। जवाब आने दीजिए कृपया व्यवधान नहीं माननीय सदस्य।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, अनूपगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने घड़साना समझौता लागू नहीं करने की बात कही। इस सम्बन्ध में दिनांक 23.3.2007 को तत्कालीन जल संसाधन मंत्री द्वारा इस बिन्दु पर सदन में चर्चा करते हुए कहा था आंदोलन के बाद जेल में जो समझौता हुआ, माननीय सदस्य हम कई बार आपको कह चुके हैं कि इसकी अक्षरशः पालना हमने कर दी है कहीं पर भी कोई गुंजाइश नहीं है उसके उपरान्त पालना हमने कर दी है इसलिए आप कृपया यह भ्रम की स्थिति पैदा नहीं करें। जिस सरकार ने समझौता किया था उसने सदन में इसकी पालना की घोषणा वर्ष 2007 में कर दी थी। यदि पालना नहीं हुई तो आप चुप क्यों रहे? लेकिन फिर भी कोई बिन्दु रह गया है तो माननीय सदस्य मेरे ध्यान में लायेंगे हम आपके साथ वार्ता करके इसको सुलझाने का प्रयास करेंगे।

लोंगेवाला समझौते में इराडी ट्रिब्युनल का गठन हुआ था जिसमें राजस्थान का हिस्सा यथावत रहा यह मैं आपकी जानकारी में लाना चाहता हूं राजस्थान को किसी प्रकार का उसमें नुकसान नहीं हुआ। बीबीएमबी समस्त

(श्री महीपाल मदेरणा)

हैड वर्क्स के नियंत्रण हेतु माननीय उच्चतम न्यायालय हेतु एक याचिका में राजस्थान के पक्ष में निर्णय लिया गया। जिसके विरुद्ध पंजाब ने माननीय उच्चतम न्यायालय में अपील की हुई है। जिसमें स्थगन आदेश जारी किये वर्तमान में प्रकरण माननीय उच्चतम न्यायालय में लम्बित है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया शांति बनाये रखें।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, कुछ कटौती प्रस्ताव माही जाखम व जयसमन्द परियोजना को आपस में जोड़ने के सम्बन्ध में भी आये हैं । माननीय सदस्यों के जो सुझाव आये हैं वह स्वागत योग्य हैं। इन तीनों परियोजनाओं को आपस में जोड़ने हेतु एक प्राथमिक रिपोर्ट तैयार की गई थी लेकिन अभी तक विस्तृत सर्वे या अध्ययन नहीं हुआ है। सरकार इसका तकनीकी अध्ययन करवाने के पश्चात् उचित निर्णय लेगी। साबरमती बेसन के पानी को अन्य बेसन में हस्तान्तरण कर उपयोग करने संबंधी एक विस्तृत अध्ययन हेतु राष्ट्रीय जल विकास प्राधिकरण को अनुरोध किया गया है। अध्ययन रिपोर्ट आने के पश्चात् राज्य सरकार इस पर विचार करेगी।

मेवाड़ में स्वीकृत परियोजनाओं का प्रारम्भ नहीं होना। मेवाड़ क्षेत्र में स्वीकृत लघु एवं वृहत परियोजनाओं के स्वीकृत कार्य चालू नहीं होने के सम्बन्ध में मैं अवगत कराना चाहूंगा कि उदयपुर सम्भाग में 12 स्वीकृत परियोजनाओं पर कार्य आरम्भ नहीं हुआ है। जिनमें से 6 पर वन भूमि होने के कारण, एक अन्तरराज्यीय मामले के कारण, एक तकनीकी कारण से व 4 वित्तीय संसाधनों के अभाव के कारण यह कार्य आरम्भ नहीं हो सके हैं। मैं माननीय सदस्यों को आश्वस्त करता हूं कि हम इन योजनाओं को शुरू करने के पूरे प्रयास करेंगे।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अब मेरे तारानगर वाली बता दो।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): आपकी तो बाद में बतायेंगे नहीं तो आप जल्दी खड़े हो जायेंगे।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आपके लिये तो तत्काल व्यवस्था है साथ ही ले जाओ।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): एनिकट के निर्माण के सम्बन्ध में कई सदस्यों ने यहां उठाया, निर्माण की मांग रखी। माननीय

(श्री महीपाल मदेरणा)

अध्यक्ष महोदय, जब हमारी सरकार सत्ता में थी तो हमने वैज्ञानिक आधार पर पूर्ण सर्वे के पश्चात् राज्य में एनिकट निर्माण हेतु एक मास्टर प्लान तैयार किया था। मास्टर प्लान तैयार करते समय हमने इस बात को ध्यान में रखा था कि तालाबों व बांधों में पानी की आवक पर उसका असर नहीं हो। लेकिन पिछले 5 वर्षों में इस मास्टर प्लान की अवहेलना करते हुए जल संसाधन विभाग द्वारा 381 करोड़ की लागत के 3174 एनिकट स्वीकृत किए गए। जिसके कारण अब बांधों व तालाबों में पानी की आवक पर असर पड़ने लगा है। लगभग 70 बांधों व तालाबों में तो पिछले 3 वर्ष में एक बूंद पानी नहीं आया है। जयपुर में कूकस व रामगढ बांध का उदाहरण हमारे सामने है। मुझे डर है कि यह संख्या दिन ब दिन बढने लग जायेगी। अकेले अजमेर जिले में ही 36 करोड़ के एनिकट निर्मित कर दिए इसके अतिरिक्त हज़ारों एनिकट नरेगा, जलग्रहण योजनाओं व ग्रामीण विकास की योजनाओं के तहत निर्मित हुए हैं। एनिकट के निर्माण का उद्देश्य भूजल स्तर में बढ़ोत्तरी का था जिससे अधिक से अधिक काश्तकारों को कुओं से सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध हो सके। लेकिन अध्यक्ष महोदय, अधिकतर एनिकटों में से कुछ प्रभावशाली व्यक्ति पानी पम्प कर सिंचाई कर रहे हैं जिससे आम काश्तकार लाभ से वंचित है। इसलिए गम्भीरता से हमारी सरकार इन सब परिस्थितियों पर विचार करेगी। एनिकट मास्टर प्लान के अनुसार ही निर्मित होंगे और निर्मित एनिकट के पानी को लिफ्ट कर सिंचाई की अनुमति पर भी पाबन्दी लगाई जायेगी ताकि भूजल स्तर में बढ़ोत्तरी हो और अधिक से अधिक काश्तकारों को लाभ मिले और आवक ज्यादा बढ़े।

कई माननीय सदस्यों ने इस बात पर ध्यान आकर्षित किया कि ड्रिप एवं स्प्रिंकलर को प्रोत्साहन मिलना चाहिये। मैं सदन को अवगत कराना चाहूंगा कि यह बिन्दु हमारे घोषणा पत्र में भी है और राज्य सरकार इस दिशा में हर सम्भव प्रयास करेगी। हमारी सरकार ने इंदिरा गांधी नहर की लिफ्ट परियोजना में बाराबंदी पद्धति से सिंचाई हेतु 580 करोड़ रुपये की योजना तैयार कर भारत सरकार को भिजवाई है। इसके अतिरिक्त भारत सरकार व राज्य सरकार के सहयोग से इन सिंचाई पद्धतियों को प्रोत्साहित करने हेतु 50 प्रतिशत अनुदान की योजना कृषि विभाग के द्वारा संचालित की जा रही है। राजस्थान में जल की कमी को ध्यान में रखते हुए यह योजना राजस्थान के लिये काफी उपयोगी है।

(श्री महीपाल मदेरणा)

नोहर से आने वाले माननीय विधायक ने पायलट प्रोजेक्ट में कुम्भाराम आर्य लिफ्ट पर फव्वारा पद्धति में बजट का कोई प्रावधान नहीं रखा है, यह सही नहीं है। इस वर्ष इस कार्य हेतु 17.41 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा गया है।

अध्यक्ष महोदय, कई बार यह बात उठाई गई कि सिंचाई योजनाओं के पूरे होने में अधिक व्यय व समय लगने के कारण राज्य सरकार को हानि होती है। दांतारामगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य ने यह महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। मैं उनके विचार से सहमत हूं। यह बात सही है कि लगभग 99.9 प्रतिशत सिंचाई परियोजनाएं मूल स्वीकृत लागत से कहीं अधिक लागत व अधिक समय में ही पूरी होती हैं। जिससे इन योजनाओं का लाभ समय पर लोगों को नहीं मिल पाता। यह समस्या प्रथम पंचवर्षीय योजना से ही चली आ रही है। इसका मुख्य कारण योजनाओं के तखमीने भारत सरकार के निर्देशानुसार पूर्ण सर्वे व अन्वेषण बिना ही तैयार करना, वन विभाग की भूमि संबंधी अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त किये बिना ही कार्य प्रारम्भ कर देना, भूमि अवाप्ति में देरी, निर्माण लागत शुरू में कम दिखाना व योजनओं हेतु बजट में पर्याप्त धनराशि का प्रावधान नहीं रखना है। उदाहरण के तौर पर जो योजनाएं अभी चल रही हैं उनको समय पर पूरा करने हेतु 490 करोड़ रुपये का अतिरिक्त प्रावधान पिछले 5 वर्ष में किया जाना चाहिये था जो नहीं किया गया। इसलिए हमें यह व्यवस्था करनी होगी कि यह योजनाएं तकनीकी रूप से तैयार हों। विधिवत स्वीकृति के पश्चात् व भूमि अवाप्त होने के बाद ही लागू की जाएं और पर्याप्त बजट उपलब्ध करवाया जाए। तब ही यह योजनाएं समय पर पूरी हो सकेंगी। बजट से अधिक राशि की योजनाएं स्वीकृत करने पर भी अंकुश लगना चाहिये। हमारी सरकार इस दिशा में काम करेगी।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): मंत्रीजी, धौलपुर चम्बल लिफ्ट इर्रिगेशन के बारे में भी थोड़ी सी..

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजें।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): मैंने आपको सुबह दो बजे से कितने धैर्यपूर्वक सुना।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): मंत्रीजी, वेश्म में चर्चा हो चुकी थी।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): मंत्री महोदय, हमारे अलवर का भी कोई जिक्र तो आ जाए।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): आप जिक्र कर दीजिये धौलपुर का।

श्री अध्यक्ष: इन्तजार का फल मीठा होता है।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, कई माननीय सदस्यों ने बकाया सिंचाई शुल्क माफ करने की मांग रखी। इस सम्बन्ध में मैं माननीय सदस्यों को अवगत कराना चाहूंगा कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अपने बजट भाषण में ब्याज की राशि में छूट देते हुए एकमुश्त सैटलमेंट की घोषणा की है जिसे हम लागू करेंगे। सिंचाई शुल्क माफ करते समय हमें इस बात पर विचार करना होगा कि राज्य के 65 प्रतिशत काश्तकार अपने निजी कुओं और ट्यूबवैल से खेती करते हैं। इस पर लाखों रुपये व्यय होता है। दूसरी ओर हम राज्य खर्च पर नहरों में पानी लाते हैं। सिंचाई शुल्क भी नगण्य है। यही कारण है कि आज नहरों के रखरखाव के खर्च का 10 प्रतिशत भी हम इन सिंचाई शुल्क से वसूल नहीं कर पा रहे हैं। इस कारण सिंचाई साधनों में कमी आ रही है। जैसा माननीय सदस्यों ने नहरों की मरम्मत का मुद्दा उठाया, इसलिये इस मुद्दे पर समस्त बिन्दुओं पर ध्यान रखकर विचार किया जाएगा। राज्य के पुराने टूटे बांधों की मरम्मत के सम्बन्ध में उठाये गये मामले पर, मैं सदन को अवगत कराना चाहूंगा, पिछले 5 वर्षों में 88 बांध और तालाब क्षतिग्रस्त हुए जिनको 66 करोड़ रुपये स्वीकृत किये गये। इस स्वीकृति के विरुद्ध 11.24 करोड़ रुपये ही व्यय किये गये। अब शेष बचे तालाबों की मरम्मत हेतु 37.20 करोड़ रुपये की राशि की आवश्यकता है, हम पूरा प्रयास करेंगे, इन बांधों और तालाबों को राज्य योजना के द्वारा या नरेगा के अन्तर्गत प्राथमिकता के आधार पर मरम्मत करवाई जाए। ताकि काश्तकारों को इसका लाभ मिल सके।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): प्रावधान तो नहीं है बजट में।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): नरेगा है ना।

अध्यक्ष महोदय, पिलानी से आने वाले माननीय सदस्य और नागौर के माननीय सदस्यों ने मांग की कि डार्क जोन में कुएं, ट्यूबवैल पर पाबन्दी हटाई जाए। धौलपुर से आने वाले माननीय सदस्य ने भी, इस सम्बन्ध में सदन को अवगत कराना चाहूंगा, यह पाबन्दी सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अन्तर्गत केन्द्रीय पर्यावरण अधिनियम के तहत नियुक्त प्राधिकरण द्वारा अधिसूचना के माध्यम से उन क्षेत्रों में लगाई जाती है जहां भू-जल दोहन अत्यधिक है। फिलहाल राज्य के 12 विकास खण्डों में पाबन्दी लगी हुई है।

(श्री महीपाल मदेरणा)

इसमें कोई भी छूट...(व्यवधान) बात तो सुनें। इसमें कोई भी छूट केन्द्रीय प्राधिकरण दे सकता है जब तक इस क्षेत्र में भू-जल के कृत्रिम पुर्नभरण में भू-जल स्तर की वृद्धि नहीं होती ऐसी छूट मिलने की सम्भावना नहीं है। राज्य के 198 ब्लाक डार्क जोन में आ गये हैं जिन पर भी ऐसी पाबन्दी लगने की आशंका है। इसलिये माननीय सदस्यों से आग्रह है कि जन प्रतिनिधि होने के नाते भू-जल के अंधाधुंध दोहन नहीं करने हेतु लोगों को प्रेरित करें ताकि बंदी की बात नहीं हो।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय मंत्री महोदय, कुछ अल्टरनेटिव दो ना।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया विराजिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): अध्यक्षजी, यह तो ऐसा है, डार्क जोन तो हो गया पर सरकार उसका कोई अल्टरनेटिव तो दे। क्या लोग भूखे मरेंगे, क्या खाएंगे?

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जल संसाधन विभाग में वर्तमान में सीधी भर्ती के 243 तकनीकी पद व 411 अन्य रिक्त पद हैं। इन्दिरा गांधी नहर परियोजना में 302 तकनीकी पद व 370 अन्य पद रिक्त हैं। वर्ष 1998 के बाद इन पदों पर भर्ती नहीं हुई है। वित्त विभाग से इन पदों को आवश्यकतानुसार भरने का भी हम प्रयास करेंगे।

घोषणाएं, माननीय अध्यक्ष महोदय, वैसे तो कांग्रेस के घोषणा पत्र, जो सरकार का नीतिगत दस्तावेज है, अगले 5 वर्ष में जल संसाधन हेतु जो कार्य किये जाएंगे, उनका विस्तृत उल्लेख है। हमने इसे लागू करने के लिये पांच वर्षीय योजना तैयार कर ली है। इस राज्य के शेष 23 प्रतिशत जल के उपयोग, नहरों की टेल पर पानी पहुंचने, सिंचाई कुशलता में कम से कम 25 प्रतिशत वृद्धि, बांधों, तालाबों व नहरों की क्षमता में सुधार, सिंचाई प्रबंधन में जनभागिता व अन्तरराज्यीय मामलों के निपटारे को प्राथमिकता देते हुए आगे बढ़ेगे। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने नई जल नीति बनाने की भी घोषणा की है जिसे हम शीघ्र जारी करते हुए लागू करेंगे। इस वर्ष किये जाने वाले कार्यों का विवरण बजट दस्तावेजों में है जिसे मैं दोहराना नहीं चाहता।

इन्दिरा गांधी नहर व अन्य नहरों में पूर्व स्वीकृत सीधे मोघों को निर्धारित पानी से अधिक पानी नहीं दिया जाएगा। इन सभी पर अगले 3

(श्री महीपाल मदेरणा)

महीने में रेगुलेटर स्थापित कर दिये जाएंगे। सभी मोघों को अभियान चलाकर अगले 6 माह में ठीक किया जाएगा। गंग, भाखड़ा, व इन्दिरा गांधी नहर में काश्तकारों को वर्तमान में पानी की पर्चियां एक निश्चित अवधि हेतु ही दी जाती हैं जिससे उन्हें सरकारी कार्यालयों में बार-बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। पानी की स्थाई पर्ची जारी की जाएगी। भूमि बेचान के साथ ही पानी की पर्ची क्रेता के नाम तहसीलदार रजिस्ट्री के साथ ही हस्तांतरित कर सकेंगे। इस हेतु नियमों में आवश्यक संशोधन किया जाएगा। गंग, भाखड़ा व इन्दिरा गांधी कैनाल के प्रथम चरण में सिंचाई व्यवस्था पूर्णतया स्थाई हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद मोघा परिवर्तन इत्यादि के सैकड़ों मामले सिंचाई अधिकारियों के पास आते रहते हैं। इन विवादों को कम करने की दृष्टि से अब यह निर्णय लिया गया है कि जो मोघे विधिवत स्वीकृति से स्थापित हो चुके हैं उनमें किसी प्रकार का परिवर्तन अब स्थानीय स्तर पर अनुमत नहीं होगा। यदि विशेष परिस्थिति हुई तो मामला समस्त तथ्यों के साथ राज्य सरकार को भेजा जाएगा। इससे काश्तकारों को बड़ी राहत मिलेगी।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय अध्यक्ष महोदय, देखिये वे सो रहे हैं।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): नहरों के पानी के रेगुलेशन व वितरण...

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): सो नहीं रहे हैं, मनन कर रहे हैं।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): नहरों के पानी के रेगुलेशन और वितरण की गतिविधियों को अलग किया जाएगा। इन्दिरा गांधी नहर कैनाल हेतु अलग से अतिरिक्त मुख्य अभियंता के अधीन रेगुलेशन सर्किल स्थापित किया जाएगा जो हरीके से लेकर 1458 आर.डी. तक पानी के रेगुलेशन को देखेगा। वितरण का कार्य संबंधित खण्ड पूर्व की भांति करेगा। गंग और भाखड़ा में अलग से खण्ड स्थापित कर पानी के रेगुलेशन को वितरण से अलग रखा जाएगा। इस खण्ड का सर्किल सीधे मुख्य अभियंता, जल संसाधन, जयपुर को रिपोर्ट करेगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): जयपुर को, ठीक है।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): नहीं, एक व्यवस्था आपको

(श्री महीपाल मदेरणा)

करनी होगी। इन्दिरा गांधी कैनाल में अगले 6 माह में स्काडा पद्धति स्थापित की जाएगी ताकि पानी वितरण की व्यवस्था में सुधार किया जाए।

ऐसा था कि तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने एक हैक्टेयर बढ़ाने का मुद्दा रखा था। पानी के हैक्टेयर को, कैनाल का। दस हजार समथिंग हैक्टेयर्स का आपने...

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): बढ़ गया था वह तो।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): नहीं बढ़े। वही बताना चाहता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया शांति रखें। (व्यवधान) माननीय सदस्य, कृपया शांति रखें।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिस कैनाल से इन्होंने इतने हैक्टेयर पानी का इनका सिंचित करने का लक्ष्य था, उसको 1.37 हैक्टेयर कार्य उन्होंने किया नहीं। उसके बाद जाते-जाते जिस कैनाल में पानी नहीं है उस कैनाल का सिंचित क्षेत्र बढ़ाने की जो कार्य योजना प्रशासनिक रूप से स्वीकृत हुई, वह विचाराधीन है और उसके ऊपर विचार किया जाएगा।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): माननीय मंत्री महोदय, हमारे अलवर जिले का क्या हुआ। अलवर जिले का माननीय मंत्री महोदय, क्या हुआ। यह तो मैच फिक्सिंग हो गया।

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजें, माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, कृपया विराजें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): यह तो मैच फिक्सिंग हो गया।

श्री अध्यक्ष: व्यवधान नहीं, कृपया विराजें।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे अनुरोध करुंगा कि सिंचाई से सम्बंधित मांगों को पारित किया जाए।

श्री अध्यक्ष: बस?

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): अलवर, अलवर, अलवर। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): अध्यक्ष महोदय, अलवर के लिये कुछ तो ऐसा देते, अलवर को तो बिलकुल ही उपेक्षित कर दिया। अलवर में भी किसान रहते हैं।

मांग का पारण

मांग संख्या-46-सिंचाई (इंदिरा गांधी नहर सहित) का पारण

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि मांग संख्या-46- सिंचाई (इंदिरा गांधी नहर सहित) के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2010 को समाप्त होने वाले वर्ष में किये जाने वाले व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को रुपये 21,79,50,11,000/- (इक्कीस अरब उन्नासी करोड़ पचास लाख ग्यारह हजार) तक की राशि जिसमें लेखानुदान द्वारा प्रदत्त राशि भी सम्मिलित है, प्रदान की जावे?

(स्वीकृत)

मांग स्वीकार की गई।

सदन की कार्यवाही ...(व्यवधान)

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): 'ना' पक्ष। 'ना' पक्ष। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आसन पांवों पर। आसन पावों पर, सदन की कार्यवाही ...(व्यवधान)...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आसन पांवों पर ही बोलते हैं। 'ना' पक्ष जीता। 'ना' पक्ष जीता। 'ना' पक्ष जीता।

श्री अध्यक्ष: सदन की कार्यवाही, सदन की बैठक शुक्रवार, दिनांक 24 जुलाई, 2009 के प्रातः 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 23.50 बजे शुक्रवार, दिनांक 24 जुलाई, 2009 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिए जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

टोंक जिले में सड़क निर्माण हेतु अवाप्त भूमि का मुआवजा

209. **श्री रामनारायण मीणा** (देवली उनियारा): क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में निर्मित सड़कों के लिए भूमि अवाप्ति का प्रावधान नहीं रखे जाने से भूमि अवाप्ति की कार्यवाही प्रस्तावित नहीं की जा रही है? यदि हां, तो अब इस सम्बन्ध में कृषक हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जाएगी ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा सड़क निर्माण की राशि एवं राज्य सरकार द्वारा भूमि अवाप्ति की मुआवजा राशि वहन की जानी होती है? यदि हां, तो किसान हित में राज्य सरकार द्वारा भूमि मुआवजा राशि अदा नहीं किए जाने बाबत अब क्या कार्यवाही की जाएगी ? विगत पांच वर्षो में भूमि अवाप्ति के लिए जिला टोंक में अदा की गई राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) उक्त योजनान्तर्गत निर्मित सड़कों के काम ली गई भूमि की क्षतिपूर्ति की मुआवजा राशि किसानों को अब कब तक वितरित कर दी जाएगी ?

उत्तर

(1) जी हां । सरकार द्वारा प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना में निर्माण के लिए भूमि अवाप्ति का प्रावधान नहीं रखे जाने से भूमि अवाप्ति की कार्यवाही प्रस्तावित नहीं की जाती है। सड़क में आ रही निजी भूमि हेतु किसानों द्वारा आपसी सहमति प्राप्त करके ही सड़क निर्माण किया जाता है।

(2) जी हां। उक्त योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा सड़क निर्माण की राशि वहन की जाती है। सड़क निर्माण का कार्य, मौजूदा राजस्व रास्तों पर ही किया जाता है निजी भूमि के रास्तों पर किसानों की आपसी सहमति प्राप्त करके किया जाता है । अत: विगत पांच वर्षों में भूमि अवाप्ति के लिए कोई राशि अदा की गई है।

(3) उक्त योजनान्तर्गत निर्मित सड़कों के काम ली गई निजी भूमि

(सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री)

किसानों की आपसी सहमति से ली जाती है। अतः मुआवजा देने का कोई प्रश्न नहीं है ।

पोषाहार में अनियमितता की रोक हेतु विशेष कार्य-योजना

210. **श्री गुलाब चन्द कटारिया** (उदयपुर शहर) : क्या पंचायतीराज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में पोषाहार का गबन/चोरी/अनियमितता के कितने प्रकरण जनवरी, 2009 से अब तक सरकार के ध्यान में लाये गये? उनमें से कितने प्रकरणों में जांच कराई गई तथा कितने लोगों के विरुद्ध मुकदमें दर्ज किये गये?

(2) उक्त प्रकरणों में अब तक किन-किन के विरुद्ध किस-किस प्रकार की कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(3) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा राज्य में पोषहार के सम्बन्ध में हो रही अनियमितता को नियंत्रित करने के लिए कोई विशेष दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों ?

(4) राज्य में दिसम्बर, 2008 से जून, 2009 तक दूषित/घटिया पोषाहार वितरण के कारण कहां-कहां, कब-कब कितने बच्चों की मृत्यु हुई तथा कितने गम्भीर रूप से बीमार हुए व उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया? उक्त घटनाओं के दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई तथा भविष्य में इस प्रकार की घटनाएं न हों, इसके लिए क्या प्रयास किये गये ?

उत्तर

(1) राज्य में पोषाहार का गबन/चोरी/अनियमितता के दस जिलों में कुल 36 प्रकरण सामने आये हैं, इनमें खाद्यान्न चोरी के 22, गबन के 3 व अनियमितता के 11 मामले पाये गये। सभी प्रकरणों में जांच कराई गई। इनमें से 22 प्रकरणों में अज्ञात व 4 प्रकरणो में ज्ञात लोगों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई।

(2) कुल 36 प्रकरणों में से 22 प्रकरणों में अज्ञात लोगों के खिलाफ व 4 प्रकरणों में ज्ञात लोगों के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करवाई गई। शेष 10 प्रकरणों में विभागीय कार्यवाही की जा रही है। 4 कार्मिकों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही भी की गई।

जिलेवार विवरण परिशिष्ट ''1'' पर संलग्न है।

(पंचायतीराज मंत्री)

(3) मिड डे मील कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु विभाग द्वारा दिनांक 10.03.2006 को जारी दिशा-निर्देशों में पोषाहार के सम्बन्ध में अनियमितता को नियन्त्रित करने के लिये पूर्ण प्रावधान किए हुए हैं। इसी क्रम में समय-समय पर आवश्यक दिशा निर्देश भी जारी किए जाते रहे है। केन्द्रीय रसोईघरों के प्रभावी संचालन के लिए दिनांक 15.04.2009 को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए। प्रतिलिपि परिशिष्ट ''3'' पर संलग्न है।

(4) राज्य में दिसम्बर, 2008 से जून, 2009 तक दूषित/घटिया/ पोषाहार वितरण के कारण राज्य में किसी भी बच्चे की मृत्यु नहीं हुई एवं ना ही कोई बच्चा गम्भीर रूप से बीमार हुआ है।

अजमेर जिले में मदरसा दारूल उलूम चिस्तियां रिजविया, किशनगढ़ में मिड डे मील से दिनांक 26.03.2009 को 26 बच्चे बीमार हुए। बच्चों को तत्काल प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई गई एवं सभी बच्चों को उसी दिन अस्पताल से छुट्टी दे दी गई।

दौसा जिले में राजकीय प्राथमिक विद्यालय लाक्या की ढाणी ग्राम पंचायत धरणवास, पंचायत समिति दौसा में दूषित पोषाहार के कारण दिनांक 05.12.2008 को 55 बच्चे एवं एक अध्यापिका बीमार हुई । सभी छात्रों को अस्पताल भेजा गया। 52 बच्चों को उसी दिन अस्पताल से छुटटी दे दी गई एवं 3 बच्चे तथा अध्यापिका को अगले दिन छुटटी दी गई ।

अजमेर जिले के एक प्रकरण में केन्द्रीयकृत रसोईघर के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज की गई व दौसा जिले के प्रकरण में खाना पकाने वाली को हटा दिया गया।

केन्द्रीय रसोईघरों के प्रभावी संचालन हेतु दिनांक 15.04.2009 को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किये गए।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयीं)

ग्राम फीडर सुधार कार्यक्रम में दोषी ठेकेदारों के विरुद्ध कार्यवाही

211. डा. फूलचन्द भिण्डा (विराटनगर) : ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) क्या राज्य सरकार द्वारा ग्रामों में फीडर सुधार कार्यक्रम चलाया जा रहा है? यदि हां, तो सुधार के क्रम में विद्युत कम्पनियों से कुछ शर्तें एवं मानदण्ड तय करके अनुबन्ध किया गया है? यदि हां, तो क्या-क्या मानदण्ड तय किये गये ?

(2) क्या मानदण्डों को परखने हेतु प्रशासनिक या नियंत्रण व्यवस्था की गयी है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(डा. फूलचन्द भिण्डा)

(3) क्या मानदण्डो पूरे नहीं करने वाले ठेकेदारों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

(4) क्या फीडर सुधार में उतारे गये तार एवं अन्य सामग्री विधिवत कम्पनियों के भण्डारों में जमा की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। फीडर सुधार कार्यक्रम के क्रम में विद्युत वितरण निगमों द्वारा विभिन्न ठेकेदारों से मुख्यतय निम्नलिखित शर्तों एवं मानदण्ड तय करके अनुबन्ध किये गये हैं :-

1. ठेकेदार द्वारा प्रस्तादित क्रय किये जाने वाले सामान का वेण्डर फर्म के वर्क्स पर निगम द्वारा नियुक्त निरीक्षण अधिकारी द्वारा निरीक्षण करवाने के उपरान्त सामान के स्टोर में आने पर निगम की केन्दीय प्रयोगशाला में भी निरीक्षण करवाया जाता है। यह संतोषप्रद पाये जाने पर नोडल आफिसर द्वारा ठेकेदार को 65 प्रतिशत भुगतान लेने के लिए प्राधिकृत किया जाता है। बाकी 30 प्रतिशत भुगतान साइड पर सामान लगाने पर ही भुगतान किया जाता है। 5 प्रतिशत का भुगतान कार्य पूर्ण होने के बाद ही किया जाता है।
2. ठेकेदार द्वारा क्रय किया गया सामान गारन्टीशुदा होगा एवं गारन्टी समय में खराब होने पर ठेकेदार द्वारा अपनी कीमत पर पुनः स्थापित करना होगा।
3. ठेकेदार द्वारा क्रय किया गया सामान निगम द्वारा अनुमोदित ड्राइंग निर्धारित तकनीकि प्रमाण आदि के अनुरूप होगा।
4. ठेकेदार द्वारा सामान का क्रय केवल उन्हीं आपूर्तिकर्ताओं द्वारा किया जा सकेगा जिनको निगम द्वारा अधिकृत अथवा अनुमोदित किया गया हो। ठेकेदार द्वारा क्रय किये गये समस्त सामान का नियमानुसार बीमा करवाया जायेगा।
5. ठेकेदार द्वारा भारतीय विद्युत अधिनियम एवं वर्तमान संशोधन के अनुरूप कार्य की पालना करनी होगी ।
6. फीडर सुधार कार्यक्रम में उतारे गये सामान को विधिवत रूप से निगम के भण्डार में जमा किया जायेगा तथा इस बाबत प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर ही भुगतान किया जा सकेगा ।

(ऊर्जा मंत्री)

7. कार्य सम्पूर्ण होने पर ठेकेदार द्वारा निगम अधिकारी को किये गये कार्य का विधिवत रूप से हस्तान्तरण करना होगा ।

8. निगम द्वारा ठेकेदार से 2 प्रतिशत सिक्योरिटी डिपोजिट के रूप में जो कि कार्यपूर्ण होने के 3 माह बाद वापस किया जाता है एवं 5 प्रतिशत पर्फोमेंस बैंक गारंटी के रूप में लिया गया है। जो कि कार्य होने के 12 माह बाद तक संतोषप्रद कार्य पर ही वापस किया जाता है।

9. निगमों द्वारा नियुक्त जांच एजेन्सी द्वारा सप्लाई किये गये पूर्ण सामान की तादाद, इसका साइट पर सही प्रकार लगाया गया जाना एवं समस्त उतारे गये सामान को निगम भण्डार में जमा होने का सुनिश्चित करने के लिए ठेकेदारों को किये जाने वाले भुगतान में से 5 प्रतिशत अतिरिक्त राशि (रिटेन्शन चार्जेज बाबत) रोकी जाती है।

10. ठेकेदार द्वारा कार्य समय पर पूरा ना करने के बाबत उसके ऊपर निर्धारित 1/4 प्रतिशत प्रति सप्ताह प्रथम 4 सप्ताह तक तथा 1/2 प्रतिशत प्रति सप्ताह के हिसाब से अधिकतम 5 प्रतिशत विलम्ब शुल्क के रूप में काटा जाता है।

(2) जी हां। फीडर सुधार कार्यक्रम के तय किये गये मापदण्डों को परखने के लिये निगम अधिकारियों को अपने स्तर पर अधिकृत किया गया है। जिसके अन्तर्गत किये गये कार्य का कनिष्ठ अभियंता द्वारा 100 प्रतिशत सहायक अभियंता द्वारा 20 प्रतिशत, और अधिशासी अभियंता द्वारा 10 प्रतिशत निरीक्षण किया जाता है तथा जयपुर डिस्कॉम में इसके अलावा तृतीय निरीक्षण संस्था के रूप में मैसर्स राईटस लिमिटेड, गुड़गांव को, अजमेर डिस्कॉम द्वारा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम की ऊर्जा वितरण प्रा. लि. कम्पनी (आर.ई.सी.-पी.डी.सी. आई.एल) को एवं जोधपुर डिस्कॉम द्वारा वाप्कोस लिमिटेड (भारत सरकार का उपक्रम), गुड़गांव को कार्यादेश जारी किये गये हैं। तृतीय निरीक्षण संस्था द्वारा निकाली गई कमियों को ठेकेदार से सही कराने के बाद ही ठेकेदार को 5 प्रतिशत रोका हुआ भुगतान किया जाता है। इसके अतिरिक्त अधीक्षण अभियंता द्वारा कार्य का 5 प्रतिशत निरीक्षण किया जावेगा।

(ऊर्जा मंत्री)

(3) फीडर सुधार कार्यक्रम के तहत मानदण्ड पूरे नहीं करने वाले ठेकेदारों का भुगतान नियमानुसार रोका गया है।

(4) जी हां। फीडर सुधार कार्यक्रम में उतारे गये तार एवं अन्य सामग्री विधिवत रूप से निगमों के भण्डारों में जमा की गई है एवं कार्याधीन फीडरों से उतारे गये सामान को जमा कराने की कार्यवाही जारी है। इसके साथ ही निगमों द्वारा आन्तरिक अंकेक्षण दल द्वारा भी सामान जमा करवाने का सत्यापन करवाया जा रहा है तथा निगम द्वारा भौतिक सत्यापन के लिए तृतीय निरीक्षण संस्था के सनदी लेखाकार (चार्टेट एकाउन्टेंट) को नियुक्त किया है। यह सत्यापन संतोषप्रद प्राप्त होने की स्थिति में ठेकेदारों को रोका हुआ 5 प्रतिशत रिटेन्शन राशि का भुगतान किया जावेगा।

केकड़ी विधान सभा क्षेत्र के चिकित्सालयों में चिकित्सकों के रिक्त पद

212. डा. रघु शर्मा (केकड़ी): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र केकड़ी के चिकित्सालयों में चिकित्सकों एवं अन्य कार्मिकों के पद रिक्त हैं? यदि हां, तो कितने व कहां-कहां?

(2) क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र केकड़ी के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्टाफ के रिक्त पदों का चिकित्सा संस्थानवार संख्या विवरण परिशिष्ट 'अ' पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। कनिष्ठ विशेषज्ञ एवं महिला स्वास्थ्य दर्शिका के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने के उपरान्त एवं ग्रामीण चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को राजस्थान लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर तथा चिकित्सा अधिकारी (पीजी निश्चेतन) के रिक्त पद को चिकित्सा अधिकारी (पीजी निश्चेतन) उपलब्ध होने पर भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

नर्स श्रेणी द्वितीय के रिक्त पदों को भरने हेतु साक्षात्कार लिये जा रहे हैं। जिसके पश्चात योग्य अभ्यर्थियों का चयन कर रिक्त पदों को भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

फार्मासिस्ट, दन्त टैक्नीशियन, वाहन चालक, वार्डबाय एवं सफाई कर्मचारी के रिक्त पद सीधी भर्ती से भरे जाने हैं जिन्हें नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही कर भरने के प्रयास किये जायेंगे। कनिष्ठ लेखाकार का रिक्त पद निदेशक कोष एवं लेखा विभाग के द्वारा भरा जाना है, जिसे भरवाये जाने के प्रयास किये जायेंगे।

परिशिष्ट 'अ'

विधान सभा क्षेत्र केकड़ी के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में स्टाफ के रिक्त पदों का चिकित्सा संस्थानवार संख्या विवरण निम्न प्रकार है

चिकित्सा संस्थान का नाम	पदनाम	रिक्त पदों की संख्या
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, केकड़ी	कनिष्ठ विशेषज्ञ (शिशु रोग)	1
	चिकित्सा अधिकारी (पीजी निश्चेतन)	1
	नर्स श्रेणी द्वितीय	3
	फार्मासिस्ट	1
	कनिष्ठ लेखाकार	1
	दन्त टैक्नीशियन	1
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सावर	ग्रामीण चिकित्सा अधिकारी	1

चिकित्सा संस्थान का नाम	**पदनाम**	**रिक्त पदों की संख्या**
	नर्स श्रेणी द्वितीय	2
	वार्डबाय	1
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सरवाड़	कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	1
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, कादेड़ा	वाहन चालक	1
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्रान्हेड़ा	नर्स श्रेणी द्वितीय	1
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बघेरा	महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पारा	नर्स श्रेणी द्वितीय	1
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, फतेहगढ़	नर्स श्रेणी द्वितीय	1
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, टाटोटी	महिला स्वास्थ्य दर्शिका	1
	सफाई कर्मचारी	1
प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, सराना	वाहन चालक	1

तहसील शेरगढ़ में नवीन राशन डीलरों की नियुक्ति

213. श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला जोधपुर की तहसील शेरगढ़ में दिसम्बर, 2003 से अब तक उचित मूल्य की कितनी दुकानें खोली गई? स्थान व डीलर नामवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राशन की दुकानों का विभाग व कमेटी द्वारा साक्षात्कार होकर स्थान व डीलर का चयन होने के पश्चात भी दुकानें अभी तक नहीं खोली गई? यदि हां, तो कौन-कौन से स्थान व डीलर की दुकानें नहीं खोली गई ? कारणों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार तहसील शेरगढ़ में दिसम्बर, 2003 से अब तक दुकानों के साक्षात्कार लेकर जिन-जिन स्थानों के डीलरों का चयन किया है, उन दुकानों को खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जोधपुर जिले की शेरगढ़ तहसील में दिसम्बर, 2003 से अब तक 99 उचित मूल्य की दुकानें खोली गई हैं। स्थान व डीलर की नामवार सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। शेरगढ़ तहसील की 11 राशन की दुकानों के प्रकरण साक्षात्कार लिये जाने के पश्चात विचारधीन रहे हैं। लम्बित प्रकरणों के सम्बन्ध में कारण सहित विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(3) वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा नई एवं रिक्त दुकानों के विज्ञापन एवं आबंटन की समस्त प्रक्रिया को स्थगित रखा जाकर, इस विषय में नीतिगत निर्णय लिए जाने हेतु प्रकरण विचारधीन है। इस सम्बन्ध में आवश्यक निर्णय होने पर तदनुसार कार्यवाही की जावेगी।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

तेजाजी मंदिर-धौलाभाटा चौराहा, अजमेर का अपूर्ण सड़क निर्माण कार्य

214. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) अजमेर में तेजाजी के मंदिर से डा. आहूजा के बंगले तक व एच. बी. फर्नीचर से धौलाभाटा चौराहे तक सड़क किस योजना के अन्तर्गत बनाई गई व उक्त निर्माण कार्य हेतु कितना बजट स्वीकृत किया गया?

(2) स्वीकृत बजट में से अब तक उक्त सड़क पर कितनी राशि व्यय हो चुकी व कितनी शेष है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अजमेर में तेजाजी के मंदिर से डा. आहूजा के बंगले तक एवं एच.बी. फर्नीचर से धौलभाटा चौराहे तक सड़कों का राज्य योजना मद के अन्तर्गत निर्माण हेतु कराया जा रहा है। इन सड़कों के निर्माण क्रमशः राशि रुपये 76.88 लाख एवं रुपये 73.60 लाख की स्वीकृति जारी की गई है।

(2) अजमेर में तेजाजी मन्दिर से डा. आहूजा के बंगले तक एवं एच.बी. फर्नीचर से धौलाभाटा चौराहे तक सड़कों के निर्माण पर माह जून 2009 तक क्रमशः राशि 69.88 लाख व 65.44 लाख रुपये व्यय की जा चुकी है। शेष उपलब्ध राशि इत्यादि का विवरण परिशिष्ट ''अ'' में प्रस्तुत है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

नरेगा योजनान्तर्गत मजदूरों के भुगतान हेतु निर्धारित नियमों की पालना

215. **श्री रोहिताश कुमार** (बानसूर) एवं **श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर): क्या ग्रामीण विकास (रोजगार गांरटी योजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत श्रमिकों को मस्टररोल का भुगतान कितने दिन में किये जाने का प्रावधान है? आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) वित्तीय वर्ष 2009-10 के माह जनवरी से जून 2009 तक राजस्थान के कितने जिलों में श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान नरेगा के दिशा निर्देशन अनुसार प्राप्त नहीं हुआ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) नरेगा में श्रमिकों के मस्टररोल पर विलम्ब से भुगतान होने पर क्या सरकार ने कोई उत्तरदायित्व का निर्धारण कर कार्यवाही की है? यदि हां, तो कितने अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत श्रमिकों को मस्टरोल का भुगतान 15 दिवस में किये जाने का प्रावधान है। इस संदर्भ में जारी किये गये आदेशों की प्रति परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) वित्तीय वर्ष 2009-10 के माह जनवरी से जून तक राजस्थान में श्रमिकों को मजदूरी का भुगतान का 11 जिलों में विलम्ब हुआ है। विलम्ब का मुख्य कारण तकनीकी स्टाफ की कमी व पोस्ट आफिस के स्टाफ का पूर्ण रूप से दक्ष नहीं होना रहा है।

(3) नरेगा में श्रमिकों के मस्टररोल पर विलम्ब से भुगतान होने का कारण तकनीकी स्टाफ की कमी, पोस्ट आफिस द्वारा विलम्ब से भुगतान करना, खाते खुलने में विलम्ब होना रहा है। फिर भी भुगतान में विलम्ब करने पर दोषी अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही की गई है। इस सन्दर्भ में 7 कार्यक्रम अधिकारी, 65 ग्राम सेवक, 221 ग्राम रोजगार सहायक व 66 तकनीकी सहायक के विरूद्ध कार्यवाही की गई।

परिशिष्ट-1

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)

क्रमांक-एफ-4(5)आरडी/आरई/NREGS/Guide/07-08

जयपुर, दिनांक : 3 मार्च, 2008

जिला कलक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान

विषय : राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान के अन्तर्गत कार्य पर लगे मजदूरों को उनकी मजदूरी का समय पर भुगतान के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम-2005 एवं दिशा-निर्देश-2006 के पैरा 6.1.6 का अवलोकन करें, जिसमें यह निर्देश दिए गए हैं कि योजनान्तर्गत मजदूरों को मजदूरी का भुगतान समय पर मिले। मजदूरों को साप्ताहिक आधार पर वेतन पाने का अधिकार होग, परन्तु किसी भी सूरत में वेतन भुगतान में 15 दिवस से ज्यादा देरी नहीं होनी चाहिए। यदि वेतन भुगतान में किसी तरह का विलम्ब होता है तो मजदूर वेतन भुगतान अधिनियम, 1936 के प्रावधान के अनुसार मुआवजे की मांग कर सकते हैं।

अत: इस सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि योजनान्तर्गत मजदूरों को मजदूरी का भुगतान निर्धारित समयावधि 15 दिवस के अन्दर हो जावे। यदि किसी कार्य पर मजदूरों को मजदूरी का भुगतान निर्धारित अवधि में नहीं हुआ एवं देरी से भुगतान होने पर उसके द्वारा मुआवजे की राशि की मांग की गई तो इस सम्बन्ध में प्रत्येक मामले की जांच कार्यक्रम अधिकारी द्वारा की जावेगी। यदि किसी अधिकारी की लापरवाही या ढिलाई के कारण भुगतान में देरी हुई है तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही करते हुए भुगतान की जाने वाली मुआवजे की राशि उसी संबंधित अधिकारी से वसूली की जावेगी। उक्त निर्देशों बाबत समस्त कार्यकारी एवं भुगतान एजेन्सियों को अवगत करावें।

जिला कार्यक्रम समन्वयक होने के नाते यह आपका भी दायित्व है कि आप निरन्तर यह मोनिटरिंग करें कि इस योजनान्तर्गत श्रमिकों का समय पर भुगतान हो रहा है।

भवदीय,
ह./-
(राजीव स्वरूप)

जिला भीलवाड़ा के बी.पी.एल. परिवारों के लम्बित विद्युत कनेक्शन

216. श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) : क्या उर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला भीलवाड़ा में राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत कितने बी.पी.एल. परिवारों को लाभान्वित करने की योजना थी ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त जिले के बी.पी.एल. परिवारों को लाभान्वित करने की सूची सरकार को कहां से प्राप्त हुई ?

(3) क्या यह सही है कि एक ही गांव अथवा मजरे अथवा मौहल्ले के कुछ बी.पी.एल. परिवारों को विद्युत कनेक्शन दे दिये गये तथा उसी गांव अथवा मजरे अथवा महौल्ले के कुछ परिवारों को विद्युत कनेक्शन नहीं दिया गया है ? यदि हां, तो ऐसे कनेक्शन देने से शेष रहे परिवारों की सूची मय कारणों के सदन की मेज पर रखें । अब इन्हें कनेक्शन देने के लिए सरकार की क्या कार्य योजना है?

(4) क्या यह सही है कि कई बी.पी.एल. परिवारों को भौतिक रूप से कनेक्शन नहीं दिया जाकर केवल कागजों में ही खानापूर्ति की गई है एवं आज भी सरकार द्वारा उनको विद्युत बिल दिये जा रहे हैं ? क्या सरकार बी.पी.एल. कनेक्शनों का भौतिक सत्यापन करवाकर कागजी कनेक्शनधारी बी.पी.ण्ल. परिवारों को राहत पहुंचाने का विचार रखती है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

(5) क्या यह सही है कि उक्त जिले में कई बी.पी.एल. परिवारों के कनेक्शन सामान्य परिवारों को देने संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में दिनांक 1 जनवरी, 2004 से अब तक प्राप्त शिकायतों पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(6) उक्त जिले में कुल कितने बी.पी.एल. परिवार हैं तथा इनमें से कितने परिवारों को राजीव गांधी विद्युतीकरण योजना के तहत कनेक्शन जारी कर दिये गये हैं तथा कितने बी.पी.एल. परिवारों को कनेक्शन दिया जाना शेष है? अब सरकार द्वारा इन्हें कब तक कनेक्शन दे दिया जावेगा ?

उत्तर

(1) भीलवाड़ा जिले में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत 49510 बी.पी.एल. परिवारों को लाभन्वित करने की योजना थी।

(2) चयनित बी.पी.एल. परिवारों की सूची जिलाधीश कार्यालय, भीलवाड़ा से प्राप्त की गयी।

(ऊर्जा मंत्री)

(3) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किये गये चयनित बी.पी.एल. परिवारों को ही विद्युत कनेक्शन प्रदान किये गये। योजना के अन्तर्गत 49510 बी.पी.एल. परिवारों में से 47187 बी.पी.एल. परिवारों को माह जून 2009 तक कनेक्शन प्रदान किये गये हैं। शेष 2323 परिवारों को भी योजना अवधि सितम्बर 2009 तक कनेक्शन दे दिये जायेंगे ।

(4) जी हां। यह सही है कि पावर ग्रिड कारपोरेशन द्वारा कुछ बी.पी.एल. परिवारों को भौतिक रूप से कनेक्शन नहीं दिया गया परन्तु उन्हें विद्युत बिल जारी कर दिये गये। जिसकी जानकारी प्राप्त होने पर उन बिलों को निरस्त कर दिया गया । भविष्य में भी इस प्रकार का प्रकरण प्रकाश में आने पर तुरन्त कार्यवाही कर बिलों को निरस्त कर दिया जाएगा।

(5) पंचायत समिति जहाजपुर में पावर ग्रिड कार्पोरेशन के ठेकेदार द्वारा पांच विद्युत कनेक्शन सामान्य परिवारों को जारी करने की शिकायत प्राप्त हुई थी जिसकी जांच कर विद्युत सम्बन्ध तत्काल प्रभाव से हटा दिये गये एवं दोषी ठेकेदार के विरूद्ध कार्यवाही हेतु पी.जी.सी.आई.एल. को सिफारिश की गई ।

(6) भीलवाड़ा जिले में चयनित बी.पी.एल. परिवारों की संख्या 49510 है तथा इनमें से अब तक 47187 परिवारों को राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना के अन्तर्गत कनेक्शन जारी कर दिये गये हैं। 2323 बी.पी.एल. परिवारों को कनेक्शन दिया जाना शेष है। शेष परिवारों को कनेक्शन देने हेतु पूरक राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना बनाई जा रही है। योजना की स्वीकृति के चश्चात 100 से 300 तक आबादी वाली ढाणियों/मजरों में रहने वाली बी.पी.एल. परिवारों को कनेक्शन प्रदान करना प्रस्तावित है।

शाहपुरा (जयपुर) में मिलावटी/सिंथेटिक दूध विक्रेताओं के विरुद्ध कार्यवाही

217. **श्री राव राजेन्द्र सिंह** (शाहपुरा) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में मिलावटी दूध बनाने वालों के विरूद्ध कानून/नियम बने हुए हैं? यदि हां, तो संबंधित कानून/नियमों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि पिछले कुछ समय में जयपुर जिले में सिंथेटिक दूध बनाने के प्रकरण सामने आए हैं? यदि हां, तो सरकार द्वारा किन

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

किन प्रकरणों में क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि शाहपुरा (जयपुर) विधान सभा क्षेत्र में भी मिलावटी दूध बनाने के प्रकरण सामने आए हैं ? यदि हां, तो कहां-कहां और सरकार द्वारा उनके विरूद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई ? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(4) क्या सरकार मिलावटी दूध बनाने वालों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो उक्त सम्बन्ध में सरकार की क्या कार्य योजना है?

उत्तर

(1) जी हां। मिलावटी दूध बेचने वालों के खिलाफ कार्यवाही हेतु खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम 1954 बना हुआ है। उक्त अधिनियम की धारा 7 में खाद्य पदार्थो में मिलावटी रोकने तथा 16 मिलावटियों को दण्डित करने का प्रावधान निहित हैं। नियम 7 व 16 की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर प्रस्तुत है।

(2) जी हां। जयपुर जिले में गोविन्दगढ़ में नांगलकलां स्थित तातेड़ा मोड़ व कालवाड़ में धर्मपुरा से जांच हेतु लिये गये दूध के दो नमूनों में तेल की मिलावटी पाई गई है। जो आमजन की भाषा में सिंथेटिक दूध की श्रेणी में आता है। दोनों नमूनों के मालिकों के विरूद्ध माननीय न्यायालय में वाद दायर करने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(3) जी नहीं।

(4) जी हां। राज्य में इस प्रकार के दूध की बिक्री को रोकने हेतु क्षेत्र में खाद्य निरीक्षकों द्वारा समय-समय पर क्षेत्र का निरीक्षण कर दूध विक्रेता प्रतिष्ठानों की जांच नमूनीकरण की कार्यवाही की जा रही है । साथ ही शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चला कर भी क्षेत्र में सिंथेटिक दूध की रोकथाम हेतु कार्यवाही की जा रही है व आम जनता को जागरूक करने हेतु स्पाट टेस्ट टीम गठित कर मौके पर ही दूध में मिलावट की जांच कर परिणाम से अवगत कराया जा रहा है।

मिलावटी खाद्य विक्रताओं के विरूद्ध जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात पीएफए एक्ट की धारा 7 व 16 के अन्तर्गत चालान माननीय न्यायालय में

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

प्रस्तुत किया जाता है। दोषी के दण्ड के निर्धारण की कार्यवाही माननीय न्यायालय द्वारा की जाती है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी की क्षतिग्रस्त सड़कें

218. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में सार्वजनिक निर्माण विभाग की कितनी सड़कें हैं और उनकी लम्बाई क्या है ?

(2) क्या सरकार क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत कराने का विचार रखती है?

(3) क्या सरकार उक्त क्षेत्र में नई सड़कें स्वीकृत करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी में सार्वजनिक निर्माण विभाग के अधीन 54 सड़कें हैं। जिनकी कुल लम्बाई 298.33 कि.मी. है।

(2) जी हां।

(3) जी नहीं । वर्तमान में नवीन सड़कें स्वीकृत किये जाने के कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं। भविष्य में नवीन सड़कों के निर्माण कार्यो की स्वीकृति राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिक पर निर्भर करेगी ।

राजगढ़ (अलवर) में महिला महाविद्यालय की स्थापना

219. श्री सूरजभान (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ के तहसील मुख्यालय, राजगढ़ (अलवर) में इसी वितीय वर्ष में महिला कालेज खोला जाना प्रस्तावित है? यदि हां, तो स्वीकृति कब तक जारी कर दी जायेगी व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। वर्तमान में तहसील मुख्यालय, राजगढ (अलवर) में राजकीय क्षेत्र में एक सहशिक्षा का स्नातकोत्तर महाविद्यालय एवं निजी क्षेत्र में एक महिला महाविद्यालय संचालित है।

जोधपुर शहर में नवीन सैटेलाइट चिकित्सालयों की स्थापना

220. श्री कैलाश चन्द भंसाली (जोधपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जोधपुर शहर में कितने सेटेलाइट अस्पताल कहां-कहां स्थित हैं ?

(2) क्या यह सही है कि उक्त सेटेलाइट अस्पतालों में मरीजों के स्वास्थ्य परीक्षण हेतु आवश्यकतानुसार डाक्टर, नर्सिंग स्टाफ एवं स्वास्थ्य संबंधी जांच उपकरण की उपलब्धता है? यदि हां, तो प्रत्येक सेटेलाइट अस्पताल में कितने डाक्टर, किस-किस बीमारी के, कितने नर्सिंगकर्मी एवं सफाई कर्मी तथा स्वास्थ्य संबंधी जांच के कहां-कहां क्या-क्या उपकरण उपलब्ध हैं ? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सह सही है कि जोधपुर शहर के क्षेत्रफल विस्तार के कारण झालामण्ड चौराहे से मधुबन हाउसिंग बोर्ड चौपसनी हाउसिंग बोर्ड एवं अन्य दूर दूर तक बसी कालोनीयों में राजकीय सेटेलाइट अस्पताल न होने के कारण वहां के निवासियों को करीबन 15 कि.मी. की दूरी तय करके आना पड़ता है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त स्थानों पर नये राजकीय सेटेलाइट अस्पताल खोलने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व कितने नये सेटेलाइट अस्पताल किन क्षेत्रों में ?

उत्तर

(1) जोधपुर शहर में सेटेलाइट अस्पताल मण्डोर एवं पावटा में स्थित है।

(2) जी हां। सेटेलाइट अस्पताल मण्डोर एवं पावटा में कार्यरत डाक्टर, नर्सिंग स्टाफ, सफाई कर्मी एवं स्वास्थ्य जांच के उपलब्ध उपकरण की सूची का विवरण परिशिष्ट 'अ' पर प्रस्तुत है।

(3) मधुबन हाउसिंग बोर्ड एवं चौपासनी हाउसिंग बोर्ड दो अलग-अलग आवासीय कालोनीयां हैं दोनों में राजकीय चिकित्सालय (शहरी प्राथमिकता स्वास्थ्य केन्द्र, मधुबन हाउसिंग बोर्ड कालोनी एवं सिटी डिस्पेन्सरी, हाउसिंग बोर्ड के नाम से) कार्यरत हैं। इन राजकीय चिकित्सालयों से जोधपुर शहर के प्रमुख राजकीय चिकित्सा संस्थानों की दूरियां विवरण परिशिष्ट 'ब' पर प्रस्तुत हैं।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ सड़क विहीन ग्राम

221. डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में 250 से अधिक आबादी के कुल कितने गांव हैं?

(2) क्या सरकार 250 से अधिक आबादी के गांवों को डामर की सड़क से जोड़ने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक ?

(3) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में 250 से अधिक आबादी के कौन कौन से गांव है जो डामर की सड़क से जुड़े हुए नहीं हैं? अब उक्त गांवों को डामर सड़क से कब तक जोड़ दिया जाएगा ?

उत्तर

(1) राज्य में वर्ष 2001 की जनगणनानुसार 250 से अधिक आबादी के कुल 32969 गांव हैं।

(2) जी हां। वर्तमान में केवल मरू एवं जनजातीय क्षेत्रों में जनगणना 2001 पर आधारित 250 से अधिक की आबादी के सभी गांवों को डामर सड़क से जोड़ने का कार्य प्रगति पर है, जिसे दिसम्बर, 2009 तक पूर्ण कराने का लक्ष्य है। सामान्य क्षेत्र में 250 से 499 तक आबादी के गांवों को वर्तमान में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के अन्तर्गत ग्रेवल सड़क से जोडने का कार्य प्रगति पर है और ग्रेवल स्तर तक निर्मित/निर्माणधीन इन सड़कों का डामर स्तर तक निर्माण राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

(3) विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में 250 से अधिक आबादी का एक गांव-भोपतपुरा कोर्ट स्टे व भूमि विवाद के कारण जुड़ा नहीं है। कोर्ट स्टे खारिज कराने के प्रयास कर इस कार्य को इसी वित्तीय वर्ष 2009-10 में पूर्ण कराना प्रस्तावित है।

सोजत विधान सभा क्षेत्र में नरेगा योजना का बकाया भुगतान

222. श्रीमती संजना आगरी (सोजत) : क्या ग्रामीण विकास (रोजगार गांरटी योजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत विधान सभा क्षेत्र सोजत में वर्ष 2007 से अब तक नरेगा श्रमिकों के किन-किन गांवों की मजदूरी का भुगतान बकाया है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती संजना आगरी)

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम सियाट में वर्ष 2008 से नरेगा के श्रमिकों का वेतन बकाया चल रहा है? यदि हां, तो क्यों ?

(3) क्या विधान सभा क्षेत्र सोजत में नरेगा के कार्यों के बारे में किसी व्यक्ति को नरेगा के जोब कार्ड से वंचित रखे जाने के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) पाली जिले में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम वर्ष 2008 प्रारम्भ हुई है तथा वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र सोजत में नरेगा योजनान्तर्गत कार्य करने वाले श्रमिकों का दिनांक 15.06.2009 तक के पखवाड़े का किसी भी ग्राम में मजदूरी भुगतान बकाया नहीं है।

(2) हां। यह सही है कि पंचायत समिति सोजत की ग्राम पंचायत सियाट में वर्ष 2008 से श्रमिकों को भुगतान कार्य के विवाद के कारण बकाया था, किन्तु इन श्रमिको को भुगतान अब कर दिया गया है। कोई भी वेतन बकाया नहीं चल रहा है।

(3) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र सोजत में नरेगा के कार्यो के बारे में किसी व्यक्ति को नरेगा के जाब कार्ड से वंचित रखे जाने के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

सीकर जिले में जनसहयोग से निर्मित चिकित्सालयों का पुनर्संचालन

223. श्री अमराराम (दांतारामगढ़) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जिला सीकर के मगनपुरा, बिडोली एवं अन्य उच्चीकृत उप स्वास्थ्य केन्द्रों को बंद कर दिया गया है? यदि हां, तो क्यों ?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त उप स्वास्थ्य केन्द्रों के लिए भामाशाहों द्वारा लगभग 50 लाख रुपये की लागत से भवन बनाये गये थे? यदि हां, तो क्या सरकार बंद उप स्वास्थ्य केन्द्रों को पुनः चालू करने का विचार रखती है व नहीं, तो क्यों ?

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) जी हां। उक्त सभी उप स्वास्थ्य केन्द्रों जिन पर पूर्व में नर्स श्रेणी द्वितीय एवं महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद स्वीकृत थे वहां पर वर्तमान में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के पद ही स्वीकृत हैं तथा सभी उप स्वास्थ्य केन्द्र चालू हैं।

नगर विधान सभा क्षेत्र की अपूर्ण सड़कें

224. **श्रीमती अनीता सिंह** (नगर) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) गत पांच वर्षों में राज्य में केन्द्रीय सड़क निधि, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं राज्य सरकार द्वारा कितनी डामर सड़कों की स्वीकृति जारी की गई ?

(2) क्या सभी सड़कों का केन्द्र एवं राज्य सरकार के मानदण्डानुसार निर्धारित समयावधि में कार्य पूर्ण हो चुके हैं ? यदि नहीं, तो दोषी अधिकारियों के विरूद्ध क्या कार्यवाही की गई और अब शेष कार्य को सरकार कब तक पूर्ण कराने का विचार रखती है?

(3) क्या योजनाओं में विधान सभा क्षेत्र नगर में कुल कितनी सड़कों का निर्माण हुआ व कितनी अपूर्ण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) विगत पांच वर्षों में राज्य में केन्द्रीय सड़क निधि, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लगभग 17078 डामर सड़कों के कार्यों की स्वीकृति जारी की गई, जिसका योजनावार विवरण परिशिष्ट- ''अ'' पर प्रस्तुत है।

(2) जी नहीं। जो कार्य विलम्ब से पूर्ण हुए हैं या अभी तक अपूर्ण हैं इनके विलम्बित होने के प्रमुख कारण भूमि विवाद, न्यायालय में वाद विचाराधीन होना, वन क्षेत्र में अनुमति, अन्य एजेन्सीज द्वारा अपना कार्य समय पर न करना, संवेदकों द्वारा अपेक्षित व्यवस्था न कर पाना इत्यादि है। संवेदकों द्वारा विलम्ब की स्थिति में उन पर अनुबन्ध के अनुसार शास्ति आरोपित की गई है। अन्य कारणों के लिये संवेदक व विभागीय अधिकारी उत्तरदायी न होने के कारण उनके विरुद्ध कार्यवाही प्रस्तावित नहीं की गयी है। शेष कार्यों में 16 आर.ओ.बी. के अतिरिक्त सभी कार्यों को वित्तीय वर्ष 2009-10 में पूर्ण कराने का लक्ष्य है।

(सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री)

(3) उक्त योजनाओं में विधान सभा क्षेत्र, नगर में कुल 108 सड़कों के निर्माण की स्वीकृति जारी की गई, जिसमें से 105 सड़कों के निर्माण का कार्य पूर्ण हो चुका है एवं 3 कार्य अपूर्ण है। विवरण परिशिष्ट- ''ब'' पर प्रस्तुत है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

अतारांकित प्रश्नोत्तर

बहरोड़ विधान सभा क्षेत्र में कार्यरत गैस एजेंसी

269. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि तहसील मुख्यालय क्षेत्र/कस्बे में एक से अधिक रसोई गैस एजेंसी खोलने के सम्बन्ध में मानदण्ड निर्धारित किये गये हैं? यदि हां, तो मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में वर्तमान में किस-किस कम्पनी की गैस एजेंसियां संचालित हैं तथा उनके पास घरेलू एवं व्यावसायिक गैस कनेक्शन कितने-कितने हैं?

(3) क्या यह सही है कि उक्त एजेंसियों के पास गैस कनेक्शन की संख्या अधिक होने के कारण समय पर उपभोक्ताओं को गैस वितरण नहीं हो रही है? यदि हां, तो उक्त समस्या के समाधान हेतु सरकार क्या कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) राज्य सरकार द्वारा गैस एजेंसी आबंटित नहीं की जाती हैं, इसलिए राज्य सरकार द्वारा कोई मानदण्ड निर्धारित नहीं है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में वर्तमान में IOCL तथा HPCL की एक एक एजेंसी संचालित है। IOCL के पास 11963 घरेलू तथा 119 व्यवसायिक एवं HPCL के पास 12500 घरेलू तथा 66 व्यवसायिक कनेक्शन हैं।

(3) जी नहीं। बल्कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष IOCL ने 22% तथा HPCL ने 7% रिफिल की सप्लाई अधिक कर दी है, जिससे उपभोक्ताओं को गैस की आपूर्ति सुचारू रूप से हो रही है।

जयपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में नवीन राशन डीलर की नियुक्ति

270. श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) राज्य में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में राशन सामग्री एवं केरोसीन वितरण हेतु राशन डीलरों की नियुक्ति के क्या मानदण्ड हैं? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्री गोपाल मीणा)

(2) क्या सरकार जयपुर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में रिक्त चल रहे स्थानों पर नये डीलर नियुक्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में उचित मूल्य दुकानों के आबंटन तथा डीलर्स की नियुक्ति के लिए विभाग द्वारा दिशा-निर्देश जारी किये हुये हैं, जिसकी प्रतिलिपि परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। राज्य सरकार नये डीलर्स की नियुक्ति किये जाने का विचार रखती है। वर्तमान में प्रकरण नीतिगत निर्णय हेतु विचाराधीन है, जैसे ही निर्णय होगा, रिक्त स्थानों हेतु नियुक्ति प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी जावेगी।

(प्रतिलिपि विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

नागौर जिले के चयनित परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ

271. **श्री हबीबुर्रहमान** (नागौर) : क्या खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि जिला नागौर में वर्ष 2002 में चयनित बी.पी.एल. परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ नहीं मिला? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। ग्रामीण क्षेत्र में बीपीएल सर्वे सूची 2002 के चयनित बीपीएल परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लाभ देना शुरू नहीं किया गया है। बीपीएल सर्वे सूची 2002 के चयनित बीपीएल परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत लाभ दिये जाने का प्रकरण विचाराधीन है।

अतारांकित प्रश्न संख्या-272

(स्थगित)

राष्ट्रीय पोषाहार योजनान्तर्गत दिये जाने वाले पोषाहार की जांच हेतु गठित समितियां

273. **श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर): क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री हनुमान बेनीवाल)

(1) राष्ट्रीय मिड डे मील योजना के तहत राज्य के प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में वितरित होने वाले भोजन की गुणवत्ता के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं?

(2) क्या बच्चों को दिये जाने वाले भोजन की जांच बाबत सरकार ने कोई समितियां गठित की हैं? यदि हां, तो उक्त समितियों को क्या अधिकार दिये गये व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि मिड डे मील के भोजन के सेवन से कई छात्र बीमार हुये हैं? यदि हां, तो इन गठित समितियों का क्या औचित्य है?

उत्तर

(1) भारत सरकार द्वारा मिड डे मील कार्यक्रम अन्तर्गत दिए जाने वाले प्राथमिक स्तर (कक्षा 1 से 5) के छात्रों को भोजन में 450 कैलोरी एवं 12 ग्राम प्रोटीन तथा उच्च प्राथमिक स्तर (कक्षा 6 से 8) के छात्रों को भोजन में 700 कैलोरी एवं 20 ग्राम प्रोटीन देने के मापदण्ड निर्धारित हैं।

(2) मिड डे मील कार्यक्रम अन्तर्गत पके हुए भोजन के वितरण व्यवस्था के पर्यवेक्षण हेतु प्रत्येक स्कूल में एक समिति गठित की हुई है। पका हुआ भोजन व्यवस्थित रूप से उपलब्ध कराने हेतु समिति द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना है कि पका हुआ भोजन विभागीय मापदण्डों के अनुसार हो तथा भोजन पूरा पका हुआ एवं अच्छी गुणवत्ता का हो।

एफ.सी.आई. के गोदाम से अनाज उठाने से पहले अनाज के फेयर क्वालिटी की जांच के लिये भी कमेटी गठित की हुई है। भारतीय खाद्य निगम के गोदाम से खाद्यान्न उठाव से पूर्व समिति द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना है कि खाद्यान्न फेयर एवरेज क्वालिटी का हो।

मिड डे मील कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु राज्य, जिला एवं खण्ड स्तर पर समितियां गठित की हुई हैं। इन समितियों का निम्न उत्तरदायित्व है :-

- विभिन्न कार्यकारी संस्थाओं को मार्ग-दर्शन प्रदान करना।
- कार्यक्रम क्रियान्वयन की मोनिटरिंग करना एवं आवश्यकता के अनुरूप गुणात्मक वृद्धि हेतु निर्देश जारी करना तथा कार्यक्रम के प्रभाव का आंकलन करना।
- स्वतंत्र क्रियान्वयन/मूल्यांकन संस्थाओं द्वारा प्रस्तुत की गई रिपोर्ट पर कार्यवाही सुनिश्चित करना।

(पंचायतीराज मंत्री)

- विभिन्न विभागों के मध्य आपसी सामंजस्य सुनिश्चित करना।
- जन सहभागिता प्राप्त करने हेतु प्रयास करना एवं निजी क्षेत्रों के भागीदारी को बढ़ावा देने हेतु प्रयास करना एवं प्रोत्साहन देना।

(3) मिड डे मील भोजन के सेवन से कुछ विद्यालयों में कुछ छात्र बीमार हुए हैं। कार्यक्रम के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु प्रत्येक स्तर से महत्वपूर्ण प्रयास किए जा रहे हैं। कार्यक्रम का क्रियान्वयन व्यापक स्तर पर होने एवं छोटी-सी मानवीय चक के कारण यदा-कदा घटनाएं हो जाती हैं एवं इन घटनाओं को रोकने के लिए राज्य सरकार द्वारा लगातार प्रयास किए जा रहे हैं।

जोधपुर एस.एन. मेडिकल कालेज के नियंत्रणाधीन संचालित सैटेलाइट चिकित्सालय

274. **श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास** (सूरसागर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि जोधपुर के एस.एन. मेडिकल कालेज के अधीन कार्यरत सभी प्रमुख एवं सेटेलाइट चिकित्सालयों के विस्तार एवं विकास की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) क्या यह सही है कि कालेज प्रशासन की ओर से तैयार विकास के प्रस्ताव राज्य सरकार के स्तर पर लम्बित हैं? यदि हां, तो प्रस्तावों का विवरण सदन की मेज पर रखें। उक्त प्रस्ताव लम्बित रहने के क्या कारण हैं?

(3) क्या यह सही है कि मेडिकल काउंसिल आफ इण्डिया (एम.सी.आई.) ने जोधपुर मेडिकल कालेज के अधीन संचालित अस्पतालों के निरीक्षण में कमियां पाई हैं? यदि हां, तो कमियों का विवरण सदन की मेज पर रखें। अब सरकार कमियों की पूर्ति कब तक करने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी हां। डा. एसएन मेडिकल कालेज, जोधपुर से सम्बद्ध चिकित्सालयों के विस्तार एवं विकास के संदर्भ में जनता एवं शिशु विभाग का विस्तार, बाइपास सर्जरी हेतु कार्डियोथोरेसिक सर्जरी विभाग की स्थापना, कार्डियोलोजी सेवाओं का विस्तार, नेफ्रोलोजी सेवाओं का विस्तार तथा ट्रोमा सेन्टर के सुदृढ़ीकरण के प्रस्ताव विचारधीन हैं। सैटेलाइट अस्पताल पावटा के लिये 24 घंटे के लिये स्टाफ उपलब्ध कराया जायेगा।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(2) डा. एसएन मेडिकल कालेज, जोधपुर से सम्बद्ध चिकित्सालयों में जनाना एवं शिशु विभाग का विस्तार, बाइपास सर्जरी हेतु कार्डियोथोरेसिक सर्जरी विभाग की स्थापना, कार्डियोलोजी सेवाओं का विस्तार, नेफ्रोलोजी सेवाओं का विस्तार तथा ट्रोमा सेन्टर के सुदृढ़ीकरण के प्रस्तावों को वर्ष 2009 10 के परिवर्तित बजट प्रस्तावों में सम्मिलित कर दिया गया है।

(3) मेडिकल कौंसिल आफ इंडिया (एमसीआई) द्वारा दिनांक 21-11-2008 को एमबीबीएस पाठ्यक्रम की निरन्तर मान्यता के सम्बन्ध में मेडिकल कालेज, जोधपुर का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण के बाद प्रेषित किये गये पत्र दिनांक 4.2.2009 की प्रति परिशिष्ट-1 के रूप में संलग्न है। मेडिकल कौंसिल ऑफ इंडिया द्वारा इंगित की गई कमियों का प्राथमिकता के आधार पर निराकरण किया जा रहा है। इसी क्रम में सीधी भर्ती से भरे जाने वाले शिक्षक चिकित्सकों के रिक्त पदों को तात्कालिक रूप से अनुबंध के आधार पर भरे जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सकों की भर्ती हेतु जारी विज्ञप्ति

275. **श्री घनश्याम तिवाड़ी** (सांगानेर) : क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि गत वर्ष 22 सितम्बर को 374 आयुर्वेद, 94 होम्योपैथी एवं 94 यूनानी चिकित्सकों के पदों पर सीधी भर्ती हेतु आवेदन मांगे गये थे? यदि हां, तो कितने-कितने, किस-किस पद के आवेदन प्राप्त हुए? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि होम्योपैथी व आयुर्वेद चिकित्साकों हेतु जारी की गई विज्ञप्ति के पदों की संख्या घटायी गई है तथा क्या यूनानी चिकित्सकों के पदों में बढ़ोतरी की गई है? यदि हां, तो क्यों एवं इसके क्या कारण रहे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि सरकार ने उक्त पदों में कमी एवं बढ़ोतरी की सार्वजनिक सूचना जारी की है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। गत वर्ष 22 सितम्बर को 374 आयुर्वेद, 94 होम्योपैथी के एवं 32 पद यूनानी चिकित्सकों के पदों पर संविदा आधारित भर्ती हेतु

(आयुर्वेद मंत्री)

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना के तहत दिनांक 22 सितम्बर, 2009 को विज्ञापन प्रकाशित कर आवेदन मांगे गये थे। विज्ञापन की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर प्रस्तुत है।

भर्ती हेतु आयुर्वेद चिकित्सकों के लिए 1132, होम्योपैथिक हेतु 379 एवं यूनानी चिकित्सकों के लिए 102 आवेदन प्राप्त हुए हैं। संख्या सूची परिशिष्ट 'ब' पर प्रस्तुत है।

(2) उक्त संविदा आधारित भर्ती प्रक्रियाधीन हैं।

(3) उक्त संविदा आधारित भर्ती प्रक्रियाधीन है।

(सूची विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

चूरू जिले के भवन रहित चिकित्सालय

276. **श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर):- क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला चूरू में कुल कितने स्वास्थ्य केन्द्र बिना भवन के संचालित हैं? क्या सरकार भवन रहित स्वास्थ्य केन्द्र के भवनों को बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र तारानगर में उक्त प्रकार के भवन विहीन कितने स्वास्थ्य केन्द्र संचालित हैं? सरकार इस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही कर रही है?

उत्तर

(1) जिला चूरू में 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन के अनुरूप निर्मित नहीं हैं। 12 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण कार्य की स्वीकृति जारी कर दी गई है। इसी प्रकार 5 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के भवनों में आवर्तन, परिवर्तन आदि के कार्य कराये जाने की स्वीकृति जारी की गई हैं।

76 उप स्वास्थ्य केन्द्र वर्तमान में भवन रहित हैं, जिनमें से 40 उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु स्वीकृति जारी कर दी गई हैं।

जी हां। आगामी वित्तीय वर्षों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण कराये जाने हेतु समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर चूरू जिले के 3 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं 36 उप

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

स्वास्थ्य क्रेन्द्रों के भवन निर्माण कराये जाने पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(2) विधान सभा क्षेत्र तारानगर में 5 उप स्वास्थ्य केन्द्र ऐसे हैं जिनके भवन निर्माण कराये जाने की स्वीकृति जारी नहीं की गयी हैं। शेष भवन रिहत उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण की स्वीकृति जारी की जा चुकी हैं।

आगामी वित्तीय वर्षों में उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण कराये जाने हेतु समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर विधान सभा क्षेत्र तारानगर के भवन रहित उप स्वास्थ्य केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु राशि स्वीकृत कराये जाने पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

फतेहपुर शेखावाटी विधान सभा क्षेत्र के चिकित्सालयों में रिक्त पद

277. **श्री भंवरू खान** (फतेहपुर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि नये प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के मानदण्ड निर्धारित हैं? यदि हां, तो मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर के राजकीय धानुका अस्पताल फतेहपुर में कई चिकित्सकों के पद काफी समय से रिक्त हैं? यदि हां, तो किस-किस श्रेणी के कितने-कितने पद कब-कब से रिक्त हैं?

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। मापदण्डों की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर प्रस्तुत है।

(2) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, फतेहपुर में कनिष्ठ विशेषज्ञ (शिशु रोग) का पद 3/09 से तथा ग्रामीण चिकित्सा अधिकारी का पद 4/09 से रिक्त है।

(3) जी हां। कनिष्ठ विशेषज्ञ (शिशु रोग) के रिक्त पद को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने अथवा स्थानान्तरण पर से प्रतिबन्ध हटने तथा ग्रामीण चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पद को राजस्थान

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

लोक सेवा आयोग से चयनित अभ्यार्थी उपलब्ध होने के उपरान्त भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

खींवसर विधान सभा क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में रिक्त पद

278. **श्री हनुमान बेनीवाल** (खींवसर) : क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र खींवसर के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खींवसर व कुचेरा में कितने वरिष्ठ, कनिष्ठ विशेषज्ञों के पद स्वीकृत हैं? उक्त स्वीकृत पदों पर कौन-कौन से विशेषज्ञ कब से कार्यरत हैं?

(2) उक्त दोनों स्वास्थ्य केन्द्रों में विशेषज्ञों व मेडिकल आफिसरों के कितने पद कब से रिक्त हैं?

(3) क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खींवसर के अन्तर्गत आने वाले सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खींवसर व कुचेरा में वरिष्ठ विशेषज्ञ का कोई पद स्वीकृत नहीं है कनिष्ठ विशेषज्ञों के कुल 5 पद स्वीकृत है एवं स्वीकृत पदों पर पदस्थापित चिकित्सकों के नाम तथा कब से पदस्थापित है, की अवधि सहित विवरण परिशिष्ट 'अ' पर प्रस्तुत है।

(2) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खींवसर तथा कुचेरा में कनिष्ठ विशेषज्ञों के रिक्त पदों का रिक्ति अवधि सहित विवरण परिशिष्ट 'अ' पर प्रस्तुत है।

उपरोक्त के अतिरिक्त वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी एवं चिकित्सा अधिकारियों के पद रिक्त नहीं हैं।

(3) जी हां। कनिष्ठ विशेषज्ञों के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक आयोजित होने अथवा स्थानान्तरण पर से प्रतिबंध हटने के उपरान्त भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

परिशिष्ट 'अ'

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खींवसर तथा कुचेरा में विशेषज्ञ चिकित्सकों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्न प्रकार है

चिकित्सा संस्थान का नाम	पदनाम	स्वीकृत पदों की संख्या	कार्यरत पदों की संख्या	रिक्त पदों की संख्या	रिक्त पद की अवधि	पदस्थापित चिकित्सक का नाम एवं पदस्थापन की अवधि
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, खींवसर	कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन)	1	1	-	-	डा. उमेश कुमार, चिकित्सा अधिकारी पद विरुद्ध माह 10/08 से पदस्थापित है
	कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	1	-	1	10/06	-
सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कुचेरा	कनिष्ठ विशेषज्ञ (मेडिसन)	1	1	-	-	डा. गणपतराम कालेर, वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी पद विरुद्ध माह 3/09 से पदस्थापित है
	कनिष्ठ विशेषज्ञ (सर्जरी)	1	-	1	3/09-	-
	कनिष्ठ विशेषज्ञ (स्त्रीरोग)	1	1	-	-	डा. राजकुमार गोयल माह 7/04 से पदस्थापित है

डांबी एवं खटकड़ (बूंदी) में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना

279. **श्री अशोक डोगरा** (बूंदी): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के क्या मानदण्ड है?

(2) जिला बूंदी में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र कितने हैं? विधान सभा क्षेत्रवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र बूंदी के डांबी एवं खटकड में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र खोले जाने के मानदण्डों की प्रति परिशिष्ट 'अ' पर प्रस्तुत है।

(2) जिला बूंदी में 7 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र स्वीकृत हैं। विधान सभा क्षेत्रवार सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों के नामों का विवरण निम्न प्रकार है:-

सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का नाम	विधान सभा क्षेत्र
कापरेन	केशरावपाटन
लाखेरी	केशरावपाटन
इन्द्रगढ़	केशरावपाटन
हिण्डौली	हिण्डौली
नैनवां	हिण्डौली
देई	हिण्डौली
तालेड़ा	बूंदी

(3) आगामी वित्तीय वर्षों में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत करने हेतु समुचित वित्तीय प्रावधान उपलब्ध होने पर पंचायत समिति तालेड़ा के 2 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में क्रमोन्नत किये जाने पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-8 कस्बा मनोहरपुर में हाइवे एमेनिटी सेन्टर हेतु रास्ता

280. **श्री राव राजेन्द्र सिंह** (शाहपुरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि कस्बा मनोहरपुर (जयपुर) में राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या-8 पर हाइवे एमेनिटी सेन्टर (टोहास) विकसित किया जा रहा है? यदि हां, तो अब तक इस पर कौन-कौन से कार्य पूर्ण कर लिये गये और कौन कौन से कार्य निर्माणाधीन हैं? सरकार द्वारा तैयार इस केन्द्र की कार्य-योजना सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त हाइवे एमेनिटी सेन्टर (टोहास) का राष्ट्रीय राज मार्ग संख्या-8 से प्रवेश व निकास का रास्ता उपलब्ध नहीं है? यदि हां, तो इस हाइवे एमेनिटी सेन्टर (टोहास) को प्रवेश व निकास का रास्ता कब तक दिलवा दिया जावेगा?

उत्तर

(1) सम्बन्धित राष्ट्रीय राजमार्ग का संधारण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अधीन है। प्राधिकरण से प्राप्त सूचना के अनुसार भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कस्बा मनोहरपुर (जयपुर) के रा.रा. मार्ग संख्या-8 पर हाइवे एमेनिटी सेन्टर (टोहास) विकसित नहीं किया जा रहा है।

(2) प्राधिकरण से प्राप्त सूचना के आधार पर उनके पास ऐसा कोई प्रस्ताव लम्बित नहीं है। सम्बन्धित विभाग से प्रस्ताव प्राप्त होने पर भारत सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के मापदण्डों के अनुरूप मंत्रालय की स्वीकृति के उपरान्त प्रवेश एवं निकास का रास्ता दिया जा सकेगा।

गंगाबाई की बगीची-पटपटा (धौलपुर) सड़क निर्माण

281. **श्री अब्दुल सगीर खां** (धौलपुर) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि गंगाबाई की बगीची, धौलपुर से पटपटा होते हुए माधवानन्द की बगीची तक सी.सी. रोड बनाने का प्रस्ताव था? यदि हां, तो अब तक सी.सी. रोड नहीं बनाने के क्या कारण हैं?

(2) क्या सरकार अब उक्त रोड को बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। इस विभाग में गंगाबाई की बगीची से पटपरा होते हुए महात्मा नन्द की बगीची तक सीमेंट रोड बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं था।

(2) जी नहीं। उक्त रोड को बनाने की वर्तमान में कोई योजना नहीं है और यह राज्य सरकार की प्राथमिकता एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।

किशनगढ़ रेनवाल (फुलेरा) के रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज निर्माण

282. **श्री निर्मल कुमावत** (फुलेरा) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के किशनगढ़ रेनवाल के पुराने व नये बाइपास पर रेलवे फाटक पर फ्लाइओवर या ओवरब्रिज बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र फुलेरा के किशनगढ़ रेनवाल में पुराने व नये बाइपास रेलवे फाटक पर ओवरब्रिज बनाने का वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है एवं इनका निर्माण करवाया जाना राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा।

मेड़ता से बोरून्दा (नागौर) की क्षतिग्रस्त सड़क

283. **श्री सुखाराम नेतड़िया** (मेड़ता) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र मेड़ता में नरेगा योजना में निर्मित ग्रेवल सड़कों का डामरीकरण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों ?

(2) क्या यह सही है कि मेड़ता से बोरून्दा जोधपुरी सीमा तक निर्मित डामर सड़क क्षतिग्रस्त हो चुकी है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सड़क का नवीनीकरण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। नरेगा में निर्मित ग्रेवल सड़कों के डामरीकरण का कार्य राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकताओं पर निर्भर करेगा।

(सार्वजनिक निर्माण मंत्री)

(2) जी नहीं। मेड़ता से बोरून्दा जोधपुर सीमा तक सड़क वर्तमान में क्षतिग्रस्त नहीं है एवं इसकी स्थिति संतोषजनक है।

सिवाना विधान सभा क्षेत्र की सम्पर्क सड़कें

284. **श्री कान सिंह कोटड़ी** (सिवाना) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना में जो राज्य राजमार्ग डांगियावास से वाया कांकाणी, लूणी, धुन्धाड़ा, समदड़ी, बालोतरा, मेगा हाइवे तक प्रस्तावित था उसकी वर्तमान स्थिति क्या है ?

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र सिवाना में जालौर पाली जोधपुर जिलों को जोड़ने वाली सम्पर्क सड़कों के निर्माण की कोई योजना बनाने का विचार रखती है ? यदि हां, तो कब तक व क्या ?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र सिवाना में होकर जा रही डांगियावास से वाया कांकाणी-लूणी-धुन्धाड़ा-समदड़ी-बालोतर (मेगा हाइवे तक) सड़क वर्ष 2006 में ही राज्य राजमार्ग संख्या-68 घोषित की जा चुकी है। विधान सभा क्षेत्र सिवाना में उक्त राज्य राजमार्ग की लम्बाई 37 कि.मी. (कि.मी. 72/0 से 109/0) एवं चौडाई 3.0 मीटर से 3.75 मीटर तक है। वर्तमान में इसमें से कि.मी. 80/0 से 109/0 तक की सड़क की स्थिति संजोषजनक है। कि.मी. 72/0 से 80/0 तक की स्थिति अच्छी नहीं है। इन 8 कि.मी. सड़क का सुदृढ़ीकरण कार्य राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा ।

(2) जी नहीं। यह राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं पारस्परिक प्राथमिकता पर निर्भर करेगा ।

दौसा लालसोट कोथून मेगा हाइवे की चौड़ाई

285. **श्री मुरारी लाल मीणा** (दौसा) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 11ए कहां से शुरू होकर कहां समाप्त होता है ? इसकी कुल लम्बाई कितनी है एवं कितनी लम्बाई में कार्य अपूर्ण है ?

(श्री मुरारी लाल मीणा)

(2) दौसा से लालसोट एवं लालसोट से कोथून तक मार्ग की चौड़ाई कितनी-कितनी है? क्या यह राष्ट्रीय राजमार्ग के मानदण्डानुसार ठीक है? यदि नहीं, तो इसे कब तक मानदण्डानुसार पूरा कर दिया जावेगा ? क्या इसके प्रस्ताव भारत सरकार को भिजवाये गये हैं ? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों ?

(3) दौसा लालसोट के मध्य राष्ट्रीय राजमार्ग का नवीनीकरण कब हुआ ? क्या यह सही है उक्त मार्ग जर्जर अवस्था में हो गया है ? यदि हां, तो इसे अब कब तक ठीक कर दिया जावेगा व पूरे मार्ग का नवीनीकरण कब तक किया जावेगा ?

उत्तर

(1) रा. रा. मार्ग नं. 11-ए दौसा एनएच-11 के किमी. 180/700 से शुरू होकर मनोहरपुर एनएच-8 के किमी. 212/900 पर समाप्त होता है इसकी कुल लम्बाई 62.250 किमी. है एवं 1.1 किमी. में सड़क का वन विभाग की स्वीकृति के अभाव में अपूर्ण है। 1.25 किमी. लम्बाई में 3 नं. ब्रिजों का कार्य प्रगति पर है।

(2) दौसा से लालसोट के माध्य किमी. 0/0 से 4/0 तक 10 मीटर 4/0 से 22/0 तक 7 मीटर, 22/0 से 30/0 तक 5.5 मीटर, 30/0 से 31/0 तक 4.5 मीटर, 31/0 से 38/0 तक 5 मीटर, 38/0 से 39/0 तक 5.5 मीटर, 39/0 से 41/0 तक 6 मीटर, 41/0 से 42/0 तक 8 मीटर है। लालसोट से कौथून के मध्य किमी. 42/0 से 62/0 तक 3 मीटर, 62/0 से 63/0 तक 7 मीटर, 63/0 से 75/0 तक 3 मीटर तथा 75/0 से 83/0 तक 5 मीटर है यह रा.रा. मार्ग के वर्तमान मापदण्डानुसार नहीं है।

इस प्रसंग में 63/0 से 75/0 तक कार्य 7 मीटर चौड़ाई में करने का कार्य प्रगति पर है। किमी. 45/0 से 62/0 को 7 मीटर चौड़ाइकरण, सुदृढीकरण करने हेतु स्वीकृति 1466.25 लाख की प्राप्त हो चुकी है, जिसकी निविदाएं प्रक्रियाधीन, वित्तीय बिड दिनांक 23.7.09 को खोली जानी है। किमी. 22/0 से 45/0 के लिए चौड़ाइकरण एवं सुदृढीकरण का कार्य व किमी. 4/0 से 22/0 के आई.आर.क्यू.पी. का कार्य वर्ष 2009-10 की वार्षिक योजना जिसकी स्वीकृति होनी है, में प्रस्तावित है । दौसा आर.ओ.बी. के टेण्डर प्राप्त करके स्वीकृति की प्रक्रियाधीन मोर्थ में लम्बित है किमी 75/0 से 83/0

(सार्वजनिक निर्माण निर्माण राज्य)

नवीनीकरण का कार्य जनवरी, 2007 में हुआ है जिसकी मेन्टेनैन्स गारन्टी अवधि जनवरी, 2010 तक है इसके बाद उक्त किमी. के चौड़ाइकरण सुदृढ़ीकरण के प्रस्ताव बनाये जावेंगे।

(3) दौसा लालसोट के मध्य राष्ट्रीय राजमार्ग का नवीनीकरण किमी. 0/0 से 4/0 तक अप्रैल, 2004 में तथा किमी. 22/0 से 45/0 तक अक्टूबर, 2002 में हुआ है।

जी हां। इसे ठीक करवाने हेतु प्रस्ताव उपरोक्त पैरा 2 में वर्णनानुसार भारत सरकार को भिजवा दिए गए हैं। पूरे मार्ग के नवीनीकरण की तिथि का निर्धारण सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय द्वारा प्रस्तावों की स्वीकृति के उपरान्त किया जा सकेगा ।

बहरोड़ विधान सभा क्षेत्र की क्षतिग्रस्त सड़कें

286. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) : क्या सार्वजनिक निर्माण राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) सरकार द्वारा विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ जिला अलवर में अप्रैल, 2006 से अप्रैल, 2009 तक कुल कितनी सड़कों का नवीनीकरण किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

(2) उक्त अवधि में कुल कितनी क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत पेचवर्क किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ जिला अलवर में अप्रैल, 2006 से अप्रैल 2009 तक कुल 28 सड़कों का नवीनीकरण किया गया है । जिनका विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(2) विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ जिला अलवर में अप्रैल, 2006 से अप्रैल, 2009 तक कुल 19 सड़कों की मरम्मत/पेचवर्क किया गया है । विवरण परिशिष्ट-''ब'' पर संलग्न है।

(विवरण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीगंगानगर जिले में अनियमित विद्युत आपूर्ति

287. श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि जिला श्रीगंगानगर में अघोषित विद्युत कटौती

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

से आमजन त्रस्त हैं तथा लघु उद्योग व्यापारियों को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार विद्युत कटौती पर अंकुश लगाकर व्यवस्था को दुरूस्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या विद्युत कटौती के सम्बन्ध में सरकार ने नगर परिषद, नगरपालिकाओं व ग्रामीण हल्कों में कोई समय सीमा निर्धारित की है ? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें ।

उत्तर

(1) राज्य में गर्मी एवं होने की देरी से कृषि एवं घरेलू कार्य हेतु विद्युत की खपत बहुत बढ़ गई है।साथ ही देश के उत्तरी राज्यों में खपत अधिक बढने से ग्रिड की फिक्वेंनसी कम चल रही है। विद्युत ईकाइयों के बन्द होने से भी उत्पादन में भी कमी हुई है। इन सब कारणों की वजह से प्रदेश में विद्युत उपलब्धता में कमी होने से श्रीगंगानगर जिले सहित पूरे प्रदेश में विद्युत कटौती करनी पड़ रही है कटौती को कम करने के लिए Bilateral purchase के तहत यथा सम्भव उपलब्ध बिजली खरीद की जा रही है।

(2) वर्तमान में बिजली की कमी से निपटने के लिए अस्थाई विद्युत कटौती लागू की गई है। जिसके तहत जिला मुख्यालय पर 4 घंटे, नगर पाहिलका क्षेत्र में 5 घंटे तथा 5 हजार से ऊपर की आबादी के ग्रामीण क्षेत्रों में 6 घंटे की कटौती की जा रही है।

तारानगर विधान सभा क्षेत्र की ढाणियों का विद्युतीकरण

288. श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र तारानगर में वर्ष 2008-09 में राजीव गांधी ग्रामीण विद्युत योजना अन्तर्गत कुल कितने गांव विद्युतीकृत हेतु स्वीकृत किये गये व कितनी राशि स्वीकृति हुई एवं स्वीकृति अनुसार कितने कार्य पूर्ण हुये तथा कितने कार्य अपूर्ण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) कुटीर ज्योति योजना अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र तारानगर में कुल कितने पात्र व्यक्तियों की चयन सूची विभाग को प्राप्त हुई, कितने पात्र व्यक्तियों को वास्तविक रूप से लाभान्वित किया गया व कितने ?

वंचित रहे? वंचितों को कब तक विद्युत सम्बन्ध दे दिये जायेंगे?

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

(3) मुख्य मंत्री सब को बिजली योजना अन्तर्गत चूरू जिले में कुल कितनी ढ़ाणियों को विद्युतीकृत किये जाने की स्वीकृतियां कब-कब जारी की गई व कितनी ढ़ाणियों को अब तक वास्तविक रूप में लाभान्वित किया एवं कितनी अभी शेष हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जिला चूरू में 2005-06 में गांवों के विद्युतीकरण, तंत्र स्थापना एवं अन्य कार्यों के लिये 19.62 करोड़ की राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना की स्वीकृति हुई थी। स्वीकृति योजना में विधान सभा क्षेत्र तारानगर के 2 अविद्युतिकृत गांवों का विद्युतीकरण प्रस्तावित था। इन गांवों, ग्राम-बास रडसाना एवं चिमनपुरा को क्रमशः दि. 31.3.2007 व दि. 31.7.2007 को विद्युतिकृत किया जा चुका है।

(2) कुटीर ज्योति योजनान्तर्गत विधान सभा क्षेत्र तारानगर में वर्ष 2008-09 में घरेलू विद्युत कनेक्शन जारी करने हेतु 5410 बी.पी.एल. परिवारों की सूची जिला प्रशासन से प्राप्त हुई जिनमें से 3894 परिवारों को दि. 31.3.2009 तक विद्युत कनेक्शन जारी किये जा चुके हैं जबकि शेष 1516 परिवारों को निर्धारित मापदण्ड एवं उपलब्ध तंत्र के अनुसार वर्ष 2009-10 में विद्युत सम्बन्ध दिये जाने प्रस्तावित हैं।

(3) ''मुख्य मंत्री सब को बिजली योजना'' अन्तर्गत चूरू जिले में 201 ढाणियों को विद्युतिकृत करने की स्वीकृति वर्ष 2008-09 में प्रदान की गई जिसमें से 51 ढाणियों का विद्युतीकरण कर माह जून, 2009 288 घरेलू कनेक्शन तक जारी किये जा चुके हैं। शेष 150 ढाणियों को उपलब्ध संसाधनों के आधार पर विद्युतिकृत कर आवेदित 881 घरेलू आवेदकों को वर्ष 2009-11 में विद्युत सम्बन्ध दिया जाना प्रस्तावित है। विद्युतिकृत/स्वीकृत ढाणियों एवं जारी कनेक्शनों का ग्रामवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर उपलब्ध है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

काणुजा ग्राम (पाली) के परिवारों को कुटीर ज्योति योजनान्तर्गत विद्युत कनेक्शन

289. श्रीमती अनीता सिंह (नगर) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्रीमती अनीता सिंह)

(1) क्या यह सही है कि जिला पाली के पंचायत समिति, रायपुर के गांव ढाणियों में अनुसूचित जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग व बीपीएल परिवारों को गत पांच वर्षों में कुटीर ज्योति योजना के तहत घरेलू विद्युत कनेक्शन दिये गये हैं? यदि हां, तो कितने आवेदन प्राप्त हुए व कितनों को कनेकशनों जारी किये गये? लाभान्वितों के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त पंचायत समिति के ग्राम पंचायत काणुजा के आवेदकों को कुटीर उद्योग योजना से लाभान्वित किया गया? यदि हां, तो किन-किन आवेदकों को गत पांच वर्षों में कनेक्शन जारी किये गये और किन-किन आवेदकों को वंचित रखा गया? नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि ग्राम पंचायत काणुजा के आवेदकों से तत्कालीन सहायक अभियंता व अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायत सरकार को प्राप्त हुई है? यदि हां, तो सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई?

(4) क्या सरकार उक्त प्रकरण का भौतिक सत्यापन करवाकर दोषी पक्षकारों के विरुद्ध कार्यवाही कर ग्राम पंचायत काणुजा के कुटीर ज्योति योजना के तहत वंचित परिवारों को लाभान्वित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। जिला पाली के पंचायत समिति रायपुर के गांव ढाणियों में गत 5 वर्षों में बीपीएल कनेक्शन के निर्धारित मापदण्डों के अनुसार पाये गये 2123 आवेदकों से आवेदन प्राप्त कर सभी 2123 आवेदकों को घरेलू विद्युत सम्बन्ध जारी कर दिये गये हैं। जिनका वर्षवार विवरण निम्न है :-

क्र.सं.	वर्ष	दिये गये कनेक्शनों की संख्या
1.	2004-05	117
2.	2005-06	117
3.	2006-07	301
4.	2007-08	638
5.	2008-09	950
	कुल योग	**2123**

(ऊर्जा मंत्री)

उक्त सभी लाभान्वितों के नाम सहित विवरण प्रपत्र 'अ' पर उपलब्ध है।

(2) जी हां। राज्य सरकार द्वारा जारी बीपीएल परिवारों की सूची के अनुसार ग्राम पंचायत काणुजा में कुल 381 एवं इसके अतिरिक्त विकास अधिकारी द्वारा राशन कार्डो पर अंकित कर प्रेषित 13 चयनित परिवारों सहित कुल 394 बीपीएल हाऊस होल्ड हैं। जिसमें से गत 5 वर्षो में पंचायत समिति रायपुर के ग्राम पंचायत काणुजा में 55 बीपीएल विद्युत सम्बन्ध जारी कर दिये गये हैं शेष 339 बीपीएल हाऊस होल्ड को स्वीकृत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में वर्ष 2009-11 तक विद्युत सम्बन्ध दिया जाना प्रस्तावित है।

(3) जी नहीं। ग्राम पंचायत काणुजा के आवेदकों से तत्कालीन सहायक अभियन्ता व अन्य कर्मचारियों के विरुद्ध सरकार को कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(4) राज्य सरकार द्वारा जारी बीपीएल परिवारों की सूची के अनुसार ग्राम पंचायत काणुजा में कुल 381 एवं इसके अतिरिक्त विकास अधिकारी द्वारा राशन कार्डों पर अंकित कर प्रेषित 13 चयनित परिवारों सहित कुल 394 बीपीएल हाऊस होल्ड हैं, जिसमें से गत पांच वर्षो में पंचायत समिति रायपुर के ग्राम पंचायत काणुजा में 55 बीपीएल विद्युत सम्बन्ध जारी कर दिये गये हैं। शेष 339 बीपीएल हाउस होल्ड को स्वीकृत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में वर्ष 2009-11 तक विद्युत सम्बन्ध दिया जाना प्रस्तावित है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

अलवर जिले के बी.पी.एल. परिवारों को विद्युत कनेक्शन

290. **श्री हेमसिंह भड़ाना** (थानागाजी) : क्या ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला अलवर में अब तक कुल कितने बी.पी.एल. परिवारों को विद्युत कनेक्शन दे दिये गये तथा कितने शेष हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) अब शेष कनेक्शन कब तक दे दिये जायेंगे?

(3) क्या यह सही है कि बी.पी.एल. श्रेणी के विद्युत कनेक्शनों हेतु अनुबंधित ठेकेदार द्वारा देरी की जा रही है? यदि हां, तो सरकार द्वारा देरी के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई?

(श्री हेमसिंह भड़ाना)

(4) बी.पी.एल. श्रेणी के विद्युत कनेक्शनों हेतु प्राथमिकता का क्या आधार है व पालना किस प्रकार सुनिश्चित की जा रही है?

(5) क्या गैर आबादी व आबादी क्षेत्रों में उक्त कनेक्शनों हेतु कोई नीति निर्धारित है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अलवर जिले में माह जून, 2009 तक कुल 50328 घरेलू विद्युत कनेक्शन बी.पी.एल. परिवारों को जारी किए गए है। अलवर जिले में वर्तमान में राजस्थान सरकार की बी.पी.एल. परिवारों की वर्ष 2002 (अपडेटेड 13.07.2009 को) वेबसाइट के अनुसार 63845 बी.पी.एल. परिवार हैं। 13517 बी.पी.एल. परिवारों को कनेक्शन देना शेष है, जिनमें आबादी क्षेत्र/गैर आबादी क्षेत्र व समस्त ढाणियों के बी.पी.एल. परिवार सम्मिलित है। 100 से अधिक आबादी वाले ढाणियों जिनमें 11286 बी.पी.एल. परिवारों को कनेक्शन देने के लिए पूरक राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाएं बनाकर ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि. को स्वीकृति हेतु भेजी गयी है, जिनकी स्वीकृति प्राप्त होनी लम्बित है। 2231 बी.पी.एल. परिवारों के गैर आबाद क्षेत्र व 100 से कम आबादी वाली ढाणियों में स्थित होने के कारण इनके विद्युतीकरण की फिलहाल कोई योजना नहीं है।

(2) पूरक राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं की ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि. द्वारा स्वीकृति के उपरान्त ही प्रस्तावित 11286 बी.पी.एल. परिवारों को कनेक्शन दिया जाना सम्भव हो सकेगा।

(3) जी हां। स्वीकृत राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं का कार्य क्रियान्वयन टर्न-की आधार पर किया जा रहा है। सम्बन्धित फर्मों/ठेकेदारों द्वारा कार्य की धीमी गति एवं आवश्यक सामान/उपकरणों की कीमतों में वृद्धि के तथा फर्मों/ठेकेदारों द्वारा पूर्ण रूचि नहीं लेने के कारण कार्य में विलम्ब हुआ है। फर्मों/ठेकेदारों द्वारा कार्य में विलम्ब के लिए नियमानुसार पैनल्टी (राशि) काटी जा रही है तथा ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लि. द्वारा योजनाओं की अवधि बढ़ाने पर यह राशि वापस भी की जा सकती है।

(4) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना में प्रस्तावित ग्रामों में विद्यमान विद्युत तंत्र व किए गए विद्युत विस्तार कार्य तथा सम्बन्धित उपखण्ड अधिकारी द्वारा एससीओ जारी करने के पश्चात् नियमानुसार बी.पी.एल. कनेक्शन करने का प्रावधान है।

(ऊर्जा मंत्री)

(5) राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजनाओं के अन्तर्गत बी.पी.एल. कनेक्शन योजनाओं के अन्तर्गत बी.पी.एल. कनेक्शन ग्रामीण क्षेत्रों के आबादी क्षेत्र में ही नियमानुसार दिए जा रहे हैं।

मृत पंचायत कर्मियों के आश्रितों को नियुक्ति

291. **श्री अमराराम (दांतारामगढ़)** : क्या पंचायतीराज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में पंचायतीराज के मृत कर्मचारियों के आश्रितों को नियुक्ति हेतु कितने आवेदन कब से लम्बित हैं तथा इनके लम्बित रहने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त आवेदनों का शीघ्र निपटारा कर संबंधितों को नियुक्ति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रदेश में पंचायती राज कर्मचारियों के आश्रितों को नियुक्ति देने हेतु 92 प्रकरण 1996 वर्ष एवं उसके बाद के वर्षो से अब तक लम्बित हैं। संबंधित मद में पद रिक्त नहीं होने, शिथिलीकरण की कार्यवाही प्रक्रियाधीन होने के कारण लम्बित हैं।

(2) जी हां। संबंधित मद में पदों की उपलब्धता होने एवं शिथिलीकरण की प्रक्रिया पूर्ण होने पर नियुक्ति की कार्यवाही की जावेगी।

कुम्हेर विधान सभा क्षेत्र में नरेगा योजना में अनियमितताएं

292. **डा. दिगम्बर सिंह** (डीग-कुम्हेर) एवं **श्री राजेन्द्र राठौड़** (तारानगर) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार नरेगा में हो रहे भ्रष्टाचार को समाप्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व कैसे? योजना का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) नरेगा में हो रहे कार्यों के लिए मस्टररोल जारी करने के क्या नार्म्स हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि पंचायत समिति कुम्हेर की ग्राम पंचायत अस्तावन के सरपंच को विभागीय अधिकारियों द्वारा खाली मस्टररोल उपलब्ध करवाई गई? यदि हां, तो क्या सरकार इस नियम विरुद्ध कृत्य के लिए दोषी

(डा. दिगम्बर सिंह)

अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक और नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए सरकार कृत्यसंकल्प है। भ्रष्टाचार को रोकने एवं शिकायतों के समयबद्ध निस्तारण हेतु निम्न कार्यवाही राज्य में की गई है :- 1. नरेगा के तहत निष्पादित हो रहे कार्यों के समय-समय पर निरीक्षण करने हेतु जिला/खण्ड स्तर पर पदस्थापित अधिकारियों के लिए निरीक्षण के मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं एवं समस्त अधिकारियों द्वारा निरीक्षण किये जा रहे हैं, निरीक्षण गतिविधियों को और प्रभावी बनाने के लिए राजस्व अधिकारियों एवं पटवारियों को भी निरीक्षण का दायित्व दिया गया है।

2. योजनान्तर्गत क्रियान्विति की जा रही गतिविधियों की नियमित समीक्षा एवं निरीक्षण हेतु जिला प्रभारी सचिवों को भी लगाया गया है।

3. भ्रष्टाचार से जुडी कोई शिकायत प्राप्त होने पर उसकी तुरन्त जांच होगी जिला स्तर पर मोबाइल यूनिट की स्थापना की गई है। इस यूनिट द्वारा अचानक निरीक्षण का कार्य सम्पादित किया जाता है। समय-समय पर एक साथ समस्त जिलों में विशेष दल गठित किये जाकर निरीक्षण की कार्यवाही आरम्भ की गई है।

4. योजनान्तर्गत क्रियान्वित की जा रही गतिविधियों के संदर्भ में जानकारी प्राप्त करने एवं कोई शिकायत दर्ज कराने के लिए राज्य स्तर/जिला स्तर पर हैल्पलाइन की स्थापना करने के लिए कार्यवाही की जा रही है। हैल्पलाइन जिस पर कोई भी व्यकित निःशुल्क टेलीफोन पर अपनी जानकारी/शिकायत दर्ज कर सकता है। अधिकतर जिलों में हैल्पलाइन का नम्बर 1077 रखा गया है।

5. शिकायतों की सुगम प्रस्तुतीकरण की दृष्टि से जिला कलकटर कार्यालय, जिला परिषद कार्यालय, पंचायत समिति उपखण्ड अधिकारी, कार्यालय, कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय एवं तहसील में एक बाक्स नरेगा शिकायत बाक्स लगवाया गया है, जिसमें शिकायतकर्ता अपनी शिकायत डाल सकता है। इसे नियमित रूप से प्रतिदिन खोलने की प्रक्रिया भी निर्धारित कर दी गई है तथा उसका नियमित रूप से रजिस्टर में संधारण किया जाकर

(ग्रामीण विकास मंत्री)

उसकी निस्तारण की कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु विस्तृत निर्देश विभागीय पत्र दिनांक 17.06.2009 द्वारा जारी किये गये हैं।

6. शिकायतों के निष्पक्ष एवं स्वतंत्र जांच सुनिश्चित करने हेतु सेवा निवृत्त अधिकारियों में से चयन किया जाकर 53 राज्य स्तरीय पर्यवेक्षक लगाये गये, जो नरेगा कार्यों का निरीक्षण करेंगे एवं लम्बित जांचों को पूरा करेंगे।

(2) नरेगा योजनान्तर्गत काम की मांग करने वाले पंजीकृत परिवारों द्वारा प्रपत्र 6 में आवेदन करने पर प्राप्त आवेदनों में वर्णित श्रमिकों की संख्या के आधार पर कार्यक्रम अधिकारी द्वारा श्रमिकों की संख्या के आधार पर मस्टररोल जारी की जाती है। मस्टररोल के साथ कार्य पर नियोजित किये जाने वाले श्रमिकों की प्रमाणित सूची दी जाती है एवं सूची में वर्णित श्रमिकों के ही नाम मस्टररोल में अंकित किये जाते हैं।

(3) जी हां। कार्यक्रम अधिकारी पंचायत समिति कुम्हेर में ग्राम पंचायत अस्तावन को खाली मस्टररोल जारी कर दी गई थी एवं इस प्रकरण की जांच अति. जिला कलक्टर प्रशा. से करवाई गयी उसके अनुसार कार्यक्रम अधिकारी पंचायत समिति कुम्हेर, सचिव ग्राम पंचायत अस्तावन एवं ग्राम रोजगार सहायक अस्तावन को दोषी माना गया। ग्राम रोजगार सहायक अस्तावन की सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं, ग्राम सेवक को निलम्बित कर दिया गया है एवं कार्यक्रम अधिकारी की सेवाएं ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज विभाग को लौटा दी गई हैं।

कोटपूतली विधान सभा क्षेत्र में स्थानीय विकास कोष से स्वीकृत विकास कार्य

293. **श्री रामस्वरूप कसाना** (कोटपूतली) : क्या ग्रामीण विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में गत पांच वर्षों में विधायक एवं सांसद कोष द्वारा कहां-कहां कौन से कार्य कितनी-कितनी राशि के स्वीकृत किये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त स्वीकृत कार्यों में से कितने कार्य अभी तक पूर्ण नहीं हुए तथा अब उक्त कार्यों को कब तक पूर्ण करवा दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र कोटपूतली में गत पांच वर्षों में विधायक एवं सांसद कोष द्वारा स्वीकृत कार्यों का विवरण मय स्वीकृत राशि के विवरण परिशिष्ट-1 व 2 पर अवलोकनीय हैं।

(2) इन स्वीकृत कार्यों में से एक कार्य विधायक कोष एवं 5 कार्य सांसद कोष के अभी तक पूर्ण नहीं हुये उक्त कार्यों को शीघ्र पूर्ण करवा दिया जावेगा 1 अपूर्ण कार्यों का विवरण संलग्न परिशिष्ट-1 व 2 के अन्तिम कालम पर अवलोकनीय है।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

इटावा (कोटा) में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

294. **श्री प्रेमचन्द** (पीपल्दा) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि कस्बा इटावा के आस-पास महाविद्यालय नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार कस्बा इटावा जिला कोटा में महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। वर्तमान में कस्बा इटावा जिला कोटा में निजी क्षेत्र में एक सहशिक्षा एवं एक महिला महाविद्यालय संचालित है।

राज्य सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों को मध्यनजर रखते हुये वर्तमान में इटावा जिला कोटा में राजकीय क्षेत्र में नवीन महाविद्यालय खोला जाना प्रस्तावित नहीं है।

खैरथल (अलवर) में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

295. **श्री रामहेत सिंह** (किशनगढ़ वास) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार नगरपालिका खैरथल में राजकीय महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी नहीं। राज्य सरकार के सीमित वित्तीय संसाधनों को मध्य नजर रखते हुये वर्तमान में नगरपालिका खैरथल में राजकीय क्षेत्र में नवीन महाविद्यालय खोला जाना प्रस्तावित नहीं है। वर्तमान में खैरथल जिला अलवर में निजी क्षेत्र में दो सहशिक्षा एवं एक महिला महाविद्यालय संचालित है।

सरकारी विश्वविद्यालयों में कुलपति के रिक्त पद

296. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर-उत्तर) : क्या उच्च शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राजस्थान में कुल कितने सरकारी डीम्ड व निजी विश्वविद्यालय हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकारी विश्वविद्यालयों में स्थायी कुलपतियों के पद कहां-कहां रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) राज्य में 14 सरकारी विश्वविद्यालय हैं जिनमें 8 उच्च शिक्षा, 2 कृषि, 2 चिकित्सा, 1 स्कूल शिक्षा व 1 तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत है एवं 13 निजी व 8 डीम्ड विश्वविद्यालय हैं।

(2) प्रदेश में निम्नलिखित 5 विश्वविद्यालयों में कुलपति के पद रिक्त हैं :-

1. मोहनलाल सुखाड़िया वि.वि., उदयपुर
2. जयनारायण व्यास वि.वि., जोधपुर
3. महाराजा गंगासिंह वि.वि., बीकानेर
4. राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान वि.वि., जयपुर
5. राजस्थान तकनीकी वि.वि., कोटा

(3) विश्वविद्यालयों में कुलपति की नियुक्ति कुलाधिपति एवं महामहिम राज्यपाल महोदय के द्वारा की जाती है। कुलपति नियुक्ति की चयन प्रक्रिया प्रारम्भ की जा चुकी है।

आसीन्द विधान सभा क्षेत्र में नरेगा योजना में जारी स्वीकृतियां

297. श्री रामलाल गुर्जर (आसीन्द) : क्या ग्रामीण विकास (रोजगार गांरटी योजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि दिनांक 1 अप्रैल, 2008 से 31 मार्च, 2009 व दिनांक 1 अप्रैल, 2009 से 25 जून, 2009 तक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारण्टी योजना के तहत आसींद विधान सभा क्षेत्र के लिए कार्यों की

(श्री रामलाल गुर्जर)

स्वीकृतियां जारी की गई हैं? यदि हां, तो क्या उक्त स्वीकृतियां प्रस्तावानुरूप थी? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

जी हां। पंचायत समिति आसीन्द में 1 अप्रैल, 2008 से 31 मार्च, 2009 तक व दिनांक 1 अप्रैल, 2009 से 25 जून, 2009 तक राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत आसीन्द विधान सभा क्षेत्र के लिये कार्य की स्वीकृतियां प्रस्तावानुसार ही जारी की गई स्वीकृतियों का विवरण निम्न प्रकार से है:-

क्र. सं.	विवरण	कार्यों की संख्या	स्वीकृत राशि का विवरण (रु. लाखों में)		
			श्रम	सामग्री	योग
1.	1 अप्रैल, 2008 से 31 मार्च, 2009 सामुदायिक कार्य	1366	6912.12	3043.48	9956.00
	व्यक्तिगत लाभ	170	-	-	282.89
2.	1 अप्रैल, 2009 से 25 जून, 2009 सामुदायिक कार्य	504	6201.25	3715.32	9916.57
	व्यक्तिगत लाभ	176	-	-	192.62

निवाई विधान सभा क्षेत्र में नरेगा योजना का बकाया भुगतान

298. श्री कमल बैरवा (निवाई) : क्या ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र निवाई में जनवरी, 2009 से अब तक नरेगा योजना में कहां-कहां पर कितनी-कितनी राशि के क्या-क्या कार्य करवाये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि नरेगा योजना में करवाये गये कार्य का समय पर मजदूरों को भुगतान कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? इसके लिए दोषी व्यक्ति के विरुद्ध अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र निवाई में जनवरी, 2009 से अब तक नरेगा योजना में करवाये गये कार्यो का कार्यवार विवरण मय स्वीकृत राशि परिशिष्ट 1 पर संलग्न है।

(2) जी हां।

(विवरण की प्रति विधान सभा पुस्तकालय में रखी गई)

सिरोही जिले में नरेगा योजना में चिकित्सालय भवन का निर्माण

299. श्री ओटाराम देवासी (सिरोही) : क्या ग्रामीण विकास (रोजगार गारंटी योजना) मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार नरेगा योजनान्तर्गत चिकित्सालय भवन या अन्य पक्के निर्माण कार्य शुरु करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(2) क्या सरकार नरेगा योजनान्तर्गत पक्के निर्माण कार्यों में जिला सिरोही को सम्मिलित किये जाने का विचार रखती है?

उत्तर

(1) जी नहीं। नरेगा योजनान्तर्गत अनुमत कार्यों की सूची में चिकित्सालय भवन आदि का निर्माण अनुमत नहीं है।

(2) नरेगा योजनान्तर्गत अधिनियम में प्रावधित अनुमत कार्यों की सूची में वर्णित कार्यों में सम्मिलित पक्के कार्य सभी जगहों पर करवाये जा रहे हैं।

परिशिष्ट-1

मांग संख्या-46 पर प्राप्त कटौती प्रस्ताव

मांग संख्या-46 मुख्य शीर्षक सिंचाई (इंदिरा गांधी नहर सहित) के अन्तर्गत मांग में से 100 रुपया कम दिया जाय।

डा. राजकुमार शर्मा (नवलगढ़) :

1. राज्य में उपलब्ध सीमित जल से अधिक क्षेत्र में पैदावार किये जाने की दृष्टि से ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिस्टम से सिंचाई को प्रोत्साहन देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए ।
2. राज्य के सिंचित क्षेत्र में वृद्धि करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।
3. विधान सभा क्षेत्र नवलगढ में बरसाती पानी के संग्रहण हेतु बहुउद्देशीय बांध परियोजना बनाने के सम्बन्ध में।
4. विधान सभा क्षेत्र नवलगढ़ में नए बांध/एनिकट के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती सज्जन कटारा (उदयपुर ग्रामीण) :

5. विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में लिफ्ट इर्रिगेशन की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

डा. गोपाल जोशी (बीकानेर पश्चिम) :

6. इंदिरा गांधी नहर में पर्याप्त पानी न आने से फसलें बर्बाद होने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर) :

7. 'ए' माइनर नहर श्रीगंगानगर को शहर सेवा से बाहर स्थानान्तरित करने अथवा शहर के अन्दर कवर्ड कर मैन हॉल बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए ।
8. श्रीगंगानगर जिले में शेष रही नहरों और खालों को पक्का कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।
9. धान की रूपाई के लिए पंजाब अपने हिस्से के अलावा राजस्थान के हिस्से का पानी भी इस्तेमाल करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।
10. इंदिरा गांधी नहर परियोजना में सिंचाई व पेयजल के लिए पूर्ण मात्रा में पानी उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

11. गंगनहर में 1500 क्यूसैक पानी निर्धारित शेयर के अनुसार पंजाब से पूरा लेने हेतु विभागीय पहल के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) :

12. जिला सीकर के कृषकों को सिंचाई हेतु पर्याप्त सुविधाऐं व अनुदान उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री अशोक डोगरा (बून्दी)

13. चम्बल की बाईं मुख्य नहर को पक्का कराकर टेल क्षेत्र के किसानों को पानी उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़) :

14. स्प्रिंकलर सिंचाई योजना में सब्सिडी बढ़ाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री ओटाराम देवासी (सिरोही) :

15. कालकाजी बांध सहित टूटे बांधों व क्षतिग्रस्त नहरों की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री बाबूलाल खराडी (झाडोल) :

16. स्वीकृत परियोजना साबरमती, उभापाण, रोहण आदि बांधों का कार्यादेश जारी करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री जयदीप (भादरा) :

17. चौधरी कुम्भाराम सहावा लिफ्ट परियोजना में 24 गांवों को जोड़ने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्रीमती अनीता सिंह (नगर) :

18. सेवल मंदिर एनीकट एवं पुराने सभी एनीकटों व अन्य एनीकटों के रख-रखाव एवं मरम्मत कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए ।

19. सीकरी बांध को पुनर्जीवित करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

20. विधान सभा क्षेत्र नगर में यमुना के हिस्से का पानी दिलाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

21. रूपारेल नदी का पानी सीकरी बांध में रोके जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

22. गुडगांवा कैनाल से राज्य के हिस्से का पूर्ण पानी दिलवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री छोटू सिंह भाटी (जैसलमेर) :

23. मध्यम व लघु सिंचाई परियोजनाऐं तैयार करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

24. ड्रिप व स्प्रिंकलर सिस्टम को और अधिक बढ़ावा देने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

25. विभाग द्वारा बकाया सिंचाई शुल्क को माफ करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री नरपत सिंह राजवी (विधाधर नगर) :

26. पोंग बांध के सम्बन्ध में भाखड़ा व्यास मैनेजमेंट बोर्ड द्वारा डैम सेफ्टी के कारण 10 फुट खाली रखने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

27. पोंग बांध के उपर नहर के माध्यम से सतलज नदी के 8500 क्यूसेक पानी पंजाब द्वारा डाइवर्ट कर अन्य उपयोग में लेने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए ।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर) :

28. मेवाड़ क्षेत्र में स्वीकृत लघु तथा वृहद सिंचाई योजना स्वीकृत होने पर भी कार्य प्रारम्भ नहीं करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

29. विभाग द्वारा माही, जाखम एवं जयसमन्द को एक दूसरे से जोड़कर पानी लाने की योजना बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

30. कडाना बांध गुजरात व राजस्थान की सम्मिलित योजना के समझौते के अनुसार गुजरात को दिया जाने वाला पानी रोककर राजस्थान में इस पानी का उपयोग नहीं करने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

31. झाडोल, गोगुन्दा और कोटडा केचमेंट एरिया का पानी जो सावरमती में होकर समुद्र में जा रहा है उसे रोकने की वृहद योजना बनाने हेतु चर्चा के लिए।

32. उदयपुर सम्भाग में जिन नहरों से सिंचाई होती है उनकी लम्बे समय से मरम्मत नहीं होने से सिंचाई क्षेत्र में आ रही कमी के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़) :

33. राज्य की सिंचाई परियोजनाओं में वृहद, मध्यम एवं लघु योजनाओं की निश्चित समय सीमा एवं प्रथम स्वीकृत बजट से कई गुना धन एवं समय लगने से राज्य को हो रही हानि के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री ओम जोशी (फलौदी) :

34. मध्यम व लघु सिंचाई परियोजना तैयार करने एवं पोकरण फलौदी लिफ्ट को पूरा कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए ।

35. ड्रिप व स्प्रिंकलर सिस्टम को और अधिक बढ़ावा देने के लिए चर्चा के लिए।

36. बकाया सिंचाई शुल्क को माफ करने एवं शेष भूमि का आबंटन कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

37. फलौदी में आई.जी.एन.पी. कालोनी की भूमि व आवासीय/कार्यालय का पूरा उपयोग लेने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

38. बीकानेर व जैसलमेर के काश्तकारों को धारा आई.एस.ए.ए.ए. के तहत अभियान चलाकर खातेदारी प्रदान करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) :

39. विधान सभा क्षेत्र जहाजपुर के सरला सागर रासेड़, खेरूणा तालाब, ढगारिया एवं कंजर की नाड़ी एनिकट के स्वीकृत एवं अपूर्ण कार्यो को पूर्ण कराने पर चर्चा के लिए ।

40. जल संसाधन उपखण्ड कोटड़ी में बेड़न्दा तालाब में आव बढ़ाने के लिए एनिकट मय फीडर निर्माण कराने पर चर्चा के लिए ।

श्री रूपाराम डूडी (डीडवाना) :

41. इंदिरा गांधी लिफ्ट कैनाल योजना से नागौर जिले की विभिन्न ग्रामीण एवं नगरपालिका क्षेत्रों को पेयजल उपलब्ध कराने हेतु चर्चा के लिए।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा) :

42. बीसलपुर परियोजना के विश्राम गृहों के रख-रखाव में बरती जा रही विभागीय लापरवाही पर चर्चा के लिए।

43. चम्बल की बाई मुख्य नहर की बूंदी ब्रांच कैनाल के आधुनिकीकरण तथा उन्नयन करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

44. जवाहर सागर बांध क्षेत्र में हो रहे खनन से मिट्टी बहकर बांध के पैंदे में जमा हो जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

45. बीसलपुर परियोजना सिंचित क्षेत्र के ग्राम देवपुरा (बिलासपुर) में पशु पेयजल के लिए तलाई में पानी भरने के लिए नहर से धोरा पहुंचाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

(श्री रामनारायण मीणा)

46. चम्बल सिंचाई परियोजना की जर्जर नहरी प्रणाली के सुदृढ़ीकरण के अभाव में व्यर्थ बहने वाले पानी को सवाई माधोपुर सीमा में इकट्ठा कर जयपुर को पेयजल उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए ।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर) :

47. जहाजपुर में बरदपुरा तालाब की आवक बढ़ाने के लिए एनिकट मय फीडर निर्माण पर चर्चा के लिए।

48. जहाजपुर में बावड़ी तालाब, तस्वरिया तालाब, भीलड़ी तालाब एवं टिटोडी तालाब को आपस में इन्टरलिकिंग की योजना पर चर्चा के लिए।

49. जहाजपुर में नागदी बांध की नहरों को पक्की कराने व नागदी नदी का जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यकरण कराने पर चर्चा के लिए।

श्री अशोक पींचा (सरदार शहर) :

50. तहसील सरदारशहर के 27 गांवों को चौधरी कुम्भाराम आर्य लिफ्ट योजना में जोड़ने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए ।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत) :

51. विधान सभा क्षेत्र सोजत के क्षेत्र में जोधपुर में आ रहे गंगानगर के पानी पर विशेष सिंचाई योजना बनाकर ग्रामीण क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री मती कमसा मेघवाल (भोपालगढ़) :

52. विधान सभा क्षेत्र भोपालगढ़ के समस्त गांवों को इंदिरा गांधी नहर का पानी दिये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली) :

53. विधान सभा क्षेत्र बाली के पूटिया बांध के निर्माण/उंचाई बढ़ाने एवं नहर निर्माण के स्वीकृत कार्य को निरस्त कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए ।

54. नगरपालिका बाली, फालना व सादड़ी क्षेत्र में बहने वाली नदी व बहाव क्षेत्रों में एनिकट व सब सरफेस बेरियर बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

(श्री पुष्पेन्द्र सिंह)

55. विधान सभा क्षेत्र बाली के क्षतिग्रस्त काना बांध, जुणा बांध मुठाणा बांध, हरिओम सागर बांध, सैली बांध आदि की नहरों के टूट जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

56. माही सागर परियोजना या नर्मदा योजना का पानी जवाई बांध तक लाने तथा आगोरिया तालाब सिन्दरली तह. देसूरी (पाली) को बांध में परिवर्तित करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

57. विधान सभा क्षेत्र बाली के क्षतिग्रस्त लाटड़ा बांध के पूर्णतः जीर्णोद्धार हेतु स्वीकृत कार्य को निरस्त कर दिये जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए ।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया) :

58. विधान सभा क्षेत्र संगारिया में सेम समस्या के निवारण के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

59. विधान सभा क्षेत्र संगारिया के कच्चे खालों को पक्का करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

60. विधान सभा क्षेत्र संगरिया में इंदिरा गांधी नहर से टेल तक पानी पहुंचाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा) :

61. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में अपूर्ण एनिकटों को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

62. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा के पोटला तालाब की आव पर कार्य नहीं होने से हो रहे काश्तकारों के नुकसान पर चर्चा के लिए।

63. विधान सभा क्षेत्र सहाड़ा में नये एनिकट बनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) :

64. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में जवानपुरा व छिंतोली बांधों की निर्मित व अर्द्ध निर्मित नहरों व माइनर्स का निर्माण कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए ।

65. विधान सभा क्षेत्र विराटनगर में जवानपुरा बांध पर अतिक्रमण व क्षतिग्रस्त करने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही करने व बांध की पुनः मरम्मत कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री गंगाजल मील (सूरजगढ़) :

66. विधान सभा क्षेत्र सूरतगढ़ की नौ वितरिकाओं के विस्तार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़) :

67. 11 दिसम्बर, 2004 को अजमेर जेल में सिंचाई सुविधा हेतु हुए समझौते की क्रियान्विति के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

68. सिंचित क्षेत्र में दस वर्ष का आबयान माफ करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

69. आई.जी.एन.पी. का पुनः निर्माण करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

70. इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में एक हजार से ऊपर रिक्त पड़े पदों को भरने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत) :

71. इंदिरा गांधी नहर परियोजना की फीडर नहर में मरम्मत नहीं होने के कारण नहर पूरी क्षमता से फीडर में पानी नहीं ले जा पाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

72. इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र में गत सात वर्ष से जिला गंगानगर, बीकानेर में रेगूलेशन की पालना नहीं करने वालों की जिम्मेदारी तय नहीं करने से किसानों को निर्धारित हिस्से का पानी नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

73. इंदिरा गांधी नहर परियोजना की मुख्य नहर की आर.डी. 507 व 750 पर आरक्षित जलाशय शीघ्र नहीं बनाये जाने के कारण उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

74. इंदिरा गांधी नहर परियोजना मुख्य नहर के सीधे मोघे (OUT LET) निर्धारित बारी से अधिक पानी लेने, चोरी रोकने में विभाग की असफलता से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

75. इंदिरा गांधी नहर परियोजना क्षेत्र की विभिन्न नहरों के अन्तिम छोर पर लगातार निर्धारित बारी का पूरा पानी किसानों को नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

श्री अर्जुन लाल (बिलाड़ा) :

76. विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में जसवन्त सागर बांध का पुनर्निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला) :

77. विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला की टूटी हुई नहरों के मरम्मत कार्य करवाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

78. विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला में इंदिरा गांधी नहर का अन्तिम छोर होने के कारण पानी नहीं पहुंचने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री जीवाराम चौधरी (सांचौर) :

79. नर्मदा नहर में हुए घटिया निर्माण के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री रणवीर पहलवान (मालपुरा) :

80. तहसील मालपुरा के विशालपुर बांध की समस्या का समाधान करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां) :

81. नागौर जिले की उपजाऊ भूमि व मेहनती किसानों की आर्थिक स्थिति को सुधारने हेतु सिंचाई के साधनों को विकसित करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

82. नागौर जिले के विशेषकर नावां व कुचामन को इंदिरा गांधी नहर व बीसलपुर से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

83. नागौर जिले के डार्क जोन हिस्से को समाप्त कर किसानों को राहत मुहैया कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

84. राज्य में पुराने बांधों तालाबों व नहरों की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री मदन प्रजापत (पचपदरा) :

85. बाड़मेर जिले को नहर से जोड़ने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

86. विधान सभा क्षेत्र पचपदरा में पानी की कमी के कारण बूंद-बूंद सिंचाई पद्धति पर चर्चा के लिए।

श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर (लोहावट) :

87. नागौर लिफ्ट पेयजल योजना द्वारा नागौर जिले में पेयजल के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर) :

88. रामगढ़ से इंदिरा गांधी नहर का पानी गडरा रोड तक पहुंचाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री सुन्दर लाल (पिलानी) :

89. विधान सभा क्षेत्र पिलानी के किसानों के कुओं को गहरा करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

90. विधान सभा क्षेत्र पिलानी के हरियाणा प्रदेश की सीमा से सटे हुए गांवों के किसानों को जवाहर लाल नेहरू कैनाल लौहारू कैनाल एवं इंदिरा गांधी कैनाल से सिंचाई की सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर) :

91. ग्राम पंचायत रैयाटुण्डा व रेडी के रास्ते पर कुम्भाराम आर्य नहर परियोजना में अवरूद्ध किये गये रास्ते पर पुल निर्माण कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

92. कुम्भाराम आर्य नहर परियोजना के पुनसीसर माइनर में मौगा नं. 7 नहर प्लान के अनुसार निर्माण किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

93. कुम्भाराम आर्य नहर परियोजना में सुई ब्रांच नहर पर लगभग 17 किलोमीटर पर खसरा नं. 67 व 54 की सीमा पर रायपुरा से कालिवास बीच छोडा गया खांचे को नहर से जोड़े जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर) :

94. कुम्भाराम आर्य नहर परियोजना में निर्मित नहर के सिंचित क्षेत्र में चकबन्दी कर किसानों को सिंचाई का पानी दिये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

95. कुम्भाराम आर्य सिंचाई परियोजना का अक्टूबर, 2008 में स्वीकृत कार्य प्रारम्भ नहीं करवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

96. निविदा संख्या एस.ई./एस.एल.जी./4981 दिनांक 18.10.2008 के अनुसार कार्य चालू किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

97. ग्राम धीरवास (तारानगर) व अन्य स्थानों पर साहवा लिफ्ट परियोजना में माइनरों के स्वीकृत कार्य शीघ्र चालू किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

98. वर्ष 2008 में साहवा लिफ्ट परियोजना के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा माइनरों के निर्माण की प्रशासनिक एवं वितीय स्वीकृति जारी कर

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

विधिवत निविदाएं आमंत्रित की गई उनका शीघ्र निर्माण करवाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स) :

99. गिरते हुए जल स्तर को रोकने के लिए जल ग्रहण नीति बनाने तथा बरसाती जल के समुचित संग्रहण की तकनीकी अपनाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

100. नहरी क्षेत्र में इंदिरा गांधी नहर में राजस्थान के हिस्से का सम्पूर्ण पानी लाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री शाले मोहम्मद (पोकरण) :

101. विधान सभा क्षेत्र पोकरण की कच्ची साखों को पक्का करने एवं अपूर्ण कैनाल, माइनर, डिस्ट्रीब्यूटरी को शीघ्र पूर्ण करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री प्रेमचन्द (पीपल्दा) :

102. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के चम्बल कैनाल के टेल पर पड़ने की वजह से पर्याप्त सिंचाई सुविधा नहीं मिलने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

103. विधान सभा क्षेत्र पीपल्दा के उजाड़ा क्षेत्र व अठाखां क्षेत्र में लिफ्ट द्वारा सिंचाई सुविधा मुहैया कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन) :

104. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के कोलार बांध की गाद निकालने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

105. विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन के फुलाद बांध की सभी नहरों को पक्का करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री प्रदीप कुमार सिंह (माण्डलगढ़) :

106. बनास नदी, बेड़च नदी व मेज नदी पर एनिकट निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

107. विधान सभा क्षेत्र माण्डलगढ़ में पूर्व में निर्मित-ओराई, पंचानपुरा, डामटी आदि बांधों की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री ओम बिरला (कोटा (दक्षिण) :

108. कोटा-बूंदी-बारां-झालावाड़ के मेजर व माइनर नये सिंचाई प्रोजेक्ट बनाने व चम्बल कमाण्ड बाई-दायी मुख्य नहर को सुदढ़ व दुरस्त करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

109. कोटा में डाइवर्जन चैनल के द्वितीय चरण का कार्य शुरू कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री संतोष कुमार सहारण (सादुलशहर) :

110. भांखड़ा व्यास प्रबन्धक मण्डल द्वारा नीयत मात्रा से कम पानी पंजाब राज्य से मिलने पर उचित प्रबन्धन कर सभी क्षेत्रों में सिंचाई की कमी को पूरा करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

111. विधान सभा क्षेत्र सादुलशहर के मम्मड़ खेड़ा वितरिका (MMKDISTY) में बुर्जी संख्या 118-119 के मध्य प्रस्तावित नया डीआरबी बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

112. गंग कैनाल से मिलने वाले पानी की नाप बीकानेर कैनाल की आरडी 86 पर लगी गेज के अनुसार नापने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

113. पुनः संरचना परियोजना (RWSRP) के तहत मोरजण्डा वितरिका के पुराने पुलों के स्थान पर 7 नये पुल बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

114. गंग नहर परियोजना में बाग के लिए आरक्षित एक प्रतिशत पानी के समुचित वितरण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं) :

115. यमुना जल को झुंझुनूं एवं चूरू जिले में लाने हेतु हरियाणा सरकार से सहमति पत्र पर पहल करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) :

116. विधान सभा क्षेत्र प्रतापगढ़ में पूर्व में स्वीकृत देवद कराडिया व दांतला बांध के अपूर्ण कार्य को पूरा कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

117. प्रतापगढ़ जिले में सिंचाई के लिए मास्टर प्लान तैयार करने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री प्रकाश चन्द चौधरी (बड़ी सादडी) :

118. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में सिंचाई विभाग द्वारा बनायी गई सड़कों, डाक बंगलों आदि की देखरेख हेतु सार्वजनिक निर्माण विभाग को स्थानान्तरित किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

119. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी में नवीन बांध एवं नहरें बनाये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

120. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी पहले से संचालित लिफ्ट योजना के जीर्णोद्धार किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

121. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी नयी लिफ्ट सिंचाई योजना स्वीकृत किये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

122. विधान सभा क्षेत्र बड़ी सादड़ी के एनिकट, तालाब, बांध एवं नहरों की मरम्मत कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री विजय बंसल (भरतपुर) :

123. पांचना बांध से गम्भीर नदी द्वारा घना पक्षी विहार में आने वाले पानी को रोके जाने से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

124. चिकसाना (भरतपुर) बांध की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

125. यमुना जल बंटवारे के समझौते के अनुसार भरतपुर जिले को पानी शीघ्र उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

126. रूपारेल, बाणगंगा एवं गम्भीर नदी का पानी पूर्व में हुई संधि के अनुसार भरतपुर जिले को दिलवाये जाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर) :

127. यमुना जल बंटवारे के समझौते के अनुरूप भरतपुर जिले का शीघ्र पानी उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री अभिषेक मटोरिया (नोहर) :

128. राज्य में पायलट प्रोजेक्ट के तहत ड्रिप एवं स्प्रिंकलर सिस्टम को बढ़ावा देने हेतु चर्चा के लिए।

श्री सूरज भान (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़) :

129. विधान सभा क्षेत्र राजगढ़-लक्ष्मणगढ़ में घाट कैनाल के पुर्ननिर्माण कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्री राजेन्द्र सिंह गुढा (उदयपुरवाटी) :

130. खेतड़ी कोपर प्रोजेक्ट द्वारा जल दोहन के कारण सिंचाई व पीने के पानी की समस्या के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

131. निर्वाचन क्षेत्र उदयपुरवाटी में अरावली पर्वत श्रृंखला में एनिकट एवं बांध बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

132. झुंझुनूं जिले में गन्धेली साहवा एवं सिद्धमुख नहर परियोजना से सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

133. बरसात के पानी से भूमि के कटाव को रोकना व सिंचाई के लिए तालाब बनाकर तालाबों से सिंचाई कराने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री उदय लाल आंजना (निम्बाहेड़ा) :

134. विधान सभा क्षेत्र निम्बाहेड़ा की भौगोलिक स्थिति को देखते हुए बांध बनाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) :

135. विधान सभा क्षेत्र रामगंजमण्डी के ताकली बांध, रामसागर बांध एवं बोराबास क्षेत्र की सिंचाई परियोजना के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री नन्दलाल मीणा (प्रतापगढ़) :

136. प्रतापगढ़ जिले में स्थित पंचतना, बंजरगढ़, चाचाखेड़ी, बोरिया, पाडलिया आदि बांधों से निकलने वाली नहरों पर चर्चा के लिए।

श्री मंगलाराम गोदारा (डूंगरगढ़) :

137. विधान सभा क्षेत्र श्रीडूंगरगढ़ में कंवर सेन लिफ्ट नहर का पानी पहुंचाने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री गोपाल मीणा (जमवारामगढ़) :

138. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में जमवारामगढ़ बांध के भराव क्षेत्र की मिट्टी को निकालने व पानी की आवक व क्षेत्र में हुए अतिक्रमण होने से व्याप्त जनाक्रोश से उत्पन्न स्थिति पर चर्चा के लिए।

139. विभाग द्वारा जमवारामगढ़ क्षेत्र में छोटी सिंचाई परियोजनाओं का सर्वे कराकर जनता को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

140. विभाग द्वारा सिंचाई के लिए किये जा रहे प्रयासों पर चर्चा के लिए।

141. विधान सभा क्षेत्र जमवारामगढ़ में जल स्तर को बढ़ाने के लिए एनिकट, तालाबों के निर्माण की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

142. नहरों का मरम्मत कार्य एवं सफाई व्यवस्था पर चर्चा के लिए।

श्री कैलाश चन्द्र भंसाली (जोधपुर) :

143. इंदिरा गांधी नहर सिंचाई योजना क्षेत्र की भूमि आबंटन नीति एवं जोधपुर को नियमित रूप से नहर से जलापूर्ति के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

श्री सुखराम (बसेडी) :

144. विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी में चम्बल से निकलने वाली नहरों के मरम्मत कार्य कराये जाने की आवश्यकता पर चर्चा के लिए।

145. आगई बांध नहर निर्माण में घटिया सामग्री के उपयोग के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

146. विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी में चम्बल नदी से सिंचाई योजनाओं के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

147. विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी में सिंचाई योजना के लिए मास्टर प्लान तैयार करने के सम्बन्ध में चर्चा के लिए।

148. विधान सभा क्षेत्र बसेड़ी के ग्राम नमोधन, नगला की बीधोरा, सलेमपुर एवं सैपऊ में पार्वती नदी पर नये एनीकट बनवाने हेतु चर्चा के लिए।